

१ प्रकाशक-मुंबई-४

२ सरस्वती पुस्तक भंडार ३ श्री पार्श्व बुक कोर्पोरेशन
हाथीखाना-रत्नपोल अहमदाबाद निशापोल-झवेरीबाड अहमदाबाद

धन्यवाद !

—) ● (—

धन्यवाद !!

—॥ मुद्रण न्यय में अर्थ प्रदान करने वाले महानुभावों के शुभ नाम :—

ऋ

* (१) श्री इच्छे. मू. तपागच्छ जैन संघ विलेपाले (पूर्व) *

[श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर-उपाश्रय] मुंबई^१
ज्ञाननिधि में से आर्थिक सहाय-१०००० रुपये

ऋ

* (२) श्री जैन इच्छे. मू. तपागच्छ जैन संघ *

श्री जीवण-अब्दजी ज्ञानमंदिर-ज्ञाननिधि में से माटुंगा-मुंबई^२
आर्थिक सहाय-११००० रुपये

धन्यवाद !

—) ● (—

धन्यवाद !!

[सर्वाधिकार सुरक्षित]

मूल्य ३०-०० रुपये

धोर नर्साण संवत्-२५०६

विक्रमसंवत्-२०३६



मुद्रकः—
ज्ञानोदय प्रिन्टिंग प्रेस, पिंडाबाडा
स्टै.-सिरोहीरोड (राजस्थान)
Pin 301022

* प्रकाशकीय निवेदन *

॥ जैनाचार्य श्री प्रेमसूरीश्वराय नमः ॥

पाठक वर्ग समझ हिन्दी विवेचनालंकृतस्याद्वादकल्पलताटोका सहित श्री शास्त्रवाच्चासमुच्चय ग्रन्थरत्न का प्रथमस्तबक प्रस्तुत हो जाने के बाव चिरप्रतीक्षा के अनुसधान में यह 'द्वितीय-तृतीय-स्तबक' रूप दूसरा लड प्रकाशित करते हुये हम असीम आनंद की अनुभूति करते हैं।

हम अत्यधिक झूणी हैं न्यायदर्शनतत्वज्ञ जैनाचार्य श्रीमद् विजय भुवनभानुसूरीश्वरजी महाराज के जिन्होने चिरकाल से अध्ययन क्षेत्र की सीमा से बाहर रह गये इस अमूल्य ग्रन्थ रत्न को अध्ययनक्षत्र में ले आने का परम श्रेय प्राप्त किया है, अन्यथा जैन दर्शन और भारतीय तक्षशास्त्र के अमूल्य रत्ननिधानतुल्य ग्रन्थ के प्रकाश से सामान्यजन अनभिज्ञ ही रह जाते।

न्यायवेदान्त श्राचार्य पंडितराज श्री बदरीनाथ शुक्ल महोदयने भी इस ग्रन्थरत्न अन्तर्गत उच्चकोटि के युक्ति सबर्भं से आकृष्ट होकर मूलग्रन्थकार और व्याख्याकार के सही तात्पर्य को उद्भासित करने के लिये बहुविध अन्य प्रवृत्तियों से से अवकाश लेकर हिन्दी विवेचन के सर्जन में अथक परिष्ठम उठाया है वह भी बहुत ही सराहनीय है।

प्रथमस्तबक चौखम्बा ओरियन्टलिया [बाराणसी] से दो वर्ष पूर्व प्रकाशित होने के बाव मुद्रणादि व्यवस्था संबंधी कठिनाईयों को दूर करने के लिये शेषस्तबको के प्रकाशन का कार्यभार हमारी संस्था को प्राप्त हुआ है जिसे हम हमारा परम सौभाग्य समझ कर निष्ठा से पूर्ण करने की उम्मीद रखते हैं—आशा है अन्य स्तबकों का भी यथा शीघ्र प्रकाशन का श्रेय परमात्मा की कृपा से हमे प्राप्त हो।

इस खंड के समग्र मुद्रणव्यय में प० प० मुनिराज श्री हेमचन्द्रविजयजी म० की पुनीत प्रेरणा से जीवण अवजीज्ञान मदिर-मादु गा और श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथ मंदिर-उपाध्य-विलेपालें के जैन क्षेत्रात्म्वर मूर्तिपूजक तपागच्छ सघ के ज्ञान द्रष्टव्य का जो धन्यवादार्ह विनियोग हुआ है एतदर्थ हम उन के प्रति कृतज्ञ हैं।

ग्रन्थ का मुद्रण भिन्न भिन्न टाइप मे मरुदेशीय पिण्डवाढा नगर स्थित ज्ञानोदय मुद्रणालय मे हुआ है और मुद्रण को सर्वांग सुन्दर बनाने के लिये मुद्रणालय के व्यवस्थापक एव कार्यकरो ने परस्पर मिलकर निष्ठा से परिष्ठम किया है एतदर्थ वे भी अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं।

ग्रन्थ में कोई त्रुटि रहने न पाये इसलिये हिन्दी विवेचनकार श्री पंडितजी और हिन्दी विवेचन अभिवृक्षणकार पू. आचार्यदेवने पर्याप्त परिष्ठम किया है और मुद्रण मे कोई त्रुटि न रह जाय इसलिये पू. मुनिराज भी जयसुन्दरविजयजी म. ने भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है किर भी मुद्रणादि मे छद्म-स्पतामूलक कोई त्रुटि दृष्टिमोचर हो तब उसका परिमार्जन कर लेने के लिये अध्येता वर्ग को हमारी प्रशंसना है।

मुमुक्षु और जिज्ञासु अधिकारी सज्जनवृंद इस ग्रन्थरत्न का सम्यग् अध्ययन कर के सुनिश्चित तत्त्वों के आधार से मुक्तिमार्य की ओर प्रगति करे यही एक अन्तिम मरण कामना।

लि०

द्वितीय दर्शन ट्रस्ट के ट्रस्टीगण का विनीत
कुमारपाल वि. शाह

* प्रस्तावना *

श्री शक्तेश्वरपादवंतायाय नमः

समग्र विश्व को जलाशय की उपमा दी जाय तो यह निस्मदेह कहा जा सकता है—जैन दर्शन उसकी शोभा वृद्धिगत करने वाला कमल है जो अहनिश्च हंस तुल्य मुमुक्षु वग की निरंतर उपासना का विषय बना रहता है और योगिवृन्द का मनोमधुकर रात-दिन जहां लीनः रहता है। कमल की पखुडिया जितनी मनोहर होती है, जैन दर्शन के सिद्धान्त उनसे भी बहुणित सत्य को मुरभि से सुवासित और स्याद्वाद की मनोहर आकृति से अक्रित होने से किसी भी निर्मल वृद्धि अध्येता के लिये सदा सर्वदा चित्ताकर्षक बनते रहे हैं।

जैन और जैनेतर दर्शन]

जैसे एक ही लता पर सुमन भी खील उठते हैं और पत्ते भी उसी प्रकार जिन सिद्धान्तों की नींव पर जैन दर्शन की इमारत चुनी हुई है उन्होंने सिद्धान्तों से से किसी एक या दो चार को पकड़ कर और अन्य का परित्याग कर कुछ अपनी ओर से भी जोड़ कर जैनेतर दर्शनों को भी अपनी अपनी इमारत चुन ली गयी है और यही कारण है अन्य सभी दर्शनों के सिद्धान्तों में परस्पर वैषम्य होने पर भी दूसरे अनेक अंश में उनका अंत्येधिक वैषम्य हो जाते के कारण ही जैन दर्शन और जैनेतर दर्शन के मध्य महदन्तर बन जाता है।

(ग्रन्थ रचना का उद्देश)

आचार्य श्रीमद् हरिभद्रसूरि महाराज ने शास्त्रवाच्चा-समुच्चय ग्रन्थ के रूप में एक ऐसे सेर्वतन्त्र की रचना की है जिसके माध्यम से जैनेतर दर्शन के विद्वान् अपने दर्शन का अभिज्ञ होने पर आसानी से जैनदर्शन की सिद्धान्त भूमि पर आकर यहाँ बहती हुई सत्य की सरिता के जल में अवगाहन कर सके। ऐसी पवित्र भावना से रचे गये इस ग्रन्थ में आचार्यश्री ने जैनेतर दर्शनों के सिद्धान्तों का प्रामाणिक निष्पत्ति के साथ जैनदर्शन के भौलिक सिद्धान्तों का प्रामाणिक परिचय दे कर जिस ढंग से जैनेतर दर्शनों के सिद्धान्तों का जैनदर्शन के साथ समन्वय सम्भवित है यह प्राज्ञल और हृदयंगम शैली से दर्शाया है जो सत्यजिज्ञासुओं के लिये अवश्येव उत्सव तुल्य है।

यद्यपि इस ग्रन्थ का 'उद्देश्य' मुख्य रूप से जैनेतर दर्शनों का खंडन और जैनदर्शन का मण्डन ही रहा है किन्तु अस्य दर्शनों के खण्डन करते समय आचार्यश्री ने तर्क और युक्तियाँ का जिस ढंग से प्रतिपादन किया है उससे यह सहज पता चल सकता है कि यह खंडन-मण्डन की प्रवृत्ति स्वदर्शनराग और पर दर्शन द्वेष-मूलक नहीं है किन्तु शुद्ध तत्त्वे अन्वेषण मूलक है।

इस ग्रन्थ के प्रथम 'स्तंबक' में 'प्रार्थ्म' में मौकार्यों के लिये उपर्योगी भूमिका बतायी गयी है और बाद में अन्य अन्य दर्शनों के शास्त्र-सिद्धान्तों की समीक्षा और आलोचना का उपक्रम क्रिया गया है। उसमें सबसे पहले मौका और मौकोंपैदीगी साधना का ही विरोधी चार्चाक-नास्तिक सिद्धान्तों का सविस्तर प्रतिकार किया गया है।

[द्वितीय स्तब्दकान्तर्गत विषयवृंद]

प्रस्तुत ग्रन्थमें द्वितीय और तृतीय स्तब्दक का समावेश किया है—जिसमें द्वितीय स्तब्दक के प्रारम्भ में ‘हंसा जूठ आदि अस्तप्रवृत्तियों से पापबन्ध और अहिंसादि के पालन से शुभ पुण्य दन्त्र के उपार्जन’ सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गयी है। व्याख्याकार महर्षि ने यहां शब्दप्रमाण का अनुमान में ही अन्तर्भव कर देने वाले वैज्ञेयिकादि के मत की आलोचना करके स्वतन्त्र शब्दप्रामाण्य का व्यवस्थापन किया है। पुण्य पाप के कारणों की व्यवस्था करने पर जो शका उठायी गयी है कि अशुभ अनुष्ठान से भी सुखप्राप्ति कभी होती है तो वह कैसे ? इसका मार्मिक उत्तर कारिका २६ में दिया गया है। जिस आगम से पुण्य-पाप के नियम की सिद्धि हो रही है वह भी तो प्रतिपक्ष आगम से बाधित होने से वह नियम कैसे सिद्ध होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में प्रतिपक्षी आगमों को दुर्बलता इस आधार पर बतायी गयी है कि वे दृष्टि और इष्ट उभय से विरुद्ध होने के जरिये आप्त विरचित नहीं हैं। वै कैसे दृष्टि और इष्ट से विरुद्ध है यह भी तीसरों कारिका से दीखाया है। यहा मध्यस्थ भाव के साधन पर विचार किया गया है और प्रथंग से श्री व्याख्याकार ने मध्यस्थभाव उत्पादक पातञ्जल प्रक्रिया का वर्णन किया है। आगे चलकर संसारमोचक मत का भी यहा प्रतिकार किया गया है। मुक्ति साधक कर्मक्षय के सम्भवित चार प्रकार का विमर्श किया गया है। अन्त में यह स्थापित किया है मुक्ति-साधक कर्मक्षय ज्ञानयोग का फल है और अहिंसादि के उत्कर्ष विना वह ज्ञानयोग सिद्ध नहीं होता। इससे यह भी फलित हो जाता है—वेदशास्त्रो में विहित होने पर भी वह हिंसा तत्त्वत पापजनक ही है। यहां यज्ञीय हिंसा के बचाव में मीमांसक कुमारिल भट्ट प्रमाकर मिश्र और नैयायिकों के अभिप्राय की व्याख्याकार ने सख्त आलोचना की है और महाभारत मनुष्यति-योगविश्व आदि ग्रन्थों का भी हिंसामय यज्ञ-यागों के प्रति विरोध उद्विद्धित किया गया है। यज्ञीय हिंसा के विरोध उपरांत व्याख्याकार ने जैन दर्शन अनुसार ‘हिंसा का लक्षण’ प्रस्तुत कर अन्त में वेदशास्त्र के अप्रामाण्य का प्रमाणसिद्ध उद्घोष कर दिया है।

तदनन्तर इस स्तब्दक में शुभाशुभ सर्व कर्म के कर्ता के रूपमें आत्मा को दीखा कर वह क्यों अपने ही अहित में भी प्रवृत्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि कर्म जनित मूढ़ता हि अहितकर कृत्यों से आत्मा को प्रवृत्त करती है। यहां कर्मवाद को प्राधान्य मिल जाता है तब उसके सामने कालवादी अपनी इष्टि से कालिक कारणता की घोषणा करता है। स्वभावदादी स्वभाव की कारणता को प्रस्तुत करता है, नियतिवादी नियति को ही सर्वमावजनयित्री के रूपमें उपस्थित करता है। इन वादों के सामने कर्मव दी कर्म कारणता को सुरक्षित रखना चाहता है। सिद्धान्ती इन सभी एकान्तवादी में अलग अलग दूषण आरोपित करके अन्त में यह स्थापित करता है कि कार्यमात्र में कालादि से से कोई एक ही कारण नहीं है और उनकी स्वतन्त्र कारणता भी नहीं है किन्तु उनका समवाय (समुदाय) ही भावमात्र का कारण है—द्वितीय स्तब्दक यहां पूर्ण होता है।


[तृतीय स्तवकान्तर्गत विषयवृंद]

तृतीय स्तवक में १ से १७ कारिका तक ईश्वरकर्तृत्ववाद की समालोचना की गयी है। इस में पूर्व भाग में साख्यमत-पातञ्जलमत और न्याय-वैज्ञेषिक वादियों की ओर से विस्तृत पूर्वपक्ष में विशेषत उदयनाचार्य की कुसुमाङ्गलिकारिका का निरूपण करने के बाद उत्तर भाग में उन सभी का सविरतर प्रतिकार किया गया है। विशेषतः यहाँ व्याख्या में पक्ष-प्रतिपक्ष रूपमें नव्यन्याय की शैली को चरम सौमा प्राप्त हुई है। जैन दर्शन में कर्तृत्ववाद औपचारिक या वास्तविक रीति से किस प्रकार संगत हो सकता है यह भी अन्त में दिखाया गया है। विषयानुक्रमणिका में विस्तार से ग्रन्थगत सभी विषयों का निर्देश किये जाने से यहाँ विस्तार नहीं किया है।

कारिका १८ से साख्यदर्शन के सिद्धान्तों के पूर्वपक्षरूप में निर्दर्शन किया है। २१ वीं कारिका से साख्यमत के प्रतिकार का आरम्भ है और उसमें प्रतिविम्बवाद पर गहन चर्चा यहाँ प्राप्त होती है। ३६ वीं कारिका में साख्यमत में जिस रीते से जितना संगतनिरूपण है उसके प्रति अगुलीनिर्देश किया गया है। अन्त में मूर्त्ति और अमूर्ति का परस्पर तादात्म्यादि सर्वध की संगति पर विचार किया गया है। प्रकृतिवाद की सत्यता के हेतु देकर साख्यमत का उपसंहार किया है।

मूलग्रन्थकार और व्याख्याकार दोनों महर्षि का परिचय प्रथमस्तवक में दिया हुआ है, तत्त्विकत उनके बनाये ग्रन्थों का भी वहाँ परिचय दिया हुआ है। इसलिये यहाँ अधिक विस्तार न कर प्राप्ति में यही शुभेच्छा व्यक्त वरना उचित है—जिज्ञासु अधिकारी मुमुक्षु वर्ग इस ग्रन्थ का अध्ययन कर मुक्ति मंदिर को शीघ्र प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त करें।

मुनि जयसुंदरविजय
श्रीपालनगर, मुंबई-६



द्वितीय-तृतीयस्तवक विषयानुक्रम

स्तवक-२	विषय	पृष्ठांक	विषय
पृष्ठांक	विषय	२०	पाप से सुख होने पर सुखीजनश्वलता की आपत्ति
१ व्याख्याकारमंगल		२१	लोक में दुःखहुलना होने से पुण्य से सुख की सिद्धि
,, पुण्य-पाप के नियम में आगंका		२२	आगम ही शुभ में सुखकारणताओंधक „ अतीन्द्रिय पदार्थ बोध आगमविना दुःखक्य
२ पुण्य-पाप का नियामक आगमप्रामाण्य		२३	दुःखहुलत दृष्टा के वाक्य से प्रसंग साधन की शक्यता
३ संवाद से परोक्षवस्तु में भी आगम का प्रामाण्य		२४	„ दुखवाहुलयदृष्टा के वाक्य का आगम प्रमाण में अन्तर्भूत
४ आगमैक्यादि से प्रामाण्य का समर्थन		२५	अशुभानुष्ठान से सुखप्राप्ति वस्तुतः जन्मान्तरीय कर्म का फल
५ आगमैक्यत्व का निश्चायकपापक्षय		२६	ब्रह्माद्या ग्रामादिलास का कारण नहीं है
६ परीक्षा-अपरीक्षा उभय के अयोग से सकट		२७	जैतर शान्त्र अप्रामाणिक क्यों हैं ?
७ शब्द प्रमाण स्वतन्त्र नहीं है-पूर्वपक्ष अनुमान से शब्द प्रमाण व्यर्थ नहीं है-उत्तरपक्ष		२८	„ „ „ दुष्टेष्टविरुद्ध है
८ योग्यता-भासत्ति घटित हेतु की अशक्ति		२९	अगम्यागमन से धर्मोत्पत्ति में प्रत्यक्षबाध „ मण्डलतन्त्रीय आगम निर्वल क्यों हैं ?
,, तात्त्वरूप आकांक्षा का हेतु में प्रवेश व्यर्थ		३०	हेतु के अमम्भव से मुक्ति का बाध
९ अनुमान से शब्दवत् नियत बोध की अनुपत्ति		३१	अगम्यागमनादि से मध्यस्थ भाव प्राप्ति द्वारा मोक्ष पूर्वपक्ष
,, अनुभितिपक्ष में शारदद्वानुदय की आपत्ति		३२	अगम्यागमनादि से मध्यस्थ की अनुपत्ति उत्तरपक्ष
१० 'घटात् पुथक्' अनुभिति की दुर्घटता		३३	पातञ्जलमत से मध्यस्थप्राप्तिकम
११ 'शारदगामि' अनुव्यवसाय से स्वतन्त्र शब्द प्रमाण की सिद्धि		३४	वासना का स्वरूप और भेद
,, उभयपक्ष में गौरव तुल्य		३५	माध्यस्थ उदय के पूर्व गम्याऽगम्य में तुल्य-भाव साधु है ?
,, 'हिंसादि' से पाप और अहिंसादि से पुण्य-नियम की सिद्धि		३६	प्रवृत्ति से इच्छा अभग रहने से अप्रवृत्ति-माध्यस्थ का अनुदय
१२ बन्ध-मोक्ष का कारण जीवस्वभाव		३७	लोक-शास्त्र कथित अगम्यादि में महात्मा का औदासीन्य
१३ स्वभाव और आगम अतिम शरण्य		३८	यथेच्छ प्रवृत्ति में विषयपराङ्मुखता का असम्भव
१४ सप्रतिपक्ष स्वभाव-आगम शरण्य कैसे ?		३९	मंसारमोक्षकमत के दूषण
१५ प्रमाणवाधित स्वभाव कल्पना के अयोग्य		४०	उपकारबुद्धि प्रयुक्त हिंसा का अनीचित्य
१६ अग्नि शीत है-पूर्वपक्ष			
,, अग्निशीतस्व में हिंम का दृष्टान्त			
१७ अग्निशीतस्व पक्ष में अतिप्रसंग-उत्तरपक्ष			
१८ स्वभाव के अन्योन्य संक्रम आपत्ति			
,, सर्वकार्ये सावारण कारणता आपत्ति का निवारण			
१९ कारणता कार्यसापेक्ष होती है			
२० 'शुभकर्म से ही सुख' इसमें क्या प्रमाण ?			

पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय
३६	मुक्ति का उपाय एकमात्र वर्मक्षय	६१	मरणोच्छाजन्येच्छाऽविषयत्व की अनुपत्ति
४०	वर्मक्षय के सम्भावित चार हेतु	६२	मरणफलकत्वबोधकविधिवोधितकर्त्त्वयताका-
४१	अहिंसादि उत्कर्ष से साध्य	—	नवत्वरूप अद्वैटद्वारकत्व से भी अनिभार,
४२	अहिंसा ज्ञानयोगन्मेक्षय	,,	जैन दर्शन का हिंसालक्षण
४३	‘न हिंस्यात् मवेभूतानि’ वेदवाक्यार्थ	,,	प्रमादयोग जनित प्राणवियोग हिंसा है
४४	व्याधिनिवर्त्तकदाह के समान सदोषता	६३	अप्रमत्त दशा जात हिंसा में अतिव्याप्ति का
४५	फलान्तरप्राप्ति के साथ औत्सर्गिकदेषप्राप्ति	—	निवारण
४६	अविहित हिंसा। सदोष है-पूर्वपक्षशंका वेद-	,,	अनशन आदि में अतिव्याप्तिनिवारण
	विहित हिंसा आपवादिक नहीं है-उत्तरपक्ष	६४	वेद के अप्रमाण्य का हेतु
४७	उत्तरपक्ष आदि यज्ञ सदोष है-सार्व	,,	आजोवरु आदि कुशास्त्र दृष्टेष्टविद्ध है
४८	भारत-मनुस्मृति और व्यास का मत	६५	अ त्मा ही सभी कर्म का कर्ता है
	यज्ञीय हिंसा के वचाव में भीमासक भट्ट	६६	कर्मजनितमूढता से अहित में प्रवृत्ति
४९	विशेष विधान से सामान्यविधि की व्याध शंका	६७	कालादि की हेतुता का प्रासङ्गिक विवेचन
	,, अग्निष्टोम और श्वेतयाग में मेद की अ शंका	६८	कालवादी का युक्तिसंदर्भ
५०	यज्ञीय हिंसा विषय में प्रमाकर मत	६९	सृष्टि-स्थिति-व्यय कालजनित है
५१	भट्ट और प्रमाकर मत में ऐक्य और अन्तर	,,	काल विना मूँगदाल परिपाक की अशक्यता
५२	विधिविषय में भी निषेध सावकाश उत्तरपक्ष	७०	काल अन्यथासिद्धि का विरोध
५३	श्वेतयाग के विषय में प्रमाकरमत का खड़न	७१	क्षणरूप अतिरिक्तकाल वादी का नव्यमत
	५४ यज्ञीयहिंसा के वचाव में नैयायिक मत	७२	स्वभाववादी का युक्तिसंदर्भ
	„ नैयायिक मत का खड़न	७३	स्वभावभिन्नपदार्थकारणता का अपेह
५५	गुणविधि और अधिकार विधि का प्रसंग	७४	विना स्वभाव कक्षुकादि के पाक की अर्थक्यता
५६	सामान्यविधि यथारूप में अक्षण्ण	७५	सामग्रीवाद प्रयुक्त आपत्ति का समाधान
५७	सामान्य विहिसंकोच में अन्य युक्ति का खड़न	७६	समान उपादान से मी मिन्न मिन्न कार्यों की उपपत्ति
५८	सामान्यविधि संकोच के लिये शक्यार्थ त्याग	७७	वीज्ज्ञव की अपेक्षा अकुरानुकूल परिणिति-
	के अनावश्यकता की आशंका का खड़न		स्वभाव से कार्योत्पाद में अभिचित्य
५९	फल के प्रति अग्निष्टोम श्वेतयाग का साम्य	७८	सहकारी चक्र की व्यर्थ कल्पना
६०	अद्वैट द्वारक स णोदोश्यक न्यापार ही हिंसा	,,	कार्य से कारणानुमान भंगापत्ति प्रतिकार
	है-पूर्वक्ष	७९	नियतिवाद का युक्तिसंदर्भ
६१	अद्वैटाद्वारक० विशेषणानुपपत्ति-उत्तरपक्ष	८०	जिसकी जवजिससे-जिसरूप में उत्पत्ति से
	स्वजनकर्मणोच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध की		नियति से
	अनुपपत्ति	८१	पञ्चनस्वभाव होने पर मी पंक की अशक्यता
६२	अद्वैटाद्वयसंयुक्तसयोगरूप परम्परा संवंध की	८२	कार्य अवश्यंभाव का सम्यक् निश्चय
	अनुपपत्ति	,,	नियति विना कार्य में सर्वात्मकत्वापत्ति
६३	मरणजनकाद्वाजनकत्व के निवेश से		
	भस्मव		

विषयानुक्रमः

पृष्ठांक	विषय
८२	तत्त्वदृश्यकितरूप कार्यसिद्धि के लिये भी क्रिया अनावश्यक
,,	कर्मवाद का युक्तिसंदर्भ
,,	मोग्य मोक्षा और कृत का मोग
८३	कर्मविरह में मूँग पाक अशक्य
८४	कर्मविचित्रता से मोग्यविविधता
८५	नियतिहेतुतापक्ष में कार्यसमानतापत्ति
८६	नियतिवैचित्रिय नियति से अनुपपत्ति
८७	नियति से भिन्न को भेदक मानने में आपत्ति
”	विशिष्टरूप से कार्य-कारणभाव की असंगति
८८	कार्य कारणतावच्छेदक नहीं हो सकता
८९	नियतिमात्र को मानने पर शास्त्रव्यर्थता
९०	स्वभाववाद में वैचित्र्य की अनुपपत्ति
,,	एककाल में समस्त विश्व की उत्पत्ति का अनिष्ट
९१	काल का आधार लेने पर स्वभाववाद का त्याग
९२	कुर्बान्दूरूपत्व का खंडन
९३	स्वभाववाद का निरसन
,,	विना हेतु मावोत्पत्ति मानने में स्ववचन-व्याघात
९४	कालवाद का निरसन, एक साथ सर्वकार्योत्पाद का अनिष्ट
९५	तन्तु में घटोत्पत्ति का दूषण
९६	एकान्त कर्मवाद का निराकरण
,,	कर्मक्षय का हेतु ज्ञानयोग
९७	अदृष्ट की दृष्टकारणसापेक्षक्षता
९८	नियति और स्वभाव की हेतुता में मतान्तर
९९	परिशिष्ट १-द्वितीयस्तबकमूलगाथा-अकारा-द्यनुक्रम
१००	परिशिष्ट २-टीका में उद्धृत वाक्यांश
,,	शुद्धिकरण

द्वितीयस्तबके समाप्तं

पृष्ठांक	विषयः
१	व्याख्याकार मंगलाचरण
,,	निष्कलंक ईश्वर को प्रणाम
२	ईश्वर जगत्कर्त्त्ववाद प्रारम्भ
३	पातञ्जल मतानुसार ईश्वर का स्वरूप
,,	प्राकृतिक आदि तीन बन्ध प्रकार
४	क्लेश कर्म और विषाक का स्वरूप
५	क्लेश की जन्मभूमि अविद्या
,,	ईश्वर का सहजसिद्ध चतुष्टय
६	अणिमा आदि आठ प्रकार का एशवर्य
७	पातञ्जलमत में ईश्वर जगत्कर्त्त्व
,,	जगत्कर्त्त्व में नैयायिकों का अभिगम
८	कार्यहेतुक अनुमान
,,	कार्यत्व प्रागभावप्रतियोगि सत्त्वरूप है
,,	सकर्त्त्वक्त्व कर्त्त्वसाहित्य या कर्त्त्वजन्यत्व ?
१०	शरीरजन्यत्व उपाधि की शंका का समाधान
११	स्वोपादानगोचरस्वजनकादृष्टाऽजनकप्रत्यक्षादि जन्यत्वरूप सकर्त्त्वक्त्व
१२	'उपादानगोचर' पद की सार्थकता
१३	स्वजनकादृष्टाजनक पद की सार्थकता
,,	समवेतत्व और जन्यत्व का उचितनिवेश
१४	कृति में स्वोपादानगोचरत्व का निवेश
१५	द्रव्यपक्षक कार्यवत्ता हेतुक अनुमान
१६	मीलित या पृथक् ज्ञानादि की साध्यता पर आक्षेप
१७	क्षित्यादिपक्षक अनुमान
१८	आयोजन-दृच्यणुकजनकक्रियाहेतुक अनुमान
,,	अदृष्ट से परमाणुक्रिया की उत्पत्ति की शंका
१९	चेष्टात्व उपाधि की आशंका
२०	ब्रह्माण्डवृत्तिपतनामावपक्षक अनुमान
२१	इन्द्रादि देवताओं से सिद्धसाधनता की आशंका
२२	ब्रह्माण्डप्रलय से ईश्वरसिद्धि अनुमान
२३	व्यवहार प्रबन्धकरूप में ईश्वरसिद्धि
,,	कुलालादि से ही अन्यथासिद्धि की शंका

पृष्ठांक विषय

३४ वेदके प्रमात्मकज्ञान से वक्ता ईश्वर की सिद्धि, वेद किसी असारिपुरुषजन्य है।

३५ बाक्यपक्षक अनुमान

„ दृश्यणुक परिमाणोत्पादक संख्याज्ञनक अपेक्षाकुद्धि से ईश्वर सिद्धि

३६ दृश्यणुक परिमाण के संख्याजन्यत्व पर शंका

३७ 'कार्यायोजन' कारिका की अन्यथा योजना वेद की यथार्थव्याख्या ईश्वर प्रयुक्त है।

२८ वेदविषयक विगिष्टज्ञानरूप धृति से अनुमान „ यगानुष्ठान से अनुमान

„ डै-अर्हम्-ईश्वर आदि पद से अनुमान

२९ 'यजेत् इत्यादि मे' विध्यर्थ प्रत्यय से „

३० विध्यर्थ इष्टमाध्यनता या वाप्ताभिप्राय ?

३१ इष्टसाधनतापक्ष में समस्या

„ तरति मृत्युं० से विधिवाक्य का अनुमान

३२ लिङ्गप्रत्यय के विविध अर्थ

„ निपेच की अनुपपत्ति

३३ वेदगतईश्वर निरूपण से ईश्वरसिद्धि

३४ प्रशंसापरक और निंदापरक वेदवाक्यों से ईश्वर सिद्धि

„ उत्तमपुरुषीय आख्यातप्रत्यय से ईश्वरसिद्धि

३५ ईश्वर जगत्कर्तृत्वप्रतिकार-उत्तरपक्ष

„ वीतराग ईश्वर कर्ता नहीं हो सकता

„ नरकादिफलकर्त्त्य में ईश्वर प्रेरणा

का अनौचित्य

३६ वुद्धिकर्तृत्वपक्ष में ईश्वरकर्तृत्व निरर्थक

३७ कर्म की ईश्वराधीनता का प्रतिकार

३८ वीतराग ईश्वर को विश्वरचना क्या

प्रयोजन ?

३९ निष्प्रयोजन चेष्टा से वीतरागता की हानि

४० सांख्यमत में ज्ञानादि का आश्रय ईश्वर

४१ कार्यसामान्य प्रति उपादानप्रत्यक्षकारणना की आलोचना

„ धृति और कार्य का भी सामान्यतः कार्य-कारणमाव नहीं है

पृष्ठांक

४२ व्यापकरूप से कारणता सिद्धि का पूर्वपक्ष

४३ „ „ „ उत्तरपक्ष

४४ सामान्यकार्यकारणमाव कल्पना भी गौरव

„ जन्यत्व या अवच्छिन्नत्व का व्यर्थ निवेश

„ सामान्यमाव विशेषाभावकूट से अनन्य

४५ खण्डघट में ईश्वरकर्तृत्व-दीधितिकार

„ खण्डघट यानी पूर्णतापर्यायनिवृत्तिज्ञैनमत

४६ पाकक्रिया से अन्यघट उत्पत्तिप्रक्रिया की आलोचना

४७ वैशेषिकमतानुसारी पाकक्रिया की आलोचना

४८ ईश्वर में लौकिक प्रत्यक्षज्ञान का अभाव

४९ सर्वदृष्टा या सर्वज्ञाता रूप में भी ईश्वरसिद्धि की अशक्यता

५० दृश्यणुकादिप्रत्यक्ष निराश्रय भी हो सकता है

५१ ईश्वर में जन्यज्ञान की आपत्ति

„ ब्रह्मादि देवता और ईश्वर में भेद नहीं है

५२ प्रवृत्ति से ईश्वर में द्वेष का अतिप्रसग

५३ कंटकादि विनाश और द्वेष का सम्बन्ध

„ ईश्वर की इच्छा से देश-काल नियम की उपपत्ति करने का प्रयास

५४ पामरलोगों के अभिप्राय का संक्रमण

५५ ईश्वरीयत्व को कारणतावच्छेदकता में गौरव

„ कारणना ईश्वरानुमति अधीन नहीं है

५६ भवस्थ केवली के ज्ञान से नियमन संभव

५७ ईश्वर साधक शेषानुमानों की दुर्बलता

५८ क्षित्यादि पक्षक पञ्चम अनुमान में वाध दोष

„ ईश्वर के नित्य शरीर में इष्टापत्ति अशक्य

५९ अदृष्ट से ही आद्यपरमाणुक्रिया की उपपत्ति

६० अदृष्ट के विलम्ब से कार्यविलम्ब शक्य है

„ 'परमाणुक्रिया' अनुमान में चेष्टात्व उपाधि

६१ धृतिहेतुक अनुमान में अनैकान्तिकत्व

६२ प्रतिवन्धकाभावेतरसामग्रीकालीनत्व का व्यर्थ निवेश

६३ निरालम्ब पृथ्वी का आधार धर्म ही है

„ ईश्वरकर्तृत्वमत म वाणपतनाभावप्रसग

पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय
६४	प्रलंग के अस्वीकार से ईश्वर असिद्धि	८५	नि-स्पृह शास्त्रकार अयुक्तभाषी नहीं होते
,,	अहोरात्र में अहोरात्रपूर्वकत्व की व्याप्ति	,,	युक्ति और आगम दोनों से शास्त्रकार के अभिप्राय का अन्वेषण
६५	अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व की व्याप्ति	८६	धर्मेतत्त्व के बोध का उपाय तर्कानुसधान
,,	शंका में तर्क विरह		-मनुवचन
६६	एकमाथ समस्त कर्म का वृत्तिनिरोध अशक्य	८७	ईश्वर कर्तृत्ववाद का उपसंहार
६७	सर्गादि की असिद्धि से आद्यव्यवहारादिकथन की व्यथेता	८८	सांख्यमतवाच्च प्रारम्भ
,,	सर्ग के प्रारम्भ में व्यवहार की असिद्धि	८९	साख्यदर्शन के सिद्धान्त
६८	मायाज्ञालिक तुल्य ईश्वरशिक्षा-पूर्वपक्ष	९०	पुरुष और प्रकृति तत्त्व के प्रमाण
६९	ईश्वर के शरीरप्रदण का असम्मष-उत्तरपक्ष	९१	सत्कार्यवाद में नियत शक्ति का सम्मब्द
७०	ईश्वर आवेश से शरीरप्रवृत्ति-पूर्वपक्ष	९२	महत् तत्त्व से चैतन्यावच्छेद और इवासादि का नियमन
७१	आत्मा पदार्थ समीक्षा-उत्तरपक्ष	,,	वृद्धिगत ज्ञानादि धर्मों का निरूपण
७२	नैयायिकमान्य कार्यकारणभाव में गौरव	९३	पुरुष और वुद्धि का तात्त्विकभेद
,,	चेत्रशरीर-चेत्रप्रयत्न कार्य-कारणभाव अशक्य	९४	पुरुष-विषयव्यापार का वुद्धि सम्बन्ध
,,	अव्यवह में क्रियाज्ञनक प्रयत्न इच्छानियत है	९५	वुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति
७३	योगिजन के कायव्यूह की उपपत्ति	,,	'मैं बाध हूँ' यह स्वाप्निक प्रतीति की अहंकार से उपपत्ति
,,	आवेश से प्रवृत्ति, वेदादिरचना व्यर्थ	,,	अहंकार से सोलह तत्त्वों की उत्पत्ति
७४	लोकप्रवृत्तिसम्पादनार्थ वेदादिरचना निरर्थक	९६	ज्ञानेन्द्रिय-कर्मन्द्रिय-उभयेन्द्रिय आदि का विवरण
,,	व्रह्मादिदेवताशरीर में चेष्टा पर प्रश्न	,,	प्रकृति आदि तत्त्व के चार बगे
७५	व्रह्मादिशरीरचेष्टा की उपपत्ति का व्यर्थ प्रयास	९७	प्रधान-महत्-अह कार-इन्द्रिय-तन्मात्र-पञ्चभूत का क्रम
,,	ईश्वरप्रवृत्ति में दृष्टिविरोध की आपत्ति	,,	साख्यमत में आत्मा कर्मशून्य है
७६	उदयनाचार्य के कथन की असारता	९८	युक्ति से साख्यमत की आलोचना
,,	संकेतग्राहकता आदि सब मायाज्ञाल है	९९	प्रकृति-एकान्तनित्यता का खंडन
७७	युग की आदि म व्यवहार प्रवर्तक तीर्थकर	१००	प्रकृति की नित्यता के बचाव की शका
,,	प्रत्यादि प्रमाणों का व्यर्थ उपन्यास	१०१	जननाजननोभयस्वभाव में अन्योन्याश्रय
७८	जन्यप्रमा के प्रति प्रमा की कारणता का खंडन	१०२	प्रकृति को महत् का उपादान मानने में अनित्यत्व की आपत्ति
७९	अपेक्षावुद्धि से द्वित्वादिव्यवहार की उपपत्ति	१०३	घटादि कार्य पृथ्वी आदि के परिणाम मात्र से जन्य नहीं
८०	ईश्वरकर्तृत्व का कर्थचिद् ममर्थन		
८१	आज्ञा पालन द्वारा ईश्वरकर्तृत्व		
८२	चिन्तामणि जैसे ईश्वरभक्ति से दृष्टिद्विधि		
८३	आज्ञाविलोपन द्वारा मवकर्तृता		
,,	ईश्वर भक्ति में वुद्धि के लिये कर्तृत्वोपदेश		
८४	आत्मा ही परमात्मा होने से साक्षात् कर्तृत्व		

पृष्ठाक	विषय
१०४	आत्मा क्षीर-नीर न्याय से देहाभिन्न
,,	बुद्धि में पुरुष प्रतिविम्ब से मोगोपचार
१०५	पुरुष बुद्धि के प्रतिविम्ब से विकृति का प्रसंग
१०६	आत्मसंनिधान से वन्धुः करण में औपाधिक चेतन्य
१०७	बुद्धि में पुरुषोपराग ही आत्मा का मोग ,, अमूर्त आत्मा का प्रतिविम्ब असगत
१०८	छायाचान् भास्वर मूर्त्त द्रव्य का प्रतिविम्ब ,, दर्पण से प्रतिविम्ब मिन्न है
१०९	स्वतन्त्र प्रतिविम्ब द्रव्य की उपपत्ति
११०	अमूर्त द्रव्य के प्रतिविम्ब की आगका
१११	असत् पुरुषोपराग की उत्पत्ति में सत्कार्याद का विलय
११२	अपरिणामी आत्मा प्रतिविम्बोदयस्वभाव नहीं हो सकता
११३	देह-आत्म भेद पक्ष में ब्रह्महत्या की अनुपपत्ति
११४	ब्रह्महत्या आत्म-मनःसंयोगनाशव्यापार रूप नहीं है
११५	छिन्न अवयव में पृथक् आत्मप्रसंग का निवारण
११६	वन्धु विना बद्ध-मुक्त भेद की अनुपपत्ति
११७	प्रकृति के वन्धु और मोक्ष की शक्ति
११८	नित्य एकत्वरूप प्रकृति में वन्धु-मोक्ष असंभव
११९	जीव का ही प्रकृतिवियोगात्मक मोक्ष है ।

पृष्ठाक	विषय
१२०	सांख्यसिद्धान्त में भी पुरुष का ही मोक्ष मान्य है
१२१	सांख्यमत में तथ्यांश सूचन
१२२	सत्कार्यादविरोधी हेतुपञ्चक
१२३	प्रकृतिस्थानीय कर्म से वन्धु और मोक्ष
१२४	मूर्त्ति और अमूर्ति के अन्योन्य परिवर्त्तन की शक्ति
१२५	मूर्त्ति-अमूर्त्ति परिवर्त्तन की उपपत्ति
१२६	सांख्यमतमें देहात्म अविभाग की अनुपपत्ति
१२७	अन्योन्यानुगत में विभाग की अयुक्तता
१२८	विवर्त्ती के बाह्यान्तरविभाग अनुपपत्ति की शक्ति
१२९	सन्मतिग्रन्थ की चार कारिका और उसका अथे
१३०	मूर्त्ति और अमूर्त्ति के सम्बन्ध की उपपत्ति
१३१	आत्म-विभुत्व की शक्ति का परिहार
१३२	आत्म-विभुत्वाद में तीर्थाटनादिक्रिया का भंग
१३३	प्रकृतिवाद की सापेक्ष सत्यता का अनुमोदन
१३४	तृतीयस्तवक का उपसहार
१३५	,, „ स्लोक का अकारादिक्रम
१३६	,, „ टीका में उद्धृत साक्षिपठ



॥ अर्हम् ॥

हिन्दीविवेचनविशदीकृत
स्याद्वादकल्पलताटीकाविभूषित

शास्त्रवात्तास्मुच्चय

—३५६—

द्वितीयः स्तवकः

(टी०)-अप्रतीपाय दीपाय सतामान्तरच्छुपे । नमः स्याद्वादितन्त्राय स्वतन्त्राय विवस्तते ॥२॥
वार्तान्तरमाह-

मूलम्-हिंसादिभ्योऽशुभं कर्म तदन्येभ्यश्च तच्छुभम् ।
जायते नियमो मानात् कुतोऽयमिति चापरे ॥ १ ॥

हिंसादिभ्यः-अविरत्यादिहेतुभ्यः, अशुभं=पापं कर्म भवति । तदन्येभ्यश्च=विर-
त्यादिहेतुभ्यः, शुभं=पुण्यं, तत्=कर्म भवति । अयं नियमः=प्रतिनियतहेतुहेतुमङ्गाव-
निश्चयः, कुतः=कस्मात्, मानात्=प्रमाणात् । इति चापरे सन्दिहाना वादिनः प्राहुः ।
अव्युत्पन्नानां चेयमाशङ्का धर्माऽधर्मपदवाच्यत्वावच्छिन्नधर्मिताका, अन्यथा धर्मिंग्राहकमाने-
नोक्तनियमोपरकरयोरेव धर्माऽधर्मयोः सिद्धावीदशशङ्कानुदयादिति ध्येयम् ॥१॥

[टीका के मञ्जलश्लोक का भावार्थ]

स्याद्वादियो का शास्त्र वस्तुतत्त्व को प्रदर्शित करने वाला ऐसा प्रबोध है जिसके प्रकाश को
धूमिल करने वाला कोई नहीं है, वह सत्पुरुषों की अन्तर्दृष्टि है जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्व देखे जा
सकते हैं, वह स्वतन्त्र सूर्य है जिसका उदय किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता और जिससे
समस्त पदार्थ वेरोकटोक प्रकाशित होते रहते हैं । ऐसा महान शास्त्र सब का अन्दनीय है ।

[पुण्य-पाप के नियम में आशङ्का]

यहाँ प्रथम कारिका में अद्वृत के सम्बन्ध में एक दूसरी वात कही गयी है, वह यह कि कुछ
सशयग्रस्त वादियों की यह शङ्का है कि-'अविरति आदि हेतुओं से पाप होता है और विरति आदि
हेतुओं से पुण्य होता है'-इस प्रकार के नियत हेतुहेतुमङ्गाव में कोई प्रमाण नहीं है, अतः कभी अविरति
आदि से पुण्य का और विरति आदि से पाप का भी जन्म होना चाहिये ।

इदमेवाभिप्रेत्य व्युत्पत्तिपुरम्कारेणैव समाधानवाच्चार्तामाह-

सूलम्—आगमाख्यात्तदन्ये तु तच्च दृष्टाद्यबाधितम् ।

सर्वार्थिविषयं नित्यं च्यक्तार्थं परमात्मना ॥२॥

तदन्ये तु=अमन्दिहानास्तत्त्ववादिनः, आगमाख्यात् मानात् ‘नियमं ब्रुवते’ इति वाक्यशेषः । कथमेतदत्र मानम् ? इत्यत आह तच्च=आगमाख्यं, दृष्टाद्यबाधितम्=दृष्टेषाभ्यामविरुद्धम् । एतेन ‘पयसा मिश्वति’ इत्यादेविवाधितत्वनिरासः । तथापि स्वाऽन्विषये प्रकृतनियमे कथं तद् मानम् ? इत्यत आह-सर्वार्थिविषय=पावदभिलाप्यविषयम्, प्रज्ञापनीय-भावानामनन्तभागस्य श्रुतनिवद्वत्वेऽपि तदभ्यन्तरभूतया मत्याऽनिवद्वानामपि तेषां ग्रहण-श्रवणाद् नानुपपन्नमेतत् । कृत्रिमत्वात् कथमीदृशमेतद् ? इत्यत आह-नित्यं=प्रवाहापेक्षया-उनादिनिधनम्, भरतादौ विच्छेदकालेऽपि महाविदेहेऽविच्छेदाद्, तथाप्यनासोक्तत्वादनीदृश-मेतद् इत्याह परमात्मना=श्रीणदोषेण भगवता च्यक्तार्थं=प्रतिपादितार्थम् ॥२॥

अगर कहे,—‘यह शङ्का घने अधर्मरूप अदृष्टघमिक है । शङ्का मे धर्मज्ञान कारण होता है, अत जिस प्रमाण से धर्म अधर्मरूप धर्मों का ज्ञान होगा, उस प्रमाण से अविरति आदि से ही पाप होने और विरति आदि से ही पुण्य होने के नियम का भी ज्ञान हो जाने से यह शङ्का नहीं हो सकती’—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिन्हे धर्म-अधर्म शब्द का वाच्यार्थ विशेष रूप मे जात नहीं है, उन्हें धर्म-अधर्मपदवाच्यत्वरूप से धर्म-अधर्मरूप धर्मों मे उबत शङ्का होने मे कोई बाधा नहीं हो सकती ॥१॥

[पुण्य-पाप के नियामक आगम का प्रामाण्य]

द्वितीय फारिका से पूर्वकारिका से उठायी गयी शङ्केका का समाधान किया गया है, और वह समाधान अदृष्ट शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर इस अभिप्राय से सम्भव हुआ है कि अदृष्ट की सत्ता मे प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष आदि से दृष्ट न होने से ही वह अदृष्ट है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

अदृष्ट की प्रामाणिकता के विषय मे संज्ञयहीन तत्त्ववादियों का कहना है कि ‘अदृष्ट’ यह आगम प्रमाण से सिद्ध हैं, और आगम दृष्ट तथा इष्ट से अविस्तृद्ध होने के नाते प्रमाण है । जिस प्रकार जलकरणक सिद्धन दृष्ट एवं इष्ट से अविस्तृद्ध होने से तद्वोधक ‘पयसा सिश्वति’ यह वाक्य बाधित नहीं होता, उसी प्रकार अदृष्टवोधक आगम भी बाधित नहीं हो सकता । ‘अविरति आदि से ही पाप और विरति आदि से ही पुण्य होता है’ यह नियम आगम का अविषय भी नहीं है, क्योंकि जितने भी अभिलापयोग्य पदार्थे हैं वे सब आगम के विषय हैं । आशय यह है कि प्रज्ञापनीय भावों का अनन्तमाग यद्यपि श्रुतनिवद्व=शास्त्रप्रतिपाद्य है तथापि श्रुत के अन्तर्गत मतिज्ञान से श्रुत मे अनिवद्व भावो का भी ग्रहण होने से उन भावो की सत्ता मे भी आगम का प्रामाण्य अक्षुण्ण है । कृत्रिम अर्दातु किनो एक मानव से रचित होने से भी आगम को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता,

नन्विद स्वगृहवार्तामात्रम् , अप्रत्यक्षे पापादौ तत्प्रामाण्यग्राहकमानाभावादित्याशङ्का-
यासाह-

मूलम्-चन्द्रसूर्योपरागादेस्ततः संवाददर्शनात् ।

तस्याऽप्रत्यक्षेऽपि पापादौ न प्रामाण्यं न युज्यते ॥ ३ ॥

ततः=तद्वोधितात् , चन्द्रसूर्योपरागादेरर्थात् , तमाश्रित्य इति ल्यव्लोपे पञ्चमी,
संवाददर्शनाद्=अविमंवादिप्रवृत्तिजनकत्वनिश्चयात् , तस्य=शब्दस्य, अप्रत्यक्षेऽपि=ओत्र-
अप्रत्यक्षेऽपि पापादौ, प्रामाण्य=तद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकज्ञानजनकत्वम् , न युज्यत
इति न=न निश्चीयत इति न, किन्तु निश्चीयत एवेत्यर्थः ॥ ३ ॥

यदि नाम क्वचिद् दृष्टः संवादोऽन्यत्र वस्तुनि ।

तद्वावस्तस्य तत्त्वं वा कथं समवसोयते ? ॥ ४ ॥

पराभिप्रायमाह- यदि नाम क्वचित्=चन्द्रोपरागादावर्थे मंवादो दृष्टः, तदा तदभि-
धायकवाक्यस्य प्रामाण्यं सिद्ध्यतु, अन्यत्र=पापादौ वस्तुनि, तद्वावः=संवादभावः, तस्य=
पापाद्यभिधायकवाक्यस्य, तत्त्वं वा=प्रमाणत्वं वा, कथं समवसीयते १ प्रामाण्यव्याप्य-
संवादित्यग्रहाऽभावात् पापाद्यभिधायकवाक्ये प्रामाण्यनिश्चयो दुर्घट इति समुदायार्थः ॥ ४ ॥

व्योक्ति वह प्रवाहरूप से नित्य है। एकत्र भरतादि क्षेत्र मे उसके विच्छेदकाल से भी अपरत्र महा-
विदेह क्षेत्र मे वह अविच्छिन्न रहता है। वह अनापरचित भी नहीं है क्योंकि जिसने समस्त दोषो का
क्षय कर डाला है ऐसे भगवान ने उसके अर्थों का प्रतिपादन किया है ॥ २ ॥

[संवाद से परोक्ष वस्तु में भी आगम का प्रामाण्य]

‘अहृष्ट के अस्तित्व मे आगम प्रमाण है’ ये सब पूर्व कारिका से कही गयी बातें केवल अपने घर
की बातें हैं, परीक्षा करने पर उन की बास्तविकता नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि पाप आदि अहृष्ट
प्रत्यक्षसिद्ध नहीं अत उन मे आगम प्रमाण है’ इस बात मे कोई प्रमाण नहीं हो सकता’ –इस शङ्का
का प्रस्तुत तीसरी कारिका मे समाधान किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

चन्द्र-सूर्य का ग्रहण आगमगम्य है और उस का सवाद=प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगम देखा जाता है,
तो जैसे प्रत्यक्षदृश्य चन्द्रग्रहण आदि अर्थ मे आगम प्रमाण है वैसे ही वह श्रोता को प्रत्यक्षदृश्य न
होनेवाले पाप आदि अहृष्ट मे भी प्रमाण हो सकता है। इसलिये ‘अहृष्ट मे आगम को तद्विशेष्यक-
तत्प्रकारकज्ञानरूप प्रमा की जनकता नहीं है,’ यह बात युक्तिसंगत नहीं हो सकती, किन्तु आगम
अहृष्ट मे भी प्रमाण का जनक है, यही युक्तिसंगत है ॥ ३ ॥

चौथी कारिका मे वादी का अस्तिप्राय स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है-चन्द्रग्रहण आदि जिन
अर्थों मे आगम का अन्य प्रमाण से सवाद-समर्थन देखा जाता है उन अर्थों मे आगम का प्रामाण्य ठीक

अत्र समाधानमाह-

आगमैकत्वतस्तच्च वाक्यादेस्तुल्यतादिना ।

सुवृद्धसम्प्रदायेन तथा पापक्षयेण च ॥५॥

आगमैकत्वतः=दृष्टाऽदृष्टसंवाद्यागमयोरेकत्वात्, 'तस्य तथात्वं समवसीयते' इति योजना, संवादित्ववृत्तं संवादिजातीयत्वस्यापि प्रामाण्यव्याप्त्यत्वात् । अत एव जलादिज्ञाने दृष्ट-संवादजातीयत्वेन प्रागेव प्रामाण्यनिश्चयाद् निष्फल्पा प्रवृत्तिर्धट्टत इति भावः । आगमैकत्वमेव कथम् १ इत्याह-तच्च=आगमैकत्वं च वाक्यादेः=वाक्यपदगामभीर्यादेः, तुल्यतादिना समव-सीयते । नन्विदमयुक्तम् आगमानुकारेण पठयमानेऽन्यत्रापि तत्तुल्यतासन्नात्, अनन्तार्थ-त्वादेव दुर्ग्रहत्वात्, इत्यत आह-सुवृद्धसम्प्रदायेन=ज्ञानचरणमम्पन्नगुरुपरम्परया । नन्वियमपि मिथोविवादाक्रान्ता, सुवृद्धत्वप्रमापकहेत्वन्तरानुसरणे च तदेवागमैकत्वग्राहकमस्तु, इत्यत आह-तथा पापक्षयेण च=सम्यक्त्वप्रतिवन्धकर्मक्षयोपशमेन च । 'अयं हि सर्वत्र यथावस्थितत्व-ग्रहे मुख्यो हेतुः, लब्धीन्द्रियरूपतदभिव्यञ्जकतर्यवान्योपयोगात्, तदभिव्यक्तिव्यापारकत-यैव 'तथा' इत्यनेन हेत्वन्तरसमुच्चयात्' इति वदन्ति ॥५॥

है, किन्तु पाप आदि जिन वस्तुओं में उसका प्रमाणान्तर से सवाद का दर्शन सम्भव नहीं है, उन वस्तुओं में उसका प्रमाणान्तर से सवाद मानना अथवा उन वस्तुओं में उस को प्रमाण मानना ठोक नहीं है । आशय यह है कि प्रमाणान्तर से सवादित समर्थित होना प्रामाण्य का व्याप्त्य है, और आगम में उसका ग्रहण सम्भव नहीं है, अतः पापादि-बोधक आगम में प्रामाण्य का ग्राहक सवाद न होने से उस में प्रामाण्य का निश्चय अशक्य है ॥४॥

[आगमैक्यादि से प्रामाण्य का समर्थन]

पञ्चम कारिका में पूर्वकारिका में उठायी गयी शब्दांका समाधान किया गया है, जो इस प्रकार है—

जिन आगमों में प्रमाणान्तर का सवाद हृष्ट है और जिन आगमों में प्रमाणान्तर का सवाद हृष्ट नहीं है, वे दोनों एक हो आगम हैं । अत यह उचित नहीं है कि एक ही आगम का एक भाग प्रमाण हो और दूसरा भाग अप्रमाण हो । आशय यह है कि जैसे प्रमाणान्तरसवादित्व प्रामाण्य का व्याप्त्य है, उससे ही प्रमाणान्तरसवादिजातीयत्व भी प्रामाण्य का व्याप्त्य है, अत. जिन आगमवचनों में प्रमाणान्तर का सवाद हृष्ट नहीं है उन में प्रमाणान्तरसंवादी आगम के सज्जातीयत्व से प्रामाण्य का अनुमान हो जायगा । इस प्रकार का अनुमान अन्यत्र हृष्ट भी है, जैसे पहले पीछे हुए जल में पिपासाशामकत्व का निश्चय होने से तज्जातीयत्व हेतु से नवीन जल में पिपासाशामकत्व का अनुमान हो कर उसके पान में पिपासु को निर्वाय प्रवृत्ति होती है । उक्त दोनों आगमों में एकत्व है' इस का निश्चय उन दोनों के बाक्यों, पदों की गम्भीरता, रचनाशैली आदि की समानता से सम्पन्न होता है । शका की जाय 'आगम का अनुकरण करके रखे गये नवीन बाक्यों में उक्त समानता हेतु तो एकागमत्व का व्यभिचारी है वयो

विपर्यये वाधकमाह—

मूलम्-अन्यथा वस्तुतत्त्वस्य परीक्षैव न युज्यते ।

आशङ्का सर्वगा यस्माच्छब्दस्थोपजायते ॥६॥

अन्यथा=उक्तरीत्या संशयाऽविच्छेदे, वस्तुतत्त्वस्य परीक्षैव=सदसद्विचार एव, न युज्यते, यस्माद् हेतोः, छब्दस्थस्य=अक्षीणज्ञानावरणीयस्य, सर्वगा=सर्वार्थविपर्ययी, आशङ्का जायते ॥६॥

कि वह तो अप्रमाणभूत शास्त्रो मे भी मिलता है जहाँ एकागमत्व नहीं हैं । अगर कहे—‘अनन्तार्थता से एकागमत्व का निर्णय करेंगे जैसे हृष्टसवाद आगम मे अनन्तार्थता हैं वसे अहृष्टसवादआगम मे भी हैं’—तब भी धैर्य अनन्तार्थता दुर्ज्ञेय है । अत उस से आगमैकत्व का अनुप्राप्त उचित न होने से दोनो मे एकागमत्व दुर्ज्ञेय हैं”—यह शब्दांठोक नहीं है, क्योंकि उक्त हेतुओ से अनुप्राप्त न होने पर भी उक्त द्विविध आगमो मे एकत्व का निश्चय ज्ञान-चारित्र्य से सम्पन्न गुरुओ को परम्परा से हो सकता है ।

[पापक्षय भी आगमेकत्व का निश्चायक है]

यदि यह शंका की जाय कि “गुरुओं की सुवृद्धता, ज्ञान-चारित्र्यसम्पन्नता, विवादग्रस्त है, उसके निश्चयार्थे-अन्य हेतु का पल्ला पकड़ने पर उसी से उक्त द्विविध आगमो मे एकागमत्वका निश्चय सभव मे होने से गुरुपरम्परा को उपका निश्चायक मानना युक्तिसागत नहीं है । अभिप्राय यह है कि गुरुपरम्परा सुवृद्धता ज्ञानादिसंपन्नता का निश्चायक कोई समीक्षीय हेतु सुलभ न होने से उक्त द्विविध आगमो मे एकागमत्व का निश्चय दुष्कर है”—तो आगमेकत्व का निश्चायक अन्य हेतु भी है—कि पापक्षय से अर्थात् सम्यक्त्व के प्रतिबन्धक कर्मों के क्षयोपशम से उक्त द्विविध आगमो मे एकागमत्व का या जिन आगमो मे प्रमाणान्तर का संवाद हृष्ट नहीं है उन मे सम्यक्त्व का अर्थात् प्रामाण्य का दृढ़ निश्चय होने से कोई बाधा नहीं है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष दुष्कर्मों से आक्रान्त होते हैं उन्हीं को उक्त प्रकार के आगम वचनो मे प्रामाण्य का निश्चय नहीं होता किन्तु जिसके दुष्कर्मों का गुरुपरम्परा के प्रति श्रद्धा गुरु पदेश इत्यादि से क्षयोपशम हो जाता है उन्हे उक्त प्रकार के आगम वचनो मे अनायास ही प्रामाण्य का निश्चय हो जाता है । वस्तुतत्त्ववादी विद्वानो का कहना है कि सम्यक्त्व के प्रतिबन्धक कर्मों का क्षयोपशम ही सर्वत्र वस्तु के यथावस्थितत्व (सत्य स्वरूप) वास्तविकता के ज्ञान का मुख्य हेतु होता है, अन्य हेतु का उपयोग उक्त क्षयोपशम—जिसको लब्धीन्द्रिय भी कहते हैं—को अभिव्यक्ति के सम्पादनार्थ ही होता है । कारिका मे ‘तथा’ शब्द से क्षयोपशमव्यञ्जक उन हेत्वन्तर का ही समुच्चय इसी आशय से किया गया है ॥५॥

छठवीं कारिका मे पूर्व कारिका मे उक्त अर्थ के विपरीत पक्ष मे वाधक का प्रतिपादन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

सम्यक्त्व के प्रतिबन्धक कर्मों के क्षयोपशम से यदि अहृष्ट-प्रमाणान्तरसंवादवाले आगमो मे अप्रामाण्य के संशय की निवत्ति न मानो जायेगी तो वस्तुतत्त्व की परीक्षा—यह वस्तु सत् और यह वस्तु है—इस प्रकार के चिन्तन को अवकाश ही न हो सकेगा क्योंकि छब्दस्थ-जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय नहीं हुआ है उसको सभी वस्तुओ की वास्तविकता मे शक्ता स्वभावत् होती ही रहती है ॥६॥

अस्तु तर्हयपरीक्षैव, इत्यत आह-

अपरीक्षापि नो युक्ता गुणदोषाऽविवेकतः ।

महत्संकटमायातमाशङ्के न्यायवादिनः ॥ ७ ॥

अपरीक्षापि=अविचारोऽपि, नो=नैव, युक्ता । कस्मात् ? इत्याह-गुणदोषाऽविवेकतः=निष्कम्पप्रवृत्ति-निवृत्तिप्रयोजकानिश्चयात् । तस्मात् परीक्षाऽपरीक्षांमयाऽयोगात्, न्यायवादिनः=ताक्रिक्षस्य महत् संकटमायातमित्याशङ्के । एतेन ‘वक्त्रधीनत्यात् शब्दस्याऽप्रामाण्यम्’ इत्यपि निरस्तम्, गुणवद्वक्तुक्त्वेन तरय प्रामाण्यव्यवस्थितेः । ‘अत एव अनुमानादस्य विशेषः, शाब्दप्रमायां वक्तुयथार्थवाक्यार्थज्ञानम्य गुणत्वात्, इति गुणवद्वक्तुप्रयुक्तशब्दप्रभवत्वादेव शाब्दमनुमानज्ञानाद् विशिष्यते’ इति वदतां सम्मनिटीकाकृतामाशयः ।

अत्रेऽमवधेयम्—‘एते पदार्थस्तात्पर्यविषयमिथःगमर्गवन्तः, आकाहूक्षादिमत्पदरमागितत्वात्, ‘टण्डेन गामभ्याज’ इति पदस्मारितपदार्थवत्’ इति न शाब्दस्थलीयानुमानशरीरम्, अनासोक्तपदस्मारिते व्यभिचारात् । ‘आसोक्तत्वेन विशेषणीयो हेतुगिति’ चेत् ? न, आस-

[परीक्षा-अपरीक्षा उभय के अयोग से संकट]

पूर्व कारिका में कहा गया है कि सम्यक्त्व के प्रतिवन्धक कर्मों के क्षयोपशम से सशय की निवृत्ति न मानने पर वस्तुतत्त्व की परीक्षा न हो सकेगी, उस पर यह कहा जा सकता है कि ‘परीक्षा न हो, क्या हानि है ?’—प्रस्तुत सप्तम कारिका में इसी कथन का उत्तर दिया गया है ।

कारिका का अर्थ इस प्रकार है—‘वस्तुतत्त्व की परीक्षा न हो सके तो न हो, कोई हानि नहीं है’—यह फहना ठीक नहीं है क्योंकि वस्तुतत्त्व की परीक्षा न हो सकने पर गुणदोष के अविवेक से अर्थात् निवृत्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति के प्रयोजक का निश्चय न हो सकने से ननुष्य की प्रवृत्ति निवृत्ति की उपपत्ति न हो सकेगी । परिणाम यह होगा कि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सशय की निवृत्ति न मानने पर सशय की निवृत्ति न होने से वस्तुतत्त्व की परीक्षा न हो सकेगी । इस से एव प्रवृत्ति निवृत्ति के प्रयोजक का निश्चय न हो सकने के भय से वस्तुतत्त्व की परीक्षा भी स्वीकार्य न हो सकेगी, तब तो ताकिक को महान् संकट उपस्थित हो जायगा ।

इसी कारिका में जो यह कहा गया था कि- अविरति आदि हेतुओं से पाप का और विरति आदि हेतुओं से पुण्य का उदय होता है—इस नियम में आगम प्रमाण है—उस के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि “आगम तो शब्दात्मक हैं और शब्द वक्ता के आधीन होता है अत वक्ता के दोष से शब्द में दोष सम्भव होने से शब्द की प्रमाण नहीं माना जा सकता”—किन्तु यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि सदोष वक्ता के शब्द अप्रमाण होने पर भी गुणवान् वक्ता के शब्द से प्रामाण्य मानने से कोई वाधा नहीं हो सकती । “अनुमान से शब्द का यही विशिष्ट्य है कि शब्द से होने वाली प्रमा से वक्ता का वाक्याधे-विषयक्यथार्थज्ञानरूप गुण कारण होता है । गुणवान् वक्ता के शब्द से उत्पन्न होने के कारण ही शब्द-ज्ञान अनुमिति से विलक्षण होता है” सम्मति ग्रन्थ के टीकाकार का भी यही आशय है ।

त्वस्य पूर्वं दुर्ग्रहत्वात् । अत एव योग्यताया हेतुप्रवेशेऽपि न निर्बाहः, एकपदार्थेऽपरपदार्थवन्ध-
रूपायास्तस्याः प्राग्निश्चयात्, निश्चये वा सिद्धसाधनात् । आकाङ्क्षापि समभिव्याहृतपद-
स्मारितजिज्ञासारूपा स्वरूपसत्येव हेतुः, न तु ज्ञाता । योग्यतासहिताऽसत्तिरपि न निया-
मिका, 'अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्' इत्यत्र 'राज्ञः पुरुषः' इति भागे व्यभिचारात् ।
एतेन-'एतानि पदानि तात्पर्यविषयस्मारितपदार्थसंसर्गप्रमापूर्वकाणि, आकाङ्क्षादिमत्पद-
त्वात्,' इत्यनुमानशरीरे उक्तयोग्यताया हेतुविशेषणेऽपि न सिद्धसाधनम्-इत्युक्ततावपि न
निस्तारः ।

[शब्द प्रयाग स्वतन्त्र नहीं है—शब्दस्थल—पूर्वपक्ष]

बंशेविक आदि कतिपय दर्शन शब्द को अनुमान से भिन्न प्रमाण और शब्दज्ञान को अनुभव से
भिन्न प्रमाण नहीं मानते । उन का कहना है कि वाक्य का शब्दण होने पर जब वाक्य घटक पदों से तत्त्व
अर्थ की स्मृति हो जाती है तब उन अर्थों में वक्ता के अभिमत परस्परसम्बन्ध का अनुमान हो जाता
है । अनुमान का आकार इस प्रकार होता है—"अमुक्त अमुक पदार्थ वक्ता के अभिमत परस्पर सम्बन्ध
के आश्रय है—वयोंकि आकाक्षा आदि से युक्त पदों से स्मारित है—जो पदार्थ आकाक्षा आदि से युक्त
पदों से स्मारित होते हैं वे वक्ता के अभिमत परस्पर सम्बन्ध के आश्रय होते हैं, जैसे 'दण्डेन गाम-
म्याज' इस वाक्य के दण्ड पद, तृतीयादिभक्ति, गो पद द्वितीया विभक्ति अस्थाज सोपसर्ग धातु और
लोट प्रत्यय, इन पदों से स्मारित दण्ड, करणता, कर्मता, अपसारण और कृति रूप अर्थ-स्पष्ट हैं कि
करणता के साथ दण्ड का और कर्मता के साथ गो का निष्ठत्वसम्बन्ध, एव अपसारण के साथ कृति का साध्यत्व सम्बन्ध वक्ता को
अभिमत है, और वे वे पदार्थ उन सम्बन्धों के आश्रय हैं ।

[अनुमान से शब्दप्रयाग की निरर्थकता नहीं हो सकती-उत्तरपक्ष]

शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले मनोविषयों का कहना है कि—उक्त अनुमानाकार से शब्दज्ञान
को गतार्थ (निष्प्रयोजन) नहीं किया जा सकता वयोंकि अनाप्त पुरुष से उक्त पदों द्वारा स्मारित अर्थों
में परस्पर सम्बन्ध न होने से आकाक्षादिमत्पदस्मारितत्व हेतु से उक्त साध्य का व्यभिचार होने के
कारण अनुमान का उक्त आकार सम्भव ही नहीं है । हेतुघटक पद में आप्तोक्तत्व विशेषण देने से
भी इस दोष का निराकरण नहीं किया जा सकता, वयोंकि शब्द ज्ञान के पूर्व वाक्यघटक पदों में
आप्तोक्तत्व का निश्चय नहीं हो सकता, कारण कि शब्दज्ञान का प्रवृत्ति आदि के साथ संवाद होने
पर ही उसके प्रयोजक वाक्य में आप्तोक्तत्व की जानकारी हो सकती है । उससे पूर्व नहीं होती ।

हेतु के शरीर में योग्यता का प्रबोध कर के भी इस दोष से मुक्ति नहीं पायी जा सकती, वयोंकि
एक पदार्थ में अपर पदार्थ का सम्बन्ध ही योग्यता है जो शब्दज्ञान से ही गृहीत हो सकने के कारण
उस से पूर्व निश्चित नहीं हो सकती, जबकि उस के हेतुघटक होने पर शब्दज्ञानात्मक अनुमिति के
पूर्व उस का निश्चय आवश्यक होगा और यदि शब्द से अतिरिक्त किसी अन्य साधन से शब्दज्ञान के
पूर्व योग्यता का निश्चय हो भी जायगा तो योग्यताघटित हेतु से अनुमान न हो सकेगा, वयोंकि उस
स्थिति में अनुमान से वेदितत्व एक पदार्थ में अपर पदार्थ के सम्बन्ध का निश्चय पहले ही हो जाने

अथ तात्पर्यरूपाकाङ्क्षा हेतुप्रविष्टेति न व्यभिचारः । न च कर्मत्वादौ घटादिगंसर्ग-सिद्धावपि कर्मत्वादौ निरूपितत्वसम्बन्धेन घटादिकप्रकारक्वोधोन जात इति वाच्यं, 'कर्मत्वादिकं घटादिमात्, घटाकाङ्क्षादिमत्पदस्मारितत्वात्,' इत्यनुमानस्यापि सम्भवात्, इति चेत् न अनुमानाद् नियतवोधानुपपत्तेः । 'शब्दात्मकविलक्षणानुमितौ व्युत्पत्तेरपि तन्त्रत्वान्न दोष' इति चेत् १, न व्युत्पत्तेः पदस्य शब्दहेतुत्वगर्भत्वात् ।

से सिद्धसाधन दोष हो जायगा, और यह सर्वसम्मत है कि अनुमान प्रमाण से सिद्ध का साधन नहीं होता, क्योंकि सिद्ध से अनुमिति का प्रतिबन्ध हो जाता है ।

आकांक्षा को जो हेतु का घटक बनाया गया है, वह भी ठीक नहीं है क्योंकि हेतु का घटक होने पर उस के ज्ञान की अपेक्षा होगी, जब कि आकांक्षा 'समभिव्याहृत वाक्यान्तर्गत पद से स्मारित पदार्थ की जिज्ञासा रूप होने से वह स्वरूपेण-सत् होकर ही शावदज्ञान की सम्पादिका होती है, जात हो कर नहीं होती ।

[योग्यता और आसत्ति से घटित हेतु भी असमर्थ]

'आकांक्षादिमत्पदस्मारितत्व' हेतु में आदि पद से योग्यता सहित आसत्ति भी विवक्षित है, क्योंकि अयोग्य और आसत्तिहीन पदों से स्मारित अर्थों में वाक्य से परस्पर सम्बन्ध का बोध नहीं होता । परंतु योग्यता सहित आसत्ति से घटित भी हेतु उक्त अनुमानाकार को सम्पन्न करने में असमर्थ है, क्योंकि 'यह राजा का पुत्र चल रहा है मार्ग में से मनुष्यों को हटाया जाय' इस अर्थ के बोधक 'अयमेति पुत्रो राज्ञ पुरुषोऽपसार्यताम्' इस वाक्य के घटक 'राज्ञ पुरुषः' इस भाग में भी योग्यता सहित आसत्ति विद्यमान है किन्तु इस भाग से स्मारित अर्थों में वक्ता का अभिमत सम्बन्ध नहीं है क्योंकि 'राज्ञ' का सम्बन्ध 'पुत्र' के साथ विवक्षित है न कि 'पुरुषः' के साथ । अतः आकांक्षायोग्यताभासात्तिमत्पदस्मारितत्व हेतु उक्त वाक्य के 'राज्ञः पुरुषः' इस भाग से स्मारित अर्थों में वक्ता के अभिमत परस्परसम्बन्धरूप साध्य का व्यभिचारी है, और व्यभिचारो हेतु साध्य का अनुमापक नहीं होता ।

'योग्यता को हेतुघटक मानने पर सिद्धसाधन दोष दिया गया है, उस का परिहार अनुमानाकार को बदल देने से हो सकता है, जैसे अनुमान का आकार यदि यह कर दिया जाय कि "अमुक अमुक पद स्मारित पदार्थों के विवक्षित सम्बन्ध की प्रमा से प्रयुक्त है, क्योंकि आकांक्षा योग्यता और आसत्ति से युक्त पद है, जैसे 'दण्डेन गामध्याज' इस वाक्य के घटक पद' तो इस अनुमान के पूर्व हेतुघटक योग्यता का निश्चय होने पर भी सिद्धसाधन नहीं होगा क्योंकि इस नये अनुमान में पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध रूप योग्यता साध्य नहीं है किन्तु 'तात्त्वासम्बन्ध प्रमापूर्वकत्व' साध्य है, और वह उक्त अनुमान से पूर्व पक्ष में निर्णात नहीं है'- किन्तु अनुमानाकार के इस परिवर्तन से भी कोइलाभ नहीं है क्योंकि उक्त 'राज्ञ. पुरुष' इस भाग से व्यभिचार दोष अवारित हो रहता है ।

[तात्पर्य रूप आकांक्षा का हेतु में प्रवेश निरर्थक है)

यदि यह परिहार किया जाय कि "तात्पर्य रूप आकाङ्क्षा को हेतु का घटक बनाने पर उक्त व्यभिचार नहीं होगा, क्योंकि 'अयमेति पुत्रो राज्ञ. पुरुषोऽपसार्यताम्' इस वाक्य के 'राज्ञ पुरुष' इस

किञ्च, एवं प्रत्यक्षादिना सिद्धावपि विनैवेच्छां शाब्दबोधानुदयः स्यात् । न च पक्षताया लिङ्गभेदभिन्नत्वेन तत्प्रिण्डकानुमितौ तदहेतुत्वादेव नानुपपत्तिरिति वाच्यं, तथाप्यन्वितान्वयवागणाय तप्तिलिङ्गकतदनुमितौ तप्तिलिङ्गकतदनुमित्यभावस्य हेतुत्वापेक्षया घटपदजन्यशाब्दबोधे घटपदजन्यशाब्दबोधस्यैव प्रतिवन्धकत्वे लाघवाद् अतिरिक्तशाब्दसिद्धेः ।

भाग का 'राजकीय पुरुष' अर्थ में तात्पर्य न होने से उस भाग के अर्थ में 'आकाङ्क्षा, धोरणता, आसत्ति तथा तात्पर्ययुक्तपदस्मारितत्व' हेतु का अभाव है, अत उक्त भाग के अर्थ में 'तात्पर्यविषयमित्यः-संसर्ग' रूप साध्य का अभाव होने पर भी हेतु से साध्याभाववद्वृत्तित्वरूप व्यभिचार की सम्भावना नहीं है ।-

इस पर शका हो सकती है कि-'उक्त अनुमान से कर्मत्व आदि से घट आदि का संसर्ग सिद्ध होने पर भी कर्मत्व आदि में निरूपितत्व सम्बन्ध से घटादिप्रकारक बोध की उपपत्ति उक्त अनुमान से नहीं हो सकती । अत उस बोध के निर्वाहार्थ शब्द को तादृश बोध के प्रति कारण मानना आवश्यक होने से शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण तथा शाब्दज्ञान को विलक्षण प्रमा मानना आवश्यक है'-किन्तु यह शब्दा उचित नहीं है, क्योंकि 'घटाकाङ्क्षादिमत्पदस्मारितत्व हेतु से 'कर्मत्वादिकं घटादिमत्' इस आकार का कर्मत्वादि में निरूपितत्व सम्बन्ध से घटादिप्रकारक अनुमिति का भी जन्म हो सकता है, अतः शाब्दज्ञान को अनुमिति से विलक्षण प्रमा और शब्द को अनुमान से भिन्न प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है" ।-

(अनुमान से शब्दवत् नियत बोध को अनुपपत्ति)

इस परिहार के विरुद्ध शब्दप्रमाणवादियों का कहना है कि शब्द श्रवण के अनन्तर शब्द से उपस्थापित अर्थ का ही बोध होता है, उस बोध से शब्द से अनुपस्थापित अर्थ का भान नहीं होता, किन्तु उस बोधको यदि अनुमितिरूप माना जायगा तो उस मे परामर्शविषयीभूत शब्दानुपस्थित अर्थ का भी भान होने लगेगा, अतः शब्द से नियंतबोध की ही उपपत्ति के लिये उसे अनुमान से भिन्न प्रमाण मानना आवश्यक है ।-'अन्य अनुमिति मे नहीं किन्तु शाब्दज्ञानात्मक अनुमिति मे व्युत्पत्तिपदनिष्ठवृत्तज्ञान से जन्य पदार्थ की उपस्थिति-को कारण मानने से यह बोध नहीं होगा'-यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि व्युत्पत्ति के स्वरूप मे पदनिष्ठ शाब्दज्ञानकारणता प्रविष्ट रहती है । अतः शाब्दज्ञान मे व्युत्पत्ति को प्रयोजक तभी माना जा सकता है जब शाब्दज्ञानरूप विलक्षण प्रमा के प्रति शब्द को विलक्षण प्रमाण के रूप मे कारण माना जाय । आशय यह है कि 'अमुक पद अमुक अर्थ के शाब्दबोध का जनक हो; या अमुक अर्थ अमुकपदजन्य शाब्दबोध का विषय हो' इस प्रकार के सकेत का ज्ञान या उस से होने वाली पदार्थोपस्थिति ही व्युत्पत्ति है । इसलिये जब उसे शाब्दज्ञान का प्रयोजक माना जायगा तब शाब्दज्ञान को अनुमिति मानने का अवसर ही नहीं उपस्थित हो सकता क्यों कि शाब्दज्ञान को विलक्षण प्रमा मानने पर ही उक्त व्युत्पत्ति बन सकती है ।

(अनुमितिपक्ष मे शाब्दबोधानुदय की आपत्ति)

शाब्दज्ञान को अनुमिति मानने से एक और भी वाधा है, वह यह कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पदार्थों के मिथ्य संसर्ग का निश्चय स्वरूपसिद्ध रहने पर भी शब्द से पदार्थसंसर्गज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस के लिये पदार्थसंसर्ग के शाब्दज्ञान की इच्छा अपेक्षित नहीं होती, किन्तु यदि

किलष्टहिंसाद्यनुष्टानात् प्राप्तिः किलष्टस्य कर्मणः ।
यथाऽपथ्यभुजो व्याधेरकिलष्टस्य विपर्ययात् ॥१॥

एतदेव भावयन्नाह—किलष्टात्=संक्लेशवाहुन्यात् हिंसाद्यनुष्टानात् किलष्टस्य=ज्ञाना-
धरणादिप्रकृतिस्य, कर्मणः प्राप्तिर्भवति, यथा अपथ्यभुजः=किरद्ग्रभोजिनो व्याधे=रोगस्य
प्राप्तिः । तथा विपर्ययात्=अकिलष्टहिंसाद्यनुष्टानात् अकिलष्टस्य=मातवेदनीयादिशुभ-
प्रकृतिकस्य कर्मणः, प्राप्तिर्भवति, यथापथ्यभोजिनो व्याधिविगमात् सुखस्य प्राप्तिरिति ॥१॥

आगमाद् नियममुक्त्वा स्वभावात् तं व्यवस्थापर्यितुमाह—

मूलम्—स्वभाव एव जीवस्य यत्तथा परिणामभाक् ।

घट्यते पुण्यपापाभ्यां माध्यस्थ्यात्तु विमुच्यते ॥१०॥

एप जीवस्य=चेतनस्य; स्वभावो यत्तथापरिणामभाक्, हिंसादिपरिणतः पुण्यपापाभ्यां
घट्यते, माध्यस्थ्यात्तु=वैराग्यात्तु विमुच्यते=श्रीणकर्मा भवति । इत्थं चैतदवश्यमड्गीक-
र्तव्यम्, अन्यथा 'दण्डादरेव घटजनकत्वं, न वेमादेः' इति कुतः १ इति प्रश्ने किमुत्तरमभि-
धानीयमायुष्मता १ न च प्रश्नस्यैवानुपपत्तिः, 'पर्वते वह्निः कुतः १' इत्यत्रेव ज्ञापकहेतुजिज्ञासया-
तदुपपत्तेः । न चैवं स्वभावेऽपि प्रश्नापत्तिः, तत्र व्याधातेन शड्काया एवानुदयादिति ॥१०॥

हिंसा आदि निषिद्ध कर्म पाप के और उस के द्वारा दुःख आदि के कारण हैं, एव अहिंसा आदि विहित
कर्म पुण्य के और उस के द्वारा सुख आदि के कारण है ॥८॥

नवर्वों कारिका मे उद्दत विषय को ही उवाहृण द्वारा स्पष्ट किया गया है । कारिका का
अर्थ इस प्रकार है—

किलष्ट आचरण यानी सक्लेशपूर्ण हिंसा आदि कार्यों के करने से किलष्टकर्म अर्थात् ज्ञानादि का
आवरण करने वाले कर्म की प्राप्ति (बन्ध) होती है, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विरुद्ध
भोजन करनेवाले रोगी को रोग की प्राप्ति होती है । इसी प्रकार अकिलष्ट=किलष्टविपरीत आचरण
से यानी सक्लेशहीन अहिंसा आदि कार्यों के करने से सातवेदनीय-सुखोत्पादक आदि शुभपरिणामी
कर्म की प्राप्ति होती है, यह भी ठीक उसी प्रकार, जैसे पथ्यभोजी मनुष्य को रोग की निवृत्ति
होने से सुख की प्राप्ति होती है ॥६॥

(वन्ध और भोक्ष का कारण जीवस्वभाव है)

हिंसा आदि का पाप आदि के साथ एव अहिंसा आदि का पुण्य आदि के साथ हेतु हेतुमद्वाव
का नियामक आगम ह, यह कहने के बाद 'स्वभाव भी उसका नियामक ह' यह बात दसर्वों कारि-
का मे बतायी गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

उक्तमेवाङ्गीकारयति-

सूलम्-सुदूरपि गत्वेह विहितासूपपत्तिषु ।

कः स्वभावागमावन्ते शरणं न प्रतिपद्यते ? ॥११॥

इह=शास्त्रे, सुदूरमपि गत्वा=वहून्यपि प्रमाणानि परिगृह्य, उपपत्तिषु=सूक्ष्मयुक्तिषु, विहितासु=प्रकटीकृतासु, को=वादी. अन्ते=वाधकतर्कोपस्थितौ, स्वभावागमौ शरणं न प्रतिपद्यते १=स्वपक्षमाधनार्थं बलवत्त्वेन नाड्गीकृरुते ! सर्वं एव तथा प्रतिपद्यते इत्यर्थः ॥ वौद्धेनाऽहेतुकस्य कार्यस्य स्वभावेन कादाचित्कत्वसमर्थनात्, मीमांसकेन च यागीयहिंसा-यामधर्मजनकत्वाभावे 'ज्योतिष्ठेमेन स्वर्गकामो यजेत्' इत्यादिवेदवाक्यस्यैव प्रमाणत्वेनाऽस-श्रयणादिति ॥११॥

चेतन प्राणी का यह स्वभाव ही है कि वह हिंसा आदि के कर्ता रूप मे परिणत होकर पुण्य-पाप के बन्धन को प्राप्त करता है, और मध्यस्थ अर्थात् हिंसा आदि से विरत होकर उस बन्धन से मुक्त होता है, अपने पूर्व प्राप्त कर्मबन्धो का क्षय करता है। इस स्वभाववाद का अड्गीकार परमावश्यक है, अन्यथा 'दण्डआदि ही घट के उत्पादक होते हैं, वेमा आदि पुट के कारण घट का उत्पादन क्यों नहीं करते ?' इस प्रश्न का कोई उचित उत्तर न दिया जा सकेगा। यहाँ यह कहना कि "अमुक कारण ही अमुक कार्य का जनक होता है दूसरा क्यों नहीं होता ? यह प्रश्न ही नहीं हो सकता क्यों कि जिस कार्य का जो कारण होता है उसी से उस का जन्म होना लोकसिद्ध है"-ठीक नहीं है क्योंकि जैसे 'पर्वत मे वहिं किस हेतु से ज्ञेय है ?' इसे प्रकार ज्ञापक हेतु की जिज्ञासा होती है, वैसे ही 'दण्ड आदि मे ही घट की कारणता क्यों है ?' इस प्रकार ज्ञापक हेतु की जिज्ञासा होने मे कोई वाधा नहीं है। 'ज्ञापक हेतु' की उक्त जिज्ञासा के समान, स्वभाव के भी ज्ञापक की जिज्ञासा होने से स्वभाव-कर्त्तव्य मे अनवस्था होगी' यह शब्दका नहीं की जा सकती क्योंकि स्वभाव को शकाका विषय नहीं बनाया जा सकता, कारण कि उस शब्दका का विषय बनाने की चेष्टा करने पर शब्दका कारणों भी शब्दका का विषय हो जाने से शब्दका का जन्म ही दुर्घट हो जायगा ॥१०॥

'(स्वभाव और आगम अतिम शरण्य है)

इस कारिका मे पूर्वकारिका मे उक्त स्वभाववाद और आगमवाद को अड्गीकार करने की विवशता बतायी गयी है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

शास्त्र मे कीसी पक्ष का समर्थन करन के लिए अनुक प्रमाणों द्वारा सूक्ष्मयुक्तियों का प्रदर्शन करन पर जब उन के बाधक तर्क उपस्थित होते हैं तब किस वादी को स्वभाव और आगम का सहारा नहीं लेना पड़ता ? अर्थात् समस्तवादियों को अपने पक्षका समर्थन करन के लिए स्वभाव और आगम को ही बलवान् प्रमाण के रूप मे ग्रहण करना पड़ता है। बीद्ध काय को अहेतुक मानते हुये भी कादाचित्क-कालशिशूमे, ही होने वाला, कालान्तर मे न होने वाला मानते हैं। काय के सहेतुकत्व पक्ष मे तो हेतु के कादाचित्क होने से कार्य का कादाचित्क होना युक्तिसगत है, पर

एवं पदजन्यविशिष्टैशिष्टच्चबोधे पदजन्यविशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञ। न हेतुत्वार्दिनापि तस्मिंः ।

अपि च 'घटात् पृथग्' इत्यन्यये शाब्दसमानाकारानुभितिर्दुर्घटा, पृथक्त्वपक्षकानुभितीं तद्वतोऽभानापत्तेः, तद्वतः पक्षात्वे च तत्रैव पञ्चम्यर्थभानापत्तेः । वस्तुतः 'नानुभिनोमि किन्तु शाब्दयामि' इति विषयनाविशेषसिद्धया शाब्दस्यातिरेकः । न च शाब्दानुभितिसामग्रीयमाहारे

शाब्दज्ञान को अनुभिति माना जायगा तो अनुभिति के प्रति अनुभितीच्छाविरहविशिष्टसिद्धच्चभावरूप पक्षता के कारण होने से उबत निश्चय एव शाब्दज्ञान की इच्छा का अभाव इन दोनों के रहने पर पक्षता न होने के कारण शाब्दज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । यदि यह कहा जाय कि "अनुभितीच्छाविरहविशिष्टसिद्धच्चभाव को पक्षता नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक लिङ्ग का परामर्ज्ज और सिद्धि के रहने पर अन्यलिङ्गक अनुभिति की इच्छा होने पर अनुभितीच्छाविरहविशिष्टसिद्धच्चभावे रहने पर भी अनुभिति नहीं होती, अतः तलिङ्गकतत्पक्षकतत्साध्यक अनुभिति के प्रति तलिङ्गकतत्पक्षक-तत्साध्यकानुभितीच्छाविरहविशिष्ट तत्पक्षघमिक-तत्साध्यप्रकारकसिद्धच्चभाव को ही पक्षता विधया कारण मानना आवश्यक है, तो इस प्रकार लिङ्गभेद से पक्षता का भेद होने से आकाङ्क्षादिमत्पदस्मारितत्व हेतु से होने वाली पदार्थसर्गानुभिति के प्रति पक्षता को कारण न मानने से उबत दोष की प्रसवित नहीं हो सकती"-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह वस्तुस्थिति है कि अन्यत का अन्वयबोध नहीं होता अर्थात् शाब्दबोध की धारा नहीं होती किन्तु अनुभितिपक्ष में प्रथम अन्वयबोध के उत्पादक कारणों के विद्यमान रहने पर उन्हीं कारणों से दूसरे तीसरे अन्वयबोध की आपत्ति हो सकती है, अतः उसके वारणार्थ शाब्दज्ञान को अनुभिति रूप मानने वालोंको तलिङ्गक अनुभिति से तलिङ्गक अनुभिति के अभाव को कारण मानना होगा और शाब्दज्ञान को विलक्षण प्रमा मानने वालों को घट आदि पदों से होनेवाले शाब्दज्ञान के प्रति उसी शाब्दज्ञान को प्रतिवन्धक मानना होगा, जिस में पूर्वप्रेक्षया लाघव है, इसलिये शाब्दज्ञान को अनुभिति से भिन्न मानना हो उचित है ।

'पदजन्य विशिष्टवैशिष्टच्चविषयक बोध में पदजन्यविशेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञान कारण होता है' इस कार्यकारणभाव से भी अनुभिति से भिन्न शाब्दज्ञान को सिद्ध अनिवार्य है, क्योंकि पदजन्य बोध यदि अनुभितिरूप होगा तो उसके जन्म में पदजन्य विशेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञान की अपेक्षा न होगी ।

('घटात् पृथक्' अनुभिति की दुर्घटता)

शाब्दबोध को अनुभिति मानने से एक और भी सकट है वह यह कि 'घटात् पृथक्' इस वाक्य से शाब्दबोधवादी के मत मे 'घटावधिकपृथक्त्ववान्' का बोध होता है जो शाब्दबोध को अनुभिति मानने पर न हो सकेगा, क्योंकि अनुभिति मे पृथक्त्व को पक्ष मानने पर पृथक्त्व के आश्रय का भान नहीं होगा, और पृथक्त्व के आश्रय को पक्ष मानने पर 'घटात्' इस पञ्चम्यन्त शब्द के अर्थ घटावधिकत्व का पृथक्त्व मे भान न हो कर पृथक्त्वके आश्रय मे उस के भान की आपत्ति होगी ।

युगपदुभयोत्पत्तिवारणायैकसामग्र्या अपरत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पने गौरवम् , वहन्यादेरशाब्दानु-
मितेः अपरस्य शाब्दानुमितेश्चैकदोत्पत्तिवारणाय तत्रापि शाब्दानुमितेः शाब्देतरानुमिति-
प्रतिबन्धकत्वकल्पनावश्यकत्वात् , इत्यन्यत्र विस्तरः ॥७॥

निगमयन्नाह—

मूलम्—तस्माद् यथोदितात्सम्यगागमाख्यात् प्रमाणतः ।

हिंसादिभ्योऽशुभादीनि नियमोऽयं व्यवस्थितः ॥८॥

तस्माद्=उक्तोपपत्तेः, यथोदितात्=पृथक् प्रमाणत्वेन व्यवस्थापितात्, सम्यगा-
गमाख्यात्=आस्तोक्तशब्दाभिधानात् प्रमाणतः, हिंसादिभ्यः=हिंसाऽहिंसादिभ्यः, अशुभा-
दीनि=पापपुण्यादीनि, वहन्यचनाद् दुःखसुखादिसंग्रहः, अयं नियमः=नियतहेतुहेतुमञ्जावः,
व्यवस्थितः=सिद्धः ॥८॥

(‘शाब्दयामि’ अनुव्यवसाय से शब्दस्वतन्त्रप्रमाण की सिद्धि)

वास्तविक बात तो यह है कि शब्दजन्य बोध का अनुभव अनुमितित्वरूप से न होकर शाब्दत्व-रूप से ही होता है क्योंकि शब्दजन्य बोध होने पर ‘शब्दाद् अर्थं नानुमितिभिन्नं शाब्दयामि=मुझे शब्द से अर्थ कि अनुमिति नहीं हुई है किन्तु शाब्दबोध हुआ है’ इस प्रकार का अनुव्यवसाय होता है, इस अनुव्यवसाय से अनुमिति विषयता से शाब्दज्ञान की विलक्षण विषयता सिद्ध होने से शाब्दज्ञान में अनुमितिभिन्नता की सिद्धि अनिवार्य है ।

(उभयपक्ष में गौरव तुल्यता)

‘शाब्दबोध को अनुमिति से भिन्न मानने पर किसी एक विषय के शाब्दबोध और उसी विषय की अनुमिति को सामग्रियो का एक काल में सम्बन्धित होने पर एक ही समय उस विषय के शाब्दबोध और अनुमिति की उत्पत्ति का वारण करने के लिए एक की सामग्री को अन्य के प्रति प्रतिबन्धक मानने से गौरव होगा’ इस प्रकार शाब्दबोध के अनुमितिभिन्नता पक्ष में गौरव दोष का आपादन उचित नहीं हो सकता, क्योंकि शाब्दबोध के अनुमितिरूपता पक्ष में भी इस प्रकार का दोष अनिवार्य है, जैस वहिं की अशाब्द अनुमिति और अन्य वस्तु की शाब्द अनुमिति की सामग्रियो का एक काल में सम्बन्धित होने पर दोनों अनुमितियों की एक साथ उत्पत्ति न होकर पहले शाब्द अनुमिति की ही उत्पत्ति होती है, अतः अशाब्द अनुमिति के प्रति शाब्द अनुमिति की सामग्री को प्रतिबन्धक मानना आवश्यक हो जायगा । इस विषय का विस्तृत विचार अन्यत्र किया गया है ॥७॥

(‘हिंसादि से पाप और अहिंसादि से पुण्य’-नियम की सिद्धि)

आठवीं कारिका में पूर्वोक्त विचार का उपसंहार करते हुये यह कहा गया है कि उक्तपुक्तियों से यह सिद्ध है कि शब्द एक स्वतन्त्र प्रमाण है और जैनागम आप्तोक्त शब्द होने से असन्दिग्ध प्रमाण है । इस प्रमाण से हिंसा आदि का पाप आदि के साथ यह नियत हेतुहेतुमञ्जाव सिद्ध है कि

परः पर्यनुयुद्धते—

मूलम्-प्रतिपक्षस्वभावेन प्रतिपक्षागमेन च ।

बाधितत्वात्कथं ह्योत्तौ शरणं युक्तिवादिनाम् ? ॥१३॥

प्रतिपक्षस्वभावेन=उक्तविपरीतस्वभावेन, प्रतिपक्षागमेन=उक्तविपरीतागमेन च वाधितत्वात्, हि=निश्चितम्, एतौ=उक्तस्वभावागमौ, युक्तिवादिनाम्=युक्तिप्रधानवादिनाम्, न तु श्रद्धामात्रवताम्, कथं शरणम् ? कथमर्थसिद्धिक्षमौ ? न कथंचिदित्यर्थः ॥१३॥

कार्य के अहेतुकत्व पक्ष मे कार्य की उत्पत्ति मे किसी हेतु की अपेक्षा न होने से उस का सार्वदिक होना ही युक्तिसगत प्रतीत होता है कादाचित्क होना तो कथमपि सम्भव नहीं है, किन्तु बौद्ध यही उत्तर देकर इस संकट से मुक्त होते हैं कि कार्य का यह स्वभाव ही है कि वह कादाचित्क ही हो, सार्वदिक न हो ।

इसी प्रकार 'याग मे होनेवाली हिंसा पापजनक नहीं होती' इस पक्ष का समर्थन करने के लिये सीमासको को भी कोई दूसरा प्रमाण नहीं भिलता, विवश होकर उन्हे यही कहना पडता है कि 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्=स्वर्ग के इच्छुकव्यक्ति को ज्योतिष्टोम याग करना चाहिये' इस आशय का वेदवाक्य ही इस बात मे प्रमाण है कि हिंसायुक्त भी याग से पाप का उदय न होकर स्वर्गप्रद पुण्य का ही उदय होता है ॥११॥

[प्रतिपक्ष के होने पर स्वभाव--आगम शरण्य कैसे ?]

१२ वी कारिका मे स्वभाव और आगम की प्रमाणता के विरुद्ध प्रतिवादी का प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है-

एक वादी किसी एक स्वाभिमत पक्ष का समर्थन करने के लिये जिस स्वभाव या आगम का सहारा लेता है, अन्यवादी उस पक्ष के विरोधी पक्ष के समर्थन के लिये उक्त स्वभाव और उक्त आगम से विपरीत स्वभाव और विपरीत आगम को भी प्रस्तुत कर सकता है । जैसे चार्वाक आदि नास्तिक दार्शनिक यह कह सकते हैं कि "किसी धनपति की हिंसा से लोकसुखसम्पादक प्रचुर धन की प्राप्ति हो सकती है, अत तदर्थ अन्य प्रयास अनपेक्षित है, हिंसा का यह स्वभाव ही है या समझदार पूर्वपुरुषो का यही कथन है कि हिंसा से सुख ही प्राप्त होता है, किसी प्रकार का अहित नहीं होता ।" तो इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा विरुद्ध स्वभाव और विरुद्ध आगम प्रस्तुत करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये स्वभाव और आगम से उसके अभिमत पक्ष की सिद्धि किस प्रकार हो सकेगी ? जो वादी श्रद्धामात्र को महत्व न दे कर युक्ति को ही प्रधानता प्रदान करते हैं, स्वभाव और आगम से उन्हें कैसे सन्तुष्ट किया जा सकता है, निवार्घयुक्ति के बिना किसी भी पक्ष को उनके गले के नीचे कैसे उतारा जा सकता है ? स्पष्ट है कि स्वभाव और आगम के बल पर युक्तिवादियो के समेक्ष किसी पक्ष का समर्थन कथमपि नहीं किया जा सकता ॥१२॥

मूलम्-प्रतीत्या वाध्यते यो यत्स्वभावो न स युज्यते ।

वस्तुनः कल्प्यमानोऽपि वहन्यादेः शीततादिवत् ॥१३॥

समाधत्ते—यद् = यस्मात् कारणात्, यः स्वभावः प्रतीत्या = प्रमाणेन, वाध्यते स कल्प्यमानोऽपि तत्स्वभावत्वेन वहन्यादेः शीततादिवद् जात्याऽपाद्यमानोऽपि वस्तुनः स्वभावो न युज्यते = न सत्तर्कविषयो भवति । तथा च ‘वहन्यादेर्यदि उप्णत्वादिस्वभावः स्यात्, शीतत्वाद्यपि स्याद्’ इतिवत् ‘हिसादेर्यद्यधर्मजनकत्वादिस्वभावः स्याद्, धर्मजनकत्वाद्यपि स्याद्’ इति न वाधकमिति भावः ॥१३॥

मूलम्-वहनेः शीतत्वमस्त्येव, तत्कार्यं किं न दृश्यते ? ।

दृश्यते हि हिमासन्ने, कथमित्थं ? स्वभावतः ॥१४॥

पर आह-वहनेः शीतत्वमस्त्येव = स्वाभाविकमेव मृगत्रुष्णिकादिवत् । तत्राह-यदि अमादुपलभ्यमानमपि शीतत्वं वहिस्वभावः, तदा तत्कार्यं = तत्सङ्गेन रोमाञ्चाविर्भावादि, किं न दृश्यते ? । पर आह-हि=निश्चितम्, हिमासन्ने वह्नौ, शीतकार्यं रोमाञ्चादि दृश्यते, तत्राचार्य आह-इत्थं कथम् ? हिमासन्न एव वह्निः शीतकार्यं जनयति, नान्यदा’ इति कथम् ! । पर आह-स्वभावतः, यथा दण्डादेश्चक्रादिसंयुक्तस्यैव कार्यजनकत्वस्वभावः, तथा वहनेहिमासन्नस्यैव रोमाञ्चजनकत्वस्वभाव इत्यर्थः ॥१४॥

[प्रमाण से बाधित हो वह स्वभाव कल्पनायोग्य नहीं]

१३ वी कारिका मे पूर्व कारिका मे उठाये गये प्रश्न का समाधान किया गया है, जो इस प्रकार है,—

जो स्वभाव जिस वस्तु से प्रमाण से बाधित होता हो वह उस वस्तु का स्वभाव नहीं माना जा सकता, जैसे यदि यह आपादन किया जाय कि ‘जिस प्रकार उष्ण स्पर्श अग्नि का स्वभाव है उसी प्रकार शीत स्पर्श को भी अग्नि का स्वभाव होना चाहिये, क्यों कि उष्ण और शीत दोनों ही स्पर्श-जातीय हैं, और इस मे कोई तर्क नहीं है कि जिस जाति का एक पदार्थ किसी वस्तु का स्वभाव हो उसी जाति का दूसरा पदार्थ उस का स्वभाव न हो’ तो इस आपादकतर्क से शीतस्पर्श अग्नि का स्वभाव नहीं बन सकता, क्योंकि अग्नि में शीत स्पर्श प्रत्यक्ष-प्रमाण से बाधित है । ठीक उसी प्रकार यदि यह आपादन किया जाय कि अधर्मजनकत्व यदि हिसा का स्वभाव है तो धर्मजनकत्व को भी हिसा का स्वभाव होना चाहिये, क्यों कि अधर्म और धर्म दोनों ही अद्वृष्ट हैं, अतः इस मे कोई तर्क नहीं है कि हिसा मे अधर्मरूप एक अद्वृष्ट का जनकत्वस्वभाव हो और धर्मरूप दूसरे अद्वृष्ट का जनकत्व स्वभाव न हो,-तो इस आपादकतर्क से भी धर्मजनकत्व हिसा का स्वभाव नहीं बन सकता, क्योंकि यह आपादन स्वभाव आगमप्रमाण से बाधित है । निष्कर्ष यह है कि जैसे प्रत्यक्ष बाधित होने से शीतस्पर्श अग्नि का स्वभाव नहीं होता उसी प्रकार आगम बाधित होने से धर्मजनकत्व हिसा का स्वभाव नहीं हो सकता । १३ ।

एतदेव दृष्टान्तेन दृढयति-

मूलम्-हिमस्यापि स्वभावोऽयं नियमाद् वह्निसन्निधौ ।

करोति दाहमित्येवं वह्न्यादे शीतता न किम्? ॥१५॥

हिमस्याप्ययं स्वभावो यद् नियमात्=अवश्यं, वह्निसन्निधौ=वह्निमीप एव, दाहं करोति, सामीप्य एवायस्कान्तवत् नागदमनीवत् कार्यकारित्वाद्, इति हेतोः, एवं=हिमस्य दाहजनकत्ववत्, वह्न्यादेः शीतता न किं ?=कि न स्वभावः ? ॥१५॥

[अग्नि शीत है—पूर्वपक्ष]

१४ वीं कारिका मे पूर्व कारिका मे किये गये समन्वयान का बादी द्वारा प्रतिवाद किया गया है, जो इस प्रकार है—

कभी कभी अग्नि में भी शीतस्पर्श की बुद्धि होती है. अतः जैसे मृगतृष्णिका मे जल की बुद्धि होने से बुद्धिकाल मे जल का अस्तित्व बहुतों को मान्य है, वैसे ही अग्नि मे शीतस्पर्श की बुद्धि होने से अग्नि मे भी उसका अस्तित्व मान्य है, इस प्रकार शीतत्व अग्नि का स्वभाविक ही धर्म है। यह प्रश्न उठाना कि 'अग्नि मे शीतत्व का उपलभ्म भ्रममूलक है, और यदि भ्रम से उपलभ्ययान वस्तु का भी अस्तित्व माना जायगा तो अग्नि के सम्पर्के से' शीतस्पर्श की अनुमूलिक रोमाञ्च का उद्भव आदि कार्य भी होना चाहिये'-अवसरोचित नहीं है, क्योंकि हिम के सन्निवान मे अग्नि के सम्पर्क से शीतानुभव और रोमाञ्च उद्भव आदि कार्य का होना सर्वमान्य है। यह प्रश्न भी उठाना कि 'यदि शीतत्व अग्नि का स्वभाविक धर्म है तो हिम के सन्निवान मे ही अग्निसम्पर्क से उक्त कार्य क्यों होते हैं, हिम के असन्निवान मे भी क्यों नहीं होते ?' उचित नहीं है, क्योंकि ये बातें वस्तु के स्वभाव पर निर्भर होती हैं अत. जैसे चक्र आदि से संयुक्त दण्ड आदि का ही घटजनकत्व स्वभाव होता है, केवल दण्ड आदि का नहीं होता वैसे ही हिमसन्निहित अग्नि का ही शीतकार्यजनकत्वस्वभाव है केवल अग्नि का नहीं। इस स्वभाव के कारण ही केवल अग्नि से शीत का कार्य न होकर हिमासन्न अग्नि से ही होता है ॥१४॥

(हिम के दृष्टान्त से अग्नि में शैत्य का समर्थन)

पूर्व कारिका मे कही गयी बात को ही १५ वीं कारिका मे दृष्टान्त द्वारा पुष्ट किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

जैसे अयस्कान्तमणि समीपस्थ ही लौह का आकर्षण करता हैं और नागदमनी समीपस्थ ही नाग का दमन करती है उसी प्रकार अग्नि के समीप मे ही हीम दाह का जनक होता है, अग्नि से दूर रह कर दाह का जनक नहीं होता, तो फिर अग्नि के समीप मे ही दाह का जनक होने पर भी जैसे दाह-जनकत्व हिम का स्वभाव है वैसे ही हिम के सन्निवान मे ही शीतकार्य का जनन करने वाले अग्नि का शैत्य स्वभाव क्यों नहीं हो सकता ? उस मे विवाद का क्या अवसर है ! ॥१५॥

अत्रोत्तरमाह-

मूलम्- व्यवस्थाऽभावतो ह्ये वं या त्वद्बुद्धिरिहेदशी ।
सा लोष्टादस्य यत्कार्यं तत् त्वत्सतत्स्वभावतः ॥१६॥

एवम्=उक्तगीत्या, व्यवस्थाऽभावतः=सम्युक्तियामकाभावात् हि=निश्चितम्, या इह=विचारे, ईदशी=स्वभावान्यथात्प्रकल्पनात्मिका, त्वद्बुद्धिः, सा लोष्टात्=पापाणात्, त्वत्समीपस्थे तत्र त्वत्स्वभावसंक्रमात्, तथा, अस्य=लोष्टस्य, यत्कार्यम्, अभिघातादिकम्, तत्, त्वतः सकाशात्, लोष्टसमीपस्थस्य तव तत्स्वभावतः=लोष्टस्वभावात् ॥१६॥

ततः किम् १ ईत्याह--

मूलम्-एवं सुबुद्धिशून्यत्वं भवतोऽपि प्रसज्यते ।

अस्तु चेत् को विवादो नो बुद्धिशून्येन सर्वथा ॥१७॥

एवं=लोष्टस्वभावत्वे, भवतोऽपि लोष्टवत् सुबुद्धिशून्यत्वं=सम्युक्तिरहितत्वं, प्रसज्यते, अपिना लोष्टस्यापि बुद्धियुक्तत्वं स्यादिति प्रागुक्तं स्मार्यते । इष्टापत्तावाह-अस्तु न्यायानुगतं तत्स्वभावत्वमिति चेत् १ तदा सर्वथा बुद्धिशून्येन भवता सह, नः=अस्माकं, को विवादः ? एवं चावश्यकलृप्तनियतपूर्ववर्तिनो हिमादेवेव रोमाञ्चादिकार्यसम्भवे तत्सहभूतस्य वहे रन्यथामिद्वत्वाद् न तज्जनकत्वं, न वा तदनुरोधेन शीतस्वभावत्वमिति प्रकृतेऽप्येवं व्यवस्था भावनीया ।

अथैवं कारणत्वस्य स्वाभाविकत्वे नीलादिवत् साधारण्यं स्यादिति चेत्, स्यादेव, सर्वैस्तत्त्वेन प्रतीयमानत्वरूपम्, अन्यग्रहानधीनग्रहविषयत्वरूपमपि तद् हेतुशक्तावस्त्वेव,

[अग्नि शीत होने पर अतिप्रसङ्ग-उत्तरपक्ष]

‘शैत्य अग्नि का स्वभाव है’ इस कथन का उत्तर देने के लिये १६ वीं कारिका की रचना हुयी है। अर्थ इस प्रकार है,-

जिस प्रकार समीचीन नियामक के अभाव से भी अग्नि के सामीप्य मात्र से हिम में दाहकत्व स्वभाव और हिम के सामीप्यमात्र से अग्नि में शैत्यस्वभाव को कल्पना आप करते हैं, उसी प्रकार वह कल्पना निश्चितरूप से पाषाण को भी होनी चाहिये, क्योंकि सामीप्यमात्र से ही यदि एक वस्तु का स्वभाव दूसरी वस्तु में सक्रान्त होगा तो आप के समीपस्य पाषाण में आप की बुद्धि का भी सक्रमण आवश्यक है। इसी प्रकार पाषाण से होने वाले अभिघात आदि कार्य आप से भी होने चाहिये, क्योंकि पाषाण के सन्निधान में उस के स्वभाव का सक्रमण आप में भी होना अनिवार्य है ॥१६॥

व्यञ्जकस्वभावे त्वन्यघटितत्वादेव नास्ति । न च परापेक्षत्वादलीकृत्वापत्तिः, तथा नियमाभावात्, अभ्यधिष्महि च भाषारहस्ये-॥ [श्लो०-३०]

ते होंति परावेक्खा वंजयमुहूदंसिणो च्छि ण य तुच्छा ।

दिष्टमिणं वेचित्तं सरावकपूरगंधाणं ॥ इति, अधिकं तद्विवरणादवसेयम् ।

(स्वभाव के अन्योन्य संक्रम की आपत्ति)

१७ वर्दि कारिका मे पूर्व कारिका मे उद्भूतिअथ का निष्कष बताते हुये किसी वस्तु के अस्वाभाविक धर्म को उस का स्वभाव बताने का निराकरण किया गया है, कारिका का अर्थ इस प्रकार है, आप मे पाषाणस्वभाव का सक्रमण होने पर आप बुद्धिशून्य हो जायेंगे और पाषाण मे अन्य के स्वभाव का सक्रमण होने पर पाषाण बुद्धिमान हो जायगा,-युक्तसंगत होने से यह बात यदि मान ली जायगी तो बुद्धिशून्य व्यक्ति से हमारा विवाद ही क्या रह जायगा ? अर्थात् उस स्थिति मे आप से कोई विवाद करना सम्भव ही न होगा । अत अन्ततो गत्वा यही कहना होगा कि जब रोमाञ्चोद्भव आदि श्रीतकाये को उपर्याति के लिये हिम का सञ्चिहान अनिवार्य है तो अवश्यकलृप्तनियतपूर्ववर्ती होने से वही उक्त काय का जनक है और अग्नि अवश्यकलृप्त नियतपूर्ववर्ती से भिन्न होने के कारण उक्त काय के प्रति अन्यथासिद्ध होने से उक्तकार्य का जनक नहीं है, अतः उक्तकार्यजनकत्व के आधार पर उस मे शैत्यस्वभाव की क्लपना नहीं हो सकती । यही दृष्टि प्रकृत विषय हिंसा आदि के अधर्मादिजनकत्वस्वभाव के विषय मे भी उपदेय है ।

(सर्वकार्यसाधारण कारणता की आपत्ति का निवाःण)

उक्त दृष्टि अपनाने पर यह तर्क उठ सकता है कि-'कारणत्व यदि स्वाभाविक होगा, उसे सर्वसाधारण होना चाहिये अर्थात् जो वस्तु किसी एक कार्य का कारण है उसे सब वस्तु का कारण होना चाहिये क्योंकि जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वह किसी के प्रति उस का स्वभाव हो और किसी के प्रति उस का स्वभाव न हो ऐसा नहीं होता किन्तु वह सभी के प्रति उस का स्वभाव होता है । जसे कोई वस्तु यदि नीलस्वभाव है तो वह कुछ लोगों के प्रति नील और कुछ लोगों के प्रति अनील न होकर सब के प्रति नील ही होनी है उसी प्रकार जो वस्तु कारणस्वभाव होगी उसे किसी एक ही कार्य का कारण न होकर सब कार्यों का कारण होना न्यायसंगत है'—किंतु यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि कारणत्व नीलत्व के समान किसी वस्तु का निरपेक्ष स्वभाव न होकर कायसापेक्षस्वभाव है अर्थात् समान्यत कारणत्व किसी वस्तु का स्वभाव नहीं होता अपि तु तत्त्वकायकारणत्व वस्तु का स्वभाव होता है, और वह सबसाधारण होता ही है, क्योंकि जो वस्तु इक्सी एक मनुष्य की हाँसि से जिस कायेको कारण होती है वह सभी की हाँसि से उस काय को कारण होतो है ।

आशय यह है कि कारणत्व मे जिस साधारण्य का आपादान बादी को करना है उस का दो प्रकार हो सकता है १) सब मनुष्यों द्वारा कारण रूप से ज्ञायमान होना-२) सर्व कारणत्वेन ज्ञायमानत्वं]

१-ते मवन्ति परापेक्षा व्यञ्जकमुखदर्शिन इति न च तुच्छा । दृष्टमिद वैचित्र्यं शरावकपूरगन्धयोः ॥

एवं प्रतिपक्षस्वभावो निराकृतः, ततः प्रतिपक्षागमनिराकरणे प्राप्तेऽप्यागमशरणार्थं प्रसङ्गाद् वार्तान्तरमुत्थापयति-

मूलम्—अन्यस्त्वाहेह सिद्धेऽपि हिंसादिभ्योऽशुभादिके ।

शुभादेरेव सौख्यादि केन मानेन गम्यते ? ॥ १८ ॥

अत्रापि ब्रुवते केचित् सर्वथा युक्तिवादिनः ।

प्रतीतिगर्भया युक्त्या किलैतदवसीयते ॥ १९ ॥

अन्यस्तु वादी आह, इह=न्याये लोके च, हिंसादिभ्य एवाशुभादिके सिद्धेऽपि, शुभा-देरेव=पूण्यकर्मदेरेव सौख्यादि भवति न पापादेः, इति केन मानेन गम्यते १ ॥ १८ ॥

और (२) अन्य ज्ञान की अपेक्षा न करने वाले ज्ञान का विषय होना (अन्यज्ञानानधीनज्ञानविषयत्वं), किन्तु इन दोनों ही का आपादान नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों प्रकार का साधारण्य कारणत्व में विद्यमान हैं, जैसे,-जिस वस्तु को एक मनुष्य जिस कार्य का कारण समझता है, सभी मनुष्य उस वस्तु को उस कार्य का कारण समझते हैं, एवं किसी वस्तु को किसी कार्य के कारणरूप में जानने के लिये किसी अन्यज्ञान की अपेक्षा नहीं होती ।

(कारणता कार्यसापेक्ष होती है)

पूरे कथन का अभिप्राय यह है कि 'कारणत्व' कायनिरपेक्ष न होकर कार्यसापेक्ष होता है, किन्तु कार्यविशेष के बिना भी यदि सामान्य कारणत्व का निवचन किसी प्रकार हो सके तो उस में भी उक्त दोनों प्रकार का साधारण्य विद्यमान है, हा, तत्कार्यतारणत्व के ज्ञान में तत्कार्यज्ञान की अपेक्षा होने से उस में दूसरे साधारण्य की उपपत्ति में बाधा आपाततः अवश्य प्रतीत होती है, परन्तु विचार करने पर वह बाधा भी नहीं हो सकती क्योंकि तत्कार्य तत्कार्यकारणत्व का व्यञ्जक है, और व्यञ्जक से घटित वस्तु के विषय में दूसरे प्रकार का साधारण्य सामान्यतः अन्यग्रहानधीनग्रहविषयत्वरूप न होकर व्यञ्जकान्यग्रहानधीनज्ञानविषयत्वरूप होता है, और वह व्यञ्जकसापेक्ष वस्तु में अक्षण्ण होता है ।

शका—“कारणत्व यदि परापेक्ष होगा तो अलीक=अवास्तविक हो जायगा, क्योंकि जो परापेक्ष होता है वह अलीक होता है । अत जैसे स्फटिकमणि में प्रतीत होनेवाली रक्तता जपाकुसुम के सन्धिधान को सापेक्ष होने से अलीक होती है, उसी प्रकार कार्यसापेक्ष होने से कारणत्व भी अलीक हो जायगा”—यह शङ्का उचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि ‘जो परापेक्ष होता है वह अलीक होता है, यह नियम नहीं है, यह तथ्य व्याख्याकारने ‘भाषारहस्य’ नामक ग्रन्थ में ‘ते हेन्ति०’ इस गाथा द्वारा अभिहित किया है । गाथा का अर्थ इस प्रकार है-परापेक्ष वस्तु में कई व्यञ्जक सापेक्ष होती हैं, अलीक नहीं होती, प्रामाणिक वस्तुओं में यह वैचित्र्य देखा जाता है कि उन में कोई वस्तु किसी व्यञ्जक की अपेक्षा किये बिना ही अभिव्यक्त होती है जैसे कपूर का गन्ध, और कोई वस्तु व्यञ्जक के सन्धिधान में ही अभिव्यक्त होती है जैसे शराब=मिट्टी के पके नये बर्तन-का गन्ध । इस विषय की अविक जानकारी उक्तगाथा के विवरण से ज्ञातव्य है ॥ १७ ॥

अत्र केपांचित्समाधानवार्तीमाह-अब्रापि=उक्तपूर्वपक्षेऽपि, केचित् सर्वथा युक्तिवादिनः=आगमनिरपेक्षयुक्तिप्रणयिनः, ब्रुवते । किं ब्रुवते ? इत्याह-प्रतीतिगर्भया=अनुभवसहकृतया, युक्त्या तर्केण, 'किल' इति सत्ये, एतत्=प्राक् पर्यनुयुड्यतम्, अवसीयते=निश्चीयते ॥१९॥

सूलम्-तयाहुर्नाशुभात् सौख्यं तद्वाहुल्यप्रसङ्गतः ।

वह्वः पापकर्मणो विरलाः शुभकारिणः ॥ २० ॥

तन्मतमेवाह-ते=वादिन आहुर्यद् अशुभात्=पापकर्मणः, सौख्यं न भवति । कुतः ? इत्याह-तद्वाहुल्यप्रसङ्गतः=सुखभूयस्त्वप्रसङ्गात् । इदमपि कुतः ? इत्याह-पापकर्मणः=हिंसादिकारिणो वह्वो व्याघ्रादयः, शुभकारिणः=हिंसादिनिवृत्ताः साधुप्रभृतयः विरलाः=स्तोकाः । एवं च 'सुखं यदि पापजन्यं स्यात् यावत्पापकर्मधृत्ति स्यात्, दुखं च यदि पुण्यजन्यं स्यात् पुण्यसमानाधिकरणं न स्याद्' इति तर्कशारीरं वौध्यम् ॥२०॥

['शुभकर्मसे ही सुख' इसमे क्या प्रमाण ?]

प्रतिपक्षी स्वभाव का निराकरण करने के बाद यद्यपि प्रतिपक्षी आगम का ही निराकरण करना उचित है, तथापि आगम का शरण लेने के लिये प्रसङ्गवश एक अन्य विषय की चर्चा १८ वी कारिका मे को गयी है, जो इस प्रकार है-

एक अन्य बादो का यह प्रश्न है कि न्याय और लोक के अनुसार यह यद्यपि सिद्ध है कि हिंसा आदि निन्दित कर्मों से ही अशुभ-पाप आदि का जन्म होता है, तथापि सुख आदि का उदय शुभ पुण्य कर्मों से ही होता है' इस मे क्या प्रमाण है ? ॥१८॥

१९ वी कारिका मे कुछ लोगो द्वारा उक्त प्रश्न के समाधान की चर्चा की गयी है । समाधान इस प्रकार है-जो विद्वान् आगम को मान्यता न दे कर केवल पुर्वितयो का ही अवलम्बन करते है, उन को और से उक्त प्रश्न के समाधान मे यह कहा जाता है कि पाप कर्म से सुख नहीं होता, किन्तु पुण्य कर्म से ही सुख होता है इस बात का निश्चय अनुभव और तर्क से सम्पन्न होता है यह सत्य है इस मे कोई सशय नहीं है ॥१९॥

[पाप से सुख होने पर सुखीजनवहुलता की आपत्ति]

२० वी कारिका मे युक्तिवादियों का ही मत स्पष्ट किया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

युक्तिमात्रवादी विद्वानों का यह कहना है कि पापकर्म से सुख का जन्म नहीं माना जा सकता, यद्योऽकि यदि पापकर्म से सुख का जन्म होगा तो ससार मे हिंसा आदि पापकर्म करने वाले व्याव आदि की सहपा अधिक होने से पापकर्म की अधिकता के कारण अधिक सुख की उत्पत्ति होगी । फलत् ससार के दुखों जनों को अपेक्षा सुखी जनों की वहुलता होती चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं है, ससार मे तो सुखी प्राणियों जो अपेक्षा दुखों प्राणी हो अधिक हैं । इसी प्रकार पुण्य कर्म से यदि दुख का जन्म

अत्रापाद्यविपर्ययप्रदर्शनेन शुद्धत्वमाह-

मूलम्-न चैतद् दृश्यते लोके दुःखबाहुल्यदर्शनात् ।

शुभात् सौख्यं ततः सिद्धमतोऽन्यच्चाप्यतोऽन्यतः ॥२१॥

अन्ये पुनरिदं आज्ञा ब्रुवते आगमेन वै ।

शुभादेरेव सौख्यादि गम्यते नान्यतः क्वचित् ॥२२॥

न चैतद् आपाद्यमानं, लोके=जगति दृश्यते । कुतः ? इत्याह दुःखबाहुल्यदर्शनात् =दुःखस्य पुण्याऽसमानाधिकरणत्वदर्शनात्, इदमुपलक्षणं सुखे यावत्पापकर्तृवृत्तिवाभावस्य । ततः शुभात् =पुण्यात् सौख्यम्, अतः सौख्याद् अन्यद् =दुःखं चापि, अतः =पुण्याद् अन्यतः =पापात्, सिद्धम् ॥२१॥

नेदं स्वतन्त्रसाधनं, किन्त्वापाततः प्रभज्ञापादनं, तच्च न साधकम्, इत्यन्येषां वार्ता-न्तरमाह-‘अन्ये पुनरिति’ । अन्ये पुनः आज्ञा=आगमे श्रद्धावन्तः, इदं वक्ष्यमाणं ब्रुवते । किम् ? इत्याह-वै=निश्चितम्, शुभादेरेव =पुण्यादेरेव, सौख्यादि फलमित्यागमेन गम्यते क्वचित् =कुत्रापि, अन्यतः =अन्येन मानेन न गम्यते ॥२२॥

होगा तो हिंसा आदि से निवृत्त रहकर पुण्य कर्म करने वाले साधुपुरुषों को सख्या कम होने से पुण्यकर्म की अल्पता के कारण दुःख की उत्पत्ति अल्प होगी, फलत ससार में सुखी जनों की अपेक्षा दुःखी जनों की सख्या अल्प होनी चाहिये, जब कि ऐसा नहीं है । इसलिये पाप कर्म से सुख की उत्पत्ति मानना यह तकसगत नहीं है ।

तर्क का शरीर इस प्रकार ज्ञातव्य है-

सुख यदि पाप से उत्पन्न होगा तो उसे सभी पापकर्मी जीवों में रहना चाहिये । इसी प्रकार दुःख यदि पुण्य से उत्पन्न होगा तो उसे भी सभी पुण्यकर्मी जीवों में रहना चाहिये । और उस स्थिति में न तो कोई पापी दुःखी हो सकेगा, और न कोई पुण्यवान् सुखी हो सकेगा ॥२०॥

[लोक में दुःखबहुलता होने से पुण्य से सुख की सिद्धि]

इष्टकीसवों कारिका मे पूर्वोक्त तर्क को विपरीतानुसानपर्यंवसायी बताकर उस की शुद्धता बतायी गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है,—

पूर्व कारिका मे पाप कर्म को सुख का उत्पादक मानने पर ससार मे अधिक सुख की उत्पत्ति का आपादान किया गया था, जिस से यह विपरीत अनुमान फलित होता है कि पापकर्म सुखका उत्पादक नहीं है, क्यों कि ससार मे सुख को अधिकता नहीं देखी जाती, प्रत्युत दुःख को ही अधिकता देखी जाती है । देखने से यही आता है कि दुःख पुण्य का असमानाधिकरण होता है, पुण्यवान् को नहीं होता । यह इस बात का उपलक्षण है कि सुख कभी पापकर्मी जीवों को नहीं होता । इसलिये यह सिद्ध है कि पुण्य से सुख का ओर पुण्य से भिन्न पाप से सुख से भिन्न दुःख-का जन्म होता है ॥२१॥

कुतः ? इत्याह-

मूलस्-अतीन्द्रियेषु भावेषु प्राय एवंविधेषु यत् ।

छद्मस्थस्याऽविसंवादि मानमन्यन्न विद्यते ॥२३॥

यच्चोक्तं दुःखवाहुल्यदर्शनं तन्न साधकम् ।

क्वचित्थोपलभेऽपि सर्वत्राऽदर्शनादिति ॥२४॥

प्रायः=वाहुल्येन, एवं विधेषु=उक्तजातीयेषु, अतीन्द्रियेषु = ऐन्द्रियकक्षयोपशमा-
उग्राद्येषु, भावेषु, यत्=यस्मात् कारणात्, छद्मस्थस्य=अक्षीणघातिकर्मणः, अविसंवादि=
अप्रामाण्यशङ्कादिविरहितम्, अन्यत्=शब्दातिरिक्तम्, मानं=प्रमाणं, न विद्यते । प्राति-
भादिना योगिभिस्तद्ग्रहणात् प्रायोग्रहणम् । अत्र च यद्यप्यतीन्द्रियार्थे पूर्वमागमस्य प्रमाणान्त-
रानधिगतवस्तुप्रतिपादकत्वेनाहेतुवादत्वं, तथाऽप्यग्रे तदुपजीव्यप्रमाणप्रवृत्तौ हेतुवादत्वेऽपि न
व्यवस्थाऽनुपपत्तिः, आददशापेक्षयैव व्यवस्थाभिधानात् । अतो यदन्यत्रोक्तम् ‘‘आगमश्वोप-
पत्तिश्च’ इत्यादि, तद् नानेन सह विस्तृत्यते, अपूर्वत्वं चादृष्टस्योपपद्यत इति ध्येयम् ॥२३॥

[आगम ही शुभ में सुखकारणता का बोधक है]

बाहसर्वी कारिका मे यह बताया गया है कि तर्क स्वतन्त्र साधन न होने से उक्त अर्थ का
साधक नहीं हो सकता अतः उक्त अर्थ की सिद्धि अन्य साधन से करनी होगी, और वह अन्य साधन
होगा ‘आगम’ । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

आगम मे श्रद्धा रखनेवाले पुण्यात्मा मनोषियो का यह कहना है कि पुण्यकर्म से ही सुख होता है
और पापकर्म से ही दुःख होता है, यह बात निश्चित रूप से ‘आगम’ प्रमाण से ही सिद्ध हो सकती है,
किसी अन्य प्रमाण से कदापि नहीं सिद्ध हो सकती । केवल तर्क से इस बात की सिद्धि की आशा करना
चर्य है, क्योंकि तर्क कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह तो प्रमाणान्तर का उपोद्धलक (पोषक) मात्र
है, अत उक्त बात की सिद्धि के लिये कोई प्रमाण होना आवश्यक है और वह प्रमाण आगम ही हो
सकता है, अन्य कुछ नहीं, उक्त तर्कका उसी आगम की परिचर्या मे विनियोग हो सकता है ॥२४॥

[अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान आगम विना दुःशक्य]

इस तेर्वर्षी कारिका मे उक्त विषय मे एक मात्र आगम ही प्रमाण क्यो है ? इस प्रश्न का
उत्तर दिया गया है, जो इस प्रकार है-

उक्त विषय जैसे अतीन्द्रिय (=इन्द्रियजन्य क्षयोपशम से अग्राह्य) पदार्थों के सम्बन्ध मे छद्मस्थ-
घातीकर्मों से आदृत पुरुष शब्द से अतिरिक्त ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सकते, ‘जो योगी के
प्रातिभ ज्ञान से भिन्न हो तथा अप्रामाण्यशङ्का आदि से क्वलित न हो, इसलिये उक्त विषय मे हिंसा

टिप्पण-१ आगमश्वोपपत्तिश्च सम्पूर्ण दृष्टिलक्षणम् । अतीन्द्रियानामर्थाना सङ्काष्ठप्रतिपत्तये ॥

उक्ततर्के बाधकमुक्त्वा प्रकृतोपपत्तिमाह-यच्च दुःखवाहुल्यमुक्तं तर्कघटकत्वेन, तत् साध-
कम्=आपादकमपि न, कुतः ? इत्याह-व्यवचिद्=भरतादौ, तथोपलम्भेऽपि दुःखवाहुल्यदर्शने-
ऽपि, सर्वत्र=महाविदेहादौ, अदर्शनाद्=दुःखवाहुल्यानुपलम्भात् । इतिःहेतुसमाप्त्यर्थः ॥२४॥

मूलम्- सर्वत्र दर्शनं यस्य तद्वाक्यात् किं न साधनम् ?

साधनं तदु भवत्येवमागमात् न भिद्यते ॥२५॥

अथ यस्य सर्वत्र=सर्वक्षेत्रेषु, दर्शनं=दुःखवाहुल्यज्ञानं, तद्वाक्याद् दुःखवाहुल्यं
ज्ञात्वा साधनम्=उक्तप्रसङ्गसाधनं, किं न भवेद्, आपाद्यव्यतिरेके निश्चयसाम्राज्याद् १, इति
चेत्, तत् साधनं भवत्येव, तु=पुनः, एवम्=उक्तप्रकारेण, आगमाद् न भिद्यते, श्रुतानुमारि-
मते: श्रुतान्तर्भूतत्वात् । अत एव भव्याभव्यादिभावानां पूर्वम् “तत्थ य अहेतवा ओ
भवियाऽभवियादओ भावा” इति गाथाप्रतीकेनाऽहेतुवादविषयत्वमुक्त्वापि “भविओ सम्म-
द्वंसण-नाण चरित्त-पडिवात्तिसम्पण्णो । णियमा दुक्खंतकडो त्ति लक्षणं हेतुवायस्स ॥” इति
गाथानन्तरमागमोपगृहीतहेतुप्रवृत्त्या हेतुवादविषयत्वमुक्तं भगवता सम्मतिकृता, इत्यव-
धेयम् ॥२५॥

आदि के अधर्मादिजनकत्व और अहिंसा आदि के धर्मादिजनकत्व मे एकमात्र आगम ही प्रमाण है ।
अतीन्द्रिय विषयो के सम्बन्ध मे आगम पहले यद्यपि प्रमाणान्तर से अनधिगत वस्तु का ही प्रतिपादन
करता है, अतः आगमप्रतिमाद्यवस्तु हेतुवाद पर निभर नहीं होती तथापि वाद मे आगम के आधार
पर प्रमाणान्तर की भी प्रदृश्ति होने से वह वस्तु हेतुवाद पर भी आश्रित हो जाती हैं, फिर भी ‘उक्त
विषय मे एकमात्र आगम ही प्रमाण हैं’ इस व्यवस्था की अनुपपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि आद्य
प्रतिपादन की अपेक्षा ही यह व्यवस्था कही गयी हैं । इसीलिये जो अन्यत्र आगम और युक्ति दोनों को
अतीन्द्रियार्थों का साधक बताया गया है उसका उक्तव्यवस्था से कोई विरोध नहीं होता और अहृष्ट मे
अपूर्वव्यक्तकी उपपत्ति भी हो जाती है क्योंकि आगमिक आद्यप्रतिपादन के पूर्व उसमे अन्य कीसी प्रमाण
की प्रवृत्ति नहीं हो सकती ॥२३॥

चौबीसवीं कारिका मे उक्त तर्क से उक्त विषय की सिद्धि मे बाधक बताकर आगम की साध-
कता का उपपादन किया गया है, वह इस प्रकार कि-उक्त तर्क के अङ्गरूप मे सुख की अपेक्षा दुःख
की बहुतता देखने की जो बात कही गयी है, वह भी ३ भरतक्षेत्र मे देखे जाने पर भी ३ महाविदेह क्षेत्र
मे उपलब्ध न होने से उक्त विषय की सिद्धि मे सहायक नहीं हो सकती ॥२४॥

१ “तत्र चाऽहेतुवादो भव्याभव्यादयो भावा:” (सम्मतिसूत्रे गाथा १४०) २ “भव्य. सम्यग्दर्शन-
ज्ञानचारित्रप्रतिपत्तिसम्पन्न । नियमात् दुःखान्तर्कृत इति लक्षणं हेतुवादस्य” ॥ (सम्मतिसूत्रे गाथा १४१)

३ भरतक्षेत्र और महाविदेहक्षेत्र के परिचय के लिये क्षेत्रसमाप्ति, बृहत् ब्रंशहणी आदि मन्थ
दृष्टव्य है ।

नन्वागमेनापि कथमयं नियमो वोधनीयः, पापादपि सुखदर्शनेन व्यभिचारनिश्चयाद् ।
इत्यत आह--

मूलम् अगुभादप्यनुष्टानात् सौख्यप्राप्तिंश्च या क्वचित् ।
फलं विपाकविरसा सा तथाविधकर्मणः ॥२६॥

अगुभादप्यनुष्टानात्-क्षुद्रदेवताविशेषोद्देशेन भूतवधाद्याचारादपि, या क्वचित् सौख्यप्राप्तिः पुत्रप्राप्त्यादिजन्या, सा विपाकविरसा=आयत्यहितानुवन्धिनी, तथाविधकर्मणः=प्राचीनपापानुवन्धिपुण्यस्य फलम् । न चैवं तत्कर्मानपेक्षा स्यात्, पापजनकव्यापारम-पेक्ष्यैव तस्योद्देश्यफलजनकत्वात्, तद्विपाकजनकतया तदपेक्षणात् । अत एव 'क्वचित्' इत्यनेन व्यभिचारसूचनात् तत्कर्मणस्तत्फलजनकत्वमपात्तम् । न चैहिकतत्त्वजोद्देशेन तत्तत्कर्म-

[दुखबहुलताहृष्टा के वाक्य से प्रसंगसाधन शब्द है]

पूर्व कारिका मे इस बात का संकेत किया गया है कि "सुख यदि पाप से उत्पन्न हो तो उसे दुख से अधिक होना चाहिये" इस प्रसङ्गापादन के लिये सुख से दुख के बहुल होने का ज्ञान अपेक्षित है, जो उक्त प्रसङ्ग के उद्घावक व्यक्ति को सुलभ नहीं है, अत उक्त प्रसङ्गापादन दुष्कर है । प्रस्तुत २५ वीं कारिका मे इस संकेत के विरुद्ध बात कही गयी है । कारिका का अथ इस प्रकार है,-

जिस व्यक्ति को सभी क्षेत्रों मे सुख की अपेक्षा दुख बाहुल्य का दर्शन प्राप्त है, उसके वचन से उक्त प्रसङ्ग के उद्घावक व्यक्ति को भी दुखबाहुल्य का ज्ञान हो सकता है, अत उक्त प्रसङ्गापादन मे कोई कठिनाई नहीं हो सकती, क्योंकि संसार मे सुख की अपेक्षा दुखबाहुल्य का ज्ञान रहने पर उक्त आपादान का पर्यवसान इस प्रकार के विपरीतानुमान मे अनायाम सम्पन्न हो सकता है कि 'सुख पापजन्य नहीं हो सकता क्योंकि संसार मे सुखकी अपेक्षा दुख अधिक है, जब कि सुख को पापजन्य मानने पर पापाधिक्य के कारण उसी को अधिक होना चाहिये' ।

(दुखबाहुल्यहृष्टा के वाक्य का आगमप्रमाण में अन्तर्भवि)

प्रसङ्गापादन के इस समर्थन के सम्बन्ध मे आगमवादी का कहना है कि यह ठीक है कि सभी क्षेत्रों मे दुख बाहुल्यद्रष्टा के वचन से दुखबाहुल्य का ज्ञान करके उसके द्वारा उक्त प्रसङ्गापादन सुकर हो सकता है किन्तु तब 'सुख पापजन्य नहीं हो सकता' इस बात का निश्चयक तर्क न हो सकेगा किन्तु आगम ही होगा, क्योंकि तर्क के लिये अपेक्षित दुखबाहुल्य का ज्ञान समस्त क्षेत्रों मे दुखबाहुल्य के द्रष्टा पुरुष के वचन से होता है जो आगम से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रुत का अनुसरण करने वाली मति का श्रुत मे ही अन्तर्भवि उचित है ।

यही कारण है कि भगवान् सम्मतिसूत्रकार ने पहले 'तत्य य अहेऽवाक्षो' इसगाथा से भव्यत्व अभव्यत्व आदि भावों को अहेतुवाद का विषय बताया और बाद मे आगमानुसोदित हेतु की प्रवृत्ति को दृष्टि मे रखकर 'भवित्वो सम्मद्वसण' इस दूसरी गाथा से उन भावों को हेतुवाद का भी विषय बताया है ॥२६॥

विधानादङ्गादिवैकल्यप्रयुक्तो व्यभिचार इति न दोष इति वाच्यं, साङ्गादपि पुत्रेष्ट्यादेः
क्वचित् पुत्राद्यनुत्पाददर्शनात् । एतेन 'प्रतिबन्धकादृष्टध्वंस एव पुत्रेष्ट्यादिफलं, प्रतिबन्धकाभाव-
सहकृतटटकारणसमाजाच्च पुत्राद्युत्पत्तिरिति न दोष' इति निरस्तम , प्रतिकूलकर्माभाववद-
चुकूलकर्मणोऽप्यवश्यमपेक्षणात् , तद्विपाकार्थमेव तत्कर्मान्यथासिद्धेः ॥२६॥

इदमेव दृष्टान्तेन दृढयति-

(अशुभानुष्ठान से सुख प्राप्ति वस्तुतः जन्मान्तरीयकर्म का फल है)

'पाप से भी सुख की उत्पत्ति देखो जाती है, अत पुण्य के अभाव से भी सुख का जन्म होने से
व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण 'पुण्य से सुख होता है' इस नियम का निश्चय आगम से भी कैसे हो
सकता है ?' २६ वीं कारिका में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

यह सहो है कि क्षुद्र देवता के प्रोत्पर्य प्राणिवध जैसे वलिप्रदान आदि अशुभ कर्मों के करने से
कभी कभी पुत्र आदि का लाभ होने से सुख की प्राप्ति होती है, किन्तु वह सुख प्राप्ति भविष्य में
अहित का जनक होती है अतः वह पूर्वकृत पापानुबन्धी पुण्य का ही फल होती है न कि क्षुद्रदेवतो-
देवश्यक प्राणिवध आदि से होने वाले पाप का फल होती है । उन कर्मों की अपेक्षा तो इसलिये होती
है कि पापानुबन्धी पुण्य पापकृत्यों के सहयोग से ही अभीष्ट फल के जनक होते हैं, अतः उक्त पुण्य के
विपाकार्थ ही उन कृत्यों की आवश्यकता होती है । इसीलिये उक्त पाप कृत्यों से क्वचित् ही सुख
प्राप्ति होने की बात कह कर उन्हें सुख का व्यभिचारी बता कर उन की सुखजनकता का निराकरण
सूचित किया गया है ।

यह कहा जा सकता है कि—“इस जन्म में होनेवाले तत्त्व फलों के लिये ही तत्त्व कर्मों का
विधान है । अतः तत्त्व कर्म तत्त्व फल के कारण तो ही है, कभी कभी यदि उन कर्मों से उन फलों
की प्राप्ति नहीं होती तो यह बात उन की अङ्गविकलता के कारण होती है । अतः अङ्गसम्पन्न कर्मों
को तत्त्व फल का कारण मानने में व्यभिचार नहीं हो सकता” किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि
सम्पूर्ण अङ्गों से सम्पन्न भी पुत्रेष्टि आदि याग से पति-पत्नी की शारीरिक अक्षमता के कारण पुत्र की
उत्पत्ति नहीं होती, अतः अङ्गसम्पन्न कर्मों को भी तत्त्व फल का कारण मानने में व्यभिचार का होना
निविदाद है ।

इस पर यह कहना कि—“पुत्रेष्टि का फल पुत्रोत्पत्ति नहीं है किन्तु पुत्रोत्पत्ति के प्रतिबन्धक अहृष्ट
का विनाश है, पुत्रोत्पत्ति तो प्रतिबन्धक का अभाव हो जाने पर पुत्र जन्म के दृष्ट कारणों से ही सम्पन्न
होती है” वह ठीक नहीं है, क्योंकि फलोत्पत्ति से प्रतिकूल कर्म के अभाव के समान अनुकूल कर्म का
होना भी आवश्यक है । अतः अनुकूल कर्म के साचिव्यसम्पादनार्थ ही अवान्तर कर्मों की अपेक्षा होने से,
अवान्तरकर्म अनुकूलकर्म के फल के प्रति अन्यथासिद्ध होते हैं । इसलिये यह निष्कर्ष सर्वात्मना
संगत है कि क्षुद्र देवता के उद्देश्य से किये जानेवाले प्राणिवध आदि कर्म की उपयोगिता पूर्वकृत पापा-
नुबन्धी पुण्य को फलोन्मुख बनाने मात्र में है, फलोदय तो उस पुण्य का ही कार्य होता है ॥२६॥

अशुभ कर्मों के अनुष्ठान से होनेवाला इष्टलाभ उन कर्मों का फल न होकर पूर्वकृत पापानुबन्धी
पुण्य का ही फल होता है, इस पूरकारिकोक्त विषय को २७ वीं कारिका में दृष्टान्तद्वारा दृढ़ किया
गया है । कारिका का अथ इस प्रकार है,-

मूलम्-ब्रह्महत्यानिदेशानुष्ठानाद् ग्रामादिलाभवत् ।
न पुनस्तत एवैतदागमादेव गम्यते ॥२७॥

ब्रह्महत्याया निदेशः=‘त्वं ब्राह्मणं व्यापादय, ततोऽहं तव ग्रामादि दास्यामि’ इति राजाज्ञा, ततोऽनुष्ठानम्=ब्रह्महत्याकरणम्, ततो ग्रामादिलाभवत्=स ग्रामादिलाभो यथा प्राचीनपापानुवन्धिपुण्यादेव, न पुनस्तत एव=ब्रह्महत्याया एव, तथा प्रकृतमपीति भावः । ननु ब्रह्महत्यायास्तत्फलबोधको न विधिः, इतरत्र तु तादृशविधिश्रवणाद् वैपम्यम्, इत्यत आह एतद्=उपपादितम्, आगमादेव गम्यते-आगम एव हि हिंसामामान्ये दुःखजनकत्वं बोधयेत् । इति भावः । अधिकमग्रे विवेचयिष्यामः । इत्थं चैतदवश्यमुपेयम्, अन्यथा श्रोत्रियेणापि म्लेच्छादिकृतकर्मविशेषात् फलविशेषपदर्शनात् किं तत्र समाधानं विधेयम् । ॥२७॥

नन्वागमोऽपि प्रतिपक्षागमवाधित एवेत्युक्तमेव, इत्यतस्तेषां निर्वलत्वेनाऽप्रतिपक्षत्व-मवसरसंगत्याऽह-

(ब्रह्महत्या ग्रामादिलाभ का कारण नहीं हो सकती)

किसी राजाने अपने किसी कर्मचारी को आज्ञा दी कि ‘तुम ब्राह्मण का बध करो, मैं इस कार्य के पुरस्कार स्वरूप तुम्हे ग्राम दूँगा’। कर्मचारी ने आज्ञा मान कर ब्राह्मण का बध किया, राजाने उसे ग्राम दिया। तो जिस प्रकार यह ग्रामलाभ पूर्वकृत पापानुवन्धीं पुण्य का हो फल है, न कि ब्रह्महत्या का फल है, उसी प्रकार अन्य अशुभ कर्मों के अनुष्ठान से होने वाला इष्टलाभ भी पूर्वकृत पापानुवन्धीं पुण्य का हो फल होता है, न कि उन अशुभ कर्मों का,—यही मानना उचित है । अगर कहें-ब्रह्महत्या करने से ग्राम लाभ होता है इस बात का तो बोधक कोई शास्त्रीयविधिवाक्य नहीं है किन्तु अमुक देवता को अमुक बलि प्रदान करने से पुत्रादि की प्राप्ति होती है इस बात का बोधक शास्त्रीय विधिवाक्य है अतः इस विषमता के कारण उक्त हृष्टान्त से प्रकृत कर्म के विषय में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता”—तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आगम ही हिंसामात्र में दुखजनकता का बोधन करता है, फिर वही हिंसाविशेष में सुखजनकत्व का बोधन कैसे कर सकता है? इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । इस प्रकार अशुभ कर्मों के अनुष्ठान से होनेवाले इष्टलाभ के विषय में जो बात कहीं गयी है, उसे स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा किसी श्रोत्रिय को म्लेच्छोच्चित कर करने से होनेवाले इष्टलाभ के सम्बन्ध में जब यह प्रश्न ऊठेगा कि ‘यह इष्टलाभ म्लेच्छोच्चित कर्म का फल है? या पूर्वकृत किसी पुण्य का?’ तो इस प्रश्न का क्या समाधान हो सकेगा? ॥२८॥

‘हिंसा आदि से पाप और दुख होता है तथा अहिंसा आदि से पुण्य और सुख होता है इस बात का प्रतिपादक आगम हिंसाविशेष से सुखादि के जन्म का प्रतिपादन करने वाले प्रतिपक्षी आगम से बाधित हैं—यह आक्षेप पहले किया गया है । अब उसके समाधान का अवसर प्राप्त है, अतः वह दोनों कारिका में प्रतिपक्ष आगमों को निर्वल बताते हुये उन्हें अभिमत आगम का अविरोधी बताया गया है।

मूलम्-प्रतिपक्षागमानां च दृष्टेष्टाभ्यां विरोधतः ।

तथाऽनासप्रणीतत्वादागमत्वं न युज्यते ॥ २८ ॥

प्रतिपक्षागमानां=जैनातिरिक्तदर्शनानां, दृष्टेष्टाभ्यां विरोधतः=अवाधितप्रत्यक्षादि-स्वाभ्युपगमविरुद्धार्थाभिधायकत्वात्, 'तथा' इति हेत्वन्तरसमुच्चये, अनासप्रणीतत्वाद्=यथार्थवाक्यार्थज्ञानशून्यवक्तुकत्वाद्, आगमत्वं=प्रमाणशब्दत्वं न युज्यते ॥२८॥

अत्रोभयहेत्वभिधानेऽपि द्वितीयहेतुग्रहेऽपि प्रथम एव हेतुः, इत्युपजीव्यत्वात् तस्यैवा-श्रयणं युक्तमित्युपदर्शयन् तदुपदर्शनमेव प्रतिजानीते-

मूलम्-दृष्टेष्टाभ्यां विरोधाच्च तेषां नासप्रणीतता ।

नियमाद् गम्यते यस्मात् तदसावेव दर्शयते ॥ २९ ॥

तेषां=विप्रतिपक्षागमानां दृष्टेष्टाभ्यां विरोधाच्च नासप्रणीतता, नासपदस्य नाकादिमध्यनिवेशाश्रयणादनासप्रणीततेत्यर्थः । 'आसप्रणीतता' इत्युच्चरं नजो योजनात् तत्र क्रियान्वये तात्पर्यादासप्रणीतत्वाभाव इति वाऽर्थः । नियमात्=व्यासिवलात्, गम्यते=अनुमीयते यस्मात्, तत्=तस्माद् हेतोः, असावेव=दृष्टेष्टाभ्यां विरोध एव, दर्शयते=शब्देन श्रोतुणां वोध्यते ॥२९॥

(जैनेतर शास्त्र अप्रामाणिक क्यों है ?)

कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

जैन दर्शन से अतिरिक्त सभी दर्शन का आगम जैनदर्शन के प्रतिपक्ष आगम हैं किन्तु उन आगमों से जैनदर्शन का विरोध करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वे दृष्ट और इष्ट से विरुद्ध होने के कारण निर्वल हैं। और जैनागम दृष्ट और इष्ट से अविरुद्ध होने के कारण प्रवल है। जैनेतर आगमों में अवाधितप्रत्यक्ष अनुमान आदि से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन होने से दृष्टविरोध और उन्हीं आगमों में एकत्र स्वीकृत अर्थका अन्यत्र विरोध होने से इष्टविरोध स्पष्ट है, जब कि जैनागमों में ऐसा कुछ नहीं है। कारिका में 'तथा' शब्द से अन्य हेतु का भी समुच्चय किया गया है, वह हेतु है 'अनाप्तप्रणीतत्व'। जैनेतर सभी आगम अनाप्त=वाक्यार्थ के यथार्थज्ञान से शून्य पुरुष' द्वारा रचित है, अतः उन्हें आगम यानी प्रमाणभूतशब्द मानना उचित नहीं है ॥२९॥

[जैनेतर शास्त्र दृष्टेष्टविरुद्ध है]

पूर्व कारिका में जैनागम से भिन्न आगमों के प्रमाण न होने में दो हेतु बताये गये हैं-एक दृष्टविरोध तथा इष्टविरोध और दूसरा अनाप्तप्रणीतत्व-अनाप्तपुरुष से रचित न होना। किन्तु ये दोनों समान नहीं हैं, इन से पहला हेतु जैनातिरिक्त आगमों के अप्रमाणत्व का हेतु होने के साथ ही दूसरे हेतु का भी हेतु होता है, अतः उपजीव्य होने के कारण प्रथम हेतु का ही आश्रय लेना उचित है।

२६ वर्षों कारिका में इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुये प्रथम हेतु के ही प्रतिपादन की प्रतिज्ञा को गयी है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है,-

विप्रतिपन्न आगम-वे आगम जिन के प्रामाण्य में जैनों की विमति है, आप्तपुरुष से रचित नहीं है, क्योंकि उनमें हृष्टविरोध तथा इष्टविरोध है, और यह नियम है कि जिस में हृष्टविरोध एवं इष्टविरोध होता है वह आप्तपुरुष से रचित नहीं होता। उन आगमों में हृष्टविरोध और इष्टविरोध किस प्रकार है, यह बात ही अब बतानी है।

(प्रासङ्गिक 'नाप्त'पदसाधुता विचार)

प्रस्तुत कारिका में लेनेतर आगमों को 'नाप्तप्रणीत' कहा गया है। व्याख्याकारने उस के दो अर्थ बताये हैं, एक है (i) 'नाप्त' अनाप्त से रचित होना, और दूसरा है न आप्त- (ii) आप्त से रचित न होना। इन में पहला अर्थ 'नाप्त' पद को नज् और आप्त पद के समास से निष्पन्न मानने पर फलित होता है, किन्तु ऐसा मानने पर यद्यपि 'नाप्त' शब्द की निष्पत्ति संकटग्रस्त मालुम पड़ती है, क्योंकि 'नज्' शब्द समासघटक होने पर 'न लोपो नज्' इस पाणिनीय सूत्र ६-३-७३ से 'नु' का लोप और 'तस्मान्तु-डचि' पा० सूत्र ६-३-७४ से 'अ और आप्त' के बीच नुट् (न्) का आगम होने से-और सिद्धहंस सूत्र 'अन् स्वरे' ३। २। १९९ से सीधा ही नज् का अन् आदेश होकर 'अनाप्त' शब्द ही 'अनादि' 'अनन्त' 'अनगार' आदि शब्दों के समान सिद्ध हो सकता है, 'नाप्त' शब्द नहीं, तथापि पाणिनीयमत से 'नाकादि गणपाठ में 'नाप्त' शब्द का प्रवेश मान लेने से कोई सकट नहीं रहता-चूंकि जहाँ उक्त सूत्रद्वय लागू नहीं होते हैं वैसे सुरुढप्रयोग निपातन से सिद्ध होते हैं। उनप्रयोगोंको 'अकृतस्य विधि' 'प्राप्ते वाघनम्' 'अधिकार्यविवक्षा' इन तीन निमित्त पाकर वैयाकरणलोग निपातनरूप से घोषित करते हैं एवं इसके लिए आकृतिसज्जक गणपाठ देते हैं।

सिद्धहंस व्याकरण में तो 'नखादय.' (२-२-१८८) सूत्र ही दिया गया है। यहाँ नख आदि शब्द से बहुवचन आकृतिगण का सूचक है। आकृतिगणसूचक सूत्र में जहाँ 'आदि' शब्द एकवचनान्त होता है, वहाँ सीमित अर्थात् उस गणपाठ में जितने उल्लिखित हैं उतने ही शब्द लिये जाते हैं, और जहाँ बहुवचनान्त 'आदिशब्द होता है, जैसे कि 'नखादय.' वहाँ वैसा सख्याका नियम नहीं है। इसलिये 'न खम् अस्य इति नख.' 'न भ्राजते न भ्राद्', 'न अस्य कुलम् अस्ति इति नकुल', 'नासत्यम्' 'नपु सकम्' इत्यादिवत् 'अनाप्त' अर्थ में 'नाप्त' शब्द प्रयोग भी साधु है। तात्पर्य, पाणिनीयव्याकरणानुसार नाकादिगणपाठ से व सिद्धहंसव्याकरणानुसार नखादिवाकृतिगण सनिवेश से 'नाप्त' प्रयोग साधु मिल्दे होता है।

अथवा अलवत्ता नज् से समास न कर के, निषेधार्थक 'न' अध्यय के साथ ही समास कर देने से 'नैकधा' 'नैकत्र' 'नके' प्रयोगों के समान 'नाप्त' शब्दप्रयोग सिद्ध हो सकता है तथापि व्याख्याकार ने नज् के साथ समास करने हेतु नाकादि गण को ही गतिविधि प्रस्तुत कर 'नाप्त' शब्द की साधुता का समर्थन यह कहते हुए किया है कि जिस प्रकार 'न अकं यस्मिन् न नाक.' इस अर्थ में 'न' और 'अकं' का समास होकर 'नाक' शब्द बनता है, उसी प्रकार 'न' और 'आप्त' शब्द के समास से 'नाप्त' शब्द भी बन सकता है।

दूसरा अर्थ 'नाप्तप्रणीतता' शब्द को 'आप्त प्रणीतता न' इस रूप में योजित करने से और नज् पदाथ अभाव में प्रणयन किया का अन्वय करने से 'आप्तप्रणीतता का अभाव' ऐसा भी लब्ध

तत्रादौ मण्डलतन्त्रादिवादिभते तं प्रदर्शयति—

मूलभूत-अगम्यगमनादीनां धर्मसाधनता कवचित् ।

उक्ता लोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेण विरुद्ध्यते ॥३०॥

अगम्यगमनादीनां=लोकशास्त्रनिपिद्धभगिन्यादिगमनमांसभक्षणप्रभृतीनाम्, कवचित्
=मण्डलतन्त्रादिग्रन्थे धर्मसाधनता उक्ता । सा लोकप्रसिद्धेन=आविद्वद्भूगनादिसिद्धेन
'भगिन्यादिगमनादिकं न धर्मजनकम्' इत्याकारेण श्रुतनिश्चितादिमतिज्ञानरूपेण प्रत्यक्षेण
[विरुद्ध्यते=]वाध्यते । न चोक्तागमस्यैव किं नैतद्वाधकत्वमिति वाच्यम्, वहुसिद्धत्वेनास्यैव
धलवत्त्वात् । न च 'शतमप्यन्धानां न पश्यति' इति न्यायाद् वहुसिद्धत्वमप्रयोजकम्, उपजीव्य-
जातीयत्वात्, अनुकूलतर्कसहकृतत्वाच्चेत्यवसेयम् । उक्तो लोकदृष्टविरोधः ।

हो सकता है । अत इस अर्थ में 'आप्त' शब्द या 'आप्तप्रणीत' शब्द के साथ नजा 'शब्द का समास मानने की आवश्यकता न होने से 'नाप्त' या 'नाप्तप्रणीतता' शब्द के साधुत्व को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं ऊँठ सकता, क्योंकि कारिका मे उक्त प्रकार के शब्द का सम्बिवेश ही न मान कर 'न' पद को असमस्त एव 'आप्तप्रणीतता' पद के उत्तर योजनाहृ मान सकते हैं ।

(अगम्यगमन से धर्मोत्पत्ति में प्रत्यक्ष बाध)

जैनेतर सभी आगमों से हृष्टविरोध बताना है । ३० वी कारिका द्वारा सर्वप्रथम मण्डलतन्त्र आदि वादियों के मत मे हृष्टविरोध प्रदर्शित किया गया है । कारिका का अर्थे इस प्रकार है-

लोक और शास्त्र दोनों से भगिनी आदि को अगम्य-'सम्पर्क के अयोग्य' मान कर उनके सम्पर्क का निषेध किया गया है । मांसभक्षण जसे कार्ये भी लोक-शास्त्र दोनों से ही वर्ज्य माने गये हैं, किन्तु मण्डलतन्त्र आदि प्रन्थों से उन निन्द्य कर्मों को भी धर्म का साधन बताया गया है । किन्तु उन कर्मों को धर्म का साधन मानना ठीक नहीं है, क्योंकि विद्वान् पुरुष से लेकर अशिक्षित नारी तक क लोगों को धर्मनिश्चित आदि मतिज्ञान के रूप मे यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि भगिनीगमन जैसे गर्हित कर्मे धर्म के साधन नहीं होते । अतः मण्डलतन्त्र जैसे ग्रन्थ के बल पर लोकशास्त्र-गर्हित कर्मों से प्रत्यक्षबाधित धर्मसाधनता को स्वीकार करना उचित नहीं है ।

(मण्डलतन्त्रीय आगम निर्बल क्यों है ?)

यदि यह शंका की जाय कि—"मण्डलतन्त्र आगम को ही उक्त प्रत्यक्ष का बाधक क्यों न माना जाय" तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त प्रत्यक्ष बहुजनमान्य होन के कारण उक्त आगम से बलवान है । इस पर यह शंका करना कि—"बहुजनमान्यता से किसी को बलवान् नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि सेकड़ों अन्धों का बचन एक चक्षुषमान् के बचन से दुर्बल माना जाता है । अतः जो बहुजनमान्य होता है वह बलवान होता है—इस नियम से कोई प्रयोजक नहीं है"—ठीक नहीं है, क्योंकि 'मण्डलतन्त्र आगम से उक्त प्रत्यक्ष बलवान है' यह बात केवल बहुजनमान्यता पर ही आधारित नहीं है, अपितु उपजीव्यजातीयता पर भी आधारित है । कहने का आशय यह है कि आगम बाहुल्येन प्रत्यक्ष

अथेष्टविरोधमाह-

मूलम्-स्वधर्मोत्कर्षदेव तथा मुक्तिरपीष्यते ।

हेत्वभावेन तद्भावो नित्य इष्टेन वाध्यते ॥३१॥

तथा तैर्वादिभिः स्वधर्मोत्कर्षदेव=स्वाभिमताऽगम्यगमनादिधर्मप्रकर्षदेव, मुक्तिरपी-
ष्यते, तथा च हेत्वभावेन=सर्वाऽगम्यगमनादीनां दुःशक्तया तदुत्कर्षरूपचरमहेत्व-
सम्भवेन, तद्भावः=मुक्तत्युत्पादः, नित्यः=हेतुनिरपेक्षः स्यात्, नजप्रश्लेषण अनित्यः=
अभवनशीलः स्यादिति वा, स च इष्टेन=उक्तरीत्या सहेतुकत्वाभ्युपगमेन, वाध्यते ।

‘तद्भावः=मुक्तिसद्भावः, अनित्यः स्यात्, हेत्वभावेन मुक्तानां मुक्तताक्षतेः, तथा
चेष्टवाधः’ इति ग्रन्थकृदाशयस्तु हिंसाध्यवमायविशेषरूपहिंसोत्कर्षेण प्राचकर्मक्षयसम्भवेऽप्यग्रे
तदभावेन क्षणिकत्वद्वाराऽभावसम्भवादुपपाद्यः ॥३१॥

गृहीत अर्थ का प्रतिपादक तथा प्रत्यक्षगृहीत होकर ही अर्थ का प्रत्यायक होने से प्रत्यक्ष का उपजीवक है, और प्रत्यक्ष उस का उपजीव्य है, उपजीव्य उपजीवक से सदैव बलवान् होता है। अतः उक्त प्रत्यक्ष उपजीव्य का सजातीय होने के कारण उक्त आगम से निस्सन्देह बलवान् है।

इस के अतिरिक्त जो ‘बहुजनमान्य होता है वह अल्पजनमान्य से बलवान् होता है’ इस नियम के अनुकूल तर्क भी है, वह यह कि यदि बहुजनमान्य को बलवान् न माना जायगा तो अपने अभिमत की पुष्टि से बहुजनसम्मति वताने को लोकप्रवृत्ति का व्याधात होगा। यत ऐसी लोकप्रवृत्ति है अतः बहुजनसम्मति को बलवान् मानना निविवाद है।

इस प्रकार मण्डलतन्त्र आगम में लोकहृष्ट का विरोध स्पष्ट है ॥३०॥

[हेतु के असम्भव से मुक्ति इष्ट का बाध]

३१ चौं कारिका द्वारा उक्त आगम में इष्टविरोध वताया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है-
मण्डलतन्त्रवादी अगम्यगमन एवं प्राणिहिंसा आदि को ही धर्म मानते हैं और उन धर्मों के उत्कर्ष
को ही मुक्ति का हेतु मानते हैं। जो इष्टविरोध होने से उचित नहीं है। इष्टविरोध इसप्रकार है कि-
इष्ट है मुक्ति का हेतुओं से सम्पन्न होना और वह मण्डलतन्त्र के मत से अनुपपन्न है, क्यों कि उस मत से
अगम्यगमन-प्राणिहिंसा आदि का उत्कर्ष ही मुक्ति का हेतु है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण
अगम्यों का गमन एव समस्त प्राणियों की हिंसा सम्भव न होने से दुर्घट है। फलत हेतु के अभाव में
मुक्ति का सद्भाव नित्य हो जायगा अर्थात् मुक्ति सब को सर्वदा स्वतः सुलभ हो जायगी, अथवा
कारिका में ‘तद्भावो नित्य’ इस वाक्य में ‘नित्य’ के पूर्व अकार का प्रश्लेष कर कारिकाकार का इस
कथन में तात्पर्य माना जा सकता है कि हेतु के अभाव में मुक्ति अनित्य अर्थात् हेतु के विना उत्पन्न
न हो सकने से सर्वथा अस्तित्वशून्य हो जायगी। इस प्रकार मुक्ति के विषय से मण्डलतन्त्र की उक्त
मान्यता में इष्टविरोध स्पष्ट है।

पराभिप्रायमाह—

मूलम्-माध्यस्थ्यमेव तज्जेतुरगम्यगमनादिना ।

साध्यते तत्परं येन तेन दोषो न कथन ॥ ३२ ॥

माध्यस्थ्यमेव=अरक्तद्विष्टव्यमेव, तज्जेतुः=मुक्तिहेतुः । तत्परं=प्रकृष्टम्, व्लेश-धासनयाऽक्षोभ्यमिति यावत्, येन = कारणेन, अगम्यगमनादिना, साध्यते, गम्यगमनादिपु तुल्यतया प्रवृत्तेः, तेन कारणेन कथन न दोषः । माध्यस्थ्योत्कर्पेण मुक्तेः, तत्साधनतया चागम्यगमनाद्युपयोगस्य समर्थनादिति भावः ॥३२॥

अत्रोत्तरमाह—

मूलम्-एतदप्युक्तिमात्रं यदगम्यगमनादिष्ठु ।

तथा प्रवृत्तितो युक्त्या माध्यस्थ्यं नोपपद्यते ॥३३॥

ग्रन्थकारने स्वनिर्मित व्याख्या मे प्रस्तुत कारिका के उत्तराधं का यह आशय बताया है कि 'हेतु का अमाद होने से मुक्त पुरुषो की मुक्तता की हानि होने के कारण मुक्ति का सङ्क्राव अनित्य हो जायगा अर्थात् मुक्ति की उत्पन्नता का व्याघात होगा' ।

प्रकृत व्याख्याकार ने इस आशय की उपपत्ति इस प्रकार की है कि कृत्स्न कर्मों का क्षय ही मुक्ति है जो मण्डलतन्त्र के मत से सम्भव नहीं हैं, क्योंकि हिसा के विशेष अन्तिम अध्यवसाय से पूर्व-कर्मों का क्षय हो जाने पर भी उस अन्तिम अध्यवसाय से होने वाले कर्म का क्षय न हो सकेगा, क्योंकि उसके अनन्तर हिसा का कोई अन्य अध्यवसाय सम्भव नहीं रहता जिस से उस का नाश उत्पन्न हो सके, और उस कर्म को क्षणिक मानने का अन्य कोई आघार भी नहीं है, फलतः उक्त मत से कृत्स्न कर्मों का क्षय न हो सकने से मुक्ति की अनित्यता का प्रसङ्ग अर्थात् उस की उत्पन्नता का व्याघात निविवाद है ॥३१॥

(अगम्य-गमनादि से मध्यस्थभावप्रासिद्धारा मोक्ष-पूर्वपक्ष)

इन्हीं कारिका मे मुक्ति के लिये अगम्यगमन आदि को आवश्यक मानने मे मण्डलतन्त्र का क्या अभिप्राय है, इसे स्पष्ट किया गया हैं । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

माध्यस्थ्य ही मुक्ति का कारण हैं, माध्यस्थ्य का अर्थ है रागद्वेष से रहित होना । राग द्वेष-स्वरूप व्लेश की वासना से क्षोभ न हो वैसा उस का प्रकर्ष होने पर ही मुक्ति का उदय होता है और वह प्रकर्ष प्राप्त होता है समान भाव से अर्थात् गम्य स्त्रियो के समान अगम्य स्त्रियो का गमन करने से । आशय यह है कि किसी स्त्री को गम्य और किसी को अगम्य मानने पर गम्य के प्रति राग और अगम्य के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, अतः गम्य अगम्य का भेद न कर समान भाव से सभी स्त्रियो से सम्पर्क करना चाहिये, ऐसा करने से सब के प्रति सममाव होने से रागद्वेष का अभाव होता है और यही रागद्वेष का अभाव जब प्रकृष्ट अवस्था मे पहुचता है तब मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति की प्राप्ति मे अगम्यगमन आदि के उपयोग का समर्थन इस प्रकार मुक्तिहेतुभूत माध्यस्थ्य को सिद्ध करने मे करते हैं इसलिए उद्देशमे कोई दोष नहीं है ॥३२॥

शुद्धवासनया चेयं मलिनवासना क्षीयते । तथा हि सुखिषु मैत्रीं भावयतः तदीयं सुखं मदीयमेवेति कृत्वा 'सर्वं सुखजातीयं मे भूयाद्' इति चिन्तात्मिका रागवासना निवर्तते । दुःखिषु करुणां भावयतश्च वैर्यादिनिवृत्त्या द्वैपवासना निवर्तते । पुण्यवत्सु मुदिताभावनात् पुण्याऽकरणानुशयनिवृत्तेस्तद्वासना निवर्तते । तथा पापेषुपेक्षां भावयतस्तत्करणनिमित्तका-नुशयनिवृत्तेस्तद्वासना निवर्तत इति । ततोऽशुक्लाऽकृष्णपुण्यप्रवृत्तिचित्तप्रसादाभ्यां परं माध्य-स्थ्यम् । इति पातञ्जलानां प्रक्रिया ॥३५॥

[वासना का स्वरूप और भेद]

योगवासिष्ठ में वासना के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि-दृढ़ भावना के कारण पूर्वापर विचारदशा को त्याग कर वस्तु को ग्रहण करने का नाम है वासना' । उस के दो भेद हैं मलिन और शुद्ध । शुद्धवासना से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्त्वज्ञान का साधन होने की दृष्टि से वह वासना एक ही रूप की है फिर्तु योगशास्त्र के प्रबल संस्कार से उसे मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा शब्दों से विभाजित किया गया है ।

मलिन वासना के तीन भेद हैं-लोकवासना शास्त्रवासना और देहवासना । 'मे ऐसा आचरण करुंगा जिस से लोक मे कोई भी व्यक्ति मेरी निन्दा न कर सके' इस प्रकार अशक्यकार्य करने का आग्रह ही लोकवासना है । विषय 'लोकरस्त्रुन' अशक्य और पुरुषार्थ सिद्धि के लिये अनुपयुक्त होने से इसे मलिन माना जाता है । शास्त्रवासना के तीन भेद हैं-पाठ्यसन निरन्तर पढ़ते रहने का व्यसन, वहृशास्त्रव्यसन=अनेक शास्त्रों को ही जानने का व्यसन, एव अनुष्ठानव्यसन=शास्त्रोक्त कर्मों को ही करते रहने का व्यसन । क्लेशप्रद होने से, पुरुषार्थ की सिद्धि मे उपयुक्त न होने से तथा अहंकार का कारण होने से शास्त्रवासना को मलिन वासना कहा जाता है । देहवासना के भी तीन भेद हैं-आत्मत्वभ्रान्ति=देह आदि जड़ पदार्थों से आत्मवृद्धि गुणाधानभ्रान्ति=कर्मों से देह से रूपादि नवीन गुण का उदय होने की धारणा, तथा दोषापनयनभ्रान्ति=कर्मों से देह को अशोचादि दोष दूर होने की दृष्टि ।

गुणाधान दो प्रकार का होता है-लौकिक और शास्त्रीय । देहको शब्द आदि विषयों के सम्यक् सम्पादन को लौकिक गुणाधान कहा जाता है । देहको गडगासनान आदि के सम्पादनको शास्त्रीय गुणाधान कहा जाता है । दोषापनयन भी लौकिक-शास्त्रीय भेद से दो प्रकार का होता है । औषध द्वारा देहके व्याधि आदि को दूर करना लौकिक दोषापनयन है और शास्त्रानुसार स्नान आदि से अशोच आदि को दूर करना शास्त्रीय दोषापनयन है । अप्रामाणिक, अशक्य व पुरुषार्थ के लिये अनुपयुक्त तथा पुनर्जन्म का हेतु होने से देह वासना को मलिन कहा जाता है ।

शुद्ध वासना से मलिन वासना का विनाश होता है । जैसे सुखी मनुष्यों में मत्री-मित्रता की भावना करने से पराये सुख को भी मनुष्य 'उसका सुख मेरा ही सुख है' इसप्रकार अपना ही सुख समझने लगता है । अतः अपने सुख की आकाङ्क्षा समाप्त हो जान से 'मुझे सभी सुख प्राप्त हो' इस प्रकार की रागवासना की निवृत्ति हो जाती है । इसी प्रकार दुखीमनुष्यों मे कहणा-कृपा की भावना से

पराभिप्रायमाह-

मूलम्-यावदेवंविधं नैतत् प्रवृत्तिस्तावदेव या ।

साऽविशेषेण साध्वीति तस्योत्कर्षप्रसाधनात् ॥३५॥

नाप्रवृत्तेरियं हेतुः कुतश्चिदनिवर्तनात् ।

सर्वत्र भावाविच्छेदादन्यथाऽगम्यसंस्थितिः ॥३६॥

यावदेवंविधं=सर्वत्राऽप्रवृत्तिरूपम्, एतत्=माध्यस्थ्यं न भवति, तावदेव या प्रवृत्तिः, **साऽविशेषेण गम्यागम्यादितुल्यतयैव**, साध्वी=न्याय्या, तस्य=माध्यस्थ्यस्य, 'उत्कर्षप्रसाधनात्' इति हेतोः गम्यगमनादौ प्रवृत्तिन्यायियेति निर्गर्वः ॥३५॥

अत्रोत्तरमाह-'इयम्=अविशेषेण प्रवृत्तिः, अप्रवृत्ते: हेतुर्न, कुतः ? इत्याह-सर्वत्र विषये, भावाऽविच्छेदाद्=इच्छानिवृत्यभावात्, अन्यथा=क्वचिदिच्छानिवृत्यङ्गीकारे, अगम्यसंस्थितिः=अगम्यव्यवस्था, यदितरस्मिन् प्रवृत्तिस्तस्यैवागम्यत्वादिति भावः ॥३६॥

वैर आदि को निवृत्ति होने से द्वेष वासना का उन्मूलन हो जाता है। पुण्यशील मनुष्यों के प्रति मुदिता-हर्ष की भावना से 'पुण्य न करने के पश्चात्ताप' की निवृत्ति होने में पुण्यवासना का अवसान हो जाता है और पापी मनुष्यों में उपेक्षा-तटस्थता की भावना से पापानुष्ठानमूलक पश्चात्तापकी निवृत्ति से पापवासना का अन्त हो जाता है। फलत अशुक्लाकृष्ण-पूर्णसात्त्विक पुण्य कर्मों में प्रवृत्ति और चित्त में प्रसन्नता के उदय से उत्कृष्ट माध्यस्थ्य की प्राप्ति होती हैं। योगज्ञास्त्र स्तूप वर्तजलि ने माध्यस्थ्यसिद्धि की यही प्रक्रिया बतायी हैं।

[माध्यस्थ्य उदय के पूर्व गम्यागम्य में तुल्यभाव साधु है ?]

पैतीसर्वों कारिका मे मण्डलनन्त्रवादी का अभिप्राय बताया गया है जो इस प्रकार है-समग्र विषयों मे अप्रवृत्तिरूप माध्यस्थ्य जब तक नहीं सम्पन्न होता तब तक गम्य अगम्य सभी स्त्रियों में विना किसी भेदभाव के प्रवृत्त होना ही न्यायोचित है, क्योंकि उसी से माध्यस्थ्य का उत्कर्ष साधित हो सकता है। आशय यह है कि मनुष्य की इच्छा प्राप्ति मे न हो कर अप्राप्ति मे ही होती हैं, अतः गम्य स्त्रियों के सम्पर्क से उन स्त्रियों की इच्छा तो न होगी, पर अगम्य स्त्रियों की इच्छा बनी रहेगी वह इच्छा भी न हो एतदर्थं उनके साथ सम्पर्क करना भी आवश्यक है, क्योंकि तभी समस्त स्त्रियों मे रागराहित्यरूप उत्कृष्टमाध्यस्थ्य की सिद्धि हो सकती है।

[प्रवृत्ति से इच्छा अखंडित रहने से अप्रवृत्ति-माध्यस्थ्य का अनुदय]

छत्तीसर्वों कारिका मे उक्त अभिप्राय को अयुक्तता बतायी गयो है। जो इस प्रकार है-सम्पूर्ण विषयों मे अप्रवृत्ति ही माध्यस्थ्य है, जो गम्य अगम्य सभी स्त्रियों मे प्रवृत्त होने से सम्भव नहीं है क्योंकि सर्वत्र प्रवृत्त होते रहने से किसी से भी निवृत्ति नहीं हो सकती, जब तक मनुष्य सर्वत्र प्रवृत्त होता रहेगा तब तक सभी विषयों मे उस की इच्छा बनी रहेगी, और इच्छा रहते हुये प्रवृत्ति का

एतदपि=अनन्तरोदितमपि. उक्तिमात्रम्=युक्तिशून्यम्, यत्=यस्मात्कारणात् अगम्यगमनादिषु तथा प्रवृत्तिः=गम्यगमनादितुल्यप्रवृत्तेः, युक्त्या विचार्यमाणं माध्यस्थ्यं नोपपद्यते ॥३३॥

कुतस्त्वाहुं पपद्यते ? इत्याह—

मूलम्—अप्रवृत्त्यैव सर्वब्रह्मासामर्थ्यभावतः ।

विशुद्धभावनाभ्यासात् तन्माध्यस्थ्यं परं यतः ॥३४॥

सर्वब्रह्म=गम्यगमनादौ, यथासामर्थ्यभावतः=स्वपरिहारसामर्थ्यमनतिक्रम्य, अप्रवृत्त्यैव=तन्मिवन्धनविषयद्वेषात् तदनिच्छया निर्ममत्वमासाद्य विशुद्धानां मैत्र्याद्युपद्वं हितानां भावनानामनित्यत्वाद्यनुप्रेक्षाणामभ्यासाद् दृढमानसोत्साहात् परमनिर्ममत्वप्राप्तेः, विषयद्वेषस्याऽपि वहनेर्दर्हाण् विनाश्यानुविनाशवद् विषयेच्छाण् विनाश्य तत्कालं विनाशात्, तत्=प्रागुक्तम्, परम्=उत्कृष्टं, माध्यस्थ्यं भवति—यतः अतोऽन्यथा नोपपद्यते इति भावः । तदिदमुक्तं वशिष्ठेनापि—

मानसीवासनाः पूर्वं त्यक्त्वा विषयवासनाः मैत्र्यादिवासना राम ! गृहणामलवासनाः ॥

(अगम्यगमनादि से माध्यस्थ की अनुपपत्ति—उत्तरपक्ष)

३३वीं कारिका से पूर्वकारिका मे उक्त मत का उत्तर दिया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

पूर्व कारिका मे कहा गया है कि मुक्तिका हेतु है माध्यस्थ्य, और उस की सिद्धि के लिये आवश्यक है अगम्यगमन आदि कार्यों का अभ्यास । किन्तु यह कथन कोरा कथनमात्र है, इस में कोई युक्ति नहीं है । कथोकि युक्तिपूर्वक विचार करने पर यह बात अत्यन्त स्फुट हो जाती है कि ‘जिस मनोभाव से मनुष्य गम्य स्त्रियों का गमन करता है उसी भाव से अगम्यस्त्रियों का भी गमन करने से सम्पूर्ण स्त्रियों के विषयमे उस मे माध्यस्थ्य आ जाता है, किसी के प्रति उस के मन मे राग या द्वेष नहीं उत्पन्न होता’ यह कल्पना निस्सार है ॥३३॥

(अप्रवृत्ति-विशुद्धभावना के अभ्यास से माध्यस्थ्य)

पूर्व कारिका द्वारा माध्यस्थ्य की सिद्धि के मण्डलतन्त्रोक्त साधनों का खण्डन कर देने पर प्रश्न उठता है कि तो फिर माध्यस्थ्यसिद्धि का अन्य उपाय क्या है ? ३४ वीं कारिका मे उसी उपाय का ही प्रतिपादन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

अपने सामर्थ्य के अनुसार ससार के सभी विषयों मे प्रवृत्ति का परिहार करने से ही माध्यस्थ्य की सिद्धि और विशुद्ध भावना के अभ्यास से उस के उत्कर्ष की प्राप्ति होती है । इन से अतिरिक्त माध्यस्थ्य की सिद्धि और प्रकर्ष की प्राप्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है ।

आशय यह है कि सांसारिक विषयों मे प्रवृत्त होना मनुष्य का स्वभाव है, अतः उन मे प्रवृत्त होते रहने से वह विषयों के सम्बन्ध मे मध्यस्थ्य यानी रागद्वेष से मुक्त नहीं हो सकता, उस के लिये

तत्र वासनालक्षणमिदम्-

“दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् । यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिंता ॥”

सा च द्विविधा मलिना शुद्धा च, तत्र शुद्धा योगशास्त्रसंस्कारप्रावल्यात् तत्त्वज्ञान-साधनत्वेनैकरूपापि मैत्र्यादिशब्दैविभक्ता । मलिना तु त्रिविधा लोकवासना, शास्त्रवासना देहवासना चेति । ‘सर्वे जना यथा न निन्दन्ति तथैवाचरिष्यामि’ इत्यशक्यार्थाभिनिवेशो लोकवासना, अस्याश्वाशक्याऽर्थत्वपुमर्थानुपयोगित्वाभ्यां मलिनत्वम् । शास्त्रवासना त्रिविधा पाठ्व्यसनम्, वहुशास्त्रव्यवसनम्, अनुष्ठानव्यवसनं चेति, मलिनत्वं चास्याः क्लेशावहत्व-पुमर्थानुपयोगित्वदर्पहेतुत्वैः । देहवासना च त्रिविधा आत्मत्वब्रान्तिः, गुणाधानब्रान्तिः दोपापनयनब्रान्तिश्च । गुणाधानं द्विविधं-लौकिकं शास्त्रीयं च । आद्यं सम्यक् शब्दादिविषय-सम्पादनम्, अन्त्यं गङ्गास्नानादिसम्पादनम्, दोपापनयनमप्येवं द्विविधम् । आद्यमौषधेन व्याध्याद्यपनयनम्, अन्त्यं स्नानादिनाऽशौचाद्यपनयनम् । एतन्मालिन्यं चाऽप्रामाणिकत्वाद्, अशक्यत्वात्, पुमर्थानुपयोगित्वात् पुनर्जन्महेतुत्वाच्च ।

आवश्यक है कि मनुष्य विषयों में प्रवृत्त न होने के लिये प्रयत्नशील रहें । विषयों से दूर रहने का प्रयत्न करते रहने से धीरे धीरे उनके प्रति मनुष्य के मन में द्वेष हो जायगा और द्वेष हो जाने पर उन में उस का आकर्षण होना बन्द हो जायगा, आकर्षित हो कर उन्हें पाने की उस की हच्छा सदा के लिये समाप्त हो जायगी । इससे विषयों में मनुष्य का ममत्व न रह जायगा । फलतः संसार के सभी संयोग अनित्य हैं, संसार में जीव अशरण-हैं इस प्रकारकी अनित्यता-अशरणादिकी निर्भल भावना-अनुप्रेक्षा का हृदय से अभ्यास कर सकें । वह अभ्यास भी मैत्री करुणादि चार भावों से समर्थित बना रखें । इस प्रकार मैत्र्यादि भावों से पोषित अनित्यतादिकी अनुप्रेक्षा के अभ्यास से विषयों से विमुख रहने के लिये मनुष्य के मन में दृढ उत्साह होगा, जिस से विषयों के प्रति अत्यन्त उत्कृष्टकोटि-की विरक्ति-निर्ममता का उदय होगा जिससे राय का आत्यन्तिक अभाव हो जायगा । विषयों में विरक्ति के इस उपपादन से यह प्रश्न उठ सकता है कि इस विषयविरक्ति का मूल तो है विषयद्वेष, जो विषयों से दूर रहने के प्रयत्न से उदित होता है, फिर उस द्वेष के रहते रागद्वेषराहित्यरूप माध्यस्थ्य की सिद्धि कैसे हो सकती हैं? व्याख्याकारने इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है कि जैसे आग दाह्य तृण आदि इन्धन को जलाकर स्वयं भी बुझ जाती है उसी प्रकार विषयद्वेष विषयेच्छा को नष्टकर तत्काल ही स्वयं नष्ट हो जाता हैं, अतः विषयों में प्रवृत्त न होने का प्रयत्न करने से विषयों के प्रति रागद्वेषराहित्यरूप माध्यस्थ्य की सिद्धि और ममतामुक्त विषयों में अनित्यता दर्शन आदि की विशुद्धमावना के अभ्यास से माध्यस्थ्य के प्रकर्ष की प्राप्ति होने में कोई वाधा नहीं हो सकती ।

व्याख्याकार ने उक्त तथ्य की पुष्टि में योगवासिष्ठ पन्थ से वशिष्ठऋषि का एक वचन उद्धृत किया है जिस में राम को मनोगत प्राक्तन विषय वासनाओं को त्याग कर मैत्री आदि निर्भल वासनाओं को अपनाने का उपदेश दिया गया है ।

एतदुपचयार्थमेवाह-

मूलम्-तच्चास्तु लोकशास्त्रोक्तं तत्रौदासीन्ययोगतः ।

संभाव्यते परं ह्येतद् भावशुद्धेऽर्थहात्मनः ॥३७॥

तच्च=अगम्यं, लोकशास्त्रोक्तं भगिन्याद्येव अस्तु, यादृच्छकल्पनाया अप्राभाणिकत्वात् । तत्र=अगम्ये, ओदासीन्ययोगतः=अरक्ताद्विषभावेन प्रवृत्तेः, महात्मनः दृढप्रतिज्ञस्य, भावशुद्धेः=एकान्तविहितानुष्टानसम्पत्तेः, हि=निश्चितम्, परमेतद्=माध्यस्थ्यं, संभाव्यते, देशविरतिपरिणामेनानिकाचितस्य चारित्रमोहनीयस्याच्चिरादेव क्षयसम्भवात् ।

स्यादेतद्, इच्छानिरोधात् न तन्निवृत्तिः, किन्तु यथेच्छं प्रवृत्त्या सिद्धत्वज्ञानादेव, तंतो योगार्थं यथेच्छं प्रवृत्तिरेवोचिता, का तत्र गम्याऽगम्यव्यवस्था ? मैवम्, यावत्सुख-सिद्धत्वधियं विना विशेषपदशिंशः सामान्येच्छाया अविच्छेदात्, विशिष्य सिद्धत्वधियस्तु विशेषेच्छाया अनिवर्तकत्वात्, अन्यथा ग्रोपितस्याज्ञातकान्तामरणस्य तत्कान्तावलोकनेच्छाऽभावप्रसङ्गाद् असिद्धविषये इच्छाया अनिरोधाच्च । तस्मात् सामान्येच्छाविच्छेदः सिद्धत्व-

परिहार हो नहीं सकता । और यदि किसी मे इच्छा को निवृत्ति मान कर प्रवृत्ति का अभाव माना जायगा तो इस प्रकार की वस्तु यदि स्त्री होगी तो वही अगम्य हो जायगी, फिर गम्य-अगम्य मे भेद न कर सभी स्त्रियों मे प्रवृत्ति कैसे सम्भव हो सकेगी ? ॥३६॥

(लोक-शास्त्र कथित अगस्यादि में महात्मा का श्रौदासीन्य)

उमेर कारिका द्वारा पूर्व कारिका में कथित अर्थ का समर्थन किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

लोक और शास्त्र के अनुसार मगिनी आदि ही अगम्य हैं, क्योंकि गम्य अगम्य की मनमानी-कल्पना प्रमाणहीन होने से मान्य नहीं हो सकती। अतः उत्कृष्ट कोटि का माध्यस्थ अर्थात् रागद्वेष का पूर्ण अभाव तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य अपने मे महात्मता स्थापित करे, लोक-और शास्त्र मे निन्दनीय कर्मों को न करने की अटल प्रतिज्ञा करे, अपना भाव शुद्ध रखे, लोक-शास्त्र में मान्य कर्मों का एकान्तनिष्ठा से निरन्तर अनुठान करे और अगम्य मगिनी आदि के सम्बन्ध में उदासीनभावापन्न अर्थात् राग-द्वेष रहित हो शुभ कर्मों से ही सदैव प्रवृत्त रहे।

ऐसे मनुष्य को उक्त माध्यस्थ प्राप्त होने का कारण यह है कि मनुष्य की मावशुद्धि, सत्कर्म-परायनता और निन्द्यकर्मों से वैमुख्य आदि देशविरति का परिणाम है और उस परिणाम से भोगेतर कारणों से भी नाश योग्य चारित्रमोहनीय कर्म अर्थात् सदंविरतिपरिणामस्वरूप चारित्रभाव के आवारक (प्रतिबन्धक) अनिकाचित मोहनीय कर्म का शोषण हो बिनाश हो जाता है। यहाँ अनिकाचित इसलिए कहा कि निकाचित कर्म अवश्य भोक्तव्य हैं जबकि अनिकाचित कर्म बिना भोग किये तप से भी नाश योग्य होते हैं।

ज्ञानकृतो नास्ति विरक्तानाम्, किन्तु शुभादृष्टकृत एव । तच्च शुभादृष्टं विषयाप्रवृत्त्यैव भवति, तत्प्रतिकूलादृष्टार्लनादुत्कटेच्छैव विषये जायते । तदुक्तं पतञ्जलिनाऽपि 'भोगाभ्यासमनुवर्तन्ते रागः, कौशलं चेन्द्रियाणाम्' इति । 'गीतास्वप्युक्तम्—

“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥” इति ॥

इत्थं चैतदवश्यमङ्गीकर्तव्यम्, पिपासाया इव विषयेच्छायाः क्लिष्टकर्मदयजनित-

(यथेच्छप्रवृत्ति से विषयपराड़्मुखता का असम्भव)

उक्त के सन्दर्भ मे मण्डलतन्त्रवादी की ओर से यह कहा जा सकता है कि—“सम्पूर्ण विषयो में इच्छा का निरोध सम्भव न होने से इच्छा के निरोध से मनुष्य को विषयवैमुख्य मले न हो किन्तु औचित्य-अनीचित्य का विचार न कर इच्छानुसार विषयोपभोग में प्रवृत्त होने से विषयाधीन सुख मे अब विषयसुख सिद्ध हो गया ऐसा सिद्धत्व का ज्ञान होने पर तो विषयवैमुख्य सुसम्पन्न हो सकता है, अतः योग की सिद्धि के लिये विषयो मे यथेच्छ प्रवृत्ति ही उचित है, वहाँ स्त्रियों के सम्बन्ध मे गम्या-अगम्यादि का भेद करना अनावश्यक है ।”—किन्तु प्रस्तुत कारिका के व्याख्याता के अनुसार यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'समस्त सुख सिद्ध हो गए' ऐसा समस्त सुख मे सिद्धत्व का ज्ञान हुये विना विशेषदर्शी अर्थात् प्राप्त सुखो से भिन्न सुख की सम्भाव्यता को जाननेथाले मनुष्य की सामान्य रूप से सुखमात्र की इच्छा का उच्छेद नहीं हो सकता, एक सुख के सिद्धत्व का ज्ञान दूसरे सुख की इच्छा का निवर्तक नहीं हो सकता । एक वस्तु की सिद्धि से यदि उस वस्तु के सदृश अन्य वस्तु की इच्छा का विच्छेद माना जायगा तो अपनी प्रेयसी से दूर परदेश गये पुरुष को उसको मृत्यु का ज्ञान न होने की स्थिति मे उसके पुनः अवलोकन की जो इच्छा होती है वह न हो सकेगी क्योंकि उसका अवलोकन प्रोषण के पूर्व हो चुका है । जो विषय सिद्ध नहीं है उस की इच्छा का निरोध होता भी नहीं है । अत यही मानना युक्तिसंगत है कि विरक्त पुरुषों को जो समग्र इच्छा का विच्छेद होता है वह कतिपय इष्ट वस्तुओं के सिद्धत्वज्ञान से नहीं होता, अपि तु शुभादृष्ट के प्रभाव से होता है और वह शुभादृष्ट विषयो मे यथेच्छ प्रवृत्ति से न हो कर विषयों मे प्रवृत्त न होने से निष्पन्न होता है । विषयो मे प्रवृत्त होने से तो विषयेच्छा-निवर्तक अष्टट के विरोधी अष्टट का उदय होता है जिस से विषय की उत्कट इच्छा का ही संवर्धन होता है । पतञ्जलि ने भी इस तथ्य की पुष्टि यह कहकर की है कि विषयोपभोग के अभ्यास से विषयो मे राग की अभिवृद्धि होती है, और विषयग्रहण मे इन्द्रियों की पद्धता सम्पादित होती है ।

गीता मे भी कहा गया है कि-काम=विषयसुख के उपमोग से काम=विषय सुख की इच्छा निवृत्त नहीं होती, प्रत्युत हवि-धूत व्यादि हवनीय द्रव्यों से अग्नि के समान अधिकाधिक घटती जाती है ।

टिप्पण-१ गीता वचन के रूपमें निर्दिष्ट 'न जातु कामः कामानाम्' इत्यादि वचन प्रसिद्ध गीता भगवद्गीता मे प्राप्य नहीं है किन्तु मनुस्मृति मे प्राप्य है । अत. यहा 'गीता' शब्द से मनुस्मृति मे तात्पर्य हो ऐसा प्रतीत होता है ।

त्वेन तदुपश्मेनैव तदुपश्मात् । तदुपश्मार्थमेव च पिपासोपश्मनार्थं जलपानस्येव मौनीन्द्र-
प्रवचनवचनामृतपानस्य न्याय्यत्वादिति । अधिकमध्यात्ममतपरीक्षायाम् ॥३७॥

अथ संसारमोचकागमेऽप्येतदतिदेशमाह—

मूलम्—संसारमोचकस्यापि हिंसा धर्मसाधनम् ।

मुक्तिश्चास्ति ततस्तस्याप्येष दोषोऽनिवारितः ॥३८॥

संसारमोचकस्यापि यद्=यस्मात् कारणात्, हिंसा धर्मसाधनम्, मुक्तिश्चास्ति ‘अभ्यु-
पगता’ इति शेषः । ततः=तस्मात् कारणात्, तस्याप्येषः=पूर्वोक्तदोषोऽनिवारितः, हिंसाया
धर्मसाधनताया लोकेष्टविरुद्धत्वात्, तदुत्कर्षोऽभावेन मुक्त्यभावप्रसङ्गाच्च ।

**स्यादेतत्—त्रृष्णानिमित्तैव हिंसा न धर्महेतुः, न तूपकारनिमित्ताऽपि, व्याधितस्याप-
वैद्येन दाहादिकरणात्, तथा च दुःखितानां दुःखविधाताय हिंसाभ्युपगमो न विरोत्स्यत
इति । मैवम्, अविरतानां हतानां जीवानां प्रेत्यानन्तदुःखेष्व नियोजनात् । किञ्चैवं सुखि-
नामपि पापवारणार्थं धातः स्यात्, तथा चाऽपूर्वकारुणिकस्येव तव कुटुम्बघातोऽपि न्याय-
प्राप्तः । तस्माद् दुष्टोऽयमभिनिवेशः । दुःखकारणाऽधर्मविनाशेन धर्मे नियोजनादेव च
कारुणिकत्वमुपपद्यते, इत्याहंतमतं रमणीयम् ॥३८॥**

इस प्रकार यह बात अवश्य माननी होगी कि विषय-सुख की इच्छा पानी पीने की इच्छा
के समान विलट्ट कर्मो-पाप कर्मों के उदय से उत्पन्न होती है, अतः उसका उपशम उन कर्मों के
उपशम से ही सम्भव हो सकता है । इस लिये प्यास बुझाने के लिये जैसे पानी पीना आवश्यक
होता है, उसी प्रकार विषयेच्छा का निरोध करने के लिये मौनीन्द्र भगवान द्वारा उद्घासित आगम
के वचनामृत का पान भी आवश्यक है ।

इस विषय में अधिक ज्ञानकारी ‘अध्यात्म मत परीक्षा’ प्रन्थ से प्राप्त की जा सकती है ॥३७॥

इस प्रकार मण्डलतन्त्र आदि आगम की सदोषता सिद्ध की गयी ।

[संसारमोचकमत भी दोषाकान्त ही है]

संसारमोचक आगम में भी यही माना गया है कि—‘हिंसा धर्म का साधन है, उस के उत्कर्ष से
ही मुक्ति होती है’—अतः उस में भी पूर्वोक्तदोष का परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि ‘हिंसा धर्म का
साधन है’ यह बात लोकविश्व एवं इष्टविश्व है, तथा अतीत, अनागत, वर्तमान सभी प्राणियों की
हिंसा सम्भव न होने से हिंसा के उत्कर्ष की सिद्धि न हो सकने के कारण मुक्ति के अभाव की भी
आपत्ति होगी ।

[उपकारबुद्धिप्रयुक्त हिंसा में भी श्रौचित्य का अभाव]

यदि यह कहा जाय कि—“त्रृष्णावश की जानेवाली हिंसा धर्म का साधन न हो, किन्तु उपकार-
बुद्धि से को जानेवाली हिंसा को धर्म का साधन मानने में कोई बाधा नहीं है, यही कारण है कि आप्त

दोषाऽनिवारितत्वमेवोक्तं भावयति-

मूलम्-मुक्तिः कर्मक्षयादेव जायते नान्यतः क्वचित् ।

जन्मादिरहिता यत् तत् स एवात्र निरूप्यते ॥३१॥

मुक्तिः कर्मक्षयादेव=जन्महेतुपुण्याऽपुण्यविलयत एवासाधारणहेतोः, नान्यतः क्वचिद् दानादेः, अभय--सुपात्रदानादीनामपि व्यवहितहेतुत्वात्, जन्मादिरहिता-जन्ममरणाद्यनाशिलष्टा, यद्=यस्माद् हेतोः, तत्=तस्मात्, स एव=कर्मक्षय एव, अत्र=प्रकृतस्थले निरूप्यते ॥३१॥

धैर्य ध्याधिग्रस्त मनुष्य की दाह आदि द्वारा भी चिकित्सा करते हैं। अतः दुःखी प्राणियों को दुःख से मुक्त करने के लिये उन की हिंसा करने से कोई अनौचित्य नहीं हो सकता”-तो वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अविरत अक्षीणसमग्रकर्म जीवों की हिंसा करने पर अनन्त दुःखमय योनियों से उन्हें भटकना ही पड़ता है, न कि उनको मुक्ति होती है। अतः हिंसा का कार्य निन्दनीय ही है। इसके अतिरिक्त यह भी आपत्ति होगी कि जैसे-अगर दुःखी जनों को दुःख से मुक्त करने के लिये उन की हिंसा उचित है तब तो उसी प्रकार पापकर्म से विरत करने के लिये सुखी जनों की भी हिंसा उचित हो सकती है। फलतः ससारमोचक आगम के अनुयायियों को अपनी अपूर्वे करुणा से प्रेरित हो अपने कुटुम्ब की भी हिंसा न्याय प्राप्त होगी, तब यह हिंसा करने में कोई हितक न होनी चाहिये, किन्तु यह सब नहीं होता, अतः हिंसा को धर्म का साधन मानना एक दुराग्रहमात्र है। इस स्थिति में आर्हत आगमों की यह मान्यता ही न्यायसंगत है कि मनुष्य को दुःख के कारणभूत अधर्म से दूर हटाकर उसे धर्म का आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करने से ही उपदेशक की करुणाशीलता सिद्ध होती है ॥३८॥

इधर्वा कारिका में ‘भण्डलतन्त्र, ससारमोचक आदि आगमों के मत से दोष का परिहार होता ही नहीं यह जो कहा गया इस बात की पुष्टि की गयी है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

मुक्ति मनुष्य का सर्वथेष्ठ लक्ष्य है। उस की प्राप्ति से ही मानवजीवन की सार्थकता और कृतार्थता होती है, किन्तु जन्म की शृङ्खला बनी रहने तक उस की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः जन्म की शृङ्खला का दुटना आवश्यक है, किन्तु वह शृङ्खला तब तक नहीं दुट सकती जब तक उस के कारणभूत पुण्य अपुण्य कर्मों का उद्घेद न हो। फलत स्पष्ट है कि जन्म के कारणभूत समग्र कर्मों का क्षय ही मुक्ति का असाधारण कारण है, उसी से मुक्ति की प्राप्ति सम्भव है। दान, दया आदि किसी अन्य कारण से उस की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभय एवं सुपात्रदान अर्थात् चारित्रपात्र मुनियों को निर्दोष भिक्षा का दान आदि भी अच्छी बात है किन्तु वह मुक्ति का साक्षात् हेतु न होकर व्यवहित हेतु है। कर्मक्षय हुये विना केवल दान आदि धर्मों से मुक्ति प्राप्त करने की आशा दुराशा मात्र है।

यत् मुक्ति जन्म-मरण से रहित होती है, जन्म-मरण का चक्र चालू रहते उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः यह चक्र जिन कर्मों पर आश्रित है उन कर्मों के क्षयका निरूपण आवश्यक है, इसोलिये वर्तमान सदर्भ में कर्मक्षय का प्रतिपादन ही प्रस्तुत है ॥३९॥

किंहेतुकोऽयम् । इति पर्यनुयुज्यते-

मूलम्-हिसाद्युत्कर्षसाध्यो वा तद्विपर्ययजोऽपि वा ।

अन्यहेतुरहेतुर्वा स वै कर्मक्षयो ननु । ॥४०॥

तथाहि 'ननु' इत्याक्षेपे, वै=निश्चितम्, स कर्मक्षयो हिंसाद्युत्कर्षसाध्यो वा स्यात्=हिंसोत्तरदुःखापनयनोत्कर्षसाध्यो वा स्यात्, तद्विपर्ययसाध्यो वा=अहिंसा-द्युत्कर्षसाध्यो वा स्याद्, अन्यहेतुः=एतदुभयातिरिक्तहेतुर्वा स्यात्, अहेतुर्वा स्यात्, इति चत्वारः पदाः ॥४०॥

मूलम्-हिंसाद्युत्कर्षसाध्यत्वे तदभावे न तत्स्थितिः ।

कर्मक्षयाऽस्थितौ च स्यान्मुक्तानां मुक्तताक्षतिः ॥४१॥

आद्ये आह-हिंसाद्युत्कर्षसाध्यत्वे, तदभावे=हिंसाद्युत्कर्षभावे, न तत्स्थितिः न कर्मक्षयस्थितिः, कर्मक्षयाऽस्थितौ च मुक्तानां मुक्तताक्षतिः स्यात् ॥४१॥

(कर्मक्षय के सम्भवित हेतु चतुष्टय)

प्रस्तुत चालोसर्वों कारिका मे 'ननु' शब्द से कर्मक्षय की सम्भाव्यता पर आक्षेप करते हुये उस के हेतुओं के विषय मे जिज्ञासा व्यक्त की गइ है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

कर्मक्षय के सहेतुक होने की सम्भावना के निश्चित रूप से चार ही पक्ष हो सकते हैं जैसे-

१. कर्मक्षय हिंसा आदि के उत्कर्ष अर्थात् हिंसा के अनन्तर होनेवाले दुखराहित्य के उत्कर्ष से सम्पादित हो सकता है क्या ?

३ उक्त दोनों हेतुओं से अतिरिक्त किसी अन्य हेतु से सम्पादित हो सकता है क्या ?

४ अथवा हेतु के बिना ही सुलभ हो सकता है क्या ? ॥४०॥

४१ वर्णों कारिका से प्रथमपक्ष की अयुक्तता बतायी गयी हैं जो इस प्रकार है-

हिंसा आदि के उत्कर्ष से कर्मक्षय की सम्भावना नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंसा आदि का उत्कर्ष कदापि सम्भव नहीं है, अतः उस से कर्मक्षय नहीं उपपन्न हो सकता, और कर्मक्षय न हो सकने पर मुक्त पुरुषों की शास्त्रों में कथित मुक्तता का समर्थन नहीं हो सकता ।

आशय यह हैं कि हिंसा के उत्कर्ष की कल्पना दो प्रकार से की जा सकती है । सम्पूर्ण जीवों की हिंसा या हिंसाहत जीव की दुःखो से मुक्ति । किन्तु यह दोनों ही बातें असम्भव हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जीवों की हिंसा नहीं कर सकता, और न कर्मों से बघा जीव हिंसाहत होकर दुःखों से मुक्त भी हो सकता है क्योंकि कर्मवश उस का पुनर्जन्म और उस जन्म मे दुःखों का आघात अनिवार्य है ॥४१॥

द्वितीय आह-

मूलभूतद्विपर्ययसाध्यत्वे परसिद्धान्तसंस्थितिः ।

कर्मक्षयः सतां यस्मादहिंसादिप्रसाधनः ॥ ४२ ॥

तद्विपर्ययसाध्यत्वे=अहिंसाद्युत्कर्पसाध्यत्वे, परसिद्धान्तसंस्थितिः=अन्याभ्यु-
पगमप्रसङ्गः, यतः सतां=साधूनाम्, कर्मक्षयोऽहिंसादिप्रसाधन इष्टः ॥ ४२ ॥

तृतीय आह-

तदन्यहेतुसाध्यत्वे तत्स्वरूपसंस्थितम् ।

अहेतुत्वे सदा भावांभावो वा स्यात् सदैव हि ॥ ४३ ॥

तदन्यहेतुसाध्यत्वे=उक्तोभयानिस्त्रितसाध्यत्वे, तत्स्वरूपं=तदन्यहेतुस्वरूपम्,
असंस्थितम्=प्रनिर्वचनवाधितं वाधकम् ।

चतुर्थ आह-अहेतुत्वे कर्मक्षयस्य, सदा भावः स्याद्, उत्पत्तिशीलत्वात्, हि=
निश्चितम्, सर्ववाभावो वा स्याद् अनुत्पत्तिशीलत्वात् ॥ ४३ ॥

तटत्र द्वितीय विकल्प एव न्याय इति दर्शयति-

मूलभूतसुक्रितः कर्मक्षयादिष्ठा ज्ञानयोगफलं स च ।

अहिंसादि च तदेतुरिति न्यायः सतां मतः ॥ ४४ ॥

[कर्मक्षय अहिंसादि के उत्कर्ष से साध्य है ?]

४५ वीं कारिका मे दूसरे पक्ष की त्रुटि वतायी गयी है, जो इस प्रकार है—

कर्मक्षय को हिंसादि के उत्कर्ष के विपरीत अहिंसा आदि के उत्कर्ष से साध्य मानने पर अन्य पक्ष-जो पक्ष अपने को इष्ट नहीं है-को स्वीकार करने की आपत्ति होगी क्योंकि ‘अहिंसा आदि से कर्मों का क्षय होता है’ यह साधुपुरुषों का धर्म एव अध्यात्म मे निष्ठा रखने वाले विवेकी पुरुषों का अभिमत पक्ष है ॥ ४५ ॥

४६ वीं कारिका के पूर्वार्थ से तीसरे पक्ष की सदोषता वतायी गयी है जो इस प्रकार है—

हिंसा आदि निन्द्य कर्म और अहिंसा आदि स्तुत्य कर्म, इन दोनों से भिन्न हेतु द्वारा कर्मक्षय की सिद्धि नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस प्रकार का हेतु असंस्थित-असिद्ध है, उस का निर्वचन न हो सकने के कारण वह स्वयं बाधित है, अत वह सिद्धान्तपक्ष का बाधक नहीं हो सकता ।

कारिका के उत्तरार्थ से चौथे पक्ष का दोष वताया गया है, जो इस प्रकार है—

कर्मक्षय को अहेतुक-हेतुनिरपेक्ष भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अहेतुक की निश्चितरूप से दो ही गति हो सकती हैं । एक यह कि हेतु के अभाव मे भी यदि वह उत्पत्तिशील होगा, तो सदैव उस का अस्तित्व होना चाहिये, क्योंकि उसके होने मे किसी की अपेक्षा नहीं है, और दूसरी यह कि यदि वह अनुत्पत्तिशील होगा तो उस की कभी भी उत्पत्ति न होने से उसे कभी न होना चाहिये अपि तु सदैव उस का अभाव हो रहना चाहिये ॥ ४६ ॥

मुक्तिः=परमानन्दप्राप्तिः, कर्मक्षयादिष्टा=कर्मक्षयजन्याऽभिमता, स च कर्मक्षयः, ज्ञानयोगफलम्=रत्नत्रयमाग्राज्यजन्यः तद्वेतुः=तत्कारणं च, अहिंसादि=हिंसाविरति-परिणामादि, इति एषः, सतां=जैनागमोपनिषद्विनाम्, न्यायः=सन्मागः, मतः=डषः । तदेवं संसारमोचकागमाऽसारता प्रतिपादिता ॥४४॥

अथ यज्वनामागमासारतां तद्विद्व प्रदर्शयति—

मूलम्-एवं वेदविहिताऽपि हिंसा पापाय तत्त्वतः ।

शास्त्रचोदितभावेऽपि वचनान्तरवाधनात् ॥४५॥

एवं=संमारमोचकाभिमतहिसावत्, वेदविहिताऽपि=‘वेतं वायव्यमजमालमेत भूति-कामः’ इत्यादिविधिनेष्टसाधनत्वेन वोधितापि हिंसा, तत्त्वत =युक्त्या विचार्यमाणा पापाय भवति । विधिवोधितत्वे कथमेवं स्यात् । इत्यत्राह-शास्त्रचोदितभावेऽपि=प्रकृत-विधिवोधितेष्टसाधनताक्त्वेऽपि वचनान्तरवाधनात्-सामान्यतः प्रवृत्तेन निषेधविधिनाऽनिष्टसाधनत्वेन वोधनात् ॥४५॥

(अहिंसादि से ज्ञानयोग, उससे कर्मक्षय)

४४ वीं कारिका द्वारा ‘अहिंसा आदि साधनों से ही कर्मों का क्षय सम्पन्न होता है’ इस दूसरे पक्ष को ही न्याय-संगत बताया गया है । कारिका का अथ इस प्रकार है—

मुक्ति का अर्थ है परमानन्द की प्राप्ति और परमानन्द का अथ है आनन्द की वह अवस्था, जिस में किञ्चिन्मात्र भी दुःख के सम्पर्क की सम्भावना नहीं की जा सकती । यह मुक्ति मनुष्य को उस के समग्र कर्मों का क्षय होने पर ही सम्पन्न होती है और कर्मों का क्षय ज्ञानयोग से सम्पादित होता है । ज्ञान का अर्थ है सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन, योग का अर्थ है सम्यक् चारित्र्य । यह तीनों महाफलप्रद होने से बहुमूल्य होने के कारण रत्न कहे जाते हैं । इन तीनों रत्नों का प्रसूत मात्रा में सच्चय होने पर ही कर्मों का क्षय होता है और इन रत्नों की उपलब्धि अहिंसा आदि अर्थात् हिंसा-असत्य आदि के प्रतिज्ञावद्व त्यागस्वरूप विरतिमय चित्तपरिणाम के प्रमादमुक्त दीघकालीन सेवन से ही सम्भव होती है ।

निष्कर्ष यह है कि अहिंसा आदि के सेवन से सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र का अर्जन कर समग्र कर्मों का क्षय करना ही मोक्ष-प्राप्ति का निष्कण्टक माग है जैनागम के रहस्य को जानने वाले मनोषी पुरुषों को यही अभिमत है । इस प्रकार संसारमोचक आगमों को असारता प्रतिपादित होती है । ४४॥

(वेदविहित हिंसा पापजनक है)

४५ वीं कारिका में संसारमोचक आगम के समान याज्ञिको=वैदिको के भी आगमों की असारता बतायी गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

एतदेव भावयन्नाह-

मूलम्-‘न हिंस्यादिह भूतानि’ हिंसनं दोषकृन्मतम् ।

दाहवद् वैद्यके स्पष्टमुत्सर्गप्रतिषेधतः ॥४६॥

‘न हिंस्यादिह’ इत्यत्र स्थेहशब्दोऽन्यत्र योज्यः, तथा च ‘न हिंस्याद् भूतानीह’ इत्यर्थः । इदं च “न हिंस्याद् सर्वभूतानि” इति वेदवाक्यस्मारकम् । इह वाक्ये हिंसनं=राग-द्वेष मोह-तृष्णा-दिनिवन्धनहिंसासामान्यम्, दोषकृत्=अनिष्टजनकम्, स्पष्टम्=असंदिग्धतया मतम्=अभीष्टम् । किंवत् १ इत्याह-वैद्यके दाहवत्=‘दाहो न कार्यः’ इति वैद्यकनिषेधवाक्यनिषिद्ध-दाहवत् । कुतः १ इत्याह-उत्सर्गप्रतिषेधतः=नज् समभिव्याहाशादनिष्टसाधनत्वे निरुद्ध लाक्षणिकप्रकृतविध्यर्थस्य व्युत्पत्तिमहिम्ना निषेध्यतावच्छेदकावच्छेदेनैवाऽन्वयात् । एतेन ‘नजार्थे लिङ्गर्थान्वये कथं दोषकृत्त्वोधः १ प्रकृतनिषेधविधेः पापजनकत्वे निरुद्धलक्षणायां च दृष्टान्तं नुपपत्तिः, इति प्रकृतविध्यर्थनिषेधस्य हिंसात्वसामानाधिकरण्येनाऽन्वयाद् नानुपपत्तिः’ इति निरसनम्, सामानाधिकरण्येनापि विधिशब्दकाविरहेण सामान्यत एव निषेधान्वय-स्वीकारात् ॥४६॥

जिस प्रकार ससारमोचक आगमो से बणित हिंसा पापजनक होती है उसी प्रकार वेदविहित हिंसा भी -‘इवेत वायव्यमजमालभेत भूतिकाम’=भूति सम्पत्ति का इच्छुक वायुदेवता के उद्देश्य से शुभ्र वर्ण के वकरे का वध करे” जैसे वैदिक विधिवाक्य जिसे इष्ट का साधन बताते हैं-युक्तिपूर्वक विचार करने पर वह पाप का जनक सिद्ध होती है । यदि यह कहा जाय कि-“शास्त्रीय विधिवाक्य जिस हिंसा का विधान करते हैं-जिसे इष्ट का साधन बताते हैं, उसे पाप का जनक कहना उचित नहीं है”-तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उक्त विधिवाक्य जैसे उसे इष्ट का साधन बताते हैं-उसी प्रकार ‘मा हिंस्यात् सर्वभूतानि’=किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये’ इस प्रकार के निषेधक वचन सामान्यरूप से हिंसा मात्र को अनिष्ट का साधन भी बताते हैं और यह सर्वमान्य सत्य है कि जिस कर्म को शास्त्र अनिष्ट का साधन बताते हैं वह कर्म पाप का जनक होता है-क्योंकि पाप के द्वारा ही उस की अनिष्टसाधनता सिद्ध होती है ॥४५॥

[‘न हिंस्यात् सर्वभूतानि’-वेदवाक्यार्थ]

४६ वीं कारिका मे भी पूर्वकारिका की ही बात पुष्ट की गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है जो न हिंस्यादेह भूतानि’ इस भागको ‘न हिंस्याद् भूतानि इह’ इस रूप मे पढ़ने पर लब्ध होता है-

‘न हिंस्यात् सर्वभूतानि’ इस वेदवाक्य मे सभी प्रकार की हिंसा से, चाहे वह राग, द्वेष, मोह तृष्णा आदि किसी भी तिमित्त से की जाय, अनिष्ट की उत्पत्ति होती है, यह बात असन्दिग्धरूप मे कहो गयी है और यह ठीक उसी प्रकार सान्य है जिसप्रकार वैद्यक शास्त्र के अनुसार ‘दाहो न कार्य’ इस निषेधवाक्य से निषिद्ध सोना, पारा आदि धातु या प्राणो के अड्ग आदि का दाह करने पर उस दाह से होने वाली अनिष्ट की उत्पत्ति मान्य है ।

ततः किम् १ इत्याह—

मूलम्-ततो व्याधिनिवृत्यर्थ दाहः कार्यम्तु चोदिते ।

न ततोऽपि न दोषः स्यात् फलोदेशेन चोदनात् ॥४७॥

ततो=‘दाहो न कार्यः’ इत्यनेन सामान्यत एव दाहस्यानिष्टसाधनत्वमिद्देः, ‘व्याधि-निवृत्यर्थ दाहः कार्यः’ इति चोदितेऽपि=विहितेऽपि, तुर्प्यर्थः, न ततोऽपि=दाहत् फलोदेशेन=व्याधिनिवृत्यर्थ चोदनात्=विधानाद् हेतोः, न दोषः तापलक्षणः स्यात्, किन्तु स्यादेव ॥४७॥

प्रश्न हो सकता है कि—‘जिस हिंसा या जिस दाह को शान्त्र में इष्ट का साधन बताया गया है, उस से अनिष्ट की उत्पत्ति क्यों होगी ? क्यों कि निषेधक वचनों की पहुच उन हिंसा और दाह आदि तक ही हो सकती है जिन में इष्टसाधनता का बोधक कोई शास्त्र नहीं है—’ इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जा सकता है कि निषेधवचन उत्सर्ग सामान्यवचन होता है और उस में नज्ञ पद के सम्बन्धान से विधिप्रत्यय की अनिष्टसाधनता में निरुद्धलक्षण होती है और इस निरुद्धलक्षणालभ्य अर्थ का अन्वय निषेध्यतावच्छेदक के सभी आश्रयों में होने का नियम है। अत ‘न हिंस्यात् सर्व-भूतानि’ इस वाक्य से निषेध्यतावच्छेदक हिंसात्व के आश्रय सभी हिंसा में और ‘दाहो न कार्य’, इस वाक्य से निषेध्यतावच्छेदक दाहत्व के आश्रय सभी दाहो में अनिष्टसाधनता का बोध होता है अत जिन कर्मों में शास्त्र के किसी विशेष वचन से इष्टसाधनता का और सामान्यवचन से अनिष्टसाधनता का बोध होता है, ऐसे कर्मों से, इष्ट और अनिष्ट दोनों की उत्पत्ति होना ही न्याय संगत है।

यह यह कहा जाय कि—‘निषेधवाक्यस्थल में नज्ञार्थ में लिङ्गप्रत्ययार्थ का अन्वय होता है, अत निषेधवाक्य से निषेध्यमान कर्म में लिङ्गर्थ धर्मसाधनत्व के अभाव का ही बोध हो सकता है, पापजनकत्व का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बोधक कोई पद नहीं है, नज्ञ के सम्बन्धान में विधिप्रत्यय की पापजनकत्व में निरुद्धलक्षणा मानकर भी उसके बोध की उपपत्ति नहीं को जा सकती, क्योंकि इस प्रकार की लक्षणा में कोई दूसरा दृष्टान्त नहीं है। इस स्थिति में निषेधवाक्य से निषेध्यतावच्छेदक के सभी आश्रयों में लिङ्गर्थ के अभाव का अन्वय न मानकर उस के कर्तिपय आश्रयों में ही लिङ्गर्थ-भाव का अन्वय स्वीकार करने से हिंसा-विशेष के विधायक तथा हिंसासामान्य के निषेधकवाक्यों में कोई विरोध न होगा फलत शास्त्रविहित हिंसा-विशेष से पाप की उत्पत्ति का प्रसङ्ग नहीं हो सकता’ - तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि ‘न हिंस्यात् सर्वभूतानि’ जैसे निषेधवाक्यों के अयोबोध के समय किसी प्रकार की हिंसा आदि जैसे कर्म के विधान की सम्भावना न रहने से उन वाक्यों से निषेध्यतावच्छेदक धर्म के सभी आश्रयों में ही लिङ्गर्थभाव का अन्वय मानना हो युक्तिसगत है । ४६॥

(दाहजनित ताप दोष के समान पापबन्ध अनिवार्य)

पूर्व कारिका में निषेधवाक्य से जिस प्रकार के बोध का समर्थन किया गया है, प्रस्तुत कारिका ४७ में उस बोध को फलश्रुति बतायी गयी है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

प्रकृते दार्ढान्तिकयोजनामाह-

भूलम् - एवं तत्फलभावेऽपि चोदनातोऽपि सर्वथा ।
श्रुतमौत्सर्गिको दोषो जायने फलचोदनात् ॥४८॥

एवं चोदनातोऽपि=क्रत्वद्गहिनाविधेरपि, तत्फलभावेऽपि=तद्रोधितफलभावेऽपि,
भ्रुवं=निश्चितम्, मर्दथाऽन्यहिनातुल्यतयौत्सर्गिकः सामान्यनिषेधवोधितः दोषः=पापलक्षणः
जायते, फलचोदनात्=फलोदेशात्, त्राणामूलकहिनात्वेनैवाऽधर्मजनकत्वात् ।

ननु निषेधविधिनाऽनिष्टमाधनत्वमात्रवोधने ततो निवृत्यनुपपत्तिः, वलवदनिष्ट-
माधनत्ववोधने च व्याधिनिवृत्यर्थं दाहेऽपि प्रवृत्यनुपपत्तिः, इति विशेषनिषेधे सामान्य-
विधेस्तदितरप्रत्ववद् विशेषविधौ सामान्यनिषेधस्यापि तदितरप्रत्वमेव न्याय्यम् । अवश्यं
चैतदभ्युपेयम्, कथमन्यथा तवापि सामान्यत आधाकर्मिकाद्ग्रहणनिषेधेऽप्यसंस्तरणादिदशार्या
तद्विधानम् ? इति चेत् ? न, आधाकर्मिकग्रहणाऽग्रहणयोः मंयमपालनार्थमेकोद्देशेनैव
विधानादुन्मर्गी-ऽपवादभावव्यवस्थितावपि प्रकृतेऽहिनायागयोरेकार्थत्वाभावेनोत्सर्गाऽपवाद-
व्यवस्थाया एवाऽयीगात्, सामान्यनिषेधे संकोचस्याऽन्याय्यत्वात् । तदुक्तं 'स्तुतिकृता
"नोत्सृष्टमन्यार्थमपोद्यते च" [अन्य०व्य०द्वा० श्लोक ११] इति । प्रवृत्तिस्तु तत्र मूढानां
श्येनादाविव दोषादेव ।

'दाहो न कायं' इस निषेधवाक्य से दाह सामान्य से अनिष्टसाधनता का बोध होने का फल यह है कि 'व्याधिनिवृत्यर्थं दाहं कायं' इस शास्त्रवचन से दाह का विधान होने पर भी सामान्यनिषेध के कारण विहितदाह से भी दोष की उत्पत्ति का होना सिद्ध होता है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि 'दाह व्याधिनिवृत्तिरूप विशेषफल के उद्देश्य से शास्त्रविहित है अत सामान्यनिषेध होने पर भी उस से दोष नहीं होता'-क्योंकि व्याधिनिवृत्ति के लिये भी दाह करने पर उस से ताप दोष का होना तो निषिवाद है ॥५७॥

(फलान्तर प्राप्त होने पर भी श्रौतसर्गिक दोषाऽनिवृत्ति)

इस कारिका मे दाहरूप दृष्टान्त के द्वारा यज्ञ के अङ्गभूत दार्ढान्तिक हिसा मे पापजनकत्व का प्रतिपादन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

जिस प्रकार व्याधिनिवृत्ति के लिये दाह के विधायक वचन से दाह मे फलसाधनता का बोध होने पर भी 'दाहो न काय' इस सामान्यनिषेध के कारण वैद्यकशास्त्र से विहित भी दाह ताप दोष का जनक होता है, उसी प्रकार यज्ञ के अङ्गभूत हिसा के विधायकवाक्य से उस हिसा मे फलसाधनता का बोध होने पर भी हिसासामान्य का शास्त्रत निषेध होने के कारण उस हिसा से भी पापात्मक दोष की उत्पत्ति अनिवार्य है क्योंकि वह हिसा भी अन्य हिसा के सर्वथा समान है क्योंकि फलविशेष की

१- न धर्महेतु वहिताऽपि हिसा, नोत्सृष्टमन्यार्थमपोद्यते च ।

स्वपुत्रघातान्त्रपतित्वलिप्सासव्रहचारिस्फुरितं परेषाम् ॥११॥

अत एव सांख्या अपि सामान्यनिषेध विशेषविधिवौधितानर्थहेतुकत्व-क्रत्यज्ञत्वयो-
रेकत्र समावेशमंभवाद् निषिद्धस्यापि विहितत्वस्य, विहितस्यापि निषिद्धत्वस्य च श्येनाद्वि-

सिद्धि के लिये विहित होने से उस फल की तृष्णा ही उस का मूल है, अतः तृष्णामूलक हिसा होने के नाते अन्य हिसा के समान उस हिसा से भी अधर्म का होना न्यायप्राप्त है।

इस सन्दर्भ मे यह शब्दा हो सकती है कि-'निषेधवाक्य यदि सामान्यत अनिष्टसाधनता का वोधक होगा तो उस से निषिद्ध कर्म से पुरुष की निवृत्ति न हो सकेगी क्योंकि जिन विहित कर्मों को मनुष्य बडे उत्साह से करता हैं वे कम भी कुछ न कुछ तो अनिष्ट करते ही हैं अतः सामान्य अनिष्ट का साधन समझते हुये भी मनुष्य जैसे उन कर्मों से निवृत्त नहीं होता उसी प्रकार वह निषिद्ध कर्मों को भी यदि सामान्य अनिष्ट का हो साधन समझेगा तो उन कर्मों से भी उस का निवृत्ति न होगी। इस दोष के निवारणार्थ निषेधवाक्य को बलवान् अनिष्ट की साधनता का वोधक माना जायगा तो व्याधिनिवृत्ति के लिये भी दाहकाय में मनुष्य की प्रवृत्ति न होगी क्योंकि 'दाहो न कार्य' इस निषेधवाक्य से दाह मे बलवान् अनिष्ट की माधनता का ज्ञान होने से दाह मे प्रवृत्ति का प्रतिवर्ध हो जायगा। अत यह मानना आवश्यक होगा कि जैसे 'तृष्णिक्षाम् अन्त भुञ्जीत' मूल दूर करने के लिये अन्न का भोजन करे' यह सामान्य विधि 'सविषमन्त न भुञ्जीत जीवितुकामः' 'जीवित रहने का इच्छुक विषमिले अन्न का भोजन न करे', इस विशेषनिषेध के अनुरोध से विषमिश्र अन्न से अतिरिक्त अन्न के ही भोजन का विधायक होता है, उपी प्रकार 'दाहो न कार्य' 'न हिस्यात् सर्वमूतानि' इत्यादि सामान्यनिषेध भी 'व्याधिनिवृत्त्यर्थ दाह कार्य', इवेत वायव्यमजमालभेत भूति-कामः' इत्यादि विशेषविधि के अनुरोध से विहित दाह और विहितहिसा से अतिरिक्त दाह और हिसा का ही निषेध करते हैं, अतः निषिद्ध प्रतीत होने वाले विहित कर्मों से पाप की उन्पत्ति का होना असिद्ध है। यह ज्ञातव्य है कि 'विहितातिरिक्त के निषेध मे ही सामान्यनिषेध का तात्पर्य होता है, यह बात जिनों को भी माननी पड़ती है क्योंकि जैनशास्त्रों मे भी सामान्यरूप से आधारकीमिक अन्नपान आदि के ग्रहण का निषेध और अस्तरण आदि दशा मे उस के ग्रहण का विधान है-'

किन्तु विचार करने पर उक्त शब्दका ओर उस का फलित उक्त निष्कष उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि आधारकीमिकआदि के ग्रहण और अग्रहण दोनों का विधान सयमपालनरूप एक उद्देश्य से ही किया गया है अत उन मे उत्सग और अपवाद की व्यवस्था तो हो सकती है पर अं॒सा और यज्ञ ये दोनों ऋमशः शुद्ध ऋह्यसाक्षात्कार व स्वर्ग के उद्देश से विहित होने से एक उद्देश्य से नहीं विहित हैं अत उन मे उत्सग और अपवाद की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिये सामान्यनिषेध का विशेषविधि के अनुरोध से सकोच मानना न्यायसंगत नहीं हो सकता। इसोलिये स्तुतिकर्ता प्रभु हेमचन्द्रनूरि ने कहा है कि 'अन्य के लिये उत्सर्गप्राप्त का अन्य के लिये अपवाद नहीं होता' अर्थात् 'उत्सर्ग अन्य उद्देश से व अपवाद भिन्न उद्देश से' वैसा नहीं वन सकता, वैसा अपवाद उस उत्सर्ग के सवन्धित नहीं हो सकेगा। अन उत्सर्गेशास्त्र से निषिद्ध कर्म मे किसी विधि के आधार पर दोष-विशेष के कारण मूढों की ही प्रवृत्ति होती है, जैसे हिसामात्र का निषेध होने पर भी शत्रुवधार्थ श्येनयाग मे।

दुषपत्तेः, श्येनादाविव ज्योतिष्टोमादौ रागद्वेषादिवशीकृतस्यैवाऽधिकाराज्योतिष्टोमादीनां
दुष्टत्वमेव प्रतिपन्नवन्तः । तथा महाभारते-

‘जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते ।

अहिंसया हि भूताना जपयज्ञः प्रवर्तते ॥१॥’ इति ।

मनुस्मृतावपि-

‘जपेनैव तु संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादन्यद् न वा कुर्याद् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥१॥’

इत्यहिंसायाः प्रशंसया हिंसाया दुष्टत्वमेवोक्तम् । तथोत्तरमीमांसायामप्युक्तम्-

“अन्धे तमसि मज्जामः पुशुभिर्ये यजामहे ।

हिंसा नाम भवेद् धर्मो न भूतो न भविष्यति ॥१॥” इति ।

तथा व्यासेनाप्युक्तम्—

“ज्ञानपालीपरिक्षिप्ते ब्रह्मचर्यदयामभसि ।

स्नात्वा तु विमले तीर्थे पापपङ्कापहारिणि ॥१॥

ध्यानाग्नौ जीवकुण्डस्थे दममारुतदीपिते ।

असत्कर्मसमित्क्षेपैरग्निहोत्रं कुरुत्तमम् ॥२॥

कपायपशुभिदुर्ष्टिर्धर्म-कामा-ऽथेनाशकैः ।

शममन्त्रहृतैर्यज्ञं विधेहि विहितं वृधैः ॥३॥

प्राणिवातात्तु यो धर्ममीहते मृढमानसः ।

स वाञ्छति सुधावृष्टि कुण्डाहिमुखकोटरात् ॥४॥” इत्यादि ।

ततो ‘दुष्टमग्निष्टोमादि कर्माऽधिकारिणापि दोपाऽसहिष्णुना त्याज्यम्, अन्तःकरण-
शुद्धेरीद्वशेन गायत्रीजपादिनैव वाढमुपपत्तेः’ इत्याहुः ।

(ज्योतिष्टोमादि यज्ञ दोषपूरण है—सांख्यमत)

तृष्णामूलक हिंसा पापजननी होने से ही सांख्यविदों ने भी सामान्य निषेध से बोधित अनर्थसाधनत्व और विशेषवर्धित से बोधित यज्ञाङ्गत्व का एक कर्म मे समावेश सम्भव मानकर विहित मे निषिद्धत्व का और निषिद्ध मे विहितत्व का उपपादन किया है और श्येनयाग के समान ज्योतिष्टोम आदि यज्ञो मे भी रागद्वेषग्रस्त पुरुष का ही अधिकार मान कर उन यज्ञो को दोषयुक्त माना है । इसीलिये महाभारत मे जपयज्ञ को प्राणिहिंसा से मुक्त बताकर उसे सब धर्मों से श्रेष्ठ कहा गया है :

मनुस्मृति मे भी जप को प्रशसा मे कहा गया है कि ‘इस मे कोई सन्देह नहीं है कि ब्राह्मण जप से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई धर्म चाहे वह करे या न करे क्योंकि वह सब का मित्र होता है ।

अत्र भाट्टाः—“न क्रत्वर्था हिसाऽनर्थहेतुः, विधिस्पृष्टे निषेधानवकाशात् । तथाहि— विधिना बलवदिच्छाविषयसाधनतावोधरूपां प्रवर्तनां कुर्वताऽनर्थसाधने तदनुपपत्तेः, स्वविषयस्य प्रवर्तनागोचरस्याऽनर्थमाधनत्वाभावोऽप्यर्थादाक्षिप्यते, तेन विधिविषयस्य नानर्थहेतुत्वं युज्यते । न हि क्रत्वर्थत्वं साक्षाद्विधर्थः, येन विशेषो न स्यात्, किन्तु प्रवर्तनयैव । प्रवर्तना तु पुरुषार्थमेव विषयीकुर्वती क्यचित् क्रतुमपि तथाभावमापन्नं विषयीकरोति इत्यन्यदेतर् । पुरुषप्रवृत्तिश्च बलवदिच्छोपधानदशायां जायमाना न भाव्यम्यार्थहेतुतामाक्षिपति किन्तु यथा-प्राप्तमेवाऽवलम्बते, बलवदिच्छाविषये स्वत एव प्रवृत्तेः, स्वर्गादौ विषयनपेक्षणात् । अत एव वहितश्येनफलम्याऽपि शत्रुवधरूपाऽभिचारम्यानर्थहेतुत्वमुपपद्यत एव, फलस्य विधिजन्य-प्रवृत्तिविषयत्वाभावात्, विधिजन्यप्रवृत्तिविषयं तु धात्वर्थं करणं प्रवर्तनाऽवगाहते । सा च नाऽनर्थहेतुं विषयीकरोति । इति विशेषविधिवाधितं सामान्यनिषेधवाक्यं गग-द्वे पादिमूला-ऽक्रत्वर्थहिसाविषयम् । तेन श्येनाऽग्निष्टोमयोदैपम्यादुपपन्नमदुष्टत्वम् । ज्योतिष्टोमादेविधि-स्पृष्टस्यापि निषेधविषयत्वे, पोडशिग्रहणस्याप्यनर्थहेतुत्वापत्तिः, ‘नातिरात्रे पोडशिनं गृह्णाति’ इति निषेधात् । तस्माद् न किञ्चिदेतत्” इत्याहुः ।

तथा उत्तरमीमासा मे भी कहा गया है कि ‘जो लोग पशुओं से यज्ञ करते हैं वे गाढ़ अन्धकार मे प्रवेश कर रहे हैं और कि यह निश्चित है कि हिसा से कभी न धर्म हुआ है और न कभी होगा ।’

व्यास ने भी कहा है कि-ज्ञानपाली से सुरक्षित ब्रह्मवर्य और द्यारूप जल पापपञ्च को दूर करने वाला निर्मल तोर्य है, मनुष्य को चाहिये कि उस तीथ मे स्नान कर के जीवरूप कुण्ड मे दमरूप वायु से ध्यानरूप अचिन को प्रदोष्ट करे और उस मे अशुभकर्मों का समिध (=इन्धन) डालकर उत्तम कोटि का अग्निहोत्र करे और विद्वान पुरुषो द्वारा विहित उस यज्ञ का अनुष्ठान करे जिस मे शान्तिमन्त्रो से धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाले वासना रूपी दुष्ट पशुओं के हवन का विवान है । जो मनुष्य प्राणियों को हिसा से धर्म का अजन करना चाहता है वह मूढ़ है, वह काले नाग के मुख से अमृत को वर्षा चाहता है ।

अत अग्निष्टोम आदि कर्मों मे जिन का अधिकार है यदि वे पाप का भार उठाना नहीं चाहते तो उन्हे भी उन पारजनक कर्मों का त्याग करना चाहिये और अन्त करण की शुद्धि के लिये गायत्री जप आदि हिसारहित कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिये ।”

(यज्ञादिगत हिसा निर्देष है—भट्ट का पूर्वपक्ष)

भट्टमतानुयायी भीमासको का कहना है कि जो हिसा यज्ञ के लिये की जाती है वह अनर्थ का जनक नहीं होती, क्योंकि शास्त्र के विधि वाक्य से जो विहित होता है उस मे निषेधवाक्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । आशय यह है कि विधिवाक्य प्रवर्तना का जनक होता है और प्रवर्तना अनर्थ के साधन मे नहीं हो सकती, क्योंकि प्रवर्तना का अथ है जिस वस्तु की मनुष्य को बलवती इच्छा हो उस वस्तु की साधनता का बोध’, जो अनर्थ साधन मे दुष्ट है और दुष्ट इसलिये ह कि जिस मे विधिवाक्य से बलवान् दुष्ट की साधनता का बोधन होता है उस मे अनर्थसाधनता के

अभाव का आनुमानिक बोध भी होता है, अत विधिवाक्य से बलवान इष्ट की साधनता का बोधन उसी वस्तु मे उचित हो सकता है जो अनर्थ का साधन न हो। इस प्रकार विधि और निषेध का परस्पर विरोध स्पष्ट है, क्योंकि विधि का विषय वह होता है जो अनर्थ का साधन न हो और निषेध का विषय वह होता है जो अनर्थ का साधन हो। हाँ इन दोनों मे विरोध उस स्थिति में न होता यदि विधिवाक्य हिंसा को यजका अङ्ग प्रवर्त्तना द्वारा न बताकर सीधे ही यज का अङ्ग बताता, क्योंकि हिंसा यजका अङ्ग है और हिंसा अनर्थ का साधन है इन बोधों मे कोई विरोध नहीं है, अत हिंसा मे विधि से यजाङ्गता का और निषेध से अनर्थसाधनता का भी बोध हो जाता, किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि विधिवाक्य हिंसा मे प्रवर्तना का जनन कर उसे यज का अङ्ग बताता है, और प्रवर्तना उसी मे होती है जो इष्ट का साधन और अनिष्ट का असाधन होने से पुरुषार्थ (पुरुष का अभिलषणीय) होता है। कहीं पर यज भी प्रवर्तना का विषय इसीलिये होता है कि वह भी इष्ट का साधन और अनिष्ट का असाधन होने से पुरुषार्थ होता है।

(विशेषविधान से निषेधसामान्य का बाध)

इस प्रसङ्ग मे यह ज्ञातव्य है कि पुरुष को जिस विषय की बलवती इच्छा होती है उस मे उस की प्रवृत्ति के लिये इष्टसाधनता के ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती किन्तु उस का स्वरूप ज्ञान हो उस मे पुरुषप्रवृत्ति के लिये पर्याप्त होता है क्योंकि जिस वस्तु की बलवती इच्छा होती है उस मे पुरुष की प्रवृत्ति स्वत ही हो जाती है, इसीलिये स्वर्ग आदि मे पुरुषप्रवृत्ति के लिये विधि की अपेक्षा नहीं होती। इस से स्पष्ट है कि फल विधिजन्यप्रवृत्ति का विषय नहीं होता अतः उस मे इष्ट की साधनता और अनिष्ट की असाधनता का बोध अपेक्षणीय नहीं होता। इसीलिये श्येनयाग के शास्त्रविहित होने पर भी उस का फल शत्रुवधरूप अभिचार अनर्थ का साधन होता है क्योंकि वह प्रवर्तना का विषय नहीं होता। प्रवर्तना का विषय तो वह होता है जो विधिजन्य प्रवृत्ति का विषय होता है और वह है धातु का अथ याग आदि, जो फल का करण हुआ करता है। इस प्रकार यह निविवाद सिद्ध है कि अनर्थ का हेतु प्रवर्तना का विषय नहीं होता। उपर्युक्त रीति से यह निस्सन्देह सिद्ध है कि विधि और निषेध मे विरोध होता है, अतः सामान्यनिषेध का विशेषविधि से बाध होना न्यायप्राप्त है। इसलिये 'न हिस्यात् सर्वभूतानि' इस निषेधवाक्य का विषय वही हिंसा हो सकती है जो यज का अङ्ग न होकर केवल रागद्वेषादि वश ही की जाती है।

(अग्निष्टोमादि याग श्येनयाग से तुल्य नहीं)

इस स्थिति मे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि श्येनयाग की समानता बताकर अग्निष्टोम आदि यज्ञो को जो दोषयुक्त कहा गया है वह उचित नहीं है, क्योंकि श्येनयाग से अग्निष्टोम आदि का वैषम्य सुस्पष्ट है, और वह इस प्रकार की श्येनयाग शास्त्रविहित होने से यद्यपि स्वयं अनर्थ का हेतु नहीं है किन्तु उस का फल शत्रुवधरूप अभिचार विधि का विषय न होने से 'न हिस्यात् सर्वभूतानि' इस सामान्यनिषेध के आधार पर अनर्थ का साधन है, अतः अनर्थसाधन का प्रयोजक होने से श्येन की दोषयुक्तता न्यायसंगत है, किन्तु अग्निष्टोम शास्त्रविहित होने से न स्वयं अनर्थ का साधन है और न उस की अङ्गभूत हिंसा ही शास्त्रविहित होने से सामान्यनिषेध का विषय न होने के कारण अनर्थ का साधन है, और न उस का फल स्वयं ही किसी निषेध का विषय न होने के कारण अनर्थ का साधन है। अतः किसी भी प्रकार अनर्थजनन मे प्रयोजक न होने के कारण

प्राभाकरास्तु 'फलसाधने रागत एव प्रवृत्तिमिद्वेर्न नियोगम्य प्रवर्तकत्वम्, तेन श्येनस्य रागजन्यप्रवृत्तिविषयत्वेन विधेरौदासीन्याद् न तस्याऽनर्थहेतुन्वं विधिना प्रतिक्षिप्तयते । अग्नीपोमीयहिंसायां तु क्रत्वङ्गभूतायां फलमाधनत्वाभावेन रागाभावाद् विधिरेव प्रवर्तकः, स च स्वविषयस्याऽनर्थहेतुतां प्रतिक्षिप्ति, इति प्रधानभूता हिंसाऽनर्थं जनयति, न क्रत्वर्थी, इति न हिंसामिश्रितत्वेन दुष्ट्वमग्नीपोमादेः' इत्याहुः ।

इदं च मतद्वयं फलतस्तुल्यमेव । इयाम्तु विशेषो यत्—प्रभाकरमन्ते—‘चोदनालक्षणोऽथर्वा धर्मः (जैमीनीयद्वृत्ते १, १, २ ।) इत्यत्राऽर्थपदव्यावर्त्यत्वेनाधर्मन्वं श्वेनादेः । भाद्रमन्ते तु श्येनफलस्यैवाऽभिचारस्याऽनर्थहेतुत्वादधर्मत्वम्, श्येनस्य तु विहितम्य मर्माहितमाधनम्य धर्मत्वमेव, अर्थपदव्यावर्त्य (त्यत्वं)तु कलिञ्जभक्षणादार्नपिद्वस्यव इति, फलतोऽनर्थहेतुत्वेन तु शिष्टानां श्येनादौ न धर्मत्वेन व्यवहार इति ।

श्येनयाग से उसकी विषमता स्पष्ट है, इसलिये श्येनयाग के समान उसे भी दोषयुक्त बताना नितान्त असगत है । विधि के विषय में निषेध की प्रवृत्ति उचित नहीं है यह पहले कहा जा चुका है—जो सर्वथा आवश्यक है अन्यथा विधि का विषय होने पर भी ज्योतिष्ठोम आदि को यदि निषेध का विषय माना जायगा तो नातिरात्रे घोड़शिन गृह्णाति=अतिरात्र में घोड़शी का ग्रहण न करे’ इस निषेधवाक्य का विषय होने के कारण ‘अतिरात्रे घोड़शिन गृह्णाति’=अतिरात्र में घोड़शी ग्रहण करे’ इस विधिवाक्य से बोधित घोड़शीग्रहण भी अनर्थ का साधन हो जायगा । अत ‘अग्नीपोमीय पशुमाल-भेत’ इस विधि के विषयभूत यज्ञाङ्गहिंसा में ‘न हित्यात् सर्वभूतानि’ इस निषेध की प्रवृत्ति के पक्ष में जो कुछ कहा जाता है वह ‘कुछ नहीं’ के बराबर है ।

(यज्ञीय हिंसा मे प्रभाकर-मत)

प्रभाकरमतानुयायो मीमांसको का कहना है कि जिस प्रकार फल मे पुरुष की प्रवृत्ति राग से ही होती है उसी प्रकार फल के साधन मे भी पुरुष की प्रवृत्ति रागवश ही होती है अत विधिवाक्य फलसाधन मे भी प्रवर्तना का जनक नहीं होता । इस तथ्य के अनुसार श्येनयाग भी रागजन्य प्रवृत्ति का ही विषय होता है, अत विधिवाक्य उस के विषय मे तटस्थ रहता है अत एव विधि से उस मे अनर्थ हेतुता के अभाव का आक्षेप नहीं होता, इस कारण से श्येनयाग को अनर्थहेतुता अक्षुण्ण रहती है, किन्तु अग्निष्टोम मे की जानेवाली हिंसा यज्ञ का अङ्ग होने से न फल ही है और न फल का साधन ही है । अत उस मे राग न होने के कारण स्वत प्रवृत्ति नहीं हो सकती किन्तु विधिवाक्य से ही प्रवृत्ति हो सकती है, अत विधिवाक्य से उस मे अनर्थसाधनता के अभाव का आक्षेपक बोध आवश्यक होने से सामान्य निषेधवाक्य से उसमे अनर्थसाधनता का बोध बाधित हो जाता है इसलिये प्रधानहिंसा ही अनर्थ का साधन हो सकती है, यज्ञ की अङ्गभूत हिंसा अनर्थ का साधन नहीं हो सकती । अत हिंसा से मिश्रित होने के कारण अग्निष्टोम को दोषयुक्त कहना पूर्णतया अनुचित है ।

तत्र भाद्रमतेऽभिचारः शत्रुवधानुकूलव्यापारः पापरूप एव, इति कथं श्येनस्य नानर्थ-हेतुत्वम् ! इति विधिविषयेऽपि निषेधावकाश एवाऽयातः, अनर्थप्रयोजकत्वस्यैव लाघवेन शिष्टप्रयोगानुरोधेन च निषेधविध्यर्थत्वे तु सुतगं तस्मादिष्टसाधनत्वमात्रमेव विध्यर्थः । फले उत्कटेच्छाविरहविशिष्टदुःखजनकत्वज्ञानमेव च प्रवृत्तिप्रतिवन्धकम्, इति श्येन इव क्रत्वड्ग-हिंसायामपि सामान्यनिषेधवाक्यात् प्रत्यवायजनकत्वबोधेऽपि प्रश्लदोपमहिम्ना फले उत्कटे-च्छाया अविवानात् प्रवृत्तिः, इति न तत्र क्रत्वड्गत्वा-अनर्थहेतुत्वयोर्विरोधः, इति प्रत्यवाय-जनकेऽपि प्रवर्तकस्यैतादृशजाक्यस्याऽर्थशास्त्रत्वमेव, न धर्मशास्त्रत्वम्, इति प्रतिपत्तव्यम् ।

(भट्ट-प्रभाकर-मत से ऐक्य और अन्तर)

वास्तव दृष्टि से विचार करने पर भट्ट और प्रभाकर दोनों का मत समान ही प्रतीत होता है । अन्तर केवल इतना ही है कि प्रभाकर के मत में 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म' अर्थात् 'चोदना=विधिवाक्य से वोध्य अर्थ धर्म है' इस लक्षण में अर्थपद श्येन का व्यावर्तक है, अतः उन के मत से श्येन अधर्म है और भट्टमत से श्येन का फल अभिचार ही अनर्थ का हेतु होने से अधर्म है । श्येन तो शास्त्रविहित इष्टसाधन होने के कारण धर्म ही है उक्त धम लक्षण में 'अथपद' भट्ट मत के अनु-सार कलञ्जभक्षण आदि निषिद्ध कर्मों का ही व्यावर्तक है न कि विहित श्येनयाग का, अतः उक्तलक्षणानुसार भी श्येन धर्म ही है । धर्म होने पर भी शिष्ट पुरुष जो उसे धर्म नहीं कहते उस का कारण उस की अधमरूपता नहीं है किन्तु अनर्थ के साधनभूत अभिचार का जनक होने से अधमप्रयोजकता है अर्थात् श्येन स्वयं अधर्म न होने पर भी अधर्म का जनक होने से शिष्टपुरुषों की दृष्टि में वह धर्मपद से व्यवहार्य नहीं है ।

[विधिविषय में भी निषेध सावकाश-भाद्रमतखंडन]

इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि अभिचार भी शत्रुवधानुकूलव्यापाररूप होने से पाप ही है अतः उस का जनक श्येनयाग भी अनर्थ का हेतु क्यों नहीं होगा ? और जब अनर्थ का हेतु होगा, तो 'श्येनेनाभिचरन् यजेत्' इस विधि का विषय होने पर भी उस में 'न हिस्यात् सर्वमूतानि' इस निषेध को प्रवृत्त होने का अवसर भाद्रमत में भी मिल ही जायगा । और यदि लाघव की दृष्टि से तथा शिष्टव्यवहार के अनुरोध से अनर्थहेतुत्व के बदले अनर्थप्रयोजकत्व को ही निषेधविधि का अर्थ माना जायगा, तब तो शत्रुवध से होने वाले पापरूप अनर्थ का प्रयोजक होने से श्येनयाग और भी सरलता से निषेधविधि का विषय बन जायगा । इस स्थिति में यह उचित है कि बलवान् इष्ट की साधनता को विधि का अर्थ न मानकर सामान्यरूप से इष्टसाधनतामात्र को ही विधि का अर्थ माना जाय । ऐपा मानने पर यद्यपि यह प्रश्न हो सकता है कि- 'यदि विधि का अर्थ सामान्यतः इष्टसाधनतामात्र होगा और विधिविषय में भी निषेध की प्रवृत्ति होगी तो श्येनयाग में विधिवाक्य से सामान्य इष्टसाधनता का बोध होने पर भी उस से पुरुष की प्रवृत्ति न हो सकता क्योंकि इस का अत्यन्त उपयुक्त उत्तर यह है कि अनर्थसाधनत्व का ज्ञान तभी प्रतिबन्धक होता है जब जिस का प्रतिबन्ध

प्रभाकरमतेऽपि श्येनस्य विधिना फलमाधनन्वज्ञापन विना प्रवृत्त्यविषयत्वात् कथं रागजन्यप्रवृत्त्यविषयत्वम् । प्रधानहिंसात्वेन चाऽधर्मजनकत्वेऽन्यहिंनाया अधर्मजनकत्वं न स्यात् । रागप्राप्तहिंसात्वेन तथात्वेऽपि गगप्राप्त्वं यदि विध्यजन्येच्छाविषयन्वयम्, तदा श्येनाऽसंग्रहः, यदि चाङ्गविध्यजन्येच्छाविषयत्वम्, तदा श्येनाऽङ्गाऽसंग्रहः, गौण्वं च, इति न किञ्चिदेतत् । एतेन भाङ्गदर्शनमवलम्ब्याऽभिहितम् ‘अशुद्धमिति चेत् । न, शब्दात्’ इति वादरायणसूत्रमप्यपास्तम् ।

होता है उस मे फल की उत्कट इच्छा न हो । अत श्येनयाग मे निवेदवाक्य से अनर्थमाधनत्व का ज्ञान होने पर भी उस मे पुरुष की प्रवृत्ति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता क्योंकि जो श्येनयाग को करना चाहता है उसे श्येनयाग से होनेवाले शत्रुवधरूप फल की उत्कट इच्छा रहती है । इसी प्रकार अग्निष्टोम आदि यज्ञ के अङ्गभूत हिसा मे हिसासामान्य के निवेदकवचन से अनर्थजनकत्व का ज्ञान होने पर भी ‘अग्नीषोमीयं पशुमालभेत’ इस विधि से अग्निष्टोम के अङ्गभूत हिसा मे होनेवाली प्रवृत्ति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त हिसाद्वारा सम्पन्न होने वाले अग्निष्टोम यज्ञ को, जो पुरुष करना चाहता है उसे उस यज्ञ से होने वाले स्वगृह्य फल की उत्कट इच्छा रहती है जो सुख की प्रबल आसक्तिरूप दोष के कारण अपरिहार्य होती है । इस स्थिति मे यह ज्ञातव्य है कि उक्त रीति स यज्ञाङ्गत्व और अनर्थहेतुत्व मे कोई विरोध न होने से पापजनक कर्म मे भी प्रवर्तक होने के कारण ‘अग्नीषोमीयं पशुमालभेत’ जैसे वाक्य धर्मशास्त्र के रूप मे मान्य न होकर अर्थशास्त्र के रूप मे ही मान्य हो सकते हैं ।

[श्येनयाग के विषय मे प्रभाकर-मत का निरसन]

प्रभाकर मत मे ‘श्येनयागको रागजन्यप्रवृत्ति का विषय बताकर उस के विषय मे विधिवाक्य को उदासीन कहा गया है’ किन्तु यह स्पष्ट है कि जबतक विधिवाक्य से उस मे फलसाधनना का ज्ञान नहीं होता तबतक उस मे प्रवृत्ति नहीं होती अत उसे रागजन्य प्रवृत्ति का विषय और उस के सम्बन्ध मे विधिवाक्य को उदासीन कहना कैसे सम्भव हो सकता है ? प्रभाकर मत की यह बात भी कि-“प्रधानहिसा ही पाप की जननी होती है, यज्ञ को अङ्गभूत अप्रधानहिसा पापजननी नहीं होती”-ठीक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि प्रधानहिसा को ही पापजनक मानने पर तो किसी प्रधानहिसा के अङ्गरूप मे जो अप्रधान लौकिक हिसा होती है वह पाप का जनक न हो सकेगा । और यदि रागप्राप्त-हिसा को पापजनक मान कर प्रधान अप्रधान सभी प्रकार की यज्ञाह्य हिसा को पापजनक कहा जायगा, तो यह भी ठीक न हो सकेगा, क्योंकि रागप्राप्त का अर्थ (1) ‘विधि से अजन्य इच्छा का विषय’ माना जायगा तो श्येनयाग राग प्राप्त के अन्तर्गत न आने से पाप का जनक न हो सकेगा । और (11) यदि ‘अङ्ग विधि से अजन्य इच्छा का विषय’- यह अर्थ किया जायगा तो श्येनयाग के अङ्गभूतकर्मों का संग्रह न होगा । और (111) इच्छा मे विधि से अजन्यत्व अथवा अङ्गविधि से अजन्यत्व का निवेदा कर विशिष्ट इच्छा के विषयभूतहिसा को पाप का जनक माना जायगा तो गौरव होगा । अत लाघव की वृष्टि से हिसात्वरूप से हिसामात्र को पापजनक मानना ही उचित है । इसलिये यज्ञ के अङ्गभूत हिसा को पाप का जनक बताने का प्रभाकर का प्रयास भी कोरा प्रयास ही हैं ।

नैयायिकास्तु—‘इष्टसाधनत्वम्, कृतिसाध्यत्वम्, बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं च, इति त्रयमेव विध्यर्थः । तत्र क्रत्वर्थहिंसायां साक्षात् निषेधाऽभावात् प्रायश्चित्तानुपदेशाच्चेष्ट-साधनत्व-कृतिसाध्यत्ववद् बलवदनिष्टाननुबन्धित्वमपि विधिना वोध्यते, इति न तस्या अनथहेतुत्वम् । श्येनादेस्त्वभिचारस्य साक्षादेव निषेधात्, प्रायश्चित्तोपदेशाच्चानर्थहेतुत्वाव-गमात् तावन्मात्रं तत्र विधिना न वोध्यते, इति संगतं श्येना-उग्नीषोमयोर्वैलक्षण्यम्’ इत्याहुः ।

तदप्यसत्, क्रत्वज्ञहिंसायामपि सामान्यनिषेधानुगेधेनाऽनर्थहेतुत्वावश्यकत्वात्, तत्प्रायश्चित्तवोधकवेदस्याऽपि कल्पनात् । सामान्यनिषेध-विधिसंकोचे शक्यार्थत्यागेन वेदे

उपर्युक्त कारण से बादरायण का वह सूत्र भी निरस्त हो जाता है जिस में भाद्रमत का अवलम्बन कर यज्ञाङ्ग हिंसा को शास्त्रवचन के बल से निष्पाप बताने की चेष्टा की गयी है ।

[यज्ञोय हिंसा के बचाव में न्यायमत]

नैयायिक लोग अन्य प्रकार से श्येनयाग और अग्निष्टोम से वैषम्य बता कर श्येन में पापजनकत्व और अग्निष्टोम में पापजनकत्व के अभाव का उपपादन करते हैं । उन का कहना है कि-विधिप्रत्यय के तीन अर्थ होते हैं—इष्टसाधनत्व, कृतिसाध्यत्व, और बलवदनिष्टाननुबन्धित्व अर्थात् इष्ट की अपेक्षा बलवान अनिष्ट का अजनकत्व । विधिवाक्य जिस कर्म का विधान करता है उस में इन तीनों अर्थों का वोधन करता है । जो हिंसा क्रतु के अङ्गरूप में विहित होती है, उस हिंसा में भी उस के विधिवाक्य से इष्टसाधनत्व और कृतिसाध्यत्व के साथ बलवदनिष्टाऽजनकत्व का भी बोध होता है, क्योंकि वह भी साक्षात् निषिद्ध न होने सेत था उस के लिये किसी प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान न होने से अनर्थ का जनक नहीं मानी जा सकती ।

इस प्रकार विधिवाक्य से क्रत्वज्ञ हिंसा में बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध होने से वह अनर्थ का साधन नहीं होती, किन्तु श्येन का अनर्थसाधनत्व ध्रुव है क्योंकि अभिचाररूप होने से वह साक्षात् निषिद्ध है तथा उस के लिये प्रायश्चित्त का विधान है । अतः श्येनयाग के विधिवाक्य से उस में इष्ट-साधनत्व और कृतिसाध्यत्व इन दो ही बातों का बोध होता है, बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध नहीं होता । अतः विधिवाक्य से बलवान अनिष्ट के अजनकरूप से बोधित न होने के कारण उस का अनर्थ-साधनत्व निविवादसिद्ध है ।

(न्यायमत खण्डन)

इस कथन को व्याख्याकार श्रीमद् यज्ञोविजयजी ने असगत बताया है । उन का कहना है कि,—यज्ञ की अङ्गभूत हिंसा भी ‘न हिस्यात् सर्वभूतानि’ इस हिंसासामान्य के निषेधविधि का विषय होने से अनर्थ का सावन है, और इसी कारण उस के लिये भी प्रायश्चित्तवोधकवेद की कल्पना आवश्यक है । यज्ञ के अङ्गभूत हिंसा की विधि के अनुरोध से सामान्यनिषेध में सकोच करना उचित नहीं है, क्योंकि इस के लिये सामान्यनिषेधविधि का यह अर्थ करना होगा कि यज्ञीय पशु से

लक्षणापक्षाश्रयणस्यातिजघन्यत्वात् , अन्यथा 'रात्रौ शाद्वं न कुर्वीत' इत्यत्रापि नवो भेदवत्परत्वेन गुणविधेः अधिकारविधेर्वा प्रसङ्गात् , 'अमावास्यार्या पितृभ्यो दद्यात्' इन्यादिविधिवोधितश्राद्वजन्यतावच्छेदकपुण्यत्वाऽवान्तरजातिव्यापकजात्यवच्छन्नं प्रति गत्रीतरथाद्वकरणस्य कारणत्वेन रात्रिकृतश्राद्वात् फलसुत्पादामंभवात् । अथ 'तत्रापि विशेषनिषेधे सामान्यविधेः तदितरपरत्वव्युत्पत्त्याः प्रस [ब्य]ज्यनवैवावपत्तो नजो भेदवत्परत्वं न स्वीक्रियत' इति चेत् ? तहिं सामान्यविधेरसंकोचानुरोधेन निषेधविधौ विशेषणाभावमात्रविषयत्वं स्वीक्रियताम् , विकल्प एव वा ।

भिन्न प्राणियों की हिसान करे और इस अथ की प्राप्ति के लिये सामान्यनिषेध विधि के अन्तर्गत आये 'भूत' पद के शक्यार्थ का त्याग कर 'यज्ञीयपशुभिन्नभूत' मे उस को लक्षणा करनी होगी और लक्षणा एक जघन्यवृत्ति है, अत वेद जैसे महत्वीय माने हुए वाडमय मे उस वृत्ति का अवलम्बन करना अनुचित है ।

(गुणविधि-अधिकारविधि)

यह भी ज्ञातव्य है कि निषेध विधि मे लक्षणा का अवलम्बन करने पर रात्रौ शाद्व न कुर्वीत रात्रि से श्राद्व न करे' इस निषेधविधि मे भी नज़्पद की भिन्न मे लक्षणा मान्य हो सकेगी और तब उस का अर्थ होगा-'रात्रि से भिन्न समय मे श्राद्व करे' और उस स्थिति मे यह निषेधविधि न रहकर गुणविधि अथवा अधिकारविधि हो जायगी । आशय यह है कि जिस विधि से अड्ग और प्रधान के सम्बन्ध का बोध होता है उसे गुणविधि कहा जाता है जैसे 'दधना जुहोति-दही से हवन करे' इस विधि से हवन रूप प्रधान कर्मे के साथ उस के अड्ग भूत साधन दधि के सम्बन्ध का बोध होने से यह विधि गुणविधि होती है, उसी प्रकार 'रात्रौ शाद्व न कुर्वीत' यह विधि भी श्राद्वरूप प्रधान कर्मे के साथ रात्रि भिन्नकालरूप अड्ग के सम्बन्ध का बोधक होने से गुणविधि हो जायगी । अधिकारविधित्व की प्रसक्ति इसलिये होगी कि इस का पर्यवसान फलस्वामित्व के बोधन मे हो जाता है, जैसे-जब यह विधि रात्रिभिन्न समय मे श्राद्व के अनुष्ठान को विहित करेनी तो 'अमावास्यार्या पितृभ्यो दद्यात्=अमावस्या तिथि मे पितृरो का श्राद्व करे' इस श्राद्व के विधायक वाक्य से १ जिस जाति के पुण्य की जनकता श्राद्व मे विवक्षित है उम जाति के पुण्य के प्रति रात्रिभिन्न काल मे किया जाने वाला श्राद्व कारण है यह बात 'रात्रौ श्राद्व न कुर्वीत' इस विधि से बाधित होगी, और ऐसा होने पर फलत यह विधि-श्राद्वानुष्ठान के पुण्यार्थी मे रात्रिभिन्नकाल मे करणीय श्राद्व के फलस्वामित्व का बोध कराने मे पर्यवसित होगी ।

अत फलस्वामित्व के बोधन मे पर्यवसित होने से इस मे अधिकारविधित्व की प्रसक्ति अपरिहार्य है क्योंकि फलस्वामित्व की बोधक विधि ही अधिकारविधि होती है । इस मे गुणविधित्व और अधिकारविधित्व की प्रसक्ति इसलिये भी सम्भव है कि इस प्रसक्ति का कोई वाधक नहीं है,

१ मूल ड्याक्या मे पुण्यत्वावान्तरजातिव्यापकजात्यवच्छन्नं प्रति' इस अरा मे 'ज तिव्यापक' शब्द अविक लगता है ।

यैस्तु तत्र पर्युदासविषयप्राप्ते श्रद्धे रात्रिभिन्नत्वरूपगुणविधानमेव स्वीक्रियते, न तु रात्रिभिन्नाऽमावास्यात्वेन निमित्तत्वम्, विशेषण विशेष्यभावविनिगमनाविरहेणातिगौरवात्, तरत्रापि सामान्यनिषेधविधावक्त्वड्गहिंमात्वेन निमित्तत्वं परित्यज्य क्रत्वङ्गहिंसायां श्येन इव वलवदनिष्टाननुवन्धित्वान्वयपरित्यागमात्रे कि न मनो दीयते, प्रवृत्तेस्तद्वदेवोपपत्तेः ।

क्योंकि गुणविधि या अधिकारविधि होने पर भी इस से रात्रिशाद्व मे फलानुत्पादकता का बोध होने मे कोई बाधा नहीं होगी ।

[सामान्यविधि यथारूप मे अक्षुण्णः]

यदि यह कहा जाय कि-' विशेष का निषेध होने पर सामान्य विधि विशेषतरपरक हो जाती है मीमांसाशास्त्र की यह व्यवस्था है, और इस को उपपत्ति नज् पद से ही होती है अत विशेषनिषेध विधि मे नज् पद का तात्पर्य भिन्न अर्थ मे मानना आवश्यक होता है । इसलिये नज् पद को भिन्नार्थक मानने पर 'रात्री शाद्व न कुर्वीत' इस निषेधविधि मे उक्त रीति से गुणविधित्व अथवा अविकारविधित्व का आपादन उचित नहीं है क्योंकि नज् पद को मिन्नार्थक मानने का जब एक प्रयोजन विद्यमान है तब उस का प्रयोजनान्तर से सम्बन्ध जोड़ना अनुचित है" तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि उक्त व्यवस्था मे सामान्यविधि मे संकोच करना पड़ता है । अत ऐसी व्यवस्था करना उचित है जिस मे सामान्यविधि अपने यथाभूत रूप मे अक्षुण्ण रहे । एतदर्थ उचित यह होगा कि नज् पद को भिन्नार्थक न मान कर अभावार्थक माना जाय और निषेधविधि का विशेषणाभाव मे ही तात्पर्य माना जाय । जैसे, 'रात्री शाद्व न कुर्वीत' इस निषेध मे स्पृष्टमी विभक्तिसहित रात्रि शब्द का अर्थ है रात्रिनिष्ठित्वरूप विशेषण, अभावार्थक नज् शब्द से शाद्व मे रात्रिनिष्ठित्व के अभाव का बोध होगा, अत इस निषेध से उसी शाद्व की कतंव्यता प्रप्त होगी जो रात्रिनिष्ठि न हो । अथवा रात्रि शाद्व और रात्रिशाद्वाभाव मे विकल्प होगा, जिस का फल यह होगा कि कोई मनुष्य कभी रात्रिशाद्व और कभी रात्रीशाद्वत्याग दोनो न कर सकेगा किन्तु दोनो मे एक विकल्प ही स्वीकार करना होगा, वह नियमितरूप से रात्रिशाद्व ही करे या नियमित रूप से रात्रिशाद्व का त्याग ही करे । इस व्यवस्था मे नज् पद को भिन्न अर्थ मे लाक्षणिक मानने की आवश्यकता नहीं होती और सामान्यविधि अपने यथाभूत रूप मे सुरक्षित रह जाती है । इस व्यवस्था के अनुसार 'न हिन्द्यात् सर्वाभूतानि' यह सामान्यनिषेध भी अपने सामान्य अर्थ मे सुरक्षित रहेगा, लक्षणा द्वारा यज्ञीयपशु से भिन्न भूतो को ही हिंसा के निषेध मे इस का संकोच न होगा, अत इस सामान्य निषेध का विषय हो जाने से यज्ञीयहिंसा का भी अनर्थ साधनत्व निविवाद है ।

[सामान्यविधि के संकोच मे युक्त्यन्तर-तन्त्रण्डन]

कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 'रात्री शाद्व न कुर्वीत' इस निषेध विधि मे नज् को पर्युदास बोधक मानकर इसे रात्रिभिन्नत्वरूप गुण का ही विधायक मानते हैं । वे शाद्वविधायक वाक्य मे अभावास्या का रात्रिभिन्नत्वरूप विशेषण से संकोच कर रात्रिभिन्नत्व विशिष्ट अमावास्यात्व को शाद्व का निमित्त नहीं मानते, क्योंकि रात्रिभिन्नत्व और अभावास्यात्व के परस्पर विशेष्यविशेषणभाव मे विनिगमना

एनेन 'तेन रूपेण निमित्तताऽर्थिक्षी, इति न शब्दार्थन्यागः' इत्यपास्तम्, अर्थनः क्रन्वद्गहिमायां वलवदनिष्टानुवन्धित्वस्यंवाऽभिद्वेः, श्वेन इव तत्र सामान्यनिष्ठधयाधादेव तदनन्वयात् 'श्वेने तदनन्वयप्रयोजकं तात्पर्यम् . क्रन्वद्गहिमायां तु न तत्' इति कल्पना-गौरवे हिंमारमिकत्वं विनाऽन्यम्य वीजम्याऽभावान् ।

अथाऽर्जनीपोमादेः स्वर्गजनकत्वं श्रुतं तदद्भविमाया वलवदनिष्टानुवन्धित्वं विमित्तयादिति चेत् ? श्वेनम्याभिचारजनकत्वमपि किं न तथा ? । 'श्वेनजन्याऽदृष्टम्य शब्दवधनमर्कोभयजनकत्वान् न विगेध इति चेत् ? नहि क्रन्वद्गहिमाजन्याऽदृष्टम्यार्पणानिष्टोभयजनकत्वमङ्गीक्रियताम् । 'एवं सति पुण्यन्व-पापत्वयोः माद्भयेभिर्ति चेत् ? नदिदं तर्वव गंकटम् । अस्माकं तु पापानुवन्धिपुण्यविषाक्तनिमित्ततया श्वेनाऽर्जनीपोमादीनामिष्टप्रयोजकत्वमात्राम्य-

न होने से रात्रिजनन्तत्व विशिष्ट अमावास्यात्व और अमावास्यात्व विशिष्ट ग्रिभिन्नत्व इन दो रूपों से निमित्तता के स्वीकार्य होने से गौरव की आपाति होती है। ऐसे लोगों के प्रति व्यारथ्याकार का कहना है कि उन्हें इस चिन्तन में भी मनोयोग देना चाहिये कि 'अर्जनीपोमीषं पशुमालमेन' इस विशेषविधि के अनुरोधसे 'न हिस्यात्, सर्वमूर्तिनि' इस सामान्य निषेध में मकोच मान कर क्रन्वद्गभिन्नहिसात्व रूप से हिसा को निषेध्य मानने पर ऋत्वडगभिन्नत्व और हिसात्व के परम्पर विशेषविशेषणभाव में विनिगमना न होने से क्रत्वडगभिन्नत्वविशिष्टहिसात्व और हिसात्वविशिष्टक्रन्वद्गभिन्नत्व इन दो रूपों से हिसा को निषेध्य मानने में गौरव होगा। अत शामान्यनिषेध में संकोच मानना ठीक नहीं है, अपितु यह मानना ठीक होगा कि सामान्यनिषेध से हिसात्वरूप से हिसामात्र में अनर्थसाधनत्व का बोध होता है और क्रत्वडग हिसा में उस के विविवादय त्रे केवल इष्टसाधनत्व और कृत्तिसाध्यत्व का ही बोध होता है। वलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध नहीं होता जैसा कि श्वेनयाग के विधि के सम्बन्ध में माना जाता है। क्रत्वडगहिसा में वलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध न होने पर भी केवल इष्टसाधनत्व और कृत्तिसाध्यत्व के ही बोध से प्रवृत्ति उसी प्रकार हो सकेगी जैसे श्वेनयाग में होती है।

इस प्रसङ्ग में यह कहना कि "रात्रिशाद्वनिषेध के अनुरोध से शाद्विधायकवाद्य में मंकोच के लिये अमावास्या पद के शब्दार्थ का त्याग करने को आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्ञात्रिभिन्न अमावास्यात्वरूप से श्राद्ध को निमित्तता शब्दत् बोध्य न हो कर अर्थत् बोध्य होती है। इसी प्रकार सामान्यनिषेध में भी क्रत्वडगहिसा की विधि के अनुरोध से संकोच करने के लिये वहाँ भी शब्दार्थत्याग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ भी क्रत्वडगभिन्नहिसात्वरूप से निषेध्यता का बोध शब्दत् न मान कर अर्थतः माना जा सकता है" यह कहना ठीक नहीं हो सकता क्योंकि श्वेनयाग के समान क्रत्वडगहिसा में भी सामान्यनिषेध के कारण वलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध अथत् असिद्ध है। यदि यह कहा जाय कि श्वेनयाग में वलवदनिष्टाऽजनकत्व का अन्वय न होने से शास्त्र का तात्पर्य है किन्तु क्रत्वडगहिसा में उस का अन्वय न होने से शास्त्र का तात्पर्य नहीं है तो इस कल्पना-गौरव का आधार कल्पक के हिसाप्रेम को छोड़ कर दूसरा कुछ नहीं हो सकता।

पगमे न किञ्चिद् बाधकम् । -‘यो यद्गतफलार्थितया क्रियते, स तद्गतकिञ्चिदतिशयजनकः’ इति नियमात् शत्रुवधार्थितया क्रियमाणं श्येनजन्याद्वृष्टं पापरूपं शत्रावेव स्वीक्रियत’-इति चेत् ? कथं तद्विं श्येनकर्तुं नरकाऽवासिः, श्येनध्वंसस्य श्येनव्यापारतायामन्यत्राऽप्यदृष्टेऽच्छेद-प्रसंगात्, शत्रुनिष्ठुपापस्य च भोगेन नाशात् । न चायं नियमोऽपि, कर्मणः समानाधिकरण-

[श्येनयाग-अग्निष्ठोम फल के प्रति समान]

प्रस्तुत विचार के प्रसङ्ग में यदि यह कहा जाय कि-‘अग्निष्ठोम आदि यज्ञों में वेदात्मक प्रमाण से स्वर्गजनकत्व सिद्ध है अत उस के विरोध के कारण उसके अङ्गमूल हिसा से बलवदनिष्ठजनकत्व नहीं माना जा सकता’-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर वेदसिद्ध अभिचारजनकत्व के कारण श्येनयाग में भी बलवदनिष्ठजनकत्व का त्याग करना होगा । फलतः वह भी अनर्थ का साधन न हो सकेगा । यदि यह कहा जाय कि-‘श्येनजन्य अद्वृष्ट को शत्रुवध और नरक दोनों का जनक मानने में कोई विरोध नहीं है’-तो क्रत्वङ्गहिसा से होनेवाले अद्वृष्ट को भी इष्ट और अग्निष्ठ दोनों का जनक मानने में व्याप्ति और पापत्व में साङ्घर्ष्य होगा तो यह कथन नैयायिक को ही सकट का कारण हो सकता है, आहंतो को नहीं, क्योंकि आहंत मत में ऐसे कर्मों से पापानुबन्धी पुण्य का बन्ध माना जाता है अतः श्येन और अग्निष्ठोम दोनों को समानरूप से इष्टप्रयोजकमात्र मान कर दोनों को अनर्थ का भी प्रयोजक मानने में कोई वाधा नहीं हो सकती ।

[श्येन से शत्रु में ही अद्वृष्टजनन का खण्डन]

कुछ लोगों का इस विषयमें यह कहना है कि-“शत्रुवध के लिये विहित श्येनयाग से पापरूप अद्वृष्ट की उत्पत्ति शत्रु से ही होती हैं, श्येनकर्ता में नहीं होती, क्योंकि यह नियम हैं कि-जो कर्म जिस आश्रय में किसी फल को उत्पन्न करने के अभिप्राय से विहित होता है वह कर्म उस में किसी अतिशय-अद्वृष्ट को उत्पन्न करता है” किन्तु यह कहना ठीक नहीं हैं क्योंकि ऐसा मानने पर श्येनकर्ता को नरक की प्राप्ति न हो सकती, क्योंकि श्येनकर्ता में आशुविनाशी श्येनयाग का कोई व्यापार न रहेगा । यदि यह कहा जाय कि-‘श्येनयागकर्ता में होने वाला श्येनध्वंस ही नरक के जनन में श्येन का द्वार है, अतः यह आपत्ति नहीं हो सकती’- तो यह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि एकत्र कर्मध्वंस को कर्म व्यापार मानने पर अन्यत्र भी कर्मध्वंस को ही कर्म का व्यापार मान लिये जाने की सम्भावना से कर्मव्यापार के रूप में अद्वृष्ट की सिद्धि ही असम्भव हो जायगी ।

यदि यह कहा जाय कि-“शत्रुनिष्ठ पाप ही श्येन का द्वार है और वह स्वजनकश्येनकर्तृत्व सम्बन्ध से नरक का कारण है अतः इससे श्येनकर्ता को नरक की प्राप्ति में कोई वाधा नहीं हो सकती”-तो यह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि शत्रुगत पाप का शत्रुगत भोग से नाश हो सकता है, अतः श्येनकर्ता को नरक की प्राप्ति होने तक उस का अस्तित्व सन्दिग्ध होने से उसे द्वार मानना सम्भव नहीं हो सकता । सच बात तो यह है कि उक्त नियम भी अप्रामाणिक हैं क्योंकि अद्वृष्ट और कर्म में सामानाधिकरण कार्यकारणभाव होता है अतः कर्म से व्यधिकरण अद्वृष्ट की उत्पत्ति नहीं हो सकती । और यदि कुछ

स्यैवाऽदृष्टस्य जनकत्वात् , तत्तदृष्टाऽन्यादृष्टत्वेन समानाधिकरणकर्मजन्यत्वे गौरवात् ।
एतेन श्येनात् पापद्वयाभ्युपगमोऽपि परास्तः; इति न किञ्चिदेतत् ।

ये तु-“श्येनेऽपि बलवदनिष्टाननुवन्धित्वं न वाधितान्वयम्, न हि सा हिंसा, अदृष्टाद्वारकमरणोद्देश्यकमरणानुकूलत्यापारस्यैव हिंसात्वात् । गड्गामरणार्थक्रियमाणत्रिसन्ध्य-स्तवपाठवारणाय ‘अदृष्टाऽद्वारक’ इति विशेषणम्, कूपकर्तुदेवात् कूपपतितगोहिंसावारणाय ‘मरणोद्देश्यक’-इति । तथा च श्येनस्याऽपि न निषिद्धत्वम्”-इत्याहुः-

तेषां हिंसाणामपूर्वा हिंसारसिकता, यथा श्येनकर्तुरपि वैरिमरणप्रयोजकवज्रपाताद्य-कर्तुत्वेन शिष्टत्वमनुमतम् । अनर्थप्रयोजकेऽपि निषेधविधिप्रवृत्तौ च प्रतिज्ञावाध इति । न च

अदृष्टो की व्यधिकरण कर्म से भी उत्पत्ति समर्थन करने के लिये तत्तत् अदृष्ट से भिन्न अदृष्ट के ही प्रति कर्म को समानाधिकरणेन कारण माना जाय तो कार्यतावच्छेदक में गौरव होने से वह कार्य-कारणमाव मान्य न हो सकेगा । इसीलिये यह भी कल्पना करना उचित नहीं है कि-‘श्येनयाग से दो पाप उत्पन्न होते हैं, एक शत्रु में और दूसरा श्येनकर्ता में’-क्योंकि-ऐसा मानने में गौरव हैं जो अप्रामाणिक होने से स्वीकार्य नहीं हो सकता । अतः श्येन में और हिंसासाध्य अग्निष्टोम आदि में अनर्थसाधनत्व का अभाव सिद्ध करने का ऐसा कोई भी प्रयास उचित नहीं हो सकता ।

[अदृष्टाद्वारक मरणोद्देश्यक व्यापार ‘हिंसा’]

कुछ विद्वानों का कहना है कि-“श्येनयाग में भी बलवदनिष्टाऽजनकत्व का अन्वय वाधित नहीं है । श्येनविधि से इष्टसाधनत्व और कृतिसाध्यत्व के साथ श्येन से बलवदनिष्टाऽजनकत्व का भी बोध होता है, अतः वह भी हिंसारूप नहीं है, क्योंकि जो व्यापार मरणोद्देश्यक होता है तथा अदृष्ट को द्वार बनाये बिना ही मरण का सम्पादक होता है वही व्यापार हिंसा कहा जाता है । श्येन तो अदृष्ट द्वारा ही मरण का सम्पादक होता है, अतः उसे हिंसा नहीं कहा जा सकता । हाँ, हिंसा के लक्षण में से यदि ‘अदृष्टाऽद्वारकत्व’-अदृष्ट को द्वार बनाये बिना हो’ इस अंश को निकाल दिया जाय तो श्येन भी अवश्य हिंसारूप हो सकेगा, किन्तु उस अश को लक्षण से पृथक् नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे लक्षण में से निकाल देने पर गंगा में मरण होने के उद्देश्य से तीनों सन्ध्या-प्रातः-मध्याह्न और सायं के समय गड्गास्तोत्र आदि का जो पाठ किया जाता है, वह भी हिंसा हो जायगा । इसी प्रकार हिंसा के उक्तलक्षण में ‘मरणोद्देश्यक’ इस अंश का रहना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि उस अंश को लक्षण से पृथक् कर दिया जायगा तो कूपनिर्माण भी हिंसा हो जायगी क्योंकि कूप में गिर जानेवाली गाँ के मरण का वह प्रयोजक है और उस मरण से अदृष्टरूप द्वार की अपेक्षा नहीं होती । किन्तु ‘मरणोद्देश्यक’ इस अंश को लक्षण में रखने पर यह दोष नहीं होता, क्योंकि कूप का निर्माण इस उद्देश्य से नहीं किया जाता कि इस निर्माण से सम्पन्न होने वाले कूप में गाँ आदि पशु गिर कर मरें, अतः श्येनविधि से श्येन में भी बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध होने से वह भी ‘न हिंस्यात् सर्वाभूतानि’ इस निषेधविधि का विषय नहीं होता, फलतः क्रत्वङ्ग हिंसा के समान वह भी पापजनक नहीं होता—”

तैः पापमभिहिंसालक्षण स्वमतेनाऽपि सुषु प्रुष्टम्, स्वजन्याऽदृष्टाजन्यत्वस्य मरणविशेषणत्वे-
ऽसंभवात्, कार्यमात्रस्याऽदृष्टजन्यत्वात्, सामानाधिकरणेनाऽदृष्टजन्यत्वनिवेशे च श्येनाति-
व्याप्तेः । एतेन ‘अदृष्टव्यापारसंबन्धेन स्वाजन्यत्वं तत्’ इत्यपि निगस्तम्, प्रतियागप्रति-
वद्वश्येनातिव्याप्तेश्च । न च तत्र मरणोपधायकत्वलक्षणं मरणानुकूलत्वमेव न, इति नाति-
व्याप्तिरिति वाच्यम्, खड्गघातेनाऽपि यत्र दैवाद् मरणं तत्राऽव्याप्त्यापत्तेः । न च
तत्रापि पूर्णप्रायश्चित्ताऽभावाद् न हिंसेति वाच्यम्, अर्धप्रायश्चित्तस्यापि हिंसानिमित्तवात् ।

ऐसे विद्वानों के सम्बन्ध में व्याख्याकार का कहना है कि इन विद्वानों का हिंसाप्रेम अपूर्व है, जिस के कारण ये विद्वान शत्रु का प्राण हरण करनेवाले श्येन कर्ता को भी केवल इसलिये शिष्ट मानने को तैयार हैं कि वह शत्रु का वध करने के लिये उस पर वज्रप्रहार नहीं करता या उस के गले में छूरा नहीं भोकता ।

[‘अदृष्टाद्वारक’ विशेषणानुपपत्ति]

उनके हिंसाप्रेम का ही यह भी प्रभाव है कि वे श्येनयाग में सामान्यहिंसानिषेध वचन की अप्रवृत्ति बताते हुये यह भी भूल जाते हैं कि ऐसा मानने पर ‘अनर्थ के प्रयोजक में भी निषेवविधि की प्रवृत्ति होती है’ उनकी इस प्रतिज्ञा का बाध होता है । सच बात तो यह है कि इन पापियों ने हिंसा का जो लक्षण बताया हैं वह उनके मत से भी समीचीन नहीं हो पाता क्यों कि अदृष्टाऽद्वारकत्व विशेषण से लक्षण का यह स्वरूप निष्पत्त होता है कि ‘जो व्यापार स्वजन्यश्रदृष्ट से अजन्य मरण का प्रयोजक हो एवं मरणोद्देश्यक हो वह व्यापार हिंसा है,’ किन्तु यह लक्षण असम्भव दोष से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि कार्यमात्र अदृष्ट से जन्य होता है, अतः मरण भी अवश्य ही अदृष्टजन्य होगा, और वह जिस अदृष्ट से जन्य होगा वह अदृष्ट उस व्यापार से भी जन्य होगा जिस व्यापार में प्रस्तुत हिंसा लक्षण का सम्बन्ध अभीष्ट है, क्योंकि भरणप्रयोजकव्यापार सामान्यरूप से मरणजनक अदृष्टसामान्य का जनक होता है । यदि इस दोष के वारणार्थ मरण में समानाधिकरणअदृष्टाजन्यत्व का निवेश किया जायगा तो इस दोष का परिहार तो हो जायगा क्योंकि हिंसासे होने वाला मरण मरनेवाले के अदृष्ट से होता है और वह अदृष्ट हिंसा का समानाधिकरण नहीं होता किन्तु ऐसा करने पर श्येन में हिंसालक्षण की अतिव्याप्ति होगी क्योंकि श्येन से होनेवाला मरण भी श्येनकर्ता के अदृष्ट से उत्पन्न होने के कारण समानाधिकरण अदृष्ट से अजन्य होता है ।

[स्व(श्येन) जनकमरणेच्छाविशेष्यत्व संबन्ध भी अनुपपत्ति]

उक्त असम्भव का वारण करने के लिये अदृष्टाऽद्वारकत्व का अर्थ यदि ‘अदृष्टात्मकव्यापार रूप सम्बन्ध से स्वाऽजन्य’ किया जाय तो इस अर्थ से असम्भव का वारण तो हो जायगा क्योंकि हिंसाजन्य मरण के प्रति हिंसा साक्षात् कारण होती है, ‘अदृष्टात्मकव्यापाररूप सम्बन्ध से कारण नहीं होती और वह मरण मरने वाले प्राणी के जिस अदृष्ट से होता है वह हिंसा का व्यापार नहीं होता, किन्तु यह अर्थ भी सदोष होने से त्याज्य है, क्योंकि यह अर्थ स्वीकार करने पर भी श्येन में हिंसालक्षण की अतिव्याप्ति का परिहार नहीं हो सकता क्योंकि श्येन भी अदृष्टात्मकव्यापार रूप सम्बन्ध से शत्रुमरण का जनक नहीं होता अपितु स्वजनकमरणप्रकारक्षच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध से

जनक होता है। कहने का आशय यह है कि श्येन से उत्पन्न होने वाला अद्विष्ट श्येनकर्ता में होता है अतः वध्य शत्रु के साथ उसका सम्बन्ध न हो सकने से वह शत्रुमरण में श्येन का व्यापार नहीं बन सकता, अपितु श्येनकर्ता जिस इच्छा से श्येनयाग करता है वह इच्छा ही शत्रु के साथ श्येन का सम्बन्ध स्थापित करती है। जैसे श्येन याग को जनक इच्छा इस प्रकार होती है कि—‘मेरे द्वारा अनुष्ठित होने वाले श्येन से शत्रु का मरण हो’। इस इच्छा के द्वारा शत्रु के साथ श्येन का स्वजनक मरण प्रकारक इच्छा विशेष्यत्व सम्बन्ध स्थापित है। जैसे, स्व का अर्थ है श्येन, उस की जनक मरण प्रकारक इच्छा है उक्त इच्छा, उस की विशेष्यता शत्रु में है, अतः श्येनजन्य शत्रुमरण अद्विष्टव्यापारात्मक सम्बन्ध से श्येनाऽजन्य है। अत एव मरण में अद्विष्टव्यापारात्मक सम्बन्ध से स्वजन्यत्वरूप अद्विष्टाऽद्वारकत्व का निवेश करने पर भी श्येन में हिंसालक्षण की अतिव्याप्ति अनिवार्य है।

यदि यह कहा जाय कि—“श्येन को उक्त इच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध से शत्रुमरण का कारण मानने पर अड्गवैकल्य से श्येनयाग के अपूर्ण रह जाने पर भी उक्त इच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध के अक्षुण्णा रहने के कारण शत्रुमरण की आपत्ति होगी अतः उसे अद्विष्टात्मक व्यापाररूप सम्बन्ध से ही कारण मानना होगा, श्येनकर्ता ने उत्पन्न होनेवाले अद्विष्ट का शत्रु के साथ साक्षात् सम्बन्ध न होने पर भी स्वाश्रय संयुक्त संयोगरूप परम्परा सम्बन्ध बन सकता है। जैसे, स्व का अर्थ है श्येनजन्य अद्विष्ट, उस का आश्रय है श्येनकर्ता, उस से संयुक्त होता है मूर्तद्रव्य, और उस का संयोग होता है शत्रु के साथ। श्येनकर्ता प्रात्मा और शात्रु आत्मा दोनों के व्यापक होने से इस सम्बन्ध के होने में कोई वाधा नहीं हो सकती। प्राणगरोरसयोगध्वस्त्रूप मरण भी स्वप्रयोज्यभोगाभाववत्व सम्बन्ध से शत्रु-आत्मा में रहता है, अतः इस सम्बन्ध से शत्रु आत्मा में होने वाले मरण के प्रति स्वजन्याऽद्विष्टाश्रयसंयुक्तसयोग सम्बन्ध से श्येन को कारण मानना युक्तिसंगत ही है। श्येन का यह सम्बन्ध वध्यशत्रु से भिन्न व्यक्तियों में भी रहता है, किन्तु श्येन से उन व्यक्तियों का वध नहीं होता, अतः श्येन को केवल इस एक सम्बन्ध से ही कारण मानना ठीक नहीं है किन्तु उक्त प्रद्विष्टघटित सम्बन्ध तथा स्वजनकमरणप्रकारक इच्छा-विशेष्यत्व सम्बन्ध इन दो सम्बन्धों से कारण मानना आवश्यक है। वध्य शत्रुओं से भिन्न व्यक्तियों में श्येन का इच्छाघटित सम्बन्ध न होने से उन के मरण की तथा अङ्ग वैकल्य से श्येन की अपूर्णतादशा में अद्विष्टघटित सम्बन्ध न होने से उस दशा में शत्रुमरण की आपत्ति नहीं हो सकती। तो इप्रकार श्येनजन्य मरण से अद्विष्टात्मक व्यापाररूप सम्बन्ध से श्येनजन्यत्व ही रहने के कारण श्येन में अतिव्याप्ति न हो सकने से हिंसा का उक्त लक्षण निर्दोष हो सकता है,—तो

यह कहना भी लक्षण को निर्दोष नहीं बना सकता, क्योंकि विरोधी याग के कारण श्येनयाग से अभीप्सित शत्रुवध की अनुत्तिदशा में श्येनयाग में अतिव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता क्योंकि वह श्येन भी अद्विष्टरूप व्यापारात्मक सम्बन्ध से स्व से अजन्य मरण का प्रयोजक मरणोद्देश्यक व्यापार है। इस दोष का परिहार करने के लिये यदि-मरणप्रयोजकत्व के स्थान में मरणोपधायकत्व का निवेश किया जाय—तो यह भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ किसी प्राणी पर खङ्ग-प्रहार करने पर भी प्राणी की मृत्यु उस प्रहार से न होकर बाद में दैववश हो जाती है वहाँ उस खङ्गप्रहाररूप हिंसा में मरणोपधायकत्व न होने से हिंसालक्षण की अव्याप्ति होगी।—ऐसे व्यापार के लिये पूर्ण प्रायश्चित्त का विधान न होने से ऐसे व्यापार को हिंसा ही नहीं माना जा

एतेन 'मरणजनकादृष्टाजनकत्वलक्षणं तद् व्यापारविशेषणम्' इत्यपि निरस्तम्, इतरहिंसाजनकतादृष्टाऽप्रसिद्धेश्च । मरणोद्देश्यकत्वमपि न मरणत्वप्रकारकेच्छाऽजन्येच्छाऽविषयत्वम्, धनादिलिप्सया हिंसायामव्याप्तेः; किन्तु मरणजनकेच्छाविषयत्वम्; तथा च क्रत्वद्गहिंसायामतिव्याप्तिः; अत एव मरणफलकतावोधकविधिवोधितकर्तव्यताकान्यत्वरूपाऽदृष्टाऽद्वारकत्वनिवेशेऽपि न निस्तारः । न चाविहितत्वमात्रनिवेशेऽपि निर्वाहिः, प्रभादकृत-हिंसायामव्याप्तेः, विहितेऽपि श्येनादौ त्वदीयानामपि हिंसाव्यवहारात्, अनेन रूपेण पाप-जनकत्वे गौरवाच्चेति दिग् ।

'सकता'-यह बात नहीं कही जा सकती क्योंकि अर्धप्रायशिच्चत्त का विधान भी उसे हिंसा मानने पर ही उचित हो सकता है । अतः प्राणिवध का असफल व्यापार भी हिंसारूप होने से उस में अव्याप्ति के भय से हिंसालक्षण में मरणोपघायकत्व का निवेश नहीं किया जा सकता ।

(मरणजनकादृष्टाजनकत्व का निवेश अप्रसिद्ध)

श्येनयाग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये अदृष्टरूप व्यापारात्मक सम्बन्ध में मरणजनक अदृष्ट के अजनकत्व का भी निवेश करने से हिंसा का उक्त लक्षण निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि श्येन से श्येनकर्त्ता में उत्पन्न होने वाले अदृष्ट को वधयशत्रु में मरणानुकूल अदृष्ट को उत्पन्न करने द्वारा शत्रु का मारक मानने पर इस विशेषण से श्येन में अतिव्याप्ति का वारण तो हो सकता है, क्योंकि उसका अदृष्टात्मक व्यापार मरणजनक अदृष्ट का अजनक नहीं है अत मरणजनकादृष्टाजनक-अदृष्टरूप व्यापारात्मक सम्बन्ध से श्येनजन्यत्व की अप्रसिद्धि होने से उक्त सम्बन्ध से श्येनाऽजन्यत्व की भी अप्रसिद्धि होने के कारण श्येन में उक्त लक्षण का जाना सम्भव नहीं है, किन्तु अदृष्टात्मक व्यापार में उक्त निवेश करने पर लक्षण असम्भव से ग्रस्त हो जायगा, क्योंकि हिंसा से जो अदृष्ट उत्पन्न होता है वह भी अन्य हिंसा का जनक होने से उस हिंसा से होनेवाले मरणके जनक अदृष्ट का जनक होता है अतः मरणजनकादृष्ट का अजनक अदृष्ट ही अप्रसिद्ध हो जाता है

(मरणोच्छाजन्येच्छाऽविषयत्व भी अनुपपन्न)

मरणोद्देश्यकत्व का निवेश भी निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उसे मरणोच्छा से अजन्य इच्छा का अविषयत्वरूप माना जायगा तो यद्यपि कूपनिर्माण तो मरणोद्देश्यक न हो सकेगा क्योंकि कूपनिर्माण की इच्छा मरणोच्छा से अजन्य इच्छा है और कूपनिर्माण उस का विषय है अविषय नहीं, और हिंसा मरणोद्देश्यक हो सकेगी क्योंकि उस की इच्छा मरणोच्छा से जन्य होती है, अत हिंसा मरणोच्छा से अजन्य इच्छा को अविषय होती है,-तथापि मरणोद्देश्यकत्व का ऐसा निर्वचन करने पर धनलिप्सा से की जानेवाली हिंसा भी मरणोद्देश्यक हो जायगी, जब कि वह मरणोद्देश्यक न होकर धनलाभोद्देश्यक होती है, अत मरणजनक इच्छाके विषय को ही मरणोद्देश्यक कहा जायगा । ऐसा कहने पर धनलिप्सा से होनेवाली हिंसा मरणोद्देश्यक न हो सकेगी क्योंकि उस की इच्छा धनलाभ की इच्छा से होती है न कि मरणोच्छा से, अत वह इच्छा धनलाभ की जनक होती है, साक्षात् मरण की जनक नहीं होती । इसीलिये मरणजनक इच्छा का विषय न होने से वह मरणोद्देश्यक

तस्मात् 'प्रमादयोगेन प्राणव्यपरोपणं हिंसा' इति परमप्रिप्रणीतमेव हिंसालक्षणं सम्यक् । अत्र च प्रमादयोगः-यतनाऽभावः, यतना च जीवरक्षानुकूलो व्यापारः, तत्ये च जीवमरणव्यापारविघटकत्वम्, युगमात्रक्षेत्रे सम्यग्नेत्रव्यापाररूपेर्यामभित्यादिना जीवमरणजनकचरणव्यापारादेरनिष्टसाधनत्वेन निवर्तनादिति वोध्यम् । न च 'मरणानुकूलव्यापारेण' इत्येवाऽस्तु, किमधिकेन १ इति वाच्यम्, अप्रमत्तहिंसायामतिव्याप्तेः । न च वमप्यनामोगाऽविघटनेनाऽप्रमत्तहिंसाया हिंसात्वापत्तिः, शक्यविघटनत्वम्य व्यापारविशेषणत्वात् । न च वमप्यनशनादावतिव्याप्तिः परजीवग्रहणे चात्महिंसायामव्याप्तिरिति वाच्यम्, शुभसंकल्पापूर्वकत्वम्य

नहीं कहो जा सकती । कूपनिर्माण की इच्छा भी मरण जनक न होने से कूपनिर्माण भी मरणोद्देश्यक नहीं हो सकता, किन्तु मरणोद्देश्यकत्व का ऐसा लक्षण करने पर क्रतु की अद्गम्भूत हिंसा मरणोद्देश्यक हो जायगी, क्योंकि अग्निष्टोम आदि क्रतु से पशुवध आवश्यक होने से क्रतुचिकोर्षु को पशुवध की इच्छा माननी होगी अतः क्रत्वद्गृह हिंसा की इच्छा मरणजनक इच्छा होगी और उस इच्छा का विषय होने से क्रत्वद्गृह हिंसा में मरणोद्देश्यफलत्व अपरिहार्य हो जायगा ।

(मरणफलकत्वबोधकविधिवोधितकर्तव्यताकान्यत्वरूप अद्विष्टाद्वारकत्व)

अद्विष्टाद्वारकत्व का अर्थ यदि यह किया जाय कि जिस व्यापार की कर्तव्यता मरणफलकत्व के अबोधक विधि से बोधित हो उससे अन्य व्यापार अद्विष्टाद्वारक व्यापार होता है'-तो हिंसामात्र में उसको उपपत्ति हो जायगी क्योंकि हिंसा की कर्तव्यता किसी विधि से बोधित नहीं होती अतः उससे उक्त विधिविशेष से बोधितकर्तव्यताकान्यत्व सुधार है, किन्तु यह अर्थ करने पर भी उपेन को हिंसा से पथक करने की कामना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उपेन की कर्तव्यता का बोधक विधि शत्रुमरणफलकत्व का बोधक होता है, अतः मरणफलकत्व के अबोधक विधि से बोधित कर्तव्यताकान्यत्व उसमें भी आ जाने से उसमें उक्त हिंसालक्षण का समन्वय दुर्वार है । एव ऋत्वज्ञहिंसा की कर्तव्यता का बोधक 'अग्नीषोमीय पशुमालमेत' यह विधि भी मरणफलकत्व का बोधक है अतः उसमें मरणफलकत्व के अबोधक विधि से बोधितकर्तव्यताकान्यत्व आ जाने से एव उक्तरीत्या निर्वाचित मरणोद्देश्यकत्व आ जाने से वह भी सामान्य हिंसा की कोटि से आ जायगी । हिंसालक्षणघटक व्यापार में अविहितत्व का निवेश करके भी लक्षण को निर्दोष नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रमादकृत हिंसा में मरणोद्देश्यकत्व न होने से अव्याप्ति हो जायगी और उक्तलक्षणात्मक रूप से हिंसा को पायजनक मानने में गोरव भी होगा ।

[जेनमताभिमत हिंसालक्षण]

नैयायिकों की ओर से प्रस्तुत किये गये हिंसालक्षण को सदोष बताकर व्याख्याकार ने आहृत मतसम्मत हिंसालक्षण को परमप्रणीत बताते हुये उसकी समीचीनता की घोषणा की है । वह लक्षण इस प्रकार है 'प्रमादयोगेन प्राणव्यपरोपण हिंसा-प्रमादयोग से होनेवाला प्राणहरण हिंसा है' प्रमादयोग का अर्थ है-यतना का अभाव । यतना का अर्थ है जीवरक्षानुकूल व्यापार । जीवरक्षानुकूल व्यापार उस व्यापार को कहा जाता है जिससे जीवमरणानुकूल व्यापार का विघटन हो । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब मनुष्य जीवमरणानुकूल व्यापार का परिहार करन का प्रयत्न नहीं

मरणव्यापारविशेषणत्वात् । न चैवं याज्ञिकानामपि क्रत्वज्ञहिंसायां शुभसंकल्पाद् न दोष इति वाच्यम् , विधिजन्यमोक्षेच्छाया एव शुभसंकल्पपदेन ग्रहणात् । अत एव राज्यादिनिदानार्थ-मनश्ननमप्यात्महिंसां वदन्ति तान्त्रिकाः । द्रव्यभावोभयहिमालक्षणं चैतत् , कर्मवन्धजनकता तु प्रकृतिप्रदेशावाश्रित्य ग्रमत्योगत्वेन, स्थिति रसौ चाश्रित्य क्लिष्टाध्यवसायत्वेन, इत्य-न्यत्र विस्तरः । तस्माद् हिंसायामहिंसात्वं समर्थयतां परेषां वेदावलम्बनमपि महतेऽनर्थाय ।

करता और उस समय उससे कोइ मर जाता है तो उस समय मनुष्य जीव का हिंसक हो जाता है और उसे जीव हिंसा का पाप लगता है । इसीलिये जीवमरणजनक मरणव्यापार आदि अनिषुजनक व्यापारों से बचने के लिये जैनशासन में युग याने शक्ट के अग्रभाग से परिमित भूमि तक के भाग को सावधानीपूर्वक देखकर चलने का आदेश दिया गया है और उसे ईर्यासमिति आदि शब्दों से व्यवहृत किया गया है ।

प्रश्न होता है कि—“मरणानुकूल व्यापार से होने वाला प्राणहरण हिंसा है—इतना हो लक्षण क्यों नहीं किया जाता ? ‘जीवमरणानुकूल व्यापार का विघटन करनेवाले व्यापाररूप यतना के अभाव में होने वाला प्राणहरण हिंसा है’ इतने बड़े लक्षण की क्या आवश्यकता है ?” इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रमाद न होने पर भी जो हिंसा हो जाती है उसे पापजनक हिंसा नहीं माना जाता, किन्तु मरणानुकूल व्यापार से होने वाले प्राणहरण को पापजनक हिंसा का लक्षण मानने पर उस हिंसा में भी लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । उबत गुरु लक्षण स्वीकार करने पर यह शड्का हो सकती है कि—“अप्रमाददशा में यतना के लिये सतर्क रहने पर भी जीव की विद्यमानता का अज्ञान जो मुख्यतया हिंस्य जीवके वर्तमान शरीर से मोक्षव्य कर्मों के उदयवश होता है, उसका विघटन न हो सकने के कारण भी जीव का मरण होता है, अतः इस अप्रमत्ता हिंसा में इस लक्षण की भी अतिव्याप्ति होगी—” किन्तु यह शड्का उचित नहीं है, क्योंकि लक्षणघटक जीवमरणानुकूल व्यापार में शक्यविघटनत्व का निवेश कर देने से इस दोष का परिहार हो सकता है, क्योंकि अनामोग का विघटन शक्य नहीं होता । अत अप्रमादस्थल में जीवमरणानुकूल विघटनयोग्य व्यापार के विघटक व्यापाररूप यतना का अभाव न होने से अप्रमत्तहिंसा में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती ।

यह प्रश्न हो कि—“मोक्ष के लिये किये जाने वाले अनश्नन आदि तप में भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । और इसका वारण करने के लिए यदि श्रन्यजीव के प्राणव्यपरोपण का लक्षण में निवेश किया जायगा तो आत्महिंसा में अव्याप्ति होगी,” इसका उत्तर यह है कि लक्षण के शरीर में प्राणव्यपरोपण में शुभसंकल्पाऽपूर्वकत्व का निवेश कर देने से यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्षार्थ किया जाने वाला अनश्नन आदि तप शुभसंकल्पाऽपूर्वक होता है अत उसमें शुभसंकल्पाऽपूर्वकत्व नहीं रह सकता । ऐसा करने पर—‘याज्ञिकों की यज्ञ के अज्ञभूत हिंसा भी शुभसंकल्प पूर्वक होने से हिंसा के प्रस्तुत लक्षण से सगृहीत न होगी’—यह शड्का नहीं की जा सकती, क्योंकि शुभ-संकल्प-शब्द से मोक्ष की विधि से जन्य इच्छा ही अभिमत है । इसीलिये दूसरे भवमें राज्य प्राप्त करने की इच्छा से जो अनश्नन किया जाता है उसे भी आहंतसिद्धान्त के ज्ञाता आत्महिंसा कहते हैं । आहंत कृषि द्वारा प्रस्तुत यह हिंसालक्षण द्रव्यहिंसा और भावहिंसा इन दोनों प्रकार की हिंसाओं का लक्षण है, किन्तु प्रकृति

उक्तं च—‘ये चक्रुः क्रुरक्माणः शास्त्रं’ हिंसोपदेशकम् ।

वत् ते यास्यन्ति नरके नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः ॥३७॥

वरं वराकश्चार्वाको योऽसौ प्रकटनास्तिकः ।

वेदोक्तितापसच्छब्दच्छन्नं रक्षो न जैमिनिः ॥३८॥’ [योगशास्त्र-द्विंश०प्र०] इति ।

वेदाऽप्रामाण्यं पापकर्मणि प्रवर्तकत्वात् परपरिगृहीतत्वाच्च विभावनीयम्, इति किमतिहिंसेण सह वहुविचारणाया ॥४८॥

तदेवं याज्ञिकाऽऽगमे दृष्टेषाभ्यां विस्तृतामुपदर्श्य, अन्यत्राऽप्यतिदिशन्नाह-

मूलम्—अन्येषामपि बुद्ध्यैवं दृष्टेषाभ्यां विस्तृता ।

दर्शनीया कुशास्त्राणां ततश्च स्थितमित्यदः ॥४९॥

अन्येषामपि=आजीवकादिमंवन्धनाम्, एवम्=उपदशितप्रकारेण, बुद्ध्या =विचारणाया कुशास्त्राणां=शास्त्राभासानाम्, दृष्टेषाभ्यां विस्तृता दर्शनीया, उपदशितजातीयत्वेन सर्वेषामपि तेषां दुष्टत्वात्, तदुक्तं स्तुतिकृता—

‘हिंसादिसंसक्तपथोपदेशादसर्वविन्मूलतया प्रवृत्तेः । नृशंसदुर्बुद्धिपरिग्रहाच्च,

ब्रूमस्त्वदन्यागममप्रमाणम् ॥१॥ [अ. व्य. द्वार्त्रिशिका का० १०] इति ।

वन्ध और प्रदेश बन्ध को आश्रय करके कमेवन्ध का जनक प्रमत्तयोग रूप हिंसा होती है और इसी प्रकार स्थिति बन्ध और रसबन्ध को जनक हिंसा विलष्टाध्यवसायात्मक होती है अर्थात् प्रमादयोग और विलष्टाध्यवसाय ये दोनों जैनमत में हिंसारूप हैं और उन दोनों से प्रकृत्यादि नतुविध कर्मबन्ध होता है। इस विषय का विशेष विचार अन्यत्र व्यष्टव्य है।

यह सब कहने का निष्कर्ष यह है कि हिंसा में अहिंसात्व का समर्थन करने के लिये वेद का अबलम्बन महान अनर्थ का मूल है। जैसा कि योगशास्त्र में कहा है कि जिन क्रूरकर्मों पुरुषोंने हिंसा काउपदेश करने वाले शास्त्र की रचना की हैं वे प्रसिद्ध नास्तिकों से भी बड़े नास्तिक हैं, वे किस नरक में जायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। प्रकट नास्तिक वेचारा चार्वाक कहीं अच्छा है उस वदन्न जैमिनी से, जो तपस्वी के वेदवचनरूपों कपटवेष से ढका हुआ परोक्ष राक्षस है।

यह निविदाद सत्य है कि पापकर्म से प्रवर्तक और वीतराग सर्वज्ञ भगवान् अहंन् के पवित्र पथ से विमुख समाज द्वारा परिगृहीत होने से वेद अप्रसाण है। अत ऐसे वेदवादी लोगों के साथ, जिनकी वृत्ति अत्यन्त हित है, अधिक विचार करना अनुचित है ॥४८॥

उक्त रीति से याज्ञिकों के वेदात्मक आगम में दृष्ट और इष्ट का विरोध बताकर ४६ वी कारिका में अन्यत्र भी उसका अतिदेश बताया गया है। कारिका का अथ इस प्रकार है—

जिस प्रकार वेद आदि में हृष्ट और इष्ट का विरोध है उसी प्रकार अन्य आजीवकादिमतानुयायी शास्त्राभासों में भी हृष्ट और इष्ट का विरोध समझना आहिये क्योंकि वे सब शास्त्राभास भी वेद के ही सजातीय हैं, जिन में हृष्ट और इष्ट का विरोध प्रमाणे द्वारा प्रतिपादित हो चुका है। जैसा कि स्तुतिकर्ता आचार्य हेमचन्द्र ने भगवान् को सबोधित करके कहा है कि-हे भगवान्! हम तुम्हारे

ततश्च=अन्यागमानां दृष्टेष्टविरुद्धत्वेनाऽप्रतिपक्षत्वाच्च, इति=पूर्वोक्तम् , अदः=वक्तृप्रत्यक्षं ‘हिंसादिभ्योऽशुभादि’ इत्यादि, स्थितम्=अप्रामाण्यशङ्काविरहितेनाऽगम-प्रमाणेन सिद्धम् ॥४९॥

ततः सिद्धं प्रतिनियतं कर्म, तच्च कर्तरमाक्षिपति, इति तथात्वं स्वात्मन एव, इति नियमयति-

मूलम्-क्विलष्टं हिंसाद्यनुष्ठानं न यत्तस्यान्यतो मतम् ।

ततः कर्ता स एव स्यात् सर्वस्यैव हि कर्मणः ॥५०॥

क्विलष्टं = रौद्राध्यवसायपूर्वकम् , प्राणिधाताद्याचरणम् . इदमुपलक्षणमक्विलष्टाचरणस्य, यत्=यस्माद्वेतोः, तस्य=आत्मनः, अन्यतः=स्वातिरिक्तव्यापाख्यतः, न मतं=नाऽभीष्टम् , देवदत्तयोगेन यज्ञदत्तानुष्ठानाभावात् । ततः=तस्माद्वेतोः, स एव=अधिकृतात्मैव हि=निश्चितं सर्वस्यैव=स्वीयहिताऽहितकर्मणः, कर्ता स्यात् , स्वव्याप्यस्य कर्मणः कारणान्तराप्रयोज्यत्वे सति कारणान्तरप्रयोजकत्वलक्षणस्वातन्त्र्येण हेतुत्वात् । अत्र निश्चयतोऽपृथग्भावेन

आगम से भिन्न सभी आगमों को हिंसा आदि से दूषित मार्ग का उपदेश करने, सर्वज्ञ द्वारा प्रवर्तित न होने, तथा कुर एव दुर्वृद्धि मनुष्यों से परिगृहीत होने के कारण अप्रमाण घोषित करते हैं ।

उक्त रीति से अन्य आगमों में दृष्ट और इष्ट का विरोध होने से वे जैनागम के विरोध में नहीं खड़े हो सकते । इसलिये हिंसा आदि से अशुभ-पाप होता है और अहिंसा आदि से शुभ पुण्य होता है, यह पूर्वोक्त विषय जैनागमरूप प्रमाण से निष्प्रतिबन्ध सिद्ध होता है क्योंकि जैनागम में अप्रामाण्य की शङ्का होने की कोई सम्भावना नहीं है ॥५६॥

[आत्मा ही सभी कर्म का कर्ता है]

प्रशस्त कर्म से पुण्य और अप्रशस्त कर्म से पाप का जन्म होता है तथा अमुक कर्म प्रशस्त और अमुक कर्म अप्रशस्त होता है, यह तथ्य जैनागम से सिद्ध है । साथ ही यह तथ्य भी उसी से सिद्ध है कि कर्म जड़ होता है, उसे चेतन कर्ता की अपेक्षा होती है और जो कर्ता उसे अपेक्षित होता है वह जीव से अतिरिक्त नहीं होता है, ५० वीं कारिका में इसी तथ्य का वर्णन है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है,-

क्विलष्ट कर्म का अर्थ है रौद्र अध्यवसाय से होने वाला कर्म-जैसे प्राणीवध आदि । यहाँ क्विलष्ट पद अक्विलष्ट आचरण का भी सूचक है, क्विलष्ट और अक्विलष्ट सभी आचरण जीव द्वारा ही सम्पादित होते हैं जीव से भिन्न उनका ऐसा कोई कर्ता मान्य नहीं है, जिसके व्यापार से उन आचरणों का सम्पादन होता हो, क्योंकि देवदत्त के व्यापार से यज्ञदत्त के कर्मों का अनुष्ठान नहीं होता । इसलिये तत्त्व कर्मों के फल के लिये अधिकृत आत्मा ही निश्चितरूप से अपने सभी हिताहित कर्मों का कर्ता होती है । जो कुम जिस जीव का व्याप्य होता है अर्थात् जिस कर्म से उसके उत्पादनाथ जो कारण

स्वव्याप्यस्य रागद्वेषाद्यध्यवसायलक्षणस्य भावकर्मणः परिणामित्वलक्षणस्वातन्त्र्येण कर्तुत्वम्,
व्यवहारेण तु संयोगविशेषेण स्वव्याप्यद्रव्यकर्मणि योगव्यापारस्वातन्त्र्येण कर्तुत्वमिति
विवेकः ॥५०॥

ननु यद्यात्मैव कर्ता, तदा हितमेवाऽयं कुर्यात्, नाहितम्, इत्यत्राह-
मूलम्-अनादिकर्मयुक्तत्वात् तन्मोहात्संप्रवर्तते ।
अहितेऽप्यात्मनः प्रायो व्याधिपोडितचित्तवत् ॥५१॥

स आत्मा, आत्मनः=स्वस्य, अहितेऽपि=हिंसाद्यनुष्टानेऽपि, अनादिकर्मयुक्तत्वाद्
हेतोः, तन्मोहात्=कर्मजनितमौद्यात्, संप्रवर्तते प्रायो=वाहुल्येन, किंवत्? इत्याह-
व्याधिपोडितचित्तवत्=रोगाङ्गुलहृदयवत् । यथा व्याधितोऽपथ्यं जानन् अजानन् वा
वहुकालस्थितिकव्याधिमहिम्नाऽपथ्य एव प्रवर्तते, तथा संसार्यपि जानन् अजानन् वाऽहित
एव प्रायः कर्मदोषात् प्रवर्तते इति भावः । अत्राऽहितप्रवृत्तौ किलष्टं कर्म हेतुः तत्र चाहित-

अनुमित होता है वह उस कर्म के अन्य कारणों से अप्रयोक्त्य तथा अन्य सभी कारणों का प्रयोजक
होने से उस कर्म को उत्पन्न करने में स्वतन्त्र होने के कारण उसका कर्ता होता है । यह ज्ञातव्य है
कि कर्म दो प्रकार के होते हैं भावकर्म और द्रव्यकर्म । राग द्वेष आदि अध्यवसायात्मक कर्म को
भावकर्म कहा जाता है । वह निश्चयनय की दृष्टि से जीव से पृथक् न होते हुये जीवका व्याप्य होता
है । उन भावकर्म रूप में परिणत होने में जीव स्वतन्त्र होता है अत वह उनका परिणामी कर्ता
होता है । भावकर्म द्वारा जो कामण वगणा के पुद्गलो का आत्मा के साथ सश्लेष होने से बाह्य कर्म
बंधन होते हैं वे द्रव्य कर्म कहे जाते हैं, जैसे उन भावकर्म से प्रेरित जीववध आदि के व्यापार
से आत्मा पर चिपकने वाले ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गल । व्यवहारनय की दृष्टि से वे कर्म विशेष
प्रकार के स्योग से जीव के व्याप्य होते हैं, उन कर्मों के प्रति जीवमें योगव्यापाररूप स्वातन्त्र्य
होता है । अतः जीव उन कर्मों का भी कर्ता होता है । भावकर्म और द्रव्यकर्म के विषय में जीव के
स्वातन्त्र्य का उक्त अन्तर विशेषरूप से बोहृच्य है ॥५०॥

(कर्मजनित मूढता से अहित में प्रवृत्ति)

अपने सभी कर्मों का जीव यदि स्वतन्त्र कर्ता है तो उसे अपने हित कर्मों का ही अनुष्ठान
करना चाहिये किन्तु वह अहित कर्मों का भी अनुष्ठान करता है, ऐसा क्यों? ५१ वी कारिका में इस
प्रश्न का उत्तर दिया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

जीव कर्म की अनादि परम्परा से युक्त है, अतः कर्मजनित मोह से ग्रस्त होकर वह अधिक-
तर अपने अहित कर्मों में ही बड़ी रुचि से प्रवृत्त होता है । यह वात गम्भीर रोगों के दृष्टान्त से
समझो जा सकती है । जैसे एक गम्भीर रोगी, जिसका चित्त रोगजन्य पीड़ा से विक्षिप्त रहता है,
दीर्घकाल से उसे ग्रस्त हुये रोग के प्रभाव से वह जाने-अनजाने अपथ्य सेवन में ही प्रवृत्त होता है ।

प्रवृत्त्यन्तरम् इत्यन्योन्याश्रयोऽनादिपदेन न दोषायेति सूच्यते, वीजाऽड्कुरस्थलीयस्याऽ-
न्योन्याश्रयस्योत्पत्ति-ज्ञप्त्यप्रतिवन्धकत्वेनाऽदोषत्वादित्याश्रयः ॥५१॥

अत्र प्रसङ्गाद् वार्तान्तरमाह-

मूलम्-कालादीनां च कर्तृत्वं मन्यन्तेऽन्ये प्रवादिनः ।

केवलानां तदन्ये तु मिथः सामग्र्यपेक्षया ॥५२॥

अन्ये प्रवादिनः=एकान्तवादिनः, कालादीनाम्, आदिना स्वभावादिग्रहः, केवलानां=परक्लृप्तहेतुरहितानाम्, कर्तृत्वम्=असाधारणत्वेन हेतुत्वम्, मन्यन्ते । तदन्ये तु=अनेकान्तवादिनः सामग्र्यपेक्षया=सामग्रीप्रविष्टत्वेन, मिथः=परस्परम्, सहकारिलक्षणं कर्तृत्वं 'मन्यन्ते' इति प्राक्तनानुषङ्गः । इदमेवाऽभिहितं सम्मतिकारेण-[सम्मतिसूत्रे]

"कालो सहाव-णियह पुच्छकयं पुरिस कारणेगंता ।

मिच्छत्तं ते चेव उ समासओ हुंति सम्मतं ॥१५०॥ इति ॥५२॥

तत्र पूर्वं कालवादिमतोपपत्तिमाह-

उसी प्रकार ससार में आसक्त जीव भी कर्मदोषवश जानबुझ अथवा अनजान से बहुधा अपने अहित कर्मों में हो प्रवृत्त होता है ।

कारिका के आरम्भ में कर्म को अनादि कह कर यह सूचित किया गया है कि विलष्टकर्म से अहितकर्मों में प्रवृत्ति का, और अहितकर्मों से प्रवृत्ति से विलष्टकर्मों का जन्म होने से अन्योन्याश्रय दोष की आशड़ का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इन दोनों की परस्परापेक्षा बीज और अड्कूर की परस्परापेक्षा के समान प्रवाह से अनादि है अत इसमें अन्योन्याश्रयदोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह परस्परापेक्षा एक दूसरे की उत्पत्ति अथवा जप्ति से प्रतिवन्धक नहीं होती ॥५१॥

(कालादि की हेतुता का प्रासङ्गिक विवेचन)

प्रस्तुत विचार के सन्दर्भ में प्रसङ्गवश अन्य मतों की भी चर्चा ५२ वीं कारिका से आरंभ की गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

कुछ एकान्तवादी विचारक एकमात्र काल या स्वभाव आदि को ही कार्य का हेतु मानते हैं । उनसे भिन्न अनेकान्तवादी विचारक काल आदि को कारण मानते हैं पर सामग्री-कारणसमूह के घटकरूप से अर्थात् काल आदि भी कार्य के अन्य कारणों के सहकारी होकर कार्य के कारण होते हैं ।

यही बात सम्मतिकार ने अपनी 'कालो सहाव' गाथा में कही है । गाथा का अर्थ इस प्रकार है—

"काल, स्वभाव, नियति, पुरुषकार और पूर्वकर्म को अकेले कार्य का कारण मानना मिथ्यात्व है और अन्य कारणों के साथ सामग्रीघटक के रूप में उन्हें सहकारी कारण मानना सम्यग्दण्डितपन है ।"

१-कालः स्वभाव-नियती पुर्वकृतं पुरुष-कारणैकान्ताः । मिथ्यात्वं ते एव तु समासतो भवन्ति सम्यक्त्वम् ॥

मूलम्-न कालव्यतिरेकेण गर्भकालशुभादिकम् ।
यत्किञ्चिज्जायते लोके तदसौ कारणं किल ॥५३॥

कालव्यतिरेकेणस्त्री-पुंससंयोगादिजन्यत्वेन पराभिमतस्याऽपि गर्भस्य जन्म न भवति, न हि तज्जन्मनि गर्भपरिणतिर्हेतुः, अपग्णितस्यापि कदाचिजन्मदर्शनात् । तथा, कालोऽपि शीतो ध्ण-वर्षाद्युपाधि, तद्वच्चतिरेकेण न भवति । अत्र कालस्थाने 'वाल' इति क्वचित् पाठः, तत्र वालत्वं जन्मोत्तरावस्था, साऽपि कालव्यतिरेकेण न, अन्यथाऽतिप्रसङ्ग-गादित्यर्थः । तथा शुभादिकं-स्वर्गादिकम्, आदिना नरकादिग्रहः, यत्किञ्चिद्भूलोके घटादि, तदपि कालव्यतिरेकेण न भवति, कर्मदण्डादिसन्त्वेषि कालान्तर एव स्वर्ग-घटाद्युत्पत्तेः । तत्=तस्मात् कारणात्, असौ=कालः 'किल' इति सत्ये, कारणम्, अन्यस्य त्वन्यथासिद्धत्वादसत्यत्वमिति भावः ॥५३॥

(कालवादी का युक्तिसंदर्भ)

सबसे पहले ५३ वीं कारिका द्वारा कालवादी के मतका उपपादन प्रस्तुत किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

गर्भ का जन्म उचितकाल के अभाव में नहीं होता, जो लोग गर्भ को स्त्री-पुरुष के सयोग आदि से जन्य मानते हैं उनके मत में भी उचित काल के उपस्थित न होने तक गर्भ का जन्म नहीं माना जाता । 'गर्भ के जन्म मे गर्भ को परिणत अवस्था ही कारण है' यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि यदा कदा अपरिणत गर्भ का भी जन्म देखा जाता है । शीत, उष्ण, वर्षा आदि उपाधिभूत काल भी उचितकाल के अभाव में नहीं होते । स्पष्ट ही है कि शीत समय मे ही ग्रीष्मकाल या वर्षाकाल नहीं आ जाता, अतः इन उपाधिभूत कालों के प्रति भी काल हो कारण है । किसी किसी पुस्तक मे कारिका मे 'काल' के स्थान मे 'वाल' पाठ प्राप्त होता है उस पाठ के अनुसार कारिका के इस अंश का यह अर्थ होगा कि बालावस्था अर्थात् जन्म के बाद को अवस्था भी उचित काल के अभाव मे नहीं होती, उसे भी कालविशेष से जन्य न मानने पर जन्म के पूर्वे अथवा यौवन अवस्था मे भी बालावस्था की उत्पत्ति की आपत्ति हो सकती है ।

शुभ का अर्थ है स्वर्ग और आदि पद का तात्पर्य है नरक मे । आशय यह है कि स्वर्ग और नरक भी काल के बिना नहीं होता । कहने का अभिप्राय यह है कि ससार मे जो भी कोई कार्य होता है, उसमे से कोई भी कार्य उचित काल के अभाव मे नहीं होता । यज्ञ आदि कर्म सम्पन्न हो जाने पर भी स्वर्ग उसी समय नहीं होता किन्तु योग्यकाल उपस्थित होने पर ही होता है । इसी प्रकार घट आदि कार्य भी इण्ड आदि कारण के रहते हुये भी योग्यकाल के उपस्थित हुये बिना नहीं उत्पन्न होते । इसलिये यह है सत्य है कि काल ही सब का कारण है, 'काल से मिन्न पदार्थ भी कार्य का कारण होता है' यह असत्य है, क्योंकि काल से अन्य पदार्थ अन्यथासिद्ध हो जाते हैं ॥५३॥

तथा—

मूलम्-कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥५४॥

कालः भूतानि=उत्पत्तिमन्ति, पचति=उत्पन्नानां प्रकृतपर्यायोपचयं करोतीत्यर्थः । तथा, कालः प्रजाः संहरति=प्रकृतपर्यायान्तरपर्यायभाजः करोति । तथा, कालः सुप्तेषु=अजनितकार्येषु पराभिमतकारणेषु सत्सु, जागर्ति=विवक्षितकार्यमुपदधातीत्यर्थः । अतो हि=निश्चितम्, कालः सृष्टि-स्थिति-प्रलयहेतुतया दुरतिक्रमः=अनपलपनीयकारणताकः ॥५४॥

मूलम्-किञ्च कालाद्वते नैव मुद्रगपक्षितरपीक्ष्यते^१ ।

स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि ततः कालादसौ मता ॥५५॥

‘किञ्च’ इत्युपचये, कालाद्वते=कालं विना, स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि, आदिना विलक्षणवह्निसंयोगादिग्रहः, मुद्रगपक्षितरपि=मुद्रानां विलक्षणरूप-रसादिरूपविविलत्तिपरिण-तिरपि, नैवेक्ष्यते । ततोऽसौ=मुद्रगपवितः, कालाद् मता=कालमात्रजन्येष्टा । न च

(सृष्टि-स्थिति-प्रलय कालजनित है)

५४ वी कारिका से पूर्व कारिका मे उक्त काल की कारणता का ही समर्थन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

काल उत्पन्न पदार्थों का पाक करता है, पाक का अर्थ है उत्पन्न पदार्थ के विद्यमान पर्यायों का पोषण । आशय यह है कि उत्पन्न हो जाने पर वस्तु का जो सबधंन होता है वह काल से ही होता है, वही अनुकूल तूतन पर्यायों को उपस्थित कर उनके योग से उत्पन्न वस्तु को उपचित करता है । काल उत्पन्न वस्तुओं का सहार करता है, संहार का अर्थ है वस्तु से विद्यमान पर्यायों के विरोधी पर्याय का उत्पादन । विरोधी पर्याय की उपत्ति से वस्तु के पूर्व पर्यायों की निवृत्ति होती है । पूर्व पर्यायों की निवृत्ति को ही वस्तु का सहार कहा जाता है । अन्य कारणों के अर्थात् कारण माने जाने वाले अन्य पदार्थों के सुप्त=निवृपार रहने पर काल ही कार्यों के सम्बन्ध मे जाग्रत् रहता है अर्थात् कार्य के उत्पादनार्थ सव्यापार रहता है । इसलिये सृष्टि, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत काल का अतिक्रमण अर्थात् काल मे सृष्टि आदि की कारणता का अपलाप नहीं किया जा सकता ॥५४॥

(काल के विना मूँगदाल का परिपाक अशक्य)

काल की कारणता के समर्थन मे एक बात और कही जा सकती है वह यह कि स्थाली=पाकपात्र [तपेली] और अग्नि का विलक्षण संयोग आदि का सम्बन्धान होने पर भी मूँगकी दाल का परिपाक=उसके पूर्ववर्ती रूप रस आदि का नाश हो कर उसमे नये रूप रस आदि का जन्म—उस समय तक नहीं होता जब तक उसका कारणभूत काल उपस्थित नहीं हो जाता । इससे यह अवश्य मानना होगा कि मूँग पाक किसी अन्य हेतु से न उत्पन्न होकर केवल काल से ही उत्पन्न होता है ।

१—सर्वत्र मूलादर्शेषु ‘पीक्ष्यते’ इति पाठः ।

तदा मुद्रपक्षितजनकविलक्षणाग्निसंयोगभावादेव तदपक्षितरिति वाच्यम्, तत्रापि हेत्वन्तरा-
पेक्षावैयग्रयात्, आवश्यकत्वेन कालस्यैव तद्वेतुत्वौचित्यादित्याशयः ॥५५॥

विपक्षे वाधकमाह-

मूलम्-कालाभावे च गर्भादि सर्वं स्यादव्यवस्थया ।

परेष्ठहेतुसद्-भावमात्रादेव तदुद्भवात् ॥५६॥

कालाभावे च=कालस्याऽसाधारणहेतुत्वानहृगीकारे च, गर्भादिकं सर्वं कार्यम-
व्यवस्थया=अनियमेन स्यात् । कुतः १ इत्याह-परेष्ठहेतुसद्भावमात्रादेव=पराभिमतमाता-
पित्रादिहेतुसंनिधानमात्रादेव, तदुद्भवात्=अविलम्बेन गर्भाद्युत्पत्तिप्रसद्गात् ।

ननु कालोऽपि यद्येक एव सर्वकार्यहेतुः, तदा युगपदेव सर्वकार्योत्पत्तिः, तत्तत्कार्ये
तत्तदुपाधिविशिष्टकालस्य हेतुत्वे चोपाधीनामेवाऽवश्यकत्वात् कार्यविशेषहेतुत्वम्,
इति गतं कालवादेन, इति चेत् १ अत्र नव्याः-क्षणरूपः कालोऽतिरिच्यत एव, स्वजन्य-
विभागप्रागभावविशिष्टकर्मणस्तथात्वे जाते विभागे तदभावापत्तेः, तदाऽन्यविशिष्टकर्मणस्तथा-
त्वेऽननुगमात् । 'तस्य च तत्क्षणवृत्तिकार्ये तत्पूर्वक्षणत्वेन हेतुत्वम्, तत्क्षणवृत्तित्वं च

यदि यह कहा जाय कि-'जिस काल में मूँग का परिपाक सम्पन्न होता है उसके पूर्व मूँग के
पाक का उत्पादक अभिन का विलक्षण सयोग ही नहीं रहता । अत. उस के अभाव से ही निश्चित
समय के पूर्व मूँग का पाक नहीं होता, अत. मूँगके पाकके प्रति कालविशेष को कारण मानना निरर्थक
है"-तो यह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उस सयोग के विषय में भी यह प्रश्न हो सकता है कि वह
संयोग ही पहले क्यों नहीं हो जाता ? इस प्रश्न का उत्तर काल द्वारा ही किया जा सकता है । अतः
यह मानना ही उचित है कि काल कार्य के प्रति अवश्यकलृप्त नियत पूर्ववर्ती है, इसलिये एकमात्र वही
कार्य का कारण है, कारण कहे जाने वाले अन्य पदार्थ अवश्यकलृप्त-नियतपूर्ववर्तीकाल से भिन्न होने
से अन्यथासिद्ध हैं ॥५७॥

'कार्य के नियतपूर्ववर्ती अन्य पदार्थ ही कारण हैं, काल ही अन्यथासिद्ध है' कालहेतुतावाद
के इस विरोधी पक्ष का ५६ वीं कारिका में खण्डन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

काल को कार्य का यदि असाधारण कारण न माना जायगा तो गर्भ आदि सभी कार्यों की
उत्पत्ति अव्यवस्थित हो जायगी, क्योंकि अन्यहेतुवादी की दृष्टि में गर्भ के हेतु माता-पिता आदि हैं,
अत. उनका सन्निधान होने पर तत्काल हीं गर्भों के जन्म की आपत्ति होगी ।

यदि यह कहा जाय कि-"इस प्रकार की शब्दका काल के कारणत्वपक्ष में भी हो सकती है,
जैसे यह कहा जा सकता है कि केवल काल ही यदी सब कार्यों का कारण है तो एक कार्य की
उत्पत्ति के समय सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि एक कार्य को उत्पन्न करने के लिये

(१)-भतिरिक्तस्य क्षणरूपकालस्य ।

तत्क्षणस्यापि, अभेदेऽपि 'इदानीं क्षण' इति व्यवहारात् कालिकाधाराऽधेयभावमिद्देः । अतस्तत्क्षणतन्माशानां तत्पूर्वक्षणजन्यत्वाद् न क्षणिकत्वानुपपत्तिः । एवं च क्षणिकेनैव क्षणेन कार्यविशेषजननाद् नातिरिक्तहेतुमिद्दिः । न च 'तत्क्षण एव तन्तौ पटादिकं जायते, घटादिकं त्वन्यत्र' इति देशनियमार्थमतिरिक्तहेतुमिद्दिः, क्वाचित्कत्वस्य नित्य इवाऽनित्येऽपि स्वभावतः एव संभवात्, कादाचित्कत्वस्यैव हेतुनियम्यत्वात् अन्यत्राऽन्यापत्तेरभावात् । 'क्षणस्येवाऽन्येषामपि नियतपूर्ववर्तित्वात् कथं हेतुत्वप्रतिक्षेपः ?' इति चेत् 'अवश्यकलूप्त०' इत्याद्यन्यथासिद्धिमङ्गावात् । अत एव न पटत्वाद्यवलिष्ठन्नस्याऽकम्मिकतापत्त्या तदवच्छिन्नं

जो काल सन्निहित होगा वही सब कार्यों का कारण है अतः उसके सन्निधान से जब एक कार्य उत्पन्न होगा तो अन्य कार्यों के प्रति भी उस काल से भिन्न किसी कारण के अपेक्षणीय न होने से उसी समय सभी कार्यों की उत्पत्ति अनिवार्य हो जायगी । यदि इस आपत्ति के परिहारार्थ तत्त्व कार्य के प्रति तत्त्व उपाधिविशिष्ट काल को कारण मानकर तत्त्व उपाधियों का एक काल से सन्निधान न होने से एक काल में सभी कार्यों की उत्पत्ति का निराकरण किया जायगा तो तत्त्व उपाधि को ही कारण मान लेने से कालकारणतावाद् ही समाप्त हो जायगा”—

इस आपत्ति का प्रतिकार नव्यतार्किको (कालवादी) की ओर से यह कहकर किया जा सकता है कि क्षण स्वयं एक अतिरिक्त काल है, किसी कालकी उपाधि नहीं है क्योंकि यदि उसे स्वजन्यविभाग के प्रागभाव से विशिष्ट कर्मरूप माना जायगा तो विभाग उत्पन्न हो जाने पर उक्त विशेषणविशिष्ट कर्म का अभाव हो जाने से क्षण का अभाव हो जायगा और यदि उस समय भी स्वजन्यविभागप्रागभाव से विशिष्ट किसी अन्य कर्म के द्वारा क्षणका अस्तित्व सिद्ध किया जायगा तो क्षण शब्द की अनुगतार्थता का लोप हो जायगा । अतः यह मानना आवश्यक है कि क्षण स्वतन्त्र काल है । क्षण को स्वतन्त्र काल मान लेने पर यह कार्यकारणभाव मानना सम्भव हो जाता है कि तत्क्षणवृत्ति कार्य में तत्क्षण का पूर्वक्षण कारण है । तत् क्षण भी कालिक सम्बन्ध से तत्क्षणवृत्ति हो जाता है, क्योंकि 'इदानीं क्षण-इस क्षण में क्षण है' इस प्रतीति के अनुरोध से एक पदार्थ में भी कालिकसम्बन्ध से आधार-आधेय भाव मान्य हैं, अत उक्तकार्यकारणभाव के अनुसार तत्क्षण का पूर्वक्षण तत्क्षण का भी कारण हो जाता है । तत्त्व क्षण और उसका नाश दोनों ही तत्क्षणजन्य है, अत तत्क्षण की उत्पत्ति के दूसरे ही क्षण तत्क्षण का नाश सम्भव हो जाने से क्षण की क्षणिकता की अनुपपत्ति भी नहीं हो सकती । इसप्रकार क्षणिक क्षण को ही तत्त्व कार्य का जनक मान लेने से सब आपत्तियों का परिहार हो जाने से क्षण से अतिरिक्त किसी कारण की कल्पना अनावश्यक है । तत्क्षण में ही तन्तु आदि में पट आदि उत्पन्न होता है और कपाल में घट आदि उत्पन्न होता है, सबमें सबकी उत्पत्ति नहीं होती, अत इस वातकी उत्पत्ति के लिये 'पट आदि के प्रति तन्त् आदि को एवं घट आदि के प्रति कपाल आदि को भी कारण मानना आवश्यक है' यह भी शब्दका नहीं को जा सकती, क्योंकि जैसे घटत्व आदि नित्य पदार्थ विना किसी नियामक कारण के ही स्वभाव से ही देशविशेष में नियत होते हैं उसी प्रकार घट आदि अनित्य कार्य भी स्वभावत ही देशविशेष में नियत हो सकते हैं । निष्कर्ष यह है कि कादाचित्कत्व=किसी काल में होना और किसी काल में न होना,-की उपपत्ति के लिये ही कारण की कल्पना आवश्यक है । कादाचित्कत्व किसी देश से होने और किसी से न होने की

प्रति हेतुतासिद्धिः, तदवच्छन्ननियतपूर्ववर्तित्वनिश्चयादेवैतावत्सत्त्वेऽवश्यं पटोत्पत्तिरिति
निश्चयेन कृतिसाध्यताधीसंभवात्, अप्रामाणिकव्यवहारानुपपत्तिरूपमाकस्मिकत्वं तु न बाधकम् ।
युक्तं चैतत्, अनन्तनियतपूर्ववर्तिष्वनन्यथासिद्धत्वाकल्पनेन लाभवात् इत्याहुः ॥५६॥

॥ उक्तः कालवादः ॥

अथ स्वभाववादमाह—

मूलम्-न स्वभावातिरेकेण गर्भवालशुभादिकम् ।

यत्क्वचिज्ञायने लोके तदसौ कारणं किल ॥५७॥

स्वभावातिरेकेण=स्वभावमतिवृत्य, गर्भ-वाल-शुभादिकं यत् किञ्चित्=कार्य, लोके न जायते, तत्=तस्मात् कारणात्; 'किल' इति सत्ये, असौ स्वभावः, कारणं=कादाचित्कत्व-नियामकः, आकाशत्वादीनां क्वाचित्कत्ववद् घटादीनां कादाचित्कत्वस्येतगऽनियम्यत्वात् । आकाशत्वादीनामन्यत्र सत्त्वे तत्स्वभावत्वाभावप्रसङ्गस्येव कादाचित्कत्वस्याऽपि गगनादौ

उपपत्ति के लिये कारण की कल्पना आवश्यक नहीं है। “तथापि क्षण के समान ही कपालादि भी घटादि के नियत पूर्ववर्ती होने से उनकी कारणता का अपलाप कैसे हो सकता है” ? यह प्रश्न भी अनुचित है क्यों कि क्षण के अवश्यकलृप्त होने से शेष सभी कारण ‘अवश्यकलृप्तनियतपूर्ववर्त्तिन कार्य-सम्भवे तर्द्धमन्यथासिद्ध’ इस पञ्चम अन्यथासिद्ध के आश्रय हो जाते हैं ।

—‘क्षण के समान जो अन्य पदाथ कार्य के नियतपूर्ववर्ती होते हैं, काल द्वारा उनके अन्यथासिद्ध हो जाने से उनमे कारणत्व का प्रतिवेद होता है, यह ठीक है, किन्तु तत्त्व क्षण तो तत्त्व कार्य का कारण होता है, पट्टवाद्यवच्छन्नका कारण तो होता नहीं अतः उसके आकस्मिकत्व की आपत्ति के वारणार्थं पट्टवाद्यवच्छन्नके प्रति तन्तुवाद्यवच्छन्न को कारण मानना आवश्यक है”—यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितने पदार्थों मे पट्टवाद्यवच्छन्न का नियतपूर्ववर्तित्व निश्चित होता है उतने का सन्निधान होने पर पट्टवाद्यवच्छन्न की उत्पत्ति होती है, इस निश्चय से उतने पदार्थों के सन्निधान मे कृतिसाध्यता के ज्ञान से उक्त आकस्मिकत्वापत्तिका वारण हो सकता है, अतः पट्टवाद्यवच्छन्न के प्रति अतिरिक्त कारण की कल्पना अनावश्यक है । तन्तु आदि मे पटकारणत्व का व्यवहार अप्रामाणक है अतः पट के अन्य नियतपूर्ववर्तियों मे अनन्यथासिद्धत्व की कल्पना न करने मे होने वाले लाभव के अनुरोध से उनमे पटादि के कारणत्व का त्याग ही उचित है । ५६॥

(सर्व कार्य का कारण एकमात्र स्वभाव)

५७ वी कारिका मे स्वभाववाद का उपपादन किया गया है—कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

गर्भे, वाल, शुभ स्वर्ग आदि जो कोई भी कार्य ससार मे होता है वह स्वभाव का अतिक्रमण करके नहीं होता इसलिये स्वभाव ही कार्यों का कारण है उसी से कार्यों के कादाचित्कत्व=कभी होने और कभी न होने का नियमन होता है । आकाशत्व आदि के क्वाचित्कत्व=किसी स्थान मे होने और किसी स्थान मे न होने का नियामक जसे स्वभाव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है उसी प्रकार घट आदि कार्यों के कादाचित्कत्व का भी नियामक स्वभाव से भिन्न कुछ नहीं हो सकता । जसे आकाशत्व आदि को घटादिनिष्ठ

सत्त्वे घटादिस्वभावत्वाभावप्रमद्गस्य बाधकत्वात् , अवधीना नियतपूर्ववर्त्तित्वेऽपि तद्दतोपकारा-
ऽजनकत्वेनाऽहेतुत्वात् । 'भवनस्वभावत्वे घटः सर्वदा भवेदि' ति चेत् १ न, तदहरेव भवनस्व-
भावत्वात् । अथवा कारणमिति=मुख्य एवाऽर्थः, उपादानस्वभावस्यैवोपादेयगतस्वभाव-
रूपोपकारजनकस्योपादेयहेतुत्वात् । न चोपकारेऽप्युपकारान्तरपेक्षायामनवस्था, तस्य स्वत
एवोपकृतत्वात् । दण्डादीना दण्डरूपादीनामिव नियताऽवधित्वेऽप्यन्यथासिद्धत्वम् । 'दण्डाद्
घटः' इति व्यवहारस्तु 'इन्धनात् पाकः' इतिवदेव ॥५७॥

इदमेवाह—

(मू०)—सर्वे भावाः स्वभावेन स्वस्वभावे तथा तथा ।

वर्तन्तेऽथ निवर्तन्ते कामचारपराङ्मुखाः ॥५८॥

सर्वे भावाः, स्वभावेन=स्वगतेन हेतुगतेन वा निमित्तेन तथा तथा=विशिष्टसंस्थाना-
प्रतिनियतरूपेण, स्वस्वभावे=आत्मीयसत्तायाम्, तिलेषु तैलम्' इतिवदभिव्यासौ सम्मी,
स्वःवभावमभिव्याप्येत्यर्थः, वर्तन्ते=भूत्वा तिष्ठन्ति । अथ नाशकाले निवर्तन्ते=स्वभावेन
नाशभाजो भवन्ति । किंभूताः ? इत्याह-कामचारपराङ्मुखाः=अनियतभावनिरपेक्षाः ॥५८॥

मानने पर उसके आकाशस्वभाव का=आकाश का ही स्वभाव होने का भङ्ग होगा उसी प्रकार
कादाचित्कत्व को भी आकाशनिष्ठ मानने पर कादाचित्कत्व के घटादिस्वभावत्व का=घटादि का ही
स्वभाव होने का भङ्ग हो जायगा । अवधि-कपाल आदि यद्यपि घट आदि के नियत पूर्ववर्ती होते हैं
किन्तु उनसे घट आदि मे कोई उपकार नहीं होता अत वे घट आदि के कारण नहीं हो सकते ।

"भवन=उत्पन्न होना यदि घट आदि का स्वभाव माना जायगा तो 'वस्तु कभी भी अपने स्व-
भाव से शून्य नहीं होती' इस नियम के कारण सदैव घट आदि के उत्पन्न होते रहने को आपत्ति होगी"
—यह शका करना उचित नहीं है वयोंकि जिस समय जिसकी उत्पत्ति होती है, उस समय ही उत्पन्न
होना उस वस्तु का स्वभाव होता है, अत. कालान्तर मे उसकी उत्पत्ति का आपादन नहीं हो सकता ।

(कारण शब्दार्थ का द्वितीय विकल्प)

अथवा 'स्वभाव कार्यमात्र का कारण होता है' इस कथन मे 'कारण' शब्द का 'कादा-
चित्कत्व का नियामक' अर्थ न कर मुख्य अर्थ ही स्वीकार करना चाहिये और उपादान के स्वभाव को
ही उपादेय के स्वभावरूप उपकार का जनक होने से उपादेय का कारण मानना चाहिये । किसी कार्य
का कारण होने के लिये कारण को उसमे उपकार का जनक होना आवश्यक है यह मानने पर
उपकार का जनक होने के लिये उपकार मे उपकारान्तर को जनक मानने पर अनवस्था का
आपादन नहीं किया जा सकता, वयोंकि उपकार उपकारान्तर के विना भी स्वय ही उपकृत
रहता है । दण्ड आदि घटादि का नियत अवधि होने पर भी दण्डरूप आदि के समान अन्यथासिद्ध
होते हैं । 'दण्डाद् घटः' घट दण्ड से होता है' यह व्यवहार घट के दण्डजन्य माने विना भी उसी
प्रकार हो सकता है जैसे पाक के इन्धनजन्य न होने पर भी 'इन्धनात् पाक' यह व्यवहार होता
है । अर्थात् पञ्चमी विमत्ति का अर्थ जन्यत्व नहीं किन्तु उत्तरत्व मात्र है ॥५९॥

हेत्वन्तरे कामचारमेव स्पष्टयति—

(मू०)-न विनेह स्वभावेन मुद्रगपक्तिरपीष्यते ।

तथाकालादिभावेऽपि नाश्वमाषस्य सा यतः ॥५९॥

इह=जगति, स्वभावेन विना, तथाकालादिभावेऽपि=प्रतिनियतकालव्यापारादि-
सामग्रीमनिधानेऽपि, मुद्रगपक्तिरपि नेष्यते । कुतः ? इत्याह-यतोऽश्वमाषस्य=कङ्कटुकस्य,
सा=पक्तिः न भवति । न ह्यश्वमापे विलक्षणाग्निसंयोगादिकं नास्तीति वक्तुं शक्यते, एकयैव
क्रियया तत्तदन्यवद्विसंयोगात् । न चादृष्टैषम्यात् तदपाकः, दृष्टसादृगुण्ये तदृष्टैषम्याऽयो-
गात्, अन्यथा दृढदण्डनुब्रमपि चक्रं न भ्राम्येत् । तस्मात् स्वभाववैषम्यादेव तदपाकः,
इत्यन्यत्र कामचारात् स्वभाव एव कारणमिति पर्यवसन्नम् ॥५९॥

उक्तदाढर्यायैव विपक्षे वाधकमाह—

(मू० - अतत्स्वभावात् तद्वावेऽतिप्रसङ्गोऽनिवारितः ।

तुल्ये तत्र सृदः कुम्भो न पटादोत्ययुक्तिमत् ॥६०॥

[स्वभाव के विना कङ्कटुकादि का पाक नहीं होता]

५८ वीं कारिका मे पूर्वकारिका वर्णित स्वभावकारणता को ही पुष्ट किया गया है- सभी
भाव कार्य अपने या अपने उपादान के स्वभाव के बल पर विशिष्ट आकार प्रकार आदि से नियत हो
कर ही अपने अपने स्वभाव मे अवस्थित होते हैं । स्वभाव मे अवस्थित होने का अर्थ है स्वभाव को
अभिव्याप्त कर रहना, क्योंकि ‘स्वभावे तिष्ठन्ति’ मे स्वभाव शब्द के साथ लगी सप्तमी विभक्ति
'तिलेषु तेलम्' मे तिल शब्द से लगी सप्तमी विभक्ति के समान अभिव्याप्ति अर्थ की बोधक हैं । भावो
का नाश भी उनके स्वभाव से ही नियत देश काल मे ही होता हैं, क्योंकि वे इच्छानुसार स्वतन्त्र न
होकर अपने स्वभाव के प्रति परतन्त्र होते हैं ॥५८॥

५६ वीं कारिका में कार्य को स्वभाव से भिन्न हेतु से जन्य मानने पर कामचार की आपत्ति
बताते हुये कहा गया है कि-इस ससार मे मूँग को दाल मे मूँग का पाक भी स्वभाव के विना नहीं
होता, क्योंकि जिस वस्तु मे पकने का स्वभाव नहीं हैं वह काल तथा कारणान्तर का व्यापार आदि
होने पर भी परिपक्व नहीं होती, जैसे अश्वमाष-पथरिले उड्ड मे दीर्घकाल तक अग्नि का विलक्षण
संयोग होने पर भी उस का पाक नहीं होता । अट्ट के वेष्ट्य से उस का पाक नहीं होता' यह कहना
उचित नहीं हो सकता, क्योंकि टृष्ट सभी कारणों का सम्बिंदा रहने पर अट्ट के अभाव में कार्य
की अनुपत्ति नहीं देखी जाती, अन्यथा यदि ऐसा हो तो उड्ड दण्ड से बल के साथ चक्र को चलाने
पर भी कभी उसे नहीं चलना चाहिये, अट्टवश उस मे चलन का प्रतिबन्ध हो जाना चाहिये पर
ऐसा नहीं होता । अत यहां मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि मूँग अपने स्वभाववश पकता है

अतत्स्वभावात्-तत्स्वभावभिन्नात्, तत्स्वभावरहिताद् वा तद्भावे=अधिकृतकार्यो-
त्पादे 'अङ्गीक्रियमाणे' इति शेषः, अतिप्रसङ्गोऽनिष्टप्रसङ्गः अनिवारितः=अवाधितः । कुतः १
इत्याह- तुल्ये=समाने, तत्र=अतत्स्वभावत्वे सति, मृदा कुम्भ एव जन्यते न पटादीति
अयुक्तिमत्=नियामकरहितम् ।

ननु नातत्स्वभावत्वं तज्जननप्रयोजकमुच्यते येनेयमापत्तिः संगच्छते, किन्तु सामग्रीमेव
कार्यजनिकां ब्रूमः अश्वमापस्य च पर्कित प्रति स्वरूपयोग्यतैव न इति को दोषः ? इति चेत् १

अत्र वदन्ति-अन्तगङ्गत्वात् स्वभाव एव कार्यहेतुः, न तु वाद्यकारणम् । न च मृत्स्व-
भावाऽविशेषाद् घटादिकार्याऽविशेषप्रसङ्गः 'स्वस्य भावः कार्यजननपरिणतिः' इति स्वभावार्थ-
त्वात्, तस्याश्च कार्यैकव्यङ्ग्यत्वात् । न चेदेवम्, अङ्गकुरजननस्वभावं वीजं प्रागेवाऽद्वकुरं

और पथरिल अश्वमाष पाकानुकूल स्वभाव से शून्य होने से नहीं पकता । अतः कार्य को अन्य हेतु-
जन्य मानने पर मूँग के पाक और अश्वमाष के पाकाभाव में कामचार मानना पड़ेगा । अत कार्यों के
जन्म में कामचार के निवारणार्थ उन्हे स्वभावजन्य मानकर स्वभावाधीन मानना ही न्याय-
सगत है ॥ ५६ ॥

[कारणसामग्रीवादीप्रयत्न आपत्ति का समाधान]

६० वीं कारिका में स्वभाववाद को दृढ़ करने के लिये स्वभाववाद के विरोधी पक्ष के बाधक
का प्रतिपादन किया गया है अर्थ इस प्रकार है—

जो तत्स्वभाव से अर्थात् तज्जननानुकूल स्वभाव से शून्य होता है उस से यदि कार्य की उत्पत्ति
मानी जायगी तो इस अतिप्रसङ्ग का-कि-मिट्टी आदि से घट आदि की उत्पत्ति के समान पट आदि की
भी उत्पत्ति होनी चाहिये क्योंकि उत्पादक में कार्यजननानुकूल स्वभाव की अपेक्षा न होने से मिट्टी
घट पट आदि सभी कार्यों के लिये समान है—वारण न हो सकेगा फलत घट और पट दोनों के
प्रति मिट्टी के समान होने से 'मिट्टी से घट की ही उत्पत्ति हो, पट की न हो'-यह नियम युक्तिहीन हो
जायगा । यदि यह कहें कि—'यह दोष अतत्स्वभावत्व को तदुत्पत्ति का प्रयोजक मानने पर ही हो
सकता है, पर हम यह नहीं मानते, हम तो यह कहते हैं कि-किसी पदार्थ को किसी कार्ये का उत्पादन
करने के लिये उस पदार्थ में उस कार्ये के जननानुकूल स्वभाव मानने की आवश्यकता नहीं है ।
तब प्रश्न होगा कि किस कार्य की उत्पत्ति का प्रयोजक क्या होता है ? इस सम्बन्ध में हमारा मत
यह है कि तत्त्व कार्य को सामग्री-अर्थात् तत्त्व कार्य के सभी कारणों का सम्बन्धान ही तत्त्व कार्य
की उत्पत्ति का प्रयोजक होता है, अत स्वभाववाद को स्वीकार न करने पर भी उक्त आपत्ति नहीं
हो सकतो—”तो इसके उत्तर में स्वभाववादी का यह कहना है कि स्वभाव अन्तरङ्ग होता है और
कारणान्तर का सहयोग बहिरङ्ग होता है; अत् मिट्टी को अपने स्वभाव से ही घट का उत्पादक
मानना उचित है, बहिरङ्ग की सहायता से नहीं ।

जनयेत् । 'सहकारिलाभा-ऽलाभाभ्यां हेतोः कार्यजनना-ऽजनने उपपत्स्येते' इति चेत् ? न, सहकारिचक्रानन्तर्भवेन विलक्षणवीजत्वेनैवाङ्कुरहेतुत्वौचित्यात् । न च सहकारिचक्रस्याऽति-शयाधायकत्वं त्वयाऽपि कल्पनीयम्, इति तस्य तत्कार्यजनकत्वकल्पनमेवोचितमिति वाच्यम् ; पूर्व-पूर्वोपादानपरिणामानामेवोत्तरोपादेयपरिणामहेतुत्वात्, अत एव कालवादाऽप्रवेशात् । न च चरमक्षणपरिणामरूपवीजस्याऽपि द्वितीयादिक्षणपरिणामरूपाङ्कुराजनकत्वाद् व्यक्तिविशेषमवलम्ब्यैव हेतु-द्वेतुमङ्गावो वाच्यः, अन्यथा व्यावृत्तिविशेषानुगतप्रथमादिचरमपर्यन्ताङ्कुरक्षणान् प्रति व्यावृत्तिविशेषानुगतानां चरमवीजक्षणादिकोपान्त्याङ्कुरक्षणानां हेतुत्वे कार्यकारणतावच्छेदककोटावैकेकक्षणप्रवेशा ऽप्रवेशाभ्यां विनिगमनाविग्रहप्रसङ्गात् । तथा च तज्जातीयात् कार्यात् तज्जातीयकारणानुमानभङ्गप्रसङ्गः इति वाच्यम् ;--सादृश्यतिरोहितवैसदृश्येनाऽङ्कुरगदिना तादृशवीजादीनामनुमानसंभवात्, प्रयोज्य-प्रयोजकभावस्यैव विपक्षवाधकतर्थस्य जागरूकत्वादिति । अधिकमध्यात्ममतपरीक्षायाम् । ततः स्वभावहेतुकमेव जगदिति स्थितम् ।

[समान उपादान से विविध कार्यों के अभाव की आपत्ति का प्रतिकार]

यदि यह शब्दका की जाय कि— मिट्टी से घट शराव आदि विविध पात्र एव विभिन्न प्रकार के खिलौने आदि अनेक प्रकार के काय उत्पन्न होते हैं, स्वभाववाद मे मिट्टी इन सभी कार्यों को अपने स्वभाव से ही उत्पन्न करेगी अत उसके स्वभाव मे कोई वैलक्षण्य न होने से उससे उत्पन्न होने वाले कार्यों मे भी वैलक्षण्य न हो सकेगा —तो यह शङ्का उचित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव का अर्थ है स्व का कार्य के अनुकूल परिणत होना, अत प्रत्येक वस्तु अपने कार्य को स्वभाव से उत्पन्न करती है, इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक वस्तु तत्त्व कार्य के अनुकूल परिणाम ग्रहण करके तत्त्व कार्य को उत्पन्न करती है और वस्तु का यह परिणामग्रहण उस वस्तु के अधीन ही होता है; अत मिट्टी से जितने कार्य उत्पन्न होते हैं उन सभी के उत्पादनानुकूल अलग अलग परिणति उसमे होती है. उन परिणतियों मे वैलक्षण्य होने से उसके कार्यों मे भी विलक्षणता होती है। अत स्वभाव से वस्तु को कार्योत्पादक मानने पर उस वस्तु से होने वाले कार्यों मे वैलक्षण्य की अनुपत्ति का आपादान नहीं किया जा सकता । किस वस्तु मे किस कार्य के अनुकूल परिणति होती है, इसका निश्चय तो उस वस्तु से होने वाले कार्यों से ही हो सकता है ।

[वीजत्व की अपेक्षा अंकुरानुकूलपरिणातिस्वभाव से कार्योत्पाद मे औचित्य]

वस्तु को कार्यानुकूलपरिणतिरूप अपने स्वभाव से ही कार्य का उत्पादक मानना आवश्यक भी है, अन्यथा यदि उसे अपने लोकसिद्ध स्वरूप से ही कार्य का उत्पादक माना जायगा तो वीज से नियत समय के पूर्व भी डंकुर की उत्पत्ति की आपत्ति होगी । इस आपत्ति का परिहार करने के लिये यदि महकारिसन्निधान की अपेक्षा मानकर यह कहा जाय कि—‘वीज अपने लोकसिद्ध रूप वीजत्व से ही अंकुर का कारण है किन्तु अंकुर का उत्पादन वह तभी कर सकता है जब अंकुर के अन्य सभी कारणों का भी उसे सन्निधान प्राप्त हो, अत अन्य कारणों के असन्निधान के समय उससे अंकुर के

उक्तं च—“कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्षण्यं विचित्रभावं मृगपक्षिणां च ।
स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तं न कामचारोऽस्ति कुरुः प्रसङ्गः” ॥१॥ इति ॥६०॥

॥ उक्तः स्वभाववादः ॥

जन्म की आपत्ति नहीं दी जा सकती’—तो इस कल्पना की अपेक्षा तो यही मानना उचित है कि बीज बीजत्वरूप से अकुर का जनक नहीं होता अपितु विलक्षण बीजत्व रूप से अर्थात् अंकुरानुकुल अपनी परिणतिरूप स्वभाव से जनक होता है, जिस समय अकुर की उत्पत्ति होती है उससे दूर पूर्व में उक्त परिणति के न होने से पूर्व में अकुर को उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

[सहकारीचक्र की कल्पना अनावश्यक]

यदि यह कहा जाय कि—अंकुरोत्पादक बीज में सहकारिचक्र को अतिशय का आधायक तो स्वभाववादी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अतिशयहोन बीज को अकुर का जनक मानने पर सहकारिचक्र के सञ्चिधान से पूर्व भी अकुर की उत्पत्ति की आपत्ति होगी, अत जब सहकारिचक्र की अपेक्षा स्वभाववाद में भ आवश्यक है तब तो विलक्षणबीजत्वरूप से कारणत्व की कल्पना अनावश्यक है, क्योंकि बीजत्वरूप से भी बीज को अकुर का जनक मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती’—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जो जिस कार्य का उपादान माना जाना है उसमें प्रतिक्षण नये नये परिणाम होते रहते हैं, और उन परिणामों से नये नये उपादेय परिणामों की उत्पत्ति भी होती रहती है । अत पूर्वपूर्व उपादान परिणामों को उत्तरोत्तर होने वाले तत्त्व उपादेय परिणामों के प्रति कारण मान लेने से स्वभाववाद में सहकारिचक्र की कल्पना अनावश्यक हो जाती है । किन्तु उपादान को लोकसिद्ध सामान्यरूप से उपादेय का कारण मानने पर पूर्वोक्त आपत्ति का परिहार सहकारिचक्र की कल्पना के बिना नहीं हो सकता, अत स्वभाववाद को स्वीकार करना ही उचित है । स्वभाववाद में उक्तरूप से उपादानपरिणामों और उपादेय परिणामों में हेतुहेतुमङ्गाव मानने से उस मत से कालवाद के प्रवेश की आशंका भी समाप्त हो जाती है ।

(कार्य से कारणानुमान के भंग की आपत्ति का समाधान)

उक्त व्यवस्था स्वीकार करने पर यह प्रश्न हो सकता है कि “बीज का जो चरम क्षणात्मक परिणाम होता है उससे अंकुर का प्रथम क्षणात्मक परिणाम ही उत्पन्न होता है द्वितीय तृतीय आदि क्षण परिणामों की उत्पत्ति उससे नहीं होती अत उपादान के क्षण परिणामों को उपादेय के क्षण-परिणामों के प्रति तत्त्वद्वयवित्तत्वरूप से ही कारण और कार्य मानना होगा, क्योंकि यदि अनुगत रूप से उनमें हेतुहेतुमङ्गाव की कल्पना की जायगी तो जिस अत्तद्वयवृत्ति से उनका अनुगम किया जायगा उसके शरीर में उन क्षणों के प्रवेशक्रम में विनियमना न होने से महान् गौरव होगा, और तत्त्वद्वयवित्तरूप से हेतुहेतुमङ्गाव मानने का फूफल यह होगा कि तज्जातीय कार्य स तज्जातीय कारण के अनुमान का मङ्ग हो जायगा क्योंकि अनुगत रूप से हेतुहेतुमङ्गाव न होने के कारण तज्जातीय कार्य में तज्जातीय कारण की अनुमापकता में कोई प्रयोजक न होगा”—किन्तु यह प्रश्न स्वभाववादी के लिये बड़ी सरलता से समाधेय है, वह इस प्रकार कि उत्पादक बीजक्षणों से तथा उत्पाद अङ्गक्षणों में परस्पर में अत्यन्त सादृश्य होता है जिस से उनका वैसादृश्य तिरोहित रहता है अत् सदृश अङ्गक्षणात्मक कार्य से सहशब्दीजक्षणात्मक कारण का अनुमान होने में कोई वाधा नहीं हो सकती, क्योंकि

अथ नियतिवादमाह-

मूलं—नियतेनैव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत् ।

ततो नियतिजा हृयेते तत्स्वरूपानुवेधतः ॥६१॥

नियतेनैव=सजातीय-विजातीयच्यावृत्तेन स्वभावानुगतेनैव रूपेण, सर्वे भावा भवन्ति, यद्=यस्माद् हेतोः । ततो हि=निश्चितम्, एते=भावाः, नियतिजा:=नैयत्यनियाम-कतन्नान्तरोद्भवाः । हेत्वन्तरमाह—तत्स्वरूपानुवेधतः=नियतिकृतप्रतिनियतधर्मोपश्लेषात् । दृश्यते हि तीक्ष्णशक्त्वाद्युपहतानामपि मरणनियतताभावेन मरणम्, जीवननियततया च जीवनमेवेति ॥६१॥

इदमेव स्फुटमाह-

मूलम्—यद्यदैव यतो यावत्तत्तदैव तत्स्तथा ।

नियत जायते, न्यायात्क एतां बाधितुं क्षमः ? ॥६२॥

यद्=घटादिकम्, यदैव=विवक्षितकाल एव, यतः=दण्डादेः, यावत्=विवक्षितात्म-

उक्त क्षणो मे अनुगत कार्यकारणभाव न होने पर भी अनुगत प्रयोज्यप्रयोजककभाव होने से उस प्रयोज्यप्रयोजकभावरूप प्रयोजक के बल पर अद्यकुरक्षणो और बीजक्षणो मे व्याप्यव्यापकभाव ज्ञात हो सकता है ।—‘उक्त क्षणो मे जैसे अनुगत कार्यकारणभाव नहीं होता उसी प्रकार अनुगत प्रयोज्यप्रयोजकभाव भी नहीं हो सकता—’ यह शब्द का नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुगत कार्यकारणभाव मानने मे नियतसमय से पूर्व बीज से अकुरोत्पत्ति की आपत्ति बाधक है, किन्तु अनुगत प्रयोज्य-प्रयोजकभाव मानने मे ऐसी कोई बाधा नहीं है क्योंकि यह नियम किसी को भी मान्य नहीं है कि ‘जो जिस का प्रयोजक होता है उस से उसकी उत्पत्ति मे विलम्ब नहीं होता’ । अतः अकुरोत्पत्ति से चिरपूर्व भी अकुरप्रयोजक की सत्ता मानने मे कोई दोष नहीं होता । इस विषयमे अधिक जानकारी ‘अध्यात्म-मतपरीक्षा’ नामक ग्रन्थ से प्राप्त की जा सकती है । इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तियो से यह सिद्ध हो जाता है कि जगत् स्वभावहेतुक ही है, अन्यहेतुक नहीं है । कहा भी गया है कि—‘काँटो की तीक्षणता और पशु एव पक्षियो की विचित्रलूपता को कौन उत्पन्न करता है ? स्पष्ट है कि यह सब स्वभाव से ही सम्पन्न होता है, स्वभाववाद मे कामचार यथेच्छ अनुष्ठान का कोई अवसर नहीं है अतः इस वाद मे सब से सब की उत्पत्ति की आपत्ति नहीं हो सकती ॥६०॥ [स्वभाववादपरिसमाप्त]

(नियतितत्त्व से सर्वकार्यसंपत्ति—नियतिवाद)

६१ वी कारिका मे नियतिवाद की स्थापना करते हुये कहा गया है कि-सभी पदार्थ नियतरूप से ही उत्पन्न होते हैं । नियतरूप का अर्थ है-वस्तु का वह असाधारणधर्म जो उस के सजातीय और विजातीय वस्तुओ से व्यावृत्त होता है । यह रूप वस्तु के स्वभाव का अनुगामी होता है एव सहश पदार्थो मे स्वभाव से ही अनुगत होता है । नियतरूप से ही पदार्थो की इस उत्पत्ति के अनुरोध से यह

वदुदेशव्यापि, जायमानं दृश्यते; तद्=वटादिकम्, तदैव=विवक्षितकाल एव, ततः=दण्डादेः, तथा=तावदेशव्यापि, लोके=जगति, नियतम्=नियतिकृतम्, जायते । ततो न्यायात्=तर्कात्, क एतां=नियतिं, वाधितुं क्षमः १ प्रमाणसिद्धेऽर्थे वाधानवतारात्, नियतरूपावच्छन्नं प्रति नियतेरेव हेतुत्वात्, अन्यथा नियतरूपस्याप्याकस्मिकताऽपत्तेः । न च तावद्वर्मकत्वं न जन्यतावच्छेदकम्, किन्त्वार्थममाजसिद्धमिति वाच्यम्; नियतिजन्यत्वेनैवोपपत्तावार्थ-समाजाऽकल्पनात् भिन्नमामग्रीजन्यतयैकवस्तुरूपव्याघातापत्तेश्च । तदुकतम्-

“प्राप्तव्यो नियतिवलाश्रयेण योऽर्थः, सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा । भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने, नाऽभाव्यं भवति, न भाविनोऽस्ति नाशः” ॥१॥ इति ॥६२॥

इदमेव विवृणोति-

मूलम्-न चर्ते नियतिं लोके मुद्रगपक्तिरपोक्ष्यते^१ ।

तत्स्वभावादिभावेऽपि नासावनियता यतः ॥६३॥

मानना आवश्यक है कि सभी पदार्थ किसी ऐसे तत्त्व से उत्पन्न होते हैं जिस से उत्पन्न होनेवाले पदार्थों में नियतरूपता का नियमन होता है, पदार्थों के कारणभूत उस तत्त्व का ही नाम ‘नियति’ है । उत्पन्न होने वाले पदार्थों में नियतिमूलक घटनाओं का ही सम्बन्ध होता है इसलिये भी सभी को नियतिजन्य मानना आवश्यक है । जैसे यह देखा जाता है कि तीक्ष्ण शब्द का प्रहार होने पर भी सब की मृत्यु नहीं होती, किन्तु कुछ लोग ही मरते हैं और कुछ लोग जीवित रह जाते हैं, इस की उपपत्ति के लिये यह मानना आवश्यक है कि प्राणी का जीवन और मरण नियति पर निर्भर है, जिस का मरण जब नियतिसम्मत होता है तब उस की मृत्यु होती है और जिस का जीवन जब तक नियतिग्रसम्मत है तब तक मृत्यु का प्रसङ्ग वारवार शाने पर भी वह जीवित ही रहता है, उस की मृत्यु नहीं होती ॥६१॥

[जिसकी-जब-जिससे-जिसरूप में उत्पत्ति नियति से]

६२ वी कारिका मे पूर्व कारिका के कथन को ही स्पष्ट करते हुये कहा गया है कि जो कार्य जिस समय जिस कारण से जिस रूप मे उत्पन्न होने का नियति से निर्दिष्ट होता है वह उसी समय उसी कारण से उसी रूप मे उत्पन्न होता है । घट आदि कार्यों की उत्पत्ति इसी प्रकार देखी जाती हैं इसलिये इस प्रमाणसिद्ध नियति का किसी भी तर्क से कोई भी विवान खण्डन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रमाणसिद्ध पदार्थ मे बाधक तर्क का प्रवेश नहीं होता । यदि यह पूछा जाय कि ‘नियति मे क्या प्रमाण है ?’ तो इस का उत्तर यही है कि नियतरूपविशिष्ट कार्य की उत्पत्ति ही नियति की सत्ता से प्रमाण है, क्योंकि यदि नियतरूप से कार्य की उत्पत्ति का कोई नियामक न होगा तो कार्य की नियतरूपता आकस्मिक हो जायगी अर्थात् किसी वस्तु का कोई नियतरूप सिद्ध न हो सकेगा । यदि यह कहा जाय कि-‘ कार्य यावद्वर्मक होता है तावद्वर्मकत्वं किसी एक कारण का कार्यतात्पच्छेदक नहीं होता, अपित् तत्त्वं धर्म भिन्नं कारणो द्वारा सम्पादित होते हैं, और जब उन सभी धर्मों के

(५) सर्वत्र मूलपुस्तकादशपु ‘पीड्यते’ इति पाठः ।

न च लोके=जगति नियतिमृते=नियति विना, मुद्रगपवितरपीक्ष्यते=हश्यते; यत्-स्तत्स्वभावादिभावेऽपि=मुद्रगपवितजनकस्वभावव्यापारादिसञ्चेऽपि, नासौ=अधिकृता मुद्रगपवितः अनियता, किन्तु स्वरूपनियता । न चैतद् नैयत्यं स्वभावप्रयोज्यम्, स्वभावस्य कायेंकजात्यप्रयोजकत्वात्, अतिशयरूपस्याऽपि तस्य विशेष एव प्रयोजकत्वात्, पक्षत्यन्तर-साजात्यवैजात्योभयानुवेधम्य नियति विनाऽसंभवात् । ‘हेतुना व्यक्तिरेवोत्पाद्यते, उभयानु-वेधस्तु तत्र तत्त्वानन्तरसंवेधादि’ति चेत् ? न, समवायादिनिरासेन तत्संवेधानुपपत्तेः, अनिरासेऽपि तत्रैव तत्संवेधनियामकगवेषणात् ।

किञ्च-दण्डादिसञ्चेऽवश्यं घटोत्पत्तिरिति न सम्यग् निश्चयः, तत्सत्वेऽपि कदाचिद् बटा-मुत्पत्तेः, किन्तु मंभावनैव, इति न दृष्टहेतुसिद्धिः; ‘यद् भावयं तद्भवत्येव’ इति तु सम्यग् निश्चयः । न चैवं कायोत्पत्तेः पूर्वं नियत्यनिश्चयात् प्रवृत्तिर्न स्यादिति वाच्यम्, अविद्य-यैव प्रवृत्ते., फलस्ताभस्य तु याद्विच्छिकत्वादिति दिग् ॥६३॥

सम्पादक कारणो का समाज एकत्र होता है तब उन सभी धर्मों से युक्त एक कायं को उत्पत्ति होती है” -तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि तावद्धर्मकृत्व को एक नियति का कायंतावच्छेदक मानने से लाभव है अतः उस मे कारण समाज नियम्यत्व की कल्पना उचित नहीं हो सकती । हूसरी बात यह है कि तत्तद् धर्म से विशिष्ट कार्य यदि भिन्न भिन्न कारण सामग्रो से जन्य होगा तो भिन्न सामग्रियो से उत्पन्न होनेवाले कार्य मे एक वस्तुरूपता न हो सकेगी । नियति के समर्थन मे यह वहूत अच्छी बात कही गयी है कि-मनुष्य को जो भी शुभ अशुभ नियति द्वारा प्राप्तव्य होता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है क्योंकि जगत् मे यह देखा जाता है कि जो वस्तु जिससे नहीं होने वाली होती है वह वहूत प्रयत्न करने पर भी उससे नहीं होती और जो होने वाली होती है उस का कभी नाश याने विघटन नहीं हो सकता ॥६३॥

[पचनस्वभाव होने पर भी नियतिविना पाक अशक्य ।]

६३ वी कारिका से पूर्वकारिका के विषय को ही अन्य प्रकार से स्पष्ट किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

ससार मे नियति के विना मूँग का पाक भी नहीं देखा जाता, मूँग पाक के जनकस्वभाव के व्यापारवान होने पर भी वह अनियत स्वरूप नहीं होता किन्तु नियति से सम्पादित स्वरूप से सम्पन्न ही होता है । उसका स्वरूपनयत्य स्वभाव से नहीं उपपत्र हो सकता, क्योंकि स्वभाव कायों की एक-जातीयता का प्रयोजक नहीं होता, यदि स्वभाव को अतिशयरूप माना जाय तब भी वह कार्य मे विशिष्टता का ही प्रयोजक होता है, मूँग के पाक मे अन्य पाक के साजात्य और वैजात्य के अस्तित्व का प्रयोजक तो नियति हो होती है । यदि यह कहा जाय कि—“नियति हेतु से तो व्यवित की ही उत्पत्ति-होती है उसमे साजात्य और वैजात्य की सिद्धि तो अन्य तत्त्व से ही होती है, अत कार्य को नियति-जन्य मानने पर भी उस मे साजात्य-वैजात्य की उपपत्ति के लिये तत्त्वान्तर ही मानना होगा, तो फिर व्यवित की उत्पत्ति तो स्वभाव आदि से भी हो सकती है अतः उसके लिये नियति की कल्पना अनावश्यक है”—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह तत्त्वान्तर समवाय आदि हो हो सकता है, किन्तु उस का खण्डन हो चूका है । और यदि उसे माना भी जाय तो उसी का अस्तित्व कार्य मे किस निमित्त से होता

उक्तमेव वाधकविपक्षत्वेनाह—

मूलं—अन्यथाऽनियतत्वेन सर्वभावः प्रसज्यते ।

अन्योन्यात्मकतापत्तेः क्रियावैफल्यमेव च ॥६४॥

अन्यथा= नियतिजन्यत्वं विना, अनियतत्वेन हेतुना, सर्वभावः प्रसज्यते, व्यवत्यविशेषात् । च-पुनः अन्योन्यात्मकतापत्तेः=घट-पटाद्यविशेषापत्तेः, क्रियावैफल्यमेव, सिद्धाया व्यवत्तरसाध्यत्वात् ।

‘सा व्यक्तिरसिद्धैवे’ ति चेत् १ तच्च नान्यमेदः, तदग्रहेऽपि ‘सोऽयम्’ इति तत्त्वाग्रहात् । नच तव्यक्तिरेव तच्चम्, तस्य तत्राऽविशेषणत्वात्, किन्तु नियतिकृतधर्म एव, इति सिद्धं नियत्या ॥६४॥ उक्तो नियतिवादः ।

है यह प्रश्न पुन खड़ा हो जाता है, अतः कार्य में साजात्य- वैजात्य का नियामक ऐसा होना चाहिये जिस के बारे में ऐसा प्रश्न न हो, और ऐसा नियामक नियति के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं हो सकता ।

[कार्य अवश्यंभाव का सम्यक् निश्चय]

यह भी ज्ञातव्य है कि—‘दण्ड आदि होने पर घट अवश्य होता है’ यह भी सम्यक् निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि दण्ड आदि सभी हेतुओं के होने पर भी अनेक बार प्रतिवन्धक आदि वश घट की उत्पत्ति प्रतिरुद्ध हो जाती है । अतः दण्ड आदि के होने पर घटोत्पत्ति को केवल सम्भावना ही मानी जा सकती है । इसलिये सम्यक् निश्चय के अभाव में कार्य के वृष्ट कारणों की सिद्धि नहीं हो सकती, किन्तु ‘जिसका होना नियत है वह होता ही है’ यह सम्यक निश्चय है क्योंकि इसमें विपरीतता नहीं होतो, अतः इस निश्चय से नियति में कार्यों की जनकता की सिद्धि निर्वाध है । कार्य के नियतिजन्यत्वपक्ष में यह प्रश्न हो सकता है कि—‘कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कार्यार्थों को नियति का निश्चय तो होता नहीं फिर कार्य के उत्पादनार्थ उस की प्रवृत्ति कैसे होगी?’—नियतिवादी की ओर से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कार्यार्थों की प्रवृत्ति नियति का ज्ञान हुये विना ही होती है । वह ‘कार्य की उत्पत्ति अवश्य होगी’ इस बात के निश्चय से नहीं प्रवृत्त होता, वह तो यही सोच कर प्रवृत्त होता है कि यदि नियति होगी तो कार्य अवश्य ही होगा । अतः कार्य के लिए जो कुछ वह कर सकता है यह उसे करना चाहिये । अतः यह स्पष्ट है कि कार्यार्थों की प्रवृत्ति अविद्या से ही होती है, कार्य की सिद्धि तो नियतिवश सम्पन्न होती है ॥६३॥

[नियति विना कार्य में सर्वात्मकता की आपत्ति]

६४ वीं कारिका में पूर्वोक्त बात को विपक्ष के बाधक रूप में प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि—‘यदि कार्य को नियतिजन्य न माना जायगा तो कार्य में नियतरूपता का कोई नियामक न होने से उत्पन्न होने वाले कार्यव्यक्ति में सर्वात्मकता की आपत्ति होगी, और कार्यव्यक्ति के सर्वात्मक होने पर घट पट आदि कार्यों में कोई अन्तर न रह जाने से किसी एक कार्य व्यक्ति के उत्पन्न हो जाने पर अन्य कार्य व्यक्ति भी सिद्ध हो जायगी, फिर उसके लिये मनुष्य की क्रिया निरर्थक हो जायगी, क्योंकि सिद्ध को सम्पादित करने के लिये कोई क्रिया नहीं अपेक्षित होती ।

अथ कर्मवादमाह—

मूलं—न भोक्तृव्यनिरेकेण भोग्यं जगति विद्यते ।

न चाकृतस्य भोक्ता स्यान्मुक्तानां भोगभावतः ॥६५॥

भोक्तृव्यतिरेकेण जगति=चराचरे, भोग्य न विद्यते. भोग्यपदस्य संसन्धिकत्वात् । न चाऽकृतस्य भोक्ता स्यात्, स्वव्यापारजन्यस्यैव स्वभोग्यत्वदर्शनात्, अन्यथा, मुक्तानां=निष्ठितार्थानाम्, भोगभावतः=भोगप्रमड्गात् ॥६५॥ ततः किम् ? इत्याह—

मूलम्—भाग्य च विश्वं सत्त्वानां विधिना तेन तेन यत् ।

दृश्यतेऽध्यक्षमेवेद तस्मात् तत्कर्मज हि तत् ॥६६॥

भोग्यं च=भागप्रयोजनं च, सत्त्वानां=मंसारिणाम्, तेन तेन=सुखदुःख-प्रदानादिलक्षणेन, विधिना=प्रकारेण, इदं विश्वं=जगत्, अध्यक्षमेव=स्वसंवेदन-साक्षिकमेव दृश्यते, यद्=यस्माद् हेतोः, तस्मात् कारणात्, हि=निश्चितम्, तत्=जगत्, तत्कर्मजं=भोक्तृकर्मजम् । जगद्वेतुत्वं कर्मण्येव, इतरेषां पराभिमतहेतूनां व्यभिचारित्वादिति भावः ॥६६॥ तथा—

(तत्तद्व्यक्तिरूपकार्यसिद्धि के लिये भो क्रिया अनावश्यक)

यदि यह कहें कि—“एक व्यक्ति के उत्पन्न हो जाने पर उक्त रीति से व्यक्तिरूप में सब की सिद्धि हो जाने पर भी तत्तद्व्यक्ति के रूप में तो सब की सिद्धि नहीं हो जाती अतः तद्व्यक्ति को सिद्ध करने के लिये क्रिया की अपेक्षा हो सकती है—’ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ तत्ता को अन्यभेदरूप नहीं माना जा सकता क्योंकि अन्यभेद का ज्ञान न होने पर भी व्यक्ति की तत्ता का ‘सोऽयस्’ इस रूप में मान होता है । तत्ता को तद्व्यक्तिरूप भी नहीं माना जा सकता क्योंकि हेतु से व्यक्ति की ही उत्पत्ति होने से उस में तत्ता विशेषण सिद्ध ही नहीं है, अतः उसे तद्व्यक्ति कह कर तत्ता को तत्स्वरूप नहीं कहा जा सकता । अतः अन्य कोई गति न होने से यही कहना होगा कि व्यक्ति की तत्ता व्यक्ति का नियतिमूलक धर्म है । नियति तत्ताविशिष्ट ही व्यक्ति को उत्पन्न करती है, अतः कार्य के नियतिजन्यत्वपक्ष में उत्पन्न होनेवाले व्यक्ति में सर्वात्मकता की आपत्ति नहीं हो सकती । अतः नियति की सिद्धि निवाद है ॥६४॥ (नियतिवाद परिसमाप्त)

(‘भोग्य-भोक्ता और कृत का भोग’-कर्मवाद)

६५ वीं कारिका में कर्मवाद की स्थापना करते हुये कहा गया है कि इस चराचरात्मक जगत् में भोग्य की सत्ता भोक्ता की सत्तापर ही निर्भर है, क्योंकि ‘भोग्य’ यह सम्बन्धिसापेक्ष पदार्थ है अतः भोक्तारूप सम्बन्धी के अभाव में उसका अस्तित्व नहीं हो सकता । भोक्ता भी अकृतकर्म का भोग नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिस के व्यापार से उत्पन्न होता है वही उसका भोग्य होता है । यदि अकृत कर्म का भी भोग माना जायगा तो मुक्त पुरुषों में भी भोग की आपत्ति होगी, क्योंकि जब भोग के लिये भोक्ता को कर्म करना आवश्यक नहीं है तो संसारी पुरुषों द्वारा होने वाले कर्मों का भोग मुक्त पुरुषों में क्यों न हो सकेगा ? ॥६५॥

मूलम्- न च तत्कर्मवैधुर्ये सुदृगपक्षितरपोद्धयते ।

स्थाल्यादिभङ्गभावेन यत् क्वचिज्ञोपपश्यते ॥६७॥

न च तत्कर्मवैधुर्ये=मोक्तुगतानुकूलादृष्टाभावे, सुदृगपक्षितरपीक्ष्यते । कथम् ? इत्याह-यद्=यतो हेतोः, क्वचित्=विवक्षितस्थाने, स्थाल्यादिभङ्गभावेन, नोपपश्यते=न सिध्यति । 'दृष्टकारणवैगुण्यादेव तत्र कार्यभाव' इति चेत् । तर्हि तद्वैगुण्यं यज्ञमित्तम्, तत एव कार्यवैगुण्यं न्यायप्राप्तम्, 'तद्वेतोः'० इति न्यायात् । नन्वेवं नियमतो दृष्टकारणापेक्षा न स्यादिति चेत् । न स्याद्व, तथाविधप्रयत्नं विनापि शुभादप्तेन धनप्राप्त्यादिदर्शनात् ; कर्मविपाककालेऽवर्जनीयसनिधिकत्वेनैव तेषां निमित्तत्वव्यवहारात् । अत एव 'दृष्टकारणानाम-दृष्टव्यञ्जकत्वम्' इति सिद्धान्तः । तदुक्तम्-

६६ वीं कारिका में उक्त कथन का फलितार्थ बताते हुये कहा गया है कि 'यह जगत् सुख, दुःख आदि को उत्पन्न करके ही जीवों का भोग्य होता है' यह प्राणीमात्र का अनुभव है । इसलिये यह मानना आवश्यक है कि जगत् मोक्ता के कर्मों से ही उत्पन्न होता है । जगत् की कारणता जीव-कर्मों में ही है यह मानना इस लिये भी आवश्यक है कि अन्य वादियों द्वारा बताये गये कारण व्यभिचरित हो जाते हैं, क्योंकि उन कारणों के रहने पर भी कभी कार्य नहीं होता और कभी उन के अभाव में भी कार्य हो जाता है । अतः यह युक्तिसिद्ध है कि जीवों का पूर्वांजित कर्म ही जगत् का उत्पादक होता है ॥६६॥

[कर्म के विरह में सूंगपाक अशब्द]

६७ वीं का रका में भी कर्मवाद भी ही पुष्टि की गयी है और कहा गया है कि भोक्ता के अनुकूल अदृष्ट के अभाव में सूंग का पाक भी होता नहीं दीखता, क्योंकि यह सर्वविदित है कि कई समय मनुष्य जब सूंग पकाने चलता है तो पाकपात्र आदि का अकस्मात् भंग हो जाने से सूंग पाक नहीं हो पाता । यदि कहा जाय कि-'पाकपात्र आदि दृष्ट कारण का अभाव हो जाने से ही ऐसे स्थलों में पाक नहीं होता तो यह कहना पर्याप्त नहीं है । क्योंकि दृष्ट कारण का अभाव भी तो किसी निमित्त से ही होगा और उस का जो निमित्त होगा वह कोई दृष्ट न होने से अदृष्टव्य ही होगा । अतः उस को सीधे कार्यभाव का ही प्रयोजक मान लेना उचित है, क्योंकि यह न्याय हैं-'तद्व-तोरेवाऽस्तु किं तेन ?'-जिसका अर्थ है कि जो कार्य अपने हेतु के हेतु से (सीधा ही) उत्पन्न होता है उसी को ही हेतु माना जाय, दूसरे को क्यों माना जाय? इस स्थिति में यह मानना उचित प्रतीत होता है कि कार्य अपने अभिमत हेतु के हेतु से ही सीधे उत्पन्न होता है । यदि यह आपत्ति दी जाय कि-'कार्य को साक्षात् अदृष्ट से उत्पन्न मानने पर कहीं भी दृष्ट कारण की अपेक्षा न हो सकेगी तो इस से कोई हानि नहीं है । क्योंकि कर्मवाद में दृष्ट कारण का कोई स्थान नहीं है । देखा भी जाता है कि-कभी कभी विना किसी प्रयत्न के ही मनुष्य को विपुलधन की प्राप्ति हो जाती है, अत दृष्टपदार्थों में यदि कहीं किसी कार्य के प्रति कारणत्व का व्यवहार होता है तो इसलिये नहीं कि दृष्ट पदार्थ सचमुच कारण है किन्तु वह व्यवहार इसलिये होता है कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उनका सञ्चिहान अवर्जनीय होता

“यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः फलं निधानस्थमिवाऽवतिष्ठते ।

तथा तथा तत्प्रतिपादनोद्यता प्रदीपहस्तेव मतिः प्रवर्तते ॥१॥” इति ।

न च विपाककालापेक्षणात् कालवादप्रवेशः, तस्य कर्मावस्थाविशेषरूपत्वात् । न च कर्महेत्वपेक्षावैयग्रथम्, अनादित्वात् कर्मपरम्परायाः ॥६७॥

विष्णु वाधकमाह-

मूलं- चित्रं भोग्यं तथा चित्रात्कर्मणोऽहेतुतान्यथा ।

तस्य यस्माद्विचित्रत्वं नियत्यादैर्न युज्यते ॥६८॥

तथा=प्रतिनियतरूपेण, चित्र=नानाप्रकारम् भोग्यम्, चित्रात्कर्मणो वटते, तस्य तत्त्वायेजनकविचित्रशक्तियोगित्वात् । अन्यथा=चित्रकर्मानभ्युपगमे अहेतुता स्यात्, ‘चित्रभोग्यस्य’ इत्यनुपज्यते । ‘क्वचिदुद्भूतरूपमेव, क्वचिच्चानुद्भूतरूपमेव, परमाणुमाद्भूतानां च शाल्यादिवीजानां शाल्याद्युद्भूतजनकत्वमेव’ इति नियमे परेणाऽप्यदृष्ट्यैवाऽङ्गीकागत,

है । इसी लिये सिद्धान्त यही है कि दृष्ट कारण अदृष्ट के व्यञ्जक होते हैं न कि कार्य के वास्तव कारण । कार्य का वास्तव कारण तो अदृष्ट ही होता है ।

कहा भी गया है कि-‘कोष मे धन के समान पूर्वकृत कर्म का फल पहले से ही विद्यमान रहता है और वह जिस जिस रूप से अवस्थित रहता है उस उस रूप मे उसे सुलभ करने के लिये मनुष्य की बुद्धि सतत उद्यत रहती है और उसी उसी प्रकार उसे प्राप्त करने के लिये मानो हाय मे दीप लिये आगे आगे चलती है’ । ‘विपाक कालकी अपेक्षा मानने पर इस मत मे कालवाद के प्रवेश’ की शड्का नहीं की जा सकती क्योंकि काल भी कर्म को एक विशेष अवस्था हो है । कर्म के कारणो के विषय मे भी चिन्तित होना व्यथ है क्योंकि कमपरम्परा अनादि है, अत. पूर्वे पूर्व कमे से उत्तरोत्तर कर्म की उत्पत्ति मानने से कोई वाधा नहीं है ॥६७॥

(कर्मविचित्रता से भोग्यविविधता)

६८ वर्ण कारिका मे ‘कार्यं कर्महेतुक है’ इस पक्षके विपरीत पक्षमे वाधक बताया गया है । करिका का अर्थ इस प्रकार है-

भोग्य पदर्थ प्रतिनियत रूप से अनेक प्रकार के होते हैं अत उन के कारण को भी अनेक प्रकार का होना आवश्यक है क्योंकि कारण के वैचित्र्य-वैविध्य से ही कार्य मे वैचित्र्य-वहुप्रकारकत्व हो सकता है, अन्यथा नहीं । कर्म मे वहुविधकार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, अत. उस से वहुविध कर्म का जन्म हो सकता है । यदि विचित्रकर्म को कारण न माना जायगा तो विचित्रकार्य की उत्पत्ति न हो सकेगी । किसी द्रव्य का रूप उद्भूत होता है और किसी का अनुद्भूत, जैसे घट, पट आदि का रूप उद्भूत और चक्षु आदि का रूप अनुद्भूत । यह विचित्रता कारणवैचित्र्य के विना नहीं उपपन्न हो सकती । शालि, यव आदि के बीज दूट कर जब परमाणु की स्थिति मे हो जाते हैं तब उनमे शालित्व, यवत्व आदि घर्मभेद नहीं रह जाते क्योंकि द्रव्यत्वव्याप्यजाति की व्याप्य-जातियां परमाणु मे नहीं मानी जाती । अत परमाणुभूत शालि, यवादि बीजो मे द्रव्यत्वव्याप्य

सर्वत्र तद्देतुत्स्यैवैचित्यात् । ननूक्तमेव नियत्यादेः कार्यवैचित्र्यम्,-अत एतत्पक्षेणैव प्रत्यामत्या प्रतिलोमकमेण तद्दृष्टगार्थमाह-तस्य=भोग्यस्य, विचित्रत्वम्, यस्माद्देतोः, नियत्यादेः=नियत्यादिप्रयोज्यम्, न युज्यते ॥६८॥ तथाहि-

मूलं--नियतेनियतात्मत्वान्नियतानां समानता ।

तथानियतभावे च वलात् स्यात् तद्विचित्रता ॥६९॥

नियतेनियतात्मत्वात्=एकरूपत्वात्, नियताना॑=तज्जन्यत्वेनाभिमतानाम्, समानता स्यात्, तथा=अद्वैतप्रकारानतिक्रमेण अनियतभावे च=असमानकार्यकारित्वे च नियते-रभ्युपगम्यमाने, वलात्=न्यायात्, तद्विचित्रता=नियतिविचित्रता स्यात् । ‘घटो यदि पटजनकाऽन्यूनाऽनतिरिक्तहेतुजन्यः स्यात्, पटः स्यात्’—‘घटजनकं यदि पटं न जनयेत्, पटजनकाद् भिद्येत्’ इति तर्कद्वयम् ॥६९॥

पृथिवीत्व जाति ही रहती है उसको व्याघ्य शालित्व आदि जातिर्था नहीं रहती, इसलिये परमाणुभूत शालिवीजो से शालि अकुर की ही उत्पत्ति एव परमाणु भूत यवबीजो से यवाङ्कुर की ही उत्पत्ति का नियमन अद्वैट द्वारा ही अन्यहेतुवादियों को भी मानना पडेगा, तो जब कुछ स्थानों में कार्य को अद्वैटजन्य मानना स्पष्ट रूप से आवश्यक प्रतीत होता है तो सर्वत्र उसी को कार्य का जनक मानना उचित है ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि नियति की चर्चा प्रस्तुत चर्चा के निकट पूर्व से होने से वह काल, स्वभाव आदि से प्रत्यासन्न है अतः आरोह-उतार के क्रम से पहले उसी की कार्यवैचित्र्य-प्रयोजकता की परीक्षा उचित है और उस परीक्षा का निष्कर्ष निश्चितरूप से यही निकलनेवाला है कि नियति आदि से भोग्यवैचित्र्य की उपपत्ति नहीं हो सकती ॥६८॥

(नियति हेतुतापक्ष में कार्यसमानता की आपत्ति)

६६ वी कारिका में ‘नियति से कार्य वैचित्र्य नहीं हो सकता,’ इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है । कारिका का अर्थ यह है कि-

नियति की आत्मा=स्वरूप एक है अथवा नियति निश्चितरूप से एकस्वरूप है अत भोग्य पदार्थों का जन्म यदि उसी से होगा तो कारण में एकरूपता होने से कार्यों में भी एकरूपता हो जायगी, अनेकरूपता न हो सकेगी जब कि कार्यों की अनेकरूपता सर्वमान्य है । अतः यदि अद्वैट के समान उसे भी विचित्र कार्य का जनक मानना है तो विवेष होकर उसे भी एकरूप न मान कर विचित्ररूप ही मानना होगा ।

यह बात दो तर्कों द्वारा सिद्ध होगी जैसे—‘घट यदि पट के कारणों से अन्यून और अनतिरिक्त कारणों से उत्पन्न होगा तो घट भी पट हो जायगा’ । और ‘घट का जनक यदि पट का जनन न करेगा तो पट के जनक से भिन्न होगा’ । इनमें पहले तर्क का बाशय यह है कि जितने कारणों से पट उत्पन्न होता है, यदि घट भी उतने ही कारणों से उत्पन्न होगा, घट के कारणों में यदि पट के किसी कारण का अभाव अथवा पट के कारणों से अतिरिक्त किसी नये कारण का सम्भिवेश न होगा, तो घट भी पट ही हो जायगा, पट से भिन्न न हो सकेगा । क्योंकि कारणों में सबथा साम्य रहने पर कार्यों में

प्रागुक्तरीत्या कार्यवैचित्र्यनिर्वाहकतयैव नियत्यभ्युपगमाद् द्वितीयेइष्टापत्तिमाशङ्क्याह-
मूलम्- न च तन्मात्रभावादेयुज्यनेऽस्या विचित्रता ।

तदन्यभेदक सुकृत्वा सम्यग्न्यायाऽविरोधतः ॥७०॥

न च=नैव, तन्मात्रभावादे: 'तन्मात्रभावो'=नियत्तिमात्रत्वम्, आदिना परिणामग्रहः, ततोऽस्याः=प्रतिनियतकार्यजनकनियतेः, तदन्यभेदकं=नियत्यन्यभेदकं सुकृत्वा=अनभ्युपगम्य, सम्यग्न्यायाऽविरोधतः=सत्तर्काऽप्रातिकूल्येन, विचित्रता स्यात् ॥७०॥

एतदेव प्रकटयन्नाह—

मूलं-न जलस्यैकस्त्वपस्य वियत्पाताद् विचित्रता । उषरादिधराभेदमन्तरेणोपजायते ॥७१॥

जलम्य, एकस्त्वपस्य=जलत्वेन समानम्य वयत्पातात्=अभ्रपातादनन्तरम्, उषरादि-धराभेदम्=ऊपरेतरपृथिवीसंवन्धादिजन्यवर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शादिवैलक्षण्यमन्तरेण, विचित्रता न दृश्यते, मकललोकसिद्धं खल्वेतत् । तथा नियतेरप्यन्यभेदकं विना न भेद इति भावः ॥७१॥

अस्तु तर्हि तदन्यभेदकम्, अत्राह—

मूलम्- तद्विभेदकत्वे च तत्र तस्या न कर्तृता ।
तत्कर्तृत्वे च विचित्रत्वं तदत्तस्याप्यसंगतम् ॥७२॥

वैपम्य नहो हो सकता अन्यथा समान कारणो से उत्पन्न होने वाल दो पटो मे भी वैजात्य हो जायगा । एव दूसरे तक का अभिप्राय यह है कि घट का जो कारण पटके उत्पादन मे अनपेक्षित होगा वह पट के जनक से भिन्न होगा । इस प्रकार उक्त तर्कों से घट पट आदि कार्यों मे विचित्रकारणजन्यत्व सिद्ध होता है, अत एकत्रिप नियति मे उन की उत्पत्ति मानना अयुक्त है ॥६६॥

[नियतिगत वैचित्र्य नियति से संपन्न नहीं हो सकता]

पूर्वोक्त रीति से कार्यों में वैचित्र्य की उपर्युक्ति के लिये ही नियति का अस्तित्व माना गया है, अतः नियति के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किये गये दूसरे पक्ष मे इष्टापत्ति की शङ्का हो सकती है । ७० वीं कार्यका मे इस शङ्का का निराकरण करते हुये कहा गया है कि—

नियति से अन्य यदि उम का कोई भेदक न माना जायगा तो नियति के सामान्य स्वरूप से अथवा उस के परिणाम से उस मे विचित्रता नहीं सिद्ध हो सकती क्योंकि विचित्रता की सिद्धि सत्तर्क के अविरोध से ही सिद्ध हो सकती है ॥७२॥

७१ वीं कार्यका मे इस बात का इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि आकाश से जो जल बरसता है वह तब समान होता है, उस मे जो वैविद्य आता है वह ऊषर और उपजाड आदि विभिन्न भूमियों के सम्पर्क से ही होता है । जिस भूमि मे जो जल गिरता है उस मे उस भूमि के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का सम्बन्ध होने से मेघस्त्य जल तथा अन्यत्र गिरने वाले जल से वैलक्षण्य आ जाता है इस सम्पर्क के बिना जल मे वैलक्षण्य नहीं होता यह तथ्य सर्वलोकमान्य है । अतः अन्य भेदक के बिना नियति मे भी वैचित्र्य नहीं हो सकता ॥७२॥

तद्विज्ञभेदकत्वे च=तद्विज्ञनं भेदकं यस्यास्तस्या भावस्तत्त्वमिति समाप्तः, नियति-भिन्नभेदकशालित्वे नियतेरज्ञीक्रियमाण इत्यर्थः तत्र=भेदकत्वेनाऽभिमते, तस्याः=नियते: न कर्तृता=न हेतुता । तथाच सर्वहेतुत्वमिद्वान्तव्याकोपः । तत्कर्तृत्वे च=नियतेर्भेदकत्वा-भिमतहेतुत्वे च, चित्रत्वं=भेदकत्वम्, तद्वत्=नियतिवत्, तस्यापि=भेदकत्वाभिमतस्यापि असंगतम्, कारणसरूपत्वात् कार्यस्येति भावः । एतेन 'तद्वयक्तिनिरूपितनियतित्वेन तद्वय-क्तिजनकत्वम्' इत्यप्यपास्तम्, तन्नियतिजन्यत्वेन तद्वयक्तित्व-सिद्धिः, तत्सद्वौ च तद्वयक्ति-निरूपितत्वेन नियतिजन्यतासिद्धिः' इत्यन्योन्याश्रयात् कार्यस्य कारणतावच्छेदकत्वाच्च, अन्यथा नियतित्वनिवेशवैयर्थ्यादिति दिग् ॥७२॥

(‘नियति से भिन्न भेदक’ पक्ष में सर्वहेतुता विलोपन)

७२ वीं वारिका में नियति की अन्य-भेदता का खण्डन किया गया है । कारिका का अर्थ० यदि नियति से मिल वस्तु को नियति का भेदक अर्थात् नियति में वैचित्र्य का सम्पादक माना जायगा तो उस भेदक को यदि नियतिजन्य न माना जायगा तो नियति में सर्वहेतुत्व का सिद्धान्त खण्डित होगा, और यदि उस भेदक को नियति से जन्य माना जायगा तो एकरूप नियति से उत्पन्न होने के कारण उस भेदक में वैचित्र्य न होगा क्योंकि ‘कारण के समानजातीय ही कार्य की उत्पत्ति’ का नियम है और जब भेदक स्वयं विचित्र न होगा तो उस से नियति में वैचित्र्य कैसे हो सकेगा ?

(विशिष्टरूप से कार्य-कारणभाव में असंगति)

‘तद्वयक्ति के प्रति तद्वयक्तिनिरूपितनियति कारण होती है,’ इस कल्पना से भी नियतिजन्य कार्यों में वैचित्र्य का उपपादन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार का कार्यकारणभाव ही नहीं बन सकता । इस का कारण यह है कि तद्वयक्तिनिरूपितनियतिजन्यत्व से ही तद्वयक्तित्व की सिद्धि हो सकती है और तद्वयक्तित्व की सिद्धि होने पर ही तद्वयक्तिनिरूपितनियतिजन्यत्व की सिद्धि हो सकती है अतः उक्त कार्यकारणभाव अन्योन्याश्रयग्रस्त है । दूसरी बात यह है कि तद्वयक्ति के प्रति नियति को तद्वयक्तिनिरूपितनियतित्वरूप से कारण मानने पर तद्वयक्तिरूपकार्य तद्वयक्ति के कारण-तावच्छेदक कोटि में प्रथिष्ठ हो जाता है, जो अनुचित है, क्योंकि कार्य को कारणतावच्छेदक नहीं माना जा सकता । इसका कारण यह है कि कार्य यदि कारणतावच्छेदक होगा तो उत्पत्ति के पूर्व कारणतावच्छेदकविशिष्ट कारण की सत्ता न हो सकने से कार्य की उत्पत्ति असम्भव हो जायगी, और यदि कारणतावच्छेदक से उपलक्षित कारण से भी कार्य की उत्पत्ति मानी जायगी तो अभिघात का कारणीभूत विगवद्वय जब निवार हो जायगा तब भी विगवद्वयकारण के रहने से अभिघात की उत्पत्ति की आपत्ति होगी । अतः कार्योत्पत्ति के लिये उससे पूर्व कारणतावच्छेदक-विशिष्ट कारण की सत्ता अवश्यक होने से कार्य को कारणतावच्छेदक मानने पर कार्योत्पत्ति से पूर्व कार्यविशिष्टकारण की सत्ता सम्भव न होने के कारण कार्य की उत्पत्ति असम्भव हो जायगी ।

ननु नियतिस्वभावमेदादेव कार्यभेदोऽस्तु, इत्याशङ्कयाह-

मूलम्-तस्या एव तथाभूतः स्वभावो यदि चेष्यते ।

त्यक्तो नियतिवादः इयात्स्वभावाश्रयणान्ननु ॥७३॥

यदि च तस्या एव=नियतेरेव, तथाभूतः=कार्यवैचित्र्यप्रयोजकः, स्वभावमेद इत्यते, तदा-'ननु' इत्याक्षेपे-स्वभावाश्रयणाद् नियतिवादस्त्यक्तः स्यात् । अथ तत्स्वभावस्तत्परिपाक एवेति नान्यहेतुत्वाभ्युपगम इति चेत् ? न, परिपाकेऽप्यन्यहेत्वाश्रयणावश्यकत्वात् । 'अन्यत्र

(कार्य कभी कारणतावच्छेदक नहीं हो सकता)

यदि इस शब्दका के पन्निहारस्वरूप यह कहा जाय कि-“कारण के साथ कार्य का जो सम्बन्ध कार्योत्पत्ति के पूर्व सम्भव नहीं हो सकता जैसे मयोग कालिक आदि उस सम्बन्ध से ही कार्य को कारणतावच्छेदक मानने पर यह दोष हो सकता है, किन्तु कार्य का जो सम्बन्ध कार्योत्पत्ति के पूर्व भी कारण में सम्भव है उस सम्बन्ध से कार्य को भी कारणतावच्छेदक माना जा सकता है । प्रकृत में तद् व्यक्तिके प्रति निरूपितत्व सम्बन्ध से तद्व्यक्तिविशिष्ट नियति' को कारण मानना है और नियति के साथ तद्व्यक्तिको अपने हेतुभूत नियति का निरूपण करने के लिये स्वयं रहना आवश्यक नहीं है किन्तु उस का ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान तो अनुत्पन्न का भी अनुमान आदि से हो सकता है, अत तद्व्यक्तिके प्रति तद्व्यक्तिविशिष्टिनिरूपितनियति को कारण मानने में यह वाधा नहीं हो सकती-‘तो इस कथन से भी नियति की उक्त कारणता का समर्थन नहीं हो सकता क्योंकि इस ढंग से कार्य को कारणतावच्छेदक मानने पर कार्यवस्त्वरूप से कारण मानने में कोई आपत्ति न होने से कार्यातिरिक्त धर्मों को कारणतावच्छेदक मानना अनावश्यक हो जायगा । फलतः प्रकृत में भी कार्यनिरूपितत्वसम्बन्ध से क पर्यवस्थेन कारणता मानने पर कारणतावच्छेदक कोटि में नियतित्व के निवेश की आवश्यकता न रह जाने से नियति की कारणता ही समाप्त हो जायगी क्योंकि कारणता कार्यवस्त्व से अवक्षिप्त है, नियतित्व से अवचित्पन्न नहीं है इसलिये जो कार्यवस्त्ववाला होगा वह कारण होगा किन्तु नियतित्ववाला नहीं ॥७३॥

उ३ वीं कारिका में 'कार्य को नियतिजन्य मानने पर भी नियति के स्वभावमेद से कार्य से भेद हो सकता है' इस शब्दका का नियति के निराकरण में पर्येवसान बताया गया है । कारिका का अर्थ-

['नियति के स्वभाव वैचित्र्य में विचित्रकार्य'-यह भी असिद्ध है]

यदि नियति में स्वभावमेद की कल्पना कर उसके द्वारा नियति के कार्यों में भेद-याने वैविध्य की उपपत्ति की जायगी तो स्वभाव का आश्रय करने से नियतिवाद का त्याग हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि-‘नियति का परिपाक ही नियति का स्वभाव है अत वह नियतिस्वरूप ही है, इसलिये उसे कार्यवैचित्र्य का प्रयोजक मानने पर भी कार्य में अन्यहेतुकत्व की प्रसंक्षित न होने से नियतिवाद का परित्याग न होगा’-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि नियति के परिपाक को नियतिमात्र से जन्य मानने पर नियति का परिपाक भी नियति के समान वैचित्र्यहीन ही होगा, अतः उस से भी कार्य में वैचित्र्य न हो सकेगा, और यदि उसे नियति से भिन्न हेतु से जन्य मान कर उस में वैचित्र्य माना

परिपाकविध्यदर्शनेऽपि नियतिपरिपाकः स्वभावादेवे'ति चेत् । घटकुटीप्रभातापत्तिः । 'उत्तरपरिपाके पूर्वपरिपाक एव हेतुः, आद्यपरिपाके चान्तिमापरिपाक एव इत्यादिरीत्या विशिष्य-हेतु-हेतुमङ्गावाद् न दोष' इति चेत् । तद्येकदैकत्र घटनियतिपरिपाकेऽन्यत्रापि घटोत्पत्तिः, प्रतिसंतानं नियतिभेदाभ्युपगमे च नियतिपरिपाकयोर्द्रव्यपर्यायनामान्तरत्वं एव विवादः ।

किञ्च, एवं शास्त्रोपदेशवैयर्थ्यप्रसक्तिः, तदुपदेशमन्तरेणाऽप्यर्थेषु नियतिकृतत्वबुद्धे-नियत्यैव भावात्, दृष्टा-दृष्टफलशास्त्रप्रतिपादितशुभाऽशुभक्रियाफलनियमाभावश्च स्यात् । तद्वेतुकत्वान्तर्भावितनियमस्य नियतिप्रयोज्यत्वे च सिद्धमितरहेतुना, पारिभाषिककारणत्वप्रतिक्षेपस्याऽवाधकत्वादिति दिग् ॥७३॥

जायगा तो नियति से अतिरिक्त कारण की सिद्धि हो जाने से नियति वाद के परित्याग की आपत्ति अपरिहार्य हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि-'अन्य परिपाकों का वैविध्य भले अन्यहेतुक हो, पर नियति का परिपाकविध्य अन्य हेतु से न होकर नियतिके स्वभाव से ही होता है अतः नियतिवाद का परित्याग नहीं होगा-' तो यह कथन कर-राजदेय ग्रहण के लिये घाट पर बनी कुटी मे ही प्रभात होने के समान होगा, क्योंकि नियति के स्वभावभेद को ही नियतिपरिपाक के विविध का प्रयोजक मानने के कारण स्वभाववाद का प्रवेश हो जाने से नियतिवाद के परित्यागापत्ति का सकट पूर्ववत् पुनः उपस्थित हो जायगा ।

यदि यह कहा जाय कि-' नियति का उत्तरपरिपाक नियति के पूर्वपरिपाक से होता है और नियति का प्रथमपरिपाक नियति के अन्तिम अपरिपाक से होता है, इस प्रकार नियतिस्वरूप 'नियति के परिपाकविशेष' से ही नियति के नियतिस्वरूप अन्य परिपाकों की तत्त्वपरिपाकव्यक्ति पर आधारित विशेष कायकारणमावो से उपपत्ति हो जाने के कारण नियतिवाद के परित्याग की आपत्ति नहीं होगी-' तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त कल्पना करने पर जिस समय कहीं एकत्र घटजनकनियति का परिपाक होगा उस समय अन्यत्र भी घटोत्पत्ति की आपत्ति होगी और यदि इस दोष के निवारणार्थ प्रतिसन्तान मे नियतिभेद की कल्पना की जायगी तो नियति और परिपाक में द्रव्य और पर्याय से कोई अन्तर न होगा, केवल नाम से ही विवाद रह जायगा जिस का कोई महत्व नहीं है ।

[नियति मात्र को कारण मानने पर शास्त्रवैयर्थ्य]

नियतिवाद मे अब तक जो दोष बताये गये उनके अतिरिक्त एक यह भी दोष है कि नियतिवाद मानने पर कार्यों मे नियतिहेतुकत्व का प्रतिपादक शास्त्र निरर्थक हो जायगा क्योंकि उक्तवाद मे कार्यों मे नियतिजन्यत्व का ज्ञान भी नियति से ही सम्पन्न हो जायगा । इसी प्रकार इस वाद मे शास्त्र द्वारा प्रतिपादित यह नियम भी न बन सकेगा कि अमुक शुभ-अशुभकर्म से अमुक दृष्ट वा अदृष्ट फल होता हैं, क्योंकि इस वाद मे नियति से अतिरिक्त कार्य कारण मान्य न होने से शुभाशुभ कर्म को भी तत्त्वफल का कारण न माना जा सकेगा । अतः शास्त्रप्रतिपादित उक्त नियम को उपपत्ति इस वाद मे सम्भव नहीं हो सकती, और यदि तत्त्व फल मे तत्त्व शुभ-अशुभकर्म हेतुकत्व के नियम को भी

स्वभावाश्रयणेऽपि दोषमाह-

मूल-स्वो भावश्च स्वभावोऽपि स्वसत्त्वं हि भावतः ।

तस्यापि भेदकाभावै वैचित्र्यं नोपपद्यते ॥ ७४ ॥

स्वभावोऽपि च स्वो भावः, कर्मधारयाऽश्रयणात्, एकपदव्यभिचारेऽपि तस्य वहुल-
मुपलभात्, अन्यभावपदार्थभ्रान्तिनिगसाय तद्विवरणमाह-हि=निवित्स्, भावतः=अध्यक्ष-
विषयतया स्वसत्त्वं । तस्याऽपि=स्वभावस्य भेदकाभावै=वैजात्याभावै, वैचित्र्यं=कार्य-
वैचित्र्यप्रयोजकत्वम्, नोपपद्यते ॥ ७४ ॥

मूलं-तत्स्तस्याविशिष्टत्वाद् युगपद्विश्वसभवः ।

न चासावि [च स्यादि] ति सव्यक्तया तद्वादोऽपि न संगतः ॥ ७५ ॥

ततः=वैचित्र्याभावात्, तस्य=स्वभावस्य, अविशिष्टत्वात्=एकस्त्वात्, विश्व-
जनकत्वे, युगपत्=एकदेव, विश्वसभवः=जगदुत्पादप्रमङ्गः । 'न 'च स्याद्'=युगपद्जग-
नियतिप्रयोज्य माना जायगा तब भी तत्त्व फल के प्रति तत्त्व शुभा अशुभ कर्मरूप ग्रन्तिरिक्त कारण
सिद्ध हो जाने से नियतिवाद का लोप हो जायगा, क्योंकि उक्त नियम को नियतिप्रयोज्य मानने से
तत्त्व फल मे तत्त्व शुभा अशुभ कर्मों को कारणता का पारिभाविक हो निषेध होता है, और पारि-
भाविक निषेध से वास्तविक कारणता का खण्डन नहीं हो सकता ॥ ७३ ॥

(स्वभाववाद में वैचित्र्य की अनुपत्ति)

७४ वीं और ७५ वीं इन दोनों कारिकाओं मे स्वभाववाद मे दोष बनाते हुये कहा गया है कि
स्वभाव शब्द मे 'स्वो भाव' इस व्युत्पत्ति के ग्रन्तुसार कर्मधार्य समाप्त है, इसमे भावपद स्वपद के
अर्थ से ग्रधिक अर्थ का वोधक होने से यद्यपि स्वपदका व्यभिचारी है, फिर भी स्वपद के साथ उस का
कर्मधारयसमाप्त हो सकता है क्योंकि 'शीत जल शीतजलं' इत्यादि मे जैसे दोनों पदों के समव्याप्त
होने पर भी कर्मधारय होता है उसी प्रकार 'नीलं कमलं नीलकमलम्, पीतम् अम्बर पीताम्बरं'
इत्यादि मे दोनों पदों के परस्पर व्यभिचारी होने पर भी एकत्र सामानाधिकरण्य के आधार पर
एवं 'घटश्च तद्द्रव्यम् च घटद्रव्यम्' मे द्रव्यपद के घटपद का व्यभिचारी होने पर भी कर्मधारय के
मान्य होने से स्व और भाव पद का भी कर्मधारय होना निर्वाध है । इस कर्मधारय के ग्रन्तुसार
स्वभाव शब्द का अर्थ होता है स्व से अभिन्न भाव और यह भाव प्रत्यक्षगम्य स्वसत्ता रूप ही है ।
इसप्रकार 'स्व' हो स्वभाव होता है और यह स्वभाव यदि भेदकहोन माना जायगा तो इस मे वैचित्र्य
न होने से इस से उत्पन्न होने वाले कार्यों मे भी वैचित्र्य न हो सकेगा ॥ ७४ ॥

(एककाल में समस्त विश्व को उत्पत्ति का अनिष्ट)

एकरूप स्वभाव से कार्य का जन्म मानने पर केवल यही दोष नहीं हैं कि कार्य मे वैचित्र्य की
उपत्ति न हो सकेगी, अपितु कार्य को उत्पन्न करने मे स्वभाव को किसी अन्य की अपेक्षा न होने से
स्वभाव से एक कार्य की उत्पत्ति के समय उस के साथ ही समूचे जगत् की उत्पत्ति की आपत्ति होगी,

१] 'न चासावि' ति पाठस्थाने 'न च स्यादि' ति मूलपाठ. टीकाकृत्सम्मतः प्रतिभाति ।

दुत्पादः भवति, इति हेतोः, सद्युक्त्या=अवाधिततर्केण, तद्वादोऽपि=स्वभाववादोऽपि, न संगतः । ननु स्वभावस्य क्रमवत्कार्यजनकत्वमपि स्वभावादेवेति नानुपपत्तिरिति चेत् १ न, तस्यैव स्वभावस्य पूर्वोत्तरकार्यजनकत्वे पूर्वोत्तरकालयोरुत्तरपूर्वकार्यप्रसङ्गेन क्रमस्यैव व्याहतेः, एकस्यैव स्वभावस्य नानाजातिनियामक्त्वे सर्वस्य सर्वजातीयत्वस्य एकजातीयत्वस्य वा प्रसङ्गात् ॥७५॥

पराभिप्रायमाशङ्क्य परिहरति—

मूलं-तत्त्वकालादिसापेक्षो विश्वहेतुः स चेन्ननु ।

मुक्तः स्वभाववादः स्यात्कालवादपरिग्रहात् ॥७६॥

“तत्त्वकालादिसापेक्षः=तत्त्वदणादिसङ्घकृतः, सः=स्वभावः, विश्वहेतुः, कालक्रमेण कार्यक्रमोपपत्तेभिति”चेत् ? ‘ननु’ इत्याक्षेपे स्वभाववादो मुक्तः स्यात्, कालवादपरिग्रहात्=

किन्तु जगत् की एक साथ उत्पत्ति नहीं होती, अत इस अवाधित तर्क से स्वभाववाद भी असंगत सिद्ध हो जाता है । यदि यह कहा जाय कि -“स्वभाव का केवल कार्यजनकत्व ही स्वभाव नहीं हैं अपितु क्रमवत्कार्यजनकत्व स्वभाव है अत. स्वभाव अपने इस स्वभाव के अनुसार क्रम से ही कार्य को उत्पन्न करेगा, एकसाथ सब कार्यों को उत्पन्न न कर सकेगा, इसलिये एकसाथ समूचे जगत् की उत्पत्ति की आपत्ति नहीं हो सकती-”तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव अपने जिस स्वभाव से क्रमयुक्तकार्य को उत्पन्न करेगा उसी स्वभाव से वह पूर्वोत्तर काल को भी उत्पन्न करेगा, किर उसी से उत्तरकाल का पूर्व में और पूर्वकाल का उत्तर में उत्पादन हो जाने से क्रम का ही उत्पादन असम्भव हो जायगा, क्योंकि जिस काल पर क्रम आधारीत होता है- उक्तरीति से वह काल ही क्रमहीन हो जाता है ।

इस वाद में उक्त दोषों से अतिरिक्त एक दोष यह भी है कि जब स्वभाव ही कार्य की विभिन्न जातियों का प्रयोजक होगा तो भिन्न भिन्न कार्य में भिन्न भिन्न जाति न रह कर सब कार्यों में सभी जातियों का समावेश हो जायगा, क्योंकि सभी जातियों का नियमन अकेले स्वभाव को ही करना है और स्वभाव सब कार्यों का समान कारण है अत उस से नियम्य सभी जातियों का सब कार्यों में समावेश न्यायप्राप्त है । यदि यह कहा जाय कि-“सब कार्यों में सब जातियों का समावेश होने पर सब जातियाँ स्वनियत होगी और सामनैयत्य जातिभेद का वाधक है अतः जातिभेद न होने से कर्य में सर्वजातीयत्व का आपादन नहीं हो सकता”-तो इस कथन से भी दोष से मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि उक्तवाधक से जातिभेद न होने के कारण विभिन्न शब्दों से व्यपदेश होने पर भी सब कार्यों की एक ही जाति होगी, अतः सब कार्यों में एकजातीयत्व होने से कार्यवैचित्र्य का लोप हो जायगा ॥७५॥

(काल के अवलम्बन में स्वभाववाद का त्याग)

७६ वी कारिका में स्वभाववादि के उस अभिप्राय का निरास किया गया है जो उक्त दोष के निवारणार्थ उस की ओर से प्रकट रिया जा सकता है । वह अभिप्राय यह है कि-

कालहेतुत्वाश्रयणात् । ननु क्षणिकस्वभावे नाऽयं दोष इन्युक्तमेवेति चेत् १ उक्तम्, परं न युक्तम्, एकजातीयहेतुं विना कायेंकजात्याऽमंभवात्, कुर्वद्वपत्वस्य च जातित्वाभावेन घटं प्रति घटकुर्वद्वपत्वेन हेतुत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्, सामग्रीत्वेन कार्यव्याप्यत्वस्य वास्तविकत्वेन गौरवस्याऽदोषत्वात्, प्रत्यभिज्ञादिवाधेन क्षणिकत्वस्य निपेत्स्यमानत्वाच्च । किञ्च, एकत्र घटकुर्वद्वपसत्त्वेऽन्यत्र घटानुत्पत्तेदेशनियामकहेत्वाश्रयणे स्वभाववादत्यागः, दण्डादौ घटादि-हेतुत्वं प्रमायैव प्रेक्षावत्प्रवृत्तेश्च, अन्यथा दण्डादिकं विनाऽपि घटादिमंभावनया निष्कम्पप्रवृत्त्य-नुपत्तेरिति दिग् । न च 'निहेतुका भावा' इत्यभ्युपगमेनाऽपि स्वभाववादसाम्राज्यम्, तत्र हेतूपन्यासे वदतो व्याधावातात्, तदुक्तम्—

"न हेतुरस्तीति वदन् सहेतुकं, ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव वाधते ।

अथापि हेतुप्रलयादसौ भवेत्, प्रतिज्ञया केवलयाऽस्य कि भवेत् १" ॥१॥ इति ।

न च ज्ञापकहेतूपन्यासेऽपि कारकहेतुप्रतिक्षेपवादिनो न स्वपञ्चवाधेति वाच्यम्; ज्ञानजनकत्वेनैव ज्ञापकत्वात्, अनियतावधित्वे कादाचित्कत्वव्याधावातात् नियतावधिसिद्धौ तत्त्वस्यैव हेतुत्वात्मकत्वाच्च, अन्यथा, 'गर्दभाद् धृमः' इत्यपि प्रमीयेतेति । अधिकमग्रे ॥७६॥

'स्वभाव श्रेकेला जगत् का कारण नहीं होता किन्तु तत्त्वक्षणात्मक काल के योग से तत्त्व कार्य का कारण होता है । अत तत्त्व क्षण के क्रमिक होने से वह क्रम से ही कार्य को उत्पन्न करता है ।' किन्तु यह अभिप्राय भी स्वभाववाद को जीवित रखने मे असमय है क्योंकि ऐसा मानने पर स्वभाव से भिन्न काल मे भी कार्य की कारणता सिद्ध हो जाने से—'स्वभाव से ही सब कार्यों की उत्पत्ति होती हैं स्वभाव से भिन्न कोई वस्तु कार्य का जनक नहीं होती—इस स्वभाववाद का लोप हो जायगा ।

"स्वभाव क्षणिक होता है, क्षणिक होने से स्वभाव का क्रमिकत्व अनिवार्य है, अतः क्रमिक स्वभाव से क्रमिक कार्यों की उत्पत्ति मानने पर स्वभाव से भिन्न कारण की सिद्धि न होने से स्वभाववाद का भड़ग नहीं हो सकता"—यह कथन भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक वचनमात्र हैं, इस मे कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि भिन्न स्वभाव को भिन्नभिन्न कार्य का जनक मानने पर एकजातीय कारण की सिद्धि न होने से कार्य मे एकजातीयता न हो सकेगी । जब कि घट-पट आदि जैसे एक एक जाति के सहस्रों कार्य जगत् मे देखे जाते हैं ।

(कुर्वद्वपत्व का खण्डन)

'घटोत्पादक समस्त स्वभावो मे घटकुर्वद्वपत्वनाम की एक जाति मानकर तज्जातीय स्वभावो से होनेवाले घटो मे एकजातीयता की उपपत्ति हो सकती है—यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुर्वद्वपत्व जाति मे कोई प्रमाण नहीं है । वह जाति तब हो सकती है जब एक ही कारण से कार्य की उत्पत्ति मानी जाय और उसीको कार्य का व्याप्य माना जाय, पर एक ही कारण से कार्य का होना असिद्ध है, कार्य की उत्पत्ति कारणसमूहात्मक सामग्री से ही होती है, सामग्री ही कार्य की व्याप्य होती है । सामग्री-कारणसमूह को एककारणविशिष्ट अपरकारण के रूप मे व्याप्य मानने पर

अत एव कालवादोऽपि निरस्तः, इत्याह-

मूलम्-कालोऽपि समयादिर्यत्केवलः सोऽपि कारणम् ।

तत एव द्यसंभूतेः कस्यचिन्नोपपद्यते ॥ ७७ ॥

कालोऽपि समयादिः=अलृप्रदव्यपर्यायरूपः, अतिरिक्तकालपर्यायो वा; यदु-यस्माद्वेतोः
ततः, तत एव=समयादेः, हि=निश्चितम्, कस्यचित्= कस्यापि, असंभूतेः=अनुत्पत्तेः,

सामग्री प्रविष्ट कारणो के विशेष्यविशेषणभाव मे विनिगमना न होने से गौरव अवश्य है किन्तु प्रमाणानुमत होने से यह गौरव तो सह्य हो सकता है । पर प्रमाणशून्य होने से कुर्वद्वूपत्वको स्वीकार करने का भार दूस्रा है । दूसरी बात यह है कि कुर्वद्वूपत्वकी सिद्धि भावपदार्थ के क्षणिकत्व की सिद्धि पर निर्भर है और क्षणिकत्व पूर्वोत्तर घटादि मे ‘स एवायं घटः’ इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से वाधित है ।

(स्वभाववाद का खण्डन)

यह भी ज्ञातव्य है कि कुर्वद्वूपत्व की सत्ता मानकर भी स्वभाववाद की रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि एकत्र घट कुर्वद्वूपत्व से घट की उत्पत्ति होने पर अन्यत्र भी उसी घट की उत्पत्ति की आपत्ति हो सकती है । इस आपत्ति का परिहार यदि देशनियामक अतिरिक्त हेतु की कल्पना करके किया जायगा तो स्वभाव से भिन्न हेतुके सिद्ध हो जाने से स्वभाववाद का परित्याग हो जायगा । दूसरा दोष यह है कि यदि स्वभाव ही सब कार्यों का जनक होगा तो दण्ड आदि मे घट आदि की कारणता के प्रमात्मकज्ञान से दण्ड आदि के संग्रह मे जो घटाद्यर्थी पुरुष की प्रवृत्ति होती है वह न हो सकेगी, क्योंकि दण्ड आदि से घट आदि के होने की सम्भावनामात्र से निष्कम्पप्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता ।

[‘विना हेतु भावोत्पत्ति’ पक्ष में वदतो व्याधात]

यदि यह कहा जाय कि—“समस्त भाव विना हेतु के ही उत्पन्न होते हैं, यही स्वभाव वाद का अर्थ है, अतः इस वाद मे वताये गये दोषों को कोई अवसर ही नहीं हो सकता” तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ‘समस्त भाव विना हेतु के ही उत्पन्न होते हैं, इस मत को सिद्ध करने के लिये हेतु का प्रयोग आवश्यक होने के कारण यह मत कथनमात्र से ही व्याहत हो जाता है । जैसे—

यह ठीक ही कहा गया है कि—‘भाव निहेतुक है’ इस प्रतिज्ञा को हेतु के साथ प्रस्तुत करने पर प्रतिज्ञा को प्रस्तुत करने वाले वादों द्वारा ही प्रतिज्ञा का भङ्ग हो जाता है और हेतुहीन प्रतिज्ञा को प्रस्तुत करने पर केवल प्रतिज्ञा निरर्थक हो जाती है ।

यदि यह कहा जाय कि—‘प्रतिज्ञा का साधक हेतु ज्ञापक होता है, अतः उस से कारक हेतु का खण्डन करने वाले वादी के पक्ष का व्याधात नहीं हो सकता’ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञापक भी वही होता है जो ज्ञान का कारक होता है । अतः ज्ञापक हेतु मानने पर कारक हेतु भी स्वीकृत हो जाता है, क्योंकि ज्ञान को अनियतावधिक मानने पर उस के कादाचित्कत्व का लोप होगा और नियतावधिक मानने पर उस का कारक हेतु सिद्ध हो जायगा ! क्योंकि नियतावधि ही कारक होता है इसीलिये ‘गर्दभाद् वूम्’ यह व्यवहार नहीं होता ॥७६॥

कथञ्चित्तन्द्वितिरिक्ताऽच्यतिरिक्तहेतुमंहतिः, जनिका=कार्योपधायिका, भता=इष्टा । पूर्व कारणसमुदाये कार्योपधायकत्वनियमः साधितः, इदानीं तु कार्ये कारणसमुदायोपाधेयत्वनियम इति तु तत्त्वम् ।

ननु कालाद्येकान्तप्रतिक्षेपेऽप्यद्वैतान्ताऽप्रतिक्षेपाद् न साध्यसिद्धिरिति चेत् १ न, अद्वैतान्तवादेऽनिर्मोक्षापत्तेः, मोक्षस्य कर्मजन्यत्वात् ।—“आत्मस्वरूपावस्थानरूपो मोक्षः कर्मक्षयेणाभिव्यज्यत एव, न तु जन्यत एव”—ति चेत् ? सत्यम्, कर्मक्षयस्यैव कर्म विना

(‘कार्य मात्र कालादिकारण सामग्री जन्य है’-सामग्रीवाद)

नियति आदि एक एक मात्र से जगत् मे किसी भी कार्य को उत्पत्ति नहीं देखी जाती किन्तु कारणसामग्री से ही देखी जाती है और कारणसामग्री तत्त्व कारण से कथंचिद्भिन्नाऽभिन्न होती है, अतः एकेक कारण भी सामग्रीविधया कार्य का कारण होता है और अन्यनिरपेक्ष एक एक व्यक्ति के रूप मे अकारण भी होता है । पूर्वकारिका मे कारणसमुदायात्मक सामग्री मे कार्य की उपधायकता=‘अपने अव्यवहित उत्तर क्षण मे कार्यवत्ता’ बतायी गयी है और इस कारिका मे कार्य मे सामग्री की उपधेयता=सामग्री के अव्यवहित उत्तर क्षण मे उत्पद्यमानता’ बतायी गयी है, यही दोनो कारिकाओ के प्रतिपादन मे अन्तर है ।

[एकान्त कर्मवाद का निरसन]

‘एकमात्र काल आदि की ही एकान्ततः कारणता का खण्डन होने पर भी अद्वैटमात्र की एकान्तकारणता का खण्डन न होने से सामग्री की कार्योपधायकता नहीं सिद्ध हो सकती’—यह शब्दा करना उचित नहीं हो सकता क्योंकि केवल अद्वैट को कारण मानने पर मोक्ष का अभाव हो जायगा, क्योंकि मोक्ष कर्मजन्य नहीं होता और कर्मवाद मे कर्म से भिन्न किसी को कारण नहीं माना जाता, अतः कारण का सर्वथा अभाव हो जाने से मोक्ष का होना असम्भव हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि-‘आत्मा का अपने विशुद्धरूप मे अवस्थान ही मोक्ष है, कर्मक्षय से उस की अभिव्यक्ति मात्र होती है, उत्पत्ति नहीं होती, अतः कारणाभाव मे भी उस का अस्तित्व अक्षण्ण रह सकता है’—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कारण का अभाव होने पर मोक्ष का अभिव्यज्जक कर्मक्षय ही नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मक्षय भी कर्म से होता नहीं और कर्म से भिन्न कोई कारण इस मत मे मान्य नहीं है ।

(ज्ञानयोग हो कर्मक्षय का हेतु है)

इस सन्दर्भ मे यदि यह कहा जाय कि-‘कर्मक्षय मे भी स्वप्रयोज्य ज्ञानयोग सम्बन्ध से पूर्वकर्म ही हेतु है, अन्य कोई हेतु नहीं है अतः कर्मक्षय के कारण द्वारा कर्मवाद का त्याग नहीं हो सकता । आशय यह है कि-कर्मों का क्षय ज्ञानयोग से होता है और ज्ञानयोग पूर्वकर्म से होता है क्योंकि मनुष्य के शुभकर्म ही उसे ज्ञानयोग के सम्पादन मे प्रवृत्त करते हैं, इस प्रकार पूर्वकर्म ही ज्ञानयोग के द्वारा कर्मक्षय का हेतु होता है’—तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जब ज्ञानयोग हुये विना कर्मक्षय नहीं होता तो उसे सम्बन्ध बना कर पूर्वकर्म को कारण मानने की अपेक्षा सीधे ज्ञानयोग को ही कर्मक्षय का कारण मानना उचित है । अतः कर्मक्षय मे अन्यहेतुकत्वसिद्ध होने से कार्यमात्र मे कर्ममात्र के हेतुत्व रूप कर्मवाद का भज्ज ध्रुव है, और यदि ज्ञानयोग का सम्बन्धरूप मे ही उपयोग अभीष्ट

हेतुत्पत्तेः । ‘स्वप्रयोज्यज्ञानयोगसंबन्धेन पूर्वकमैव तत्र हेतुरिति चेत् ? न, साक्षादेव तस्य हेतु-
स्मौचित्यात्, अन्यथा कर्मत्वस्यैव तेन संबन्धेन हेतुत्वप्रसङ्गात् । किञ्च, दृष्टकारणान्यनति-
द्याऽदृष्टस्य कार्यजनकत्वात् तेषामपि तथात्वमनिवारितम्, तद्विपाकेन तदुपक्षये तैस्तद्विपा-
केनपक्षयस्यापि वक्तुं शक्यत्वात्, बलवत्वस्याऽप्युभयत्र *“अबभंतर-वज्ञाणं” इत्यादिना
मता प्रबन्धेनाऽन्यत्राऽविशेषणैव साधितत्वादिति दिग् ॥८०॥

‘अत्र कालादयश्चत्वारोऽपि स्वातन्त्र्येण हेतवः’ इत्येके, ‘कालादृष्टे एव तथा, नियति-
स्वप्नवयोस्त्वदृष्टधर्मत्वेन न तथात्वम्’ इत्यन्ये, इति मतभेदमाह-

मूलम्-स्वभावो नियतिश्चैव कर्मणोऽन्ये प्रचक्षते ।

धर्मावन्ये तु सर्वस्य सामान्येनैव वस्तुनः ॥८१॥

मन्ये=आचार्याः, स्वभावो नियतिश्च, एवकारस्य ‘कर्मणः’ इत्युत्तरं संबन्धात् कर्मण
एव धर्मः-‘इति’ इत्यध्याहियते-इति प्रचक्षते अभ्युपगमप्रकर्षेण व्याख्यान्तीति योजना ।

हो तस्मी कर्मक्षय की कारणता कर्म में नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि ज्ञानयोग जैसे कर्मप्रयोज्य है,
उसमें प्रकार कर्मत्वप्रयोज्य भी है क्योंकि कारण और कारणतावच्छेदक दोनों ही कार्य के प्रयोजक कहे
जाते हैं, अतः नाना कर्म को स्वप्रयोज्य ज्ञानयोग सम्बन्ध से कारण मानने की अपेक्षा एक कर्मत्व को
स्वप्रयोज्यज्ञानयोग-सम्बन्ध से कारण मानने में लाघव है । इस प्रकार पुनः कर्मक्षय में कर्म से मिलन
कर्मत्वरूप हेतु की जन्यता सिद्ध होने से कालवाद का भङ्ग दुर्बार होगा ।

[अदृष्ट को भी दृष्टकारणों की अपेक्षा]

यह भी ज्ञातव्य है कि अदृष्ट जब दृष्टकारणों की उपेक्षा न कर के ही कार्य का जनक होता है,
तो अदृष्ट के समान दृष्ट कारणों में भी कार्य की जनकता का वारण नहीं हो सकता, अतः कार्यमात्र
में कर्महेतुकत्व के सिद्धान्त का धराशायी होना अनिवार्य है । यदि यह कहा जाय कि-“दृष्टकारणों
के सम्बन्धान से कर्म का विपाक होता है अर्थात् कर्म फलोपधायक होने की अवस्था से युक्त होता है
तथा उस के अनन्तर क्षण में कार्य का जन्म होता है । अतः कर्मविपाक से दृष्टकारणों का उपक्षय
अर्थात् उन की अन्यथासिद्ध हो जाने से वे कारण नहीं हो सकते’ तो यह ठीक नहीं है क्योंकि दृष्ट-
कारणों से कर्मविपाक को ही उपक्षीण- अन्यथासिद्ध कहकर उस के कारणत्व की भी असिद्धि बतायी
जा सकती है ।—‘कर्मविपाक आन्तर वस्तु होने से वाह्य दृष्टकारणों से बलवान् होता है अतः वही

*३ अबमन्तर-वज्ञाण बङ्गियावलियत्तण ति जइ वृद्ध । नण् क्यर अवज्ञत्तं वेचित्तं वा वि वेसम्म ॥४५॥

गिष्फन्ति व फलटु अणिययजोगो फलेण वा सद्दिं । पठमे समसामग्नी विइए बावारवेसम्म ॥४६॥

तइए दोण्ह वि समया च उत्थपक्खो पुणो असिद्धत्ति । तेण समावेक्खाणं दोण्हवि समयत्ति उत्थुठिई ॥४७॥

इत्यादि, गाथाविवृत्या ‘भृथ्यात्ममतपरीक्षा’ नाम्नि ग्रन्थे साधितं दृष्टव्यम् ।

केवलः=अन्यानपेक्षः, सोऽपि=कालोऽपि, कारणं नोपपद्यते, विवश्वितसमये कार्यान्तरस्याऽप्युत्पत्तिप्रसङ्गात् । न च तत्क्षणवृत्तिकार्ये तत्पूर्वक्षणहेतुन्वाभिधानाद् न दोष इत्युक्तमेवेति वाच्य, अग्रेभाविनस्तत्क्षणवृत्तित्वस्यैव फलत आपाद्यत्वात्, 'तत्क्षणवृत्तिकार्ये तत्पूर्वक्षणत्वेन हेतुत्वम्, तदुत्तरक्षणविशिष्टे कार्ये तत्क्षणत्वेन वा ?' इति विनिगमनाविरहाच्च ॥७७॥

दोषान्तरमाह-

मूलम्-यतश्च काले तुल्येऽपि सर्वत्रैव न तत्फलम् ।

अतो हेत्वन्तरपेक्षां विज्ञेयं तद् विचक्षणैः ॥ ७८ ॥

यतश्च काले=समयादौ, तुल्येऽपि=अविशिष्टेऽपि सति, तत्फलं=तत्कालजन्यं घटादिं सर्वत्रैव न, तन्वादौ तदनुपत्तेः, अतस्तत्फलं, विचक्षणैः=यौक्तिकैः, हेत्वन्तरपेक्षां=कालातिरिक्तदेशादिहेतुजन्यं, विज्ञेयम् । न च मृदोऽन्यत्र घटस्याऽनापत्तिरेव, काले हेतुमत्त्वेऽपि देशो कार्यानापत्तेरिति वाच्यम्, मृदजन्यत्वेन मृदवृत्तित्वस्याऽपाद्यत्वात् । मृदजन्यत्वं

(कालवाद का निरसन युगपद् सर्वकार्योत्पत्ति का अनिष्ट)

७७ वीं कारिका में कालवाद का खण्डन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

काल का अर्थ है समय; उसे प्रभाण सिद्ध द्रव्य का पर्याय रूप माना जाय, या अतिरिक्त काल-द्रव्य का उपाधिरूप माना जाय, अथवा अतिरिक्त पदार्थरूप माना जाय, किसी भी स्थिति में एक मात्र उस को ही कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि कारणान्तर के अभाव में केवल काल से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती, और यदि एक मात्र काल से भी कार्य की उत्पत्ति सम्भव होगी तो एक कार्य की उत्पत्ति के समय अन्य सभी कार्यों की भी उत्पत्ति की आपत्ति होगी । क्योंकि केवल काल से कार्योत्पत्ति मानने पर किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिये कोई अन्य अदेखणीय न होने से एक कार्य के उत्पादनार्थ उस काल के उपस्थित होने पर अन्यों की अनुत्पत्ति में कोई युक्ति प्रतीत नहीं होती । 'तत्क्षणवृत्तिकार्य के प्रति तत्क्षण का पूर्वक्षण कारण है' कालवाद के उपपादन में जो यह कार्यकारणभाव बताया गया है उस से भी आपत्ति का परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि जब काल मात्र ही कारण माना जायगा तब सभी कार्यों में तत्क्षणवृत्तित्व की आपत्ति होगी, अतः सभी कार्यों के एकक्षणवृत्ति हो जाने से कार्यतावच्छेदककोटि में तत्क्षणवृत्तित्व का अन्तर्भाव निरर्थक होगा । इस के अतिरिक्त इस बात में कोई विनिगमना नहीं है कि तत्क्षण के पूर्वक्षण को तत्क्षणवृत्तिकार्य के प्रति तत्क्षणपूर्वक्षणत्वरूप से कारण माना जाय ! क्योंकि लाघव गौरव दोनों में समान है । व्यवहित तत्क्षणोत्तरक्षणवृत्तिकार्य की उत्पत्त्यापत्ति का परिहार करने के लिये दूसरे कार्यकारणभाव में कार्यतावच्छेदककोटि में जैसे तत्क्षणाव्यवहितपूर्वत्व का निवेश भी आवश्यक होगा ॥७७॥

७८ वीं कारिका से कालवाद में एक और अतिरिक्त दोष बताया गया है तथा ७६ वीं कारिका से कालग्रादि की स्वतन्त्रकारणता की असंगति का उपसहार किया गया है-

च जन्यतासंबन्धेन मृद्गद्विभूत्वम् , अतो न तर्कमूलव्याप्त्यसिद्धिः । न च तत्स्वभावत्वादेव तस्य क्वाचित्कृत्वम् , फलतस्तत्स्वभावत्वस्यैवाऽपाद्यत्वादिति दिग् ॥७८॥

उपसंहारमाह-

मूलम्-अतः कालादयः सर्वे समुदायेन कारणम् ।

गर्भादेः कार्यजातस्य विज्ञेया न्यायवादिभिः ॥७९॥

अतः=उक्तहेतोः, कालादयः सर्वे समुदायेन स्वस्वप्रत्यासन्त्या गर्भादेः कार्यजातस्य, न्यायवादिभिः, कारणम्=फलोपधायकाः, विज्ञेयाः ॥७९॥

इदमेव स्फुटतरशब्देनाह-

मूल-न चैकैकत एवेह क्वचित्किञ्चिदपीक्ष्यते ।

तस्मात्सर्वस्य कार्यस्य सामग्री जनिका मता ॥८०॥

इह=जगति, न च=नैव, एकैकत एव नियत्यादेः, क्वचित्=क्वापि किञ्चित्=किमपि घटादि, इक्ष्यते=जायमानं प्रतीयते । तस्माद् हेतोः, सर्वस्य=घटादेः कार्यस्य, सामग्री=

(तन्तु आदि में घटोत्पत्ति का दोष)

अतिरिक्त दोष यह है कि यदि केवल काल ही घट आदि आर्थों का जनक माना जायगा तो घट की उत्पत्ति मृद् मात्र ही मे न हो कर तन्तु आदि से भी होगी क्योंकि इस मत मे कार्य की देशवृत्तिता का कोई नियमक नहीं है और यदि देशवृत्तिता के नियमनार्थ तत्त्वार्थ मे तत्त्वादेश को भी कारण माना जायगा तो कालवाद का परित्याग हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि-“काल तो काल मे ही कार्य का उत्पादक है प्रतः उस से अनिष्ट देश मे कार्योत्पत्ति का आपादन नहीं हो सकता”— तो यह ठीक नहीं है क्योंकि उक्त आपत्ति का तात्पर्य इस आपत्ति मे है कि घट यदि कालमात्र से जन्य होगा तो मृद् से अजन्य होने के कारण मृद् मे भी अवृत्ति हो जायगा, क्योंकि यह व्याप्ति है कि जो जिस से जन्य नहीं होता वह उस मे अवृत्ति होता है. घट मे मृद् अवृत्तित्व का आपादक मृद्-अजन्यत्व है उस का अर्थ है जन्यता सम्बन्ध से मृद्गत से भिन्नत्व, अतः मृद्जन्यत्वकी अप्रसिद्धि से मृद्-जन्यत्व की भी असिद्धि होने के कारण उक्त व्याप्ति तथा आपादक का अभाव होने से उक्त आपत्ति असंगत होगी । ‘घट आदि मृदवृत्ति स्वभाव होने से मृदवृत्ति होते हैं अन्यवृत्ति नहीं होते’—यह कथन भी पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि फलतः घट आदि मे मृदवृत्तिस्वभावत्व के समान अन्यवृत्तिस्वभावत्व ही आपाद्य है ॥७८॥

उक्त दोषो का परिहार सम्भव न होने से न्यायवादियों को यही मानना उचित है कि काल आदि अन्यनिरपेक्ष हो कर कार्य के उत्पादक नहीं होते अपितु अन्यहेतुओं के साथ सामग्रीघटक होकर कार्योत्पादक होते हैं ॥७९॥

८० वी कारिका मे पूर्वकारिका की वात को ही अधिक स्फुट शब्दों मे कहा गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

उद्भूतरूपादिवस्तुस्वभावहेतोः स्वभावस्य वहनेरूप्वज्वलनादिनियमरूपार्थं नियतेश्वाऽदृष्ट
एव स्वीकारादित्याशयः । अन्ये त्वाचार्याः, सामान्येनैव=दृष्टा-अदृष्टसाधारणेनैव, सर्वस्य
वस्तुनः स्वभावो नियतिश्वर्मो इति 'प्रचक्षते' इति प्राक्तनेन योजना । अत्र स्वभावस्तथा-
भव्यत्वात्मिका जातिः कार्येकजात्याय, नियतिश्वातिशयितपरिणतिरूपा कार्यातिशयाय सर्वत्रो-
पयुज्यत इति । अधिकमन्यत्र ॥८१॥

॥ इति श्रीपणिङ्गविजयसोदरपणिङ्गतयशोविजयविरचितायां स्याद्वादकल्पतामिधानायां
शास्त्रवाच्चात्मासमुच्चयनीकाया द्वितीयः स्तवकः संपूर्णः ॥

दृष्टकारणो का उपक्षय 'करेगा'-यह कहना भी युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि 'अद्वमन्तर-वज्ञाणं०,
इत्यादि गाथा से आन्तर और बाह्य कारणों को समानबल बताया गया है ॥८०॥

[नियति और स्वभाव की हेतुता में मतान्तर]

८१ वी कारिका में यह भत्तेद बताया गया है कि कुछ विद्वानों ने काल, स्वभाव, नियति और
कर्म इन चारों को स्वतन्त्ररूप से कार्यमात्र का कारण माना है और अन्य विद्वानों ने काल तथा
अदृष्ट इन दोनों को ही स्वतन्त्ररूप से कार्यमात्र का कारण माना है और स्वभाव एवं नियति को
अदृष्ट का धर्म मान कर उन्हे कारण नहीं माना है ।

कारिका के पूर्वार्ध में 'एव' शब्द को 'कर्मणः' के उत्तर में पढ़ने पर कारिका का अर्थ यह होता
है कि अन्य आचार्यों के कथनानुसार स्वभाव और नियति कर्म-अदृष्ट के ही धर्म हैं, क्योंकि कोई
वस्तु उद्भूतरूप ही होती है और कोई वस्तु अनु-उद्भूतरूप ही होती है, यह नियम उन वस्तुओं के
जनक अदृष्ट के स्वभाव से ही उपपश्च हो सकता है । एवं अग्नि के ऊर्ध्वज्वलन का नियम भी अग्नि
के जनक नियति से ही होता है, और वह नियति अदृष्टगत होती ही है । इस के विपरीत दूसरे
आचार्यों का मत है कि स्वभाव और नियति सामान्यरूप से संपूर्ण वस्तु के धर्म हैं । सामान्यरूप
का अर्थ है दृष्ट और अदृष्ट सभी पदार्थ अपने स्वभाव और नियतिरूप धर्मों द्वारा सभी कार्यों के
कारण होते हैं ।

इस मत के अनुसार 'तथाभव्यत्व' जाति ही स्वभाव है जिस से कार्यों में ऐकजात्य की उपपत्ति
होती है और नियति कार्यगत ऐसी परिणति है जिससे कार्यों में अतिशय अर्थात् स्वेतरवैलक्षण्य की
उपपत्ति होती है । आशय यह है कि प्रत्येक दृष्ट पदार्थ तथा अदृष्ट पदार्थ अपने तथाभव्यत्वनामक
जातिरूप स्वभाव से अपने कार्यों में ऐकजातीयता का और अपनी अतिशयितपरिणति रूप नियति
से अपने कार्यों में अतिशयात्मक वैशिष्ट्य का सम्पादक होता है ॥८१॥

द्वितीय स्तवक समाप्त



परिशिष्ट १—द्वितीयस्तवके मूलगाथानामकारादिक्रमः

श्लो०/पृ०	आद्याशः	श्लो०/पृ०	आद्यांशः	श्लो०/पृ०	आद्यांशः
३०/२६	अगम्यगमनादीनां	३/३	चन्द्रसूर्योपरागादेः	१२/१४	प्रतिपक्षस्वभावेन
७९/९५	अतः कालादयः	६८/८४	चित्रं मोग्य तथा	२८/२७	प्रतिपक्षागमानां च
६०/७४	अतस्वभावात्	३७/३६	तच्चचास्तु लोक०	१३/१५	प्रतीत्या वाध्यते यो
२३/२३	अतीन्द्रियेषु मावेषु	४७/४४	ततो व्याधिनिवृत्यर्थं	२७/२६	ब्रह्महत्या निदेशानु०
१६/१६	अत्रापि व्रूपते	७६/६१	तत्त्वालादिसापेक्षो	६६/८२	मोग्यं च विश्वं सत्त्वानां
५१/६६	अनादिकर्मयुक्तत्वात्	७४/६०	ततस्तस्याऽविशिष्टत्वात्	३२/३१	माध्यस्थ्यमेव तद्वेतु
६४/८१	अन्यथाऽनियतत्वेन	४३/४१	तदन्यहेतुसाध्यत्वे	४४/५१	मुक्तिः कर्मक्षयादिष्ठा
६/५	अन्यथा वस्तुतस्वस्य	७२/८६	तद्विन्नभेदकत्वे च	३९/३९	मुक्तिः कर्मक्षयादेव
१८/१६	अन्यस्त्वाहेह	४२/४१	तद्विपर्ययमाध्यत्वे	२४/२२	यच्चचोक्तं दुःखवाहुल्य
२७/२१	अन्ये पुनरिदंश्राद्धा	२०/२०	तयाहुर्नाशुभात्	७८/६४	यतश्च काले तुल्ये
४९/८४	अन्येषामपि	८/११	तस्माद्यथोदितात्	४/३	यदि नाम क्वचिद् हृष्टः
७/६	अपरीक्षाऽपि नो युक्ता	७३/८८	तस्या एव तथाभूतः	६२/७८	यद्यदैव यतो यावत्
३४/३२	अप्रवृत्त्यैव सर्वत्र	२६/२७	दृष्टेष्टाभ्यां विरोधात्	३५/३५	यावदेवंविधं नैतत्
२६/२४	अशुभादप्यनुष्ठानात्	५३/६८	न कालव्यतिरेकेण	१४/१५	बहेः शीतत्वमस्त्येव
२/२	आगमाख्यात्तदन्ये तु	६७/८३	न च तत्कर्मवैधुर्ये	१६/१७	व्यवस्थाऽभावतो
५/४	आगमैकत्वतस्तत्त्व	७०/८६	न च तन्मात्रमावादेः	२५/२३	सर्वत्र दर्शनं यस्य
३३/३१	एतदप्युक्तिमात्रं	६३/७६	न चत्तें नियतिं	५८/७३	सर्वे मावाः स्वभावेन
४८/४५	एवं तत्पालभावेऽपि	८०/९५	न चैकैकं एवेह	३८/३८	संसारमोक्षकस्यापि
४५/४२	एवं वेदविहिताऽपि	२१/२१	न चैतद् दृश्यते	११/१३	सुदूरमपि गत्वेह
१७/१७	एवं सुवुद्धिशून्यत्वं	७१/८६	न जलस्यैकरूपस्य	३१/३०	स्वधर्मोत्कर्षादेव
५४/६६	कालं पचति	६५/८२	न भोक्तृव्यतिरेकेण	१०/१२	स्वभाव एव जीवस्य
५२/६७	कालादीनां च कर्तृत्वं	५९/७४	न विनेह स्वभावेन	८१/६७	स्वभावो नियतिशैवै
५६/७०	कालाभावे च गर्भादि	५४/७२	न स्वभावातिरेकेण	७४/९०	स्वोभावो स्वभावो
७७/६३	कालोऽपि समयादि	४६/४३	न हिंस्यादिह भूतानि	१५/१६	हिमस्यापि स्वभावो
५५/६६	किञ्च कालाहते	३६/३५	नाऽप्रवृत्तेरियं हेतुः	१/१	हिंसादिभ्योऽशुभं
६/१२	क्षिष्टहिंसाद्यनुष्ठानात्	६१/७८	नियतेनैव रूपेण	४१/४०	हिंसाद्युत्कर्पसाध्यत्वे
५०/६५	किञ्चं हिंसाद्यनुष्ठानं	६९/८५	नियतेनियतात्मत्वात्	४०/४०	हिंसाद्युत्कर्पसाध्यो वा

परिशिष्ट २—टीकायामुद्धृतवाक्यांशाः

पृष्ठांकः अकाराद्यंशः

१८	अन्धे तमसि मज्जामः	[]
६७	अवभतर-बज्ज्ञाणं	[अध्यात्ममतपरीक्षा-४५लो०]
५२	अशुद्धमिति चेत्	[]
२२	आगमश्चोपपत्तिश्च	[]
७७	कः कंटकानां	[]
६७	कालो सहाव पियड	[सम्मतिसूत्र १५०]
५०	चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः	[जैमिनीसूत्र १-१-२]
४७	जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः	[महाभारत-
४७	जपेनैव तु ससिध्येत्	[मनुस्मृति-
४७	ज्ञानपालीपरीक्षिद्दो	[]
१८	ते होति परावेक्षा	[मापारहस्य-३०]
२३	तत्थ य हेतुवाभो०	[सम्मतिसूत्र १४०]
३७	न जातु कामः कामानां	[मनुस्मृति-]
९२	न हेतुरस्तीति वदन्	[]
४५	नोत्सृष्टमन्यार्थं	[अन्ययोगव्यवच्छेदद्वार्तिंशिका-११]
७९	प्राप्तव्यो नियतिं०	[]
२३	अविभो सम्महं सण०	[सम्मतिसूत्र-१४१]
३२	मानसी वासना० पूर्वं	[]
८४	यथा यथा पूर्वकृतस्य	[]
६४	ये चक्षुः क्रुकर्मणः	[योगशास्त्र २-३७]
६४	वरं वराकश्चावार्को	[" २-३८]
६४	हिंसादिसंसक्त०	[अयोगव्यवच्छेदद्वार्तिंशिका-१०]

❀ शुद्धिकरण ❀

पृष्ठांक	पं.	अशुद्धिः	शुद्धिः	पृ	पं.	अशुद्धिः	शुद्धिः
५	१५	से होनेसे	होने से	७५	१४	प्रयक्त	प्रयुक्त
५	१६	सुवृद्धता	से सुवृद्धता	८२	६	मागप्रयोजनं	मोगप्रयोजनं
८	२	घटादिक	घटादि	८६	६	वयत्	वियत्
१२	४	प्रकृतिस्य	प्रकृतिकस्य	८७	२७	निवग	निर्वग
२२	१६	प्रतिमाद्य	प्रतिपाद्य	८४	१	कविध्य	कद्विध्य
४५	३०	विहिता	विंहिता	८६	१६	से	की
५४	५	वावपत्तौ	वोपपत्तौ	९१	२५	स्वनियत	समनियत
६६	१२	वह उस	वह अधिकृत जीव उस	९२	८	व्याघात्	व्याघातात्

ॐ श्रहं ॐ

शास्त्रवार्तासमुच्चय

तृतीयः स्तवकः

अथ विष्णुम्

(मङ्गल)

(टी०)-सर्वः शास्त्रपरिश्रमः शमवतामाकालमेकोऽपि यत्-
 साक्षात्कारकृते धृते हृदि तमो लीयेत यस्मिन्मनाक् ॥
 यस्यैश्वर्यमपद्भिलं च जगदुत्पाद-स्थिति-ध्वंसनैः ।
 तं देवं निरवग्रहग्रहमहाऽनन्दाय वन्दामहे ॥ १ ॥

[निष्कलंक ईश्वर को प्रणाम]

जिस देव का प्रत्यक्ष दर्शन करने के उद्देश से शमसंपन्न साधुपुरुषों का शास्त्रसंभव संपूर्ण परिश्रम एकमात्र भगवन्मुख होकर आजीवन चलता रहता है, अर्थात् जिस के दर्शन के लिए शमसंपन्न साधुओं एकमात्र ईश्वरपरायण होकर शास्त्र की रीत से जीवन-पर्यन्त या अनेक जीवन-पर्यन्त कठोर परिश्रम करते रहते हैं और हृदय में जिसका किञ्चिन्मात्र स्फुरण हो जाने पर हृदय का संपूर्ण अज्ञान-अंघकार विलीन हो जाता है और जिसका ऐश्वर्य जगत् के उत्पादन-पालन और सहार के व्यापार से कलुषित नहीं होता-

—उस देव का हम निष्प्रतिबन्ध (निरावरण) ज्ञान युक्त महान् आनन्द के लिए अभिवादन करते हैं ।

इस मंगल श्लोक से जैन दर्शन की कई महत्वपूर्ण दृष्टीयां स्पष्ट होती हैं, जैसे-वीतराग भगवान का साक्षात्कार करने के लिए साधक को सर्व प्रथम शमसंपन्न होना चाहिये । शम का अर्थ है क्रोध-लोभादिकषायों का उपशम जिसमें समाविष्ट है संसार के विषयों से आसक्ति का परित्याग । मनुष्य जब तक सांसारिक भोगों से उदासीन न होगा-या सांसारिक विषयों से जब तक उस के मन का प्राक-र्धण शिथिल न होगा तब तक विषय जनित कषाय मंद न होने से ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए वह योग्य नहीं हो सकता ।

दूसरी बात यह है कि शमसंपन्न होने पर भी उसे भगवन्मुख होना आवश्यक है क्योंकि शम होने पर भी यदि मनुष्य भगवन्मुख न होगा तो उस का शम स्थायी न हो सकेगा । संसार का चाक-चिक्य एक दिन उसको अवश्य विचलित कर देगा, क्योंकि मनुष्य का मन सदा कोई न कोई आलबन चाहता है । अतः उसे भगवान का आलंबन न दिया जायगा तो विवश होकर वह किसी

सामग्र्याभीश्वरोऽपि निविशत इति वार्तान्तरमाह—

मूलम्-ईश्वरः प्रेरकत्वेन कर्ता कैश्चिदिहेष्यते ।

अचिन्त्यचिच्छुक्तियुक्तोऽनादिसिद्धश्च सूरभिः ॥१॥

इह=सामग्र्याम्, कैश्चित् सूरभिः=पातञ्जलाचार्यैः, प्रेरकत्वेन=परप्रवृत्तिजनकत्वेन

सांसारिक आलबन को ग्रहण कर लेगा और फिर ईश्वर के दर्शन को आशा उसके लिए एक दिवा-स्वप्नमात्र रह जायगी । दूसरी बात यह है कि ईश्वर के दर्शनार्थ साधना करने वाले व्यक्ति का जीवन शास्त्र पर आधारित होना चाहिये और उसके समस्त व्यापार शास्त्र के विधि-निषेधों से नियन्त्रित होना चाहिए । यदि साधक के पास शास्त्र का आलोक न रहेगा तो कभी भी वह मोह के अंधकार में गिर सकता है ।

तीसरी बात यह है कि साधक को अपने साधनामार्ग पर चलने के लिए बड़ा धैर्यवान् होना चाहिए । लक्ष्य की प्राप्ति में विलम्ब होने पर भी उसे किञ्चित् विचलित न होना चाहिए । हो सकता है कि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन भर अथवा कई जन्मों तक अपनी आध्यात्मिक यात्रा चालु रखनी पड़े ।

चौथी बात और महत्व की है जो यह है कि वीतराग सर्वज्ञ भगवान का किञ्चित्मात्र स्मरण होने से ही साधक का हृदयांधकार दूर हो जाता है क्योंकि उस से साधक की आशा बलवत्तर होती है । और विश्वास होता है कि अपने मार्ग पर चलने पर भगवान का आशिक दर्शन शीघ्र भी हो सकता है और उस दर्शन से ही उसके हृदय का अज्ञान तम् दूर हो सकता है जो कि उस की अग्रिम यात्रा में उसे भयप्रद हो सकता है और निराशा के आवर्त में उद्भ्रान्त भी कर सकता है ।

पांचवीं बात-जैन शासन के महान् सिद्धांत का अवद्योतन करती है । वह यह कि जैन शासन में न्याय दर्शन के समान ईश्वर को जगत का कर्ता-भर्ता और हर्ता नहीं माना जाता । क्योंकि जगत उत्पादन पालन और विनाश का कर्तृत्व यदि ईश्वर में माना जायेगा तो उसमें राग द्वेषादि का सम्बन्ध अवश्य मानना होगा क्योंकि जिस में राग द्वेषादि का संबंध नहीं होता वह जीव हिसक आरंभ समारंभादि कुछ भी व्यापार नहीं कर पाता और यदि राग द्वेष अदि होगा तो उसका ऐश्वर्य निश्चितरूप से कलंकित हो जायगा क्योंकि उस स्थिति में उस में सांसारिक की अपेक्षा कोई वैशिष्ट्य न होगा ।

छठी बात जो कही गई है उस से ईश्वर के अभिवादन का मुख्य लाभ सूचित होता है । और वह है निरावरण अनंत ज्ञान युक्त विशुद्ध अक्षय आनंद की निर्वाध प्राप्ति । इस कथन से यह सकेत किया गया प्रतीत होता है कि ईश्वर-अभिवादन से मनुष्य को यद्यपि उसके लौकिक अभीष्ट प्राप्त होते हैं किन्तु मनुष्य को उसे भगवान के अभिवादन का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए । अन्यथा उस के मुख्य लक्ष्य अनंत ज्ञान व महान् आनंद की प्राप्ति से मनुष्य वंचित रह जायगा । अतः लौकिक अभीष्ट को उसे आनुषंगिक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए ।

आद्य मूल कारिका में अन्य शास्त्रों के इस मत का उल्लेख किया गया है कि जगत की उत्पत्ति जिस कारण सामग्री से होती है उस में ईश्वर का भी समावेश है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

ईश्वरः कर्तेष्यते । कीदृशः १ इत्याह—अचिन्त्या=इन्द्रियादिप्रणालिकां विनाऽपि यथावत्सर्वविषयावच्छिन्ना या चिच्छक्तिश्चेतना, तया युक्तः-तदाश्रयः, तथा अनादिसिद्धश्च कदापि बन्धाभावात् । त्रिविधो हि तैर्वन्धं उच्यते, प्राकृतिक-वैकारिक-दाक्षिणभेदात् । तत्र प्रकृतावात्मताङ्गानाद् ये प्रकृतिमुपास्ते तेषां प्राकृतिको वन्धः, यान् प्रतीदमुच्यते—

“पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ।” इति । ये तु विकारानेव भूतेन्द्रियाऽहङ्कारबुद्धीः पुरुषबुद्ध्योपासते, तेषां वैकारिको वन्धः, यान् प्रतीदमुच्यते—

“दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः ।

भौतिकास्तु शतं पूर्णं, सहस्रं त्वाभिमानिकाः ॥ १ ॥

बौद्धाः शतसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।” इति ।

इष्टापूर्ते दाक्षिणो वन्धः, पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टापूर्तकारी कामोपहतमना बध्यत इति । इयं च त्रिविधापि वन्धकोटिरीश्वरस्य मुक्तिं प्राप्यापि भवे पुनरेष्यतां प्रकृतिलीनत्वज्ञानानां

[पातञ्जल के मतानुसार ईश्वर का स्वरूप]

पातञ्जल दर्शन में निष्ठा रखने वाले विद्वानो ने यह माना है कि जगत्उत्पादकसामग्री में ईश्वर भी प्रविष्ट है क्योंकि जगत के अन्य अचेतन कारणों का प्रेरक होने से वही जगत् का कर्ता है । उस की चेतना शक्ति अचिन्त्य है, क्योंकि इन्द्रियादि ज्ञान साधनों के विना भी संपूर्ण विषयों से उस का संवन्ध है । अर्थात् ईश्वर साधननिरपेक्ष सर्वविषयक शाश्वतज्ञान का आश्रय है और अनादिसिद्ध नित्यमुक्त है क्योंकि उस में कभी भी वन्ध संभवित नहीं है ।

कहने का आशय है कि वन्ध के तीन भेद होते हैं—(१)प्राकृतिक (२) वैकारिक (३) दाक्षिण्य ।

(तीन प्रकार का वन्ध)

जो लोग प्रकृति को ही आत्मा समझकर उसी की आत्मरूप में उपासना करते हैं उन्हें प्राकृतिक वन्ध होता है और वे प्रकृति में आत्मचिन्तन करने के फलस्वरूप पूरे शतसहस्र (१००,०००) वर्ष तक प्रकृति से मुक्त कल्प होकर अवस्थित रहते हैं ।

और जो प्रकृति के कार्यभूत-इन्द्रिय-अहंकार और बुद्धि तत्त्व को आत्मा समझकर उन्हीं की आत्मभाव से उपासना करते हैं उन्हे वैकारिक वन्ध होता है । उन में इन्द्रिय से आत्मभाव का चिन्तन करने वाले दशमन्वन्तरकाल तक निर्दुःख रहते हैं । और भूतों का आत्मभाव से चिन्तन करने वाले भौतिक कहे जाते हैं । जो १०० सौ वर्ष तक निर्दुःख होकर रहते हैं । और अहकार को आत्मरूप से चिन्तन करने वाले आभिमानिक कहे जाते हैं । वे सहस्रवर्ष तक निर्दुःख रहते हैं । और जो बुद्धि तत्त्व को आत्मभाव से देखते हैं और उसी के आत्मरूप से उपासक होते हैं वे सहस्र वर्ष तक दुःखमुक्त रहते हैं । इस प्रकार अनात्मा में आत्मदर्शियों की मुक्तावस्था अनित्य होती है ।

योगिनामिव नोत्तरा न वा पूर्वा संसारिमुक्तात्मनामिव, इति निर्बाधमनादिसिद्धत्वम् । तथा चाह पतञ्जलिः—“क्लेश-कर्मविपाका-ऽस्मितारागद्वेषाऽभिनिवेशाः । कर्माणि शुभाऽशुभानि । तद्विपाको जात्यायुभर्गाः । आशयाः=नानाविधास्तदनुगुणाः संस्काराः । तैरपरामृष्टोऽसंस्पृष्टः सर्वज्ञतया भेदाऽग्रहनिमित्त-काऽविद्याऽभावात्, तस्या एव च भवेत्तु सर्वक्लेशमूलत्वात् । तथा च सूत्रम्—“अविद्या क्षेत्र-मुक्तरेषां प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नो-दाराणाम्” (योगसूत्र २-४) इति । अनभिव्यक्तस्तुपेणावस्थानं सुप्तावस्था, अभिव्यक्तस्यापि सहकार्यभावात् कार्याऽजननं तन्ववस्था, अभिव्यक्तस्य जनित-कार्यस्यापि केनचित् बलवता सजातीयेन विजातीयेन वा लब्धवृत्तिकेनाऽभिभवात् भविष्यद्-वृत्तिकृत्वेनावस्थानं विच्छिन्नावस्था । अभिव्यक्तस्य प्राप्तसहकारिसंपत्तेरप्रतिवन्धेन लब्धवृत्ति-कृतया स्वकार्यकरत्वमुदारावस्था । तत्राद्यमवस्थाद्वयं प्रतिप्रसवाख्येन निर्बीजसमाधिना हीयते, अन्त्यं तु शुद्धसत्त्वमयेन भगवद्ध्यानेनेति । ‘अविद्याऽभावात् तन्नाशजन्यं कथं तत्त्वज्ञानं तस्य १’ इति चेत् । अत एव नित्यं तत्, नित्यज्ञानवत्त्वादेव चायं कपिलप्रभृतिमहर्षीणामपि गुरुः ॥१॥

इष्ट और पूर्ति को दक्षिण बन्ध कहा जाता है । इष्ट का अर्थ है वेद में वर्णित विविध यज्ञ और पूर्ति का अर्थ है पुराणों में वर्णित परोपकार के कार्य जैसे वाटिका वावडी कूप धर्मशाला आदि का निर्माण । जो आत्मा के वास्तव स्वरूप को नहीं जानता वह यज्ञ और परोपकारक कार्यों को अभिलाषा से उन कार्यों में मनोयोगपूर्वक व्यापृत होता है और बन्धनों से आवद्ध होता है ।

ये तीनों बन्धों की दो कोटि होती है—पूर्व कोटि और उत्तर कोटि । वे योगी जो प्रकृति आदि में आत्मचिन्तन कर प्रकृति में लीन हो कर मुक्ति प्राप्त करते हैं उनको मुक्ति की अवधि समाप्त होने पर ससार में पुनः आना पड़ता है अतः वह उक्त बन्धों की उत्तर कोटि को प्राप्त करते हैं और जो संसारी जीव आत्मा का वास्तव स्वरूप का साक्षात्कार करके मुक्त होते हैं उन्हे उन बन्धों की पूर्व कोटि होती है, उत्तर कोटि नहीं होती, क्योंकि मुक्ति के बाद उन्हे किसी प्रकार का बन्ध नहीं होता । ईश्वर में बन्ध की ये दोनों हि कोटियां नहीं होती इसलिए वह निर्बाध रूप से नित्य मुक्त होता है । जैसा कि पतञ्जलि ने अपने योगदर्शन में कहा है कि ‘जो पुरुष क्लेश-कर्म-विपाक और आशयों से कभी भी संयुक्त नहीं होता वह पुरुषविशेष ही ईश्वर है’ ।

[क्लेश-कर्म और विपाक का स्वरूप]

क्लेश का अर्थ है अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष और अभिनिवेश । कर्म का अर्थ है पुण्य और पाप । विपाक का अर्थ है जन्म-आयु और भोग रूप कर्मफल । और आशय का अर्थ है जन्म आयु और भोग के प्रयोजक अनेक प्रकार के संस्कारों का निधि । ईश्वर में इन वस्तुओं का सम्पर्क नहीं होता क्योंकि वह सर्वज्ञ होता है इसलिए उस में आत्मा और अनात्म के भेद का अज्ञान नहीं होता । इसीलिए अनात्मा में आत्मा के तादात्म्य की वृद्धिरूप अविद्या भी उसमें नहीं रहती । और जब उस में अविद्या ही नहीं होती तो उसमें अन्य क्लेशों के सम्पर्क की संभावना कैसे हो सकती है ? क्योंकि अविद्या ही जगत् के हेतुभूत सम्पूर्ण क्लेशों का मूल है । जहां मूल ही नहीं है वहां उसके कार्य कैसे हो सकते हैं ?

तदिदमाह—

मूलम्-ज्ञानमप्रतिधं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ।
ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम् ॥२॥

यस्य=जगत्पतेज्ञानम्, अप्रतिधम्=नित्यत्वेन सर्वविषयत्वात् क्वचिदप्यप्रतिहतम् । वैराग्यं च=माध्यस्थ्यं च रागाभावादप्रतिधम् । चः समुच्चयो एवोऽवधारणे, ऐश्वर्यं पारतन्त्र्याभावादप्रतिधम्, तत्त्वाद्विधम्-अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यम् वशित्वम्,

यह बात योगसूत्र मे इस प्रकार कही गई है कि “प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार ये सभी प्रकार के उत्तरभावि क्लेशो की जन्मभूमि अविद्या हैं। सुप्तावस्था का अर्थ है अप्रकटरूप मे क्लेश की अवस्थिति, तनु अवस्था का अर्थ है प्रकट होने पर भी सहकारी कारण का संनिधान न होने से कार्य को उत्पन्न करने की असमर्थता । और विच्छिन्नावस्था का अर्थ है अभिव्यक्त होकर और अपने कार्य को उत्पन्न करके भी किसी बलबान एवं लब्धवृत्तिक सजातीय अथवा विजातीय पदार्थ से अभिभूत-वृत्तिहीन होकर भविष्य मे सवृत्तिक होने के लिए अवस्थित रहना । और उदार अवस्था का अर्थ है—अभिव्यक्त होकर एवं सहकारियो का सनिधान प्राप्त कर एवं कोई प्रतिबन्धक न होने से अपने कार्य को उत्पन्न करने का अवसर प्राप्त कर अपने कार्य का सम्पादन करना । इन अवस्थाओं मे पहली दो अवस्थाओं की निवृत्ति निर्वोज समाधि से होती है जिसे प्रतिप्रसव कहा जाता है । और अन्तिम दो अवस्थाओं की निवृत्ति भगवान के शुद्धसत्त्वमय ध्यान से होती है ।”

ईश्वर को तत्त्वज्ञ मानने पर प्रश्न होता है कि जब ईश्वर मे अविद्या ही नहीं होती तो उस मे तत्त्वज्ञान कैसे होता है ? क्योंकि तत्त्वज्ञान अविद्या के नाश से होता है किन्तु ईश्वर मे अविद्या न होने से उस का नाश भी उसमे नहीं हो सकता और इसके फलस्वरूप तत्त्वज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ईश्वर मे अविद्या और अविद्या का नाश न होने के कारण ही उसका तत्त्वज्ञान नित्य होता है और नित्यज्ञान का आश्रय होने से ही वह कपिलादि महर्षियो का भी गुरु होता है ।

दूसरी कारिका मे पूर्व कारिका के कथन को ही पुष्ट किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

[ईश्वर का सहजसिद्ध चतुष्टय]

ईश्वर जगत् का स्वामी है । उसका ज्ञान नित्य एवं सर्वविषयक होने से किसी काल और किसी विषय मे प्रतिहत नहीं है । उसका वैराग्य-माध्यस्थ्य भी उस में राग न होने से कहीं भी प्रतिहत नहीं है । अर्थात् उसमे किसी भी चेतन अथवा अचेतन वस्तु के प्रति राग और द्वेष न होने से वह सबके प्रति तटस्थ है और उसमें किसी प्रकार की परतन्त्रता न होने से उस का ऐश्वर्य भी अप्रतिहत है ।

उसके ऐश्वर्य का आठ प्रकार हैं—^१श्रणिमा, ^२लघिमा, ^३महिमा, ^४प्राप्ति, ^५प्राकाम्य ^६वशित्व ^७ईशित्व ^८यत्र कामावसायित्व ।

ईशित्वम्, यत्रकामावसायित्वं चेति । यतो महानणुर्भवति सर्वभूतानामप्यदृश्यः, सोऽणिमा । यतो लघुभैवति सूर्यरश्मीनप्यालम्ब्य सूर्यलोकादिगमनसमर्थः, स लघिमा । यतोऽल्पोऽपि 'नाग-नगादिमानो भवति, स महिमा । यतो भूमिष्टस्याप्यड्गुल्यग्रे गगनस्थादिवस्तुप्राप्तिः, सा प्राप्तिः । प्राकाम्यमिच्छानभिघातः, यत उदक इव भूमाबुन्मज्जति निमज्जति च । वशित्वम्-यतो भूत-भौतिकेषु स्वातन्त्र्यम् । ईशित्वम्-यतस्तेषु ^३प्रभव-स्थिति-व्ययानामीष्टे । यत्रकामावसायित्वम्-यतः सत्यसंकल्पता भवति, यथेश्वरसंकल्पमेव भूतभावादिति । धर्मश्व प्रयत्न-संस्काररूपोऽधर्माभावादप्रतिघः । एतच्चतुष्टयं सहसिद्धम्-अन्यानापेक्षतयाऽनादित्वेन व्यवस्थितम् । अत एव नेश्वरस्य कूटस्थताव्याघातः, जन्यधर्माऽनाश्रयत्वादिति वोष्यम् ॥२॥

तस्य कर्तृत्वे युक्तिमाह—

(१) जिस शक्ति से महान वस्तु श्रणु हो कर अन्य प्राणियों के लिए अहश्य बन जाती है वह शक्ति अणिमा कही जाती है ।

(२) जिस शक्ति से गुरु वस्तु लघू हो कर सूर्य की किरणों के सहारे सूर्यलोक आदि तक जाने में समर्थ हो जाती है वह शक्ति लघिमा कही जाती है ।

(३) जिस शक्ति से लघु परिमाण की वस्तु हाथी और पर्वत आदि के समान विराट हो जाती हैं वह शक्ति महिमा कही जाती है ।

(४) जिस शक्ति से भूमि में स्थित भी मनुष्य अपनी अंगुलों के अग्र भाग से आकाशस्थ वस्तु का स्पर्श कर सकता है वह शक्ति 'प्राप्ति' कही जाती है ।

(५) प्राकाम्य का अर्थ है इच्छा का अभिघात न होना । इस शक्ति से मनुष्य जल के समान स्थल में भी भीतर और बाहर आ जा सकता है ।

(६) वशित्व का अर्थ है भूत और भौतिक वस्तुओं के विषय में स्वातन्त्र्य । इस शक्ति से मनुष्य भूत और भौतिक पदार्थों का यथेष्ट विनियोग कर सकता है ।

(७) ईशित्व का अर्थ है वह सामर्थ्य जिस से मनुष्य भूत और भौतिकों के उत्पादन पालन और विनाश करने में समर्थ होता है ।

(८) यत्र कामावसायित्व का अर्थ है सत्य संकल्पता । इसी शक्ति के कारण जगत् के सम्पूर्ण भूत और भौतिक पदार्थ ईश्वर के संकल्पानुसार ही होते हैं ।

धर्म का अर्थ है प्रयत्नरूप संस्कार । ईश्वर में अधर्म नहीं होने से उस का धर्म भी पूर्ण रूप से अप्रतिहत होता है ।

इस प्रकार ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म-ये चारों चीजें ईश्वर में सहसिद्ध-नित्य सिद्ध हैं अर्थात् अन्य निरपेक्ष होने के कारण ये चारों अनादि हैं । इसीलिए ईश्वर की कूटस्थता भी व्याहत नहीं होती है, क्योंकि वह जन्य धर्म का आश्रय नहीं होता ।

तीसरी कारिका में ईश्वर के कर्तृत्व को साधक युक्त बताई गई है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

१ नागो-हस्ती, नगः-पर्वत । २ "स्मृत्यर्थदयेश ॥ २१२११ । इति सूत्रेण कर्मसज्जाया विकल्पेन पक्षे षट्ठी ।

मूलम्-अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा इवभ्रमेव वा ॥३॥

अयं=संसारी जन्तुः, आत्मनः सुख-दुःखयोर्जायमानयोः, अनीशः=अकर्ता, यतोऽज्ञः=हिताऽहितप्रवृत्तिनिवृत्युपायानभिज्ञः, अतः स्वर्गं वा, श्वभ्रमेव वा=नरकमेव वा, ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्, अज्ञानां प्रवृत्तौ परग्रेरणाया हेतुत्वावधारणात्, पश्चादिप्रवृत्तौ तथादर्शनात्, अचेतनस्यापि चेतनाधिष्ठानैव व्यापाराच्च । अत एव-

“मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सच्चराचरम् ।

तपाम्यहमहं वर्णं निगृह्णाम्युत्सुजामि च ॥१॥” [गीता-]

इत्यागमेन सर्वाधिष्ठानत्वं भगवतः श्रूयते, इति पातञ्जलाः ।

नैयायिकास्तु वदन्ति-

“कार्याऽऽयोजन-धृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः ।

वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविद्व्ययः ॥१॥” [न्या०कु०५-१] इति ।

(पातञ्जलमतानुसार ईश्वर का जगत्कर्तृत्व)

संसारी जीव को अपने सुखदुःख के उपाय का ज्ञान नहीं होता । ‘क्या करने से उस का हित होगा और क्या करने से उस का अहित होगा ?’ इस बात को वह स्वयं नहीं सोच पाता । इसलिये अपने सुखदुख का वह कर्ता नहीं हो सकता । अतः एव यह मानना आवश्यक है कि जीव ईश्वर की प्रेरणा से ही ऐसे कर्म करता है जिन से स्वर्गं अथवा नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि अज्ञों की प्रवृत्ति में यह प्रेरणा ही कारण होती है—यह सर्वं विदित है । पश्चादिकी प्रवृत्ति लोक में प्रेरणा से ही देखी जाती है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि—जीव अपने सुख-दुख का उपाय न जानने के कारण अपने सुख-दुख का संपादन स्वयं भले न कर सके परन्तु प्रकृति अथवा बुद्धि के व्यापार से उसे सुख-दुख होने में कीर्द्धं वाधा नहीं हो सकती । यह कहना इसलिये संभव नहीं है कि प्रकृति एवं बुद्धि स्वभावतः अचेतन होती है, अत एव चेतन के सम्पर्क के विना वह भी सव्यापार नहीं हो सकती क्योंकि लोक में चेतन वर्द्धी आदि के सम्पर्क से ही अचेतन कुठारादि में काष्ठच्छेदन के व्यापार का होना देखा जाता है । इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि—प्रकृति सर्वाध्यक्षमूल हमारे सम्पर्क से ही चराचरात्मक जगत् का सर्जन करती है । मैं ही तापक हूँ और मैं ही जल के अवर्षण और वर्षण ॥ कौन रा है ॥

ईश्वर के कर्तृत्व के सम्बन्ध में पातञ्जलों का यही संक्षिप्त दृष्टिकोण है ।

(जगत्कर्तृत्व में नैयायिकों का अभिगम)

नैयायिकों का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण दूसरा है । वह ईश्वर को परप्रेरक के रूप में कर्ता न मानकर साक्षात् उसी को विश्व का कर्ता मानते हैं । उदयनाचार्य ने न्यायकुम्भमाल्लिग्रन्थ में ‘कार्यायोजनधृत्यादे.०’ इस कारिका से ईश्वर में कर्तृत्व से सिद्ध करने वाले अनेक अनुमानों का

अस्याऽर्थः-कार्यदीश्वरसिद्धिः, 'कार्यं सकर्तुं कम् कार्यत्वात्' इत्यनुमानात् । न च कार्यत्वस्य कृतिसाध्यत्वलक्षणस्य क्षित्यादावसिद्धिरिति वाच्यम्, कालवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वे सति, प्रागभावप्रतियोगित्वे सति, ध्वंसप्रतियोगित्वे सति वा सत्त्वस्य हेतुत्वात् । पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुद्देश्यत्वाच्च न कार्यस्य घटादेः सकर्तुं कर्त्वसिद्ध्याऽशतः सिद्धसाधनम्, न वा पक्षतावच्छेदकस्य हेतुत्वं दोषः, 'कार्यत्वं साध्यसमानाधिकरणम्' इति सहचारग्रहेऽपि 'कार्यं सकर्तुं कम्' इति बुद्धेभावाच्च ।

संकेत किया है । उन से कार्य से ईश्वर का अनुमान पहला अनुमान है जिस का प्रयोग इस प्रकार होता है-

[कार्य-हेतुक अनुमान]

'कार्यं सकर्तुं क होता है क्योंकि वह कार्य है'-इस अनुमानप्रयोग के द्वारा 'कार्य' हेतु से ईश्वर की सिद्धि होती है । इस पर यह शंका हो सकती है कि—'कार्यत्वं हेतु का अर्थ है कृतिसाध्यत्वं और वह पक्ष के अन्तर्गत आनेवाले क्षित्यादि में असिद्ध है । इसलिए कार्यत्वं हेतु के मागासिद्ध हो जाने से उससे संपूर्ण कार्य में सकर्तुं कर्त्व का अनुमान नहीं किया जा सकता । क्योंकि उसके लिये समस्त कार्य में हेतु का होना आवश्यक है' ।—किन्तु यह शंका कार्यत्वं हेतु का निम्नोक्त रूप से निर्वचन कर देने पर निर्मूल हो जाती है । जैसे-कार्यत्व का अर्थ है कालवृत्ति-अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होने हुए भावात्मक होना । इस प्रकार का कार्यत्व क्षित्यादि में विद्यमान है क्योंकि क्षित्यादि भावात्मक है और क्षित्यादि उत्पत्ति के पूर्वकाल में और क्षित्यादिविनाशकाल में उसका अत्यन्ताभाव होने से वह कालवृत्ति अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी है । कार्यत्व के इस परिष्कृत स्वरूप में सत्त्व-भावात्मकत्व का सनिवेश ध्वंस से व्यभिचार वारण करने के लिये आवश्यक है । यदि यह कहा जाय कि—“प्राचीन नैयायिक मत में ध्वंस और प्रागभाव के साथ अत्यन्ताभाव का विरोध होने से क्षित्यादि का अत्यन्ताभाव उस के उत्पत्ति के पूर्वकाल तथा विनाशकाल में नहीं रह सकता क्योंकि पूर्वकाल में उस के अत्यन्ताभाव का विरोधी उसका प्रागभाव और विनाशकाल में अत्यन्ताभाव का विरोधी ध्वंस विद्यमान होता है । क्षित्यादि के अस्तित्वकाल में भी क्षित्यादि का अत्यन्ताभाव नहीं रह सकता क्योंकि उस समय क्षित्यादि स्वयं ही अपने अत्यन्ताभाव का विरोधी विद्यमान होता है । अतः क्षित्यादि में कालवृत्तिअत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं संभव न होने से उक्त कार्यत्वं हेतु स्वरूपासिद्ध हो जाता है । नवीन नैयायिक मत में भी उक्त कार्यत्वं हेतु से सकर्तुं त्वं का अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि नित्यद्रव्यं कालिक सम्बन्ध से किसी में भी नहीं रहता’ इस मत के अनुसार नित्यद्रव्य कालवृत्तिअत्यन्ताभाव का प्रतियोगी भावात्मक वस्तु है किन्तु सकर्तुं क नहीं है । इस प्रकार नित्यद्रव्यों में उक्त कार्यत्वं हेतु में सकर्तुं कर्त्व का व्यभिचार स्पष्ट है ।

(कार्यत्वं प्रागभावप्रतियोगिसत्त्वं)

इस दोष का परिहार करने के लिये कार्यत्व को 'प्रागभाव-प्रतियोगित्वे सति सत्त्व' के रूप में परिष्कृत करना भावश्यक है, किन्तु प्रागभाव न मानने वाले दीघितिकार आदि के मत में प्रागभाव घटित हेतु असिद्ध हो जाने से उक्तानुमान के द्वारा क्षित्यादि सकर्तुं कर्त्व की सिद्धि नहीं होती । तथापि 'ध्वंसप्रतियोगित्वे सति सत्त्व' को कार्यत्व मानकर उस से संपूर्ण कार्य में सकर्तुं कर्त्व का अनुमान करने से कोई

ननु तथापि सकर्तृकत्वं यदि कर्तृसाहित्यमात्रम्, तदाऽस्मदादिना सिद्धसाधनम्, यदि च कर्तृजन्यत्वम् तदा वायोऽपि, ज्ञानादेरेव जनकतया कर्तृरजनकत्वादिति चेत् १ न, प्रत्यक्षजन्यत्वत्वेच्छाजन्यत्वादिना साध्यतायामदोपात् । अदृष्टाऽद्वारा जन्यत्वस्य विशेष्यता-संबन्धावच्छिन्नकारणताप्रतियोगिकसमवायावच्छिन्नजन्यत्वस्य वा साध्यत्वाच्च नाऽदृष्टजनका-स्मदादिज्ञानजन्यत्वेन सिद्धसाधनम्, अर्थान्तरं वा

बाधा नहीं हो सकती है । यद्यपि-पक्षान्तर्गत आनेवाले घटादि कार्यों में सकर्तृकत्व की सिद्धि होने से अशत् सिद्धसाधन होता है अर्थात् कार्येत्वरूप पक्षतावच्छेदक के आश्रय विशेष में सकर्तृत्वरूप साध्य की सिद्धि होने से कार्य में सकर्तृकत्व अनुमान का प्रतिरोध प्रसक्त होता है-किन्तु प्रस्तुत अनुमान में उसे दोष नहीं माना जाता है क्योंकि प्रस्तुत अनुमान में पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन साध्यानुभिति अर्थात् यावत् पक्ष में साध्यानुभिति उद्दिष्ट है और यावत् पक्ष में साध्यानुभिति के प्रति यावत् पक्ष में साध्य की सिद्धि ही प्रतिवन्धक होती है न कि यत्किञ्चित् पक्ष में साध्य की सिद्धि ।

उक्तानुमान में यह भी शंका हो सकती है कि-‘पक्षतावच्छेदक और हेतु एक है इस लिये हेतु में साध्य का व्याप्तिज्ञान साध्यसिद्धि रूप हो जायगा क्योंकि साध्य की व्याप्ति साध्यसामानाधिकरण से घटित होती है और पक्षतावच्छेदकात्मक हेतु में साध्यसामानाधिकरण का ज्ञान पक्ष में साध्यवत्त्व के ज्ञान होने पर ही संभव है अतः हेतु में साध्य का व्याप्तिज्ञान साध्यसामानाधिकरण कुक्षि में पक्ष में साध्यप्रकारक होने से साध्यसिद्धि रूप हो जायगा । अतः व्याप्तिज्ञान के द्वारा सिद्धसाधन की आपत्ति होगी”-किन्तु विचार करने पर यह शंका उचित नहीं प्रतीत होती क्योंकि साध्यसामानाधिकरण की कुक्षि में पक्ष में साध्य का ज्ञान निर्धमतावच्छेदक होता है अर्थात् पक्षतावच्छेदकरूप से पक्ष में साध्यसम्बन्ध का भान नहीं होता है अतः एव व्याप्तिज्ञानात्मक साध्यसिद्धि से पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न में साध्यानुभिति का प्रतिवन्ध नहीं हो सकता क्योंकि तद्वर्णविच्छिन्न विशेष्यक साध्यानुभिति के प्रति तद्वर्णविच्छिन्नविशेष्यकसाध्यनिश्चय को ही सिद्धिविधया प्रतिवन्धकत्वं न्यायप्राप्त हैं ।

[सकर्तृकत्व-कर्तृसाहित्य या कर्तृजन्यत्व ?]

प्रस्तुत अनुमान में यह शंका होती है कि-“सकर्तृकत्वरूप साध्य का अर्थ यदि कर्तृसाहित्य किया जायगा तो जीवात्मा से सिद्धसाधन हो जायगा, क्योंकि कर्ता शब्द से जीवात्मा का समान-कालिकत्व या समानदेशत्व ग्रहण करने पर भी कर्ता का उक्तस्वरूप कर्तृसाहित्य कार्यमात्र में उपपन्न हो जाता है । और यदि सकर्तृकत्व का अर्थ कर्तृजन्यत्व माना जायगा तो कार्य के प्रति कर्तृगतज्ञान आदि के ही कारण होने से कर्ता को कार्य का अजनक होने के कारण कर्तृजन्यत्वरूप साध्य की अप्रसिद्धि हो जायगी । और यदि सकर्तृकत्व का अर्थ जन्यतासम्बन्ध से कर्तृमत्व किया जायगा तो कर्ता कार्य का अजनक होने के कारण जन्यत्व कर्ता का व्यधिकरण सम्बन्ध होगा इसलिए कार्य में जन्यत्व-सम्बन्ध से कर्ता का अभाव होने से वाध हो जायगा । अतः प्रस्तुत अनुमान का समर्थन अशक्य है-” किन्तु यह शंका अनवकाश है क्योंकि प्रत्यक्षजन्यत्व, इच्छाजन्यत्व अथवा कृतिजन्यत्व को साध्य मान लेने पर उक्त दोष का परिहार हो सकता है ।

कार्यमात्र से अहृष्ट द्वारा जीवात्मा के प्रत्यक्षजन्यत्व, इच्छाजन्यत्व अथवा कृतिजन्यत्व के द्वारा सिद्धसाधन का या जीवात्मा के प्रत्यक्षादि को कार्य मात्र के प्रति किसी साक्षात् सम्बन्ध

अथात्र शरीरजन्यत्वमुपाधिः, अङ्गकुरादौ साध्यव्यापकतासदेहे संदिग्धोपाधितासाम्राज्यात्, तदादितव्यभिचारसंशयेनाऽनुमानप्रतिरोधात्, लाघवाद् व्यभिचारज्ञानत्वेनैव व्याप्तिधी-विरोधित्वात्, पक्ष-तत्समयोरपि व्यभिचारसंशयस्य दोपत्वादिति चेत् १ न, प्रकृते ज्ञानत्वादि-कार्यत्वाभ्यां हेतु-हेतुमङ्गावनिश्चयात्, लाघवतर्कावितारे तदुपाधिसंशयस्याऽविरोधित्वात्, अनु-कूलतर्कानवतार एव संदिग्धोपाधेव्यभिचारसंशयाधायकत्वात्, अन्यथा पक्षेतरत्वोपाधिशङ्क्या प्रसिद्धानुमानस्याऽप्युच्छेदप्रसङ्गात् इत्येके ।

से कारण मानकर सिद्धसाधन अथवा अर्थान्तर की आपत्ति का परिहार करने के लिये अद्वृटाद्वारक-प्रत्यक्षादिजन्यत्व को अथवा विशेष्यतासम्बन्धावच्छन्न प्रत्यक्षादिनिष्ठकारणता निरूपितसमवाय-सम्बन्धावच्छन्नजन्यत्व को साध्य मानना आवश्यक है ।

कहने का आशय यह है कि यदि सामान्यरूप से प्रत्यक्षादिजन्यत्व को साध्य माना जायगा तो जीवात्मा के प्रत्यक्षादि द्वारा सिद्धसाधन होगा, क्योंकि जीवात्मा के अद्वृट से ही समस्त कार्य की उत्पत्ति होती है । और वह अद्वृट जीवात्मा के प्रत्यक्ष इच्छा और कृति से होनेवाले विहित निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न होता है । अत कार्यमात्र में पूर्वसृष्टि में होनेवाले जीव के प्रत्यक्षादि की अद्वृट द्वारा जन्यता सिद्ध होने से सिद्धसाधन होगा ।

अद्वृटाद्वारक प्रत्यक्षादि जन्यत्व को साध्य मानने पर इस दोष का परिहार होने पर भी जीव के पूर्वसृष्टिगत प्रत्यक्षादि को स्वधर्मसंबन्ध का कारण मान लेने पर कार्यमात्र में जीव के अद्वृटाद्वारक प्रत्यक्षादिजन्यत्व सिद्ध हो जाने से अर्थान्तर हो सकता है । अत समवायसम्बन्ध से कार्य मात्र के प्रति विशेष्यतासम्बन्ध से कर्तृगत उपादान का प्रत्यक्ष, उपादान में कार्य की विकीर्षा और उपादानविषयक कृति कारण होती है । इस कार्यकारणभाव के आधार पर विशेष्यत्वसम्बन्धावच्छन्न-प्रत्यक्षादिनिष्ठकारणतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छन्न जन्यत्व को साध्य मानना आवश्यक है । ऐसा मानने पर पूर्वसृष्टिगत जीवात्मा के प्रत्यक्षादि के द्वारा सिद्धसाधन नहीं हो सकता, क्योंकि द्वचणुकादि के उपादानकारण परमाणु आदि का प्रत्यक्ष जीव को पूर्व सृष्टि में भी नहीं होता और यदि कथञ्चित् अल्लोकिक प्रत्यासन्ति से परमाणु आदि का प्रत्यक्ष जीव को माना जाय तो वह नवीन सृष्टि में होनेवाले द्वचणुकादि का विशेष्यतासम्बन्ध से कारण न हो सकेगा क्योंकि विशेष्यता ज्ञानसमान-कालीन होती है । अतः नवीन सृष्टि के पहले पूर्वसृष्टि का जीवगतप्रत्यक्ष विशेष्यतासम्बन्ध से द्वचणु-कादि के उपादान कारणों में नहीं रह सकता, इसलिये जीवात्मा के प्रत्यक्षादि को लेकर कार्यमात्र में इस परिष्कृत प्रत्यक्षादिजन्यत्वरूप साध्य के सम्बन्ध न होने से जीवात्मा के प्रत्यक्षादिद्वारा सिद्धसाधन या अर्थान्तर नहीं हो सकता ।

[शरीरजन्यत्व उपाधि शंका का समाधान]

इस सन्दर्भ में यह शका हो सकती है—“कार्यत्व हेतु शरीरजन्यत्व रूप उपाधि से ग्रस्त है क्योंकि सकर्तृकृत्वरूपसाध्य घटपटादि जिन कार्यों में सिद्ध है उन में शरीरजन्यत्व भी सिद्ध है, अतः शरीरजन्यत्व सकर्तृकृत्व रूप साध्य का व्यापक है । एव कार्यत्व के आधार अङ्गकुरादि में शरीरजन्यत्व का अभाव होने से वह कार्यत्वरूप साधन का अव्यापक भी है । अत उपाधिग्रस्त होने के कारण प्रस्तुत

**परे तु- स्वोपादानगोचरा स्वजनकादृष्टाऽजनिका या कृतिस्तदजन्यं समवेतं जन्यं
स्वोपादानगोचरस्वजनकादृष्टजनकान्याऽपरोक्षज्ञान-चिकीर्पजन्यम् , कार्यत्वात् । घटादावंशतः**

अनुमान से वादि के अभिमत की सिद्धि नहीं हो सकती । यदि यह कहा जाय कि-‘अङ्गकुरादि में सकर्तृ-कृत्व का सन्देह है किन्तु शरीरजन्यत्व का अभाव निश्चित है अतः शरीरजन्यत्व में साध्यसकर्तृकृत्व की व्यापकता का निश्चय न हो सकने से शरीरजन्यत्व उपाधि नहीं हो सकता ।’ तो यह ठीक नहीं है क्योंकि निश्चित उपाधि न होने पर भी अङ्गकुरादि द्वारा शरीरजन्यत्व में साध्य व्यापकता का सन्देह होने से सन्दिग्धोपाधि का होना अनिवार्य है । यदि यह शका की जाय-‘सन्दिग्धोपाधि होने से भी कोई दोष नहीं हो सकता क्योंकि सन्दिग्धोपाधि के व्यभिचारसन्देह से हेतु में साध्यव्यभिचार का सन्देह ही हो सकता है निश्चय नहीं हो सकता । और व्यभिचार सन्देह व्याप्तिज्ञान विरोधी न होने से हेतु में साध्यव्याप्ति का निश्चय हो कर अनुमिति के होने में कोई बाधा नहीं हो सकती’-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि व्याप्ति ज्ञान के प्रति व्यभिचारनिश्चयत्वरूप से व्यभिचारज्ञान को प्रतिबन्धक मानने से गौरव है । अत लाधव की नृष्टि से व्यभिचारज्ञानत्वरूप से ही व्यभिचारज्ञान व्याप्तिज्ञान का प्रतिबन्धक है अत एव व्यभिचारसशय से भी व्याप्तिनिश्चय का प्रतिबन्ध ही जाने के कारण सन्दिग्धोपाधि का भी अनुमानविरोधित्व अपरिहार्य हैं । यद्यपि सन्दिग्धोपाधि के व्यभिचार के संशय से हेतु में साध्यव्यभिचार का सशय पक्ष में ही होगा, तो भी कोई हाति नहीं है क्योंकि पक्ष और पक्ष-सन्देह के द्वारा भी हेतु में साध्यव्यभिचार का संशय अनुमान में दोष रूप हो सकता है ।

यदि यह शङ्का की जाय ‘‘पक्ष में साध्य का सशय होने के कारण पक्ष द्वारा सर्वत्र ही हेतु में साध्यव्यभिचार का सन्देह हो सकता है, अत व्यभिचार संशय को अनुमान का दोष मानने पर अनुमान मात्र का उच्छ्वेद हो जायगा’’ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पक्ष में साध्यनिश्चय की दशा में हेतु में साध्यव्यभिचार का सशय न होने से सिषाधियिषा से पक्ष में साध्यानुमान हो सकता हैं क्योंकि अनुमिति में पक्षताविवया सिषाधियिषाविरहविशिष्टसिद्ध्यभाव ही कारण होता हैं । फलत शरीरजन्यत्वरूप उपाधि से ग्रस्त होने से प्रस्तृत अनुमान द्वारा ईश्वर को तिद्ध करने की आशा करना दुराशा मात्र है ।’’

—किन्तु विचार करने पर इस अनुमान में शरीरजन्यत्व को लेकर उपाधिग्रस्तता की शङ्का १। औचित्य सिद्ध नहीं होता । क्योंकि कायसामान्य और ज्ञानादिसामान्य में कार्यत्व और ज्ञानत्व आदि रूप से कार्य कारणभाव निश्चित है, क्योंकि इस कार्य कारण भाव में लाधव है । और इस लाधव तर्क के कारण उपाधिसशय कार्यत्व में ज्ञानादिजन्यत्व की व्याप्ति के निश्चय में वाधक नहीं हो सकता । सन्दिग्धोपाधि से हेतु में साध्यव्यभिचार का सशय उसी दशा में होता है जब हेतु में साध्यव्याप्तिका निश्चायक कोई अनुकूल तर्क न हो । और यदि अनुकूल तर्क रहने पर भी सन्दिग्धोपाधि से हेतु में साध्यव्यभिचार का संशय होगा तो पक्षेतरत्वरूप उपाधि की शङ्का होने से पवत में चह्ति के प्रसिद्ध अनुमान का भी उच्छ्वेद हो जायगा । इस प्रकार विचार करने से प्रस्तृत अनुमान के प्रयोग में कोई दोष नहीं है । ऐसा कितनेक विद्वान् कहते हैं ।

(सकर्तृकृत्व-स्वोपादानगोचरस्वजनकादृष्टाऽजनकप्रत्यक्षादिजन्यत्व)

अन्यविद्वान् कार्यं सकर्तृक, कार्यत्वात् इस अनुमान की व्याख्या इस रूप में करते हैं कि प्रकृत अनुमान में संपूर्ण कार्य पक्ष नहीं है किन्तु वह कार्यं पक्ष है जो समवेत होता है और अपने

सिद्धसाधनवारणाय तदजन्यान्तम्, तादृशकृतिजन्यं यत् यत्स्वं तद्विनत्वं तर्दर्थः; नातो द्वय-
गुकादेरुपादानगोचरतादृशकृत्यप्रसिद्धया पक्षत्वाभावप्रसद्गः। तत्र शब्द-फूल्कागदेरपक्षत्वे
संदिग्धसाध्यकत्वेन तत्राऽनैकान्तिकत्वसंशयः स्यात्, अतः प्रतियोगिकोटौ गोचरान्तम्;
शब्दादेमृदुगादिगोचरतादृशकृतिजन्यत्वेऽपि न स्वोपादानगोचरतादृशकृतिजन्यत्वमिति न

उपादान कारण विषयक ऐसी कृति से अजन्य होता है जो उसके जनक अदृष्ट को उत्पादक नहीं होती। ऐसे कार्य को पक्ष बनाने के लिये स्वोपादानगोचर स्वजनकअदृष्टाजनककृति अजन्य समवेतजन्यत्व को पक्षतावच्छेदक मानना आवश्यक होता है। और इस प्रकार के धर्म को पक्षतावच्छेदक बनाने पर सकर्तृकत्वरूप साध्य के स्वरूप को भी बदलना होता है। फलतः सकर्तृकत्व का ग्रन्थ हो जाता है स्वोपादान-गोचरस्वजनकअदृष्टाजनकप्रत्यक्षादिजन्यत्व। इस का आशय यह है कि जो कार्य स्वोपादानगोचर और स्वजनकअदृष्टाजनक प्रत्यक्ष से जन्य होता है तूर्य समवेत होता है वह स्वोपादानगोचर और स्वजनकअदृष्टाजनक प्रत्यक्ष से जन्य होता है। उक्त मूल अनुमान की इस प्रकार व्याख्या कर देने पर पक्षतावच्छेदक का जो स्वरूप प्रस्तुत होता है उस में तोन अंश है जैसे स्वोपादानगोचरस्वजनकअदृष्टाजनककृत्यजन्यत्व, समवेतत्व और जन्यत्व।

इन में प्रथम अशा का त्याग कर देने पर घटादि कार्य भी पक्षान्तर्गत हो जाता है और उन में सकर्तृकत्व सिद्ध है इसलिये अशत सिद्धसाधन अर्थात् पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धि रूप वाधक को उपस्थिति से अनुमितिप्रतिरोध को श्रापति होती है। इस दोष के परिहार के लिये अजन्यत्व-पथन्त अशा का पक्षतावच्छेदक कोटि से सनिवेश आवश्यक है। इस अशा का संनिवेश करने पर घटादि पक्षान्तर्गत नहीं होता है क्योंकि वे स्वोपादानगोचर स्वजनकअदृष्टाजनक कुलाल की कृति से जन्य होते हैं। अजन्यत्वान्त अशा में स्व पद से जन्य को ग्रहण करना अभीष्ट है अजन्य को नहीं। इसलिये अजन्यत्वान्तभाग का अर्थ है स्वोपादानगोचर-स्वजनकअदृष्टाजनक कृति से जन्य जो जो हैं तद तद् भिन्नत्व। यदि स्व पद से अजन्य का ग्रहण किया जायगा तो व्यषुकादि पक्ष न हो सकेगा क्योंकि द्वयणुकादि के उपादान को विषय करनेवाली द्वयणुकादिजनकअदृष्ट को अजनक कोई कृति प्रसिद्ध नहीं है, इसलिये स्वपद से द्वयणुकादि का ग्रहण न हो सकने से वह स्वोपादान गोचर स्वजनकअदृष्टाजनक कृत्यजन्यशब्द से पक्षविधया उपन्यस्त नहीं हो सकता है। फलत उस के कर्ता रूप में ईश्वर की सिद्धि असमव हो जायेगी।

(‘उपादान गोचर’ पदकी सार्थकता)

इस अंश में भी कृति में यदि स्वोपादानगोचर विशेषण न देकर स्व-जनक अदृष्टाजनक कृति-जन्य भिन्नत्व मात्र को ही पक्षतावच्छेदक को कोटि में निवेश किया जायगा तो मृदङ्गादि को बजाने से उत्पन्न होने वाला शब्द और वायु का फुल्कार पक्षान्तर्गत न हो सकेगा। क्योंकि मृदङ्गादि बजाने से उत्पन्न होनेवाला शब्द स्वजनकअदृष्ट के अजनक मृदङ्गादिगोचर मृदङ्गादिवादक कृति से जन्य होने के कारण तादृशकृतिजन्य भिन्न नहीं होगा। क्योंकि फुल्कार भी फुल्कार के निमित्त-भूत यन्त्र विषयक कृति से जन्य है जो कृति फूल्कारजनकअदृष्ट का अजनक है इसलिये वह भी स्वजनकअदृष्टाजनककृतिजन्य भिन्न नहीं है। जब शब्द और फुल्कार पक्ष से वहिर्भूत हो जायेंगे तो उन में साध्य का सन्देह होने से हेतु में साध्यव्यभिचार का सन्देह हो जायगा। किन्तु कृति में स्वोपादानगोचरत्व का निवेश कर देने पर शब्द और फुल्कार को पक्षान्तर्गत होने में कोई वाधा

दोषः । मन्त्रविशेषपाठपूर्वकस्पर्शजन्यकांश्यादिगमनस्य स्पर्शजन्याऽदृष्टद्वारा स्वोपादनकांश्यगो-
चरस्पर्शजनकजन्यकृतिजन्यस्याऽपद्धत्वे तत्र संदिग्धान्मैकान्तिकत्वं स्यात् , एवं स्वोपादानशरी-
रगोचरोर्ध्वंचरणादितपःकृतिजन्यकालशरीरीयगौररूपादौ तत्र स्यात् ; अतस्तत्कोटौ 'स्वजनक०'
इत्यादि, कांश्यचालनाटिकं तु स्वजनकाऽदृष्टजनकजन्यमेवेत्यदोषः । ध्वंस-गग्नैक-
त्वादिवारणाय 'समवेतम्' इति, 'जन्यमि'ति च । शब्द-फूत्कारादौ सिद्धसाधनवारणाय
साध्ये गोचरान्तम् । उक्तकांश्यचालनादौ तद्वारणाय 'स्वजनक०' इत्यादि ।

नहीं होगी, क्योंकि उन के जनक अदृष्ट-अजनिका मृदृगादिगोचर कृति उन के उपादान आकाश और धायु को विषय नहीं करती । अतः वे स्वोपादानगोचर स्वजनकाऽदृष्टाजनक कृति जन्य भिन्न हो जाते हैं ।

[स्वजनकाऽदृष्टाजनक-पद की सार्थकता]

इसी प्रकार यदि कृति में स्वजनक अदृष्टाजनकत्व का सन्निवेश न कर स्वोपादानगोचर कृति जन्यभिन्नत्व मात्र को पक्षतावच्छेदक का घटक माना जायगा तो कांश्य पात्र की वह गति जो मन्त्र-विशेष के पाठ के साथ होनेवाले स्पर्श से उत्पन्न होती है-पक्षान्तर्गत न हो सकेगी । क्योंकि वह भी अपने उपादानभूत काश्यपात्र को विषय करने वाली स्पर्श जनक कृति से जन्य है । अतः वह स्वोपादान गोचर-कृतिजन्यभिन्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार कृष्णवर्ण के शरीर में उत्पन्न होनेवाला वह गौर रूप भी पक्षान्तर्गत न हो सकेगा जो अधोमुख और ऊर्ध्वं पाद की अवस्था में शरीरस्थापनरूप तपश्रयकी कृति से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भी अपने उपादान कारण शरीर को विषय करने वाली ऊर्ध्वं मुख अध पादादि-तप की कृति से जन्य होने के कारण स्वोपादान गोचर कृति जन्य भिन्न नहीं होता है । फलतः कांश्य पात्र की उक्त गति और कृष्णशरीर के उक्त गौर रूप के द्वारा हेतु में साध्य व्यभिचार का सन्देह होने से अनुमिति का प्रतिरोध हो जायगा और कृति में जब स्वजनक अदृष्टाजनकत्व का निवेश करते हैं तब यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि काश्यपात्र की गति काश्यपात्रगोचर स्पष्टजनक कृति से अदृष्ट द्वारा उत्पन्न होती है । और कृष्णशरीर गत उक्त गौर रूप भी स्वोपादानगोचर अधोमुख ऊर्ध्वपादादि रूप तप की कृति से अदृष्ट द्वारा ही उत्पन्न होता है । अतः एव उक्त गति और उक्त रूप स्वोपादानगोचर स्वजनक अदृष्ट जनक कृति से ही जन्य होने के कारण स्वोपादानगोचर स्वजनकाऽदृष्टाजनककृतिजन्य भिन्न होने से पक्षान्तर्गत हो जाते हैं ।

(समवेतत्व और जन्यत्व का उचित निवेश)

दूसरा अश है 'समवेतत्व' । इस अश का पक्षतावच्छेदक कोटि में सन्निवेश न करने पर ध्वंस भी पक्षान्तर्गत हो जाता है । और उसमें साध्य का बाध होने से पक्षतावच्छेदकाऽवच्छेदेन अनुमिति का प्रतिवन्ध हो जाता है । अतः समवेतत्व अंश का पक्षतावच्छेदक कोटि में प्रवेश आवश्यक है ।

तीसरा अंश है 'जन्यत्व'-इस अंश का भी पक्षतावच्छेदक कोटि में संनिवेश आवश्यक है । अन्यथा आकाशगत एकत्व-परिमाणादि नित्य गुण भी पक्षान्तर्गत हो जायेंगे और उन में साध्य का बाध होने से पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति का प्रतिरोध हो जायगा ।

न च साध्ये पक्षे च गोचरान्तद्वयं माऽस्तु, मृदृगादिगोचरकृतिजन्यशब्दादिस्तु पक्षवर्हिभूत एव वृष्टान्तोऽस्तिवति वाच्यम्, अद्विष्टेतरच्यापारद्वाराऽस्मदादिकृतिजन्यत्वसिद्धयाऽर्थान्तरप्रसङ्गवारणाय साध्ये तन्निवेशावश्यकत्वे, शब्दादावनैकान्तिकत्वसंशयवारणाय पक्षेऽपि तदावश्यकत्वात्, तादृशशब्दादिकर्तृतयापि भगवत्सिद्धये पक्षे तन्निवेशेऽशंतः मिद्दसाधनवारणाय साध्ये तन्निवेशावश्यकत्वात्त्वच । एतेन 'स्वजनकाऽदृष्टजनकान्यत्वमप्युभयत्र माऽस्तु' इत्यपास्तम्, तादृशकांश्यचालनादिकर्तृतयाऽपि भगवत्सिद्धयर्थं पक्षे तदुपादाने साध्येऽप्यावश्यकत्वात् । यदि च 'स्वजनकाऽदृष्टजनककृतेन स्वजनकत्वम्, मानाभावात्' इति विभाव्यते, तदा पक्षे तद् नोपादेयम्; साध्ये तु देयमेव, अन्यथा सर्वान्तरीयज्ञानादीनां द्वयणुकावृपादानाऽगोचरत्वेन द्वयणुकादौ सिद्धसाधनाभावेऽप्युक्तकांश्यचालनादावदृष्टजनककृतिजन्यत्वमिद्धयाऽर्थान्तरापत्तेवस्तुगत्या स्वोपादानगोचरकृतिजन्य यत् तत्त्वावच्छिन्नमेद्दृष्टवत्वेन कांश्यचालनादेरपि पक्षान्तर्गतत्वात्' हत्याहुः ।

(कृति में स्वोपादानगोचरत्व का उचित निवेश)

सकर्तृकत्वरूप साध्य को स्वोपादानगोचर स्वजनकभृष्टाजनक प्रत्यक्षादि जन्यत्वरूप में प्रस्तुत किया गया है । यदि साध्य के इस प्रस्तुत रूप में कृति में स्वोपादानगोचरत्व का सनिवेश न किया जायगा तो मृदृगवादनजन्य शब्द और वायुगत फुल्कारादि में स्वजनक अद्विष्ट का अजनक मृदृगादि गोचर प्रत्यक्षादिजन्यत्वके सिद्ध होने से अंशन सिद्धसाधन होगा । अतः उस के वार्ण के लिये साध्य के शरीर में कृति अंश में स्वोपादान गोचरत्व का निवेश आवश्यक है । इसी प्रकार मन्त्रविशेष पाठ्यूर्वक स्पर्श से उत्पन्न होनेवाली कांश्यपात्र की गति में स्व के उपादान काश्यपात्र को विषय करनेवाली स्पर्शजनक कृति का जन्यत्व रहने से और अधोमुख ऊर्ध्वचरणादि रूप तप की कृति से उत्पन्न होनेवाले कृष्णशरीरगत गौररूप में स्वोपादान शरीर गोचर कृति जन्यत्व रहने से अशत सिद्धसाधन होगा । अत इस दोष के निवारणार्थ साध्य के शरीर में कृति अश में स्वजनक-अद्विष्टाजनकत्व का निवेश आवश्यक है । इस निवेश से उक्त अशत सिद्ध साधन दोष का परिहार हो जाता है, क्योंकि काश्यपात्र की गति को उत्पन्न करनेवाली कांश्यविषयिणी स्पर्शजनिका कृति उस गति के जनक अद्विष्ट का जनक होती है-अजनक नहीं होती है । और कृष्ण शरीर में गौररूप उत्पन्न करनेवाले अधोमुख ऊर्ध्वचरणादि रूप तप की कृति भी उक्त रूप के जनक अद्विष्ट का जनक ही होती है अजनक नहीं होती है । अत. काश्य की उक्त गति और कृष्णशरीरगत उक्त गौररूप में स्वोपादानगोचरस्वजनकभृष्टाजनक कृत्यादि जन्यत्व सिद्ध न होने से अशत. सिद्धसाधन नहीं हो सकता है ।

इस सदर्भ में यह प्रश्न हो सकता है कि-“साध्य और पक्ष दोनों ही के शरीर में स्वोपादानगोचरत्व का निवेश न किया जाय और उस निवेश के अभाव में मृदृगादिगोचर कृति से उत्पन्न होनेवाले शब्दादि को पक्ष से बाह्य हृष्टान्त माना जाया, अत. उस के द्वारा हेतु में साध्य के व्यभिचार की शंका कैसे हो सकती है” ?-किन्तु इस प्रश्न के उत्तर में यह कहना पर्याप्त है कि

अन्ये तु द्रव्याणि ज्ञाने-च्छा-कृतिमन्ति, कार्यवच्चात्, कपालवत् । साध्यता
विशेष्यतया, हेतुता च समवायेन, पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुद्देश्यत्वाद् नांशतः

पक्ष मे अहृष्ट से भिन्न किसी व्यापार के द्वारा असमदादि की कृतिजन्यता मान लेने पर अर्थान्तर की प्रसक्ति होगी । अतः उस के वारण के लिये साध्य के शरीर मे स्वोपादानगोचरत्व का निवेश आवश्यक होगा । असमदादि की कृति द्रव्यणुक के उपादान को विषय नहीं करती इसलिये अर्थान्तर की आपत्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार साध्य मे स्वोपादानगोचरत्व का सनिवेश आवश्यक हो जाने पर पक्ष में भी उस का निवेश करना आवश्यक होगा । अन्यथा मृद्गादिवादन से होने वाले शब्द के द्वारा हेतु मे शब्द व्यभिचार की शका की आपत्ति होगी । क्योंकि पक्ष मे स्वोपादानगोचरत्व का निवेश न होने पर उक्त शब्द पक्ष वहिर्भूत हो जाता है और उस मे स्वोपादानगोचर स्वजनक अहृष्टाजनक कृतिजन्यत्वरूप साध्य का सन्देह होता है ।

इस के अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि यदि मृद्गादि से उत्पन्न होनेवाले शब्दादि के कर्त्तारूप में भी परमेश्वर की सिद्धि करनी हो तो उसे पक्षान्तर्गत बनाने के लिये पक्ष मे स्वोपादान-गोचरत्व का निवेश करना होगा, और उस स्थिति मे उसमे स्वोपादान गोचरत्व से अघटित साध्य के सिद्ध होने से अंशतः सिद्धसाधन की आपत्ति होगी, अतः उस के वारणाथ साध्य मे भी स्वोपादानगो-चरत्व का निवेश आवश्यक होगा ।

इस प्रसंग से यह सुझाव कि-'स्वजनक अहृष्टाजनकत्व का सनिवेश साध्य और पक्ष दोनों मे न किया जाय'-उचित नहीं है । क्योंकि काश्यपात्र की उक्त गति और कृष्ण शरीर से उत्पन्न होनेवाले उक्त गौर रूप के कर्त्तारूप मे भी ईश्वर की सिद्धि करने के लिये पक्ष मे कृत्यश मे स्वजनक-अहृष्टाजनकत्व का निवेश करना होगा और उस स्थिति मे साध्य में भी उस अंश के निवेश की आवश्यकता अपरिहार्य होगी । अन्यथा उक्त गति और उक्त रूप मे अंशतः सिद्धसाधन की आपत्ति होगी । यदि यह कहा जाय कि-'स्वजनक अहृष्ट को उत्पन्न करनेवाली कृति स्व का जनक नहीं हो सकती है क्योंकि उसे स्व का कारण मानने मे कोई प्रमाण नहीं है । उस दशा मे पक्ष मे स्वजनक अहृष्टाजनकत्व के निवेश की आवश्यकता न होगी । किन्तु शाब्द मे उस का निवेश करना ही होगा । क्योंकि शाब्द मे उसका निवेश न करने पर पूर्व सर्ग के असमदादिके ज्ञानजन्यत्व को लेकर द्रव्यणुकादि मे सिद्धसाधन नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व सर्गका असमदादि का ज्ञान भी द्रव्यणुकादि के उपादान को विषय नहीं करता"-तब भी उक्त कांशयपात्र की गति मे और कृष्णशरीरगत गौर रूप मे अर्थान्तरकी आपत्ति हो सकती है यदि उन्हें स्वजनक अहृष्ट को उत्पन्न करनेवाली कृति से जन्य मान लिया जाय, क्योंकि स्वोपादानगोचर कृतिजन्य जो जो वस्तु हैं वे सभी वस्तुओं का भेदकुट उक्त गति और उक्त रूप मे विद्यमान हैं । अतः उक्त गति और उक्त रूप भी पक्षान्तर्गत हो जाते हैं ।-यह भी अन्य विद्वानों का मत है ।

[द्रव्यपक्षक कार्यवत्ताहेतुक अनुमान]

अन्य विद्वान कार्य मे सकर्तृकत्व साधक अनुमान का इस रूप मे प्रयोग करते हैं कि-'द्रव्य ज्ञानेच्छाकृतिमान् होते हैं क्योंकि वे कार्यवान् होते हैं जैसे कपाल ।'" इस अनुमान से द्रव्य पक्ष है और

सिद्धसाधनम् । न च वहिरन्द्रियग्राह्यत्वसुपाधिः, अनुकूलतर्केण हेतोव्याप्यतानिर्णये तदनवकाशात् । न च त्रितयस्य मिलितस्य साध्यत्वेऽप्रयोजकत्वम्, मिलितत्वेनाऽहेतुत्वात्, प्रत्येकं साध्यत्वे ज्ञाने-च्छावत्त्वेन साधने सर्गान्तरीयज्ञानादिना सिद्धसाधनमिति वाच्यम्, मिलितत्वेन साध्यत्वेऽपि कार्यकारणभावत्रयस्य प्रयोजकत्वात् । 'सर्गाद्यकालीनं द्रव्यं ज्ञानवत्' कार्यत्वात्, पक्षतावच्छेदककालावच्छेदेन साध्यसिद्धेः-इत्यप्याहुः ।

ज्ञान इच्छा और कृति विशेष्यता सम्बन्ध से साध्य है और कार्य समवाय सम्बन्ध से हेतु है । तथा है कि समवाय सम्बन्ध कोई भी कार्य द्रव्य में ही होता है । और जो कार्य जिस द्रव्य में होता है उस द्रव्य में उस कार्य के उपादान भूत द्रव्य का ज्ञान और उस के उपादान भूत द्रव्य में उस कार्य की विकीर्षा और उस कार्य के उपादानभूत द्रव्य को विषय करनेवाली उस कार्य की विवायिका कृति विशेष्यता सम्बन्ध से रहती है । इस अनुमान में अशत्. सिद्धसाधन की प्रसक्ति प्रतीत होती है क्योंकि पक्ष के अन्तर्गत ज्ञानेवाले कपालादि द्रव्यों में घट के उत्पादक ज्ञान इच्छा और प्रयत्न विशेष्यता सम्बन्ध से सिद्ध है । किन्तु यह अन्तः सिद्ध साधन इस अनुमान को दूषित नहीं कर सकता, क्योंकि उस में पक्षतावच्छेदकीभूतद्रव्यत्वावच्छेदेन साध्य की सिद्धि उद्देश्य है । इसलिये पक्षतावच्छेदक से आक्रान्त होने वाले द्रव्यों में परमाणु और द्वयणुक भी आते हैं और उन में क्रम से द्वयणुक और त्रयणुक के उत्पादक ज्ञानेच्छाकृति विशेष्यता सम्बन्ध से सिद्ध नहीं है, क्योंकि परमाणु और द्वयणुक अस्मदादि के ज्ञान इच्छा प्रयत्न के विषय नहीं होते हैं । अतः उन में विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ञानेच्छाकृति की सिद्धि ईश्वर के ज्ञानादि द्वारा ही हो सकती है ।

इस अनुमान में वहिरन्द्रियग्राह्यत्व को उपाधित्व समावित है, क्योंकि ज्ञानेच्छाकृतिरूप साध्य विशेष्यतासम्बन्ध से जिन कपालादि द्रव्यों में सिद्ध है उन में वहिरन्द्रियग्राह्यत्व है । इसलिये वह साध्य का व्यापक है । और कार्यरूप साधन समवाय सम्बन्ध से परमाणु और द्वयणुकादि में भी है किन्तु उस में वहिरन्द्रियग्राह्यत्व नहीं है इसलिये वह साधन का व्यापक भी है । किन्तु इस उपाधि से प्रस्तुत अनुमान का विरोध नहीं हो सकता क्योंकि कार्य को यदि ज्ञानेच्छाकृति का व्यभिचारी माना जायगा तो कार्य के प्रति ज्ञानादि की सर्वसम्मत कारणता का लोप हो जायगा । इस अनुकूल तर्क से कार्यात्मक हेतु में ज्ञानेच्छाकृति रूप साध्य की व्याप्ति का निर्णय उक्त उपाधि के द्वारा अवरुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अनुकूल तर्क के अभाव में ही उपाधि-व्यभिचार से हेतु में साध्य-व्यभिचार की अनुमिति होने से हेतु में साध्य व्याप्ति के निर्णय का प्रतिरोध हो कर अनुमिति का अवरोध होता है जो प्रस्तुत अनुमान में कार्यसामान्य के प्रति ज्ञानेच्छाकृति के सर्वसम्मत कारणता रूप अनुकूलतर्क के नाते सम्भव नहीं है ।

(मीलित या पृथक् ज्ञानादि की साध्यता पर आक्षेप)

इस अनुमान में यह शंका हो सकती है कि—“ज्ञानेच्छाकृति इन तीनों को मीलितरूप में साध्य माना जायगा तो अप्रयोजक-व दोष होगा अर्थात् कार्यात्मक हेतु तीनों को मीलित रूप में सिद्ध न कर सकेगा क्योंकि कार्य के प्रति ज्ञानेच्छाकृति को मीलितरूपसे कारणता न मानकर पृथक् पृथक् ही कारणता मानी जाती है । और यदि ज्ञानेच्छाकृति को अलग अलग साध्य माना जाय तो द्रव्य में विशेष्यता

‘क्षित्यादिकं सकर्तुंकं कार्यत्वात्’ इत्येवाऽनुमानम्, प्रकृतविचारानुकूलविवाद-विषयत्वेन च क्षित्यादीनामनुगमः, सकर्तुंकत्वं च प्रतिनियतकर्तुंनिरूपितः संवन्धो व्यवहार-साक्षिको घटादिवृष्टान्तवृत्ते नित्यवर्गव्यावृत्ते इति नानुपपत्तिः-इत्यपि केचित् ।

सम्बन्ध से ज्ञान और इच्छा का साधन करने पर पूर्व सर्ग के योगिज्ञान और इच्छा को लेकर सिद्ध-साधन हो जायगा । क्योंकि पूर्व सर्ग मे सामान्य मनुष्यों को परमाणु और द्वयणुक का प्रत्यक्षज्ञान और उन मे द्वयणुक और त्र्यणुक रूप कार्य की चिकीर्षा न होने पर भी योगी को परमाणु और द्वयणुक का ज्ञान और उन मे द्वयणुक और त्र्यणुकरूप कार्य की चिकीर्षा योगबल से अवश्य हो सकती हैं । इस प्रकार पूर्व सर्ग के योगीज्ञान और योगी की इच्छा को लेकर सिद्धसाधन की प्रसिद्धि होगी ।—” किन्तु विचार करने पर यह शंका उचित नहीं प्रतीत होती है क्योंकि ज्ञानेच्छाकृति को मिलितरूप से साध्य मानने पर भी अप्रयोजकत्व दोष नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानेच्छाकृति तीनों मे मीलित रूप से कार्य के प्रति एक कारणता न होने पर भी उन तीनों मे कार्य की जो पृथक् पृथक् तीन कारणताएँ हैं यह ही प्रयोजक हो जायगी । क्योंकि कार्य यदि मीलित तीनों का व्यभिचारी होगा तो भी उक्त तीनों कारणताओं के लोप की आपत्ति होगी ।

कुछ विद्वान उक्त आपत्ति के भय से प्रकृत अनुमान का अन्य रूप मे प्रयोग करते हैं । जैसे सृष्टि के आरभ काल में स्थित द्रव्य विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ञानवान् है, क्योंकि उस मे समवायसम्बन्ध से कार्य होता है । इस प्रकार के अनुमान मे पूर्वसर्ग के योगीज्ञान के द्वारा सिद्धसाधन की आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि इस अनुमान मे सृष्टि का आरभकाल पक्षतावच्छेदक है और तत्कालावच्छेदेन ज्ञान की सिद्धि उद्देश्य है । पूर्व सर्ग का ज्ञान परमाणु आदि द्रव्यो मे सृष्टिके आरम्भकालावच्छेदेन नहीं रह सकता क्योंकि सृष्टि के आरंभकाल मे पूर्वसर्ग का ज्ञान विद्यमान नहीं होता ।

[क्षित्यादि-पक्षक अनुमान]

कृतिपय विद्वान ‘कार्यं सकर्तुंकं कार्यत्वात्-इस प्रकार के अनुमान का प्रयोग न कर ‘क्षित्यादिक सकर्तुंकं कार्यत्वात्’ इसी प्रकार के अनुमान का प्रयोग करते हैं । उनके अनुसार-क्षित्यड्कुरादि अनेक कार्यों का अनुगम, प्रकृत विचार का प्रयोजक जो विवाद, उस विवाद के विषयत्वरूप से हो जाता है । अतः क्षिति आदि ताहशविवादविषयत्वरूप एक अनुगत धर्म के द्वारा पक्ष बन जाते हैं । इसलिये क्षितित्व अड्कुरत्वादि धर्मोंके अननुगत होने पर भी उन सभी को पक्ष होने मे कोई वाधा नहीं होती । उन विद्वानोंके अनुसार सकर्तुंकत्वरूप साध्य भी कर्तुंजन्यत्वं या कृतिजन्यत्वरूप न होकर कर्तुंनिरूपित सम्बन्धरूप होता है जो कि ‘अमुक कार्य अमुककर्तुंमान है’ इस व्यवहार से सिद्ध है, और नित्य पदार्थों मे नहीं रहता क्योंकि नित्यपदार्थों मे ‘कर्तुंमान’ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता । कर्ता का यह सम्बन्ध घट आदि दृष्टान्त मे सिद्ध है, क्योंकि ‘घट कर्तुंमान-घट कर्तुंमान’ इस प्रकार का व्यवहार सर्वमान्य है । इस प्रकार ‘क्षित्यादिकं सकर्तुंकं’ इस अनुमान से क्षिति अड्कुरादि कार्यों मे कर्ता का नियत सम्बन्ध सिद्ध होता है । और वह सम्बन्ध अस्मदादि को कर्ता मानकर नहीं उत्पन्न हो सकता । क्योंकि ‘क्षित्यादिकं अस्मदादिकर्तुंकं’ यह व्यवहार नहीं होता । अतः उक्त अनुमान द्वारा क्षित्यादि मे कर्तुंसम्बन्ध की उत्पत्ति ईश्वरद्वारा हो की जा सकती है । फलतः उक्त अनुमान द्वारा क्षित्यादि के कर्ता रूप मे ईश्वर की सिद्धि निर्विवाद है ।

आयोजनादपि । 'सर्वादिकालीनद्वयणुककर्म प्रयत्नजन्यम्, कर्मत्वात्, अस्मदादि-
शरीरकर्मवत्'- इत्यनुमानात् । परमाणोरेव तावश्प्रयत्नवच्चे जडताहानिः स्यात् ।

अदृष्टं तु तत्र दृष्टहेत्वनपेक्षं न हेतुः, तथात्वे दृष्टहेतूछेदापत्तेः, कर्मण एवाऽनुत्प-

(आयोजन-द्वयणुकजनकक्रिया-हेतुक अनुमान)

'कार्यायोजनधृत्यादेः' इस पूर्व निर्दिष्ट कारिका में आयोजने को भी ईश्वर का अनुभापक बताया गया है । आयोजन द्वारा ईश्वर का जो अनुमान अभिमत है उसका प्रयोग इस रूप में होता है कि- 'सृष्टि के प्रारम्भ काल में उत्पन्न होने वाले द्वयणुक की उत्पत्ति जिस परमाणु-कर्म से होती है वह कर्म प्रयत्नजन्य है, क्योंकि वह एक कर्म है । जो भी कर्म होता है वह प्रयत्नजन्य होता है, जैसे- अस्मदादिके शरीर में होनेवाला कर्म' । आशय यह है कि सृष्टि के आरम्भ में जब द्वयणुक की उत्पत्ति होती है तब जिन परमाणुओं के संयोग से द्वयणुक की उत्पत्ति होती है उन परमाणुओं में से किसी एक परमाणु में ईश्वर के प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होता है और उस कर्म से उस परमाणु का पूर्व देश के साथ विमाग और पूर्व देश के साथ विद्यमान संयोग का नाश होकर दूसरे परमाणु के साथ उसका संयोग होता है । उसके बाद उस संयोग से द्वयणुक की उत्पत्ति और उस संयोग को उत्पन्न करने वाले परमाणु-कर्म का नाश साथ ही होता है । यदि ईश्वर का अस्तित्व न माना जायगा तो वो परमाणुओं में संयोग उत्पन्न करनेवाला कर्म न हो सकेगा । फलतः द्वयणुक की उत्पत्ति न हो सकने से सृष्टि का निर्माण असम्भव हो जायगा । अतः उक्त अनुमान के द्वारा सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होने वाले द्वयणुक की उत्पत्ति के लिये अपेक्षित परमाणुद्वयसंयोग को संपन्न करने के लिये परमाणु में जो कर्म अपेक्षित है उस कर्म के कारणरूप में जो प्रयत्न सिद्ध होता है उस प्रयत्न का आश्रय कोई जीव नहीं है सकता क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में जीव अशरीर होता है और अशरीर जीव में प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः उस प्रयत्न के आश्रय रूप में ईश्वर की सिद्धि आवश्यक है । यदि यह कहा जाय कि-'दो परमाणुओं को संयुक्त करनेवाला परमाणु कर्म परमाणु के ही प्रयत्न से उत्पन्न होता है' तो यह ठीक नहीं है क्योंकि परमाणु को प्रयत्नवान् मानने पर उसे चेतन ही मानना होगा क्योंकि प्रयत्न की उत्पत्ति चेतन में ही होती है । फलतः परमाणु की जडता समाप्त हो जायगी जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि सभी परमाणु चेतन-होंगे तो उनकी अलग अलग इच्छाएँ होंगी । फलतः उनके विचारों और इच्छाओं में सामञ्जस्य न होने के कारण उन के द्वारा सुव्यवस्थित सृष्टि का निर्माण न हो सकेगा ।

[अदृष्ट से परमाणुक्रिया को उत्पत्ति को आशंका]

आयोजनके आधार पर प्रस्तुत प्रकृत अनुमान के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि-'सृष्टि के आरम्भ में द्वयणुक के आरम्भक परमाणुद्वय के संयोग का जनक परमाणुकर्म प्रयत्न से नहीं उत्पन्न होता है किन्तु अदृष्ट से ही उत्पन्न होता है । इसलिये प्रकृत अनुमान से ईश्वर को सिद्ध नहीं हो सकती'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अदृष्ट दृष्टहेतु से निरपेक्ष होकर उस कर्म का 'कारण नहीं हो सकता । यदि दृष्ट हेतु की अपेक्षा किये बिना भी अदृष्ट को कारण भाना जायगा तो सर्वत्र अदृष्ट से ही सभी कार्यों की उत्पत्ति हो जाने से दृष्टकारण का सर्वथा लौप्त ही जायगा । फलतः जिस कर्म को अदृष्ट से जन्य बताया जा रहा है उस कर्म को ही उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह कर्म जिस

त्तिप्रसङ्गात् । 'चेष्टात्वमुपाधि'रिति चेत् १ किं तत् ? 'प्रयत्नजन्यक्रियात्वमि'ति चेत् ? न तत्रैव तस्यैवाऽनुपाधित्वात् । 'हिता-उहितप्राप्ति-परिहारफलत्वमि'ति चेत् १ न; विषभक्षणा-उहिलड्घ-नाद्यव्यापनात् । 'शरीरसमवायिक्रियात्वं तदि'ति चेत् १ न, मृतशरीरक्रियाया अतथात्वात् । 'जीवत्' इति चेत् १ न, नेत्रस्पन्दादेरतथात्वात् । 'स्पर्शवद्व्यान्तराऽप्रेरणे संति शरीर-क्रियात्वं तत्, शरीरपदोपादानाद् न उवलन-पक्नादिक्रियाऽतिव्याप्तिरिति चेत् १ न, शरीरत्वस्य चेष्टात्वं=सामान्यविशेषी, यत् उन्नीयते प्रयत्नपूर्विकेयं क्रिये'ति चेत् १ न, क्रियामात्रेण तदुन्नयनात् ।

परमाणुद्वय के संयोग के लिये अपेक्षित है वह संयोग सीधे अट्टष्ट से ही उत्पन्न हो जायगा । बीच में कर्म को कोई आवश्यकता न रह जायगा । अतः उक्त परमाणु कर्म को सीधे अट्टष्ट से जन्य न मानेकर प्रयत्न से जन्य मानना आवश्यक है ।

(चेष्टात्व उपाधि को आशंका)

इस संदर्भ में यह शंका हो सकती है कि-'प्रकृत अनुमान चेष्टात्वरूप उपाधि से ग्रस्त है क्योंकि चेष्टात्व कर्मत्वरूप साधन से विशिष्ट प्रयत्नजन्यत्व साध्य का व्यापक है क्योंकि प्रयत्नजन्य सभी कर्मों में चेष्टात्व रहता है, और साधन का अव्यापक है क्योंकि कर्मत्वरूप साधन घटादिगत कर्म-में भी रहता है और चेष्टात्व उसमें नहीं रहता । अतः चेष्टात्व साधनावक्त्तुन्नसाध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक होने से उपाधि है-' । किन्तु चेष्टात्व का निर्वचन न होने के कारण चेष्टात्व को उपाधि कहना ठीक नहीं है । जसे चेष्टा का अर्थ यदि प्रयत्नजन्यक्रिया किया जायगा तो साध्य और उपाधि एक ही हो जायेगा । क्योंकि सृष्टि के आरम्भकाल में उत्पन्न होनेवाले द्वयणुक के उत्पादक परमाणुद्वय संयोग के जनक परमाणु कर्म को प्रयत्नजन्य मानने पर फलत प्रयत्नजन्यक्रियात्व द्वी साध्य होता है और वही चेष्टात्व है । इसलिए चेष्टात्व अपने ही प्रति उपाधि नहीं हो सकता । साध्य साधन का व्यापक होता है अतः साध्य से अभिन्न होने के कारण चेष्टात्व भी साधन का व्यापक ही होगा । जब कि उपाधि होने के लिये साधन का अव्यापक होना आवश्यक है । यदि यह कहा जाय कि-'हित की प्राप्ति और अहित के परिहार की उत्पादक क्रिया चेष्टा है । अतः साध्य और चेष्टात्व में भेद ही जाने से चेष्टात्व के उपाधि होने में कोई बाधा नहीं हो सकती ।'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि विषभक्षण रूप क्रिया और सर्पलङ्घन रूप क्रिया भी चेष्टा है । किन्तु चेष्टा का उक्त प्रकार से निर्वचन करने पर विषभक्षण और सर्पलङ्घन रूप क्रियाएँ चेष्टा न हो सकेगी, क्योंकि विषभक्षण आदि क्रियाएँ मृत्यु का जनक होने से अहित परिहार की जनक नहीं है । 'शरीर में समवायं सम्बन्ध से रहने वाली क्रिया का नाम चेष्टा है-' इस प्रकार भी चेष्टा का निर्वचन उचित नहीं हो सकता क्योंकि मृत शरीर में किसी स्पर्शवान् वेगवान् द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होने वाली क्रिया भी चेष्टा के उक्त निर्वचन को परिधि में आ जाने से वह भी चेष्टा शब्द से व्यवहृत होने लगेगी । 'जीवित शरीर में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली क्रिया चेष्टा है'-इस रूप में भी चेष्टा का निर्वचन नहीं हो सकता क्योंकि नेत्र का स्पन्दन और वातव्याधि से हस्तपादादि में होने वाला कम्पन भी शरीरसमर्वत क्रियारूप होने से चेष्टा हो जायगी ।

धृतेरपि । 'ब्रह्माण्डादिपतनाभावः पतनप्रतिबन्धकप्रयुक्तः, धृतिन्वात्, उत्पतत्पतत्रिपतनाभाववत्, तत्पतत्रिसंयुक्तत्रुणादिधृतिवद् वा' । एतेनेन्द्रा-इग्नि-यमादिलोकपालप्रतिपादका आगमा अपि व्याख्याताः, तेषां तदधिष्ठानदेशानामीश्वरवेशेनैव पतनाभाववत्त्वात् । तथा च श्रुतिः "एतस्य चाक्षरस्य प्रशासनं गार्गी द्यावापृथिवी विधृते तिष्ठतः" इति । प्रशासनं दण्डभूतः प्रयत्नः, आवेशस्तच्छरीरावच्छच्चप्रयत्नवत्त्वमेव, सर्वावेशनिवन्धन एव च सर्वतादात्म्यव्यवहार इति, "आत्मैवेदं सर्वम्, ब्रह्मैवेदं सर्वम्" इत्यादिकम् ।

यदि यह कहा जाय कि-'स्पर्शवान् अन्य द्रव्य के संयोग के विना उत्पन्न होने वाली शरीर को क्रिया चेष्टा है'-तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इस निर्वचन में शरीर पद का ग्रहण होने से यद्यपि ज्वलन और पवन आदि की क्रिया में चेष्टात्व का वारण हो जाता है क्योंकि वह क्रिया अस्पर्शवान् अन्य द्रव्य के संयोग से अनुत्पन्न होने पर भी शरीर समवेत नहीं होती क्योंकि ज्वलन और पवन किसी का शरीर नहीं है, तथापि चेष्टा के इस निर्वचन में शरीर का शरीरत्वेन निवेश है और शरीरत्व चेष्टाश्रयत्वरूप है । इसलिये चेष्टा के लक्षण में चेष्टा का प्रवेश हो जाने से आत्माश्रय दोष लगेगा । यदि यह कहा जाय कि-'चेष्टात्व एक सामान्यविशेष=परम्परा जाति है, जिससे 'इय क्रिया प्रयत्नपूर्विका-यह क्रिया प्रयत्नजन्य हैं क्योंकि चेष्टारूप है' यह अनुमान होता है' । -तो यह ठीक नहीं हैं क्योंकि क्रिया में प्रयत्नपूर्वकत्व का अनुमान क्रिया के सामान्य रूप क्रियात्व से भी हो सकता है । अत क्रिया में प्रयत्नपूर्वकत्व की अनुमापकता के अवच्छेदकरूप से भी चेष्टात्व की सिद्धि मानकर सामान्य विशेष रूप में चेष्टात्व का निर्वचन नहीं हो सकता । आशय यह है कि ईश्वरवादी के मत में सभी क्रिया में ईश्वरप्रयत्नपूर्वकत्व होने से क्रियात्व भी प्रयत्नपूर्वकत्व का व्याप्त हो सकता है । इसलिये क्रियात्व से ही प्रयत्नपूर्वकत्व का अनुमान हो सकने के कारण प्रयत्नपूर्वकत्व के अनुमापकतावच्छेदक रूप में चेष्टात्व को मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती ।

(ब्रह्माण्डधृति-पतनाभावपक्षक अनुमान)

धृतेरपि=धृति से भी ईश्वर का अनुमान होता है । धृति का अर्थ है पतन का अभाव । उस से होनेवाले अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है जैसे-ब्रह्माण्ड आदि गुरुद्रव्यो के पतन का अभाव पतन के किसी प्रतिबन्धक से प्रयुक्त है क्योंकि वह गुरु द्रव्यो के पतन का अभाव रूप है । गुरुद्रव्यो का जो पतनाभाव होता है वह पतन के किसी प्रतिबन्धक से प्रयुक्त होता है जैसे उडते हुए पक्षी के पतन का अभाव उस पक्षी के प्रयत्नरूप प्रतिबन्धक से प्रयुक्त होता है । एवं उडते हुए पक्षी से पकड़े हुए तृणादि के पतन का अभाव तृण के साथ उस पक्षी के संयोगरूप प्रतिबन्धक से प्रयुक्त है । आशय यह है कि जिस द्रव्य में गुरुत्व होता है उस का पतन अर्थात् नीचे की ओर गमन अवश्य होता है, यदि स्थान-विशेष में उस को रोक रखनेवाला कोई पदार्थ न हो । इस रोकनेवाले पदार्थ को ही पतन का प्रतिबन्धक कहा जाता है जैसे वृक्ष की शाखा में लगे हुए फलों का गुरुत्व होने पर भी पतन नहीं होता क्योंकि शाखाके साथ फल का संयोग फलकों रोक रखता है । वह उस में पतनक्रिया उत्पन्न नहीं होने देता है । इसी प्रकार जब कोई पक्षी आकाश में उडता हुआ होता है तो उस उडते हुए पक्षी के शरीर में भी गुरुत्व है । इसलिये उस गुरुत्व के कारण उस का पतन हो जाना चाहिये किन्तु उस का पतन

इसलिये नहीं होता कि पक्षी का शरीर पक्षी की आत्मा में विद्यमान प्रयत्न से धारित रहता है । अर्थात् पक्षी की आत्मा का प्रयत्न स्वाश्रयसंयोगसम्बन्ध से अथवा अवच्छेदकता सम्बन्ध से पतन का प्रतिवन्धक होता है । इसीप्रकार आकाश में उड़ते हुए पक्षी द्वारा चोच में रखे हुए काष्ठखण्ड अथवा फल आदि में भी गुरुत्व है और गुरुत्व के कारण उस का भी पतन हो जाना चाहिये किन्तु उस का पतन इसलिये नहीं होता कि उन के पतन का कोई न कोई प्रतिवन्धक है । इसी प्रकार ब्रह्माण्डादि द्रव्य भी गुरु है, अतः गुरुत्व के कारण उनका भी अपने स्थान से पतन हो जाना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता अपि तु वे अपने निश्चित स्थान में अवस्थित रहते हैं । अत उन के पतन का भी विरोधी कोई न कोई होना चाहिये । ब्रह्माण्डादि किसी जीव का शरीर नहीं है इसलिये उड़ते हुए पक्षी के शरीर के समान उस का धारण संभव नहीं है । किन्तु जैसे उड़ते हुए पक्षी द्वारा पकड़े गये तृणकाष्ठ आदि का धारण प्रयत्नशील पक्षी के संयोग से होता है उसी प्रकार ब्रह्माण्ड आदि का भी धारण किसी प्रयत्नशील के संयोग से ही मानना होगा । वह प्रयत्नशील कोई जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव में प्रयत्न का उदय जीवके शरीर होने पर ही होता है और ब्रह्माण्ड तो जीव के सशरीर होने के पूर्व भी रहता है । अतः एव उसे किसी ऐसे ही पुरुष के संयोग से धारित मानना होगा जो पुरुष शरीर के बिना भी प्रयत्नवान् हो सके । इस प्रकार जिस के प्रयत्न से ब्रह्माण्ड आदि का पतन नहीं हो पाता वह ईश्वर से अन्य कोई नहीं हो सकता ।

(इन्द्रादि देवताओं से सिद्धसाधनता को आशंका)

आगमो-पुराणादिशास्त्रों में इन्द्र, श्रग्नि, यम आदि देवताओं को लोकपाल कहा गया है । अर्थात् उन्ह मिन्न भिन्न लोक का धारक बताया गया है । ईश्वर को ब्रह्माण्डादि का धारक मानने पर यह समस्या ऊठती है कि- जिन लोकों का धारक इन्द्रादि देवताओं को बताया गया है उन का धारण भी ईश्वर से ही हो जायगा । फिर उन लोकों के धारणार्थ इन्द्रादि देवताओं की कल्पना अनावश्यक है, अथवा इस प्रकार की समस्या हो सकती है कि आगमो के अनुसार इन्द्रादि देवताओं के द्वारा ही संपूर्ण लोक का धारण होने से उनके सामूहिक प्रयत्न से ब्रह्माण्ड का भी धारण हो सकने के कारण ब्रह्माण्ड आदि के धारण के निमित्त ईश्वर की कल्पना अनावश्यक है ।' किन्तु इन समस्याओं का समाधान अत्यंत सरल है । और वह यह है कि इन्द्रादि देवताओं से धारण किये गये लोकों का भी धारक ईश्वर ही है । इन्द्रादि में उन लोकों के धारण करने की जो वात कही गई है वह भी उन-देवताओं में ईश्वर के आवेश पर निर्भर हैं । अभिप्राय यह है कि ईश्वर ही इन्द्रादि शरीर में अन्विष्ट हो कर समस्त लोकों का धारक होता है । यदि ईश्वर का अस्तित्व न हो तो इन्द्रादि भी उन उन लोकों के धारण में उसी प्रकार समर्थ नहीं होता ।

वेद भी ईश्वर को ही द्युलोक-पृथ्वीलोक आदि का धारक बताता है । जैसे एतस्य च अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावापृथिवी विघ्ने तिष्ठत ।' इस वेद वावय में गार्गी नामक महिला को सम्बोधित कर यह कहा गया है कि कभी भी अपने स्वरूप से च्युत न होनेवाले परमेश्वर के प्रशासन में ही द्युलोक और पृथ्वी लोक अपने स्थल से पतित न होते हुए स्थित हैं । इस में प्रशासन शब्द का अर्थ धारण करनेवाला प्रयत्न है । इस प्रकार वेद के अनुसार समस्त लोक ईश्वर के प्रयत्न से हि धारित हैं यह सिद्ध होता है । अभी जो यह वात कही गई कि इन्द्रादि देवता में ईश्वर का श्रावेश होने से उन में लोकधारकत्व माना जाता है । उस में श्रावेश का अर्थ इन्द्रादि शरीर के द्वारा प्रयत्नवान्

आदिना नाशादपि, 'ब्रह्माण्डनाशः प्रयत्नजन्यः, नाशत्वात्, पाठ्यमानपटनाशवद् हृति ।

कहना सहृगत नहीं प्रतीत होता किन्तु कथन का यह आशय है कि ईश्वर के प्रयत्न से इन्द्रादि शरीर में लोकवारक व्यापार का उदय होता है और उस व्यापार से लोक का धारण होता है । अर्जुनुसार इन्द्रादि से ईश्वर का आविष्ट होने का अर्थ हैं इन्द्रादि के शरीर को अपने प्रयत्न से सक्रिय बनाना ।

ईश्वर का आवेश केवल इन्द्रादि देवताओं से ही नहीं होता अपितु संपूर्ण पदार्थों में होता है । इसीलिये ईश्वर में संपूर्ण पदार्थों के तादात्म्य का अथवा संपूर्ण पदार्थों में ईश्वर के तादात्म्य का व्यवहार होता है । जैसा कि 'आत्मवेदं सर्वं'-यह सब कुछ आत्मा ही है । 'ब्रह्मवेदं सर्वं'-यह संपूर्ण जगत् ब्रह्मस्वरूप ही है इत्यादि शास्त्रवचनों से स्पष्ट है । अभिप्राय यह है कि जैसे शरीर में आत्म-प्रयत्न से क्रिया का उदय होने के कारण शरीर को आत्मा से आविष्ट मानकर शरीर और आत्मा में 'स्थूलोऽहं करोमि' इत्यादि सम्बन्ध से तादात्म्यरूप व्यवहार होता है । उसी प्रकार ईश्वर के प्रयत्न से संपूर्ण जगत् में अवस्थिति रूप क्रिया का उदय होने से संपूर्ण जगत् में ईश्वर का आवेश होता हैं और उस से 'ब्रह्मवेदं सर्वं' इस प्रकार संपूर्ण जगत् में ईश्वर के तादात्म्य का व्यवहार होता है ।

(ब्रह्माण्डप्रलय से ईश्वर की सिद्धि का अनुमान)

'कार्याद्योजनधृत्यादे.'-इस पूर्व चर्चित कारिका मे धृति' शब्द के साथ 'आदि' शब्द पठित है । उस आदि शब्द से नाशरूप अर्थ को 'सूचना होती है । इसलिये इस कारिका से यह भी ज्ञात होता है कि नाश के कर्तारूप में भी ईश्वर को प्रतीति होती है । जैसे घट पट आदि का नाश तो सामान्य मनुष्यों के प्रयत्न से भी हो जाता है । किन्तु ब्रह्माण्ड जिस मे अनेक विशाल लोक आश्रित है उस का नाश भी शास्त्रों में वर्णित है; वह नाश सामान्य मनुष्य के प्रयत्न से नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्माण्ड की रचना की विधि जैसे सामान्य मनुष्य को ज्ञात नहीं होती उसी प्रकार उस के नाश की विधि भी सामान्य मनुष्य को ज्ञात नहीं हो सकती इसलिये ब्रह्माण्ड के नाश के लिये प्रयत्नशील होने का स्वप्न भी वह नहीं देख सकता । अतः उस ब्रह्माण्ड का नाश जिस के प्रयत्न से हो सकता है वह ईश्वर से अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता । ब्रह्माण्डनाश द्वारा होने वाले अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है कि 'ब्रह्माण्डनाश प्रयत्न से जन्य है क्योंकि वह नाश है । जो भी नाश होता है वह प्रयत्न से जन्य होता है । जैसे पट के टूकडे करने पर होनेवाला पट का नाश ।' इस अनुमान मे पक्षाऽसिद्धि की शंका नहीं की जा सकती क्योंकि ब्रह्माण्ड का नाश शास्त्रों से वर्णित है । अथवा 'ब्रह्माण्डम् नाशप्रतियोगी, जन्यभावत्वात्'=ब्रह्माण्ड भी नष्ट होता है क्योंकि वह जन्य भाव है, जो भी जन्य भाव होता है वह नष्ट होता है—जैसे घटपटादि' । इस अनुमान से भी ब्रह्माण्ड का नाश सिद्ध है । अतः एव पक्षाऽसिद्धि नहीं हो सकती । शका—'पट समूह के ऊपर जलता हुआ अड़गारा पड़ जाने पर पट समूह का नाश हो जाता है, समुद्र में तूफान या झूकप अनि पर सहस्रों भवन आदि का नाश हो जाता है । यह नाश किसी प्रयत्न से नहीं होता यह स्पष्ट है । इसलिये इस प्रकार के नाशों में नाशत्वं प्रयत्नजन्यरूप का व्यभिचारी हो जाता है । अतः नाशत्वं हेतु से ब्रह्माण्ड नाश में प्रयत्न जन्यरूप का अनुमान अशेष है ।"—इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकती क्योंकि ईश्वरवादी ऐसे भासीं को 'भी ईश्वर प्रयत्न से ही सम्पन्न मानते हैं । अतः ऐसे नाश भी पक्षतुल्य होते हैं । अतः एव उनके द्वारा नाशरूप को प्रयत्नजन्यरूप का व्यभिचारी नहीं कहा जा सकता ।

पदादपि । पद्यते गम्यतेऽनेनेति पदं=व्यवहारः, ततः 'घटादिव्यवहारः स्वतन्त्र-
पुरुषप्रयोज्यः, व्यवहारत्वात् आधुनिककल्पतलिप्यादिव्यवहारवत्' इत्यनुमानात्, न च पूर्व-
पूर्वकुलालादिनैवाऽन्यथासिद्धिः, प्रलयेन तद्विच्छेदात् ।

[व्यवहार प्रवर्तक रूप में ईश्वरसिद्धि]

पद से भी ईश्वर का अनुमान 'होता' है । पद शब्द की व्युत्पत्ति है 'पद्यते=गम्यते-ज्ञायते
अनेनेति पदम्' । अर्थात् जिस से पदार्थ ज्ञात हो उसे का नाम है पद । इस व्युत्पत्ति के अनुसार पद
शब्द का अर्थ है व्यवहार । और व्यवहार का अर्थ है तद् तद् अर्थों में परम्परा से प्रयुक्त होनेवाला
तद् तद् शब्द, जैसे घटरूप अर्थ में सुदीर्घ परंपरा से प्रयुक्त होनेवाला घट शब्द एवं पट रूप अर्थ
में सुदीर्घ परंपरा से प्रयुक्त होनेवाला पट शब्द आदि । इस व्यवहार के द्वारा जो ईश्वरानुमान
अभिमत है उस का प्रयोग इस प्रकार होता है—“घट आदि अर्थों में प्रयुक्त होनेवाला घट आदि शब्द-
रूप व्यवहार किसी स्वतन्त्र पुरुष से प्रवर्तित हुआ हैं क्योंकि वह व्यवहार है । जो भी व्यवहार होता है
वह सब किसी स्वतंत्र पुरुष से प्रवर्तित होता है । जैसे आधुनिक मनुष्यों द्वारा क-ख आदि वर्णों के
लिये कल्पित लिपि” ।

आशय यह है कि जैसे क-ख आदि वर्णों के लिये विशेष प्रकार की लिपि का व्यवहार किसी
आधुनिक स्वतंत्र पुरुष के द्वारा प्रचारित होता है उस प्रकार घट आदि अर्थों में घट आदि शब्दों का
प्रयोगरूप व्यवहार भी किसी स्वतन्त्र पुरुष के द्वारा प्रवर्तित होना चाहिये । और वह पुरुष कोई
आधुनिक नहीं हो सकता, क्योंकि यह व्यवहार अनादिकाल से चल रहा है । अतः इस अनादिकाल से
प्रवृत्त व्यवहार के आरम्भ में जो पुरुष रहा हो वह ही उस का प्रवर्तक हो सकता है । आधुनिक
पुरुष तो घट आदि अर्थों में घट आदि शब्द का प्रयोग अपने पूर्ववर्ती पुरुषों से शीखकर करते हैं ।
वह उस के स्वतन्त्र प्रवर्तक नहीं होते हैं । उस का स्वतन्त्र प्रवर्तक वही कहा जायगा जिस को घट
आदि अर्थों में घट आदि शब्द के प्रयोग करने की शिक्षा लेने की अपेक्षा नहीं होती किन्तु वह स्वयं
निर्धारित करता है कि घट आदि अर्थों को बताने के लिये घट आदि शब्दों का प्रयोग होना चाहिये ।

(कुलालादि से ही अन्यथासिद्धि की आशंका)

इस संदर्भ में यह शंका हो सकती है कि—‘जो जिस वस्तु को बनाता है वही इस वस्तु का नाम
निर्धारित करता है । जैसे आधुनिक यन्त्रादि को बनानेवाला मनुष्य उस का कोई नाम निश्चित
करता है । उसी प्रकार घट आदि वस्तुओं को निर्माण करनेवाला मनुष्य ही उन के घट आदि नामों
को निर्धारित करता है इस प्रकार घट का निर्माण करनेवाला प्रथम कुम्हार ही घट व्यवहार का
और पट का निर्माण करनेवाला प्रथम जुलाहा ही पट व्यवहार का मूल प्रवर्तक है । इस प्रकार
कुलाल तन्त्रवाय इत्यादि आधुनिक मनुष्यों द्वारा ही घटपटादि व्यवहार का प्रवर्तन संमव होने से
उस के मूल प्रवर्तक के रूप में ईश्वर की कल्पना नहीं हो सकती’ । किन्तु यह शका उचित नहीं है
क्योंकि शास्त्रों में सृष्टि के निर्माण और प्रलय दोनों को चर्चा है । और अनुमान से भी सृष्टि का
प्रलय के बाद होना सिद्ध है । जैसे ‘वतेमानं स्थूलद्रव्यात्मकं जगत् दृश्यसन्तानशून्यः उपादानकारणं
उत्पन्नम्, स्थूलद्रव्यत्वात् प्रदीप्तज्वालावर्त्’ । इस से यह सिद्ध होता है कि प्रलय के बाद नई सृष्टि
का निर्माण होता है । अतः एव उसे में घटपट आदि की प्रथम रचना आधुनिक कुलालादि से

प्रत्ययतः=प्रमायाः, ‘वेदजन्यप्रमा वक्तुयथार्थवाक्यार्थज्ञानजन्या, शाव्दप्रमात्मात् ,
आधुनिकवाक्यजश्वदप्रमावद् ।’

श्रुतेरपि । वेदोऽसंसारिपुरुषप्रणीतः, वेदत्वात् , इति व्यतिरेकिणः । न च परमते
साध्याऽप्रसिद्धिः, ‘आत्मत्वमसंसारिवृत्ति, जातित्वात्’ इत्यनुमानेन पूर्वं साध्यसाधनात् ।

सभव नहीं है क्योंकि आधुनिक कुलालादि को घट आदि का निर्माण करने के लिये उस के निर्माण
की विधि दूसरे से शीखनी होती है । अतः सृष्टि के आरभ में घट आदि का प्रथम निर्माण करनेवाला
वही पुरुष हो सकता है जिस को उस का निर्माण करने के लिये किसी दूसरे से शिक्षा लेने की
आवश्यकता न हो । ऐसा पुरुष ईश्वर ही हो सकता है । इसलिये ईश्वर ही घट आदि का प्रथम
निर्माता होने से घट आदि व्यवहार का मूल प्रवर्तक हो सकता है ।

[वेद के प्रमात्मक ज्ञान से वक्ता ईश्वर की सिद्धि]

प्रत्ययत =प्रत्यय से भी ईश्वर का अनुमान हो सकता है । प्रत्यय का अर्थ है प्रमा अर्थात् यथार्थ
ज्ञान-इस से होनेवाले अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है जैसे-वेद से उत्पन्न होनेवाली प्रमा
वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थज्ञान से उत्पन्न होती है । क्योंकि वह शब्द से उत्पन्न होनेवाली प्रमा है ।
जो प्रमा शब्द से उत्पन्न होती है वह वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थज्ञान से ही उत्पन्न होती है । जैसे
आधुनिकवाक्य से उत्पन्न होनेवाली प्रमा । आशय यह है कि मनुष्य को जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है
तब उस ज्ञान का सङ्कल्पण करने के लिए अर्थात् उस ज्ञान को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने के लिये
वह वाक्य का प्रयोग करता है और उस वाक्य से दूसरे को उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है
जिस प्रकार के ज्ञान का सङ्कल्पण करने के लिये वक्ता ने वाक्य प्रयोग किया हो । यदि वक्ता का ज्ञान
अयथार्थ होता है तो उस ज्ञान का सङ्कल्पण करने के लिये प्रयुक्त होनेवाले वाक्य से उत्पन्न होनेवाला
ज्ञान भी अयथार्थ होता है । और यदि वक्ता का ज्ञान यथार्थ होता है तो उस के वाक्य से श्रोता को
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथार्थ होता है । इस प्रकार वाक्य से यथार्थज्ञान का जन्म वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थ-
ज्ञानपर निर्भर है । वेद भी वाक्यस्वरूप है । अतः एव उस से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथार्थ तभी हो
सकता है जब वेदवक्ता को वेदार्थ का यथार्थ ज्ञान हो । यतः वेद से होनेवाला ज्ञान यथार्थ ज्ञान
माना जाता है अतः यह मानना आवश्यक है कि वेद वक्ता को वेदार्थ का यथार्थ ज्ञान है । वह
यथार्थज्ञान आधुनिक वक्ता को नहीं हो सकता । क्योंकि आधुनिक वक्ता को जो ज्ञान होता है
वह प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से ही होता है और स्वर्गकामो यजेत् इत्यादि वेदवाक्यों के
अर्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुमान आदि से नहीं उत्पन्न किया जा सकता । अतः यह मानना आवश्यक
है कि वेद का वक्ता कोई असा पुरुष है जिसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि साधनों के विना ही वेदार्थ का
यथार्थज्ञान हो जाता है । इस प्रकार जिस पुरुष के वेदार्थ विषयक यथार्थज्ञान द्वारा वेद से होने
वाली यथार्थ बुद्धि का उदय हो सकता है वह पुरुष ईश्वर से अन्य नहीं हो सकता ।

[वेद किसी असंसारी पुरुष से जन्य है]

श्रुति=वेद से भी ईश्वर का अनुमान होता है । और वह अनुमान व्यतिरेकी होता है । उस का
प्रयोग इस प्रकार होता है-जैसे ‘वेद असंसारी पुरुष द्वारा रचित है, क्योंकि वह वेद है । जो असंसारी
पुरुष से रचित नहीं होता वह वेद नहीं होता-जैसे आधुनिक काव्यादि ।’-इस अनुमान में यह शका
हो सकती है कि-‘असंसारी पुरुष की सत्ता में कोई प्रमाण न होने से ‘असंसारी पुरुष से रचित होना’

वाक्यादपि । वेदः पौरुषेयः, वाक्यत्वात्, भारतवत् इत्यन्वयिनः ।

संख्याविशेषः=द्वचणुकपरिमाणजनिका संख्या, ततोऽपि । ‘इयं संख्या, अपेक्षाबुद्धिजन्या, एकत्वान्यसंख्यात्वात्,’ इत्यस्मदाद्यपेक्षाबुद्धिजन्यत्वादतिरिक्तपेक्षाबुद्धिसिद्धौ तदाश्रयत्येवरसिद्धेः । न चाऽसिद्धिः, ‘द्वचणुकपरिमाणं संख्याजन्यम्, जन्यपरिमाणत्वात्, घटादिपरिमाणवत्’ । न वा दृष्टान्तासिद्धिः, द्वि-कपालादिपरिमाणत् त्रिकपालादिघटपरिमाणोत्कर्पादिति दिग् ।

रूप साध्य अप्रसिद्ध है ।—किन्तु विचार करने से यह शब्दका उचित नहीं प्रतीत होती है क्योंकि असंसारी पुरुष अनुमान प्रमाण से सिद्ध हैं । जैसे-‘आत्मत्व असंसारी मे विद्यमान है, क्योंकि वह जाति है । जो भी जाति होती है वह असंसारी मे विद्यमान होती है जैसे घटत्व पटत्व आदि जाति ।’ आशय यह है कि संसार का अर्थ है मिथ्याज्ञान या मिथ्याज्ञानजन्यवासना अथवा शुभाऽशुभ कर्मों का वन्ध । यह ससार चेतनगत होने से घटपटादि मे नहीं रह सकता । अत एव घटपटादि असंसारी कहा जाता है । घटत्व-पटत्व जाति असंसारी घट आदि मे रहती है । तो जैसे घटत्व पटत्व जाति होने से असंसारी मे विद्यमान होती है वैसे आत्मत्व-पुरुषत्व को भी जाति होने के कारण असंसारी मे विद्यमान होना चाहिये । और यह तभी हो सकता है जब किसी पुरुष को असंसारी माना जाय । क्योंकि आत्मत्व पुरुष का ही धर्म है, असंसारी घटपटादि का धर्म नहीं है । इस अनुमान से असंसारी पुरुष सिद्ध है । अतः साध्याऽप्रसिद्धि की शब्दका नहीं हो सकती है ।

(वाक्य पक्षक अनुमान)

वाक्य से भी ईश्वर का अनुमान होता है और वह अनुमान अन्वयी होता है । जैसे, वेद पुरुष से रचित है क्योंकि वह वाक्य है । जो भी वाक्य होता है वह पुरुष से रचित होता है जैसे महाभारत-रामायण आदि । इस अनुमान भे वाक्यत्व हेतु है । इसलिये उसे समझ लेना आवश्यक है अन्यथा उस मे इस आधार पर इस प्रकार के व्यभिचार की शब्दका हो सकती है कि कोई ऐसा भी वाक्य हो सकता है जो पुरुष से रचित नहीं होता ।’ जिज्ञासा होती है कि वाक्य का ऐसा क्या अर्थ है कि जिस से पुरुष से अरचित वाक्य की समावना न हो । उत्तर यह है कि वाक्य ऐसे पदों के समूह को कहा जाता है जो पद परस्पर मे साकाङ्क्ष हो, एकदूसरे से आसन्न हो, योग्यार्थक हो और किसी विशिष्ट अर्थ का वोध कराने की ईच्छा से प्रयुक्त हो । तो इसप्रकार वाक्य लक्षण के गर्भ मे वाक्यार्थ वोधन की ईच्छा के प्रविष्ट होने से विना पुरुष के कोई वाक्य नहीं हो सकता । क्योंकि विशिष्टार्थ वोधन की ईच्छा पुरुष से ही सम्बन्ध है और उस के विना वाक्य की निष्पत्ति अशक्य है ।

(द्वचणुकपरिमाणोत्पादकसंख्याजनक अपेक्षाबुद्धि से ईश्वरसिद्धि)

संख्याविशेष से भी ईश्वर का अनुमान होता है और वह विशेष सख्या हैं द्वचणुक मे परिमाण को उत्पन्न करनेवाली परमाणुगत द्वित्व सख्या । उस सख्या से होनेवाला अनुमान का प्रयोग इसप्रकार होता है जैसे “द्वचणुक परिमाण की उत्पादिका परमाणुगत द्वित्वसख्या अपेक्षाबुद्धि से जन्य है,

क्योंकि वह एकत्व से भिन्न संख्या है। एकत्व से भिन्न जो भी संख्या होती है वे सभी अपेक्षावृद्धि से जन्य होती है जैसे दो घटों में रहने वाली द्वित्व संख्या 'अयमेक घटः अयमेक घटः' इस अपेक्षावृद्धि से उत्पन्न होती है।" इस अनुमान से यह सिद्ध होता है कि परमाणुओं में भी 'अयमेकः परमाणः अयमेकः परमाणुः' इस प्रकार की अपेक्षावृद्धि होती है और उस से परमाणु में उत्पन्न होने वाला द्वित्व द्वचणुक परिमाण को उत्पन्न करता है। परमाणुओं में होने वाली यह अपेक्षावृद्धि जीवों में सम्बन्ध नहीं है क्योंकि जीवों को परमाणुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि अनुमान आदि से परमाणुओं में अपेक्षावृद्धि की कल्पना की जाय तो वह भी सृष्टि के आरंभकाल में सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि सृष्टि के आरंभकाल में जो द्वचणुक उत्पन्न होगा उसमें परिमाण उत्पन्न करने के लिये उस समय परमाणु में द्वित्व की आवश्यकता होगी और उसकी उत्पत्ति के लिये उसी समय परमाणुओं में अपेक्षावृद्धि अपेक्षित है। और उस समय जीवों के शरीर न होने से जीवों में वृद्धि की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। इसलिये परमाणुओं में ईश्वर की ही अपेक्षावृद्धि माननी होगी। ईश्वर के बिना परमाणुओं में अपेक्षावृद्धि न होने से उन में द्वित्व की उत्पत्ति हो सकेगी और द्वित्व के अभाव में द्वचणुक में परिमाण न उत्पन्न हो सकेगा।

[द्वचणुकपरिमाण में संख्याजन्यत्व पर आशंका]

इस अनुमान में यह शब्दका हो सकती है—“द्वचणुकपरिमाण के संख्या के जन्यत्व में कोई प्रमाण न होने से द्वचणुकपरिमाणजनक परमाणगतद्वित्व संख्या रूप पक्ष असिद्ध है”—किन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि अनुमान से उक्त संख्या सिद्ध है जैसे “द्वचणुक का परिमाण संख्याजन्य है, क्योंकि वह जन्यपरिमाण है। जो जन्य परिमाण होता है वह संख्या से जन्य होता है जैसे घटादि का परिमाण। यदि यह कहा जाय—“इस अनुमान में दृष्टान्त असिद्ध है क्योंकि घट आदि का परिमाण कपाल आदि के परिमाण से उत्पन्न होने के कारण संख्याजन्य नहीं होता—” तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि परिमाणजन्य परिमाण को भी संख्याजन्य मानना आवश्यक है। अन्यथा समान परिमाणवाले दो कपालों से उत्पन्न होने वाले घट के परिमाण से समान परिमाण वाले तीन कपालों से उत्पन्न होने वाले घट-का परिमाण अधिक न हो सकेगा। क्योंकि दोनों घटों के परिमाण को उत्पन्न करने वाले कपाल परिमाण समान ही है। और जब परिमाण को संख्याजन्य माना जायगा तो पूर्वघट का परिमाण कपालगत द्वित्व संख्या से उत्पन्न होगा और दूसरा घट कपालगत त्रित्व संख्या से उत्पन्न होगा। त्रित्व संख्या द्वित्व संख्या से बड़ी होती है। इसलिये त्रित्व संख्या से उत्पन्न होनेवाले द्वितीयघट के परिमाण का द्वित्वसंख्या से उत्पन्न होनेवाले पूर्वघट के परिमाण की अपेक्षा अधिक होना युक्तिसङ्गत हो सकता है।

इस प्रसङ्ग में यह शब्दा हो सकती है—‘द्वचणुकपरिमाण संख्याजन्यम्’ इस अनुमान में पक्ष असिद्ध है क्योंकि द्वचणुक के परिमाण होने में कोई प्रमाण नहीं है।' परन्तु किञ्चित् विचार करने से यह शब्दा निरस्त हो जाती है क्योंकि द्वचणुक में परिमाण और उस परिमाण में जन्यता दोनों ही अनुमान प्रमाण से सिद्ध है जैसे 'द्वचणुकं परिमाणवत् द्रव्यत्वात्' और 'द्वचणुकपरिमाण जन्य जन्यद्रव्य-परिमाणत्वात्'। द्वचणुक में जन्यद्रव्यत्व के असिद्धि की शब्दा नहीं की जा सकती क्योंकि 'द्वचणुकं जन्यद्रव्यं सावयवत्वात्' इस अनुमान से जन्यद्रव्यत्व सिद्ध है। द्वचणुक में सावयवत्व की असिद्धि की भी शब्दा नहीं की जा सकती क्योंकि वह भी 'द्वचणुकं सावयवं प्रत्यक्षद्रव्याश्रयत्वात् कपालादिवत्' इत्यादि अनुमान से सिद्ध है।

अथवा, कार्यं=तात्पर्यं वेदे यस्य तत् , स एवेश्वरः । आयोजनं सद्ब्याख्या, ‘वेदाः केन-चिद् व्याख्याताः, महाजनपरिगृहीतवाक्यत्वात्’ । अव्याख्यातत्वे तदर्थनिवगमेऽननुष्ठानापत्तेः, एकदेशदर्शिनोऽस्मददेश्च व्याख्यायामविश्वासः, इति तद्ब्याख्ययेश्वरसिद्धिः । धृतिर्धारणं मेधा-ख्यज्ञानम् , आदिपदार्थोऽनुष्ठानम् ततोऽपि । ‘वेदा वेदविषयकजन्यधारणान्यधारणाविषयाः, धृतिवाक्यत्वात् , लौकिकवाक्यवत् ; यागादिकं यागादिविषयकजन्यज्ञानान्यज्ञानवदनुष्ठितम् , अनुष्ठितत्वात् गमनवत्’ इति प्रयोगः । पदं प्रणवेश्वरादिपदम् , तत्सार्थक्यात् स्वतन्त्रोच्चारयितु-शक्तं श्रुत्यादिस्थाऽहं पदाद् वा । न वेश्वरादिपदस्य स्वपरता,

“सर्वज्ञता तृप्तिरनादिवोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः ।

अनन्तशक्तिश्च विभोविंधिज्ञाः ३षडन्तरङ्गाणि महेश्वरस्य ॥ १ ॥

इत्यादिवाक्यशेषेण ‘ईश्वरमुपासीत’ इत्यादिविधिस्थेश्वरादिपदशक्तिग्रहात् , यथा यवादि-पदस्य “३वयन्ते सर्वसस्यानां०” इत्यादिवाक्यशेषोच्छक्तिग्रहेण न कङ्गवादिपरता ।

[‘कार्ययोजन०’ कारिका की अन्य प्रकार से योजना]

कार्ययोजन० इत्यादि कारिका से ईश्वर अनुमान करने का दूसरा भी प्रकार सूचित होता है जैसे कार्य का अर्थ है तात्पर्य । उससे ईश्वर का अनुमान इस रूप से हो सकता है-‘वेदः सतात्पर्यकः (अर्थात्) अर्थविशेषबोधनेच्छाप्रयुक्तः, अर्थविशेषबोधकशब्दत्वात् आधुनिकशब्दवत् ।’ इस अनुमान से वेद का अर्थविशेष में तात्पर्य सिद्ध होता है । तात्पर्य इच्छारूप होता है अत एव वह किसी आश्रय के बिना नहीं रह सकता । अतः उस का कोई आश्रय मानना आवश्यक है । जीव उस तात्पर्य का आश्रय नहीं हो सकता क्योंकि वह वेद का आद्य वक्ता नहीं है । जिस शब्द का आद्यवक्ता होता है वह शब्द उसी के तात्पर्य से प्रयुक्त होता है अतः उस तात्पर्य के आश्रय रूप में ईश्वर का स्वीकार आवश्यक है ।

[वेद को यथार्थव्याख्या ईश्वर प्रयुक्त है]

आयोजन का अर्थ है यथार्थव्याख्या । उस से भी ईश्वरानुमान होता है । जैसे वेद किसी पुरुष से व्याख्यात है क्योंकि वह महाजन से परिगृहीत वाक्य है । व्याख्यात होने का अर्थ है सुगम वाक्यों से अर्थ का बोधन होना या अर्थ का बोधित होना । और महाजनपरिगृहीत होने का अर्थ है महाजनों द्वारा पढ़ा जाना, अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञात अर्थ का अनुष्ठान या वर्णन करना । महाजन का अर्थ है सत् और असत् की परीक्षा कर के सत् का ग्रहण और असत् का परित्याग करने की प्रवृत्ति से संपन्न होना । यदि वेदों की व्याख्या न होती तो वेदार्थ का ज्ञान न होता और वेदार्थ के

[१] “पिता॒ऽहमस्य जगतो मा॑ता धारा॑ पितामहः” [म.गी ६।१७] इत्याद्वै । [२] ‘षडाहुरङ्गानि’ इत्यन्यत्र प्रन्थे पाठः । [३] ‘जायते पत्रशातनम्, भोदमानादच तिष्ठन्ति, यवा कणीशशालिनः’ इति शेष पादत्रयम् । आदिना ‘वराहं गावोऽनुघावन्ति’ इत्यादि ।

ज्ञान के अभाव में वेद के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान आदि का प्रचलन न होता। अतः वेदार्थ का अनुष्ठान, वेदार्थ का ज्ञान और वेदों का अध्ययन सहाजनों द्वारा होता है अतः किसी वेदार्थज्ञ के द्वारा उस की व्याख्या मानना आवश्यक है। यह व्याख्या किसी जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकती है क्योंकि वह प्रलेपज्ञ होता है और वेदार्थ अत्यन्त विस्तृत और व्यापक है। अतः एवं अनेक अर्थों से गमित वाक्य की प्रलेपज्ञ द्वारा की जाने वाली व्याख्या में महाजनों को विश्वास नहीं पड़ता। इसलिये वेदों का व्याख्याता ऐसे ही पुरुष को मानना होगा जो सपूर्ण वेदार्थ को विज्ञा किसी साधन के सहारे जानता हो। ऐसा पुरुष परमेश्वर से अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता।

(वेदविषयक विशिष्टज्ञानरूप धृति से अनुमान)

धृति का अर्थ है-धारण, धारण का अर्थ है विशेष प्रकार का ज्ञान। जिसे मेधा शब्द से व्यवहृत किया जाता है। और धृत्यादि में आदि शब्द का अर्थ है अनुष्ठान। इस विशिष्ट ज्ञानात्मकधृति और अनुष्ठान से भी ईश्वर का अनुमान होता है, जैसे धृतिमूलक अनुमान का प्रयोग इस रूप में किया जा सकता है-वेद वेदविषयक जन्यधृति, से अन्य धृति का विषय है क्योंकि धृति का विषयमूल वाक्य है। जो भी धृति का विषयमूल वाक्य होता है वह सब वेदविषयक जन्यधृति से अन्यधृति विषयक होता है जैसे लौकिकवाक्य महाभारत रामायण प्रभृति। आशय यह है कि नौकिक वाक्य की धृति वेदविषयकधृति से अन्य है, क्योंकि वह जन्य धृति होते हुए भी वेदविषयक नहीं है। उसी प्रकार वेद जिस धृति का विषय है उसे भी वेदविषयकधृति से अन्य होना चाहिये और वह धृति वेदविषयक होती है अतः वेदविषयकधृति से अन्य धृति उसी दशा में हो सकती है जब उसे नित्य माना जाय। इस प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि वेदविषयक नित्यज्ञान जो वेद को विषय करता है वह नित्यज्ञान जीव को हो नहीं सकता क्योंकि जीव में ज्ञान का सम्बन्ध साधनों द्वारा ही संपन्न होता है अतः उस ज्ञान के आश्रय रूप में ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है।

(यागानुष्ठान से अनुमान)

अनुष्ठान से तीसरा अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है जैसे याग=यागकर्म=याग-विषयककर्म जन्यज्ञान से अन्य ज्ञानवाले पुरुषों से अनुष्ठित हुआ है। क्योंकि वह अनुष्ठित होता है। जो अनुष्ठित होता है वह सब यागादि जन्यविषयक ज्ञान से अन्य ज्ञानवाले पुरुषों से अनुष्ठित होता हैं जैसे गमनभोजनादि। आशय यह हैं गमनभोजनादि 'अस्माभिः गन्तव्य, अस्माभिः भोक्तव्य' इत्यादि ज्ञान से युक्त पुरुषों द्वारा अनुष्ठित होता हैं और यह ज्ञान जन्यज्ञानरूप होने पर भी यागादिविषयक न होने से यागादिविषयक जन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार यागादि जिस ज्ञान से होता है उसे भी यागादिविषयक जन्यज्ञान से अन्य होना चाहिये। और वह ज्ञान यतः यागादिविषयक है अतः उसे नित्य मानने पर ही वह यागादिविषयक जन्यज्ञान से अन्य ज्ञान हो सकता है। और वह ज्ञान जीव में अधिकत नहीं होता इसलिये उस के आश्रयरूप में ईश्वर की सिद्धि आवश्यक हैं।

(३०-अहं-ईश्वर आदि पद से अनुमान]

पद का अर्थ है 'प्रणव' नामक पद जिसे '३०' कहा जाता है, और 'ईश्वर' आदि पद। इन पदों से भी ईश्वरानुमान होता हैं जैसे-‘३०’ यह प्रणव पद और ईश्वरादि पद सार्थक हैं क्योंकि वह साध्य-

प्रत्ययोऽविधिपत्ययः, ततोऽपि, आप्ताभिप्रायस्यैव विद्यर्थत्वात् । न हीष्टसाधनत्वमेव

पद है । जो साध्यपद होता है वह सार्थक होता हैं जैसे घट आदि पद ।’ उन पदों की सार्थकता अन्य किसी पदार्थ के द्वारा नहीं हो सकती क्योंकि अन्य किसी भी पदार्थ को चाहे वह जीव हो या ज्ञाहे जीव से शिष्ट जड़ हो उसे डैं या ईश्वर आदि पद से नहीं अभिहित किया जाता है । इसलिये उस की सार्थकता की उत्पत्ति के लिये ईश्वर को उन पदों का अर्थ मानना आवश्यक है ।

वेद से उपलब्ध होनेवाले ‘अहम्’ पद से भी ईश्वर का अनुमान होता है जैसे-वेदस्थ ‘अहम्’ पद स्वतन्त्र उच्चारणकर्ता का वाचक है क्योंकि वह अहम् पद है । जो भी अहम् पद होता है वह सब स्वतन्त्र उच्चारण कर्ता का वाचक होता है जैसे ‘अह गच्छामि’ ‘अह इच्छामि’ इत्यादि लौकिक वाच्यस्थ ‘अहम्’ पद अपने मूल वाचता का व्योवक होता है । वेदस्थ ‘अहम्’ पद का स्वतन्त्र उच्चारण-कर्ता कोई जीव नहीं हो सकता क्योंकि जो भी जीव ‘अहम्’ पद युक्त वैदिक वाच्यों का उच्चारण करता है वह अन्य पुरुष से उस वाच्य के उच्चारण को सीखकर ही करता है । अतः एव कोई ऐसा पुरुष मानना आवश्यक है जिसने वेदस्थ अहम् पद का सर्व प्रथम प्रयोग किया, जिसे उस के प्रयोग के लिये किसी दूसरे से शिक्षा नहीं लेनी पड़ी । ऐसा वैदिक अहम् पद का स्वतन्त्र उच्चारणकर्ता ईश्वर हो हो सकता है ।

इस प्रसङ्ग से यह शका हो सकती है—“ईश्वरादि पद अपने स्वरूप का ही वोधन करते हैं । इस प्रकार अपने स्वरूप के वोधन से भी उन पदों की सार्थकता उपपन्न हो जाने से उन पदों के अर्थ के रूप मे ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है ।”—किन्तु विचार करने पर यह शका सबल नहीं है क्योंकि ‘ईश्वरमुपासीत’ इस विधिवाक्य का अवण होने पर यह जिज्ञासा होती है ‘ईश्वर शब्द का क्या अर्थ है जिस को उपासना का इस वाक्य से विधान किया जा रहा है’ ? इस जिज्ञासा के समाधान के लिये ‘सर्वज्ञता तृप्ति०’ आदि वचन प्रस्तुत होता है । उस के प्रनुसार ‘ईश्वरमुपासीत’ इस विधिवाक्य के ज्ञाता पुरुषों की हजिट मे ईश्वर वह पुरुष है जो सर्वज्ञ हो, नित्य तृप्त हो अर्थात् जिसे कभी अपने सुख की कामना न हो, नित्यज्ञान से संपन्न हो, स्वतन्त्र हो अर्थात् जिस की इच्छा अन्य पुरुष की इच्छा को अधीन न हो और जिस की शक्ति का कभी लोप न हो और अनन्त हो । अर्थात् जिस का प्रयत्न नित्य और सर्वविषयक हो और जो बिभु=व्यापक हो । इस प्रकार ईश्वर-मुपासीत’ इस विधिवाक्य के पूरक ‘सर्वज्ञतातृप्ति०’ आदि वाक्य से उक्त प्रकार का पुरुष विशेष ईश्वर-पद का अर्थ है यह सिद्ध होता है । शब्दार्थ के निश्चय की यह रीति उसी प्रकार मान्य है जैसे ‘यवैः यजेत् इस वाक्य के पूरक “वसन्ते सर्वंशस्यानां जायते पत्रशातनम् । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवा-दणीशशातिन्” इस वाक्य से यव पद के अर्थ का निर्णय करने की रीति । इस वाक्य से यह निश्चय होता है कि म्लेच्छों द्वारा यव शब्द से व्यवहृत होने वाला कड़गु आदि यव शब्द का अर्थ नहीं हैं किन्तु वसन्त ऋतु मे अन्य संपूर्ण सस्यों के पत्तों गिर जाने पर भी जो अपने कणसभर पत्तों के साथ विद्यमान होता है ऐसा सस्य ही यव शब्द का अर्थ है ।

[यजेत् इत्यादि मे विद्यर्थप्रत्यय से अनुमान]

प्रत्यय का अर्थ है विधि प्रत्यय । उस से भी ईश्वर का अनुमान होता है । क्योंकि विधिवाक्य का अर्थ होता है आप्ताभिप्राय । जैसे गुरु यदि शिष्य को उपदेश देता है ‘मुक्तिक्षाम हर्वर स्मरेत्=मोक्ष

तथा, 'अग्निकामो दारुणी मथनीयात्' इत्युक्तौ, 'कुतः' इति प्रश्ने 'यतो दारुमथनमग्निसाधनम्' इत्युत्तरेऽग्निसाधनत्वेन विध्यर्थवत्त्वानुमानानुपपत्तेः, अभेदे हेतुत्वेनोपन्यासाऽनौचित्यात्, 'तरति मृत्युम्०' इत्यादौ विधिवाक्यानुपपत्तेश्चेष्टसाधनतायाः प्रागेव वोधात्, 'कुर्याः, कुर्याम्' इत्यादौ वक्तुसंकल्पस्यैव वोधात्, आज्ञाऽध्येषणा-ऽनुज्ञा-संप्रश्न-प्रार्थनाऽऽशंसालिङ्गीच्छाशक्तत्वस्यैव कल्पनाच्च । उल्लङ्घने क्रोधादिभयजनिकेच्छाऽनुज्ञा, अध्येषणीये प्रयोक्तुरनुग्रहद्योतिकाऽध्येषणा, निषेधाभावव्यञ्जिकाऽनुज्ञा, प्रयोजनादिज्ञामा प्रश्नः, प्राप्तीच्छा प्रार्थना, शुभेच्छाऽशंसा । निषेधानुपपत्तेश्च, इष्टसाधनत्वनिषेधस्य वाधात्; वलवदनिष्टाननुवन्धित्वस्यापि तदर्थत्वे 'श्येनेन०' इत्यादौ अलसस्य यागादिदुःखेऽपि वलवद्द्वेषण 'यज्ञेत' इत्यादौ वाधात् । तत आप्ताभिप्रायस्यैव विध्यर्थत्वात् तावृज्ञाभिप्रायवदीश्वरसिद्धिः ।

चाहने वाले को भगवान का स्मरण करना चाहिये; तो शिष्य को इस विधिप्रत्ययघटितवाक्य से यह बोध होता है-'भगवान का स्मरण यही मुमुक्षु का कर्तव्य है-यह गुरुदेव का अभिप्राय है'। इस अभिप्राय को जान कर ही शिष्य भगवान के स्मरण में प्रवृत्त होता है, क्योंकि गुरु जन के अभिप्राय को जान कर तदनुसार कार्य करना ही शिष्टाचार-प्राप्त कर्तव्य है। वेदवाक्य में भी विधिप्रत्यय होता है जैसे स्वर्गकामो यजेत्' मेरे यज् धातु के उत्तर मे श्रूयमाण लिङ् प्रत्यय। इस लिङ् प्रत्यय का भी अर्थ 'आप्त का अभिप्राय' मानना होगा। अर्थात् इस लिङ् प्रत्यय घटित वाक्य से भी इस प्रकार का ही बोध मानना होगा-'यज्ञ स्वर्गकाम पुरुष का कर्तव्य है यह "स्वर्गकामो यजेत्" इस वाक्य के प्रयोग करने वाले आप्त का अभिप्राय हैं'। यह अभिप्राय उसी पुरुष का हो सकता है जिसे यह सहज ज्ञान हो कि याग स्वर्ग का साधन होता है। अंसा पुरुष कोई जीव न होगा, ईश्वर ही हो सकता है क्योंकि याग मे स्वर्गसाधनता का सहज ज्ञान जीव को नहीं हो सकता, वह ईश्वर को ही समर्पित है क्योंकि वह संपूर्ण पदार्थों का साधननिरपेक्ष द्रष्टा होता है। इस प्रकार वेदस्थ विधिवाक्य से सूचित होनेवाले आप्त के अभिप्राय के आश्रय रूप मे ईश्वर का अनुमान होता है। अनुमान का प्रयोग इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे 'वेदस्थ विधि प्रत्यय आप्ताभिप्राय का बोधक है, क्योंकि वह विधिप्रत्यय है, जो भी विधि प्रत्यय होता है वह सब आप्ताभिप्राय का बोधक होता है। जैसे 'मृत्यः आपणम् गच्छेत्' शिष्यः शास्त्रम् पठेत्' 'वत्सः दुर्घष पिबेत्' इत्यादि लौकिक वाक्यों मे सुनाई देनेवाला विधि प्रत्यय।

[विधिप्रत्ययार्थ इष्टसाधनता या आप्ताभिप्राय ?

इस प्रसङ्ग मे यह शङ्खा हो सकती है-'विधिप्रत्यय चाहे लौकिकवाक्य हो चाहे वैदिकवाक्य हो, सर्वत्र उस का इष्टसाधनत्व ही अर्थ होता है न कि आप्ताभिप्राय। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति इष्टसाधनताज्ञान से ही होती है, न कि आप्ताभिप्राय के ज्ञान से। अतः आप्ताभिप्राय को विधिप्रत्यय का अर्थ मानने पर भी यही मानना होगा कि विधि प्रत्यय से आप्ताभिप्राय का ज्ञान होता है और

आप्ताभिप्राय से इष्टसाधनता का ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। जैसे, गुरु के 'मोक्षकाम हर्वि स्मरेत्' इस वाक्य से हरिस्मरणम् मोक्षकामकर्तव्यतया गुरोः अभिप्रेतम्' अर्थात् 'भगवान् का स्मरण मुमुक्षु पुरुष के कर्तव्य रूप में गुरु को अभिप्रेत है' यह ज्ञान होने पर यह अनुमान होता है- भगवत् स्मरण मोक्ष का साधन है, क्योंकि मोक्षकाम के कर्तव्यरूप में आप्त को अभिप्रेत है। जो जिस फल का साधन नहीं होता वह उस फल को चाहने वाले पुरुष के कर्तव्यरूप में आप्ताभिप्रेत नहीं होता। जैसे घृतकोडा आदि मोक्ष का साधन न होने से किसी आप्तपुरुष को मोक्षकाम के कर्तव्यरूप में अभिप्रेत नहीं होता'-इस प्रकार जब आप्ताभिप्राय के द्वारा इष्टसाधनता का बोध मनुष्य की प्रवृत्ति के लिये अपेक्षित है तो विधिप्रत्यय से आप्ताभिप्राय का बोध और आप्ताभिप्राय से इष्ट साधनता का अनुमान मानने की अपेक्षा यही मानना उचित है-इष्ट साधनता ही विधिप्रत्यय का अर्थ है। विधिप्रत्यय-घटित वाक्य से इष्टसाधनता का हो सीधा बोध होता है, मध्य में आप्ताभिप्राय के बोध की कल्पना अनावश्यक है। इसप्रकार जब इष्टसाधनता ही युक्तिद्वारा विधिप्रत्यय का अर्थ सिद्ध होता है तो उक्त रीति से विधि प्रत्यय को ईश्वर का अनुमापक बताना उचित नहीं हो सकता।"-

(इष्टसाधनता पक्ष में समस्या)

किन्तु विचार करने पर यह शङ्का उचित नहीं प्रतीत होती। क्योंकि विधिप्रत्यय के अर्थ का अनुमान इष्टसाधनत्व से किया जाता है। यदि इष्टसाधनत्व ही विधिप्रत्यय का अर्थ होगा तो साध्य साधन में ऐक्य हो जाने के कारण इष्टसाधनत्व विधिप्रत्ययार्थ का अनुमापक न हो सकेगा। जैसे 'अग्निकामो दारुणी मर्णीयात्'=अग्नि चाहनेवाले मनुष्यों को दो काष्ठों का धर्षण करना चाहिये।' इस विध्यर्थ का ज्ञान होने पर प्रश्न होता है-ऐसा क्यों? अर्थात् 'कुतः अग्निकामो दारुणी मर्णीयात्?' इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है कि दारुमथन अग्नि का साधन है। इसप्रकार उक्त वाक्य से विध्यर्थ का ज्ञान होने में अग्निसाधनता को उसके हेतुरूप में प्रसिद्ध किया जाता है। इसलिये यह मानना आवश्यक है कि विध्यर्थ इष्टसाधनता से भिन्न है और जब आप्ताभिप्राय को विधिप्रत्यय का अर्थ माना जायगा तब 'अग्निकामो दारुणी मर्णीयात्' इस वाक्य से दारु मथन अग्निकामी के कर्तव्य रूप में आप्त को अभिप्रेत है-यह ज्ञान होगा। और उस पर जब यह प्रश्न होगा कि 'दारु का मथन अग्निकामी के कर्तव्यरूप में आप्त को क्यों अभिप्रेत है?' इस के उत्तर में यह कहना सङ्गत होगा कि-यतः दारुमथन अग्नि का साधन है इसलिये अग्निकामी के कर्तव्यरूप में आप्त को अभिप्रेत है।

(तरति मृत्युं० से विधिवाक्य का अनुमान)

इष्टसाधनता को विधि प्रत्यय का अर्थ मानने पर 'तरति मृत्युम् आत्मविद्' इत्यादि वाक्यों से विधिवाक्य का अनुमान न हो सकेगा क्योंकि विधिवाक्यानुमान के पूर्व ही उन स्थलों में इष्टसाधनता का बोध हो जाता है। आशय यह है कि 'आत्मज्ञो मृत्युं तरति' यह वाक्य इस अर्थ को बताता है कि 'आत्मज्ञानी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है'। इस अर्थबोध के बाद यह जिज्ञासा होती है कि आत्मज्ञान से मृत्यु का अतिक्रमण होता है इस में क्या प्रमाण है? उस के उत्तर में यह कहा जाता है कि 'आत्मज्ञो मृत्युं तरति' इस वाक्य से आत्मज्ञान के मृत्युतरणरूप फल का श्रवण होने पर इस विधिवाक्य का अनुमान होता है कि 'मृत्युतरणकाम् आत्मानं जानीयात्', यह विधिवाक्य ही आत्मज्ञान के मृत्युतरण

श्रुत्वैवं सकृदेनमीश्वरपरं सांख्याऽक्षपादागमं,
 लोको विस्मयमातनोति न गिरो यावत् स्मरेदार्हतीः ।
 किं तावद्वदीफलेऽपि न मुहुर्मधुर्यमुन्नीयते,
 यावत्पीनरसा रसाद् रसनया द्राक्षा न साक्षात्कृता ॥ ॥ ॥ ३ ॥
 * इत्थमभिहिता ईश्वरकर्तृत्वपूर्वपक्षवार्ता ॥

‘यन्न दुखेन सभिन्न०’ यह विधिभिन्न वाक्य अपने अर्थे ने प्रमाण है । इन उदाहरणों से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि वेव के ऐसे वचन जो विधि-निषेधरूप न होते हुये भी ईश्वर का वर्णन करते हैं वे ईश्वर की सत्ता से प्रमाण हैं । इस प्रकार श्रुति अर्थात् ईश्वर परक वेद से भी ईश्वर की सिद्धि होती है ।

(प्रशंसापरक और निनापरक वेदवाक्यों से ईश्वरसिद्धि)

वाक्य का अर्थ है वेद में प्राप्त होने वाले प्रशंसा और निन्दा का वाक्य । उन वाक्यों से भी ईश्वर का अनुमान होता है जैसे, वैदिक प्रशंसा और निन्दा का वाक्य स्वार्थज्ञानपूर्वक है क्योंकि वे वाक्य हैं, जो भी वाक्य होता है वह स्वार्थज्ञानपूर्वक होता है जैसे ‘घटमानय पटमानय’ इत्यादि लोकिक वाक्य । कहने का आशय यह है कि किसी भी वाक्य का प्रयोग किसी विशेषभय को बताने के लिये किया जाता है और वह विशेष अर्थ वही होता है जो वक्ता को ज्ञात हो और जिसे वक्ताने में प्रयुक्त होनेवाला वाक्य समय हो । लोक में सारे वाक्य इसी ढंग के होते हैं । इसलिये वेद के प्रशंसा-निन्दा वाक्य जिस की प्रशंसा या निन्दा का वोध कराने के लिये प्रयुक्त होते हैं—यह मानना आवश्यक है कि वक्ता को उन के गुण और दोष का ज्ञान रहता है । क्योंकि वक्ता को जिस का गुण और दोष ज्ञात न होगा वह उस की प्रशंसा या निन्दा के वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकता । तो इस प्रकार जब यह सिद्ध है कि वैदिक प्रशंसा और निन्दा वाक्य भी स्वार्थज्ञानपूर्वक होते हैं तो उस ज्ञान के आश्रय रूप में जीव को स्वीकार करना संभव न होने से ईश्वर का अस्तित्व मानना आवश्यक है ।

(उत्तम पुरुषीय आत्मात प्रत्यय से ईश्वर सिद्धि)

सख्या का अर्थ है वेद में प्राप्त होनेवाले उत्तमपुरुषीय तिङ्ग-आत्मात प्रत्यय से वाच्य संख्या । आशय यह है कि उत्तम पुरुषीय आत्मात अपने स्वतंत्र उच्चारण कर्ता की संख्या का वोधक होता है । जैसे चंत्र कहता है कि ‘विद्यालयं गमिष्यामि’ इस वाक्य में गम् धारु के उत्तर उत्तम पुरुष का एकवचन आत्मात जो ‘मि’ सुनाई देता है वह अपने स्वतंत्र उच्चारणकर्ता चंत्र की एकत्वसख्या का वोधक होता है । वेद में भी ‘स्याम्-अभूवम्-भविष्यामि’ इस प्रकार उत्तम पुरुषीय आत्मात के प्रयोग प्राप्त होते हैं । अतः उन आत्मात पदों से सख्या का अभिधान उपपत्ति करने के लिये उन का भी कोई स्वतंत्र उच्चारणकर्ता मानना आवश्यक है जो ईश्वर से अन्य दूसरा नहीं हो सकता । इस प्रकार वेदस्थ उत्तमपुरुषीय आत्मात से वाच्य सख्या द्वारा ईश्वर का अनुमान होता है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है जैसे ‘वेदस्थ उत्तमपुरुषीय आत्मातपद वोध्य सख्या तादृशात्मात के स्वतंत्रोच्चारणकर्तृपुरुष गत है, उत्तम पुरुषीय आत्मातपद वोध्य सख्या होने से, जैसे लोकिक वाक्यस्थ उत्तम पुरुषीय आत्मात वाच्य सख्या’ ।

अथ समाधानवार्तामाह-

अन्ये त्वभिदधत्यन्न वीतरागस्य भावतः ।

इत्थं प्रयोजनाऽभावात् कर्तृत्वं युज्यते कथम् ? ॥ ४ ॥

अन्ये तु जैनाः, अन्न=ईश्वरविचारे, अभिदधति=परीक्षन्ते । किम् ? इत्याह वीत-रागस्य=वैराग्यवतः ईश्वरस्य पातञ्जलैरभ्युपगतस्य, इत्थं प्रेरकत्वे, प्रयोजनाऽभावात्, भावतः=इच्छातः, कर्तृत्वं कथं युज्यते ? यो हि परप्रेरको दृष्टिः स स्वप्रयोजनमिच्छन्निष्ठः, ततोऽत्र व्यापिकायाः फलेच्छाया अभावाद् व्याप्यस्य परप्रेरकत्वस्याऽभावः ॥ ४ ॥

एतदेव स्पष्टयन्नाह-

नरकादिफले कांश्चित्कांश्चित्स्वर्गादिसाधने ।

कर्मणि प्रेरयत्याशु स जन्तून् केन हेतुना ? ॥ ५ ॥

ईश्वर की सिद्धि के विषय में सांख्ययोग और न्याय-वैशेषिक की उक्त युक्तियों के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए व्याख्याकार का कथन है कि मनुष्य जब तक ईश्वर के सम्बन्ध में भगवान् अर्हत् के वचन को नहीं समझता तब तक वह सांख्य-योग न्याय-वैशेषिक शास्त्रों के ईश्वर विषयक प्रनिपादन को सुनकर यदि विस्मित और आनन्दित होता है तो यह अत्यन्त स्वाभाविक है क्योंकि जिस मनुष्य को रस से भरी द्राक्षा का रसास्वाद करने का अवसर जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वह वैर जैसे निकृष्ट फल की मधुरिमा की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते नहीं थकता ॥ ३ ॥

(वीतराग ईश्वर कर्ता नहीं हो सकता-उत्तरपक्षारम्भ)

चौथी कारिका में ईश्वर को सिद्ध करनेवाली सांख्ययोग सम्मत युक्ति का निराकरण किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—जैन विद्वानों का कहना है कि ईश्वर वीतराग होता है । सांख्य योगदर्शन में भी ईश्वर को वीतराग माना गया है, इसलिए वह जगत् कर्ता होना सगत नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तृत्व साक्षात् हो या दूसरे की प्रेरणा द्वारा हो, प्रयोजन की इच्छा होने पर ही समव होता है । अर्थात् जिसे किसी फल की इच्छा होती है वही साक्षात् या पर की प्रेरणा के द्वारा कर्ता होता है । वीतराग ईश्वर में फलेच्छारूप व्यापक धर्म नहीं है इसलिए उस का व्याप्य होने से साक्षात् या परप्रेरणामूलक कर्तृत्व भी उसमें नहीं हो सकता ।

(नरकादिफलक कृत्य में ईश्वर प्रेरणा का अनौचित्य)

पांचवी कारिका में पूर्व कारिका में कही हुई वात को ही स्पष्ट किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—ईश्वर कुछ जीवों को ब्रह्महत्या श्रादि ऐसे कार्यों में प्रवृत्त करता है जिस से कर्ता को नरक की प्राप्ति होती है और कुछ जीवों को यम नियमादि कर्मों में प्रवृत्त करता है जिस से कर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है । प्रश्न होता है—ईश्वर जीवों को इस प्रकार विभिन्न कर्मों में व्यों प्रवृत्त करता है, इस प्रकार जीवों को प्रवृत्त करने में उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ?

की साधनतः मे प्रमाण है। किन्तु यदि विधिप्रत्यय का अर्थ इष्टसाधनता को माना जाय तो 'आत्मज्ञो मृत्यु तरति' इन वाक्य से ही आत्मज्ञान मे मृत्युतरण की साधनता का बोध हो जाने से उस बोध के संपादनार्थ विधिवाक्य का अनुमान निरर्थक हो जायगा। और यदि विधि प्रत्यय का अर्थ आज्ञाभिप्राय माना जायगा तब 'आत्मज्ञो मृत्यु तरति' इस वाक्य से आत्मज्ञान मृत्युतरण का साधन हैं पहीं बोध होने के कारण आत्मज्ञान मृत्युतरण चाहने वाले के कर्तव्यलूप मे आप्ताभिप्रेत है इस विध्यर्थ का ज्ञान कराने के लिये विधिवाक्य के अनुमान की सार्थकता हो सकेगी। वयोकि यह बोध 'आत्मज्ञो मृत्यु तरति' इस वाक्य से नहीं होता।

विधिप्रत्यय से ईश्वरानुमान होने का एक और भी प्रकार है जैसे, वेदवाक्य मे मध्यम पुरुषोय और उत्तम पुरुषोय विधि प्रत्यय भी उपलब्ध होते हैं। जैसे 'आत्मानम् विद्धि=आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो'। 'एकोऽहं बहु स्याम् प्रजायेय=मे एक हूँ बहुत हो जाऊं और प्रकृष्ट रूप मे प्रादुर्भूत होऊँ,' इन वाक्यों से आये विधिप्रत्यय को उन से घटित वाक्य के वक्ता के सकल्प का बोधक मानना आवश्यक है वयोकि मध्यम और उत्तम पुरुषोय विधिप्रत्यय वक्ता के ही सकल्प का बोधक होता है। जैसे इदं कार्यं कुर्या।' इन लोकिक वाक्यों मे आये विधिप्रत्यय से वक्ता के ही सकल्प का बोध होता है। इस प्रकार वैदिक वाक्यों ने आये विधिप्रत्यय से जिस वक्ता के संकल्प का बोध होगा वह जीव नहीं हो सकता किन्तु ईश्वर ही हो सकता है। वयोकि वेद का आद्यवक्ता ईश्वर ही हो सकता है जीव नहीं हो सकता।

इसी प्रकार आज्ञा अध्येषणा अनुज्ञा संप्रेषन प्रार्थना और आशंमा बोधक लिङ्गप्रत्यय भी इच्छारूप अर्थ का ही बोधक होता है और यह सभी प्रकार के लिङ्गवेदों से उपलब्ध होते हैं। अत एव उन से बोधित होनेवाली इच्छा के आश्रय रूप मे ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। लिङ्ग के आज्ञा आदि अर्थों के निर्वचन से लिङ्ग की इच्छावाचकता स्पष्ट है। जैसे—

आज्ञा का अर्थ वह इच्छा है जिस का उल्लङ्घन करने पर इच्छावान् पुरुष कुद्ध होने का संभव हो।

अध्येषणा का अर्थ है वह इच्छा जिस से अध्येषणार्थक लिङ्ग का प्रयोग करने वाले पुरुष की अध्येषणीय पुरुष के प्रति कृपा का बोध हो।

अनुज्ञा का अर्थ वह इच्छा है जिस से निषेध का अभाव सूचित हो।

प्रयोजन अथवा हेतु आदि को जानने की इच्छा का नाम है प्रश्न।

किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम है प्रार्थना।

शुभ की इच्छा का नाम है आशासा। इस प्रकार आज्ञा आदि के इस निर्वचन के अनुसार आज्ञादि बोधक लिङ्ग को इच्छा की बोधकता स्पष्ट है।

[निषेध की अनुपपत्ति]

इष्टसाधनत्व को विधि प्रत्यय का अर्थ मानने से एक और भी बाधा है और वह है निषेध की अनुपपत्ति। जैसे 'सविष्मन्नं मा भुङ्क्व' इस निषेध वाक्य सविष अन्न के भोजन मे विध्यर्थ का निषेध करता है। यदि विध्यर्थ इष्टसाधनता होगा तो इस वाक्य का अर्थ होगा 'सविष अन्न का भोजन इष्ट का साधन नहीं होता' जो असगत है वयोकि भोजनकर्ता को इष्ट होती है तृप्ति=भूख की निवृत्ति। वह सर्विष अन्न के भोजन से भी संपन्न होती है, इसलिये सविष अन्न के भोजन मे इष्ट-

अ्रुतिः=ईश्वरविषयो वेदः ततः, 'यज्ञो वै विष्णुः' इत्यादेविध्येकवाक्यतया 'यद् न दुःखेन संभिन्नम्'० इत्यादिवत् तस्य स्वार्थं एव प्रामाण्यात् । वाक्यात्=वैदिकप्रशंसा-निन्दावाक्यात्, तस्य तदर्थज्ञानपूर्वकत्वात् । सर्व्या 'स्यामभूतम्, भविष्यामि' इत्याद्युक्ता । ततोऽपि स्वतन्त्रोच्चारयितुनिष्ठाया एव तस्या अभिधानादितिरहस्यम् ।

साधनता रहने के कारण उक्त वाक्य को इष्टसाधनता के अभाव का बोधक मानना उचित नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय-'केवल इष्टसाधनत्व को विधिप्रत्यय का अर्थ मानने पर यह बोध हो सकता है, किन्तु 'बलवदनिष्ठाननुबन्धत्वविशिष्टइष्टसाधनता अर्थात् बलवान् अनिष्ट का साधन न होते हुए इष्ट का साधन होना' इस को विधि प्रत्यय का अर्थ मानने से उक्त बोध नहीं हो सकता क्योंकि सविष अन्न का भोजन यद्यपि तृष्णित रूप इष्ट का साधन है किन्तु साथ ही वह मृत्यु रूप बलवान् अनिष्ट का भी साधक है । इसलिये निषेद्व वाक्य से बलवदनिष्ठाननुबन्धत्वविशिष्ट इष्टसाधनत्व के अभाव का बोध होने से कोई बाधा नहीं हो सकती'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि 'इषेन अभिकरन् यजेत्' इस विधि वाक्य से इयेनयाग में विधिप्रत्ययार्थ का बोध होता है, यदि वि'धप्रत्यय का अर्थ बलवदनिष्ठाननुबन्धत्वविशिष्टइष्टसाधनत्व को माना जायगा तो इयेनयाग में शत्रुववजन्य पाप द्वारा नरकरूप बलवान् अनिष्ट की साधनता होने के कारण इस में विधिप्रत्यय से विध्यर्थ का बोध न हो सकेगा । इसी प्रकार 'स्वर्गकामो यजेत्' इस वाक्य से यज्ञ में उस पुरुष को विध्यर्थ का बोध न हो सकेगा जो यज्ञ के अनुष्ठान में अवश्यंभावी अल्प दुख को भी बलवान् समझ कर उससे द्वेष करता है ।

इन सब वातों से यह निविवाद सिद्ध है कि विधिप्रत्यय का अर्थ आप्तानिप्राय ही है अन्य कुछ नहीं । अत उस अभिप्राय के आश्रय रूप में ईश्वर की सिद्धि आवश्यक है ।

(वेद गत इश्वर निरूपण से ईश्वर सिद्धि)

अृति का अर्थ है ईश्वरपरक वेद । इस से भी ईश्वर का अनुमान होता है । कहने का आशय यह है कि वेद में ऐसे अनेक वचन प्राप्त होते हैं जिन में ईश्वर का वर्णन होता है । ऐसे वचन यद्यपि विधिरूप नहीं होते क्योंकि उन से किसी प्रकार के विधि या निषेध का उपदेश नहीं होता । जो विद्वान् जैसे मीमांसिकादि विधिनिषेध बोधक वाक्य को ही प्रमाण मानते हैं उन की इष्टिमें भी ऐसे वचन जो विधि-निषेध रूप नहीं होते अपने अर्थ में प्रमाण होते हैं, क्योंकि उन वाक्यों की विधि वाक्यों के साथ एकवाक्यता होती है । अर्थात् विधिवाक्य और विधि से भिन्न विधि के अङ्गभूत वाक्य मिलकर एक अर्थ का प्रत्यायन करते हैं । जैसे 'विष्णु उपासीत' यह विधि वाक्य और यज्ञ वै विष्णुः' यह विधिभिन्न वाक्य दोनों 'यज्ञस्वरूपम् विष्णुमुपासीत' इस अर्थ का बोधक होता है । यह बोध तभी हो सकता है जब 'यज्ञो वै विष्णु' इस विधिभिन्न वाक्य को भी अपने अर्थ में प्रमाण माना जाय । इसी प्रकार 'स्वर्गकामो यजेत्' यह विधिवाक्य और-'यज्ञ दुखेन समिन्नं, न च ग्रह्तम् अनन्तरम् । अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्व पदास्पदम्' ॥ यह विधिभिन्न वाक्य ये दोनों मिलकर इस अर्थ का बोधन करते हैं कि यज्ञ ऐसे स्वर्ग सुख का साधन है जो दुख से मिश्र नहीं है, जिसे वाद में भी दुख से ग्रह्त होने की संभावना नहीं है और जो इच्छामात्र से ही प्राप्य है । यह बोध भी तभी सम्भव है जब

स=ईश्वरः, कांश्चिद्गत्त्वान् नरकादिफले-ब्रह्महत्यादौ कर्मणि, कांश्चित् स्वर्गादिसाधने यम-नियमादौ वा, आशु=शीघ्रम्, केन हेतुना प्रेरयति॑ क्रीडादिप्रयोजनाभ्युपगमे रागद्वेषाभ्यां वैगम्यव्याहृतिः, प्रयोजनाऽनभ्युपगमे च तन्मूलकप्रेरणाभावात् सिद्धान्तव्याघातः, इत्युभयतः-पाशा रज्जुरिति भावः ॥५॥

पराभिप्रायमाशङ्क्य निराकरोति-

स्वयमेव प्रवर्तन्ते सत्त्वाश्चेच्चित्रकर्मणि ।
निरर्थकमिहेशस्य कर्तृत्वं गीयते कथम् ? ॥ ६ ॥

‘सत्त्वाः, चित्रकर्मणि=ब्रह्महत्या-यम-नियमादौ, स्वयमेव=तमःसत्त्वोद्रेकेण तथाविध्वुद्ध्वचंशव्यापारावेशोनैव, प्रवर्तन्ते=कर्तृत्वेनाऽभिमन्यन्ते, प्रयोजनज्ञानार्थं परमीश्वर-पेक्षेति’ चेत् ? इह=कर्मणि, निरर्थकमीशस्य कर्तृत्वं कथं गीयते ? प्रयोजनज्ञानं हि प्रवर्तनार्थमुपयुज्यते, प्रवृत्तिश्च यदि स्वत एवोपपन्ना, तदेश्वरसिद्धिव्यस्तर्न गृहलव्य एव धने विदेश-गमनप्रायम् । ६॥

यदि यह कहा जाय ‘विभिन्न जीवों को प्रवर्त करना यह उस का खेल है । खेल खेलने के लिए ही वह विभिन्न कर्मों में जीवों को प्रवृत्त करता है’-तो यह ठीक नहीं, क्योंकि खेल से भी यदि मनुष्य को किसी प्रकार का सुख प्राप्त होता है तभी वह खेल भी खेलता है अन्यथा खेल से विरत हो जाता है । आशय यह है कि ईश्वर यदि किसी प्रकार के सुख की ईच्छा से खेल खेलता है तो उसे सुख और सुख के साधन के प्रति रागवान् मानना । यदि वह मनोविनोद के लिए अथवा यदि मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए खेल खेलता है तो कष्ट और कष्ट के साधन के प्रति द्वेषदान् मानना पड़ेगा । फलतः ईश्वर को वीतराग कहना असंभव हो जायगा । और यदि ईश्वर का खेल खेलने में कोई प्रयोजन न माना जायगा तो जीवों को विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त करना यह उस का खेल नहीं घट सकता क्योंकि ‘पर का प्रवर्तन भी किसी प्रयोजन से ही होता है । फलतः ‘ईश्वर परका प्रेरक होकर कर्ता होता है’ इस सिद्धान्त की हानि हो जायगी । उक्त छप से चिचार करने पर सांख्य और अन्य वादी के लिए दोनों ओर से बाधने वाली रस्सी तैयार रहती हैं, अर्थात् उसे वीतराग माना जायगा तो वह पर का प्रेरक नहीं हो सकता और यदि पर का प्रेरक होगा तो वीतराग नहीं हो सकता । अतः सांख्य और अन्य वादी को ईश्वर के सम्बन्ध में वीतरागता और पर-प्रेरकत्व इन दोनों में किसी एक का त्याग करना आवश्यक है ।

(बुद्धिकर्तृत्वपक्ष में भी ईश्वरकर्तृत्व निरर्थक)

छट्ठी कार्तिका में ईश्वर के सम्बन्ध में सांख्ययोग के एक और आशय को प्रस्तुत कर उस का निराकरण किया गया है । कार्तिका का अर्थ इस प्रकार है-जीव ब्रह्महत्या और यम नियमादि जैसे विभिन्न कर्मों में स्वयं हि प्रवृत्त होते हैं । आशय यह है कि सांख्यमतानुसार प्रवृत्त-निवृत्त होना पुरुष का काम नहीं है किन्तु उस की बुद्धि का काम है । बुद्धि त्रिगुणात्मिका होती है । बुद्धि के तीन गुण सत्त्व-रजस्-तमस् कहे जाते हैं ।

अभिप्रायान्तरमाशङ्क्य निगुरुते-

मूलम्-फलं ददाति चेत्सर्वं तत्तेनेह प्रचोदितम् ।

अफले पूर्वदोषः स्यात् सफले भक्तिमात्रता ॥ ७ ॥

सर्वं तत्=चित्रं कर्म, इह=जगति, तेन=ईश्वरेण, प्रचोदितम्=अधिष्ठितं सत्, फलं=सुखदुःखादिकम्, ददाति=उपघते, अचेतनस्य चेतनाधिष्ठितम्यैव कार्यजनकत्वादिति चेत् ? अफले=स्वतथित्रफलदानाऽयमर्थे कर्मण्यभ्युपगम्यमाने, पूर्वदोषः=पूर्वोक्तः स्वर्ग-नरकादिफलाऽनियमदोषः स्यात् । सफले=स्वतथित्रफलदानसमर्थकर्मणि त्वभ्युपगम्यमाने, भक्तिमात्रता=ईश्वरे भक्तिमात्रं स्यात्, हरीतकीरेकन्यायात् । 'अचेतनं चेतनाधिष्ठितमेव जनकमि'ति नियमस्त्वताद्वास्यापि वनवीजस्याऽङ्कुरजननत्वदर्शनादसिद्धः, तस्यापि पक्षतायाम्, अन्यत्रापि व्यभिचारिणः पक्षतायां निवेशोऽनैकान्तिकोऽन्नेदप्रसङ्गादिति भावः ॥७॥

जब बुद्धि के सत्त्व गुण का उत्कर्ष होता है तब उसे दया भक्ति-दैरास्यादि प्रशस्ति सात्त्विक भाव जाग्रत होकर सत् कर्तव्यों को करने का सकल्प होता है और उन के अनुसार रजोगुण के सहकार से वह सत्कर्म करती है । जब बुद्धि के रजोगुण का उद्रेक होता है तब सत्त्व या तमो गुण से प्ररित हो सत् या असत् कर्मों करने का मंकल्प होता है और उन के अनुसार वह सत् या असत् कर्मों को करती है । जब बुद्धि के तमोगुण का आधिक्य होता है तब उस में प्रबल राग द्वेष ईर्ष्या निर्दयतादि तामस भावों का प्राकट्य होता है । बुद्धि के इस कर्तृत्व का पुरुष को केवल अभिमान होता है और वह इसलिए होता है कि पुरुष अपने को बुद्धि से पृथक् नहीं समझता । विभिन्न कर्मों से पुरुष को स्वतः कर्तृत्व का अभिमान प्रवृत्त होता है । बुद्धि के विभिन्न कर्मों से बुद्धि की प्रवृत्ति के लिए भा प्रयोजन का ज्ञान अपेक्षित होता है जो ईश्वर के सनिधान से ही संभव है अर्थात् ईश्वर बुद्धि को तद् तद् कर्मों के प्रयोजन का ज्ञान सपादित करता है और उसी से बुद्धि तत् तत् कर्मों में प्रवृत्त होती है । ईश्वर को परप्रेरक मानने में योगदर्शन का यह अभिप्राय है । किन्तु इस सद्व्यवहार में ग्रन्थकार की यह आलोचना है-त्रिगुणात्मिका बुद्धि स्वभाव से ही प्रवृत्तिशील है । अतः उस के प्रदर्शन के लिए प्रयोजन ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है और यदि है तो वह भी बुद्धि को स्वयं ही सपन्न हो सकता है । अतः उस के लिए ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास ठीक उसी प्रकार निरर्थक है जैसे घर में ही धन की प्राप्ति समव रहने पर धन कमाने के लिए विदेश की यात्रा निरर्थक होती है ।

(कर्म की ईश्वराधीनता का निरसन)

७ वीं कारिका में योग दर्शन के एक और अभिप्राय की चर्चा कर के उस का निराकरण किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

सभी कर्म ईश्वर की प्रेरणा से ही फलप्रद होता है क्योंकि अचेतन में चेतन के सयोग से ही कार्य-जनकता होती है । अतः कर्म की सफलता उपपन्न करने के लिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है । इस अभिप्राय के सम्बन्ध में ग्रन्थकार की यह समीक्षा है कि यदि विभिन्न कर्म विभिन्न फलों को प्रदान करने से स्वयं समर्थ न हो तो ईश्वर का अस्तित्व मानने पर भी उन कर्मों से स्वर्ग नरकादि विभिन्न

आदिसर्गे तस्यैव स्वातन्त्र्यमित्याशङ्क्य निराकुरुते—

आदिसर्गेऽपि नो हेतुः कृतकृत्यस्य विद्यते ।
प्रतिज्ञातविरोधित्वात् स्वभावोऽप्यप्रमाणकः ॥८॥

आदिसर्गेऽपि कृतकृत्यस्य=वीतरागस्य, हेतुः=प्रयोजनम्, न विद्यते, ततः कथमादि-सर्गमप्यय कुर्यात् । अयेदशः स्वभाव एवाऽस्य, यत्प्रयोजनाऽभावेऽप्यादिसर्गं स्वातन्त्र्येणैव कगेति, अन्यदा त्वद्विषयपेक्ष्यैवेति । अत आह-‘स्वभावोऽपि’ प्रागुक्तः ‘अप्रमाणकः,’ धर्मिण एव चाऽसिद्धौ कुत्र तादृशः स्वभावः कल्पनीयः १ इति भावः ॥८ ।

फलों की सिद्धि न होगी । क्योंकि यदि कर्मों में स्वयं तद् तद् फलप्रदान करने का समर्थन न होगा तो ईश्वर का अस्तित्व दोनों प्रकार के कर्मों के लिये समान होने से यह नियम नहीं हो सकता कि ब्रह्महृत्यादि से नर्क ही हो और यमनियमादि से स्वर्ग हो । और यदि इस दोष के परिहारार्थ उन कर्मों को तद् तद् फलों का प्रदान करने में स्वयं समर्थ माना जायगा तो फिर ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता होगी ? क्योंकि कर्म तो स्वयं ही तद् तद् फलों को प्रदान कर देते हैं । अतः उस पक्ष से भी ईश्वर को कर्म का सहकारी मानना ईश्वर के प्रति सक्त की भक्ति का श्रज्ञानपूर्वक प्रदर्शन मात्र है । यह ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्य को स्वयं रेच होने पर हरितकी के सेवन की प्रवृत्ति । और यह जो बात कही गई कि अचेतन चेतन के सहयोग से ही कार्य का जनक होता है वह भी सार्वत्रिक नहीं है, क्योंकि चेतन सहायक के बिना भी वनस्थ बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है । यदि यह कहा जाय-‘वनस्थ बीज भी पक्ष कोटि में ही प्रविष्ट है अर्थात् जैसे कर्म को फलप्रदता को उपपन्न करने के लिये कर्म को सहकारी ईश्वर की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वनस्थ बीज में अकुरजनकता की उत्पत्ति के लिये भी वनस्थबीज के सहकारीरूप में ईश्वर की कल्पना की जायगी’ । -किन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर जगत् में अनेकान्तिक दोष का अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा अर्थात् कोई भी हेतु कहीं भी साध्य का व्यभिचारी न हो सकेगा क्योंकि जहाँ भी हेतु में साध्य का व्यभिचार प्रदर्शित होगा-उस का पक्ष में अन्तर्भाव किया जा सकता है ॥७ ।

(वीतराग ईश्वर को विश्वरचना में प्रयोजनाभाव)

आठवीं कारिका में ईश्वर प्रथमसृष्टि का स्वतत्र कर्ता है इस मत का निराकरण किया गया है । ईश्वर के कर्तृत्व का समर्थन करनेवाले कुछ लोगों की यह मान्यता है कि जो सृष्टि जीव के कर्मों से संपन्न होती है वह तो ईश्वर के बिना जीव के कर्मों से ही उपपन्न हो जायगी किन्तु पहली सृष्टि जिस के पूर्व जीवकर्म विद्यमान नहीं है उस की उत्पत्ति ईश्वर से ही हो सकती है । किन्तु यह मानना युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता क्योंकि ईश्वर वीतराग है उसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है तो वह सृष्टि को उत्पन्न ही क्यों करेगा ? अत सृष्टि के सम्बन्ध में भी यही मानना होगा कोई सृष्टि प्रथम सृष्टि नहीं है वल्कि सृष्टि का प्रवाह अनादि है । पूर्व में ऐसा कोई काल नहीं था जिस में यह सृष्टि न रही हो । यदि ऐसा न माना जायगा तो सृष्टि का अस्तित्व रहना किसी भी प्रकार संभव न हो सकेगा ।

विश्वहेतुतया धर्मिग्राहकमानेन तादृशस्वभाव एव भगवान् साध्यते, इत्यभिप्रायादाह-

मूलम्-कर्मदिस्तत्स्वभावत्वे न किञ्चिद् धाध्यते विभोः ।

विभोस्तु तत्स्वभावत्वे कृतकृत्यत्ववाधनम् ॥ ९ ॥

कर्मदिस्तत्स्वभावत्वे=ईश्वरमनपेक्ष्य जगज्जननस्वभावत्वे, न किञ्चिद् विभोः=परमे-
श्वरस्य, धाध्यते । विभोस्तु तत्स्वभावत्वे=स्वातन्त्र्येण अन्यहेतुसापेक्षतया वा जगज्जननस्व-
भावत्वे, कृतकृत्यत्ववाधनम् वीतरागत्वव्याहतेः, कारणतया प्रकृतित्वप्रसङ्गाच्च । अथ
परिणामित्वाभावाद् न प्रकृतित्वम्, प्रयोजनाभावेन जन्येच्छाया अभावेऽपि नित्येच्छासन्वाद्
न वैराग्यव्याहतिः, जन्येच्छाया एव रागपदार्थत्वात् । ऐश्वर्यमपि न जन्यम्, किन्तु तत्फला-
वच्छिन्नेच्छैव । सर्गादौ रजःप्रभृत्युद्रेकोऽपि तत्र तत्कार्यकारित्यैव गीयत इति न कूटस्थत्व-
हानिरिति चेत् ?

जल्पता गिरिशासाधने गिरं न्यायदर्शननिवेशपेशलाम् ।

सांख्य ! संप्रति निजं कुलं त्वया हन्त ! हन्त ? सकलं कलङ्कितम् ॥ ॥

यत एवं कार्यजनकज्ञानादिसिद्धौ तदाश्रयतया बुद्धिरेव नित्या सिद्धेत्, न त्वीश्वरः,
बुद्धित्वस्यैव ज्ञानाद्याश्रयतावच्छेदकत्वात् । आत्मत्वस्य तदाश्रयतावच्छेदकत्वे तु जन्यज्ञाना-
दीनामप्यात्माश्रिततया विलीनं प्रकृत्यादिप्रक्रियया इति किमज्जेन सह विचारप्रपञ्चेन ।

यदि यह कहा जाय-'नहीं, सृष्टि अपूर्व भी होती है जिसे प्रथम सृष्टि कहा जा सकता है । और उसे किसी प्रयोजन के बिना भी परमेश्वर अपने स्वभाव से ही उत्पन्न करता है । किन्तु जब पहले सृष्टि हो जाती है और उस मे जीव शुभाशुभ कर्म करने लगते हैं तब उस के बाद की सृष्टि उन कर्मों के अनुसार होती है । अर्थात् बाद की सृष्टि को ईश्वर कर्मनुसार सपन्न करता है'-यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि ईश्वर किसी प्रमाणा से सिद्ध हो जाय तब उस मे बिना प्रयोजन के भी निमणि करने के स्वभावरूप धर्म की कल्पना की जा सकती है किन्तु जब तक वह स्वयं ही सिद्ध नहीं है तो उस मे स्वभाव की कल्पना कैसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय-'प्रथम तृष्णि के कर्ता रूप मे ईश्वर का अनुमान होता है और प्रथम सृष्टि का कर्तृत्व ईश्वर का उक्त स्वभाव मानने पर ही समव है अतः आद्यसृष्टि मूलक जिस अनुमान से ईश्वररूप धर्मोंकी सिद्धि होगी उसी प्रमाण से उक्त स्व-भावविशिष्ट हो ईश्वर को सिद्धि होगी । अतः यह आवश्यक नहीं है कि ईश्वररूपधर्मों को पहले सिद्ध किया जाय और बाद में उस मे उक्त स्वभावरूप धर्मोंकी कल्पना की जाय ।'-किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि आद्य सृष्टि मे ही कोई प्रमाण नहीं है ।

(निष्प्रयोजन चेष्टा से वीतरागता की हानि)

६ वीं कारिका मे इस अभिप्राय की चर्चा और उसकी आलोचना की गई है-विश्व के कर्ता रूप मे जिस अनुमानप्रमाण से ईश्वररूप धर्मोंकी सिद्धि होगी उस प्रमाण से प्रयोजन बिना

भी कार्य करने का उस का स्वभाव भी सिद्ध होगा। 'कारिका का प्रयं इन प्रकार है—कर्म ईश्वर की अपेक्षा न कर के स्वयं ही जगत् का कारण होता है—कर्म का ऐसा स्वभाव मानने पर ईश्वर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की वाधा नहीं होती। किन्तु ईश्वर स्वतप्रसप से श्रयवा किसी ग्रन्थ हेतु के सहयोग से जगत् का निर्माण करता है—ईश्वर का ऐसा स्वभाव मानने पर उस की छृतछृत्पता अर्थात् पूर्णता की वाधा होती है। क्योंकि उसे कर्ता मानने पर उस के वीतरागत्वकी हानि होती है और उसे जगत् का कारण मानने पर उस में प्रकृतिरूपता की प्राप्ति होती है। क्योंकि साख्ययोगदर्शन में प्रकृति को ही जगत् का कारण माना गया है। इस प्राप्ति को इष्टाप्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि ईश्वर जब प्रकृतिरूप होगा तो उसे सविकार होना पड़ेगा।

इस सन्दर्भ में साख्ययोग की ओर से यह कहा जा सकता है कि ईश्वर को जगत् दा कर्ता मानने में उपर्युक्त दोषों में कोई भी दोष नहीं हो सकता। जैसे ईश्वर को जगत् का कर्ता मानने पर भी उस में प्रकृतिरूपता की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परिणामी कारण को ही प्रकृति कहा जाता है। ईश्वर जगत् का परिणामी कारण न होने से प्रकृतिरूप नहीं है। ईश्वर को जगत्वर्ता मानने पर उस की वीतरागता का विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि जन्य इच्छा को ही राग कहा जाता है। और ईश्वर को कोई प्रयोजन न होने से उस में जन्य इच्छा नहीं हो सकती। नित्य इच्छा होने पर भी उस की वीतरागता सुरक्षित रह सकती है क्योंकि जन्य इच्छा के अभाव को ही वीतरागता कहा जाता है। उस का ऐश्वर्य भी जन्य नहीं हो सकता क्योंकि वह तद् तद् फलविषयक नित्य इच्छारूप ही है। सृष्टि के आरम्भ में रजोगुण का उत्कर्ष होता है—इस कथन से ईश्वर में सगुणता की भी आशासा नहीं की जा सकती क्योंकि समयानुसार उत्कृष्ट और अपकृष्ट होना यह गुणों का अपना ही त्वभाव है। ईश्वर की इच्छा गुणों के यथा समय होने वाले उत्कर्ष और अपकर्ष को विषय करती है। इसी से ईश्वर गुणों में वैषम्य का उत्पादक' कहा जाता है। अतः ईश्वर को जगत् का कर्ता मानने पर उस की कूटस्थिता अर्थात् निविकारता की हानि नहीं हो सकती—किन्तु व्वारत्यकार का कहना है कि यह कथन ठीक नहीं है। इस कथन पर उन्होंने यह कहते हुए साख्य की भर्त्सना की है कि ईश्वर को सिद्ध करने के लिये जो बात अभी कही गई है वह न्यायदर्शन की मान्यता पर आधारित होने से समीचीन प्रतीत होती है। किन्तु उसे अपनी मान्यता के रूप में यदि सांख्यवादी स्वीकार करते हैं तो इस से उन की पुरी परम्परा ही कलद्वित हो जाती है। तात्पर्य यह है कि—

(सांख्यमत में ज्ञानादि का आश्रय ईश्वर नहीं हो सकता)

उक्त रीति से ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास सार्थक भी नहीं हो सकता क्योंकि उक्त रीति से कार्य सामान्य के कारण रूप से ज्ञान इच्छा और प्रयत्न की सिद्धि होती है। ईश्वर को उक्त ज्ञान आदि के आश्रयरूप में अज्ञीकार करना होता है जो सांख्य की दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि उनके मत में ज्ञान आदि का आश्रय बुद्धि ही होती है ईश्वर नहीं होता। उस मत में बुद्धित्व ही ज्ञान आदि को आश्रयता का नियामक होता है। और यदि आत्मत्व को ज्ञान आदि की आश्रयता का नियामक माना जायगा तो जैसे कार्य सामान्य का कारणभूत नित्य ज्ञान आदि आत्माश्रित होगा इसी प्रकार जन्यज्ञान आदि भी आत्माश्रित ही होगा। इस प्रकार न्यायदर्शन के समान जीव और ईश्वर की पटाद्यर्थ प्रवृत्ति के प्रति पटादि के उपादान का तद् तद् पुरुषीय प्रत्यक्ष कारण है। फलत तद् तद् कार्यार्थी की प्रवृत्ति और तद् तद् कार्य के उपादान का प्रत्यक्ष इन्हीं के बीच कार्यकारणभाव आवश्यक

नैयायिकोक्तरीत्यापि नेश्वरसिद्धिः । तथाहि—कार्येण तत्साधने आद्यानुमाने नाऽनु-
कूलस्तर्कः, तत्पुरुषीयपटाद्यर्थिप्रवृत्तित्वावच्छिन्नं प्रति तत्पुरुषीयपटादिमन्त्रप्रकारकोपादान-
प्रत्यक्षत्वेन हेतुत्वाद्यश्यकत्वात्, प्रत्यक्षत्वेन कार्यसामान्यहेतुत्वे मानाभावात्, चिकीर्षाया
अपि प्रवृत्तावेव हेतुत्वात्, कृतेरपि विलक्षणकृतित्वेनैव घटत्व-पटत्वाद्यवच्छिन्नहेतुत्वात् ।

मान्यता सांख्य शास्त्र मे भी आ जायगी । फलतः त्रिगुणात्मका प्रकृति ही जगत् का मूल कारण है और उस से उत्पन्न बुद्धि ही ज्ञानादि गुणों का आश्रय और कर्ता है—यह सब साख्य दर्शन की मान्यता समाप्त हो जायगी । तो इस प्रकार जो साख्यशास्त्र की मान्यता का अनभिज्ञ होते हुए सांख्य की ओर से विचार करने को उद्यत होता है उसके साथ विचार करना अनुचित है । इसलिये इस चर्चा को इतने मे ही समाप्त कर देना ठीक है, क्योंकि इतने से ही ईश्वर के सम्बन्ध मे सांख्ययोग द्वारा प्रदर्शित युक्तियां निर्वर्थक सिद्ध हो जाती हैं ।

(कार्यसामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष कारणता की आलोचना)

नैयायिको ने ईश्वर को सिद्ध करने की जो रीत बताई है उस से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती—जैसे उन्होंने ने कार्य द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने के लिये सर्व प्रथम इस अनुमान का प्रयोग किया है ‘कार्य सकर्तृक कार्यत्वात्’= सपूर्ण कार्य कर्तृसापेक्ष है क्योंकि कार्य है ।’ किन्तु यह अनुमान समीचीन नहीं हो सकता क्योंकि—जो भी कार्य होता है वह सभी कर्तृसापेक्ष होता है इस नियम का निश्चायक कोई तर्क नहीं है । कहने का आशय यह है कि कार्यसामान्य के प्रति सामान्यरूप से उपादान विषयक प्रत्यक्ष कारण है इस कार्यकारण भाव पर ही उक्त अनुमान निर्भर है किन्तु इस कार्य-कारण भाव मे कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि इस कार्यकारणभाव को मानने पर भी यह प्रश्न होता है कि पट-उपादान के प्रत्यक्ष से घटार्थीको और घटोपादान के प्रत्यक्ष से पटार्थी की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ? क्योंकि जब सामान्यरूप से उपादान का प्रत्यक्ष सामान्यरूप से कार्य सात्र का कारण है तो किसी भी उपादान के प्रत्यक्ष से किसी भी कार्य की उत्पत्ति होना युक्तिसङ्गत है । अतः इस प्रश्न का समाधान करने के लिये इस प्रकार का विशेष कार्यकारणभाव मानना होगा कि तत् तत् पुरुष की पटाद्यर्थ प्रवृत्ति के प्रति पटादि के उपादान का तद् तद् पुरुषीय प्रत्यक्ष कारण है । फलतः तत् तत् कार्यार्थी की प्रवृत्ति और तद् तद् कार्य के उपादान का प्रत्यक्ष इन्हीं के बीच कार्यकारणभाव आवश्यक है । इसी से उपादान प्रत्यक्ष के अभाव मे कार्योत्पत्ति की आपत्ति का परिहार हो जायगा अतः ‘कार्य सामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष कारण है’ इस सामान्य कार्यकारणभाव की कोई आवश्यकता न रहेगी । तो जब इस प्रकार—कार्य सामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष या उस प्रत्यक्ष का आश्रयभूत कर्ता कारण है यह कार्यकारणभाव ही असिद्ध है तो कार्य सामान्य से कर्तृ सामान्य का अनुमान कैसे हो सकेगा ?

(कृति और कार्य का भी सामान्यतः कार्य-कारण भाव नहीं है)

जिस प्रकार उपादान का प्रत्यक्ष उपर्युक्त रीति से प्रवृत्ति का ही कारण है उसी प्रकार चिकीर्षा भी प्रवृत्ति का ही कारण है, कार्य सामान्य का कारण नहीं है । और कृतित्व रूप से कृति भी कार्यत्व रूप से कार्य सामान्य का कारण नहीं है किन्तु घटपटादि तद् तद् कार्य के प्रति कुलात् तनुवाय

न च प्रवृत्ताविव घटादावपि ज्ञानेच्छयोरन्वय-व्यतिरेकाभ्यां हेतुत्वसिद्धेः तत्र घटत्व-पट-त्वादीनामानन्त्यात् कार्यत्वमेव साधारण्यात् कार्यतावच्छेदकम् , शरीरलाघवमपेक्ष्य संग्राहकलाघ-वस्य न्याय्यत्वात् , कृतेस्तु 'यद्विशेषयोः'० इति न्यायात् सामान्यतोऽपि हेतुत्वमिति वाच्यम्,

आदि की कृति विलक्षण कृतित्व रूप से ही कारण है। कहने का आशय यह है कि कार्य सामान्य के प्रति कृति सामान्य को कारण मानने से घट के लिये होनेवाली कृति से पट की और पट के लिये होनेवाली कृति से घट की उत्पत्ति होने की आपत्ति हो सकती है। अत जिन कृतियों से घट उत्पन्न होता है उन से विलक्षण जाति और जिन कृतियों से पट उत्पन्न होता है उस से दूसरी विलक्षण जाति मानकर-घट पट आदि कार्यों के प्रति भिन्न भिन्न विजातीय कृतियां कारण हैं-यह कार्य-कारण-भाव मानना आवश्यक है। और इस कार्यकारणभाव को मान लेने पर कार्यसामान्य के प्रति कृति-सामान्य को कारण मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिये कार्यसामान्य से उपादान-प्रत्यक्ष या चिकीर्षा अथवा कृति का अनुभान नहीं हो सकता। और इसीलिये कार्य सामान्य के कारणमूल उपादानप्रत्यक्ष, चिकीर्षा और कृति के आश्रयरूप में जगत् कर्ता ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता।

[व्यापकरूप से कारणता की सिद्धि का प्रयास-पूर्वपक्ष]

इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि—

जैसे उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा रहने पर प्रवृत्ति होती है और उस के न रहने पर प्रवृत्ति नहीं होती है-इस अन्वय व्यतिरेक से उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा को प्रवृत्तिका कारण माना जाता है उसी प्रकार उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा के अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान घटादि में भी है, इसलिये घटपटादि के प्रति उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा को कारण मानना आवश्यक है। तो इस प्रकार जब प्रवृत्ति के समान अन्य कार्यों के प्रति उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा की कारणता सिद्ध होती है तब घटत्व पटत्व आदि अनन्त धर्मविच्छिन्न के प्रति उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा को कारण मानने की अपेक्षा कार्यत्व रूप सामान्य धर्मविच्छिन्न के प्रति उन्हे कारण मानना उचित है।

यदि यह कहा जाय कि-'घटत्व पटत्वादि की अपेक्षा प्रागभावप्रतियोगित्वरूप कार्यत्व का शरीर गुरु है अत उस की अपेक्षा लघुशरीरी घटत्व पटत्वादि को ही उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा का कार्यतावच्छेदक होना उचित है'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि घटत्व पटत्वादि धर्म सपूर्ण कार्यों का संदर्भाहक नहीं है और कार्यत्व सपूर्ण कार्यों का संग्राहक है। इसलिये उसी को उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा का कार्यतावच्छेदक मानना न्यायसङ्गत है क्योंकि उसे कार्यतावच्छेदक मानने पर कार्य सामान्य के प्रति उपादान प्रत्यक्षादि में एक एक कारणता की ही सिद्धि होगी और घटत्व पटत्व आदि धर्मों को कारणतावच्छेदक मानने पर तद् तद् धर्मविच्छिन्न के प्रति विजातीय उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा में अनन्त कारणता माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार जब कार्यसामान्य के प्रति उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा की कारणता सिद्ध हो जाती है तो कार्यसामान्य से कार्य सामान्य के उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा का अनुभान होने से और उस के आश्रय रूप में ईश्वर का अनुभान होने से कोई वाधा नहीं हो सकती। इसी प्रकार घटपटादि कार्यों के प्रति पृथक् रूप से विजातीय कृतियों को कारण मानने पर भी-कार्य सामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण हैं-यह सामान्य कार्यकारण भाव

कार्यत्वस्य कालिकेन घटत्व-पटत्वादिसत्त्वरूपस्य नानात्वात् , ध्वंसव्यावृत्त्यर्थं देयस्य सत्त्वस्य विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहेणाऽनिगुरुत्वाच्च । न च द्रव्यजन्यतावच्छेदकतया सिद्धं जन्यसत्त्वम् अवच्छिन्नममवेतत्वं वा तज्जन्यतावच्छेदकम् , तथापि प्रत्येकं विनिगमना-विरहात् , 'यद्विशेषयोः'० इति न्याये मानाभावात् । किञ्च, एवं प्रायोगिकत्वमेव शैलादि-व्यावृत्तं देवकुलाद्यनुवृत्तं सकलजनव्यवहारसिद्धं प्रयत्नजन्यतावच्छेदकमस्तु, व्याप्यधर्मत्वात् , इदमेवाऽभिप्रेत्य हेतुविशेषविकल्पने कार्यममत्वं सम्मतिटीकाकृता निरस्तम् ।

भी सिद्ध होगा क्योंकि-'यद्विशेषयोः. कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि' यह सर्वमान्य नियम है । इस का आशय यह है कि जिन पदार्थों में विशेषरूप से कार्यकारणभाव होता है उन पदार्थों में सामान्यरूप से भी कार्यकारणभाव होता है । जैसे एक घट को उत्पन्न करनेवाले कपाल से अन्य घट की उत्पत्ति का वारण करने के लिये तद् तद् घट के प्रति तद् तद् कपाल को कारण मानने पर-घट सामान्य प्रति कपालसामान्य कारण है-यह भी कार्यकारणभाव माना जाता है, उसी प्रकार कार्य-विशेष और कृतिविशेष मे कार्यकारणभाव मानने पर कार्यसामान्य और कृतिसामान्य में भी कार्य-कारणभाव मानना न्यायसङ्गत है ।

यदि यह कहा जाय कि-'विशेष कार्यकारणभाव से ही कार्य सिद्ध हो जाने से सामान्यरूप से कार्यकारणभाव की कल्पना कहीं भी मान्य नहीं है । अतः 'यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि' यह नियम निर्युक्तिक है।'- तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि जहाँ कोई कपाल नहीं है वहाँ यदि यह प्रश्न हो कि ऐसे स्थल में घट की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? तो इस का उत्तर यह नहीं दिया जा सकता कि तद् तद् कपाल का अभाव होने से घट की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि तत्कपाल के अभाव मे भी अन्य कपाल से घट की उत्पत्ति होती है । अतः तद् तद् कपाल का अभाव तद् तद् घट की ही अनुत्पत्ति का नियामक नहीं हो सकता है । अतः घटसामान्य की अनुत्पत्ति का नियामक कपाल-सामान्य के अभाव को ही मानना होगा और यह तभी संभव है जब घट और कपाल मे सामान्यरूप से भी कार्यकारणभाव हो । उसी प्रकार जहाँ कोई कृति नहीं है वहाँ कार्यसामान्य की अनुत्पत्ति का नियामक कृतिसामान्य का अभाव है-इस बातको उपपत्ति के लिये कार्यसामान्य के प्रति कृतिसामान्य को कारणता युक्तिसिद्ध है तब उसके बलसे 'कार्य सकर्तृक कार्यत्वात्' यह अनुमान निर्विधि रूप से सपन्न हो सकता है ।-

(व्यापक रूप से कारणता की सिद्धि का असम्भव-उत्तरपक्ष)

किन्तु यह कथन विचार करने पर समीचीन नहीं प्रतीत होता है क्योंकि कार्यत्व भी जो संपूर्ण कार्योंका संग्राहक है एकधर्म रूप न होकर कालिक सम्बन्ध से घटत्व-पटत्वादि रूप है । आशय यह है कि कार्यत्व को सकल कार्यों में एक अनुगतधर्म के रूप मे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब संपूर्ण कार्यों का अनुगम करने का कोई मार्ग न रहे किन्तु ऐसे मार्ग का अभाव नहीं है, क्योंकि कालिक सम्बन्ध से घटत्व सभी कार्यों मे रहने से समस्त कार्यों का अनुगमक हो सकता है, अतः कालिकसम्बन्ध से घटत्व-पटत्वादि से भिन्न कार्यत्व नामक एक अतिरिक्त धर्म की सत्ता मे कोई प्रमाण नहीं है ।

(सामान्यकार्यकारणभावकल्पना से गौरव)

फलतः 'कार्यसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है' इस नियम का दर्यदसान 'कालिक सम्बन्धसे घटत्वादिमत्' के प्रति कृतिसामान्य कारण हैं'-इस कार्यकारणभाव से होगा। और यह कार्यकारणभाव घटत्वपटत्वादि कार्यतावच्छेदक के भेद से अनन्त होगा। अतः-'घटपटादि तद् तद् कार्यों के प्रति पृथक् रूप से विजातीय कृति कारण है'-इस कार्यकारणभाव से अतिरिक्त उक्त रूप से 'कार्यसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है' इस कार्यकारणभाव की कल्पना गौरवग्रस्त है। इसके अतिरिक्त कार्य-कारण भाव से गौरव का अन्य हेतु भी है जैसे कालिक सम्बन्ध से घटत्व पटत्वादि धर्म भावभूत वस्तु मे रहता है इसी प्रकार ध्वस मे भी रहता है और ध्वस के प्रति उपादान प्रत्यक्षादि कारण नहीं होते क्योंकि उसका कोई उपादान ही नहीं होता। अतः ध्वसरूप कार्य के प्रति उपादानप्रत्यक्षादि कारणों का व्यभिचार वारण करने के लिये ध्वंस को उन के कार्यवर्ग से व्यावृत्त करने के लिये कार्यतावच्छेदककोटि मे सत्त्व-भावत्व का निवेश करना होगा। फलतः भावत्व और घटत्व आदि के विशेषणविशेष्यभाव से कोई विनिगमना न होने से 'घटत्वादि-विशिष्टभाव प्रति उपादानप्रत्यक्षादिक कारण' एवं 'भावत्वविशिष्टधटादिक प्रति उपादानप्रत्यक्षादिकं कारण' इस प्रकार से गुरुतर कार्यकारणभाव की आपत्ति होगी।

(जन्यत्व अथवा अवच्छिन्नत्व का निवेश व्यर्थ है)

यदि यह कहा जाय कि-'भावकार्य की उत्पत्ति द्रव्य मे ही होती है गुणादि में नहीं होती इसलिए जन्यभाव के प्रति द्रव्य कारण है यह कार्यकारणभाव मानना आवश्यक होता है। इसके अनुसार जन्यसत्त्व द्रव्य का कार्यतावच्छेदक होता है। जन्यसत्त्व का अर्थ है जन्यत्वविशिष्टसत्त्व। इस मे जन्यत्व का निवेश नित्य भावपदार्थों की व्यावृत्ति के लिए किया जाता है और सत्त्व का निवेश ध्वस की व्यावृत्ति के लिए किया जाता है। नित्य भावपदार्थों की व्यावृत्ति के लिए जन्यत्व के बदले अवच्छिन्नत्व का भी निवेश किया जा सकता है। अवच्छिन्नत्व का अर्थ है कालाद्विच्छिन्नत्व अर्थात् किञ्चिद्वकालवृत्तित्व। इस प्रकार द्रव्य का जन्यतावच्छेदक जन्यसत्त्व या किञ्चिद्वकालवृत्ति समवेतत्व होता है। उसी को उपादान प्रत्यक्ष चिकोषा और कृति का कार्यतावच्छेदक मान कर जन्यभाव सामान्यके प्रति उपादान प्रत्यक्ष आदि को कारण माना जा सकता है'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जन्यत्व के संबन्ध मे यह बात पूर्ववत् कही जा सकती है कि जन्यत्व अतिरिक्त धर्म न होकर विनिगमना विरह से कालिकसंबंधेन घटत्व-पटत्व आदिरूप ही है। इसीप्रकार अवच्छिन्नत्व के संबंध मे भी कहा जा सकता है कि अवच्छिन्नत्व विनिगमनाविरह से तद् तद् घटादिरूप जो तत् तत् काल, तन्निलिपित्ववृत्तित्व रूप है इसलिए पूर्वोक्त दोष से निस्तार अशक्य है।।

(सामान्याभाव विशेषाभावकूट से अन्य नहीं है)

इस सन्दर्भ मे 'यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि' इस न्याय से कार्यसामान्य और कृतिसामान्य मे कार्यकारणभाव सिद्ध करने का जो प्रयास किया गया हैं वह भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि उस न्याय मे कोई प्रमाण नहीं है। उस न्याय के समर्थन मे जो यह बात कही गई है कि 'जिस स्थान मे कोई कपाल नहीं हैं उस स्थान मे कपालसामायभाव को घट सामान्य की अनुत्पत्ति का नियामक सिद्ध करने के लिए एवं जब कोई कृति नहीं है उस समय कृतिसामान्यभाव को कार्यसामान्य की अनुत्पत्ति का नियामक सिद्ध करने के लिए 'घट सामान्य के प्रति कपालसामान्य

यत्तु घटत्वाद्यवच्छिन्ने कृतित्वेन हेतुत्वेऽपि खण्डघटाद्यन्पत्तिकाले कुलालादिकृतेरस-
च्चादीथरसिद्धिः, इति दीधितिकृतोक्तम्, तत्तुच्छ्रम्, अस्माभिस्तत्र घटे खण्डत्वपर्यायस्यैवा-
भ्युपगमात् । युक्तं चैतद्, प्रत्यभिजोपपत्तेः । तत्र मादश्यादिदोषेण भ्रमकल्पने गौरवात् ।

और कार्यसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है'-यह कार्यकारणभाव मानना आदश्यक है'-वह ठीक नहीं है क्योंकि विशेषाभावकूट से ही सामान्याभाव की प्रतीति आदि उपपत्ति हो जाने से विशेषाभावकूट से निज सामान्याभाव की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं हैं । अतः जहाँ कोई कपाल नहीं है वहाँ घट सामान्य की अनुत्पत्ति का प्रयोजक तत्तत्तकपालाभावसमुदाय ही है । एव जहाँ कोई कृति नहीं है तब उस समय कार्यसामान्य की अनुत्पत्ति का प्रयोजक तत्तत्त कृति का अभाव-समुदाय ही है यही मानना युक्ति सगत हैं । अतः 'यद्विशेषयोः'० न्याय में कोई युक्ति न होने से कार्यकारण के बीच सामान्य कार्य-कारणभाव नहीं सिद्ध हो सकता । अतः कार्यसामान्य से कर्तृ-सामान्य के अनुमान करने का प्रयास असभव है ।

इस से अतिरिक्त व्याख्याकार का कहना है कि प्रयत्न से प्रायोगिक कार्यों की ही उत्पत्ति होती हैं । प्रायोगिक उसे कहते हैं जो प्रयोग अर्थात् मनुष्य की चेष्टा से साध्य है । इसलिए प्रायोगिकत्व ही कार्यत्व का व्याप्ति होने से प्रयत्न का जन्यतावच्छेदक है । और वह शैल आदि कर्तृहीन कार्यों से व्यावृत्त है और देवकुलादि कर्तृ सापेक्ष कार्यों में अनुगत हैं । और उस के अस्तित्व में 'गृहादिकार्यम् प्रायोगिकम्' और 'शैलादिकार्यम् न प्रायोगिकम्' यह सार्वजनिक व्यवहार ही प्रमाण है । इसी अभिप्राय से सम्मतिग्रन्थ के टीकाकार ने हेतुसंबन्धी विकल्प प्रस्तुत होने पर नैयायिक द्वारा उद्भावित कार्यसमत्व का निराकरण किया है । इस विषय की स्पष्टता के लिए सम्मतिटीका दृष्टव्य हैं ।

(खण्डघट का ईश्वर कर्ता है-दीधितिकार को युक्ति)

तत्त्वचितामणि ग्रन्थ के उपर दीधिति नाम की व्याख्या करने वाले रघुनाथ शिरोमणि ने ईश्वर की सिद्धि के संबन्ध में यह कहा हैं कि-कार्य सामान्य के प्रति कृतिसामान्य की कारणता न मानने पर भी घट आदि के प्रति कुलाल आदि की कृति कारण है' इस कार्यकारणभाव के बल पर भी ईश्वर को सिद्धि की जा सकती है । उदाहरण के रूप में उन्होंने खण्डघट को प्रस्तुत किया है । उन का अ शय यह है कि घटमें से कुछ अश निकल जाने पर पूर्ववर्तीं पूर्ण घट का नाश होकर नये अपूर्व घट की उत्पत्ति होती है उसे खण्डघट कहा जाता है । जब यह कार्यकारणभाव है कि घट सामान्य के प्रति कुलालकृति कारण है तो इस खण्डघट के भी घट सामान्य के अतर्गत होने से इसके लिए भी कुलालकृति का होना आवश्यक है । किन्तु वह कुलालकृति आधुनिक कुलाल की कृति नहीं हो सकती । क्योंकि उस खण्डघट का निर्माण करने के लिए कोई आधुनिक कुलाल उपस्थित नहीं होता । अतः यह मानना होगा-यह खण्डघट जिस कुलाल की कृति से उत्पत्ति होता है वह कुलाल ईश्वर है । यही कारण है-वेदों में 'नम कुलालेभ्य' कहकर कुलाल के रूप में ईश्वर की गई है ।

(खण्डघट याने पूर्णतापर्याय की निवृत्ति]

व्याख्याकारने दीधितिकार के इस प्रयास को यह कहकर तुच्छ बताया है कि घट का कोई अश निकल जाने पर पूर्वघट का नाश होकर किसी नये खण्डघट की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु पूर्व घट में हो

अत एव पाकेनापि नान्यघटोत्पत्तिः, विशिष्टसामग्रीवशाद् विशिष्टवर्णस्य घदादेर्द्रव्यस्य कथञ्चिद्विनाशोऽप्युत्पत्तिमंभवात्, इति व्यक्तं सम्मतिटीकायाम्। परेपामपि स्वप्रयोज्य-विजातीयसंयोगसंवन्धेन तत्काले (कुलालकृतेः) सत्त्वान्त्वं। न च वैशेषिकनये श्यामघटा-दिनाशोत्तरं रक्तघटाद्युत्पत्तिकाले प्राक्तनपरमाणुद्वयसंयोगद्वयणुकादेर्नाशाद् नैवं संभवतीति

पूणत्वपर्याय की निवृत्ति होकर खंडत्व पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो जब कोई नया घट उत्पन्न ही नहीं होता तब उस के कर्ता रूप में किसी पुरुषविशेष की कल्पना कैसे की जाये?

व्याख्याकार ने अपने इस कथन के समर्थन में प्रत्यभिज्ञा को प्रमाणरूप में प्रस्तुत किया है। उन का आशय यह है कि किसी घट में से कुछ अश निकल जाने के बाद भी 'स एव अय घट.'—यह वही घट है' इसप्रकार वर्तमान घट में पूर्वघट के तादात्म्य का दर्शन होता है।

यद्व पूर्व घट का नाश होकर नये घट की उत्पत्ति मानी जायेगी तो इस तादात्म्य दर्शनरूप प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाय कि—यह प्रत्यभिज्ञान यथार्थ नहीं है किन्तु भ्रमरूप है। अत इस से पूर्णघट और खंडघट की एकता नहीं सिद्ध हो सकती—तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि उक्त प्रत्यभिज्ञा को भ्रम मानने पर उस के कारणरूप में साहश्य आदि दोष की कल्पना करनी होगी। और जहाँ भी प्रत्यभिज्ञा होती है वहाँ सर्वत्र उसे भ्रम मानकर प्रत्यभिज्ञात पदार्थको पूर्व पदार्थ से भिन्न मानने की स्थिति उत्पन्न होने से अनेक पदार्थों की कल्पना का गोरव भी हो सकता है। यदि यह कहा जाय—'कि-खण्डघट में पूर्वघट के तादात्म्य का दर्शन भ्रम है जो दोनों में भेदवृद्धि न होने पर साहश्य के कारण होता है'—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस कल्पना में पूर्वघट का नाश और नवीन घट की उत्पत्ति तथा इन दोनों में तादात्म्यदर्शन के लिए साहश्य में दोषत्व की कल्पना होने से अतीव गोरव है।

(पाकक्रिया से अन्यघट उत्पत्ति प्रक्रिया को समालोचना)

इसीलिए सम्मतिटीका में भी यह बात स्पष्ट की गई है कि पाक से श्यामघट का नाश होने पर अन्य घट को उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु विशिष्ट सामग्री के प्रभाव से पूर्ववर्ण से विलक्षण वर्णज्ञाली उभी घटद्रव्य की उत्पत्ति होती है उस के पूर्ववर्ण की निवृत्ति होने परभी उसका नाश नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण में पूर्व पर्यायके रूप में नष्ट होते हुए और उत्तर पर्यायके रूप में उत्पन्न होते हुए भी अपने मूल द्रव्य के रूप में स्थिर रहती है।

वशेषिक आदि के मत से यद्यपि पाकस्थल में पूर्वघट का नाश होकर नवीन घट की उत्पत्ति होती है, तथापि उस घटके कारणरूप में ईश्वरीयकृति की कल्पना आवश्यक नहीं है क्योंकि कृति घटके प्रति साक्षात् कारण न होकर स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग सबध से ही कारण होती है। और उक्त संयोगसम्बन्ध से पाकस्थल में भी कुलाल की पूर्वकृति होने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि उस समय जिस कपालद्वय संयोग से घटकी उत्पत्ति होती है उसे भी कुलाल की पूर्वकृति का प्रयोज्य माना जा सकता है, क्योंकि कुलाल की पूर्वकृति से उसी प्रकार का संयोग होकर यदि पूर्वघट न होता तो उसके पाक और पाक से नये घट की उत्पत्ति की स्थिति ही न होती। अतः यह कहा जाना सर्वथा सहृगत है कि नया घट जिस कपालद्वय संयोग से उत्पन्न होता है वह भी परंपरा से पूर्वघट के उत्पादक कुलाल की पूर्वकृति का प्रयोज्य है।

वाच्यम् ; पूर्वसंयोगादिध्वंसपूर्वद्वयणुकादिध्वंसानामुत्तरसंयोगद्वयणुकादावन्ततः कालोपाधित-यापि जनकत्वात्, तत्कालेऽपि कुलालादिकृतेः स्वप्रयोज्यविजातीयमंयोगेन सच्चात्; अन्यथा घटत्वावच्छिन्नने दण्डादिहेतुत्वमपि दुर्वचं स्यात् । 'दण्डादिजन्यतावच्छेदकं विलक्षणघटत्वादिकमेवे' ति चेत् ? कृतिजन्यतावच्छेदकमपि तदेवेष्यताम् । 'कृतेर्लघवाद् विशेष्यतयेव हेतुत्वात् यत्र दण्डस्य स्वप्रयोज्यकपालद्वयसंयोगेन सच्चम्, न तु विशेष्यतया कुलालकृतिः, तत्रैव खण्डघटे तत्सद्गुरिति चेत् ? न, कृतेरपि स्वप्रयोज्यसंबन्धेनैव हेतुत्वात्, विजातीयमंयोगत्वेन संबन्धत्वे गौरवात्, घटन्वावच्छिन्नने विजातीयकृतित्वेनैव हेतुत्वाच्चेति दिक् ।

[वैशेषिकमतानुसारी पाकप्रक्रिया को आलोचना]

यदि यह कहा जाय कि—‘वैशेषिक मत में पाक से श्यामघट का नाश होने के बाद जब रक्तघट की उत्पत्ति होती है तो उसके पूर्व श्यामघट का द्वचणुक पर्यन्त नाश हो जाता है । केवल दिभवत परमाणु रह जाते हैं और फिर परमाणुओं के सयोग से द्वचणुक त्र्यणक आदि द्वी उत्पत्ति होकर कपालद्वय के नये संयोग से नये घट की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार नये घट की उत्पत्ति के समय कुलाल की पूर्वकृति से होनेवाला सपूर्ण संयोग आदि का नाश हो जाने से उक्त कृति के स्वप्रयोज्य विजातीय-संयोग सम्बन्ध से अस्तित्व की कल्पना असम्भव है’—तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि पाक स्थल में नये घट की उत्पत्ति के लिये जिन द्वचणुक से लेकर कपाल पर्यन्त नये द्रव्यों की आवश्यकता होती है उनके प्रति पर्वतर्ती परमाणुसंयोगादि और द्वचणुकादि का नाश कारण होता है । क्योंकि किसी भी द्रव्य में किसी कार्यद्रव्य के रहते नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती एवं दो द्रव्यों में पूर्वोत्पन्न सयोग के रहते उन द्रव्यों में नये सयोग की उत्पत्ति नहीं होती अत उत्तर द्रव्य के प्रति पूर्व द्रव्य का नाश और उत्तर संयोग के प्रति पूर्व संयोग के नाश को कारण मानना आवश्यक होता है और इसके अतिरिक्त कालोपाधिरूप में भी पूर्व सयोग और पूर्व द्वचणुकादि का नाश, उत्तर सयोग और उत्तर द्वचणुकादि के नाश का कारण होता है । अतः पाक स्थल में नवीन घट की उत्पत्ति के समय कुलाल द्वी पूर्वकृति के स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग सम्बन्ध से रहने में कोई वाधा नहीं हो सकती क्योंकि नवीन घटके लिये अपेक्षित परमाण संयोग और द्वचणुकादि पूर्व सयोग और पूर्व द्वचणुकादि के नाश से जन्य है और उक्त नाश अपने प्रतियोगी से जन्य है और प्रतियोगी कुलाल की कृति से जन्य है । अतः कुनाल कृति से जन्य होनेवालों को परम्परा में ही नवीन घट के उत्पादक कपालद्वय संयोग के होने से उसे कुलाल को पूर्व कृति से प्रशोज्य मानना सर्वथा सङ्गत है ।

इस प्रसङ्ग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि परमाणुओं का संयोग और द्वचणुकादि को उत्पत्ति कुलाल कृति से नहीं होती । कुलाल कृति से तो कपाल और कपालद्वय का सयोग ही उत्पन्न होता है, अतः नवीन घट के उत्पादक नवीन कपालद्वय संयोग को कुलाल कृति से प्रयोज्य इसलिये मानना चाहिये कि वह कुलाल कृति से उत्पादित पूर्व कपाल और पूर्वकपालद्वय संयोग के नाश से उत्पन्न है । व्याख्याकार का कहना है कि पाक स्थल में नवीन घट की उत्पत्ति के समय स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग संबंध से कुलाल की पूर्वकृति का अस्तित्व मानना आवश्यक है । यदि ऐसा न माना जायगा तो घट सामान्य के प्रति दण्ड आदि की कारणता का समर्थन न हो सकेगा । क्योंकि पाक से नवीन घट की उत्पत्ति के समय दण्ड आदि भी नहीं रहते । अतः उस घट के लिये यदि ईश्वरीय कृति

किञ्च, उपादानप्रत्यक्षस्य लौकिकस्य हेतुत्वात् कथमीश्वरे तत्सिद्धिः १ अपि च,
प्रणिधानाद्यर्थं मनोवहनाद्यादौ प्रवृत्तिस्वीकाराद् यद्वर्मावच्छिन्ने यदर्थिप्रवृत्तिः तद्वर्मावच्छिन्ने

की कल्पना आवश्यक है तो उसी प्रकार ईश्वरीय दण्डादि की भी कल्पना करने की आवश्यकता पड़ सकती है जबकि यह बात ईश्वर कर्तृत्ववादी को भी मान्य नहीं है। अतः पाकस्थल में नदीन घट के उत्पादक नदीन कपालद्वय संयोग को पूर्वदण्डप्रयोज्य मानकर स्वप्रयोज्यविजातीय संयोग सम्बन्ध से दण्डादि का अस्तित्व मानकर उस घट में दण्डादि जन्यता की उपपत्ति जिस प्रकार की जायगी उसी प्रकार कुलाल की पूर्वकृति जन्यता की भी उपपत्ति की जा सकती है। अतः पाकस्थलीय घट की उत्पत्ति के अनुरोध से ईश्वरीय कृति की कल्पना नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाय कि—‘दण्डादि को घट सामान्य के प्रति कारण न मानकर विलक्षण घट के प्रति कारण माना जायगा अतः पाकस्थलीय घट के लिये दण्डादि की आवश्यकता नहीं होगी।’—तो यह बात कृति के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। अर्थात् घट सामान्य के प्रति कृति को कारण न मानकर विलक्षण घट के ही प्रति कृति को कारण माना जा सकता है। अतः पाकस्थलीय घट के लिये कृति की भी कल्पना अनावश्यक हो सकती है।

यदि यह कहा जाय कि—‘कृति को स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग सम्बन्ध से घट का कारण मानने से गौरव है। अतः लाघव के लिये समवाय सम्बन्ध से घट के प्रति विशेष्यता सम्बन्ध से ही कृति को कारण मानना उचित है। ऐसी स्थिति में जिस खण्ड घट की उत्पत्ति के पूर्व दण्ड स्वप्रयोज्य कपालद्वय संयोग सम्बन्ध से है किन्तु कुलालकृति विशेष्यता सम्बन्ध से नहीं है—उस खण्डघट के लिये ईश्वरीय कृति की कल्पना आवश्यक है’—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कृति भी स्वप्रयोज्य सम्बन्ध से ही घट के प्रति कारण है न कि स्वप्रयोज्यविजातीयसंयोगसम्बन्ध से क्योंकि विजातीयसंयोगत्व रूप से स्वप्रयोज्य को कारणतावच्छेदक सम्बन्ध मानने से गौरव है। और स्वप्रयोज्यसम्बन्ध से कारण मानने में विशेष्यता सम्बन्ध से कृति को कारण मानने की अपेक्षा कोई गौरव नहीं है। क्योंकि विशेष्यता सम्बन्ध से कारण मानने में कारणतावच्छेदक सम्बन्धतावच्छेदकविशेष्यतात्व होगा और स्वप्रयोज्य सम्बन्ध से कारण मानने पर कारणतावच्छेदक सम्बन्धतावच्छेदक-प्रयोज्यत्व होगा। और प्रयोज्यत्व और विशेष्यतात्व में कोई लाघव-गौरव नहीं है क्योंकि दोनों ही स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप हैं। उसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि कृति को घट सामान्य के प्रति कारण न मानकर विजातीय घट के प्रति कारण मानना उचित है। जैसा कि अभी दण्डादि को विजातीय घट के प्रति कारण बताया गया है। तो इस प्रकार जब घट सामान्य के प्रति कृति कारण ही नहीं है तो कृति के बिना भी पाकस्थलीय घट की या खण्डघट की उत्पत्ति हो सकती है। अतः उसके अनुरोध से ईश्वरीय कृति की कल्पना नहीं की जा सकती।

[ईश्वर में लौकिक प्रत्यक्षज्ञान का अभाव]

इस प्रसङ्ग में यह भी विचारररीय है कि उपादान कारण का लौकिक प्रत्यक्ष ही कार्य का हेतु होता है। क्योंकि उपादान के अलौकिक प्रत्यक्ष के आधार पर अन्य देशस्थ या अन्य कालस्थ उपादान में कोई भी कर्ता कार्य को उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करता और उपादान का लौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय के लौकिक सनिकर्ष से ही संपन्न होता है। अतः ईश्वर में द्वचणकादि के उपादान पर-

तत्प्रकारकज्ञानमात्रस्य हेतुत्वात् कथमुपादानप्रत्यक्षमीश्वरस्य ? तस्यानुभितित्वे जन्यानुभिति-त्वं व्याप्तिज्ञानजन्यतावच्छेदकमिति गौरवोद्धावनं तु प्रत्यक्षत्वे जन्यप्रत्यक्षत्यस्येन्द्रियादिजन्यतावच्छेदकत्वकल्पनागौरवं नातिशेते । अपि च, तदुपादानप्रत्यक्षं निराश्रयमेवाऽस्तु, दृष्टिविपरीतकल्पनभिया तु नित्यज्ञानादिकमपि कथं कल्पनीयम् ? अभिहितश्चायमर्थो 'बुद्धिश्चेश्वरस्य यदि नित्याव्यापिकैवाऽभ्युपगम्यते, तदा सैवाऽचेतनपदार्थाधिष्ठात्री भविष्यति, इति किमपरतदाधारेश्वरपरिकल्पनया ।' इत्यादिना ग्रन्थेन सम्मतिटीकायामपि ।

माणु आदि का लौकिक प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर इन्द्रियादि से रहित होता है । इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि जिस कार्य की इच्छा से जिस कारण में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उस कारण में उस कार्य का ज्ञान सामान्यरूप से हेतु होता है न कि उस कारण में उस कार्य के प्रत्यक्षज्ञान । क्योंकि यदि कारण में कार्य के प्रत्यक्षज्ञान को ही हेतु माना जायगा तो मन का प्रणिधान=मन की एकाग्रता करने के लिये मनुष्य की मनोवहनाडी में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि मनोवहनाडी का उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । तो कार्यकारणमात्र की इस स्थिति में ईश्वर में द्वचणुकादि के उपादान का प्रत्यक्ष न सिद्ध होकर केवल इतना ही सिद्ध हो सकता है कि ईश्वर में द्वचणुकादि के उपादान कारण का ज्ञान रहता है । अतः ईश्वर सर्वदृष्टा न सिद्ध होकर सर्वज्ञाता ही सिद्ध हो सकता है ।

सच बात तो यह है कि कार्य के प्रति उपादान कारण के ज्ञानसामान्य को कारण मानने पर द्वचणुकादि के उपादान कारण के ज्ञाता रूपमें भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि एक ब्रह्माण्ड की सृष्टि के समान अन्य पूर्वोत्पन्न ब्रह्माण्ड में विद्यमान योगी को किसी नवीन उत्पन्न होनेवाले ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत विद्यमान परमाणुओं का योगजन्य ज्ञान हो सकता है और उसी ज्ञान से नये ब्रह्माण्ड में द्वचणुकादि की उत्पत्ति हो सकती है । अत ब्रह्माण्ड ईश्वरकर्तृक न होकर योगिकर्तृक हो सकता है । इसलिये विश्वकर्त्तरूप में ईश्वर की सिद्धि की आशा दुराशा मात्र है । यदि यह कहा

जाय कि—सपूर्ण ब्रह्माण्ड का एक साथ खण्ड प्रलय होता है और खण्ड प्रलय की अवधि पूरी हो जाने पर नये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । अतः खण्ड प्रलयकाल में कोई योगी नहीं रहता इसलिये नये ब्रह्माण्ड में द्वचणुकादि की उत्पत्ति परमाणुओं के योगिज्ञान द्वारा समर्थित नहीं हो सकती । अतः द्वचणुकादि के उपादानभूत परमाणुओं का ज्ञान सृष्टि के द्वारम्ब समय में ईश्वर में ही मानना श्रावश्यक है और उसे प्रत्यक्ष रूप ही होना उचित है । क्योंकि अनुभिति रूप मानने पर अनुभितित्व को व्याप्तिज्ञान का जन्यतावच्छेदक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह व्याप्ति ज्ञान से अज्ञय ईश्वरीय अनुभिति में रहने के कारण व्याप्तिज्ञानजन्यता का अतिप्रसक्त धर्म है । अतः जन्यानुभितित्व को व्याप्तिज्ञान का जन्यतावच्छेदक मानना पड़ेगा और उसमें गौरव होगा ।"— तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्षात् क मानने पर भी, ईश्वरीयनित्यप्रत्यक्ष में इन्द्रियजन्यता नहीं है अतः इन्द्रिय जन्यता के अतिप्रसक्त होने से प्रत्यक्षत्व को इन्द्रियजन्यता का अवच्छेदक न माना जा सकेगा किन्तु जन्यप्रत्यक्षत्व को ही इन्द्रिय का जन्यतावच्छेदक मानना होगा । अतः ईश्वरीयज्ञान की प्रत्यक्षरूपता का समर्थन उक्तरीति से नहीं किया जा सकता ।

किञ्च, एवं नानात्मस्वेव व्यासउद्यवृत्ति तत्कलायताम्, स्वाश्रयमंयुक्तसंयोगमंवन्धेन
तेषु तत्कल्पनापेक्षया समवायेन तत्कल्पनाया एव तब न्यायत्वात् । न चैव घटादिभ्रमो-
च्छेदापत्तिः, बाधवुद्दिसत्त्वादिति वाच्यम्, बाधवुद्दिप्रतिवन्धकतायां चैत्रीयत्वस्यावश्यं निवे-
श्यत्वात्, तच्च ममवेतत्वमंवन्धेन चैत्रवत्त्वं, पर्याप्तत्वेन वा, इति न किञ्चिद् वैपम्यम् ।

अपि च, 'देवतासंनिधानेन' इति पक्षेण प्रतिष्ठादिना स्वामेद-स्त्रीयत्वादिज्ञानं तदा-
हितमंस्काररूपं ब्रह्मादौ स्त्रीकृतम्, न च ब्रह्मादीनामीश्वरभेदः, भगवद् गीताविरोधात् । एवं

इस के अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि 'कार्यं प्रत्यक्षादिजन्य, कार्यत्वात्' इस अनुभान से द्व्यणुकादि कार्यों के कारणभूत प्रत्यक्षादि सिद्ध होने पर भी उसके आश्रयरूप में ईश्वर की सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि द्व्यणुकादि के उपादानभूत परमाणुओं के प्रत्यक्षादि को निराश्रय माना जा सकता है । यदि यह कहा जाय कि— प्रत्यक्षादि किसी आश्रय में ही रहता है । अतः परमाणु के प्रत्यक्षादि में निराश्रयत्व की कल्पना दृष्टविरुद्ध होने के कारण नहीं की जा सकती— तो यह ठीक नहीं है क्योंकि तब तो जीव में अनित्य ही ज्ञान आदि सिद्ध होने के कारण ईश्वर के ज्ञान आदि में निराश्रयत्व की भी कल्पना दृष्टविरोध के कारण नहीं की जा सकेगी । इस बात को मम्मति टीका में यह कहते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि ईश्वर की बुद्धि नित्य और व्यापक है तो ईश्वर के विना भी बुद्धि को अचेतन पदार्थों की अधिष्ठात्री मान लेना चाहिए । उसके आधारभूत ईश्वर की कल्पना निरर्थक है ।

इस सन्दर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि—द्व्यणुकादि के उपादान कारणभूत परमाणुओं का ज्ञान ईश्वररूप किसी एक अतिरिक्त आत्मामें न रह कर सपूर्ण आत्माओं में ही व्यासज्यवृत्ति-पर्याप्ति सम्बन्ध से रहता है क्योंकि उस ज्ञान को अन्य आत्माओं का अधिष्ठाता बनाने के लिये उनके साथ उस ज्ञान का स्वाश्रय-संयुक्त-संयोग सम्बन्ध मानना होगा जैसे स्व का अर्थ है ज्ञान, उसका आश्रय है ईश्वर, उससे संयुक्त है मूर्तद्रव्य और उसका संयोग है जीवात्मा भे तो इस स्थिति में यही उचित प्रतीत होता है कि उस ज्ञान को स्वाश्रय संयुक्त संयोग सम्बन्ध से जीवात्माओं में न मानकर समवायसम्बन्ध से ही माना जाय । यदि यह कहा जाय कि—'उस ज्ञान को समस्त जीवों में मानने पर किसी को घटादि का भ्रम न हो सकेगा, क्योंकि जिस देश में घटादि का भ्रम होता है उस देश में प्रत्येक मनुष्य को घटादभाव की बुद्धि विद्यमान है जिससे घटादि के भ्रम का प्रतिवन्ध हो जाना अनिवार्य है—'—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि एक पुरुष की बाधवुद्दि से अन्य पुरुष की विशिष्ट बुद्धि के प्रतिवन्धापत्ति के निवारणार्थ चैत्रादि तत्पुरुषीय विशिष्टबुद्धि में चैत्रादि तत्पुरुषीय बाधवुद्दि को प्रतिवन्धक' मानना आवश्यक होता है । जिस में तत्पुरुषीयत्व का अर्थ तत्पुरुषसमवेतत्व न कर तत्पुरुष पर्याप्तत्व कर देने से जगत के कारणीभूत सर्वविषयक ज्ञान को सर्वतिसंगत मानने पर होने वाली घटादि भ्रम के उच्छेद की आपत्ति का परिहार सुकर हो जाता है क्योंकि स्वर्वदिष्यकज्ञान किसी एक आत्मा में पर्याप्ति न होकर सभी आत्मा में पर्याप्ति होता है । अतः तत्पुरुष पर्याप्तबाध-बुद्धि को प्रतिवन्धक मानने पर सर्वज्ञानात्मक बाधवुद्दि से विशिष्टबुद्धि का प्रतिवन्ध नहीं हो सकता ।

वैषयिकसुख दुःखादिश्रवणाद् धर्माऽधर्मावपि तत्राऽङ्गीकर्तव्यौ । न च विरोधः, ब्रह्मादिशरीरावच्छेदेनाऽनित्यज्ञानादिमन्त्रेऽप्यनवच्छिन्नज्ञानाऽविरोधात् । अत एवाऽन्ये तु 'स तपोऽतप्यत' इति श्रुतेः अणिमादिप्रतिपादकश्रुतेश्च धर्माऽधर्मावनित्यज्ञानादिकमपीश्वरे स्वीकुर्वन्ति, इति शशधरेऽभिहितम् । एतन्मते च वाधादिप्रतिवन्धकतायामवच्छिन्नमवेतत्वेन चैत्रवन्वादिलक्षण-चैत्रीयत्वादेवश्यं निवेश्यत्वाद् नातिरिक्तनित्यज्ञानाश्रयसिद्धिः ।

[ईश्वर मे जन्यज्ञान की आपत्ति]

इस प्रसङ्ग में इस विषय पर ध्यान देना भी आवश्यक है कि न्यायशास्त्र मे ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रतिमाओं से शास्त्रोक्त प्रतिष्ठाविधि से देवताओं का सन्निधान माना गया है । देवताओं के सन्निधान का अर्थ है प्रतिमा से देवता की अभेदबुद्धि या आत्मीयत्व बुद्धि । इसी को प्रतिमा का प्रतिष्ठाजन्य सस्कार कहा जाता है । इस प्रकार जब ब्रह्मादि देवताओं से अपनी अभिज्ञता या आत्मीयता का ज्ञान उत्पन्न होता है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर मे जन्यज्ञान नहीं होता किन्तु नित्यज्ञान ही होता है ! यदि यह कहा जाय कि 'ब्रह्मादि देवता ईश्वर से भिन्न है' तो यह ठीक नहीं है वयोंकि भगवद्गीता मे श्रीकृष्ण ने अपने को ही जगत् का स्तृप्ता पालक और सहर्ता बताया है और अपने ही को ईश्वर कहा है । इसलिये ब्रह्मादि को ईश्वर से भिन्न मानना भगवद्गीता के विरोध के कारण उचित नहीं है । उसी प्रकार पुराणों से यह भी सुनने को मीलता है- ब्रह्मादि देवताओं को अनायास उपलब्ध होने वाले विषयों से सुख और राक्षसों के अत्याचार से दुःख भी होता है । अतः ब्रह्मादि में सुख और दुःख के कारणभूत धर्माधर्म की भी सत्ता माननी होगी और ब्रह्मादि के ईश्वर से भिन्न न होने के कारण ईश्वर मे भी धर्माधर्म की सत्ता अनिवार्य होगी ।

इस प्रसङ्ग मे यह भी कहा जा सकता है कि-सृष्टि के आरम्भ मे द्वचणुकादि की उत्पत्ति के हेतु के उपादान कारण परमाणु का ज्ञान ईश्वर को मानना आवश्यक होता है और उस समय कोई शरीर न होने से उस ज्ञान को शरीरादि से अनवच्छिन्न नित्य ही मानना पड़ेगा । तो फिर उसमे अनित्य ज्ञानादि की सत्ता मानना विरोधग्रस्त है'- किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्मादि के शरीर द्वारा अनित्य ज्ञानादि की सत्ता और किसी सशरीर आदि को द्वारा बनाये बिना ही नित्यज्ञान की सत्ता मानने मे कोई विरोध नहीं है । इसलिये 'शशधर' नामक पद्धति ने स्वद्रव्य मे यह कहा है कि अःय विद्वान् स तपोऽतप्यत' इस श्रुति के अनुसार और ईश्वर मे अणिमादि आठ प्रकार के ऐश्वर्यों का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के अनुसार ईश्वर मे धर्माधर्म और अनित्यज्ञानादि का अस्तित्व मानते हैं । इस मत मे विशिष्टबुद्धि के प्रति वाधबुद्धि को शरीरावच्छिन्न समवेतत्वरूप से या पर्याप्तरवसम्बन्धेन चैत्रनिष्ठत्व रूप से प्रतिवन्धक मानकर भ्रम की अनुपपत्ति का परिहार विया जा सकता है वयोंकि सर्वविषयक नित्यज्ञानात्मक वाधबुद्धि शरीरावच्छेदेन समवेत नहीं होती और न पर्याप्तत्व सम्बन्ध से चैत्रादि एक व्यक्ति में ही विद्यमान होती है । अत उससे भ्रमोत्पत्ति का प्रतिवन्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार समस्त जीवों मे द्वचणुकादि के उपादान कारणों के नित्यज्ञान के व्यासज्यवृत्ति मान लेने से संपूर्ण आवश्यक उपपत्तियां हो जाने के कारण नित्यज्ञान के ईश्वररूप अतिरिक्त आश्रय की सिद्धि नहीं हो सकती ।

किञ्च, प्रवृत्तिविशेषे इच्छान्वय-व्यतिरेकवत्, प्रवृत्तिविशेषे द्वेषाऽन्वय-व्यतिरेकावपि वर्द्धी, दुःखद्वेषेण तन्माधनद्वेषे तन्माशानुकूलप्रवृत्तेः कण्टकादौ दर्शनात् । न च जिहामयैव द्वेषान्यथामिद्धिः, 'तद्वेतोः'० इति न्यायात् ; अन्यथा द्वेषपदार्थं एव न स्यात्, 'द्वेषिम' इत्यनुभवे व्यवचिदनिष्टमाधनताज्ञानम्य, व्यवचिच्चाऽनिष्टत्वज्ञानस्यैव द्वेषपदेन तथाभिलापात् । एवं च कार्यमाभान्ये द्वेषस्याऽपि हेतुत्वमिद्धौ नित्यद्वेषोऽपीश्वरे मिद्धुचेत् । 'द्वेषवतः मसाग्त्वप्रसङ्ग' इति चेत् ? चिकीर्षवितोऽपि किं न सः ! 'द्वेष-चिकीर्षयोस्तत्र ममानविषयत्वे करणा-ऽकरणप्रसङ्गः, भिन्नविषयत्वे च तत्कार्यं न कुर्यादेव, इति वाधकाद् द्वेषकल्पना त्यज्यत' इति चेत् । एवमुत्तरकालोपस्थितवाधकेन तद्वाधोपगमे, नित्यज्ञानादिकल्पनागौरवादिवाधकेन वलृप्तोऽपीश्वरस्त्यज्यताम् ।

[प्रवृत्ति से ईश्वर मे द्वेष का अतिप्रसंग]

इस सदर्भ मे यह भी विचारणीय है कि जैसे प्रवृत्तिविशेष मे इच्छा का अन्वयव्यतिरेक होता है अर्थात् जिस विषय की इच्छा होती है उस विषय मे प्रवृत्ति होती है और जिस विषय मे इच्छा नहीं होती उस विषय मे प्रवृत्ति नहीं होती, उसीप्रकार प्रवृत्तिविशेष मे द्वेष का भी अन्वय-व्यतिरेक देखा जाता है । जैसे दुख के प्रति द्वेष होने के कारण दुःख साधन कण्टकादि के प्रति द्वेष होने से उन का नाश करने के लिये कण्टकादि से प्रवृत्ति होती है, और जिस विषय मे द्वेष नहीं होता उस विषय के नाश के लिये उस मे प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे पुत्रकल्पनादि । फलतः ईश्वर मे जगत् निर्माण की प्रवृत्ति मानने पर जैसे उस मे नित्य इच्छा मानी जाती है उसीप्रकार जगत् निर्माण के विरोधी वस्तु के नाश के लिये उस के पर द्वेष मानना भी आवश्यक होगा । इस प्रकार ईश्वर का द्वेषी होना अनिवार्य हो जायगा जो न्यायशास्त्र की वृष्टि से मान्य नहीं है । यदि यह कहा जाय कि- "दुःखसाधनो के नाशार्थ जो प्रवृत्ति होती है वह उन के प्रति द्वेष के कारण नहीं होती अपिन्तु उन के परित्याग की इच्छा से होती है । क्योंकि जिस वस्तु के प्रति द्वेष होता है उस वरतु के त्यागकी भी इच्छा अवश्य होती है अतः एव त्याग की इच्छा से द्वेष अन्यथासिद्ध हो जाता है । अतः अनिष्ट साधनो के नाशार्थ होनेवाली प्रवृत्ति से द्वेष का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस को उपर्युक्त जिहासा अर्थात् त्याग की इच्छा से ही मम्पन्न हो जाती है—" तो यह ठीक नहीं है क्योंकि 'तद्वेतोरेवास्तु कि तेन ?' इस न्याय से नाशार्थ प्रवृत्ति के प्रति द्वेषजन्य जिहासा को हेतु मानने के बजाय सीधे द्वेष को ही हेतु मानने मे श्रीचित्य है । और यदि जिहासा से द्वेष को अन्यथा-सिद्ध माना जायगा तो द्वेष पदार्थ ही सिद्ध न हो सकेगा । क्योंकि दुःख स्वरूपतः अर्थात् बिना द्वेष्य हुए और उस का साधन अनिष्ट का साधन होने से सीधे ही, जिहासित हो जायगा । जिहासा के पूर्व दुःख या दुःख के साधन प्रति द्वेष मानने की कोई आवश्यकता सिद्ध न होगी ।

यदि यह कहा जाय कि 'द्वेषिम-मुभे इस विषय के प्रति द्वेष है-यह अनुभव ही द्वेष के अस्तित्व मे प्रमाण होगा'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि दुःख के साधन कण्टकादि से अनिष्ट साधनता

एतेन-‘पुरेषु पुरेशानामिव जगदीशज्ञानेच्छादित एव तत्कार्याणां स्वल्पतमा-ऽधम-
देश-कालादिनियमः, वदन्ति हि पामरा अपि-‘ईश्वरेच्छब्द नियामिका’ इति । न चैवं तत्त-

के ज्ञान को तथा दुःख मे अनिष्टत्व ज्ञान को ही द्वेष पद के व्यवहार का विषय मानकर उन ज्ञानों
द्वारा ही ‘द्वेषिम’ इस अनुभव की उपपत्ति की जा सकती है । इस उपर्युक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है
कि जैसे घटपटादि कतिपय कार्यों मे ज्ञान-इच्छा आदि का अन्वय-व्यतिरेक देखकर कार्य सामान्य के
प्रति ज्ञान-इच्छा आदि को कारण माना जाता है और उस के आधार पर कार्य सामान्य मे ज्ञानादि
जन्यत्व का अनुमान करके कार्य सामान्य के कारणीभूत ज्ञानादि को ईश्वरनिष्ठ माना जाता है ।
उसीप्रकार दुःखसाधनोभूत कण्टकादि के नाशरूप कार्य मे कण्टकादि के प्रति द्वेष का अन्वय-
व्यतिरेक देखकर कार्यसामान्य के प्रति द्वेष को भी कारण माना जा सकता है और उस के
आधार पर कार्य सामान्य मे द्वेषजन्यत्व का अनुमान कर कार्य सामान्य के कारण भूत द्वेष को भी
ईश्वरनिष्ठ मानना अनिवार्य हो सकता है । फलतः ईश्वर मे नित्यज्ञानादि के समान नित्य द्वेष की
भी सिद्धि का परिहार नहीं किया जा सकता ।

यदि यह कहा जाय कि-‘ईश्वर मे द्वेष मानने पर वह ईश्वर ही नहीं हो सकेगा अपितु ससारी
हो जायगा’-तो यह आपत्ति तो ईश्वर मे चिकीषा मानने पर भी अपरिहार्य है । क्योंकि चिकीषा भी
ससारी मे ही देखी जाती है । यदि यह कहा जाय कि—द्वेष और चिकीषा को समानविषयक मान-
ने पर एक ही समय एक ही कार्य के करने और न करने दोनों को ही आपत्ति होगी । अर्थात् चिकीषा
से उस कार्य का उत्पादन और द्वेष से उसी कार्य का अनुत्पादन भी प्रसवत होगा । जो अत्यन्त विरुद्ध
है और यदि द्वेष और चिकीषा को भिन्नविषयक माना जायगा तो जो द्वेष का विषय होगा वह
चिकीषा का विषय न होने से ईश्वर द्वारा उत्पाद्य न हो सकेगा । फलतः ईश्वर मे सर्वकार्यकर्तृत्व के
सिद्धान्त की हानि होगी । अतः ईश्वर मे द्वेष की कल्पना नहीं का जा सकती-तो यह ठीक नहीं है
क्योंकि ईश्वर मे द्वेष कल्पना का जो बाधक प्रस्तुत किया गया है वह ईश्वर मे द्वेष की सिद्धि हो
जाने पर उपस्थित होता है अतः उसे द्वेष कल्पना का बाधक नहीं माना जा सकता । और यदि किसी
वस्तु की सिद्धि के बाद उपस्थित होने वाले बाधक से भी उस वस्तु की सिद्धि का बाध माना जायगा
तो ईश्वर की सिद्धि का भी प्रतिबन्ध उस बाधक से हो सकता है जो ईश्वर मानने के फलस्वरूप
उपस्थित होता है जैसे, ज्ञान इच्छा और प्रयत्न मे नित्यत्व अर्थात् संपूर्णकाल के साथ सम्बन्ध की
कल्पना एव ईश्वर मे संपूर्णकाल के सम्बन्ध की कल्पना और नित्य ज्ञान आदि मे संपूर्ण वस्तुओं के
विषयत्व की कल्पना एव घटाभाव पटाभावादि अनन्त अभावो के सम्बन्धो की कल्पना से होनेवाला
गौरव; तब कल्पित ईश्वर को भी छोड़ देना होगा ।

[ईश्वर की इच्छा से देश-काल नियम को उपपत्ति का प्रयास]

इस सन्दर्भ मे कतिपय ईश्वर कर्तृत्ववादियों की ओर से यह कहा जाता है कि-‘जिस प्रकार
नगरों मे नगराधीश की ज्ञान इच्छा के अनुसार ही अल्प अथवा अधिक देश काल और परिमाण मे
भिन्न भिन्न कार्यों के उत्पादन का नियन्त्रण होता है उसी प्रकार यह मानना भी आवश्यक है कि
जगत् का कोई अधीक्षण है और उसके ज्ञान-इच्छादि से ही जगत् मे विभिन्न कार्यों के उत्पादन का
नियन्त्रण होता है । यह मान्यता इतनी दृढ़मूल है कि अशिक्षित भी ऐसा कहा करते हैं कि ‘ससार मे

देश-कालनियततत्कार्योत्पत्तिज्ञानादित् एव तत्त्वकार्यनिवाहे गतं दण्डादिकारणत्वेनेति वाच्यम् , तदनुमत्वेनैव दण्डादीनां घटादिहेतुत्वात् । न हि 'दण्डादिरेव घटादेव-नन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्तीं न वेमादिः' 'कपालादि समवायि, न तन्त्रादिकम्' इत्यत्राऽन्यद् नियामकं पश्याम इति तदनुमत्यादिकमेव तथा, तदनुमत्यादिकं न साक्षात् , किन्तु तत्त्वकारण-द्वारा तत्त्वसंपादकम् । न हि राजाज्ञादितोऽपि विनांशुकं तन्त्रादि, विना तन्त्रादिक पटादि'—इति पामराशयानुमरणमंक्रान्तपामरभावानां मतमपास्तम्. राजाज्ञादितुल्यतयेश्वरेच्छाया अहेतुत्वात् मामग्रीसिद्धस्य नियतदेश-कालन्वस्य तत्त्वन्यतावटकतया तदनियम्यत्वात् , अन्यथा तत्काला-

जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की ही इच्छा से होता है ।' यदि यह कहा जाय कि—तद् तद् देश और तद् तद् कार्य की उत्पत्ति नियत है और इस नियतत्व के ज्ञान आदि से ही तद् तद् देश और तद् तद् काल मे तद् तद् कार्य की उत्पत्ति का नियन्त्रण होता है—ऐसा मानने पर घटपटादि कार्यों के प्रति दण्ड-वेमादि की कारणता का ही लोप हो जायगा'-तो यह ठीक नहीं हैं क्योंकि दण्ड-वेमादि घटपटादि कार्यों के प्रति जो कारण होते हैं वह भी ईश्वर की अनुमति से ही होते हैं । यदि ऐसा न माना जायगा तो 'दण्डादि ही घटादि का अनन्यथासिद्ध नियतपूर्ववर्तीं होता है और वेमादि नहीं होता, एवं कपालादि ही घटादि का समवाय सम्बन्ध से आश्रय होता है तन्तु आदि नहीं होता' इसका ईश्वर को छोड़कर दूसरा कोई नियामक नहीं हो सकता । और यह भी ज्ञातव्य है कि ईश्वर की अनुमति भी तत्त्वकार्यों का साक्षात् उत्पादक न होकर तत्त्वकारणों द्वारा ही उत्पादक होती है । यह मानना लोकस्थिति के अनुकूल भी है क्योंकि राजा की आज्ञाआदि से भी तन्तु आदि का निर्माण अशुकादि के विना और पटादि का निर्माण तन्तु आदि के विना नहीं होता । अतः जैसे किसी भी राज्य मे विभिन्न कार्यों का उत्पादन राजा की आज्ञा अनुसार होने पर भी उस कार्य के लोकसिद्ध कारणों के माध्यम से ही होता है उसी प्रकार जगत् मे भी जगत् के राजा ईश्वर की इच्छा से भी तत्त्वकार्यों का उत्पादन तत्त्वकार्यों के लोक सिद्ध कारणों द्वारा ही होना उचित है, क्योंकि परमेश्वर की वंसी ही अनुमति है ।

इस सम्बन्ध मे व्याख्याकार श्रीमद्यशोविजयजी महाराज का कहना है कि यह मत पामरों के अभिप्रायानुसार प्रवृत्त होने के कारण सक्रान्त पामरभाव वाले व्यक्तियों के लिये ही मान्य हो सकता है, बृद्धिमान मनुष्य इस मत को नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि राजा की आज्ञादि के समान ईश्वर की इच्छा को कारण मानना प्रमाणसिद्ध नहीं है । क्योंकि इस मत मे तत्त्वदेश और तत्त्वकाल मे तत्त्वकार्य के नियतत्व को ही-जो तद् तद् कार्य की उत्पादक समग्री से सपन्न होता है—तद् तद् देश और तद् तद् काल मे तत्त्वकार्य की उत्पत्ति का नियामक कहा गया है । किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं होता । क्योंकि उक्त नियतत्व तत्त्वकार्यगतजन्यता का घटक होता है अत एव उससे तत्त्वकार्य की उत्पत्ति का नियमन नहीं हो सकता, क्योंकि तत्त्वकार्य की उत्पत्ति का नियमन उसीसे सम्बन्ध है जो तत्त्वकार्य की उत्पत्ति के पूर्व उपस्थित हो सके, किन्तु जो तत्त्वकार्यगत जन्यता का घटक है वह तो तत्त्वकार्य के साथ ही उत्पन्न हो सकता है न कि तत्त्वकार्योत्पत्ति के पूर्व । अतः उसे तत्त्वकार्य की उत्पत्ति का नियामक मानना सम्भव नहीं हो सकता ।

वच्छिन्नद्वावच्छिन्नविशेष्यतयोपादाननिष्ठतयोपादानप्रत्यक्षादित्रयहेतुताकल्पने गौरवात् , समवेतत्वसंबन्धेनेश्वरीयत्वेन तत्त्वयानुगमेऽप्यसंसार्यत्मत्वलक्षणेश्वरत्वनिवेशो गौरवात् प्रत्येकमादाय विनिधमनाविरहाच्च तत्कालावच्छिन्नत्वसंबन्धेन नियतेरं व हेतुत्वकल्पना॑चत्यात् , इतरकारणवैयर्थ्यापत्तेश्च । तदनुमतदण्डत्वादिनाऽहेतुत्वात् , दण्डादीनां हेतुत्वनियमस्य च स्वभावत एव संभवात् न तदर्थमपीश्वरानुमरणम् , अन्यथा तज्ज्ञानादेस्तत्कारणानुमतित्वेऽपि नियामकान्तरं गवेषणीयम् । ‘धर्मिग्राहकमानेन तत् स्वतोनियतमेवेति’ चेत् ? इदमपि तत एव किं न तथा ? व्यवस्थितश्वायमर्थो ‘न चाचेतनानामयि स्वहेतुसंनिधिसमासादितोत्पत्तीनां चेतनाधिष्ठातुव्यतिरेकेणापि देश-कालाऽकारणनियमोऽनुपपन्नः, तन्नियमस्य स्वहेतुवलायातत्वात्’ इत्यादिना ग्रन्थेन सम्मतिटोकायामपि ।

तत्तद्वेश और तत्त्वकाल मे तत्त्वकार्य के नियतत्व को तत्त्वकार्य की उत्पत्ति का नियामक न मानने मे यह भी एक युक्ति है कि-यदि तत्तद्वेश और तत्त्वकाल मे तत्त्वकार्य खे नियतत्व को ही कारण मान लिया जायगा तो तत्त्वकाल मे और तत्तद्वेश मे तत्त्वकार्य के प्रति तत्त्वकालीन तत्त्वकार्य के उपादान का प्रत्यक्ष और तत्त्वकार्य की चिकिर्षा तथा तत्त्वकार्य के लिये तत्त्वकाय के उपादान मे होनेवाले प्रयत्न को तत्त्वकार्य के प्रति कारण मानना गौरव के कारण त्याज्य हो जायगा । यदि तीनों को ईश्वर मे समवेत होने के कारण समवेतत्व सम्बन्ध द्वारा ईश्वरीयत्वरूप से तीनों का अनुगम कर तीनों मे एक कारणता मानी जायगी तो भी कारणतावच्छेदक के शरीर मे प्रसारारी आत्मत्व लक्षण ईश्वरीयत्व का निवेश करने मे गौरव होगा । और यदि ईश्वरीयत्वरूप से अनुगम न कर आत्मसमवेतत्वरूप से अनुगम किया जायगा तो तत्तद्वेश को लेकर विनिगमनाविरह होने से तत्तद्वेशसमवेतत्वरूप से ज्ञान-इच्छा प्रयत्न में अनन्तकाणता की आपत्ति होगी । और उसके वारण के लिये तत्त्वकालावच्छिन्नत्व सम्बन्ध से उक्त नियति को कारण मानने पर घटपटादि के अन्य कारणों का वैयर्थ्य भी होगा ।

इस प्रसङ्ग मे जो यह बात कही गई कि-घटपटादि कार्य के प्रति दण्ड वेमादि को कारण मानने के लिये ईश्वर की अनुमति आवश्यक हैं अन्यथा वेमा घट का और दण्ड पट का कारण होने लगेगा’-यह ठोक नहीं हैं । क्योंकि दण्ड वेमादि मे घटपटादि को कारणता का नियम स्वाभाविक है । अर्थात् दण्ड-घट का ही कारण हो पट का न हो और वेमा पट ही का कारण हो घट का न हो यह बात दण्ड और वेमा के स्वभाव पर ही निर्भर हैं । उस के लिये ईश्वरानुमति की कल्पना अनावश्यक हैं । और यदि तत्तद्वेश की कारणता को ईश्वरानुमति के आधीन माना जायगा तो यह प्रश्न हो सकता है कि दण्ड मे ही घट को कारणता ईश्वरानुमति क्यों हैं ? वेमा मे घट की कारणता ईश्वरानुमति क्यों नहीं है ? अतः तत्तद्वेश मे तत्तद्वेश-कारणता को ईश्वर नुमति का भी कोई दूसरा नियामक अपेक्षणीय होगा । और इस प्रकार नियामकों की कल्पना मे अनवस्था को प्रसक्ति होगी । यदि यह कहा जाय कि - दण्ड मे ही घट को कारणता ईश्वरानुमति हैं यह बात ईश्वर साधक प्रमाणों से ही सिद्ध है अन्यथा यदि ईश्वरानुमतत्व को भी अन्य नियामक की अपेक्षा होगी तो उसकी सिद्धि ही न हो सकेगी-तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर यह भी कहा जा सकता है कि दण्डादि मे घटादि की कारणता भी स्वतः ही नियत है । उस के लिये ईश्वरानुमति जैसे अन्य नियामक की आवश्यकता नहीं

किञ्च, एतादृशनियामकत्वं भवस्थ सिद्धादिज्ञान एव, इति किं शिपिविष्टकल्पनाकप्तेन १
तदिदमुक्तं हेमसूरिभिः—

“मर्वभावेषु कर्तृत्वं ज्ञातृत्वं यदि संमतम् ।

मतं नः, सन्ति सर्वज्ञा मुक्ताः कायभूतोऽपि हि” ॥ [वी०स्तो०७-७] ॥ इति ।

युक्तं चैतत्, “जं जहा भगवया दिङ्” तं तहा विपरिणामइ” * इति भगवद्वचनस्यापीत्थ-
मेव व्यवस्थितत्वात् । एवं च—

“समालोच्य क्षुद्रेष्वपि भवननाथस्य भवने, नियोगाद् भूतानां मितसमय-देशस्थिति-लयम् ।
अये । केयं आनिः मततमपि मीमांसनजुपां, व्यवस्थातःकाये जगति जगदीशाऽपरिचयः ॥१३॥”

हैं । अन्यथा नियामक के नियामक का प्रश्न उठाने पर अनवस्था होने के कारण दण्डादि मे घटादि की
कारणता ही नहीं सिद्ध होगी ।

सम्मति टीका से इस विषय को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि अचेतन पदार्थों की उत्पत्ति
उन के हेतुओं के सक्षिप्तात् से ही सपन्न होती है । उनमे ‘उनके देश, काल और आकार का
नियमन चेतनरूप अधिष्ठाता के विना नहीं हो सकता’ यह बात नहीं कही जा सकती । व्योक्ति कार्यों के
देश काल और आकार का नियमन उन के हेतुओं के ही सामर्थ्य से हो जाता है अर्थात् जो हेतु जिस
कार्य का उत्पादक होता है वह उसे नियत आकार में ही उत्पन्न करने के सामर्थ्य से स्वभावतः सपन्न
होता है ।

[भवस्थित केवली के ज्ञान से नियमन का सम्भव]

इस सन्दर्भ मे एक दूसरी बात यह भी ज्ञातव्य है कि तत्त्व देश और तत्त्व काल मे तत्त्व कार्य
की उत्पत्ति का नियमन तथा दण्डादि मे घटादि की ही कारणता का नियमन भवस्थसिद्ध के ज्ञान से
भी सभव हो सकता है अतः उस के लिये महेश्वर की कष्टमय कल्पना आनावश्यक है । इस बात को
श्रीहेमचन्द्रसूरिमहाराज ने यह कहकर समर्थन दिया है कि-यदि सपूर्ण भावों के प्रति कर्तृत्व ज्ञातृत्वस्व-
रूप स्वीकार्य हो तब आहूतोंके मत मे जो अनेक ज्ञानीरधारी सर्वज्ञजीवन्मुक्त माने गये हैं उन्हीं मे सपूर्ण
भावों का ज्ञातृत्व हैं ही तो उन्हीं मे सबभावकर्तृत्व मान लेता आवश्यक है । किसी नये सर्वज्ञ की
कल्पना निरर्थक है—यही युक्तिसङ्गत भी है क्योंकि ‘भगवान ने जिस वस्तु को जिस रूप मे देखा है
वह वस्तु उसी रूप मे निष्पन्न होती है’ भगवान के इस बचन की भी व्यवस्था इसीप्रकार हो सकती है ।

इस प्रसङ्ग मे नैर्यायिक-मीमांसकों को और से कोई इस आशय का पद्ध पढ़े कि—“सामान्य
जनों को भी जब इस बात की जानकारी होती है कि किसी गृहपति के गृह मे नियत देश और नियत-
काल मे ही भूतों की उत्पत्ति आदि की जो व्यवस्था देखी जाती है वह अकारण नहीं होती किन्तु
गृहपति की इच्छा से ही होती है, तब देवदत्तनों को निरतर मीमांसा करनेवाले विद्वानों को यह कैसा
भ्रम है कि व्यवस्था को देखते हुए भी वे अपने को जगदीश के सम्बन्ध मे परिचयशून्य बताते हैं ?
और जगदीश का अस्तित्व विना माने ही कार्यों की व्यवस्था पर अपनी आस्था प्रगट करता है ।”—

क्षे यद् यथा भगवता दृष्टे तत् तथा विपरिणमते ।

इति पद्मेऽपि प्रतिपद्मेवं मदीयम्—

पिनष्टीयं पिष्टं भवनियमसिद्धिव्यवसितिः स्वभावाद् भूतानां मितसमयदेशस्थितिरिति ।

अये ! केयं आन्तिः सततमपि तर्कव्यसनिनां वृथा यद्यथापारो जगति जगदीशस्य कथितः ॥२॥

इति दिग् । अत एवाऽग्रिमाण्यप्यनुमानान्यपास्तानि ।

किञ्च, द्वितीयानुमाने 'स्वोपादान'-इत्यत्र स्वपदस्य द्वचणुकादिपरत्वे साध्याऽप्रसिद्धिः, घटादिपरत्वे पटादौ मन्दिग्धानैकान्तिकत्वम्, स्वोपादानगोचरत्वादिनाऽपाततोऽपि हेतुत्वाभावतोऽत्यप्रयोजकत्वं च । तृतीये ज्ञानेच्छापदोपादानप्रयासः । चतुर्थे सर्गाऽप्रसिद्धिः ।

तो इस पद्मके विरोध मे नैयायिक के प्रति व्याख्याकार पू० यशोविजयजी महाराज इस आशय का अपना पद्म प्रस्तुत करना चाहते हैं कि- नियत देश और नियतकाल मे भूतो के जन्मादि की व्यवस्था स्वामा वक है । अत जगत मे होनेवाली कार्यों की उत्पत्ति आदि के नियमो को उपपत्ति के लिये ईश्वर को सिद्ध करने का वृच्छाय पृष्ठपेषण मात्र है । अतः निरन्तर तर्कों का ही व्यसन करनेव ले नैयायिको को यह एक कसा भ्रम है कि वे स्वभाव सिद्ध व्यवस्था के लिये जगदीश के व्यर्थ व्यापार का समर्थन करते हैं !

[ईश्वर साधक शेषानुमानों को दुर्बलता]

'कार्यं सकर्तृकं कर्यत्वात्' ईश्वर सिद्धि के इस प्रथम अनुमान मे जिस प्रकार के दोष वताये गये हैं उमी प्रकार के दोषों के कारण अग्रिम अनुमानों भी निरस्त हो जाते हैं । अग्रिम अनुमानो मे दूसरे नये दोष भी हैं । जसे स्वोपादानगोचर एव स्वजनकाहृष्ट के अजनककृति से अजन्य समवेत जन्य मे-स्वोपादान गोचर एव स्वजनकाहृष्ट के अजनक अपरोक्ष ज्ञान चिकीषजिन्यत्व का अनुमान दूसरा ईश्वरानुमान है । इस अनुमान मे यदि साध्य के शरीर मे स्वपद से द्वचणुकादि का ग्रहण किया जायगा तो द्वचणुकादि के उपादान का अपरोक्ष ज्ञानादि सिद्ध न होने से साध्याऽप्रसिद्धि दोष होगा । यदि स्व-पद से घटादिका ग्रहण किया जायगा तो पटादि मे कार्यत्व हेतु सन्दिग्ध अनेकान्तिक होगा, क्योंकि पटादि मे घटादि के उपादान को विषय करने वाले अपरोक्ष आदि ज्ञान की जन्यता सन्दिग्ध है इस अनुमान मे अप्रयोजकत्व दोष भी है, क्योंकि घटादि कार्यों के प्रति कपालादि के अपरोक्षज्ञान को कपालादिगोचरत्व रूप से ही कारणता होती है स्वोपादानगोचरत्व रूप से नहीं । अतः स्वोपादान-गोचरत्व रूप से कारणता न होने से अप्रयोजकत्व दोष का होना अपरिहार्य है, क्योंकि यह शड्का निर्विवाद रूप से की जा सकती है कि 'जिन कार्यों मे प्रस्तुत साध्य का अनुमान करना हैं वे कार्य होते हुए भी स्वोपादान गोचरत्वरूप से अपरोक्षज्ञानादि से जन्य-उसी प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार घटादि ही स्वोपादान गोचरत्वरूप से अपरोक्ष ज्ञानादि से जन्य नहीं होते'-और इस शड्का का कोई परिहार नहीं है ।

ईश्वर का तीसरा अनुमान यह है कि द्रव्य विशेषता सम्बन्ध से ज्ञान, इच्छा और कृति से युक्त है, क्य कि उन मे समवाय सम्बन्ध से कार्य होता है । जैसे कपाल मे समवाय सम्बन्ध से घटरूप कार्य के होने से वह विशेषता सम्बन्ध से कुलाल के ज्ञान, इच्छा और कृति से युक्त होता है । इस अनुमान मे साध्य बोधक विभाग मे ज्ञान और इच्छा पद का उपादान निरर्थक है क्योंकि विशेषता

पञ्चमे तु क्षित्यादावकर्तुं कत्वस्यैव व्यवहाराद् वाधः । 'विशेषान्वय-व्यतिरेकाभ्यां कर्तुं-
त्वेन कार्यसामान्य एव हेतुत्वग्रहान्न वाध' इति चेत् ? तर्हि शरीरचेष्टयोरप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां
कार्यसामान्यहेतुत्वात् तयोरपि नित्ययोगीश्वरे प्रसक्तिः । अथ 'नित्यशरीरमिष्यत एव
भगवतः । तत्र 'परमाणव एव प्रयत्नवदीश्वरात्मसंयोगाधीनचेष्टावन्त ईश्वरस्य शरीराणि'

सम्बन्ध से केवल कृति का अनुमान करने पर भी उसके आश्रयरूप में ईश्वर की अभिमत सिद्धि हो सकती हैं क्योंकि ईश्वर में सपूर्ण कार्यों के उपादान को विषय करने वाली कृति के सिद्ध हो जाने पर उसके द्वारा ज्ञान और इच्छा का प्रृथक् अनुमान हो जाने से सपूर्ण कार्य के कर्ता ईश्वर में सपूर्ण कार्यों के उपादान का ज्ञान और उनके उपादानों में चिकित्सारूप इच्छा की सिद्धि होकर ईश्वर में सर्वज्ञतादि की सिद्धि हो सकती है । (४) सर्ग के आरम्भ काल में विद्यमान द्रव्य विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ञान-वान है क्योंकि उसमें समवायसम्बन्ध से काय होता है' यह पक्षतावच्छेदक सर्ग के आरम्भकाल में द्रव्य में ज्ञानरूप साध्य के साधन द्वारा ईश्वर का साधक चौथा अनुमान है । इस अनुमान में भीमांस-कादि की दृष्टि से पक्षाऽसिद्धि दोष है । क्योंकि उनके मत में सर्ग का आरम्भकाल असिद्ध है ।

[पंचम अनुमान में बाध दोष]

'क्षित्यादि कार्य सकर्तुं क हैं क्योंकि वह कार्य है' यह अनुमान प्रकृत विचार के प्रयोजक विवाद के विषयत्व रूप से क्षित्यादि को पक्ष रूप में विषय कर सकर्तुंकत्व के साधन द्वारा ईश्वर का साधक पाचवा अनुमान है । इस अनुमान में बाध दोष है क्योंकि क्षित्यादि में लोकव्यवहार से अकर्तृत्व ही सिद्ध है । यदि यह कहा जाय कि-'घटादि विशेष कार्य और कुलालादिविशेष कर्ता के अन्वय-व्यतिरेक से घटादि विशेष कार्य के प्रति कुलालादि विशेष कर्ता कारण है', केवल इतना ही सिद्ध न होकर 'सामान्य रूप से कार्यमात्र के प्रति सामान्य रूप से कर्ता कारण होता है' यह भी सिद्ध होता है । अतः इस कार्यकारणभाव के विरोधी क्षित्यादि में अकर्तृकत्व के व्यवहार को यथार्थ नहीं भाना जाता । इसलिये इस अनुमान में बाध दोष नहीं हो सकता'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर घटादि कार्य और कुलाल का शरीर एवं कुलाल की चेष्टा आदि के अन्वय-व्यतिरेक से कार्य सामान्य के प्रति सामान्य रूप से शरीर और चेष्टा की भी कारणता सिद्ध होती है और इस कार्यकारणभाव के आधार पर ईश्वर में नित्य शरीर और नित्य चेष्टा की भी प्रसक्ति हो सकती है ।

इस सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि-मगवान को नित्य शरीर होना इष्ट ही है । इसी लिये कुछ लोगों की यह मान्यता है कि परमाणु ही ईश्वर के शरीर हैं क्योंकि उनमें ईश्वर के प्रयत्न से चेष्टा उत्पन्न होती है और यह नियम है कि जिस पुरुष के प्रयत्न से जिसमें चेष्टा उत्पन्न होती है वह उस पुरुष का शरीर होता है । यह ज्ञातव्य है कि प्रयत्न समवाय सम्बन्ध से पुरुष में रहता है न कि शरीर में । अत यह समवाय सम्बन्ध से शरीर में चेष्टा का उत्पादक न होकर स्वाश्रय संयोग सम्बन्ध से चेष्टा का उत्पादक होता है । स्वका अर्थ है प्रयत्न-उसका आश्रय होता है आत्मा और उसका संयोग होता है शरीर में, अतः उस संयोग के द्वारा प्रयत्न को उस शरीर में चेष्टा को उत्पन्न करने में कोई वाधा नहीं होती । दूसरे विद्वानों का कहना है-केवल वायु के परमाणु ही ईश्वर के शरीर है क्योंकि उनमें ईश्वर प्रयत्न से किया चेष्टा का उदय सदैव होता रहता है । अत एव उन्हें

इत्येके । ‘वायुपरमाणव एव नित्यक्रियावन्तस्तथा, अत एव तेषां सदागतित्वम्’ इत्यन्ये । “आकाशशरीरं ब्रह्म” इति थ्रुतेः ‘आकाशस्तच्छरीरम्’ इत्यपरे । चेष्टाया नित्यत्वे तु मानाभावः, नित्यज्ञानसिद्धौ तु श्रुतिरपि पश्चपातिनी “नित्यं विज्ञानं०” इत्यादिकाः, अत एव ज्ञानत्वावच्छे देनाऽऽत्म-मनोयोगजन्यत्वं न वाधकमि’ति चेत् ? न, ईश्वरसंबन्धस्य सर्वत्राऽविशेषेण ‘इदमेव-श्वरशरीरम्’ इति नियमाऽयोगात्, चेष्टाया अपि ज्ञानवदेकस्या नित्यायाश्च स्वीकारौचित्याद्, उक्तश्रुतेस्त्वदभिमतेश्वरज्ञानाऽपश्चपातित्वाच्च, अन्यथाऽऽनन्दोऽपि तत्र सिध्येत ज्ञाना-ऽनन्द-भेदश्चेति दिग् ।

आयोजनादपि नेश्वरसिद्धिः, ईश्वराधिप्रानस्य सर्वदा सत्त्वेऽप्यदृष्टविलम्बादेवाऽद्याणुक्रियाविलम्बात् तत्र तद्वेतत्वावश्यकत्वात् । दृष्टकारणमत्वे एवादृष्टविलम्बेन कार्याविलम्बात् ,

सदागतिशील भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि ‘आकाश शरोर ब्रह्म’ इस श्रूति के अनुसार आकाश ही ईश्वर का शरीर है और वह नित्य है। इस प्रकार विद्वानों की हृष्टि में ईश्वर का नित्य शरीर संयुक्त होना युक्तिसङ्गत ही है। हा, उसमें नित्य चेष्टा का अभ्युपगम नहीं किया जा सकता है क्योंकि चेष्टा की नित्यता में कोई प्रमाण नहीं है। चेष्टा के समान ज्ञान में अनित्यता की सिद्धि नहीं बता जा सकती क्योंकि ज्ञान की नित्यता ‘नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म’ इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध है। इन श्रुतियों के कारण ही संपूर्ण ज्ञान में आत्म मनोयोग की जन्यता को वाधक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान को आत्ममनोयोगजन्य मानने में ये श्रुतियां ही वाधक हैं ’तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर के विभु होने से उसका सम्बन्ध सभी द्रव्यों में समान रूप से विद्यमान है अत यह कहना—परमाणु ही अथवा वायु परमाणु ही या आकाश ही ईश्वर का शरीर है—ठीक नहीं हो सकता। इसी प्रकार ज्ञान के समान एक नित्य चेष्टा की कल्पना भी उचित हो सकती है। क्योंकि जैसे जीवों में ज्ञान क अनित्य होने पर भी इश्वर में लाघव की हृष्टि से एक नित्यज्ञान की कल्पना होती है उसी प्रकार जीवों के अनित्य शरीर में अनित्य चेष्टा होने पर भी ईश्वर के नित्य शरीर में एक नित्य चेष्टा मानने में कोइ वाधा नहीं हो सकती। चेष्टा और ज्ञान की असमानता वताते हुए ज्ञान की नित्यता में जो श्रुति प्रमाण रूपमें प्रसिद्ध की गई है उस से ईश्वर में नैयायिक के मतानुमार ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि वह श्रुति ईश्वर में ज्ञान के अभेद का प्रतिपादन करती है न कि ज्ञान की आधिकारिता का। यदि उसमें ईश्वर में ज्ञान की सिद्धि होगी तो उसी से ईश्वर में आनन्द की भी सिद्धि हो सकती हैं जो नैयायिकों को मान्य नहीं है। एवं उस श्रुति में ज्ञान और आनन्द शब्द का पृथक् उपादान होने से ज्ञान और आनन्द का भेद भी सिद्ध होगा। जब कि ईश्वर में ज्ञान से भिन्न आनन्द की सत्ता नैयायिकों को मान्य नहीं है।

(अष्टट से हो आद्यपरमाणुक्रिया को उपपत्ति)

(६) आयोजन=‘प्रथम द्वयगुक के आरम्भक सयोग को उत्पन्न करनेवाले परमाणुकम्’ से भी ईश्वर कि सिद्धि नहीं हो उसकती, क्योंकि वत कर्म में प्रयत्नजन्यत्व का अनुमान कर उस प्रयत्न के आश्रयरूप में ही ईश्वर की सिद्धि की जा सकती है। किन्तु उक्त कर्म में ईश्वरप्रयत्नजन्यत्व मानना सभव नहीं

अदृष्टस्य दृष्टाऽधातक्त्वात्, चेष्टात्वस्याऽनुगतत्वेनोपाधित्वाच्च । तदवच्छिन्न एव हि जीवन-यत्नव्यावृत्तेन प्रवृत्तित्वेन गमनत्वादिन्याप्यत्वे तु विलक्षणयत्नत्वेनैव हेतुत्वात् क्रियासामान्ये यत्नत्वेन हेतुत्वे मानाभावात्, 'यद्विशेषयोः०' इत्यादिन्याये मानाभावात् ।

है क्योंकि उक्त कर्म की उत्पत्ति नियत समय में ही होती है । यदि ईश्वर प्रयत्न से उसकी उत्पत्ति मानी जाय तो उस में प्रयत्नवान् ईश्वर का सदैव सयोग होने से नियतकाल में ही उस की उत्पत्ति न होकर पूर्वकाल में भी उस की उत्पत्ति की आपत्ति होगी । अत अदृष्ट के विलम्ब से ही परमाणुगत आद्य कर्म की उत्पत्ति में विलम्ब मानना होगा । और वह तभी हो सकता है कि जब अदृष्ट को उस कर्म का कारण माना जाय । और जब अदृष्ट उस कर्म का कारण होगा तो उसीसे उसकी उत्पत्ति सभव हो जाने के कारण उसके प्रति ईश्वर का प्रयत्न कारण न हो सकेगा । यदि यह कहा जाय कि—“अदृष्ट के विलम्ब से कार्य का विलम्ब अप्रमाणिक है क्योंकि कार्य के दृष्टकारणों के उपस्थित होने पर अदृष्ट के विलम्ब से कभी भी कार्य में विलम्ब नहीं देखा जाता”-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जिस कार्य के जो जो दृष्ट कारण प्रमाणित होते हैं उन सभी कारणों के रहने पर ही अदृष्ट के विलम्ब से कार्य में विलम्ब होना अप्रमाणिक है क्योंकि यदि उस दशा में भी अदृष्ट के विलम्ब से कार्य में विलम्ब होगा तो उस कार्य के प्रति अदृष्ट मात्र को कारण मान लेने से दृष्ट कारणों का विघात हो जायगा । जब कि अदृष्ट से दृष्ट कारणों का विघात किसी को भी मान्य नहीं है । अत जिस कार्य का कोई ऐसा दृष्टकारण सिद्ध नहीं है कि जिसके विलम्ब से उस कार्य की उत्पत्ति में विलम्ब हो सके तब भी उस कार्य की उत्पत्ति में भी यदि विलम्ब होता है तो उसे अदृष्ट के विलम्ब से ही उपपन्न करना होगा । परमाणु के आद्य कर्म का कोई ऐसा दृष्टकारण सिद्ध नहीं है कि जिस के विलम्ब से उस की उत्पत्ति में विलम्ब माना जाय । अत अदृष्ट के विलम्ब से ही उस की उत्पत्ति में विलम्ब मानना होगा, इस प्रकार नियत समयमें कार्योन्मुख होने वाले अदृष्ट से ही नियतकाल में परमाणु के आद्य कर्म की उत्पत्ति का संभव होने से उसके कारणरूपमें ईश्वरप्रयत्न की सिद्धि नहीं हो सकती ।

इस के अतिरिक्त प्रस्तुत अनुमान में चेष्टात्व उपाधि भी है क्योंकि यत्नजन्य सभी कर्मों में चेष्टात्वरूप एक अनुगत धर्म रहता है और कर्मत्वरूप साधन के आश्रयभूत द्वच्युकारम्भक परमाणु के आद्यकर्म में नहीं रहता है अत वह कर्मत्वरूप साधन से अवच्छिन्न(=विशिष्ट)प्रयत्नजन्यत्वरूप साध्य का व्यापक और कर्मत्वरूप साधन का अव्यापक उपाधि है ।

प्रस्तुत अनुमान इसलिए भी नहीं हो सकता कि वह क्रियासामान्य और प्रयत्नसामान्य के जिस कार्यकारणभाव को अधीन है उस कार्यकारणभाव में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि क्रिया को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है, जैसे जीवनयोनियत्न=जीवनादृष्टकारणक प्रयत्न से होने वाली प्राण अपानादि की क्रियाएँ और अन्य प्रयत्नों से होने वाली चेष्टात्मकक्रियाएँ उन में प्रथमवर्ग की क्रिया के प्रति जीवन-योनि यत्न ही कारण है और द्वितीयवर्ग की क्रिया-चेष्टा के प्रति प्रवृत्ति कारण है । द्वितीयवर्ग की क्रिया को कारणता का अवच्छेदकभूत प्रवृत्तित्व जीवनयोनि से मिल सभी यत्नों का धर्म है । अत एव प्रवृत्ति को द्वितीयवर्ग की समस्तक्रियाओं का कारण मानने पर पलायन आदि क्रियाओं में उस का व्यभिचार नहीं हो सकता क्योंकि पलायनादि क्रियाएँ जिस प्रयत्न से होती है वह भी प्रवृत्ति नामक प्रयत्न के अन्तर्गत आ जाता है । यदि द्वितीय वर्ग की क्रियाओं को गमनादि

धृतेरपि नेश्वरसिद्धिः, गुरुत्ववत्पतनाभावमात्रस्य गुरुत्वेतरहेत्वभावप्रयुक्तस्याऽप्रफला-
दावेव व्यभिचारित्वात् । प्रतिवन्धकाभावेतरसामग्रीकालीनत्वविशेषणोऽपि वेगवदिषुपत-

अनेक व्याप्य क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाय तो गमनादि रूप तत्त्व क्रियाओं के प्रति विजाती-विजातीय रूप से जीवन योनिमिन्न प्रयत्न कारण होगा, अतः क्रिया सामान्य के प्रति प्रयत्नसामान्य को कारणता नहीं सिद्ध होगी। ‘जिन कार्यकारणों में विशेष रूप से कार्यकारणभाव होता है-उन में सामान्यरूप से भी कार्यकारणभाव होता है’ इस न्याय में कोई प्रमाण नहीं होने से इस न्याय के बल से भी क्रिया और प्रयत्न में सामान्यरूप से कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता है, अतः उसके आधार पर प्रस्तुत अनुमान का समर्थन अशक्य है।

(धृति हेतु ईश्वरासद्धि में अनैकान्तिक)

(६) धृति से भी ईश्वर की अनुमानिक सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि धृति का अर्थ है गुरुत्व के आश्रयभूत द्रव्य के पतन का अभाव, और उस से ईश्वरानुमान तभी हो सकता है जब इस प्रकार की व्याप्ति बने कि गुरु द्रव्य के पतन का जो ही अभाव होता है वह गुरुत्व से इतर, पतन कारण के अभाव से प्रयुक्त होता है। किन्तु यह व्याप्ति नहीं बन सकती। क्योंकि वृक्ष की शाखा में लगे हुए आम्रफल में व्यभिचार है। आशय यह है कि आम्रफल गुरुद्रव्य है। किन्तु जब वह शाखाग्र मलगा हुआ होता है तब उस में पतन का अभाव होता है पर उसमें गुरुत्व से इतर पतन के किसी हेतु का अभाव नहीं है। यदि यह कहा जाय कि—“शाखाग्र वृक्ष के साथ आम्रफल का संयोग भी आम्रफल के पतन का प्रतिवन्धक है—इसलिये गुरुत्व से इतर पतन का कारण हुआ ‘वृक्ष के साथ आम्रफल के संयोग का अभाव और उसका अभाव हुआ वृक्ष के साथ आम्रफल का संयोग, आम्रफल का पतनाभाव’ उस संयोग से प्रयुक्त है अतः आम्रफल में उक्त व्याप्ति का व्यभिचार चलाना असङ्गत है.” तो यह कथन ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वृक्षके साथ आम्रफल के संयोग को आम्रफल के पतन का प्रतिवन्धक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह यदि प्रतिवन्धक होगा तो उस का अभाव होने पर ही आम्रफल का पतन होना चाहीए किन्तु ऐसा नहीं होता। अपितु आम्रफल में पतनारूप कर्म पहले उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उस कर्म से वृक्ष के साथ आम्रफल का विभाग होकर वृक्ष के साथ आम्रफल के संयोग का घटसात्मक अभाव निष्पन्न होता है। सारांश, न्यायमतप्रक्रियानुसार पतनकर्म पहले हुआ, व संयोगाभाव वाद से हुआ। तो पतन में संयोगाभाव कारण कहां बना ?

यदि यह कहा जाय कि—‘आम्रफल में जो पतनकर्म होगा वह वेगवान् वायु अथवा वेगवान् दण्डादिके अभिधात से उत्पन्न होगा। जिस समय यह अभिधात उपस्थित नहीं है उस समय में आम्रफल का पतनाभाव गुरुत्व से इतर पतन के कारणभूत उस अभिधात के अभाव से ही प्रयुक्त होगा। अतः आम्रफल के पतनाभाव में गुरुत्वेतर पतनकारण के अभाव का प्रयुक्तत्व होने के कारण आम्रफल में व्यभिचार का प्रदर्शन फिर भी असङ्गत है’—तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि उक्त अभिधात पतन का कारण नहीं, किन्तु सामान्य कर्म का कारण है, क्योंकि वेगवान् वायु या दण्डादि के अभिधात से भूतल में एक स्थान में स्थित गुरुद्रव्य का स्थानान्तर में अपसरण भी होता है, जिसे पतन नहीं कहा जा सकता। अतः उक्त अभिधात से आम्रफल में जो सामान्य कर्म उत्पन्न होता है वह आम्रफल

नाभावे तथात्वात् । वेगाऽप्रयुक्तत्वस्यापि विशेषणत्वे मन्त्रविशेषप्रयुक्तगोलकपतनाभावे तथात्वात् । अदृष्टप्रयुक्तत्वस्यापि विशेषणत्वे च स्वरूपामिद्विः, ब्रह्माण्डधृतेरप्यदृष्टप्रयुक्तत्वात् । तदुक्तम्—[योगशास्त्रे ४-१८]

के गुरुत्व से भी जन्म होने के कारण पतनरूप हो जाता है । इसलिये वृन्तसयुक्तआभ्रफल के पतनाभाव में गुरुत्वेतरपतनहेत्वभावप्रयुक्तत्व न होने से आभ्रफल में व्यभिचार का प्रदर्शन न्यायसङ्गत है । फलतः उक्त व्याप्ति न बन सकने के कारण धृति से ईश्वरानुमान अशक्य है । उक्तव्यभिचार का वारण करने के लिये यदि गुरुत्ववत् पतनाभावरूप धृति में प्रतिबन्धकाभाव से इतर जो पतन की सामग्री, तत्कालीनत्व विशेषण देकर इस प्रकार व्याप्ति बनायी जाय कि “गुरुत्वदत्पतनाभावरूप जो धृति पतनप्रतिबन्धकाभाव से भिन्न पतनसामग्री की समकालीन होती है वह गुरुत्वेतर पतन कारण के अभाव से प्रयुक्त होती है”—तो यद्यपि व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि प्रतिबन्धकाभाव से इतर पतन की सामग्री पतनप्रतिबन्धककालीन सामग्री ही होगी । अतः तत्कालीन धृति से गुरुत्वेतर प्रतिबन्धकाभावरूप पतन कारण के प्रतिबन्धकरूप अभाव से प्रयुक्त होने के नाते व्यभिचार नहीं हो सकता । तथापि उक्त विशेषण विशिष्ट धृति में भी गुरुत्वेतरपतनहेत्वभावप्रयुक्तत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि वेगवान् बाण की पतनाभावरूप धृति ताह्वा सामग्रीकालीन धृति है । किन्तु उस में गुरुत्वेतर पतनकारणाभावप्रयुक्तत्व नहीं है । अतः उस धृति में उक्त व्याप्ति का व्यभिचार हो जायगा ।

यदि यह कहा जाय कि-वेगवान् बाण के पतन का कारण वेगरूप प्रतिबन्धक का अभाव है । अतः वेगवान् बाण का पतनाभाव प्रतिबन्धकाभावेतरसामग्रीकालीन न होकर प्रतिबन्धककालीन ही सामग्री है । अत प्रतिबन्धकाभावेतरसामग्रीकालीनत्वविशिष्ट धृतित्व उस में नहीं है अतः उस में व्यभिचार का प्रदर्शन असंगत है’—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि बाणगत वेग भी बाण के पतन का प्रतिबन्धक नहीं माना जा सकता । क्योंकि बाण का पतन होने पर ही बाण के वेग को निवृत्ति होती है । यदि वेगको बाण के पतन का प्रतिबन्धक माना जायगा तो बाण का पतन कभी ही न हो सकेगा । यदि इस व्यभिचार का वारण करने के लिये वेगाऽप्रयुक्तत्व को भी धृति का विशेषण बनाकर इस प्रकार व्याप्ति बनायी जाय कि—‘प्रतिबन्धकाभावेतरपतनसामग्रीकालीन एव वेगाऽप्रयुक्तगुरुत्वदत्पतनाभावरूप धृति गुरुत्वेतर पतन कारणाभाव प्रयुक्त होती है’—तो यह भी ठीक नहीं है । क्यों कि मन्त्रवेत्ता व्यक्ति मन्त्रविशेष से किसी गोलकद्रव्य को आकाश में स्थिर कर देते हैं । मन्त्रविशेष के प्रभाव से उस का पतन नहीं होने पाता । अतः उस गोलकद्रव्य के पतनाभाव में उक्त व्याप्ति का व्यभिचार हो जायगा, क्योंकि गोलकद्रव्य का उक्त पतनाभाव प्रतिबन्धकाभावेतरपतनसामग्रीकालीन है और वेगाऽप्रयुक्त भी है, किन्तु गुरुत्वेतर पतनकारण के अभाव से प्रयुक्त नहीं है । मन्त्रविशेष को गोलकद्रव्य के पतन का प्रतिबन्धक मानकर उस के पतनाभाव में उक्त सामग्रीकालीनत्वरूप विशेषण का अभाव बता कर उस में व्यभिचार का वारण नहीं किया जा सकता । क्योंकि मन्त्रविशेष का पाठ बन्ध कर देने पर भी गोलकद्रव्य पर्याप्त समय तक आकाश में स्थिर रहता है । अतः मन्त्रविशेष को उस के पतन का प्रतिबन्धक नहीं कहा जा सकता । यदि इस व्याप्ति का वारण करने के लिये धृति में अदृष्टाप्रयुक्तत्व भी विशेषण देकर इस प्रकार व्याप्ति बनायी जाय कि ‘प्रतिबन्धकाभावेतर पतनसामग्रीकालीनवेगाऽप्रयुक्त एवं अदृष्टाप्रयुक्त गुरुत्ववत् पतनाभावरूप धृति गुरुत्वेतरपतनकारणाभावप्रयुक्त होती है’ । तो इस व्याप्ति के सभव होने पर भी इसके द्वारा ब्रह्माण्ड की धृति में गुरुत्वेतर-

‘निरालम्बा निगधारा विश्वाधारा वसुन्धरा । यच्चावतिष्ठते तत्र धर्मदिन्यद् न कारणम् ॥’

युक्तं चैतत्, ईश्वरप्रयत्नस्य व्यापकत्वेन समरेऽपि शरपाताऽनापत्तेः । पतनाभावाव-
चिन्ननेश्वरप्रयत्नस्य तथात्वे तादृशज्ञानेच्छाभ्यां विनिगमनाविरहात् कल्पतजातीयस्याऽ-
दृष्टस्यैव ब्रह्माण्डधारकत्वकल्पनौचित्यात् । न चात्माऽविभूत्ववादिनः संवन्धानुपपत्तिः,
अग्रवद्गम्यापि तत्कार्यजननशक्तस्य तत्कार्यकारित्वात्, अयस्कान्तस्याऽसंबद्धस्यापि लोहाऽ-
कर्पकत्वदर्शनादिति, अन्यत्र विस्तरः । प्रयत्नस्य तु विलक्षणप्रयत्नत्वेन पतनप्रतिबन्धकसंयो-
गविशेष एव हेतुत्वम् ।

पतनकारणाभावप्रयुक्तत्व का अनुमान करके भी ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्माण्ड की धृति में भी अदृष्टप्रयुक्तत्व होने से उस में अदृष्टाऽप्रयुक्तत्वविशेषणविशिष्ट उक्त धृतित्वरूपहेतु स्वरूपाऽसिद्ध हो जाता है ।

इसीलिये श्रीहेमचन्द्रसूरिने कहा है कि- विश्व की आधारभूत पृथ्वी विना किसी आलम्बन और आधार किसी एक निश्चित स्थान में स्थिर रहती है, वहां से उसका पतन नहीं होता उस में धर्म से अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है । इस प्रकार ब्रह्माण्ड धृति के धर्म रूप अन्ष्ट से प्रयुक्त होने के कारण उसमें अदृष्टाऽप्रयुक्तत्वविशिष्ट उक्त धृतित्वरूप हेतु की स्वरूपाऽसिद्धि निर्विदाद है । यही युक्तिसङ्गत भी है, क्योंकि यदि ईश्वर प्रयत्न को ब्रह्माण्ड पतन का प्रतिबन्धक माना जायगा तो व्यापक होने के कारण वह सद्ग्रामभूमि में भी रहेगा । अतः उस भूमि में सैनिकों द्वारा प्रक्षिप्त बाणों का पतन भी न हो सकेगा क्योंकि ईश्वर का जो प्रयत्न ब्रह्माण्ड के पतन को रोक सकता है वह सामान्य बाण के पतन को क्यों न रोक सकेगा ? यदि यह कहा जाय कि-‘प्रतियोगिव्यधिकरण पतनाभाव विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न ही पतन का प्रतिबन्धक है । अतः ईश्वरप्रयत्न से बाण के पतन का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । क्योंकि बाण में प्रतियोगिव्यधिकरणपतनाभाव नहीं रहता । ब्रह्माण्ड का कभी भी पतन न होने से उस में प्रतियोगिव्यधिकरणपतनाभाव रहता है । अतः एव ब्रह्माण्ड में प्रतियोगीव्यधिकरणपतनाभाव विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न के रहने से वह ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक हो सकता है’-तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि प्रतियोगिव्यधिकरणपतनाभावविशिष्ट प्रयत्न ही ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक हो उस में कोई विनिगमना न होने से प्रतियोगिव्यधिकरणपतनाभावविशिष्ट ज्ञान और इच्छा को भी प्रतिबन्धक मानना आवश्यक होगा । इसलिये ज्ञान, इच्छा प्रयत्न ये तीन को ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक मानने की अपेक्षा अदृष्ट को ही ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक मानना उचित है, क्योंकि अदृष्ट में जीवित शरीर के पतन की प्रतिबन्धकता सिद्ध है । अतः एव अदृष्ट में पतनप्रतिबन्धकतात्व की कल्पना अपूर्व नहीं है । यदि यह कहा जाय कि-‘अदृष्ट ब्रह्माण्ड का धारक नहीं हो सकता क्योंकि अन्ष्ट जीवात्मा से रहता है । अतः जिस मत से जीवात्मा विभु नहीं होता उस मत से जीवात्मा में रहनेव ले अदृष्ट का सम्बन्ध ब्रह्माण्ड के साथ नहीं हो सकता और जब ब्रह्माण्ड से अदृष्ट का सम्बन्ध नहीं वन सकता तब उसे ब्रह्माण्ड का धारक कैसे माना जा सकता ?’-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जो जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है वह उस कार्य के उत्पत्ति देश से असम्बद्ध होने पर भी

ब्रह्माण्डनाशक्तयापि नेथरमिद्धिः, प्रलयाऽनभ्युपगमात्, अहोगत्रम्याऽद्वोगत्रपूर्व-
कत्वव्याप्त्यत्वात् । न च वर्षादिनत्वेनाऽव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्वे माध्ये राशिविशेषावच्छिन्नर-
विरूपकत्ववद्वाऽव्यवहितसंमारपूर्वकत्वमुपाधिः, राशिविशेषे वर्षादिनम्य हेतुत्वेन तत्रानुकूलत-
केणोपाध्ये: साध्यव्यापकत्वग्रहेऽप्यनुकूलतर्काभावेन प्रकृत उपाधेरसमर्थत्वात्, कालत्वस्य
भोग्यव्याप्त्यत्वात्त्वच । कर्मणां विषमविषाकतया युगपद्विनिरोधाऽमंभवात्, सुपुष्टौ कतिपयाऽद्वृष्ट-
निरोधस्य दर्शनावरणरूपाऽद्वृष्टमामर्थ्यादेवोपपत्तर्वलवताऽद्वृष्टान्तरप्रतिरोधदर्शनात्, प्रलये तु कथं
ताद्वशाद्वप्तं विनाऽद्वृष्टनिरोधः स्यात् ? अन्यथा त्वनायामभिद्वो मोक्षः इति किं ब्रह्मचर्यादिक्ले-
शानुभवेन ? इत्यन्यत्र विस्तरः ।

उस कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे लोहबण्ड से अन्तम्बद्ध भी अयस्कान्तमणि (लोहचुम्बक)
लोहबण्ड में आकर्षण उत्पन्न करता है। अतः कार्य के उत्पत्ति देश से सम्बद्ध ही कारण कार्य का
उत्पादक होता है इस नियम के सार्वत्रिक न होने के कारण ब्रह्माण्ड से अन्तम्बद्ध भी जीव का अद्वृष्ट
ब्रह्माण्ड का धारक हो सकता है। इस विषय का विस्तृत विचार ग्रन्थान्तर में व्यष्टित है।

यह भी ज्ञातव्य है कि प्रयत्न कहीं भी स्वय पतन का प्रतिबन्धक नहीं बनता। किन्तु
विलक्षण प्रयत्न के रूप में पतन के प्रतिबन्धक संयोग विशेष को ही उत्पन्न करता है। पतन का
प्रतिबन्ध तो उस संयोग से ही होता है। जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी के शरीर के पतन का
प्रतिबन्ध पक्षी शरीर के साथ पक्षीकी आत्मा के संयोग से होता है और वह संयोग पक्षी के प्रयत्न से
उत्पन्न होता है। सभी प्रयत्न पतन के प्रतिबन्धक संयोग को नहीं उत्पन्न करते किन्तु विलक्षण
प्रयत्न ही उत्पन्न करता है। अन्यथा जीवित प्राणी का वृक्ष भवन पर्वत आदि से कभी भी पतन न
होता। ईश्वर का प्रयत्न एक ही होता है। अतः उस में वैज्ञात्य की कल्पना नहीं हो सकती। अत
एव उस से पतन के प्रतिबन्धक संयोग की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकती। इसलिये ईश्वरप्रयत्न को
ब्रह्माण्ड का धारक मानना न्यायसङ्गत नहीं हो सकता।

[प्रलय के अस्वीकार से ईश्वरसिद्धि निरसन]

ब्रह्माण्ड-नाशक के रूप में भी ईश्वर को आनुमानिक सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि ब्रह्माण्ड का
नाश प्रलय की मन्यता पर निर्भर है और प्रलय अप्रामाणिक होने से असिद्ध है। अतः आध्यासिद्धि
दोष के कारण ब्रह्माण्डनाश को पक्ष बनाकर कोई अनुमान नहीं किया जा सकता। यदि यह कहा
जाय कि—‘ब्रह्माण्ड का नाश अनुमान से सिद्ध है। जैसे ‘ब्रह्माण्ड नश्वरम् (=नाशप्रतियोगी) जन्यमाव-
त्वात् घटादिवत्’ यह अनुमान ब्रह्माण्डनाश से प्रमाण है। अतः ब्रह्माण्डनाशपक्षक अनुमान में आध्या-
सिद्धि नहीं हो सकती”—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्माण्ड में नाशप्रतियोगीत्व के उबत अनुमान का
बाधक अनुमान विद्यमान है जैसे, विवादास्पद अहोरात्र अव्यवहित अहोरात्र पूर्वक है। क्योंकि जो भी
अहोरात्र होता है वह सब अहोरात्रपूर्वक होता है। यदि ब्रह्माण्ड का नाश माना जायगा तो अग्रिम
ब्रह्माण्डमें होनेवाले प्रथम अहोरात्र में अव्यवहित अहोरात्र पूर्वकत्व न होने से सभी अहोरात्र
अहोरात्रपूर्वक होते हैं इस व्याप्ति का मङ्ग हो जायगा। अतः किसी भी अहोरात्र को प्रथम

अहोरात्र नहीं माना जा सकता। और यह तभी हो सकता है जब अहोरात्र की परंपरा अविच्छिन्न बनी रहे और वह तभी बनी रहती है जब ब्रह्माण्ड का नाश न हो। अतः इस अनुमान से ब्रह्माण्ड के नाश का अनुमान वाधित हो जाता है। इसलिए आश्रयाऽसिद्धि के कारण ब्रह्माण्डनाशपक्षक अनुमान का होना सर्वथा असम्भव है।

[अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व उपाधि की शंका]

यदि यह कहा जाय कि—जैसे वर्षादिनत्व हेतु से प्रथम कहे जाने वाले वर्षादिन में अव्यवहित वर्षादिनपूर्वकत्व का साधन करने पर 'राशिविशेष' में रविपूर्वकत्व'रूप उपाधि होने से वर्षादिनत्व में अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्व की व्याप्ति नहीं होती। उसी प्रकार अहोरात्रत्व हेतु से प्रथम कहे जाने वाले अहोरात्र में अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व का साधन करने पर भी अव्यवहितसंसारपूर्वकत्वरूप उपाधि होने से अहोरात्रत्व में अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व दी व्याप्ति नहीं हो सकती। आशय यह है कि राशिविशेष (संभवतः सिहराशि) से सूर्य के सम्बन्ध के साथ वर्षादिन का आरम्भ होता है। अत एव प्रथम वर्षादिन के पूर्व रवि राशिविशेष से सम्बद्ध नहीं होता। अतः राशिविशेषाद्विच्छिन्न रविपूर्वकत्व आद्यवर्षादिन में वर्षादिनत्वरूप साधन का अव्यापक होता है और द्वितीय-तृतीयादि वर्षादिन में अव्यवहित वर्षादिनपूर्वकत्व तथा राशिविशेषाद्विच्छिन्नपूर्वकत्व दोनों के रहने से राशिविशेषाद्विच्छिन्नपूर्वकत्व अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्वरूप साध्य का व्यापक होता है। इसलिए दर्षादिनत्व में अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्व की व्याप्ति नहीं होती क्योंकि वर्षादिनत्व अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्व के व्यापक राशिविशेषाद्विच्छिन्नरविपूर्वकत्व का व्यभिचारी होने से अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्व का भी व्यभिचारी हो जाता है क्योंकि व्यापक का व्यभिचार व्याप्त व्यभिचार से नियत होता है। इसी प्रकार जिन अहोरात्रों में अव्यवहित अहोरात्र पूर्वकत्व सर्वसम्मत है उनमें अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व है क्योंकि उन अहोरात्रों के पूर्व अहोरात्र विद्यमान है और अहोरात्र संसार रहने पर ही होता है। अतः उन अहोरात्रों में अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व का होना अनिवार्य है अतः अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्वरूप साध्य का व्यापक होता है। अहोरात्रत्वरूप साधन अभिनव ब्रह्माण्ड के आद्य अहोरात्र से भी है किन्तु उसके पूर्व संसार न होने से उसमें अव्यवहित संसारपूर्वकत्व नहीं है, अत एव अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व अहोरात्रत्वरूप साधन का अव्यापक है। इसलिए अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व के व्यापक अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व का व्यभिचारी हो जाने के कारण अहोरात्रत्वरूप साधन अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्वरूप साध्य का व्यभिचारी हो जायगा। अतः अहोरात्रत्वहेतु से समस्तअहोरात्र में अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व का अनुमान करके प्रलय का खण्डन नहीं किया जा सकता।

[उपाधि की शंका तर्क शून्य है]

किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है, राशि विशेष वर्षादिन का कारण होता है। अतः एव राशिविशेष के साथ सूर्य का सम्बन्ध और वर्षादिन की एक साथ प्रवृत्ति होती है। इसलिये अग्रिम वर्षादिन राशिविशेषाद्विच्छिन्नरविपूर्वक हो जाता है। यदि किसी अव्यवहितवर्षादिनपूर्वक वर्षादिन को राशिविशेषाद्विच्छिन्नरविपूर्वक न माना जायगा तो उस वर्षादिन के अव्यवहित पूर्वकती वर्षादिन राशिविशेष से अवच्छिन्न नहीं है यह मानना होगा और यह तब होगा जब उस वर्षादिन के पूर्व राशिविशेष का प्रवेश न हो। और ऐसा मानने पर वर्षादिन के प्रति राशिविशेष की कारणता का भज्ज

हो जायगा । अतः अव्यवहित वर्षादिनपूर्वक सभी वर्षादिन को राशिविशेषावच्छन्नरविपूर्वक मानना पड़ेगा । अत एव राशिविशेषावच्छन्नरविपूर्वकत्व मे अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्वरूप साध्य की व्यापकता का ज्ञान हो सकने से राशिविशेषावच्छन्नरविपूर्वकत्व उपाधि हो सकता है । किन्तु अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व मे अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व की व्यापकता का ग्राहक कोई तर्क नहीं है । अर्थात् किसी अहोरात्र के पूर्व मे अहोरात्र माना जाय और ससार न माना जाय तो इसमे कोई आपत्ति नहीं हो सकती । अतः अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व के बिना भी हो सकता है इसलिये अव्यवहित संसारपूर्वकत्व मे अव्यवहित अहोरात्रपूर्वकत्व की व्यापकता का ज्ञान न हो सकने से अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व उपाधि नहीं हो सकता । अतः अहोरात्रत्व मे अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व का व्याप्तिज्ञान होने से कोई बाधा न होने से अहोरात्रत्व हेतु से समस्त अहोरात्र मे अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व का साधन कर प्रलय का खण्डन किया जा सकता है ।

प्रलय का खण्डन एक और भी अनुमान से हो सकता है । वह है-संपूर्ण काल मे भोग्य पदार्थों के अस्तित्व का अनुमान । जैसे काल, भोग्यवान् कालत्वात् अर्थात् संपूर्णकाल भोग्यपदार्थ का आश्रय है, क्योंकि वह काल है, जो भी काल होता है वह भोग्यपदार्थ का आश्रय होता है जैसे सृष्टिकाल । इस अनुमान का फल यह होगा कि भोग्यपदार्थ से शून्य कोई काल नहीं माना जा सकता । प्रलयकाल भोग्यपदार्थ से शून्य माना ज.ता है, अतः उक्तानुमान के कारण उसका अस्तित्व नहीं सिद्ध हो सकता ।

[एकसाथ समस्त कर्म का वृत्तिनिरोध अशक्य]

प्रलय की सिद्धि से और भी एक बाधा है और वह यह है कि कर्म की फलप्रदवृत्तियों का एक काल में सर्वया निरोध नहीं हो सकता । कहने का तात्पर्य यह है कि प्रलय तभी हो सकता है जब समस्त जीवों के समस्त कर्मों की फलोन्मुख वृत्तियों का किसी एक काल मे संपूर्ण निरोध हो जाय, क्योंकि जब समस्त जीवों के सभी कर्म अपना फल देने के प्रति उदासीन हो जायेंगे तो किसी भी जन्य द्रव्य की कोई आवश्यकता न रह जायगी । क्योंकि जन्य द्रव्य कर्मों का पल प्रदान करने से कर्मों के द्वार होते हैं और जब कर्मों को फल देना ही नहीं है उस समय द्वारभूत पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । अतः संपूर्ण जन्यद्रव्यों का अभाव हो जाने से वह काल प्रलयकाल हो जाता है, जिस काल मे कोई जन्यद्रव्य न रहे उसी काल को प्रलयकाल कहा जाता है । किन्तु समस्त जीवों के समस्त कर्मों का संपूर्ण वृत्तिनिरोध एककाल मे नहीं हो सकता, क्योंकि जीव के कर्म विषमविपाकी होने से अर्थात् परस्परविरोधी फलों के जनक होने से नियत समय मे ही फलप्रद न होकर भिन्न समयों में किसी न किसी फल के जनक होते हैं ।

यदि यह कहा जाय कि-जैसे सुषुप्ति के समय सहस्रों प्राणियों के कर्मों का वृत्तिनिरोध एक साथ हो जाता है-इसी प्रकार कोई ऐसा भी काल हो सकता है जिसमें समस्त जीवों के समस्त कर्मों का संपूर्ण वृत्ति-निरोध हो जाय और ऐसा जो काल होगा उसी को प्रलयकाल कहा जायेगा- तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में जो सहस्रों प्राणियों के कर्म का एक साथ संपूर्ण वृत्तिनिरोध होता है वह दर्शनावरण रूप अन्दृष्ट के कारण होता है अर्थात् जिन प्राणियों का दर्शनावरणरूप अन्दृष्ट जब जाग्रत होता हैं तब अन्य कर्मों की वृत्तियों का प्रतिरोध हो जाता है क्योंकि वह अःय कर्मों से बलवान होता है और बलवान अन्दृष्ट से दुर्बल अन्दृष्ट के वृत्ति का प्रतिरोध युक्तिसगत है किन्तु ऐसा कोई अन्दृष्ट प्रमाणिक नहीं है जिससे समस्त जीवों के समस्त कर्मों का वृत्तिरोध हो सके अतः प्रलय की कल्पना न्यायसगत नहीं हो सकती और यदि समस्त जीवों के समस्त कर्मों का वृत्तिरोध अकारण ही

एतेन ‘आद्यव्यवहारादीश्वरसिद्धिः, प्रतिसर्गं मन्वादीनां वहुनां व्यवहारप्रवर्तकानां कल्पने गौवादेकस्यैव भगवतः सिद्धेः’इत्यपास्तम् , मर्गादेरेवाऽसिद्धेः, हदानीमिव सर्वदा पूर्वपूर्वव्यवहारेणैवोत्तरोत्तरव्यवहारोपपत्तेः । यदि तु सर्गादिरुपेयते, तदा तदानीं प्रयोज्यप्रयोजकवृद्धयोरभावात् कथं व्यवहारः ।

मान लिया जायगा तो जीवमात्र को अनायास ही मोक्ष मील जायगा । फिर ब्रह्मचर्यादि पालन का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । फलतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यादि का उपदेश शास्त्रो में किया गया है वह निरर्थक हो जायगा ।

इस विषय का विस्तृत विचार ग्रन्थान्तर में हृष्टव्य है ।

[सर्गादि की असिद्धि से आद्य व्यवहारादिकथन की व्यर्थता]

घटपटादि श्रथों में घटपट आदि शब्दों के प्रयोगरूप व्यवहार के प्रथमप्रवर्त्तक रूप में भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ‘भिन्नभिन्न सृष्टि में मनुश्रादि अनेक पुरुषों को व्यवहार का प्रवर्तक मानने में गौरव होगा और सभी सृष्टि में एकमात्र ईश्वर को ही प्रवर्त्तक मानने में लाघव होगा’ इस प्रकार ईश्वर की कल्पना का आपाततः औचित्य प्रतीत होने पर भी वास्तव हृष्टि से उक्तरीति से ईश्वर की कल्पना उचित नहीं हो सकती, क्योंकि सृष्टि का आरम्भ ही किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता । अपितु यही कल्पना उचित प्रतीत होती है कि जैसे इस समय के व्यवहार अपने पूर्व व्यवहारों से ही सम्पन्न होते हैं उसी प्रकार सपूर्ण समय के व्यवहार अपने पूर्व व्यवहारों से ही सम्पन्न होते हैं । और ऐसा मानने पर कोई आद्य व्यवहार सिद्ध न होने से व्यवहार के आद्य प्रवर्त्तक की कल्पना की संभावना ही समाप्त हो जायगी ।

[सर्ग के प्रारम्भ में व्यवहार की असिद्धि]

इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि यदि सृष्टि का आरम्भ माना जायेगा तो उस समय प्रयोज्य और प्रयोजक वृद्ध के न होने से व्यवहार कैसे प्रवर्तित हो सकेगा ? कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टिकाल में व्यवहार का प्रवर्तन प्रयोज्य और प्रयोजकवयस्थ पुरुषों द्वारा होता है, जैसे—जब कोई वयस्थ व्यक्ति किसी बालक को व्यवहार की शिक्षा देना चाहता हैं तब वह उस बालक को पास में विठाकर अपने किसी कनिष्ठ वयस्थ व्यक्ति को आदेश देता है कि ‘घड़ा ले आओ या घड़ा ले जाओ’ । कनिष्ठ वयस्थ व्यक्ति जिसे प्रयोज्य वृद्ध कहा जाता है, उस आदेश वाक्य को सुनकर घट को ले आता है या ले जाता है । पास में बैठा हुआ बालक प्रयोज्यवृद्ध के घट आनयन को देखकर उसके कारणरूप में प्रयोज्यवृद्ध के घटानयन में क्तव्यता के ज्ञान का अनुमान करता है और फिर उस वाक्य में उस ज्ञान की कारणता का अनुमान करता है । उस के बाद ल्येट वयस्थ व्यक्ति जिसे प्रयोजकवृद्ध कहा जाता है यह आदेश देता है कि ‘घट नय पटमानय’ और प्रयाज्य वृद्ध घट को हठा कर पट का आनयन करता है तब बालक यह अनुमान करता है कि ‘घटमानय’ इस वाक्य के भीतर जो घट शब्द है वही घट ज्ञान का जनक है क्योंकि आनय’ शब्द के साथ जब घट शब्द था तब प्रयोज्य वृद्ध को घटानयन में क्तव्यता का ज्ञान हुआ और जब ‘आनय’शब्द के साथ घट शब्द नहीं था किन्तु पट शब्द था तब घटानयन में क्तव्यता का ज्ञान नहीं हुआ । इस प्रकार वह घटशब्द के आवाप अर्थात् आनय शब्द के साथ उस का प्रयोग और घटशब्द के उद्वाप अर्थात् आनय शब्द के साथ उस

अथ 'यथा मायावी शूत्रमन्त्राराधिष्ठितदाक्षुत्रकं 'घटमानय' इत्यादि नियोज्य घटाऽन्तर्यन्' संपाद्य वालकस्य व्यृत्पत्तीं प्रयोजकः, तथेत्थगोडपि प्रयोज्य-प्रयोजकशूद्धाभ्युप व्यवहारं कृत्वाऽद्यव्युत्पत्तिं कारयति । न चाऽन्त्र चेष्टया प्रयृचिगु, तया ग्रानय, तज्जानं उपस्थितवाक्यहेतुत्वम्, तज्जानविषयपदार्थे चाऽन्यापाणीद्वायाभ्यां तमन्पदग्रानहेतुत्वमनुमाय तत्त्वपदे तत्तदर्थज्ञानानुकूलत्वेन तत्तदर्थमन्वधवत्त्वमनुभयम्, एवं चाऽमं संवन्धग्रहो भ्रमः स्यात्, जनकज्ञानस्य भ्रमत्वात् इति वाच्यम्, तत्तेऽपि विषयाऽवार्थेन प्रमाण्वान्, चरम-परामर्शस्य प्रमात्रमन्वयात्त्वं । एवमीथर एव कुलालादिशर्मां परिगृह्य घटादिमंपदायप्रवर्तेतः । अत एव श्रुतिः '(नमः) कुलालेभ्योः नमः कर्मारभ्यः' इत्यादीति ।' चेत् ?

के अप्रयोग से वालक यह अनुमान करता है कि घट शब्द घट गा घोषक है और उम से याद 'घट शब्द से ही घट का वो घ होता है, पट शब्द से यपो नहीं होता' ? ऐसा विचार एसे हुए पह अनुमान करता है कि घटशब्द घटरूप अथ से सम्बद्ध है और पटशब्द घटरूप अर्थ से नःघट नहीं है । हम निश्चय के अनन्तर वालक कालान्तर में स्थिय घट का चोप फराने के लिये स्थिय घट शब्द का वदवहार करने लगता है और अन्य द्वारा घट शब्द का ध्यवहार होने पर स्थिय घट गा शान प्राप्त करने लगता है । हम प्रकार प्रयोज्य और प्रयोजक वृद्धों के द्वारा स्थियहार का प्रयत्न होता है किन्तु यदि सृष्टि का आरम्भ माना जायेगा तो उस समय प्रयोज्य और प्रयोजक वृद्ध न होने से शब्द व्यवहार का प्रवर्तन नहीं हो सकेगा ।

[मायाजालिक के समान ईश्वर को शिक्षा-पूर्वपक्ष]

यदि यह कहा जाय—कि जैसे मायावी पुरुष जब अकेला होता है उसके लाय कोई कनिष्ठ व्यन्य व्यक्ति नहीं होता और वह कोई किसी वालक को व्यवहार सिद्धान्त चाहता है तब वह कनिष्ठदद्दस्य के स्थान में एक लकड़ी का मनुष्य बना लेता है और उसको सूत से इन प्रकार चांघ सेता है कि वह उस सूत्र के द्वारा गतिशील हो सके और तब वह 'घटमानय' इस शब्द का प्रयोग करके सूत के सचालन से उस काळ निर्मित पुरुष के द्वारा घटान्यन का सपादन कर वालक को घट शब्द के व्यवहार की शिक्षा देता है । तो जैसे मायावी काट से वने हुए मनुष्य को प्रयोज्य वृद्ध के स्थान में रखकर व्यवहार की शिक्षा देता है, उसी प्रकार ईश्वर प्रयोज्य और प्रयोजकशरीरों की रचना कर प्रयोजक शरीर के द्वारा 'घटमानय' इस शब्द का प्रयोग कर और प्रयोज्य शरीर द्वारा घटान्यन का सपादन कर सृष्टि के आरंभ काल के मनुष्य को व्यवहार की शिक्षा दे सकता है ।

इस सन्दर्भ में यह शब्द का हो कि—'उष्ट क्रम से व्यवहारशिक्षा की जो पद्धति है उस के अनुसार चेष्टा से प्रवृत्ति का और प्रवृत्ति से कर्तव्यताज्ञान का और ज्ञान के प्रति उपस्थित वाक्य में कारणता का और उस ज्ञान के विषयभूत तत्त्व पदार्थज्ञान के प्रति आदाप और उद्वाप अर्थात् क्रियापद के साथ तत्त्व पद का प्रयोग और अप्रयोग से तत्त्व पद में तत्त्व पदार्थ के सम्बन्ध का अनुमान किया जा सकता है ।

किन्तु इस स्थिति में सृष्टि के आरम्भ में प्रयोज्य और प्रयोजक शरीर का निर्माण कर उसके द्वारा ईश्वर को व्यवहार का प्रवर्तक मानने पर तत्त्व पदार्थ के सम्बन्ध का उक्तानुमान भ्रम होगा ।

न, अद्विष्टभावेन प्रयोज्यादिशर्गिरिग्रहस्यैव भगवतोऽयुक्तत्वाद् , अन्यादप्तेनाऽन्यस्य शरीरपरिग्रहे चैत्राऽदृष्ट्याऽकृष्टं शरीरं मैत्रोऽपि परिगृहणीयात् । ‘प्राण्यदप्तेन घटादिवत् तत्तच्छ-रीरोत्पत्तिः, तत्परिग्रहस्तु भगवतस्तदावेशं एवेति न दोष’ इति चेत् । न, घटादावतथात्वे-ऽपि तदीयेशरीरे तदीयाऽदप्तत्वेनैव हेतुव्यात् . अन्यथाऽतिप्रमङ्गात् ।

क्योंकि उस अनुमान के कारणदग मे इविष्ट होने वाली प्रवृत्ति से ज्ञान का अनुमान और उस ज्ञान के प्रति उपस्थित वाक्य मे कारणता का अनुमान आदि भ्रम है, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ मे प्रयोज्य प्रयोजक शरीर का प्रयत्न और ज्ञान नित्य होता है । अतः उन मे कारण की अपेक्षा न होने से उन-के कारणानुमान का भ्रम होना अनिवार्य है । और जब कारणभूत ज्ञान भ्रम है तब उसके कार्यभूत उक्तानुमान भ्रम होना स्वाभाविक है और जब तत्तद् पद मे तत्तद् पदार्थ के सम्बन्ध का अनुमान भ्रम ह गा तब उससे तत्तद् पद मे तत्तद् पदार्थ के सम्बन्ध की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि भ्रम विषय का व्यभिचारी होता है । अत भ्रम से पदार्थ की सिद्धि नहीं होती ।’-तो इसके उत्तर मे,

यदि कहा जाए कि—यह शङ्का उचित नहीं है क्योंकि किसी ज्ञान का भ्रमात्मक होना उसके कारण गत दोष पर ही निर्भर नहीं है किन्तु ज्ञान जिस विषय को ग्रहण करता है उस विषय के ब ध पर निर्भर है इसीलिये दक्षि मध्यमव्याप्ति का भ्रम होने पर वहाँ से यदि महानस मे धूम वी अनुमिति होती है तो वह अपने कारण उक्त व्याप्तिज्ञान के भ्रमरूप होने पर भी स्वयं भ्रमरूप नहीं होती क्योंकि महानस मे धूम का बाध नहीं होता है, अतः सृष्टि के आरम्भ मे ईश्वर के प्रयोज्य-प्रयोजक शरीर द्वारा उस काल के मनुष्य को जो तत्तद् पद मे तत्तद् पदार्थ के सम्बन्ध की अनुमिति होगी वह भी भ्रम नहीं हो सकतो क्योंकि तत्तद् पदमे तत्तद् पदार्थ का सम्बन्ध होने के कारण उस का बाध नहीं है । और दूसरी बात यह है कि अनुमिति का अन्तिम कारण तो पक्षमे साध्य व्याप्ति हेतु का परामर्श होता है जिसे चरम परामर्श कहा जाता है । प्रकृतस्थल मे वह परामर्श तत्तद् पद मे तत्तद् पदार्थ सम्बन्ध व्याप्तिवरूप से तत्तदपदार्थज्ञानानुकूलतदरूपहेतु का निश्चयरूप है और वह निश्चय सर्वांश मे प्रमात्मक हो है अत उक्तानुमिति का जो प्रधान एव अन्तिम कारण है उसके भ्रमरूप न होने से कारण दोष द्वारा ही तत्तद् पद मे तत्तद् पदार्थ सम्बन्ध वी अनुमिति को भ्रमात्मक नहीं कहा जा सकता । अतः उस अनुमिति से तत्तद् पद मे तत्तद् पदार्थ के सम्बन्ध की सिद्धि मे कोई बाधा नहीं हो सकती, इसी प्रकार ईश्वर कुलालादि शरीर को धारणकर घटपटादि का प्रथम निर्माण कर के घटपटादि के निर्माण की परपरारूप संप्रदाय का प्रवर्तक होता है । इसीलिये श्रुति मे कुलाल शब्द से उस का अभिवादन किया है तो जैसे ‘नमः कुलालेभ्यः नमः कर्मरिभ्यः’ इत्यादि ।

[ईश्वर के शरीर ग्रहण का असभव-उत्तरपक्ष]

सृष्टि के आरम्भ मे ईश्वर द्वारा व्यवहार प्रवर्तित किये जाने का यह फृथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर मे अहृष्ट नहीं होता । अत एव उसके द्वारा प्रयोज्य और प्रयोजक के शरीर का ग्रहण भी युक्ति सञ्चात नहीं हो सकता क्योंकि शरीर का ग्रहण अपने ही अहृष्ट से होता है । यदि अन्य के अहृष्ट से भी शरीर ग्रहण भी स्वीकृति की जायगी तो चैत्र के अहृष्ट से निर्मित होने वाला शरीर मंत्र द्वारा भी गृहीत हो सकेगा और उस शरीर से मंत्र को भी सुखदुखादि भोग की प्रसवित होगी । जब कि यह बात कथमपि मान्य नहीं हो सकती । क्योंकि ऐसा मानने पर तो मुवत को भी शरीर ग्रहण का प्रसञ्च हो सकता है ।

किञ्च, कोऽयमावेशः ? तदवच्छन्नप्रयत्न एवेति चेत् । न, तदजन्यस्य प्रयत्नम्य तदनवच्छन्नत्वात् । अथैवं भूताऽवेशानुपपत्तिः, तत्र हि भूतात्मन्येव चैत्राद्यवच्छेदेन प्रवृत्तिरङ्गीक्रियते, अन्यथा मृतशरीरे तदावेशानापत्तेरिति चेत् । इयमपि तर्वैवानुपपत्तिः,

यदि यह कहा जाय कि—‘शरीरग्रहण का अर्थ हैं शरीर के साथ भोग प्रयोजक सम्बन्ध की प्राप्ति । किन्तु इस प्रकार का शरीरग्रहण ईश्वर से नहीं होता । अपितु जैसे प्राणियों के अद्वृष्ट से घटपटादि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार प्राणियों के अद्वृष्ट से ही सृष्टि के आरम्भ से तत्त्व सम्प्रदाय के प्रवर्तनार्थ विभिन्न शरीरों की भी उत्पत्ति होती है जिनके साथ ईश्वर का भोगप्रयोजक सम्बन्ध नहीं होता अपितु उन से ईश्वर का आवेश होता है और उस आवेश से ही उन शरीरों से चैष्टा होकर उनके द्वारा तत्त्व सम्प्रदाय का प्रवर्तन होता है । अतः सृष्टि के आरम्भ से उत्पन्न होने वाले शरीरों का ईश्वर द्वारा इस प्रकार का ग्रहण संभव होने से उक्तदोष की प्रस कर नहीं हो सकतो— तो यह कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि घटादि पदार्थों और शरीरों में वैज्ञानिक होता है । घटादि पदार्थ किसी भी व्यक्ति के भोग के ग्रायतन नहीं होते किन्तु भोग के द्वारस्थ साधन होते हैं । अतः उन की उत्पत्ति प्राणियों के अद्वृष्ट से हो सकती है, उस की उत्पत्ति में किसी प्राणीविशेष के ही अद्वृष्ट को अपेक्षा नहीं होती, जब कि शरीर भोग का ग्रायतन होता है इसीलिये भिन्न भिन्न प्राणी को पृथक् पृथक् शरीर की आवश्यकता होती है । जो शरीर जिस प्राणि विशेष के अद्वृष्ट से उत्पन्न होता है उस शरीर से उसी प्राणी को भोग होता है, इसीलिये कोई भी शरीर किसी प्राणि विशेष के भोग का ग्रायतन होने के लिये ही उत्पन्न होता है और इसीलिये तत्पुरुषीय शरीर में तत्पुरुषीय अद्वृष्ट को कारण माना जाता है । ऐसा न मानने पर शरीर सभी प्राणियों के भोग का ग्रायतन हो सकने के कारण अव्यवस्था हो सकती है, अतः यह कल्पना उचित नहीं है कि—‘सृष्टि के आरम्भ से तत्त्व सम्प्रदाय का प्रदर्तन करने के लिये प्राणियों के अद्वृष्ट से कुछ शरीरों की उत्पत्ति होती है जो भोग का ग्रायतन नहीं होते किन्तु तत्त्व सम्प्रदाय के प्रवर्तन से ईश्वर के सहायकमात्र होते हैं । और ईश्वर उन शरीरों से आविष्ट होकर उनके द्वारा तत्त्व सम्प्रदाय का प्रवर्तन करता है ।’

[‘आवेश’ पदार्थ की समीक्षा)

इस सन्दर्भ में यह भी विचारणीय है कि सृष्टि के आरम्भ से प्राणियों से अद्वृष्ट से उत्पन्न होनेवाले कतिपय शरीरों से ईश्वर का जो आवेश होता है उस का क्या अर्थ है ! यदि कहा जाय कि तत्त्व शरीर से आविष्ट होने का अर्थ है तत्त्व शरीरावच्छेदेन प्रयत्नशील होना तो इस प्रकार का आवेश ईश्वर से नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर का प्रयत्न उन शरीरों से जन्य न होने के कारण उन शरीरों से अवच्छेद्य नहीं हो सकता । क्योंकि यह नियम है कि जो प्रयत्न जिस शरीर से उत्पन्न होता है वह प्रयत्न उसी से अवच्छेद्य होता है । और कोई भी प्रयत्न उसी शरीर से उत्पन्न होता है जो शरीर उस प्रयत्न के आश्रयमूल आत्मा के अद्वृष्ट से उत्पन्न होता है । इसीलिये शरीरावच्छेदेन मैत्र-प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती ।

यदि यह शड़का की जाय कि “इसप्रकार ईश्वरावेश की अनुत्पत्ति बताने पर प्राणियों के विभिन्न शरीरों से भूतावेश (पिण्डाचावेश) की भी उपपत्ति न हो सकेगी, क्योंकि वे शरीर भूतात्मा के अद्वृष्ट से नहीं उत्पन्न होते किन्तु चैत्रादि अन्य प्राणियों के अद्वृष्ट से ही उत्पन्न होते हैं । अतः उक्त

अस्माकं तु न त्र संकोच-विकासस्वभावभूतात्मप्रदेशानुप्रवेशादुपपत्तेः । तब त्वं च्छेदकतया चैत्रप्रयत्नं प्रति चैत्रशरीरत्वेनाऽवश्यं हेतुता वक्तव्या , अन्यथा मैत्रशरीरावच्छेदेन चैत्रप्रवृत्त्यापत्तेः, पाण्यादिचालकप्रयत्नसञ्च एव पुनस्तदापत्तिवारणायाऽवच्छेदकतया तत्प्रयत्ने

व्यवस्था के अनुसार उन शरीरों द्वारा भूतात्मा मे प्रवृत्ति न हो सकेगी । जब कि उन शरीरों द्वारा भूतात्मा मे प्रवृत्ति तो होती है और इस प्रवृत्ति का होना ही उन शरीरों मे भूतात्मा का आवेश कहा जाता है । यदि यह कहा जाय कि- 'चैत्रादि के शरीर मे भूतावेश का यह अर्थ नहीं है कि चैत्रादि शरीरावच्छेदेन भूतात्मा मे प्रवृत्ति होती है किन्तु चैत्रात्मा के साथ भूतात्मा का एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध हो जाता है । जिस के कारण उन शरीरों के अधिष्ठाता प्राणियों के प्रयत्न से ही उन मे असाधारण प्रकार की चेष्टाएँ होने लगती हैं' तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर मृतशरीर मे भूतावेश की उपत्ति न हो सकेगी । क्योंकि मृतशरीर के साथ उस व्यक्ति का सम्बन्ध तूट जाता है जिस व्यक्ति के अनुष्ट से यह शरीर पूर्व मे उत्पन्न था । अतः भूतावेश से उस शरीर मे होनेवाली चेष्टाएँ उस शरीर के अधिष्ठाता जीव के प्रयत्न से उत्पन्न नहीं मानी जा सकती । अतः उन्हें भूतात्मा से ही उत्पन्न मानना होगा और यह तब ही हो सकता है जब मृतशरीरावच्छेदेन भूतात्मा मे प्रयत्न की उत्पत्ति मानी जाय । अतः इस व्यवस्था का त्याग करना होगा कि जो शरीर जिस के अनुष्ट से उत्पन्न होता है उसी शरीर से उस मे प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इसीलिये सृष्टि के आरम्भ मे जो शरीर उत्पन्न होते हैं वे यद्यपि भगवान के नहीं उत्पन्न होते तब भी भगवान मे तत्त्व शरीरद्वारा प्रयत्न का उदय हो सकता है, जिस से उन शरीरों मे चेष्टा की उत्पत्ति हो कर उन के द्वारा व्यवहार का प्रवर्तन हो सकता है और यदि ईश्वर मे प्रयत्न की उत्पत्ति कथमपि अभीष्ट न हो तो ईश्वर का नित्य प्रयत्न ही तत्त्व शरीर से अवच्छेद्य हो सकता है । वह अवच्छेद्यत्व जन्यत्वरूप न होकर स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप हो सकता है । जैसे नित्य आकाशमे घटावच्छेद्यत्व होता है"

[आत्मा के संकोच-विकास से भूतावेश]

तो यह शब्द का ठीक नहीं है, क्योंकि चैत्रशरीरावच्छेदेन मैत्रप्रयत्न की उत्पत्ति के परिहारार्थ यह नियम मानना अनिवार्य है कि जो शरीर जिस प्राणी के अनुष्ट से उत्पन्न होता है तत्त्वशरीरावच्छेदेनैव उस प्राणी मे प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इस नियम के मानने पर जो भूतावेश की अनुपत्ति प्रदर्शित की गई है वह नैयायिक के ही मत मे प्रसक्त होती हैं, आर्हत मत मे वह अनुपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आर्हतमत मे आत्मा प्रदेशदान होता है और उस के प्रदेश संकोच-विकासशाली होते हैं । इसलिये चैत्रादि के शरीरमे भी भूतात्मा के प्रवेश का उसीप्रकार अनुप्रवेश हो सकता है जैसे चैत्रादि के शरीर मे चैत्रादि के आत्मप्रवेश का अनुप्रवेश होता है । भूतात्मा के प्रदेश का चैत्रादि के शरीर मे यह अनुप्रवेश ही भूतावेश कहा जाता है । और इस अनुप्रवेश के कारण चैत्रादिशरीरावच्छेदेन भूतात्मा मे प्रवृत्ति हो सकती है क्योंकि जिस शरीर मे जिस आत्मा का प्रदेश अनुप्रविष्ट होता है तत्त्वशरीरावच्छेदेन उस आत्मा मे प्रयत्न होने का नियम है । भूतात्मा के प्रदेश का यह अनुप्रवेश तत्त्व शरीर मे अपने अनुष्ट से प्रविष्ट होनेवाले आत्माओं के अनुष्ट से होता है । अतः यह भूतावेश उन आत्माओं के लिये दुःखप्रद होता है । चैत्र के शरीर मे मैत्रात्मा के प्रदेश का अनुप्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि तदनुकूल कोई अनुष्ट नहीं होता । अतः चैत्रशरीरावच्छेदेन मैत्रात्मा मे प्रवृत्ति की आपत्ति नहीं हो सकती । किन्तु नैया यिकमत मे मैत्र-

तथा तद्वावस्य हेतोरापादकस्य सत्त्वात् तत्त्वच्छरीरत्वेन तत्त्वप्रवृत्त्यादिहेतुत्वे गोरवात् , काय-
व्यूहस्थलेऽपि योगजाऽदृष्टोपगृहीतत्वसंबन्धेन तदात्मवत्त्वस्य मर्वशरीगनुगतत्वात् ।

शरीरावच्छेदेन चेत्रप्रवृत्ति की उत्पत्ति के निवारणार्थं अवच्छेदकतासम्बन्ध से चेत्र प्रयत्न के प्रति तादात्म्यसम्बन्ध से चेत्र शरीर को कारण मानना पड़ता है । इसलिये चेत्रादि का शरीर चेत्रादि की ही प्रवृत्ति का कारण हो सकता है भूतात्मा की प्रवृत्ति का कारण नहीं हो सकता । अतः न्याय मत में चेत्रादि के शरीर में भूतावेश की अनुपपत्ति हो सकती है ।

[नियायिक मान्य कारण-कारणभाव में गौरव]

यदि यह कहा जाय कि-'अवच्छेदकतासम्बन्ध से चेत्र-प्रयत्न के प्रति चेत्रशरीर तादात्म्य सम्बन्ध से कारण है यह कार्य-कारणभाव नियायिक को भी मान्य नहीं है । क्योंकि इसके मानने पर भी यह आपत्ति हो सकती है कि हस्त में गति उत्पन्न करनेवाले प्रयत्न की अवच्छेदकतासम्बन्ध से चरण में भी उत्पत्ति होनी चाहिये । क्योंकि चरण में अवच्छेदकतासम्बन्ध से उस प्रयत्न का अभाव है और अवच्छेदकता सम्बन्धेन तत्प्रयत्न का अभाव तत्प्रयत्न का कारण होता है । अतः इस आपत्ति के वारणार्थ जो जो प्रवृत्ति जिस जिस शरीर या जिस जिस शरीरावयव हारा उत्पन्न होती है उस उस प्रवृत्ति के प्रति तत्तद् शरीर या तत्तद् शरीरावयव कारण होता है । और इस कार्यकारणभाव को मान लेने पर मैत्रशरीरावच्छेदेन चेत्रप्रवृत्ति की आपत्ति का भी वारण हो जाता है । अतः अवच्छेदकतासम्बन्ध से चेत्र प्रयत्न के प्रति अवच्छेदकतासम्बन्ध से चेत्रशरीर कारण है यह कार्यकारणभाव अनादृश्यक हो जाता है । इसीलिये चेत्रशरीरावच्छेदेन भूतात्मा में प्रवृत्तिरूप भूतावेश और स्फुट के आरम्भ में प्रयोज्य-प्रयोजक आदि शरीरावच्छेदेन प्रयत्नशालितारूप ईश्वरावेश की अनुत्पत्ति नहीं हो सकती'- तो यह ठीक नहीं है क्योंकि हस्त में गतिजनक प्रयत्न की चरण में उत्पत्ति की आपत्ति का वारण करने के लिये जिस कार्यकारणभाव की कल्पना की गई है उस में प्रवृत्ति एवं शरीर तथा शरीरावयव के भेद से महान गौरव है । अतः उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

चरण में हस्तक्रियाजनक प्रयत्न की उत्पत्ति को आपत्ति का वारण करने के लिये यह कार्यकारण-भाव मानना उचित है कि अवच्छेदकतासम्बन्ध से प्रयत्न के प्रति गतिप्रकारकइच्छा विशेष्यतासम्बन्ध से कारण है । हस्त में गति का जनक प्रयत्न 'हस्तश्वलतु' इस इच्छा से उत्पन्न होता है । यह इच्छा विशेष्यता सम्बन्ध से हस्त में ही उत्पन्न हो सकता है न कि चरण में । अथवा यह कहा जा सकता है कि कोई भी प्रयत्न अवच्छेदकतासम्बन्धेन किसी भी शरीरावयव में नहीं उत्पन्न हो सकता किन्तु अवच्छेदकता सम्बन्धेन शरीर में ही उत्पन्न होता है । और उस प्रयत्न से हस्त चरणादि में जो सदा प्रदृति नहीं होती है किन्तु व्यवस्थित रूप में कभी हस्त में कभी चरण में होती है उसका नियमिक प्रदृत्न को उत्पन्न करनेवाली 'हस्तश्वलतु, चरणश्वलतु' इत्यादि इच्छा है । इसका आशय यह है कि सम्बन्ध से चलनादिरूप चेष्टा के प्रति प्रयत्न 'स्वजनक चलनादि प्रकारक इच्छा विशेष्यत्व सम्बन्ध' से कारण है । अतः जब 'पाणिश्वलतु' इस इच्छा से शरीरावच्छेदेन प्रयत्न उत्पन्न होगा तब वह प्रयत्न उक्त सम्बन्ध से पाणि में रहने के कारण पाणि में चलन क्रिया को उत्पन्न करेगा । और जब 'चरणश्वलतु' इस इच्छा से शरीरावच्छेदेन प्रयत्न उत्पन्न होगा तब वह प्रयत्न उक्त सम्बन्ध से चरण में रहने के कारण चरण में चलन क्रिया को उत्पन्न करेगा ।

अपि च, यथाकथञ्चिच्च भूतावेशन्यायेन तच्छरीरपरिग्रहे लगदप्यावेशेनैव प्रवर्तयेत्

[योगी जनों द्वारा कायव्यूह की उपपत्ति]

अब इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि 'यदि तत्तत् पुरुषीय प्रयत्न के प्रति तत्तत् पुरुषीय शरीर कारण है तब जब कोई योगी विभिन्न शरीरों से मोक्षत्वय कर्मों को एक साथ ही भोग द्वारा समाप्त कर देने के लिये विभिन्न शरीरों की रचना करता है तो उस योगी में विभिन्न शरीरावच्छेदेन प्रयत्न केसे उत्पन्न होगा ? क्योंकि उस योगी को प्रारब्ध कर्म से जो शरीर प्राप्त रहता है वही उसका शरीर होता है । अत एव उसी शरीर के द्वारा उस से प्रयत्न होना उचित है'-किन्तु यह प्रश्न उचित नहीं है क्योंकि जैसे उस का मातापितृज शरीर उस के अहृष्ट से उसे उपलब्ध होता है उसी प्रकार संपूर्ण कर्मों का एक साथ भोग करने के लिये वह स्वयं जिन विभिन्न शरीरों की रचना करता है वे शरीर भी उसी के योगज अहृष्ट से उसे उपलब्ध होते हैं । अतः मातापितृज शरीर के साथ वे शरीर भी उसी के शरीर हैं अतः तत्पुरुषीयप्रयत्न के प्रति तत्पुरुषीयशरीर-तत्पुरुषीय अहृष्टाकृष्ट शरीर को कारण मानने पर स्वनिर्मित कायव्यूह द्वारा योगी में प्रवृत्ति की अनुत्पत्ति नहीं हो सकती । निष्कर्ष यह है कि एक पुरुष के शरीर से अन्य पुरुष में प्रवृत्ति की उत्पत्ति के निवारणार्थं तत्तत् पुरुषीय प्रयत्न में तत्तत् पुरुषीय शरीर को कारण मानना आवश्यक है । और जो शरीर जिस पुरुष के अहृष्ट से उत्पन्न होता है वही उस पुरुष का शरीर होता है । चेत्रादि का शरीर भूतात्मा के अहृष्ट से उत्पन्न नहीं होता । अत एव वह भूतात्मा का शरीर नहीं कहा जा सकता और सृष्टि के आरम्भ में जो प्रयोज्य-प्रयोजक आदि शरीर उत्पन्न होता है वह ईश्वर के अहृष्ट से उत्पन्न नहीं होता अत वह ईश्वर का शरीर नहीं कहा जा सकता । अतः तत्तद् शरीरगत आवेश को तत्तत् शरीरावच्छेदेन प्रयत्नवस्त्रहप मानने पर न्याय मत में भूतावेश और ईश्वरावेश की उपपत्ति नहीं हो सकती । किन्तु आहंत मत में उक्तहप से भूतावेश की उपपत्ति हो सकती है और ईश्वरावेश की उपपत्ति की चिन्ता आहंतों को हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्हें ईश्वरावेश मानने की आवश्यकता नहीं है ।

(आवेश से प्रवृत्ति, वेदादिरचना की व्यर्थता)

सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर द्वारा सम्प्रदाय प्रवर्तन की जो उपपत्ति बताई गई है उस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय हो जाता है कि—

यदि यह मान भी लिया जाय कि भूतावेश के समान सृष्टि के आरम्भ में कुछ शरीरों में ईश्वरावेश होता है और उस आवेश के कारण उन शरीरों द्वारा ईश्वर तत्तत्सम्प्रदाय का प्रवर्तन करता है तो इस प्रश्न का क्या समाधान होगा कि—'वह कतिपय शरीरों में आवेश द्वारा जैसे सम्प्रदाय का प्रवर्तन करता है वैसे आवेश द्वारा ही समुच्चे जगत् का भी प्रवर्तन क्यों नहीं कर देता ? अर्थात् यह क्यों न मान लिया जाय कि जगत् में जिस किसी में जो क्रिया होती है वह उस में ईश्वर का आवेश होने के कारण ही होती है, मनुष्य के विभिन्न शरीरों द्वारा जो वेदविहित कर्मों का अनुष्ठान होता है वह उन शरीरों में ईश्वर के आवेश से ही होता है । इस बात का सङ्केत गीता-आदि के कुछ वचनों से भी मिलता है । जैसे 'ईश्वरः सर्वभूतानाम् हृदेशे अर्जुन ? तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रहृदाणि मायया' ॥ एवं- जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः; जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः । केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि' ॥ इस प्रकार ईश्वरावेश से ही जगत् की सम्पूर्ण प्रवृत्तियां निष्पन्न हो सकती हैं । अतः ईश्वर द्वारा वेदशास्त्रादि की रचना मानना निरर्थक है ।

इति व्यर्थमस्य वेदादिप्रणयनम् । ‘कर्मवदस्याऽपि हृष्टेष्टाऽनतिलङ्घनेर्नैव प्रवर्तकत्वाद् नानुपपत्तिरिति चेत् ! तहिं परप्रवृत्तये वाक्यमुपदिशन् स्वेष्टसाधनताज्ञानादिकमपि कथमतिपतेत् १ कथं वा चेष्टात्वावच्छिन्ने विलक्षणयत्नत्वेन हेतुत्वात् तदवच्छिन्नस्य विजातीयमनः-मयोगादिजन्यत्वात् तादशप्रयत्नं विना ब्रह्मादिशरीरचेष्टा १ ‘विलक्षणचेष्टायां विलक्षणप्रयत्नस्य हेतुत्वात् अवेश्वरीययत्न एव हेतुरिति चेत् १ तहिं तस्य सर्वव्राऽविशिष्टत्वात् सर्वव्रापीश्वरचेष्टपत्तिः । ‘विलक्षणचेष्टावच्छिन्नविशेष्यतया तत्प्रयत्नस्य हेतुत्वाद् नातिप्रमङ्ग’ इति चेत् १ तहिं चेष्टार्वलक्षण्यसिद्धौ तथाहेतुत्वे च तद्वैलक्षण्यमिति परम्पराश्रयः ।

इस प्रश्न के उत्तर मे यदि यह कहा जाय कि-‘जैसे आहंत मत मे कर्म ही सम्पूर्ण प्रवृत्तियो का मूल कारण होता है किन्तु वह सीधे उन प्रवृत्तियो का जनक न होकर जिस हृष्ट-हृष्ट कारण से प्रवृत्तियो का होना लोक मे देखा जाता है उस के द्वारा ही उसे उन प्रवृत्तियो का जनक माना जाता है । इसीलिये कर्म और प्रवृत्तियो के बीच हृष्ट हृष्ट तत्त्व कारणो की भी अपेक्षा होती है । उसी प्रकार ईश्वर यद्यपि जगत की सम्पूर्ण प्रवृत्तियो का कारण है किन्तु वह भी लोक मे जिस प्रवृत्तियो का जिस हृष्ट-हृष्ट कारण से उद्य होना देखा जाता है उनके द्वारा ही उन प्रवृत्ति का कारण होता है । अतः वेदादि के द्वारा लोक प्रवृत्ति के सम्पादनार्थ उसे वेदादि की रचना करनी पड़ती है । अतः वेदादि की रचना को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता’—तो यह टीक नहीं है, क्योंकि यदि वह दूसरो की प्रवृत्ति के लिये वाक्य का उपदेश इसलिये करता है कि वाक्य द्वारा ही पर का प्रवर्तन लोक में हृष्ट है तब तो उसे अपने हृष्टसाधनताज्ञानादि की भी अपेक्षा करनी चाहिये क्योंकि यह भी लोक मे देखा जाता है कि मनुष्य जिस कर्म को दूसरे द्वारा कराने में अपना हृष्ट समझता है उसी कर्म मे दूसरे को प्रवृत्त करता है । अतः ईश्वर की भी इसीप्रकार दूसरो का प्रवर्तन करना चाहिये । किन्तु ऐसा मानने पर ईश्वर संसारी मनुष्यो से श्रेष्ठ न हो सकेगा । क्योंकि संसारी मनुष्य के समान वह भी अपूर्ण होगा और जिस वस्तु को उसे कमी होगी उसे पाने की वह इच्छा करेगा और उस की प्राप्ति जिस मनुष्य को क्रिया से समवित होगी उस मनुष्य को उस क्रिया मे प्रवृत्त करेगा ।

[ब्रह्मादि देवता के शरीर मे चेष्टा कैसे ?]

इस सदर्भ मे यह भी विचारणीय है कि-ब्रह्मादि देवताओ के शरीरो मे चेष्टा कैसे उत्पन्न हो सकती हैं और चेष्टा उत्पन्न न होने पर उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण-रक्षण और संहार आदि कार्य किस प्रकार हो सकेगा ? ब्रह्मा आदि शरीरो मे चेष्टा नहो सकने का कारण यह है कि चेष्टा के प्रति विलक्षण प्रयत्न कारण होता है और विलक्षण प्रयत्न के प्रति विलक्षण आत्ममन सयोगादि कारण होता है, ब्रह्मा आदि मे विलक्षण आत्ममनःसंयोग न होने से विलक्षणप्रयत्न नहीं हो सकता है । और विलक्षण प्रयत्न के अभाव मे ब्रह्मा आदि के शरीर मे चेष्टा नहीं हो सकती है । यदि यह कहें कि—‘विलक्षणप्रयत्न विलक्षणचेष्टा का कारण होता है अतः विलक्षणप्रयत्न से होनेवाली विलक्षणचेष्टा ब्रह्मा आदि के शरीर मे भले न हो किन्तु ईश्वर प्रयत्न से चेष्टा होने मे कोई बाधा नहीं हो सकती’-

किञ्च, स्वाधिष्ठातरि भोगाऽजनकशरीरसंपादनमपि तस्यैश्वर्यमात्रमेव, इति दृष्टविरोधे-
नैव जगत्प्रवृत्तिरायाता । एतेनैतत् प्रतिक्षिप्तम्-

तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर का प्रयत्न स्वाश्रयसंयोग सम्बन्ध से जैसे ब्रह्मा आदि शरीर में रहेगा उसी प्रकार अन्य सभी शरीरों और मूर्त द्रव्यों में भी रहेगा, अतः ईश्वरप्रयत्न को उक्त सम्बन्ध से चेष्टा का कारण मानने पर केवल ब्रह्मादि शरीरों में ही उस से चेष्टा की उत्पत्ति न होगी अपितु अन्य सभी शरीरों में भी चेष्टा की आपत्ति होगी ।

[ब्रह्मादिशरीरचेष्टा की उपपत्ति का व्यर्थ प्रयास]

इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि—“जैसे जीव के विलक्षणप्रयत्न से विलक्षणचेष्टा की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार ईश्वरप्रयत्न से भी विलक्षणचेष्टा की उत्पत्ति होती है और यह विलक्षण चेष्टा जीव के प्रयत्न से होने वाली विलक्षणचेष्टा से विलक्षण होती है और इस चेष्टा के प्रति ईश्वर प्रयत्न स्वाश्रयसंयोग सम्बन्ध से कारण न होकर विलक्षण चेष्टात्वावच्छन्न विशेष्यता सम्बन्ध से कारण होता है । यह विशेष्यता ब्रह्मा आदि शरीरों में होने वाली चेष्टाओं में ही रहती है अत एव ईश्वर प्रयत्न से उसी चेष्टा का जन्म होता है अन्य चेष्टाओं का जन्म नहीं होता है, क्योंकि उक्त विशेष्यता सम्बन्ध से ईश्वरप्रयत्न को कारण मानने पर कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध तादात्म्य होता है और ब्रह्मादि शरीर में उत्पन्न होनेवाली विलक्षण चेष्टा का तादात्म्य उसी चेष्टा में होता है अन्य चेष्टाओं में नहीं होता है । वह चेष्टा ब्रह्मादि के शरीर में ही समवेत होती है अन्य शरीरों में नहीं क्योंकि समवाय सम्बन्ध से उस चेष्टा के प्रति ब्रह्मादि शरीर भोगानायतनशरीरत्व रूप से कारण होता है । ब्रह्मादि का शरीर किसी भोक्ता का शरीर नहीं होता किन्तु प्राणियों के अनुष्ट से उत्पन्न होने वाला ऐसा शरीर होता है जिस से किसी का भोग नहीं होता है किन्तु ईश्वर के प्रयत्न से चेष्टावान् होकर ईश्वर के कार्यों में सहायक होता है, प्राणियों के अनुष्ट से होनेवाले अन्य सभी शरीर प्राणियों के भोग का आयतन होते हैं अत एव उन म भोगानायतनशरीरत्व नहीं रहता है, इसीलिए ब्रह्मादि के शरीर में ईश्वर प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाली चेष्टा अन्य शरीरों में समवेत नहीं होती है ।”—

तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जब यह सिद्ध हो जाय कि ब्रह्मादि के शरीर में होनेवाली चेष्टा अन्य चेष्टाओं से विलक्षण होती है तभी तादात्म्यसम्बन्ध से विलक्षण चेष्टा के प्रति विलक्षण-चेष्टात्वावच्छन्न विशेष्यता सम्बन्ध से ईश्वर प्रयत्न में कारणता सिद्ध हो सकती है और जब उक्त कारणता सिद्ध हो जाय तभी ईश्वर प्रयत्न से ब्रह्मादि शरीर में उत्पन्न होनेवाली चेष्टा में वैलक्षण्य सिद्ध हो सकता है । अतः अन्योन्याश्रय दोष होने के कारण उक्त कार्यकारणभाव की कल्पना नहीं हो सकती ।

(ईश्वरप्रवृत्ति में दृष्टविरोध को आपत्तियों)

सूष्टि के शारम्भ में उत्पन्न कतिपय शरीरों में ईश्वरावेश द्वारा तत्त्व सम्प्रदायों का प्रवर्तन मानने से दृष्टविरोध का उल्लेख अभी किया जा चुका है । वह आपत्ति इस बात से और स्पष्ट हो जाती है कि ईश्वर ऐसे भी शरीर का निर्माण करता है जो अपने अधिष्ठाता में-अपने को सचेष्ट बनानेवाले पुरुष में भोग नहीं उत्पन्न करता है । ऐसे शरीर की रचना उस के एकमात्र ऐश्वर्य का ही सूचन करती है क्योंकि ऐसा कार्य जो लोकदृष्ट कार्यों से सर्वथा विचित्र हो निरकुश ईश्वर के बिना

“हेत्वभावे फलाभावात् प्रमाणेऽसति न प्रमा ।

तदभावात् प्रवृत्तिर्नों कर्मवादेऽप्ययं विधिः ॥१॥ (न्या. कृ. ३-१८)

इति, कर्मणः कर्त्तादिसापेक्षत्वेनैव जगद्देतुत्वात् । समर्थितं च-

“धर्माऽधर्मौ विना नाहूङं विनाऽङ्गेन मुखं कुतः १

मुखाद् विना न वक्तृत्वं तच्छास्तारः परे कथम् ? ॥” (बी.स्तोत्र ७-१) इति ।

शरीरस्य स्वोपात्तनामकर्महेतुत्वात् , तद्वैचित्र्येण तद्वैचित्र्यात्, अन्यथाऽङ्गो-
पाङ्गवणादिप्रतिनियमात्मुपपत्तेरिति, अन्यत्र विस्तरः । तस्माद् मायाविवरु समयग्राहकत्वम्,

नहीं हो सकता और जब लोकदृष्ट के विपरीत भी करना ही है तो वह अपने आवेश द्वारा ही जगत् की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को सम्पन्न कर सकता है । अतः उस के द्वारा वेद आदि की रचना का निरर्थक होना निर्विवाद है ।

इसी से उस कथन की भी निस्सारता समज लेनी चाहिए जो उदयनग्राचार्य की कुसुमाञ्जलि मे-‘हेत्वभावे फलाभावात्’ इस कारिका से कहा गया है । कहने का तात्पर्य यह है कि उस कारिका मे जो यह बात कही गई है कि-‘कारण के अभाव मे कार्य नहीं होता है’ यह सामान्य नियम है, प्रमाण प्रमा का कारण होता है, अतः उस के अभाव मे प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और प्रमा के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । अत एव लोकप्रवृत्ति के लिए प्रमा को उपस्थापित करने के हेतु वेद आदि प्रमाण की रचना आवश्यक है । यह प्रक्रिया कर्मवाद मे भी आवश्यक है क्योंकि कर्म भी स्वयं अकेले किसी कार्य को उत्पन्न न करके लोकसिद्ध कारणों द्वारा ही उत्पन्न करता है अत एव उसे भी कार्य के लोकसिद्ध कारण का सपादन करना पड़ता है । क्योंकि कर्म भी कर्ता आदि की अपेक्षा से ही जगत् का हेतु होता है ।-कारिका का यह कथन उक्तयुक्ति से निस्सार हो जाता है, क्योंकि ईश्वर को जगत् कर्ता मानने पर उसे अपने अधिष्ठाता में भाग न उत्पन्न करने वाले शरीर का निर्माता मानना पड़ता है-जो दृष्टविरुद्ध है अत उसी के समान दृष्टविरुद्ध अन्य कार्यों के सम्भव होने से वेद आदि की रचना का वैयर्थ्य प्रसक्त होता है । कर्मवाद मे उक्तरीति से लोकदृष्टि से विरुद्ध कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती है । वीतरागस्तोत्र के श्लोक से इस बात का समर्थन यह कह कर भी किया गया है कि-धर्म और अधर्म के बिना शरीर नहीं उत्पन्न हो सकता, शरीर के बिना मुख नहीं हो सकता, तथा मुख के बिना वक्तृत्व नहीं हो सकता । इसलिये अन्य लोग जो दृष्टविपरीत कल्पना करने के व्यसनी नहीं होते वे अंसे ईश्वर के अस्तित्व के उपदेष्टा कैसे हो सकते हैं जो बिना मुख के ही महान् वेदराशि का उच्चारण कर डालता है ? अतः यह वस्तुस्थिति बुद्धिमान मनुष्यों को मान्य होनी चाहिये कि जो व एक जातीय ही शरीर से अन्यथा एकजातीय ही शरीर से अञ्जोपाञ्ज-बणर्दिपरिवार की नियत व्यवस्था नहीं हो सकती । इस विषय का विस्तृत विचार ग्रन्थान्तर मे दृष्टव्य है ।

उपर्युक्त विचार का निष्कर्ष यह है कि ईश्वर को मायाबी के समान समय अर्थात् शब्दार्थ सम्बन्ध स्वरूप सकेत का ग्राहक बताना एवं घटपटादि की निर्माणपरम्परारूप सम्प्रदाय का प्रवतक कहना भी एक प्रकार की मायाविता ही है । अर्थात् कोई मायाबी विद्याधर ही ऐसे ईश्वर को शब्दार्थ-

घटादिसंप्रदायप्रवर्तकत्वं च पराभिमतेश्वरस्य मायावितामेव विद्याधरविशेषस्य व्यञ्जयति । पितुरिव पुत्रादेयुर्गादौ युगादीशस्य जगतः शिक्षया तु तथात्वं युक्तिमत्, स्वभावत एव तीर्थकृतां परोपकारित्वात् । अत एव 'कुलालेभ्यो नमः' इत्याद्या श्रुतिः संगच्छत इति युक्तं पश्यामः । अनुमानेऽपि सिद्धसाधनं बोध्यम् ।

प्रत्ययादिना तु वेदप्रामाण्यवादिनामाप्त-तद्वक्तुसिद्धावपि नेश्वरसिद्धिः, इति किमिह तदुपन्यासेन १ एतेन कार्यादिपदानामर्थान्तरमपि प्रयासमात्रम् । 'जन्यतत्प्रमासामान्ये तत्प्रमत्वेन गुणतया हेतुत्वात्, आद्यप्रमाजनकप्रमाश्रयतयेश्वरसिद्धिः' इति तु मूढानां वचः, घटत्वादिमद्वृत्तिविशेष्यतया तत्र घटत्वादिविषयत्वेनैव हेतुतया, संस्कारणैव घटत्वादिसंबन्धहेतुतयैव वा तवापि निर्वाहात्, अस्माकं तु सम्यग्दर्शनस्यैव गुणत्वात् ।

सम्बन्ध का ग्राहक और घटादि पदार्थ के व्यवहार का प्रवर्तक कह सकता है जो करचरणमुखकर्ण आदि से विहीन और अशरीरी होने से वस्तुतः कुछ भी करने में असमर्थ है । हाँ, यह युक्तिसङ्गत अवश्य हो सकता है कि जैसे विता अपने पुत्र को शिक्षा देता है उसी प्रकार युगादि में प्रारम्भिक युग का ईश प्रयमतीर्थकर जगत को शिक्षा देकर तत्त्व सम्प्रदाय का प्रवर्तन करता है क्योंकि तीर्थकर ही युगादीश होते हैं और वह स्वभाव से ही सर्व जीवों का हितेच्छु होने से उन्हें उपदेश देते हैं । इसी प्रकार तीर्थकर भी युगादि में विना किसी निजी प्रयोजन के केवल स्वभाववश प्रजा को उपदेश देते हैं । इस प्रकार 'नम कुलालेभ्य' आदि श्रुतियां भी सङ्गत हो सकती हैं । और इसी कारण तत्त्वसंप्रदाय के स्वतत्र प्रवर्तक के अनुमान में सिद्धसाधन दोष भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक युगादि में उस युगका आदि तीर्थकर तत्त्वसंप्रदाय के प्रवर्तक रूप से सिद्ध है ।

[प्रत्ययादि प्रमाणों की निरर्थकता]

प्रत्यय=प्रमा, श्रुति=वेद और वाक्य द्वारा भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि जो वेद को प्रमाण मानते हैं उन के मत में प्रमा-वेद और वाक्य से होने वाले अनुमानों से वेदार्थ के प्रमाता वेदकर्ता की सिद्धि हो सकती है किन्तु 'वह ईश्वर है' यह बात उन अनुमानों से नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि ईश्वर को सर्वकर्ता माना जाता है । और वे अनुमान जिस पुरुष को सिद्ध करते हैं उस की सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता को सिद्ध करने में उदासीन हैं । इसलिये कार्य आयोजनादि पदों का अन्य अर्थ कर के जिन अनेक अनुमानों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है उन अनुमानों से भी सर्वज्ञ सर्वकर्ता ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वे अनुमान भी जिस पुरुष का साधन कर पाते हैं उसे वेद वेदार्थविषयकतात्पर्य का धारक, यागादि का अनुष्ठाता, प्रणवादि पदों का बोध्य, वेदस्य अहं पद का स्वतंत्र उच्चारण कर्ता, आदि ही सिद्ध कर पाते हैं किन्तु उस की सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता प्रमाणित करने में वे सर्वथा असमर्थ रहते हैं । इसलिये कार्य आयोजन इत्यादि पदों के पूर्वोक्त अन्य अर्थों की कल्पना कर के अनुमान करने का प्रयास ही ईश्वर सिद्धि की दृष्टि से निरर्थक कष्टमात्र ही है ।

कुछ लोग ईश्वर फो सिद्ध करने के लिये इस प्रकार के अनुमान का प्रयोग करते हैं कि 'विशेष्य-तासम्बन्ध से जन्य तत्प्रकारकप्रमासामान्य में विशेष्यता सम्बन्ध से तत्प्रकारक प्रमा गुणविधया कारण

है। 'गुणविधया कारण' का अर्थ यह है कि 'गुण' इस प्रशंसा सूचक शब्द से व्यवहृत होनेवाला कारण। प्रमा अपने विषय का प्रव्यभिचारी ज्ञान होता है। उस से मनुष्य को धोखा नहीं होता। इसलिये उस के कारण को प्रशंसा बोधक गुण शब्द से व्यवहृत किया जाता है। इस कार्यकारण भाव का अभिप्राय यह है कि प्रमा उसी विषय की होती है जिस विषय की प्रमा कभी पहले हुई रहती है। और जो विषय वहले कभी नहीं प्रभित रहता उस की प्रमा नहीं होती। इसलिये असन् पदार्थ की प्रमा कभी नहीं हो सकती क्योंकि उस की प्रमा पहले कभी हुई रहती नहीं है। इस कार्यकारण भाव से ईश्वर की सिद्धि इस अनुमान से होती है कि 'सृष्टि के आरम्भ से होनेवाली पहली जन्यप्रमा अपने समान विषयक प्रमा से जन्य है क्योंकि वह प्रमा है। जो भी प्रमा होती है वह समानविषयक प्रमा से उत्पन्न होती है। इस अनुमान से श्राद्यप्रमा की जनक कोई ऐसी प्रमा माननी होगी जिस को समानविषयक अन्य-प्रमा की आवश्यकता न हो और वह तब ही हो सकता है जब वह प्रमा नित्य हो। इस प्रकार की प्रमा सिद्ध हो जाने पर उस के आश्रयरूप में ईश्वर की सिद्धि अनिवार्य हो जाती है।

व्याख्याकार श्री यशोविजयजी महाराज ईश्वर सिद्धि के सम्बन्ध में इस कथन को मूढ़कथन सूचित करते हैं। क्योंकि उनकी हृष्टि में 'जन्य तत्प्रकारक प्रमा सामान्य में तत्प्रकारक प्रमा कारण है' यह कार्यकारणभाव ही अनावश्यक है। उन का कहना है कि घटभिन्न में घटत्व प्रकारक प्रमा की आपत्ति का वारण करने के लिये नैयायिक को घटवृत्तिविशेष्यता सम्बन्ध से घटत्वप्रकारकप्रमा के प्रति घटत्व को ही समवाय सम्बन्ध में कारण मान लेना चाहिये। अथवा घटत्वप्रकारक प्रमा को ही सस्कार द्वारा कारण मान लेना चाहिये किंवा घटत्वसमवाय को स्वरूप सम्बन्ध से कारण मान लेना चाहिये। प्रथम और दृतीय पक्ष में प्रमा की उत्पत्ति में प्रमा की अपेक्षा ही नहीं होती। अतः श्राद्य प्रमा के लिये ईश्वरीय प्रमा की सिद्धि नहीं हो सकती। और द्वितीय पक्ष में प्रमा की उत्पत्ति में प्रमा की अपेक्षा होने पर भी उस के स्वय रहने की अपेक्षा नहीं होती किन्तु उस से उत्पादित सस्कार की अपेक्षा होती है। अतः उस पक्ष में भी श्राद्य प्रमा के लिये ईश्वरीय प्रमा की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पूर्वसंग की प्रमा से उत्पादित सस्कार द्वारा हो सकती है। यद्यपि यह द्वितीयपक्षीय कार्यकारणभाव उचित नहीं नहीं हो सकता क्योंकि उस पक्ष में संस्कारजन्य होने से प्रमा मात्र में स्मृतित्व की आपत्ति होगी। प्रथम पक्षमें घटत्व को कारण मानने पर घटत्वत्वको कारणतादर्शेदक मानना पड़ेगा और घटत्वत्व घटेतराऽसमवेतत्वे सति सकलघटसमवेतत्वरूप है अतः घटत्व को कारण मानने में गौरव होगा। अत एव प्रथम कार्यकारणभाव भी उचित नहीं हो सकता। किन्तु दृतीय पक्ष ही उचित हो सकता हैं क्योंकि घटत्व समवाय को कारण मानने पर समवायत्व और घटत्व दो धर्म कारणता के अवच्छेदक होगे। उन में समवायत्व अखण्ड उपाधि है और घटत्व समवायसम्बन्ध से अनुलिलस्थमान होने के कारण स्वरूपतः कारणतावच्छेदक होगा। इसलिये घटत्व समवाय को कारण मानने में गौरव नहीं होगा। इस प्रकार इस कार्यकारण भाव से 'ही' घटभिन्न में घटत्व प्रकारक प्रमा की आपत्ति का वारण हो जायगा। अतः तत्प्रकारक जन्यप्रमा सामान्य में तत्प्रकारक प्रमा को कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। श्रीयशोविजयजी महाराज ने इस प्रसङ्ग में यह भी कहा है कि आर्हतों के मत में तो उक्त प्रकार के कार्यकारण भावों की कल्पना के प्रपञ्च में पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि उस मत में सम्यग् दर्शन ही प्रमा का गुणविधय कारण होता है। घटभिन्न में घट-

संख्याविशेषादपि नेश्वरसिद्धिः, तवापि लौकिकापेक्षाबुद्धेरेव तद्देतुत्वात् । ममाप्यपेक्षा-
बुद्धेरेव तथाव्यवहारनिमित्तत्वात् तज्जन्यातिरिक्तसंख्याऽसिद्धेः । परिमाणेऽपि संघातभेदादि-
कृतद्रव्यपरिणामविशेषरूपे मंख्याया अहेतुत्वाच्च । द्वि-कपालात् त्रि-कपालघटपरिमाणोत्कर्षस्य
दलोत्कर्षादेवोपपत्तेरिति । तत्त्वमत्रत्यमाहतवार्तायां विवेचयिष्यते ।

तस्माद् नेश्वरसिद्धौ किमपि साधीयः प्रमाणम्, नवा तदभ्युपगमेनापि तस्य सर्वज्ञत्वम्,
उपादानमात्रज्ञानमिद्वावप्यतिरिक्तज्ञानाऽसिद्धेः, कारणमावात्, मानाभावाच्चेति दिग् ॥१॥

तत्प्रकारक सम्यग् दर्शन नहीं होता, अतः घटभिन्न में घटत्वप्रकारक प्रमा की आपत्ति नहीं हो सकती ।
सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में भेद होने से प्रमा के प्रति सम्यग्दर्शन की कारणता का पर्यवसान
तत्प्रकारक प्रमा के प्रति तत्प्रकारक प्रमा की कारणता में नहीं हो सकता ।

[अपेक्षाबुद्धि से द्वित्वादि व्यवहार की उपपत्ति]

संख्याविशेष से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि न्यायमत में भी लौकिक अपेक्षाबुद्धि
में ही द्वित्वादि संख्या की कारणता सिद्ध है । ईश्वर को लौकिक अपेक्षाबुद्धि नहीं होती, क्योंकि
ईश्वर की बुद्धि नित्य मानी जाती है । और लौकिकबुद्धि वही कहलाती है जो इन्द्रिय के लौकिक
सनिकर्ष से उत्पन्न हो । अतः यह कहना कि-'द्वचणुक में परिमाण की उत्पत्ति परमाणु में एकता' ।
ईश्वरीय अपेक्षाबुद्धि से होती है' यह उचित नहीं हो सकता । आर्हत मत में तो अपेक्षाबुद्धि से
द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति मात्र ही नहीं है । क्योंकि उस मत में अपेक्षाबुद्धि से ही द्वित्वादि के
व्यवहार की उपपत्ति कर ली जाती है । तात्पर्य यह है कि न्यायमत में जिस अपेक्षाबुद्धि को द्वित्वादि-
संख्या का जनक माना जाता है, आर्हत मत में वह अपेक्षाबुद्धि ही द्वित्वादि के व्यवहार में कारण
होतो है । तात्पर्य, द्वित्वादि व्यवहार को ही द्वित्वके स्थान में अभिषिक्त करदिया जाता है । उसी से
द्वित्व का व्यवहार हो जाता है । अतः उस से अतिरिक्त द्वित्व संख्या की उत्पत्ति मानकर उसके
द्वारा द्वित्वव्यवहार के उपपादन का प्रयास अनावश्यक है । अतः आर्हतमत में द्वित्वादिनाम की कोई
संख्या न होने से जैन के प्रति द्वित्व संख्या द्वारा ईश्वरानुमान का प्रयोग संभव ही नहीं हो सकता,
क्योंकि वह प्रयोग आध्यात्मिक से ग्रस्त हो जायगा । आर्हत मत में परिमाण के उत्पादनार्थ भी
द्वित्वादि संख्या की कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि आर्हत मत में द्रव्य का परिमाण सञ्चात-भेद से
निष्पन्न होता है । उस में संख्या की अपेक्षा नहीं होती । द्विकपालक घट के परिमाण की अपेक्षा
त्रिकपालक घट के परिमाण में जो उत्कर्ष होता है वह भी कपाल के संख्याधिक्य से नहीं होता बल्कि
द्विकपालकसङ्घात से त्रिकपालकसङ्घात के उत्कर्ष से होता है । व्याख्याकार का कहना है कि
इस विषय का तात्त्विक विवेचन आर्हत वार्ता के प्रसंग में किया जायगा । इन समस्त विचारों का
निष्कर्ष यही है कि ईश्वर की सिद्धि में कोई उचित प्रमाण नहीं है और यदि पूर्वप्रदर्शित प्रमाणों के
आधार पर ईश्वर को स्वीकार कर लिया जाय तो भी उन प्रमाणों से उनकी सर्वज्ञता नहीं सिद्ध हो
सकती, जैसे कि पूर्वोक्त अनुमानों में प्रथम अनुमान से ईश्वर जगत् का कर्ता सिद्ध किया जाता है,
और कर्ता के लिये उपादान कारणों के ज्ञानमात्र की आवश्यकता होती है । अतः उक्तानुमान से

‘संतुष्य नैयायिकमुख्य ! तस्मादस्माकमेवाऽश्रय पक्षमग्रयम् ।
 तवोच्चकैरीश्वरकर्तृताया मनोरथं संप्रति पूरयामः ॥१॥
 नयैः परानप्यनुकूलवृत्तौ प्रवर्तयत्येव जिनो विनोदे ।
 उक्तानुवादेन पिता हितात् किं वालस्य नाऽलस्यमपाकरोति ॥२॥’

तदिदमाह—

ततद्वेश्वरकर्तृत्ववादोऽयं युज्यते परम् ।
 सम्यग्न्यायाऽविरोधेन यथाहुः शुद्धवुद्धयः ॥१०॥

ततश्च पातञ्जल-नैयायिकमतनिरासाच्च, अयं=तथाविधलोकप्रमिद्धः - ईश्वरकर्तृत्व-
 चादः. परम्-उक्तविपरीतरीत्या, सम्यग्न्यायाऽविरोधेन=प्रतितर्क्षप्रतिहततर्कानुसारेण युज्यते,
 यथा शुद्धवुद्धयः=सिद्धान्तोपवृहितमतयः परमर्थ्य आहुः ॥१०॥

तद्वचनमेवाऽनुवदति—

जगत् के उपादान कारणों का ही ज्ञान सिद्ध हो सकता है, उपादानसे भिन्न पदार्थों का ज्ञान नहीं सिद्ध हो सकता है । क्योंकि न उस के लिये कोई कारण है, न उस के लिये कोई प्रमाण ही है ॥१॥

व्याख्याकार श्री यज्ञोविजयजी महाराज ने न्यायदर्शन की पद्धति से ईश्वर के कर्तृत्व का पूर्णतया निराकरण कर देने के बाद नैयायिक सर्वथा हृताश न हो इस लिए बड़े सुन्दर ढंग से नैयायिक को यह कहते हुए आश्वासन दिया है कि नैयायिक को उक्त रीति से ईश्वर के कर्तृत्व का खण्डन कर देने पर भी दुःखी होने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि उस की सतुष्टि का औषध अब भी बना हुआ है । उसे केवल इतना ही करने की आदश्यकता है कि वह ईश्वर के कर्तृत्व को सिद्ध करने को अयनो पद्धति का मोह छोड़कर हम आर्हतों की श्रेष्ठ पद्धति को स्वीकार कर ले । क्योंकि अपनी आर्हत पद्धति से हम ईश्वर को कर्ता सिद्ध करके उस के महान मनोरथ की पूर्ति कर सकते हैं । आर्हतों का यह मत है कि भगवान जिनेश्वर देव नयों के माध्यम से अन्य मतों को भी अनुकूल=सगत अर्थ से प्रवाहित करके प्रतिवादी को सतुष्ट करते हैं । और यह उन के लिये उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे गिता वालक का हित करने की बुद्धि से उक्त का अनुवाद अर्थात् पुनः पुनः प्रेरक वचन का प्रयोग कर के उसके प्रमाद को दूर करता है ।

(ईश्वरकर्तृत्ववाद का कथचित् औचित्य)

४ से नव कारिका मे प्रतिवादी की शैलीका निराकरण करके अब दसवी कारिका में जैन दर्शन को शैली से ईश्वर कर्तृत्व का समर्थन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

पातञ्जल और नैयायिक को अभिप्रेत रीति से ईश्वर की कर्तृता का खड़न हो जाने पर अगर नैयायिकादि लोकों मे प्रसिद्ध ईश्वर कर्तृत्व का समर्थन करना है तब पातञ्जल-नैयायिक ने जो प्रणाली अपनायी थी उससे विपरीत जैन प्रणाली के अनुसार विपरीत तर्क से बाधित न होवे ऐसी युक्तियों से उसको संगति कर सकते हैं— जैसा कि शुद्ध यानी सिद्धान्त से परिकर्मित बुद्धि वाले परम ऋयियों ने कहा है—

**मूलम्-ईश्वरः परमात्मैव तदुक्तत्रत्सेवनात् ।
यतो मुक्तिस्ततस्तस्याः कर्ता स्याद् गुणभावतः ॥११॥**

ईश्वरः परमात्मैव=कायादेवंहिरात्मनो ध्यातुभिन्नत्वेन ज्ञेयादन्तरात्मनश्च तदधिष्ठाय-कस्य ध्यातुधर्यैकस्वभावत्वेन भिन्नोऽनन्तज्ञान-दर्शनसंपदुपेतो वीतराग एव । अन्ये तु 'मिथ्यादर्शनादिभावपरिणतो वाह्यात्मा, सम्यग्दर्शनादिपरिणतस्त्वन्तरात्मा, केवलज्ञानादिपरि-णतस्तु परमात्मा । तत्र व्यक्त्या वाह्यात्मा, शक्त्या परमात्मा अन्तरात्मा च, व्यक्त्याऽन्त-रात्मा तु शक्त्या परमात्मा, भूतपूर्वनयेन च वाह्यात्मा, व्यक्त्या परमात्मा तु भूतपूर्वनयेनैव वाह्यात्मा अन्तरात्मा च' इत्याहुः । तदुक्तत्रत्सेवनात्-परमाप्तप्रणीतागमविहितसंयम-पालनात्, यतो मुक्तिः कर्मक्षयरूपा, भवति, ततस्तस्या गुणभावतः=राजादिवदप्रसादा-भावेऽप्यचिन्त्यचिन्तामणिवद् वस्तुस्वभावबलात् फलदोपासनाकृत्वेनोपचारात्, कर्ता स्यात् ।

(आज्ञापालन द्वारा ईश्वरकर्तृत्व)

११ वीं कारिका मे जैन ऋषियों के उन वचन का ही अनुवाद है जिन का सकेत पूर्वकारिका मे किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

परमात्मा ही ईश्वर है । परमात्मा का अर्थ है वह वीतराग पुरुष जो अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन से सम्पन्न होता है, और जो कायादि के अधिष्ठायक ध्याता अन्तरात्मा के लिये स्वाभन्न रूप से ज्ञेयस्वरूप वहिरात्मा से भिन्न होता है और ध्याता अन्तरात्मा के लिये एकमात्र ध्येय-स्वरूप होने से भिन्न होता है । आशय यह है कि आत्मा के ही तीन स्वरूप समझा जा सकता है वहिरात्मा, प्रन्तरात्मा और परमात्मा । वहिरात्मा का अर्थ है कायादि मे ही आत्मबुद्धि रखनेवाली व्यक्ति । अन्तरात्मा उसे कहा जाता है जो अपने को कायादि से भिन्न और कायादि का अधिष्ठाता समझता है, किन्तु वह रागादि से ग्रस्त होता है । परमात्मा उन दोनों से भिन्न और वीतराग होता है । यह वीतराग परमात्मा ही ईश्वर है । कुछ अन्य आचार्यों ने इन तीनों आत्माओं का परिचय देते हुए यह कहा है कि-वहिरात्मा वह है जो मिथ्यादर्शनादि भावों से परिणत हो । और अन्तरात्मा उसे कहा जाता है जो सम्यग्दर्शनादि भावों से परिणत हो । और परमात्मा उसे कहा जाता है जो केवलज्ञानादि से सम्पन्न हो ।

इन तीनों में ऐकान्तिक भेद नहीं है । जो व्यक्तिरूप मे वाह्यात्मा होता है वह भी शक्ति-प्रच्छन्न रूप मे अन्तरात्मा और परमात्मा भी होता है । और जो व्यक्ति रूप मे अन्तरात्मा होता है वह शक्तिरूप में परमात्मा और भूतपूर्व-जटि से वाह्यात्मा होता है । एवं जो व्यक्ति रूप मे परमात्मा होता है वह सूतपूर्व-जटि से वाह्यात्मा और अन्तरात्मा भी होता है ।

परमात्मा द्वारा उपदिष्ट आगमो मे जिस स्थमधर्म का दर्शन है उस के पालन से मुक्ति होती है, मुक्ति का अर्थ है समग्र कर्मों का क्षय । इस मुक्ति का आदिमूल परमात्मा का उपदेश हो होता है इसलिए ही परमात्मा को उपचार से उन का कर्ता कहा जाता है । आशय यह है कि राजा आदि का

अत एव भगवन्तमुद्दिश्याऽरोग्यादिप्रार्थना । सार्थका-उनर्थकचिन्तायां तु भाज्यमेतत्, चतुर्थभाषारूपत्वात्, इति ग्रन्थकृतैव ललितविस्तरायामुक्तम् । अप्रार्थनीये कर्तृरि प्रार्थनाया विधिपालनबलेन शुभाध्यवसायमात्रफलत्वादिति निगर्वः ॥११॥

अस्त्वेवं मुक्तिकर्तृत्वम्, भवकर्तृत्वं तु कथ ? । अत आह—

मूलम्-तदनासेवनादेव यत्संसारोऽपि तत्त्वतः ।

तेन तस्यापि कर्तृत्वं कल्प्यमानं न दुष्यति ॥१२॥

तदनासेवनात्=तदुक्तव्रताऽपालनादेव, यत्=यस्मात्, तत्त्वतः=परमार्थतः, संसारोऽपि जीवस्य भवति, अविरतिमूलत्वात् तस्येति भावः, तेन हेतुना, तस्यापि कर्तृत्वं कल्प्यमानम्=स्वहेतुक्रियाविरुद्धविधिबोधितोपासनाकल्पपरेण कर्तृत्वपदेन बोध्यमानम्

जैसे प्रसाद होता है तो प्रसाद से नियमबद्ध रोष-अप्रासाद भी होता है जिस से वह अन्यों के अनुग्रह और निग्रह का कर्ता होता है, ऐसा रोष अप्रासाद परमात्मा मे नहीं होता । तथापि जैसे चिन्तामणि मे रोष और प्रसाद न होने पर भी स्वभाव से ही उससे मनुष्य के बांछित की सिद्धि होती है उसी प्रकार परमेश्वर की उपासना परमेश्वर वस्तु के सहज स्वभाववश मनुष्य के लिये फलप्रद होत है । इसलिए जैसे चिन्तामणी के सम्पर्क से बांछित की प्राप्ति होने से चिन्तामणी बांछित का दाता कहा जाता है उसीप्रकार परमात्मा को उपासना से विभिन्न फलों की प्राप्ति से वह विभिन्न फलों का दाता या कर्ता कहा जाता है । और इसलिये भगवान से आरोग्यादि की प्रार्थना भी की जाती है । वह प्रार्थना सार्थक होती है या निरर्थक होती है इस प्रश्न का उत्तर भजना-अपेक्षाभेद से दिया जा सकता है जो चतुर्थ भाषा के रूप मे प्रस्तुत होता है । कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह समझा जाय कि प्रार्थना से परमात्मा प्रसन्न होकर आरोग्यादि को प्रदान करते हैं तो इस दृष्टि से प्रार्थना निरर्थक है । क्योंकि प्रार्थना से बीतराग परमात्मा के प्रसन्न होने की कल्पना असङ्गत है । और यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय कि परमात्मा को प्रार्थना मे ऐसी स्वाभाविक शक्ति है जिस से आरोग्यादि की प्राप्ति होती है तो इस दृष्टि से प्रार्थना सार्थक है । इसलिये भगवान से आरोग्यादि की प्रार्थना सार्थक है या निरर्थक है इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि प्रार्थना 'स्यात् सार्थिका, स्यात् अनर्थिका' । इस विषय को मूल ग्रन्थकार हरिभद्रसूरिजीने 'ललित विस्तरा' में स्पष्ट किया है । निष्कर्ष यह है कि कर्ता प्रार्थनीय न होने पर भी उसकी प्रार्थना का शास्त्र में विधान होने से उस का पालन शावश्यक होता है और उस पालन से शुभ अध्यवसाय की उपलब्धि होती है । इस रीति से शुभाध्यवसाय की उत्पादिका प्रार्थना का विषय होने के कारण परमात्मा को कर्ता कहा जाता है ॥१२॥

मापा ४ प्रकार की होती है—१ सत्यभाषा, २, असत्यभाषा, सत्यासत्य मिश्रभाषा ४ अ-सत्या सत्य (ध्यवहार)भाषा । इन में से बीतराग के प्रति प्रार्थना, यह ध्यवहार नाम की चतुर्थ भाषा स्वरूप है—न सत्य न असत्य, किन्तु लाभप्रद प्रशस्ति शब्दध्यवहार ।

न दुष्यति, “अङ्गुल्यग्रे करिशतम्” इत्यादिवद् यथाकथश्चिदुपचारेण व्यवहारनिर्वाहादिति
भावः ॥१२॥

नन्वीद्विषकल्पनायां को गुणः १ इत्यत्राह-

मूलम्-कर्तायमिति तद्वाक्ये यतः केषांचिचादरः ।
अतस्तदानुगुणयेन तस्य कर्तृत्वदेशना ॥१३॥

‘अयम्=ईश्वरः कर्ता’ इति हेतोः तद्वाक्ये-ईश्वरवाक्ये सिद्धान्ते । ‘अयं कर्ता’ इति तद्वा-
क्ये प्रसिद्धवाक्ये वा, यतः केषांचित्=तथाविधभद्रकविनेयानाम्, आदरः-स्वरसदाहित्रद्वा-
नात्मा भवति, अतस्तदानुगुणयेन=तथाविधविनेयश्रद्धाभिवृद्धये, तस्य=परमात्मनः कर्तृत्वदे-
शना=कर्तृत्वोपदेशः । श्रेत्रमावाभिवृद्धयर्थो हि गुरोरुपदेशः, सा च कल्पितोदाहरणेनापि
निर्वाहिते, किं पुनरुपचारेण १ इति भावः ॥१३॥

[आज्ञाविलोपन द्वारा भवकर्तृता]

पूर्व कारिका में ईश्वर को मुक्ति कर्ता बताया गया है । और प्रस्तुत १२ वीं कारिका में वह
जगत् का कर्ता कैसे होता है इस बात का प्रतिपादन किया गया है । कारिका का अर्थ इसप्रकार है-

परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट व्रतो का सेवन न करने से ही जीव को वास्तवरूप में संसार की प्राप्ति
होती है क्योंकि संसार का मूल अविरति है । और उस का प्रतियोगीविधया प्रयोजक है विरति अ.दि ।
अतः उक्तरीत्या संसार के प्रयोजक का उपदेष्टा होने से यदि ईश्वर में सासार के कर्तृत्व की कल्पना
की जाय तो कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का यह कर्तृत्व संसारजनककृतिरूप वास्तविक
कर्तृत्व नहीं है, अपितु औपचारिक कर्तृत्व है । अतः ‘ईश्वर संसार का कर्ता है’ इस का अर्थ है कि
ईश्वर ऐसे व्रतो का उपदेष्टा है जिस का सेवन न करने से सासार बनता है । ईश्वर में संसारकर्तृत्व
का यह औपचारिक व्यवहार उसी प्रकार उपपन्न किया जा सकता है जिसप्रकार ‘अङ्गुल्यग्रे करि-
शतम्=अङ्गुल के अग्रभाग में सौ हाथी खड़े हैं’ यह व्यवहार अङ्गुली के अग्रभाग से सौ हाथी की
गिनती होने के आधार पर उपपन्न किया जाता है ॥१२॥

(ईश्वर भवित्व में वृद्धि के लिये कर्तृत्व का उपदेश)

१३ वीं कारिका में इस जिज्ञासा का समाधान किया गया है कि ईश्वर में सासार के औप-
चारिक कर्तृत्व की कल्पना का क्या प्रयोजन है? कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

कतिपय मद्रशील शिष्यों को ईश्वर के वचन में इसलिये आदर होता है कि वे ‘ईश्वर कर्ता
है’ इस विश्वास से बढ़ होते हैं अथवा ईश्वर कर्ता है’ इस प्रसिद्ध लाकोकित में उन की श्रद्धा होती
है । अतः ऐसे शिष्यों को ईश्वर के प्रति श्रद्धा की अभिवृद्धि के अभिप्राय से परमात्मा के कर्तृत्व का
प्रतिपादन आवश्यक होता है । आशय यह है कि श्रोता के भाव का सबर्धन ही गुरु के उपदेश का फल

साक्षादपि कर्तृत्वं समर्थयति-

मूलम्-परमैश्वर्ययुक्तत्वान्मत आत्मैव वेश्वरः ।

स च कर्तैति निर्दोषः कर्तृवादो व्यवस्थितः ॥१४॥

परमैश्वर्ययुक्तत्वात्=निश्चयतो घनाऽवृत्स्यापि रवेः प्रकाशस्वभावत्ववत् कर्मा-
ऽवृत्स्याऽप्यात्मनः शुद्ध-बुद्धेकस्वभावत्वेनोत्कृष्टेकेवलज्जानाद्यतिशयशालित्वात्, आत्मैव=जीव
एव वा, ईश्वरो मतः=ईश्वरपदेन संकेतितः । स च-जीवश्च कर्ता-साक्षात्कर्ता इति हेतोः,
निर्दोषः-उपचारेणाऽप्यकलङ्कितः, कर्तृवादः-ईश्वरकर्तृत्वोपदेशः, व्यवस्थितः-प्रमाणसिद्धः ।
अत एव “विश्वतश्वसुरुत विश्वतोमुखः” इत्यादिका श्रुतिरप्युपपद्यते जीवस्य निश्चयतः सर्वज्ञ-
त्वात्, अन्यथा रागाद्यावरणविलये तदाविर्भावानुपपत्तेः ।

“उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः” ॥

[गीता अ. १५ श्लो. १७] इत्यादिकमप्युपपद्यते, आवृत्स्वरूपादनावृतम्बरूपस्य भिन्नत्वात्
चैतन्यात्मकमहासामान्येन लोकत्रयावेशाद् ग्राह्याकारक्रोडीकृतत्वेन तद्वरणाच्च, इत्यादिरीत्या
यथाऽगमं पराभिप्राय उपपादनीयः ॥१४॥

होता है । और यह कार्य जब कल्पित उदाहरण से भी सम्पन्न करना शास्त्रसम्मत है तब इस कार्य
को उपचार द्वारा सम्पन्न करना युक्त ही है इस में क्या संदेह ? ॥१३॥

[आत्मा हो परमात्मा होने से निर्बधि कर्तृत्व]

पूर्व कारिका तक ईश्वर में कर्तृत्व का समर्थन उपचार द्वारा किया गया है किन्तु प्रस्तुत १४ वीं
कारिका में ईश्वर के वास्तव कर्तृत्व का समर्थन किया जाता है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

जिस प्रकार सूर्य भेघमण्डल से आच्छन्न होने पर भी निश्चय दृष्टि से स्वभावतः प्रकाशात्मक ही
रहता है उसी प्रकार विविधकर्णों से आवृत भी आत्मा स्वभावतः शुद्धबुद्ध स्वरूप ही रहता है । अत
एव उस समय भी उस में केवलज्जानादि के अतिशय अक्षुण्ण रहते हैं । और आत्मा की यह शुद्धबुद्धता
एवं केवलज्जानादि के अतिशयों को सप्नता ही जीव का परमैश्वर्य से सम्पन्न होना है और इस निश्चय-
ट्रिसम्मत सार्वदिक परमैश्वर्य के कारण जीव को ही ईश्वर माना जाता है-एवं जीव निर्विवाद
रूप से वास्तविक कर्ता है और जब जीव ही ईश्वर है, तो ईश्वर का वास्तव कर्तृत्व भी निर्विवाद
है । अत ईश्वरकर्तृत्ववाद निर्दोष अर्थात् अनौपचारिक रूप में प्रमाणसिद्ध है । जीव के निश्चय-
ट्रिसम्मत सर्वज्ञ होने के कारण ‘विश्वतश्वसु उत्त विश्वतो मुख’ इत्यादि श्रुति द्वारा उसे सर्वदर्शी और
सर्वोपदेष्टा आदि वत्ताना जो उपपन्न हो जाता है । जीव को सार्वकालिक सर्वज्ञता स्वीकार करना
परमावश्यक है क्योंकि यदि उस ने सहज सर्वज्ञता न होगी तो रागादि आवरणों का विलय होने पर
उस का आविर्भाव न हो सकेगा । गीता में परमात्मा को अन्य आत्माओं से भिन्न उत्तम पुरुष कहा गया
है और तीनों लोक में आविष्ट होकर उन का शाश्वत धारक कहा गया है । गीता का यह कथन भी
जीवेश्वरत्व पक्ष में निर्बधिरूप से उपपन्न हो सकता है, क्योंकि रागादि से आवृत आत्मस्वरूप से रागादि

यतः—

मूलम्-शास्त्रकारा महात्मानः प्रायो धीतस्पृहा भवे ।

सत्त्वार्थसंप्रवृत्ताश्च कथं तेऽयुक्तभाषिणः १ ॥१५॥

**शास्त्रकाराः प्रायः लोकायतादीन् परलोकाऽभीरुन् विहाय, महात्मानः=धर्म-
मिमुखाः भवे=संसारे, धीतस्पृहाः=लोकमानख्याति-धनलिप्सादिरहिताः सत्त्वार्थसंप्रवृ-
त्ताश्च=यथाधीर्घं परोपकारप्रवृत्ताश्च, अन्यथेऽशप्रवृत्तयोगतः, ततः कथं तेऽयुक्तभाषिणः-ज्ञात्वा
विरुद्धभाषिणः १ विरोधः खलु जल-ज्वलनयोरिव परोपकारित्व-विरुद्धभाषित्योरिति भावः ॥१५॥**

ततः किम् ? इत्याह—

मूलम्-अभिप्रायस्तत्स्तेषां सम्यग् मृग्यो हितैषिणा ।

न्यायशास्त्राऽविरोधेन यथाह मनुरप्यदः ॥१६॥

**ततः-अविरुद्धभाषित्वात्, तेषां-परोपकारार्थं प्रवृत्तानां शास्त्रकाराणाम्, अभिप्रायः
शब्दतात्पर्यात्मा, सम्यग्=व्यासङ्गपरिहारेण, मृग्यः=उन्नेयः, हितैषिणा=मुमुक्षुणा, न्याय-**

से अनावृत आत्मस्वरूप भिन्न कहकर उसे उत्तम पुरुष और परमात्मा कहना उचित ही है और चैतन्यरूप महासामान्य के द्वारा लोकत्रय में उस का आवेश और ग्राह्य आकार में लोकत्रय को अङ्ग-स्थित कर उन का भरण संभव होने से आवेश द्वारा उसे लोकत्रय का धारक कहना भी समीचीन हो है । इस प्रकार ईश्वर के सम्बन्ध में जो नैयायिक का अभिप्राय हैं उस का समर्थन और उपपादन अपने शास्त्र की रीति से जीवेश्वरत्व पक्ष में भी किया जा सकता है ॥१४॥

[निःस्पृह शास्त्रकार अयुक्तभाषी नहीं होते]

१५ वीं कारिका में उन सभी विद्वानों को विश्वसनीय बताया गया है जो परलोक के सम्बन्ध
में भीरु होने के कारण अनुचित वात कहना नहीं चाहते । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

प्रायः सभी शास्त्रकार जो परलोक के सम्बन्ध में निर्भय रहनेवाले चार्वकादि की श्रेणी में
नहीं आते-महात्मा होते हैं । उन की सम्पूर्ण प्रवृत्ति धर्ममुखी होती है । संसार में उन्हें मान-ख्याति
धनादि किसी वस्तु की स्पृहा नहीं होती । वे अपनी मति के अनुसार परोपकार में निरत होते हैं ।
इसीलिये वे निर्दोष कर्मों की शिक्षा देने के लिये शास्त्रों को रचना करते हैं, अत वे जान बुझकर कोई
विरुद्ध वात नहीं कह सकते ज्ञानकि परोपकार को प्रवृत्ति और जानवृक्षरुर विरुद्ध वात का कथन इन
दोनों में पानी और अग्नि के समान परस्पर विरोध है ॥१६॥

[युक्त और आगम से शास्त्रकाराभिप्राय का अन्वेषण]

पूर्व कारिका में सभी शास्त्रकारों की प्रशंसा की गयी है । इस प्रशंसा को सुनकर यह जिज्ञासा
हो सकती है कि क्या जैन शास्त्रकारों के समान ही अन्य शास्त्रकारों की वात स्वीकार्य है ?
१६ वीं कारिका में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है—

कारिका का आशय यह है कि जब सभी शास्त्रकार परोपकार में प्रवृत्त होने के कारण अनुचित वात
कहना नहीं पसन्द करते तो यह आवश्यक है कि उनके जो भी शब्द हैं उन के तात्पर्य को इस प्रकार

**शास्त्राविरोधेन-युक्त्याऽगमवाधा यथा न स्यात् तथा, न तु यथाश्रुतग्रहणमात्रेणाऽन्ध्ये
मज्जनीयं मनः, अन्यथा 'ग्रावाणः प्लवन्ते' इत्यादिश्रुतिश्रवणेन गगनमेवाऽवलोकनीयं स्यात् ।
अत्र पराऽभियुक्तसंमतिमाह-यथा मनुरपि अदः-वक्ष्यमाणम् आह ॥१६॥**

किम् १, इत्याह-

मूलम्-आर्षं च धर्मशास्त्रं च वेदशास्त्राऽविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥१७॥

आर्षं च-वेदादि, धर्मशास्त्रं च पुराणादि । 'आर्षं धर्मोपदेशं च' इति क्वचित् पाठः, तत्राऽप्य्यमेवार्थः-आर्षं-मन्वादिवाक्यम्, धर्मजनक उपदेशः धर्मोपदेशः, धर्मस्येश्वरस्य वोपदेशो धर्मोपदेशस्तं, 'वेदम्' इत्यन्ये । वेदशास्त्राविरोधिना--परस्परं तदुभयाऽविरोधिना तर्केण यः अनुसंधत्ते-तदर्थमनुस्मरति, स धर्मं वेद=जानाति, नेतरः=उहरहितः । तस्मादीश्वरकर्तुं-

समझने का प्रयत्न किया जाय जिस से मुमुक्षु के मार्ग में कोई कठिनाई न हो और युक्ति तथा शास्त्र का कोई विरोध न हो । ऐसा नहीं होना चाहिये कि उनके शब्दों से जो भी अर्थ आपाततः प्रतीत हो उसे ही परमार्थ भानकर उसी में अपने मन को अभिनिविष्ट कर दिया जाय, क्योंकि ऐसा होने पर 'ग्रावाणः प्लवन्ते=पत्थर तंत्रते हैं' ऐसे वेदवचनों को सुनकर आश्चर्यचकित हो आकाश के प्रति देखने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । इस विषय में आर्हतों की ही सम्मति है इतना ही नहीं अपितु अन्य भतावलम्बियों के सम्मान्य पुरुष की भी सम्मति है । उदाहरणार्थ मनु के इस आशय का वचन प्रस्तुत किया जा सकता है—

(धर्म तत्त्व के बोध का उपाय तर्कानुसंधान-मनुवचन)

पूर्व कारिका में मनु के जिस वचन का संकेत किया गया है, १७ थों कारिका उस वचन के रूप में ही अवतरित की गई हैं । कारिका का अर्थ यह है—

जो व्यक्ति ऋषिद्वृष्ट वेदादि शास्त्रों को और पुराणादि धर्मशास्त्रों को वेद और शास्त्र के अविरोधी (शास्त्र से विरुद्ध न पड़ने वाले) तर्क के द्वारा समझता है अर्थात् ऐसे तर्क से वेद और धर्मशास्त्र के अर्थ का निष्परिण करता है जो तर्क वेद और शास्त्रों से विरुद्ध न हो, वही व्यक्ति धर्म के तत्त्व को जान पाता है । और जो तर्क की सहायता नहीं लेता वह धर्म के तत्त्व को नहीं समझ सकता । ध्यात्याकार ने इस कारिका की व्याख्या करते हुये 'आर्षं धर्मोपदेशं च' इस मनुवचन के पाठान्तर का भी उल्लेख किया है और उस का भी वही अर्थ किया है 'जो आर्षं च धर्मशास्त्रं च' इस पाठ से अभिमत है । कुछ अन्य लोगों द्वारा 'आर्षं धर्मोपदेशं च' इस पाठ का दूसरा अर्थ किया गया है उस का उल्लेख ध्यात्याकार ने इस प्रकार किया है कि आर्ष शब्द का अर्थ है मनुआदि ऋषियों का वाक्य जैसे 'मनुस्मृति' आदि ग्रन्थ, और 'धर्मोपदेश' शब्द का अर्थ है वेद, क्योंकि वेदके पाठ धर्म होता है, और वेद से धर्म और ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है ।

शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय करने के लिये शास्त्राऽविरोधी तर्क के अवलम्बन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आर्हतों और पराभिमत मनु आदि शिष्टपुरुषों की सम्मति बताकर ध्यात्याकार ने

त्वप्रतिपादकपरागमस्याऽप्ययमेवाऽश्यो युक्तः, इति सम्यगदृष्टिपरिगृहीतत्वेन तत्प्रमाण्यमुपपाद-
नीयम् । द्रव्यासत्याभिधानं वेदं ग्रन्थकारस्य तत्प्रमाण्याभ्युपगन्तुश्रोतुपरिवोधार्थम् ।
इत्येवं पदुरीश्वरव्यतिकरः सत्कर्संपर्कभाग्, येषां विस्मितमातनोति न मनस्ते नाम वामाशयाः ।
अस्माकं तु स एक एव शरणं देवाधिदेवः सुखाम्भोधौ यस्य भवन्ति विन्दव इव स्वः-सद्बन्नां संपदः ॥१७॥

कारिकाकार का यह आशय बताया है कि ईश्वर से जगत्कर्तृत्व का प्रतिपादन करने वाले अन्य शास्त्रों का भी अभिप्राय शास्त्राऽविरोधी तर्कों से ही निश्चित करना उचित है ।

ऐसा करने से सम्यग्दृष्टि से परिगृहीत होने के कारण अन्यशास्त्रों का भी प्रामाण्य सिद्ध हो सकता है । व्याख्याकार यशोविजयजी का कहना है कि ‘तर्क की सहायता से वेद और पुराण आदि से भी धर्म का ज्ञान होता है’ इस द्रव्याऽसत्य का अभिधान ग्रन्थकार ने इस दृष्टि से किया है जिस से वेद और पुराण को प्रमाण माननेवाले श्रोताओं को भी शुद्ध धर्म ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मील सके ।

ईश्वर कर्तृत्व के सम्बन्ध में अब तक के सम्पूर्ण विचारों का उपसंहार करते हुए व्याख्याकार ने अपना अन्तिम अभिमत प्रकट किया है कि—‘समीचीन तर्कों के सम्पर्क से ईश्वर के कर्तृत्व के सम्बन्ध में जो आर्हत सम्मत प्रभावपूर्ण निष्कर्षे प्रस्तुत किया गया है, उस से जिन मनुष्यों का मन हृष्ट और विस्मय से उत्फुल्ल नहीं होता वे निःसंदेह हृदय की मलीनता से ग्रस्त हैं अर्थात् उनका हृदय यथार्थ वस्तु को ग्रहण करने के अयोग्य है । हम आर्हतों के तो एकमात्र वही देवाधिदेव आधय है—स्वर्गस्थ देवताओं की सम्पत्ति जिन के सुख समुद्र के आगे बिन्दु के समान है ॥१७॥

[ईश्वरकर्तृत्ववाद समाप्त]



वार्तान्तरमाह-

सूलम्-प्रधानोऽद्वमन्ये तु मन्यन्ते सर्वमेव हि ।

महदादिक्रमेणेह कार्यजातं विपश्चितः ॥१८॥

अन्ये तु विपश्चितः=सांख्याः इह=सामग्रीविचारे, सर्वमेव हि कार्यजातं महदादि-
क्रमेण प्रधानोऽद्वं मन्यन्ते ।

तथाहि-तेषां पञ्चविंशतिस्तत्त्वानि, तत्राऽकारणं अकार्यं च कूटस्थनित्यचैतन्यरूप
आत्मा । प्रकृतिरचेतना, महदाद्युत्पादकाऽशेषशक्तिप्रचिता, आदिकारणम्, परिणामिनी च ।
तदभावे हि परिमितं व्यक्तं न स्यात्, तथोत्पादकहेत्वभावात् । न च स्याद् भेदा-
नामन्ययः, तन्मयकारणप्रभवत्वं विना तज्जातिमत्कार्यानुपलब्धेः । न च बुद्धिरेव कार्यधर्मानु-
विधायिनी, असाधारणत्वात् अनित्यत्वाच्च । न च महदादिहेतुशक्तिप्रवृत्तिः स्यात् । न हि
पटादिजननी शक्तिस्तन्तुवायादिकमाधारं विना प्रवर्तते । तथा, कारण-कार्यविभागोऽपि न
स्यात्, महदादौ कार्यत्वव्यवहारस्य संवन्धिसापेक्षत्वात् । न च स्यात् क्षीरावस्थायां क्षीरं दध्न
इव प्रलये भूतादीनां तन्मात्रादिक्रमेणाऽविवेकरूपोऽविभाग इति प्रकृतिसिद्धिः । तदुक्तम्—

१८ वीं कारिका से सांख्यदर्शन के सिद्धान्त का विचार प्रस्तुत किया गया है । कारिका का मर्य
इस प्रकार है—

[सांख्यदर्शन के सिद्धान्त]

सांख्य शास्त्र के वेत्ता अन्य विद्वान् सम्पूर्ण कार्यों को महत तत्त्व आदि के क्रम से प्रकृति से
उत्पन्न मानते हैं । उन का कहना है—जिन तत्त्वों से जगत् का विस्तार होता है उन की संख्या पच्चीश
है । उन में दो तत्त्व सबप्रेक्षया मुख्य हैं । जिन में एक तत्त्व वह है जिसे आत्मा कहा जाता है, वह
कूटस्थ-निर्विकार नित्य चैतन्यरूप है । वह न किसी का कारण होता है और न किसी का कार्य होता
है । और दूसरा तत्त्व वह है जिसे प्रकृति कहा जाता है, वह अचेतन होती है और महत तत्त्वादि
अन्य २३ तत्त्वों को उत्पन्न करने की शक्ति से सम्पन्न होती है । वह सब का आदि कारण है और उस
में महत्त्व आदि रूपों में परिणत होने की योग्यता रहती है । उसे मानना अति आवश्यक है क्योंकि
(१) उस के अभाव में परिमित एवं व्यक्त जगत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसे उत्पन्न करनेवाला
द्वूसरा कोई हेतु नहीं है । (२) उसे मानने को आवश्यकता इसलिए भी है जिस से विभिन्न कार्यों में
एकरूपता हो सके, क्योंकि कार्यों की उत्पत्ति यदि एक सदृश कारण से न होगी तो कार्यों में कारण के
द्वारा एकजातीयता को उपलब्धि न हो सकेगी । यहाँ एकरूपता का कार्य बुद्धि यानी महत तत्त्व से नहीं
सम्पन्न हो सकता है क्योंकि वह बुद्धि सम्पूर्ण कार्यधर्मों का अनुविधान नहीं कर सकती, इसका कारण-
वह सर्वसाधारण नहीं होती और स्वयं अनित्य होती है । (३) प्रकृति तत्त्व मानने का यह भी आधार
है कि प्रकृति के अभाव में महत्तत्व आदि कारण शक्तियों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कारण
शक्तियों की प्रवृत्ति किसी एक सामान्य आधार द्वारा ही होती है । जैसे पट आदि को उत्पन्न करने
वाली तुरी वेमा आदि शक्तियां तनुवाय रूपी आधार के विना नहीं प्रवृत्त होती । (४) यह भी कारण

“भेदानां परिमाणात् समन्वयान्छक्षितसंप्रवृत्तेश्च ।

कारण-कार्यविभागादविभागाद् वैश्वरूप्यस्य ॥१॥” (सांख्यकारिका १५) इति ।

न चाऽसदेव महदादिकमुत्पद्यताम्, किं तत्समन्वयार्थं प्रकृत्यनुसरणे ? इति वाच्यम्, असतोऽनुत्पत्तेः । तदुक्तम्-

“असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् ।

शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत् कार्यम् ॥” [सां० का० १]

असतः शशविपाणादेः सत्त्वस्य कर्तुं मशक्यत्वात् सत एव हि सत्कारणम्, तद्वर्मत्वात्, दृष्टं च तिलेषु सत एव तैलस्य निष्पीडनेन करणम्, असतस्तु करणे न निर्दर्शनम् । न च विद्यमानप्रागभावप्रतियोगित्वरूपस्याऽसत्त्वस्य विद्यमानत्वरूपस्य च सत्त्वस्य न विरोध इति साम्प्रतम्, लाघवादविद्यमानत्वस्यैवाऽसत्त्वरूपत्वात्, तेनैव सर्वत्राऽनुगताऽसत्त्वच्यवहारात् ।

है कि प्रकृति के अभाव में कार्य और कारण का विभाग भी नहीं हो सकता क्योंकि कार्यत्व का व्यवहार कारण-सापेक्ष होता है । अतः यदि महत तत्त्व आदि का कोई कारण न होगा तो उन में कार्यत्व का व्यवहार नहीं हो सकेगा । (६) प्रकृतितत्त्वसमर्थक यह भी एक तर्क है कि प्रकृति के अभाव में प्रलयावस्था में भूत आदि कार्यों का तन्मात्र आदि के क्रम से एक कारणावस्था में अविभाग-अविवेक-अपार्थक्य न हो सकेगा जिस का होना, ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार दुर्घट की अवस्था में दुरघट और दवि का अविभाग होता है ।

प्रकृति के अस्तित्व के समर्थन में कहे गये इन समस्त हेतुओं को ईश्वरकृष्ण ने अपने ‘सांख्यकारिका’ नामक ग्रन्थ में १५ वीं कारिका से अभिहित किया है । जिस का यह अथ है कि कार्यों के परिमित होने से और कारण के साथ अन्वय होने से और कारण शक्तियों की प्रवृत्ति होने से तथा कारण-कार्य का विभाग होने से और संपूर्ण कार्यों का एक कारणावस्था में अविभाग होने से प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है ।

[सत्कार्यवाद में हेतुपञ्चक]

यह शका हो सकती है कि— महत्त्वादि कार्यों की उत्पत्ति के पूर्व असत् की ही उत्पत्ति मानी जाय तो कारण में पूर्व से ही उस के अन्वय की आवश्यकता न होगी । अतः उस के लिये प्रकृति के अस्तित्व की कल्पना अनावश्यक है’ किन्तु यह शब्दङ्का उचित नहीं है क्योंकि असत् की उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि ईश्वरकृष्ण ने ‘असदकरणात्०’ इस कारिका में स्पष्ट किया है । कारिका का आशय यह है कि जो असत् पदार्थ हैं उन को अस्तित्व में आते हुए आज तक कभी नहीं देखा गया । हस्तलिये प्रथमतः सत्पदार्थ ही होता है । अतः असत्पदार्थ न कारण ही होता, न कार्य ही होता है । कार्य कारण का धर्म होता है । असत् मानने पर वह कारण का धर्म नहीं हो सकता । अतः उसे उत्पत्ति पूर्व में भी कारण में सत् मानना आवश्यक है । यह देखा भी जाता है कि तिल में प्रथमतः विद्यमान ही तैल का तिल-पेषण करने पर प्रादुर्भाव होता है । असत्पदार्थ की उत्पत्ति होने का कोई भी दृष्टान्त नहीं है ।

यदि यह कहा जाय कि—‘कार्य का उत्पत्ति के पूर्व में जो अस्तित्व होता है वह विद्यमान प्रागभाव का प्रतियोगित्वरूप होता है और उत्पत्ति होने पर जो उस का सत्त्व होता है वह विद्यमानत्वरूप होता है । अतः इस प्रकार के अस्तित्व और सत्त्व में कोई विरोध नहीं है । पूर्वकाल में जिस का प्राग-

तथा, उपादानग्रहणादपि सत् कार्यम्, अन्यथा 'शालिफलार्थिनः शालिवीजस्यैवोपादानम्, न कोद्रववीजादेरि'ति प्रतिनियमानुपपत्तेः, फलाऽयोगस्योभयत्राऽविशेषात् । 'उपादानेन ग्रहणं संबन्धस्ततोऽसतः संबन्धाभावात्' ! हत्यन्ये । तथा, सर्वसंभवाऽभावात् सत् कार्यम्, असतः कारणेऽमंवद्वाऽविशेषे सर्वं सर्वस्माद् मवेत्, न चैवम्, तस्मात् कार्यं प्रागुत्पत्तेः कारणेन सह संबद्धम् । यथाहुः—

“असत्त्वाद् नास्ति संबन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिभिः ।

असंबद्धेषु चोत्पत्तिभिन्नतो न व्यवस्थितिः ॥१॥” इति । []

भाव रहा उत्तरकाल मे उस का भाव मानने मे कोई असङ्गति नहीं है । एक काल मे ही किसी वस्तु का भावभाव विरुद्ध हो सकता है, भिन्नकाल मे नहीं । शशसींग का दृष्टान्त असत् को अनुत्पत्ति वताने मे उचित नहीं हो सकता । क्योंकि शशसींग का प्रागभाव न होकर सार्वदिक अभाव होता है, प्रागभाव उसी का होता है-वाद मे कभी जिस का भाव सम्भव हो ।-तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि असत्त्व को विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगित्वरूप मानने मे गोरव है अतः अविद्यमानत्व अर्थात् सपूर्णकाल मे अभाव को ही असत्त्वरूप मानना लाघव के कारण उचित है । उसी से सर्वत्र अपत्त्व के अनुगत व्यवहार की उपपत्ति हो सकती है । अत शशसींग मे सार्वदिक अभाव से असत्त्व व्यवहार का और कार्यों मे प्रागभावप्रतियोगित्वरूप असत्त्व से असत्त्व व्यवहार का उपादान करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर व्यवहार की अनुगतरूपता का भङ्ग हो जाता है ।

कार्यविशेष के लिये कारणविशेष को ही नियमित रूप से ग्रहण किया जाता है । इसलिये भी उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अस्तित्व मानना आवश्यक है । यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व असत् होगा तो कार्य के लिये सारे पदार्थ समान होगे । और इस का फल यह होगा कि शालि=उत्तमकोटि का धात्य जिस से उत्कृष्ट कोटि का चावल प्राप्त होता है-उसके लाभ के लिये किसान शालि बीज का ही नियम से उपादान न कर सकेगा । कोद्रव यानी निकृष्ट धात्य के बीज को ग्रहण करने मे भी उस की प्रवृत्ति की प्रसवित हो सकती है । क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व शक्ति का असत्त्व शालिवीज और कोद्रव के बीज दोनों मे समान है । तो फिर क्या कारण है कि किसान शालि के लाभ के लिये शालि बीज का ही उपादान करे और कोद्रव के बीज का उपादान न करे । उत्पत्ति के पूर्व कारण मे कार्य का अस्तित्व मानने पर इस प्रश्न का समाधान सुकर होता है । वह इस प्रकार कि शालि शालिबीज मे प्रथमतः रहता है और कोद्रव के बीज मे नहीं रहता है इसलिये किसान समझता है कि शालिबीज से ही शालि का लाभ हो सकता है कोद्रव के बीज से नहीं । अतः वह शालि लाभ के लिये शालि बीज को ही ग्रहण करता है न कि कोद्रवबीज को ।

[उपादान और कार्य के सम्बन्ध को अनुपपत्ति

अन्य विद्वान कारिका मे आये 'उपादानग्रहण' शब्द का अर्थ उपादान के साथ कार्यसम्बन्ध बताकर उससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व असत् माना जायगा तो कारण के साथ उस का सम्बन्ध न हो सकेगा । क्योंकि सम्बन्ध सत्पदार्थों मे ही होता है । असत् और सत् का सम्बन्ध नहीं होता । कार्य को उत्पत्ति के पहले सत् मानना इसलिये भी आवश्यक है

तथा, अशक्तस्य जनकत्वेऽतिप्रसङ्गाच्छक्तस्य जनकत्वं वाच्यम्, शक्तिश्वास्य न सर्वत्र, तथैवाऽतिप्रसङ्गात्, किन्तु व्यचिदेव, इति कथमसति कार्ये कारणस्य शक्तिर्नियता स्यात्, असतो विषयत्वाऽयोगात् । तस्मात्, कारणात् प्रागपि शक्यं सदेव । तथा कारणभावात्=कारणतादात्म्यादपि सत् कार्ये, नाऽवयवी अवयवेभ्यो मिद्यते, तथाप्रतीत्यभावात्; ‘कपालं घटीभूतम्, तन्तुः पटीभूतः, स्वर्णं कुण्डलीभूतम्’ इत्यादिप्रतीतेः । तस्माद् महदादिकार्यस्योत्पत्तेः प्रागपि यत्र सत्त्वं सा प्रकृतिः ।

कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति नियत पदार्थ से ही होती है सब पदार्थों से उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु यदि पदार्थ से असत्कार्य की उत्पत्ति होगी तो यह मानना होगा कि पदार्थ अपने से असम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करता है, ऐसी स्थिति में किसी नियत पदार्थ से ही कार्य की उत्पत्ति न होकर तंपूर पदार्थों से सभी कार्य की उत्पत्ति का प्रसङ्ग होगा, क्योंकि कार्य जैसे किसी एक नियत पदार्थ से असम्बद्ध होता है उसोप्रकार सभी पदार्थों से असम्बद्ध होता है । इसलिये इस बात में कोई व्यवस्था न हो सकेगी कि अनुक कार्य अमुक पदार्थ से ही उत्पन्न हो और अन्य से न हो । किन्तु कार्य को उपति के पूर्व सत् मानने पर यह सङ्कृट नहीं उपस्थित हो सकता, क्योंकि तब कहा जा सकता है— तत्त्वकार्य का तत्त्वपदार्थ के ही साथ सम्बन्ध होता है सब पदार्थों के साथ नहीं होता और पदार्थ का यह स्वभाव है कि वह सम्बद्ध कार्य का ही उत्पादक होता है असम्बद्ध का नहीं, अतः सब पदार्थों से सब कार्यों की उत्पत्ति का आपादन नहीं हो सकता । जैसा कि कहा गया है कि—

‘उत्पत्ति के पूर्व कार्य का असत्त्व मानने पर सत् कारणों के साथ असत् कार्य का सम्बन्ध न हो सकेगा । और यदि असम्बद्ध पदार्थों से ही कार्य की उत्पत्ति मानी जायगी तो अमुक पदार्थ ही में अमुक कार्य की उत्पत्ति हो अन्य में न हो यह ध्यवस्था नहीं बन सकती ।’

उत्पत्ति के पूर्व कार्य को सत् इसलिये भी मानना आवश्यक है कि जो पदार्थ जिस कार्य के उत्पादन की शक्ति से शून्य होता है उस से उस कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है किन्तु जिस पदार्थ में जिस कार्य के उत्पादन की शक्ति होती है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है, और तत्त्वकार्य के उत्पादन की शक्ति सर्वत्र न होकर नियत पदार्थों में ही होती है । किन्तु यह बात उत्पत्ति के पूर्व कार्य को सत् मानने पर ही बन सकती है असत् मानने पर नहीं, क्योंकि असत् वस्तु किसी पदार्थ की शक्ति नहीं हो सकती है । क्योंकि शक्य-शक्तभाव भी एक प्रकार का सम्बन्ध ही है । अत एव वह सत् पदार्थों के ही बीच सम्भव हो सकता है, सत् और असत् के बीच सम्भव नहीं हो सकता । उत्पत्ति के पूर्व कार्य को सत् मानना इसलिये भी आवश्यक है कि उस में कारण का तादात्म्य होता है । यदि वह असत् होगा तो उस में कारण का तादात्म्य न हो सकेगा क्योंकि सत् और असत् प्रकाश और अन्धकार के समान अत्यन्त विलक्षण है, अत एव उन में तादात्म्य कथमपि सभव नहीं हो सकता ।

यदि यह कहा जाय कि— कार्य अवयवी होता है और कारण उस का अवयव होता है अतः कार्य में कारण का तादात्म्य मानना असङ्गत है । अतः कार्य में कारण का तादात्म्य बता कर उसके द्वारा उत्पत्ति के पूर्व कार्य के सत् होने का समर्थन करना उचित नहीं हो सकता—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि अवयव-अवयवी में अवयवों की भिन्नता की प्रतीति न होने से अवयवी में अवयवों का भेद

ततो बुद्ध्यपरनामकं महत्तत्त्वमुत्पद्यते, न हि चैतन्यस्य स्वभावतो विषयावच्छिन्नत्वम् ,
अनिर्मोक्षापत्तेः । नापि प्रकृत्यधीनं तत् , तस्या अपि नित्यतया तदोपानुद्धारात् । नापि घटादि-
रेवाऽहत्य चैतन्यावच्छिन्नः, दृष्टाऽदृष्टतत्त्वानुपपत्तेः । न चेन्द्रियमात्रापेक्षो घटादिचैतन्यावच्छेदः,

स्वीकार्यं नहीं हो सकता । अपितु 'कपाल घट हो गया, तनु पट हो गया, सुवर्णं कुण्डल हो गया' इन
सार्वजनिक प्रतीतियों के अनुरोध से अवयव और अवयवी का तादात्म्य ही सिद्ध होता है । इन सब
युक्तियों का निष्कर्ष यह है कि महत्तत्त्वादि पदार्थं कार्यं है अत एव उत्पत्ति के पहले उनका अस्तित्व
मानना आवश्यक है और यह अस्तित्व किसी आधार में ही हो सकता है । अतः महदादि कार्य अपनी
उत्पत्ति से पूर्व जिस आधार में विद्यमान होंगे उसी का नाम प्रकृति है । इस प्रकार सत्कार्यवाद की
उपपत्ति के लिये प्रकृति का अस्तित्व मानना अनिवार्य है ।

[महत्तत्त्व से चैतन्यावच्छेद और श्वासादि का नियमन]

प्रकृति से महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है जिसका दूसरा नाम बुद्धि है । इसी के द्वारा चैतन्य-
स्वरूप पुरुष के साथ विषयावच्छिन्नत्व लक्षण विषय का सम्बन्ध बनता है । यदि उस का अस्तित्व
न माना जायगा तो पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध स्वाभाविक मानना होगा और उस स्थिति
में विषय और पुरुष का सम्बन्ध विच्छेद न हो सकने से पुरुष का कभी मोक्ष न हो सकेगा । और
अनित्यबुद्धि की सत्ता स्वीकार कर उसके द्वारा पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध मानने पर बुद्धि
की निवृत्ति होने पर विषय के साथ पुरुष के सम्बन्ध का विच्छेद संभव होने से पुरुष के मोक्ष में कोई
वाधा नहीं हो सकती । बुद्धि का अस्तित्व न मानकर पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध यदि प्रकृति-
द्वारा माना जाय तो पुरुष और विषय का सम्बन्ध स्वाभाविक तो नहीं होगा किन्तु उसका उच्छेद
इस पक्ष में भी न हो सकेगा, क्योंकि प्रकृति नित्य है । अतः उसकी निवृत्ति कभी भी संभवित न होने
से उसके द्वारा पुरुष के साथ विषय का जो सम्बन्ध होगा उसकी भी कभी निवृत्ति न हो सकेगी ।
फलतः इस पक्षमें भी पुरुष का मोक्ष न हो सकेगा ।

यदि यह कहा जाय कि-'चैतन्यस्वरूप पुरुष के साथ घटादि विषयों के सम्बन्ध को किसी
अन्य के द्वारा न मानकर सीधे विषयप्रयुक्त ही माना जाय तो यह आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि
विषयों के अनित्य होने से पुरुष के साथ उसका सम्बन्ध भी अनित्य होगा और विषयों की निवृत्ति
होने पर उस सम्बन्ध की निवृत्ति हो जाने से पुरुष का मोक्ष होने में कोई वाधा न होगी-'। किन्तु
यह ठीक नहीं है क्योंकि चैतन्य के साथ विषयों का अन्यनिरपेक्ष सम्बन्ध मानने पर सभी विषय
चैतन्य से सम्बद्ध होंगे, अतः विषयों में दृष्ट-अदृष्ट का भेद न हो सकेगा । अर्थात् जितने विषय एक
काल में विद्यमान होंगे वे सब चैतन्य से स्वतः सम्बद्ध होने के कारण दृष्ट ही होंगे । उनमें कोई अदृष्ट
न हो सकेगा जबकि स्थिति यह है कि जब एक वस्तु दृष्ट होती है तब दूसरी वस्तु अदृष्ट रहती है ।
जैसे घटादि के दर्शनकाल में पटादि अदृष्ट रहता है । यदि यह कहा जाय कि-'चैतन्य के साथ
घटादि विषयों का सम्बन्ध इन्द्रिय द्वारा मानने से इस आपत्ति का परिहार हो सकता है, क्योंकि
इन्द्रिय के अव्यापक होने से उसके द्वारा सभी विषयों का चैतन्य के साथ एकसाथ सम्बन्ध न हो
सकेगा । अतः जिस समय जो विषय इन्द्रिय द्वारा चैतन्य से सम्बद्ध होगा उस समय वही विषय दृष्ट'

व्यासङ्गानुपपत्तेः । अतो यत्संबद्धेन्द्रियस्य विषयचैतन्यावच्छेदनियामकत्वम् , यद्वयापाराच्च सुषुप्ताविन्द्रियादिव्यापारविरतावपि थास-प्रश्वासादि, तद् महत्तत्त्वम् । तस्य धर्मा ज्ञाना-ज्ञानै-श्वर्या-इन्द्रेश्वर्य-वैराग्या-इवैराग्य-धर्मा-धर्मरूपा अष्टौ, बुद्धि-सुखदुखेच्छा-द्वेष-प्रयत्ना अपि, भावनायास्तैरनङ्गीकारात् , अनुभवस्यैव स्मृतिपर्यन्तं सूक्ष्मरूपतयाऽवस्थानात् । तस्य ज्ञानरूप-परिणामेन संबद्धो विषयः, पुरुषस्य स्वरूपतिरोधायकः । एवं च बुद्धितत्त्वनाशादेव पुंसो विषयावच्छेदाभावाद् मोक्षः । भेदाऽग्रहाच्च ‘चेतनोऽदं करोमि’ इत्यध्यवसायः, अचेतनप्रकृति-कार्याया बुद्धेश्चैतन्याभिमानानुपपत्त्यैव स्वाभाविकचैतन्यरूपस्य पुंसः सिद्धेः । आलोचनं व्या-

होगा अन्य विषय हृष्ट नहीं होगा—’ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर जब किसी इन्द्रिय द्वारा किसी एक विषय का चैतन्य के साथ सम्बन्ध हो जायगा तब विषयान्तर का उस इन्द्रिय द्वारा चैतन्य के साथ सम्बन्ध न हो सकेगा । क्योंकि उस विषय के साथ उस इन्द्रिय के सम्बन्ध का कोई विच्छेदक न होगा । फलतः विभिन्न विषयों में विभिन्न विषयों के साथ इन्द्रिय संपर्क रूप इन्द्रिय का व्यासङ्ग न हो सकेगा । जिसका फल यह होगा कि जब एक वस्तु हृष्ट होगी तो वह अकेली ही सदा हृष्ट होती रहेगी । अन्य वस्तु के हृष्ट होने का अवसर ही न हो सकेगा । और जब बुद्धि द्वारा इन्द्रिय और विषय का एवं विषय और पुरुष का सम्बन्ध माना जायगा तब ये आपत्तियां न होंगी । क्योंकि बुद्धि का इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध और इन्द्रिय का विषय के साथ एवं विषय का चैतन्य के साथ सम्बन्ध होने पर विषय का दर्शन मान्य होगा । अतः इन्द्रिय और विषय तथा इन्द्रिय द्वारा विषय और पुरुष का सम्बन्ध बुद्धि के अधीन होगा । इसलिये बुद्धि के व्यापार से व्यासङ्ग की उत्पत्ति हो सकेगी और उसी का संपर्क न पाने के कारण इन्द्रिय का व्यापार न हो सकने से सुषुप्ति हो सकेगी और उस समय उसी के व्यापार से थास-प्रश्वास आदि क्रियाएं भी हो सकेगी । इसलिए विषयों की हृष्टता और अहृष्टता तथा सुषुप्ति एवं सुषुप्ति के समय इवासप्रश्वासादि और पुरुष के मोक्ष की उपपत्ति के लिये बुद्धि=महत् तत्त्व को मानना अनिवार्य है ।

[बुद्धिगत धर्मों का निरूपण]

इस बुद्धि में आठ धर्म रहते हैं । जैसे ज्ञान-अज्ञान, ऐश्वर्य-अनैश्वर्य, वैराग्य-अवैराग्य, धर्म-अधर्म । इनके अतिरिक्त बुद्धि में सुख-दुःख इच्छा, द्वेष और प्रयत्न भी होते हैं । मावना पदार्थ साहृदय दर्शनों के विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है । अतः बुद्धि महत्तत्व में मावना का अस्तित्व नहीं माना जा सकता । साड़े य सत में अनुभव ही सूक्ष्मरूप से स्मृति पर्यन्त रहता है । अतः सूक्ष्मावस्थापन्न अनुभव से अतिरिक्त मावना=संस्कार मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती । महत्तत्व का इन्द्रियादि द्वारा विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर उसका विषयाकार परिणाम होता है जिसे ज्ञान तथा बुद्धि की वृत्ति कहा जाता है । इस ज्ञान के द्वारा ही विषय पुरुष से सम्बद्ध होकर पुरुष के स्वरूप को आवृत करता है । विषयों द्वारा इस प्रकार होनेवाला पुरुष का आवरण ही उसका बन्धन है । एवं महत्तत्व का नाश होने पर अर्थात् महत्तत्व का मूलप्रकृति में तिरोधान होने पर बुद्धि के विषयाकार परिणामरूप ज्ञान की निवृत्ति होने से पुरुष के साथ विषयों का सम्बन्ध बन्द हो जाता है । इस प्रकार विषयों से पुरुष के स्वरूप का तिरोधान बन्द हो जाने से पुरुष का मोक्ष सम्पन्न होता है ।

पार इन्द्रियाणाम् , विकल्पस्तु मानसः, अभिमानोऽहङ्कारस्य कृत्यध्यवसाये बुद्धेः, सा हि बुद्धिरंशत्रयवती, पुरुषोपरागः, विषयोपरागः, व्यापारावेशश्च इत्यंशाः । भवति हि 'ममेदं कर्तव्यम्' इति बुद्ध्येरध्यवसायः । तत्र 'मम' इति पुरुषोपरागः दर्पणस्येव मुखोपरागः, भेदाऽग्रहादतात्त्विकः । 'इदम्' इति विषयोपरागः, इन्द्रियप्रणालीकया परिणतिभेदो दर्पणस्येव मुखनिश्चासहतस्य मलिनिमोपरागस्तात्त्विकः । तदुभयोपपन्नौ व्यापारावेशोऽपि । तत्र विषयोपरागलक्षणज्ञाने पुरुषोपरागस्याऽतात्त्विकम्बन्धो दर्पणत्रिविम्बितस्येव मुखस्य तन्मलिनिम्नेति ।

[पुरुष और बुद्धि का तात्त्विक भेद]

बुद्धि और पुरुष में अत्यन्त भेद है । किन्तु उसका अज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है और उसी कारण बुद्धि को 'चेतनोऽहं करोमि' में चेतन करता है । इस प्रकार का अध्यवसाय होता है । सच वात यह है कि इस अध्यवसाय की उपपत्ति के लिये ही स्वामाविक चैतन्यरूप पुरुष का अस्तित्व मानना आवश्यक होता है । यदि उसे न माना जायेगा तो उक्त अध्यवसाय के रूप में बुद्धि से चेतन्य का अभिमान न हो सकेगा । क्योंकि बुद्धि अचेतन प्रकृति से उद्भूत होने के कारण स्वयं अचेतन होती है । उक्त अध्यवसाय तीन व्यापारों से सम्पन्न होता है—इन्द्रिय व्यापार, ननोव्यापार और अहङ्कार व्यापार । इन्द्रिय व्यापार का नाम है आलोचन और मनोव्यापार का नाम है विकल्प एवं अहङ्कार व्यापार का नाम है अभिमान । आशय यह है कि इन्द्रिय से वस्तु का आलोचन होता है । और मन से उसका विकल्पन यानी विशिष्टबोध एवं अहङ्कार से उसके कर्तृत्व का अभिमान होता है । और इन तीनों के सम्पन्न होने पर बुद्धि से 'चेतनोऽहं करोमि' इस प्रकार कृति का अध्यवसाय उत्पन्न होता है ।

(पुरुष-विषय व्यापार का बुद्धि सम्बन्ध)

बुद्धि में तीन अर्थ होते हैं । जिन्हें पुरुषोपराग, विषयोपराग और व्यापारावेश कहा जाता है । पुरुषोपराग का अर्थ है पुरुषसम्बन्ध, विषयोपराग का अर्थ है विषयसम्बन्ध एवं व्यापारावेश का अर्थ है व्यापार सम्बन्ध । जैसे 'ममेदं कर्तव्यम्=यह मेरा कर्तव्य है' इस प्रकार का अध्यवसाय बुद्धि को होता है । इस अध्यवसाय से बुद्धि के उक्त तीनों अंशों का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । जैसे 'मम' से पुरुषोपराग सूचित होता है । यह उपराग बुद्धि और पुरुष से भेदज्ञान न होने से ठीक उसी प्रकार मिथ्या होता है जैसे दर्पण से मुख का प्रतिविम्ब पड़ने के समय दर्पण के साथ मुख का सम्बन्ध मिथ्या होता है । 'इद' से बुद्धि के साथ विषयोपराग सूचित होता है । बुद्धि के साथ विषय का यह सम्बन्ध इन्द्रिय द्वारा विषयाकार बुद्धि का परिणाम रूप है यह ठीक उसी प्रकार सत्य होता है जैसे दर्पण पर मुख के निःश्वास का आघात होने पर उसके साथ मलिनता का सम्बन्ध । यह सर्व द्विदित है कि दर्पण से प्रतिविम्बित मुख का निःश्वास जब दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण वास्तवरूप से मलिन हो जाता है । बुद्धि के साथ पुरुष और विषय का उपराग होने पर उस में व्यापारावेश अर्थात् कृति का सम्बन्ध भी सम्पन्न हो जाता है । असी यह कहा गया है, कि विषयोपराग विषयाकार बुद्धि का परिणाम रूप है जिसे ज्ञान कहा जाता है । बुद्धि के साथ उसका सम्बन्ध सत्य है । बुद्धि का पुरुष के साथ भेदज्ञान न होने से बुद्धिगत इस ज्ञानात्मक विषयोपराग का पुरुष के साथ भी सम्बन्ध होता है किन्तु यह सम्बन्ध सत्य न होकर यह ठीक उसी प्रकार मिथ्या होता है जैसे मुख के निःश्वास से दर्पण में उत्पन्न नजिनंदा का दर्पण में प्रतिविम्बित मुख के साथ सम्बन्ध मिथ्या होता है ।

ततो महत्तच्चादहङ्कारोत्पत्तिः । भवति हि स्वप्नावस्थायाँ ‘व्याघ्रोऽहम्, वराहोऽहम्’ इत्यभिमानः, न तु ‘नरोऽहम्’ इत्यभिमानः । अस्ति च तत्र नरत्वं संनिहितमिन्द्रिय मनः-संबन्धश्च । अतो नियतविषयाभिमानव्यापारकाऽहङ्कारसिद्धिः ।

ततः पञ्च तन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि च । पञ्च तन्मात्राणि शब्द रूप-रस-गन्ध-स्पर्शः सूक्ष्मा उदात्तादिविशेषरहिताः । एकादशेन्द्रियाणि च-चक्षुः, श्रोत्रम्, ग्राणम्, रसनम्, त्वगिति पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि; वाक्-पाणि-पाद-पायूपस्थाः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनश्चेति । पञ्च-

[स्वप्न में “मैं वाघ हूँ” इस प्रतीति का उपपादक श्रहंकार]

महत् तत्त्व का ‘चेतनोऽह करोमि’ एवं ‘ममेद कर्तव्यं’ इन अध्यवसायों द्वारा परिचय दिया गया है । और प्रकृति से उस की उत्पत्ति का भी युक्तिपूर्वक समर्थन किया गया है । अभी यह बताना है कि महत्तत्त्व से श्रहङ्कारनामक तीसरे तत्त्व की उत्पत्ति होती है । इस श्रहङ्कार का भी अस्तित्व मानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि स्वप्न की अवस्था में मनुष्य को यदा कदा इस प्रकार का अभिमान होता है ‘अहं व्याघ्रः अहं वराहः न तु नरः’ मैं व्याघ्र हूँ, मैं शूकर हूँ मनुष्य नहीं हूँ’ । इस अनुभान के समय नरत्व सन्निहित रहता है और इन्द्रिय-मन का सम्बन्ध भी सन्निहित रहता है । किन्तु व्याघ्रत्व या वराहत्व असन्निहित रहता है और उस के साथ इन्द्रिय और मन का सम्बन्ध भी नहीं रहता फिर भी उस का अभिमान होता है इसकी उपपत्ति इन्द्रिय और मन के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि व्याघ्रत्व एवं वराहत्व के असन्निहित होने से उस के साथ इन्द्रिय और मन का सम्बन्ध ही नहीं रहता फिर भी उस का अभिमान होता है । इस की उपपत्ति इन्द्रिय और मन के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि व्याघ्रत्व एवं वराहत्व के असन्निहित होने से उस के साथ इन्द्रिय और मन का सम्बन्ध ही नहीं रहता । और यह नियम है कि ‘इन्द्रिय और मन सम्बद्धस्तु का ही ग्रहण कराने में समर्थ होते हैं’ । अतः इस अभिमान को उपपन्न करने के लिये श्रहङ्कार का अस्तित्व मानने पर अभिमान की उत्पत्ति सुकर हो जाती हैं क्योंकि जाग्रतकाल में मनुष्य को व्याघ्रत्व वराहत्वादि का अनुभव होता है वह सूक्ष्मावस्था में श्रहङ्कार से स्थित हो जाता है । स्वप्नावस्था द्वारा उस सूक्ष्मरूप से स्थित अनुभव का उद्घोषन होने से व्याघ्रत्व वराहत्व के उक्त अभिमान का उदय होता है । जाग्रत-कालिन उक्त अनुभव का बुद्धि में सूक्ष्मावस्थान मान कर स्वप्नावस्था में उस का उद्घोषन होकर बुद्धि में ही उक्त अभिमान रूप व्यापार का उदय नहीं माना जा सकता क्योंकि बुद्धि इन्द्रिय आदि द्वारा विषयों से सम्बद्ध होकर ही ज्ञानात्मक परिणाम को उत्पन्न करती हैं किन्तु श्रहङ्कार को अपने उक्त अभिमानात्मक व्यापार को उत्पन्न करने के लिये इन्द्रिय एवं विषयादि की अपेक्षा नहीं होती । अतः स्वप्नावस्था में श्रहङ्कार द्वारा ही उक्त अभिमान की उपपत्ति हो सकती है । अतः उक्त अभिमान के निर्वाहार्थ श्रहङ्कार का अस्तित्व मानना अनिवार्य है ।

इस श्रहङ्कारनामक तीसरे तत्त्व से पञ्च तन्मात्रा और ग्यारह इन्द्रिय इन सोलह तत्वों की उत्पत्ति होती है । तन्मात्रा का अर्थ ‘तदेव इति तन्मात्रं’ इस व्युत्पत्ति से इस प्रकार की वस्तु है जिस का एक ही स्वरूप होता है । जिस में अवान्तर घर्मों का सम्बन्ध नहीं होता जैसे सूक्ष्म शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्श । सूक्ष्मशब्द में उदात्त-अनुदात्तादि का भेद न होने से वह सुद्धशब्द मात्र स्वरूप होने से शब्द-तन्मात्र कहा जाता है । सूक्ष्म रूप भी नीलत्व पीतत्वादि भेदों से शून्य होने के कारण रूपतन्मात्र कहा

तन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतान्युत्पद्यन्ते । तथाहि-शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्, शब्दतन्मात्रसहितात् स्पर्शतन्मात्राद् वायुः शब्द-स्पर्शगुणः, शब्द-स्पर्शतन्मात्रसहिताद्रूपतन्मात्रात्तेजः शब्द-स्पर्शरूपगुणं, शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूपरसगुणाः, शब्द-स्पर्शरूपरसतन्मात्रसहिताद् गन्धतन्मात्रात् शब्द-स्पर्शरूपरस-गन्धगुणा पृथिवीति । तदुक्तमीश्वरकृष्णोन-

“प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद् गणश षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात् पञ्चेभ्यः पञ्च भूतानि ॥ [सं० का० २२] ॥

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृति-विकृतयः सप्त ।

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥ [सं० का० ३] इति ।

जाता है । सूक्ष्म रस मधुरता कदुता अम्लता आदि भेदों से शून्य होने के कारण रसतन्मात्र कहा जाता है । सूक्ष्म गन्ध सुरभित्वाऽसुरभित्व भेदों से रहित होने के कारण गन्धतन्मात्र कहा जाता है एवं सूक्ष्म स्पर्श शीतत्व उष्णत्वादि भेदों से रहित होने के कारण स्पर्शतन्मात्र कहा जाता है ।

अहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, इन के तीन वर्ग हैं । ^१ज्ञानेन्द्रिय, ^२कर्मेन्द्रिय और ^३उभयेन्द्रिय ।

चक्षु, श्रोत्र, द्वाण, रसन और त्वक् ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं । वाक्, पाणि, पाद, पायु (मलेन्द्रिय) उपस्थ (मूलेन्द्रिय) ये पाँच कर्मेन्द्रिय हैं । एवं मन उभयेन्द्रिय है, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों की उत्पत्ति में इस की आवश्यकता होती है । पंच तन्मात्रों से पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति होती है—जैसे शब्द तन्मात्र से शब्दगुणवाले आकाश की, एवं शब्दतन्मात्र से सहित स्पर्शतन्मात्र से शब्द और स्पर्श गुणवाले वायु की, शब्दतन्मात्र और स्पर्शतन्मात्र सहित रूपतन्मात्र से शब्द-स्पर्श-रूपगुण वाले तेज की, शब्द-स्पर्श-रूप-रस तन्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चार गुणवाले जल की तथा शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्र से सहित गन्धतन्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप रस और गंध ये पाँच गुणवाली पृथिवी की । जैसा कि ईश्वरकृष्णने अपनी ‘प्रकृते. महात्’ एवं ‘मूलप्रकृति०’ आदि कारिकाओं में कहा है, कारिकाओं का अर्थ इस प्रकार है—

प्रकृति से महत की और महत से अहङ्कार की, अहंकार से ‘पञ्चतन्मात्र एवं ग्यारह इन्द्रिय’ इन षोडश की, इन षोडश में पाँच तन्मात्रों से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है । इन चौबीस में प्रकृति को मूल प्रकृति कहा जाता है । यह किसी की विकृति नहीं होती अर्थात् उस की किसी से उत्पत्ति नहीं होती । महत, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्र ये सात तत्त्व प्रकृति और विकृति दोनों हैं, अर्थात् ये मूलप्रकृति के कार्य होते हैं और इन में महततत्त्व अहकार का, और प्रहकार पंचतन्मात्र और ग्यारह इन्द्रियों का, और पञ्च तन्मात्र पञ्च महाभूतों का करण होता है । पंच महाभूत और ग्यारह इन्द्रियों ये सोलह कार्य ही होते हैं । ये किसी तत्त्वान्तर का कारण नहीं होते । इन चौबीस तत्त्वों से मिथ एक पुरुपतत्त्व है जिसे आत्मा कहा जाता है, जो प्रकृति और विकृति दोनों से नज़ होता है । अर्थात् वह न किसी का कारण होता है, और न किसी का कार्य होता है । इस प्रकार इन पञ्चवीश तत्त्वों को चार वर्ग में विभक्त किया जा सकता है । ‘अविकृति०=केवल कारणमात्र २प्रकृति विकृति०-कारण कार्य उभयात्मक, ३विकृतिमात्र०-केवल कारणमात्र ४प्रकृतिविकृतिमिथ याती कारणकार्यमिथ०’

पूर्व पोडशकपदेन पञ्चतन्मात्रै-कादशेन्द्रियग्रहणम् , अग्रे तु पञ्चमहाभूतेन्द्रियग्रहणमिति
विशेषः ॥१८॥

इममेव क्रममाह—

मूलम्-प्रधानान्महतो भावोऽहंकारस्य ततोऽपि च ।

अक्षतन्मात्रवर्गस्य तन्मात्राद् भूतसंहतिः ॥१९॥

प्रधानात्=प्रकृतितच्चात् , महतः=बुद्धितत्त्वस्य, भावः=उत्पत्तिः अभिव्यक्तिर्वा, ततोऽपि च, अहङ्कारस्य ‘भाव’ इत्युत्तरत्राप्यनुपज्यते । ‘ततोऽपि’ इत्युत्तरत्राऽवर्त्यते, ततोऽपि अहङ्कार-दपि, अक्षत-तन्मात्रवर्गस्य=एकादशेन्द्रिय-पञ्चमहाभूतानां (१ तन्मात्राणां) भावः, तन्मात्रात्=जात्यपेक्षयैकवचनात् पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः भूतसंहतिः=पञ्चमहाभूतानां भावः ॥१९॥

स्थूलकार्यमधिकृत्याह—

मूलम्-घटाद्यपि पृथिव्यादिपरिणामसमुद्घवम् ।

नात्मव्यापारजं किञ्चित्तेषां लोकेऽपि विद्यते ॥२०॥

घटाद्यपि=स्थूलकार्यजातम् , पृथिव्यादीनां मृदात्मिकानां परिणामाद्=विलक्षणसंयोगादिपरिणामात् समुद्घव उत्पत्तिर्यस्य तत् , परिणामान्तराभ्युपगमात् । विशेषमाह-तेषां=

प्रथमवर्ग में केवल मूल प्रकृति का समावेश होता है । द्वितीयवर्ग में महततत्त्व, अहंकार एवं पंचतन्मात्र का समावेश होता है । तृतीय वर्ग में पचमहाभूत एवं ग्यारह इन्द्रियों का समावेश होता है । चतुर्थ वर्ग में केवल पुरुष का समावेश होता है ।

‘प्रकृतेर्महात्’ इस कारिका मे आये षोडशक शब्द से पञ्चतन्मात्र और एकादश इन्द्रिय का ग्रहण एवं ‘मूलप्रकृति०’ इस कारिका मे आये षोडशक शब्द से पञ्चमहाभूत और ग्यारह इन्द्रिय का ग्रहण अभीष्ट है यह व्यान मे रहना चाहिये ॥१८॥

[प्रधान-महत्-अहंकार-इन्द्रियतन्मात्र-पञ्चभूत का क्रम]

कारिका १८ मे महन आदि तेर्द्दिस तत्त्वों को उत्पत्ति का वही क्रम स्फुट किया गया है जिसका सकेत ईश्वरकृष्ण ने अपनी ‘प्रकृतेर्महात्०’ इस कारिका मे किया है । इस कारिका का अर्थ अति सुगम है जैसे-प्रधान प्रकृतितत्त्व से महत्-बुद्धितत्त्व की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति होती है, और महत् तत्त्व से अहंकार की, अहंकार से अक्षत-ग्यारह इन्द्रिय और पचतन्मात्र को एवं पंचतन्मात्र से पंचमहाभूतों को उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है । कारिका मे ‘तन्मात्र’ शब्द से एकवचन विभक्ति का प्रयोग हुआ है । वह तन्मात्र संख्या की दृष्टि से उचित न होने पर भी, तन्मात्रत्व जाति की दृष्टि से उचित है क्योंकि पाँचों तन्मात्रों में तन्मात्रत्व नाम को एक जाति-एक अनुगत धर्म रहता है ॥१८॥

[सांख्यमत में आत्मा व्यापारशून्य है]

कारिका २० मे स्थूल कार्य की उत्पत्ति और आत्मा के अदारणत्व का उल्लेख है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

सांख्यानाम्, लोकेऽपि=जगत्यपि, आत्मव्यापारजं किञ्चित् किमपि कार्यं नास्ति, आत्म-
व्यापारस्यैवाऽभावात् सुतरां तज्जन्यत्वाभावः । इति सांख्याशयवार्ता ॥२०॥

अत्र प्रतिक्षेपवार्तामाह—

मूलम्-अन्ये तु ब्रुवते ह्येतत्प्रक्रियाभाववर्णनम् ।

अविचायैव तद्युक्त्या, अद्वया गम्यते परम् ॥२१॥

अन्ये तु=असत्कार्यवादिनः ब्रुवते, हि=यतः, एतत्=अनुपदमभिहितम्, प्रक्रिया-
भाववर्णनम्=यद्यच्छावलूपपरिभाषामात्रोपदर्शनम्, न तात्त्विकमेव । तत्=तस्माद् हेतोः,
युक्त्याऽविचायैव, परं=केवलम्, अद्वया=वृद्धोक्तभवत्या, गम्यते=उपादीयते ॥२१॥

कुतः ? इत्याह—

मूलम्-युक्त्या तु वाध्यते यस्मात्प्रधान नित्यमिष्यते ।

तथात्वाऽप्रच्युतौ चास्य महदादि कथं भवेत् । ॥२२॥

घट आदि जितने भी स्थूल कार्यं द्विष्टगोचर होते हैं वे सब पृथ्वी आदि पचम्हाभूतों के मिट्ठी
आदि परिणामों के विलक्षणसयोगादिरूप परिणाम से समुद्भूत होते हैं । उन के लिए किसी अन्यतत्त्व
को आवश्यकता नहीं होती । यह स्वीकार किया गया है कि महाभूतों के ही एक परिणाम से दूसरे
परिणाम की उत्पत्ति होती रहती है, पृथ्वी आदि परिणाम भी तत्त्वरूप नहीं होते, क्योंकि वे किसी
कार्य के उपादान नहीं होते, जो किसी कार्य का उपादान होता है वही तत्त्व वहा जाता है । पृथ्वी
आदि के साक्षात् या परम्परया जितने परिणाम होते हैं उन सबों का उपादान पृथ्वी आदि तत्त्व
ही होता है । उन परिणामों में परस्पर में उपादान-उपादेय भाव न हो कर निमित्त-निमित्तिक
भाव ही होता है । जैसे मृत्तिका घट का उपादान न होकर निमित्त है, उपादान तो दोनों का
पृथ्वीतत्त्व ही है । सांख्यमत में पुरे जगत में कहीं भी आत्मा के व्यापार से किसी कार्य की उत्पत्ति
नहीं होती है, क्योंकि आत्मा में कोई व्यापार ही नहीं होता है और जब उस में कोई व्यापार ही
नहीं होता तो उस का किसी वस्तु का जनक होना किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता, क्योंकि
किसी भी कार्य का जनन करने के लिए कारण को कुछ व्यापार करना पड़ता है अत जो किसी
प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता वह किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता । इसीलिए सांख्य
सिद्धांत में पुरुष को अकारण माना गया है-यह सांख्यमत का प्रतिपादन हुआ ॥२०॥

[युक्ति से सांख्यमत को आलोचना-उत्तरपक्ष]

२१ वीं कारिका में पूर्ववर्णित साख्यमत के खण्डन का उपक्रम किया गया है ।

कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

असत् कार्यवादी विद्वानों का यह कहना है कि सांख्यशास्त्र के अनुसार जगत् और पुरुष के
सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह स्वेच्छा से स्वीकार की गई परिभाषा का प्रदर्शनमात्र है, उस में
कोई प्रामाणिकता नहीं है इस लिये युक्तिपूर्वक विचार न कर केवल उपदेश के प्रति शुद्धश्रद्धा-
मात्र से ही वह उपादेय हो सकता है ॥२१॥

युक्त्या तु वाध्यते, यस्मात् प्रधानं नित्यम्=अप्रच्युताऽनुत्पन्न-स्थिरैकस्वभावम्
इष्यते=सांख्यैरङ्गीक्रियते अस्य-प्रधानस्य, तथात्वाऽप्रच्युतौ च=प्रधानत्वाऽप्रच्युतौ च,
महदादि कथं भवेत् क्ष ! पूर्वस्वभावपरित्यागाऽपूर्वस्वभावोपादानाभ्यामेव हेतु-हेतुमङ्गात्रनिय-
मात्, अङ्गादिपरिणामनाशेनैव कुण्डलादिपरिणामोत्पाददर्शनादिति भावः ॥२३॥

२२ वीं कारिका मे 'सांख्यवर्णित मत कोरी अङ्गात्र से ही क्यो उपादेय है' इस को स्पष्ट किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

युक्तिपूर्वक विचार करने पर सांख्य का मत प्रमाण से बाधित हो जाता है क्योंकि सांख्य शास्त्र के विद्वानों ने प्रधान-प्रकृति को नित्य माना है और नित्य उसी वस्तु को कहा जाता है जो सदा एक रूप मे स्थिर रहे, जिस का कभी भी न किसी रूप मे स्खलन हो और न किसी रूप मे उत्पादन हो जैसे सांख्यसम्मत पुरुष । अतः प्रधान भी इसी रूप मे नित्य होगा । फलतः प्रधानत्व रूप से उस का स्खलन न होने के कारण उस से महत् आदि तत्त्वों की उत्पत्ति न हो सकेगी, क्योंकि कारण होने के लिए पूर्वस्वरूप का त्याग और कार्य होने के लिए अपूर्व स्वरूप का ग्रहण आवश्यक होता है, जैसे अङ्गद वाजूबद आदि के रूप मे स्थित सुवर्ण को कुण्डलःदि का कारण होने के लिए अङ्गादादि स्वरूप का परित्याग और कुण्डलादि स्वरूप का ग्रहण करना पड़ता है । अतः प्रधान को भी महत्

झेएक आधुनिक विद्वान् इस पर लिखता है—“हरिमद्र की आपत्ति किसी गलतफहमी पर वाधारित प्रतीत होती है, क्योंकि वस्तुतः साख्य दार्शनिक की ‘प्रकृति’ नित्य होते हुए भी रूपान्तरण-शील ठीक उसी प्रकार है जैसे कि जैन-दर्शन की मान्यतानुसार विश्व की सभी जड़-चेतन वस्तुएँ नित्य होते हुए भी रूपान्तरणशोल है ।” वस्तुतः आ. श्री हरिमद्रसूरि की कोई गलतफहमी नहीं है चूँकि उन को यहाँ नित्यता का नर्दै एकान्तनित्यता का खड़न अभिप्रेत है जो २४ वीं कारिका में स्पष्ट है । इतनी सरल वात को न समझ पाना यही तो गलतफहमी है ।

इसी प्रकार इस विद्वान् ने शास्त्रार्थासमुच्चय के हिन्दी अनुवाद की प्रस्तावना में आनी वेनमून विद्वत्ता का जो प्रदर्शन किया है उस का एह यह भी उदाहरण है—वह लिखता है—“हरिमद्र ने सांख्य दार्शनिक को छूट दी है कि यदि वह अपनी प्रकृति का वर्णन ठीक उसी प्रकार करे जैसे कि जैन दर्शन में कर्मप्रकृति का (अर्थात् ‘कर्म’ नाम वाले भौतिक तत्त्व का) किया गया है तो उसका प्रस्तुत मत निर्देष वन जायेगा, लेकिन यह एक विचारणीय वात है कि सांख्य दार्शनिक की ‘प्रकृति’ एक है तथा उसके रूपान्तरण की परिधि समूचा जड़ जगत् है, जब कि जैन दर्शन की ‘कर्म प्रकृतियाँ’ अनेक हैं । तथा उनके रूपान्तरण की परिधि जड़-जगत् का एक माग सात्र है ।”

सज्जनों को सोचना चाहिये कि—आ. श्री हरिमद्र सूरि का अभिप्राय यह है कि ‘सांख्य’ प्रकृति को सारे जगत् का उपादान कारण मानता है उस के स्थान मे निमित्त कारण मान लिया जाय तो जैन मत यानी वास्तविकता के साथ उसका भी मेल हो जाय । इस ऋजु अभिप्राय न समझ कर इस विद्वान् ने जो अंट संट लिख दिया है वह केवल शब्दाङ्कवर के सिवा और क्या है ? इस विद्वान् ने तो ऐसे अनेक असमझ स विधान उस की प्रस्तावना में कर डाले हैं । वास्तव में तो अल्पज्ञ होने पर भी घमडी और, महामहीम पूर्वाचार्यों के गौरव को गिराने की धृष्टता करना ही जिनका जीवनब्रत है उन आधुनिक पंडितों से भारत के उज्ज्वल-भावि की क्या आशा करना !

अथ “नाऽस्माभिरपूर्वस्वभावोत्पत्त्या हेतु हेतुमङ्गावोऽभ्युपगम्यते यतो रूपभेदादनित्यता ग्रमज्येत्, किन्त्वपरित्यक्तसर्पभावस्य सर्पस्य कुण्डलावस्थावदपरित्यक्तप्रधानभावस्यैव प्रधानस्य महदादिपरिणामाभ्युपगम इति को दोषः, युवत्व-बृद्धत्वादिपरिणामयोरप्यवस्थित एव धर्मिणि पूर्वोत्तरभावनियमेनाऽवस्थासांकर्यात् ।” इत्यभिप्रायमुद्दृक्य निराकुरुते —

मूलम्-तस्यैव तत्स्वभावत्वादितिचेतिं न सर्वदा ।

अत एवेति चेत्तस्य तथात्वे ननु तत्कुतः ? ॥२३॥

‘तस्यैव=प्रधानस्यैव, एवकारेण स्वभावान्तरव्यवच्छेदः, तत्स्वभावत्वात्=महदादि-जननस्वभावत्वात्, तथात्वाऽप्रच्युतावपि महदाधूत्पत्तिरित्युपस्कारः’ इति चेत् । तदा सर्वदा किं न भवति महदादिकम् । प्रकृतिसंनिधानस्य सर्वदा सत्त्वादेकहेलयैव जगत् स्यात्, समर्थस्य कालक्षेपाऽयोगादित्याश्रयः । परः प्राह—अत एव=कदाचिज्जननस्वभावत्वादेव न सर्वदोत्पत्ति-

आदि का कारण होने के लिए अपने पूर्वस्वरूप का त्याग और नये स्वरूप का ग्रहण करना होगा और यह होने पर उस की नित्यता समाप्त हो जायगी । अतः नित्यप्रकृति से अनित्य महत् आदि की उत्पत्ति युक्तिसंगत न हो कर उपदेष्टा के प्रति अतृट श्रद्धाभाव होने के कारण ही मानी जा सकती है ॥२३॥

(प्रकृति की नित्यता के बचाव में आशंका)

२३ वीं कारिका सांख्यों के एक विशेष अभिप्राय के निराकरणार्थ प्रस्तुत हुई है । वह अभिप्राय यह है कि-कार्यकारणभाव के लिए नये रूप की उत्पत्ति और पूर्वरूप का परित्याग आवश्यक नहीं है जिस से रूपभेद से प्रकृति में अनित्यता की आपत्ति हो । किन्तु सर्प जैसे अपने सर्पभाव का परित्याग विना किये ही कुण्डलावस्था का जनक हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति अपनी प्रधान अवस्था का परित्याग विना किये भी महत् आदि का कारण हो सकती है ऐसा मानने से कोई दोष नहीं हो सकता । इस बात को अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है—व्यक्ति में यौवन, वार्धक्य इत्यादि परिणाम व्यक्तिरूप धर्मों की स्थिरता का घात न करके ही उस से क्रम से उत्पन्न होते हैं और उन में पूर्वोत्तर-भाव का नियम होने के कारण सांकर्य नहीं होता । उसी प्रकार प्रधान से भी उस की नित्यता को वाधित किये विना ही महत् आदि असकीर्ण परिणामों का उदय यदि माना जाय, तो कोई हानि नहीं हो सकती ।

इस अभिप्राय को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है और उस के निराकरणार्थ जो बात कही गयी है वह कारिका की व्याख्या में स्पष्ट है व्याख्या इस प्रकार है—

“प्रधान स्वयं ही (—अपने पूर्व स्वभाव का परित्याग विना किये ही) महत् आदि के उत्पादक स्वभाव से संपन्न है, अतः प्रधान अपने सहज स्वरूप में ज्यों का त्यो स्थित रहते हुए भी उस से महत् आदि की उत्पत्ति हो सकती है ।” सांख्यों की ओर से महत् आदि तत्त्वों और कार्य-कारण भाव के विषय में ऐसा अभिप्राय व्यक्त किया जा सकता है, किन्तु यह ठोक नहीं है, क्योंकि महत्

रित्याशयः । वाद्याह-इति चेत् , 'ननु' इत्याक्षेपे, तम्य=प्रधानस्य तथात्वे=नियतस्वरूपाऽ-
विकृतत्वे नन्=कदाचिज्जननस्वभावत्वम् कुतः ? एकरूपा हि प्रकृतिः सदैव महदादि जनयेत् ,
कदापि वा न जनयेत् । 'तत्त्वालावच्छिन्नजनना-उज्जननोभयनिरूपितैकस्वभावत्वादयमदोष'
इति चेत् ? जनना-उज्जननयोस्तत्कालावच्छिन्नत्वे तत्स्वभावत्वम् , तत्स्वभावत्वे च तयोस्त-
त्वमित्यन्योन्याश्रयः । स्वस्वभावादेव तयोस्तत्वे च विलीनं प्रकृत्यादिप्रक्रिययेति भावः ॥२३॥

आदि को उत्पन्न करने के लिए यदि प्रधान मे कोई नई घटना आवश्यक न होगी तो उस से नियत समय मे ही महत् आदि की उत्पत्ति न होकर सर्वदा उस की उत्पत्ति की आपत्ति होगी । अतः प्रकृति से एक साथ ही समुच्चे जगत के जन्म की प्रसक्ति होगी क्योंकि प्रधान मे यदि जगत् को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, तो जगत् की उत्पत्ति का विलम्ब नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिस कार्य को उत्पन्न करने मे समर्थ होता है वह उस की उपस्थिति होने पर कार्य के उत्पादन मे विलम्ब नहीं करता जैसे न्यायमत में कर्म विभाग को उत्पन्न करने मे समर्थ होता है तो कर्म से विभाग की उत्पत्ति मे विलब नहीं होता । कर्म के दूसरे क्षण मे ही विभाग का जन्म हो जाता है ।

यदि यह कहा जाय कि-'प्रधान मे महत् आदि को नियतकाल मे ही उत्पन्न करने का सामर्थ्य है अतः सर्वदा उस की उत्पत्ति का प्रसंग नहीं हो सकता'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि प्रधान यदि अपने सहज स्वरूप मे कुछ भी विकृत हुए विना ही महत् आदि को उत्पन्न करेगा तो नियतक ल मे भी वह महत् आदि को उत्पन्न न कर सकेगा । कहने का आशय यह है कि प्रकृति यदि सर्वदा एक रूप ही रहेगी उसमे किंचित् भी कोई नई बात नहीं होगी-वह अपने सहज सदातन रूप मे ही रह कर महत् आदि का जनक मानी जायगी तो उस से या तो सर्वदा महत् आदि की उत्पत्ति होगी अथवा कभी भी नहीं होगी 'क्योंकि कभी उत्पन्न करना और कभी उत्पन्न न करना' यह बात किसी आगन्तुक निमित्त की अपेक्षा के बिना नहीं बन सकती ।

[जनन-अजनन उभयस्वभाव मे अन्योन्याश्रय]

यदि यह कहा जाय- प्रकृति का यह सहज स्वभाव है कि किसी कान्त मे महत् आदि का जनन करें और कालान्तर मे उस का जनन न करे । अतः प्रधान से महत् आदि की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे उक्त आपत्ति नहीं हो सकती हैं' तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि महत् आदि के जनन और अजनन मे तत्त्वालावच्छिन्नत्व सिद्ध हो जाने पर ही प्रकृति मे तत्त्वालावच्छेदन महत् का जनन और अजनन करने के स्वभाव की कल्पना हो सकेगो और इस प्रकार का स्वभाव सिद्ध हो जाने पर ही उसके बल से महत् आदि के जनन और अजनन मे तत्त्वालावच्छिन्नत्व सिद्ध हो सकता है इस मे अन्योन्याश्रय है । इस अन्योन्याश्रय दोष के कारण यह कल्पना समव नहीं हो सकती । यदि इस अन्योन्याश्रय का परिहार करने के लिए महत् आदि के जनन और अजनन मे तत्त्वालावच्छिन्नत्व को भी स्वाभाविक मान लिया जायगा तो प्रकृति से महत् और महत् से अहंकारादि की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया साँख्य मे वर्णित है वह अनावश्यक होने से समाप्त हो जायगी, क्योंकि सभी कार्य अपने स्वभाव से ही तत्त्वाल मे संपन्न हो जायेंगे ॥२३॥

उपचयमाह—

सूलम्-नानुपादानमन्यस्य भवेऽन्यज्जातुचिद्वेत् ।

तदुपादानतायां च न तस्यैकान्तनित्यता ॥२४॥

अनुपादान=तथा भाविकारणविकलम्, अन्यस्य=सर्वथा तथा भावित्यर्तिरिक्तस्य प्रधानस्य, भावे=सनिधाने, अन्यत्=एकान्ताऽविद्यमानं महादादि; जातुचित्=कदाचित्, न भवेत्, सर्वथाऽसतः सत्ताऽयोगात् । तदुपादानतायां च महादादेभ्युपगम्यमानायां न तस्य=प्रधानस्य, एकान्तनित्यता, अनित्यमहादार्थभन्नत्वात् । ‘महादायागि सदामन्त्राद् नित्यमेवे’ति चेत् ? गता तर्हि प्रकृति-विकृत्यादिप्रक्रिया, मुक्तनावपि तत्मन्त्रेऽपदर्शनं च । ‘महादादेः प्रकृतिरिणामित्वेन प्रकृत्यमिन्नत्वेऽप्यनित्यत्वादिना भेद एवे’ति चेत् ? तर्हि भेदाऽभेदप्रमङ्ग इति दिग् ॥२४॥

(प्रकृति को महत् का उपादान मानने में अनित्यता की आपत्ति)

२४ वीं कारिका में दूर्बल कारिका में कहे गये अर्थ की ही सुषुष्टि की गई है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

महत् आदि कार्यों को यदि उपादानहीन माना जायगा अर्थात् यदि उस का कोई ऐसा कारण नहीं माना जायगा जिस में महत् आदि की उत्पत्ति के पूर्व में भी महत् आदि का अस्तित्व होता हो, तो कारण से अविद्यमान ही महत् की उत्पत्ति माननी होगी । फलतः प्रधान का सन्निधान होने पर भी उस में प्रथमतः अविद्यमान होने के कारण महत् आदि की उत्पत्ति न हो सकेगी द्योकि जो सर्वथा असत् होता है वह कभी सत् नहीं हो सकता है । और यदि प्रधान को महत् आदि कार्यों का उपादान कारण माना जायगा, और कारणरूप में उस में महत् आदि का अस्तित्व माना जायगा तो प्रधान की एकान्त नित्यता का भग हो जायगा, क्योंकि उपादानकारण और कार्य में अभेद का नियम होने से प्रधानरूप उपादान कारण भी अपने कार्य अनित्य महत् आदि से अभिन्न होने के कारण कायत्मना अनित्य हो जायगा ।

यदि कहे कि-‘महत् आदि भी सर्वदा सत् होने से नित्य ही होता है’-तो महत् आदि तत्त्व और प्रकृति में कार्य कारण भाव की मान्यता समाप्त हो जायगी । और महत् आदि नित्य होने पर भोक्त्काल में उस का अस्तित्व मानने पर सिद्धान्त की हानि होगी । इसप्रकार साख्यदर्शन ऋपदर्शन द्वन जायगा -‘महत् आदि प्रकृति का परिणाम है और परिणाम परिणामी से अभिन्न होते हुए भी अनित्य होता है इसलिए महादादि प्रकृति से अभिन्न होने पर भी अनित्य होने से प्रकृति से भिन्न होगा, अत एव महत् आदि का अपने अभिव्यक्तरूप में सर्वदा सत् न होने से न तो उसे प्रकृति का कार्य होने में कोई वाधा होगी और न मोक्ष काल में उस के अस्तित्व का प्रसग होकर साँख्य सिद्धान्त की हानि होगी’-तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर एक ही वस्तु में भेद और अभेद का प्रसंग होने से साख्य को स्थाइवाद वा अनेकान्तवाद के द्वार पर दौवारिक बनना पड़ेगा ॥२४॥

स्थूलकार्यमधिकृत्याऽप्याह—

मूलग्-घटाद्यपि कुलालादिसापेक्ष दृश्यते भवत् ।

अतो न तत्पृथिव्यादिपरिणामैकहेतुकम् ॥२७॥

घटाद्यपि = स्थूलकार्यज्ञातम् , कुलालादिसापेक्षं भवद् दृश्यते , कुलालादीनां तत्राऽन्वयव्यतिरक्तानुविधानदर्शनात् । अनन्तत पृथिव्यादिपरिणामैव हेतुकं न भवति, नियतान्वयव्यतिरेको विना तादृशपरिणामेऽपि हेतुताग्रहाभावात् , तयोश्च कुलालादावविशेषात् । ‘कार्यगतयावद्वर्मानुविधायित्वात् हेतोः कुलालादीनां न घटादिहेतुन्विति चेत् ? तर्हि बुद्धिगतरागादयोऽपि प्रकृतौ स्वीकृतव्याः, इति मैव बुद्धिः भावाष्टकमंपन्नत्वात् , न तु प्रकृतिः । ‘स्थूलसूपतामपहाय सूक्ष्मसूपतया ते तत्र सन्तीति चेत् ? लयाद्यवस्थायां सौक्ष्म्यं बुद्धावपि समानम् , सूक्ष्मतया घटादिगतधर्माणां कुलालादौ कल्पने वाधकाभावश्च ॥२५॥

[घटादि कार्य पृथ्वी आदि के परिणाम मात्र से जन्य नहीं)

२५ वीं कारिका में स्थूलकार्यों में कर्तुं सापेक्षता बताते हुए कार्य में दृश्यनिरपेक्षता के खण्डन का सकेत किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है —

घटादि कार्य कुलालादि कर्त्ता की अपेक्षा से उत्पन्न होता है यह बत देखने से आती है क्योंकि घटादि में कुलालादि के अन्वय-व्यतिरेक का अनुविधान देखा जाता है । अर्थात् कुलाल आदि के रूप पर घटादि का जन्म होता है और कुलालादि के अभाव से घटादि का जन्म नहीं होता है । इसलिये यह कहना उचित नहीं हो सकता कि ‘घटादि कार्य पृथ्वीआदि के परिणाममात्र से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पृथ्वीआदि के परिणाम में भी अन्वयव्यतिरेक के विना घटादि की कारणता का ज्ञान नहीं होता है किन्तु अन्वय-व्यतिरेक से ही होता है और जब अन्वय-व्यतिरेक के नाते पृथ्वी आदि के परिणाम को घटादि का कारण माना जाता है तो पृथ्वीआदि के परिणाम के समान ही कुलालादि में भी अन्वयव्यतिरेक होने के नाते कुलालादि में भी घटादि की कारणता मानना आवश्यक है । यदि यह कहें कि ‘हेतु में कार्य के सभी घर्मों का सम्बन्ध होना आवश्यक होता है किन्तु कुलालादि में घटादि के सभी घर्मों का सम्बन्ध नहीं होता । अतः कुलालादि घटादि का कारण नहीं हो सकता’ तो यह ठीक नहीं है क्योंकि हेतु में कार्य के सभी घर्मों के सम्बन्ध का होना आवश्यक नहीं माना जा सकता । यदि ऐसा माना जायगा तो प्रकृति में बुद्धि के रागादि घर्मों का भी अस्तित्व मानना होगा और उस दशा में धर्म-अधर्मादि आठ भावों से सम्बन्ध होने के कारण प्रकृति ही बुद्धि बन जायगी ।

यदि यह कहा जाय कि ‘धर्म-अधर्मादि आठ भाव अपने स्थूल रूप का परित्याग कर सूक्ष्मरूप से प्रकृति में रहते हैं । अतः वह बुद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि स्थूल रूप से भावाष्टकसम्पन्न को ही बुद्धि कहा जाता है’—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर लयादि की अवस्था में बुद्धि भी बुद्धि न हो सकेगी, क्योंकि उस समय उस में भी भावाष्टक स्थूलरूप से न रह कर सूक्ष्मरूप से ही रहते हैं । और दूसरी बात यह है कि यदि कारण में कार्यगत सभी घर्मों का होना आवश्यक हो तब भी कुला-

चेतनेऽचेतनधर्मसंक्रमे परिणामित्वादिवाधकम् , कुलालादिदेहस्तु घटादिकर्तेष्यत एवे-
त्याशङ्क्याह-

मूलम्- 'तत्रापि देहः कर्ता चेन्नैवासावात्मनः पृथक् ।

पृथगेवेति चेद्गोग आत्मनो युज्यते कथम् ? ॥२६॥

'तत्रापि-घटादावपि, देहः कर्ता, स्थूलरूपावच्छिन्नस्य तस्य कुलालादिचेष्टयैवोत्पा-
दात्' इति चेत् । नैव असौ-देहः, आत्मनः पृथक्-भिन्नः सर्वगतत्वात् निष्क्रियत्वाच्च ।
'आत्माऽसर्वगत-सक्रियदेहात् पृथगेवे'ति चेत् ? तहिं भोगः कथं युज्यते, सर्वथा देहाद् भेदे
तस्य मुक्तकल्पत्वात् ? क्षीर-नीरन्यायेन देहाऽभिन्नस्यवाऽत्मनो देहोपनीतभोगसंभवादिति
भावः ॥२६॥

नास्त्येव तत्त्वत आत्मनो भोग इतीष्टापत्त्या परः स्वाभिप्रायमाह--

मूलम्-देहभोगेन नैवास्य भावतो भोग इष्यते ।

प्रतिविम्बोदयात्किन्तु यथोक्त पूर्वसूरिभिः ॥२७॥

लादि मे घटादि को कारणता सम्भव हो सकती है । क्योंकि कुलालादि में घटादि के सभी धर्मों को
सूक्ष्मरूप से स्वीकार कर लेने में कोई वाधा नहीं हो सकती ॥२५॥

[आत्मा क्षीर-नीरन्याय से देहाभिन्न है

२६ वीं कारिका में चेतन में अवेतनधर्म का संक्रमण होने में परिणामित्व का बाध बताते हुए कुला-
लादि के देह में घटादि के कर्तृत्व की शङ्का का समाधान किया गया है । कारिका का ग्रन्थ इस प्रकार है

'कुलालादि का आत्मा घट का कर्ता नहीं है किन्तु उस का देह कर्ता है । क्योंकि घटादि के स्थूल
रूप की रचना कुलालादि की चेष्टा से होती है और चेष्टा आत्मगत न होकर शरीरगत होती है ।'
किन्तु ऐसा कहने पर भी घटादि के प्रति कुलालादि के आत्मा के कर्तृत्व का परिहार नहीं हो सकता ।
क्योंकि जब कुलालादि का देह घटादि का कर्ता होगा तो उस की आत्मा भी घटादि का कर्ता होना
आवश्यक हो जायगा क्योंकि देह आत्मा से पृथक् नहीं होता । यदि यह कहा जाय कि 'आत्मा सर्व-
गत और निष्क्रिय होती है, एव देह असर्वगत और सक्रिय होती है अतः आत्मा का देह से पार्थक्य
अनिवार्य है'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा को देह से सर्वथा भिन्न मानने पर वह आत्मा मुक्त-
कल्प हो जायगा और ससार दशा में भी उस में भोग न हो सकेगा क्योंकि क्षीरनीर के समान आत्मा
देहाभिन्न होने पर ही उस में देह द्वारा भोग का उपपादन हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥२६॥

('बुद्धि पुरुष' का प्रतिविम्ब होने से भोग उपचार)

२७ वीं कारिका में साध्य के इस अभिप्राय का उल्लेख किया गया है कि आत्मा मे भोगाभाव
का आपादान इष्ट ही है, क्योंकि आत्मा वास्तविक दृष्टि से भोग का आश्रय नहीं होता ।

१ देहस्त॑पि कर्ता चेत् यह पाठ उचित हो सकता है किन्तु टोकानुसारेण मूल में 'देह' पद के
अनन्तर विसर्ग का प्रश्नप्रतीत होता है ।

देहेन भोगो देहमोगस्तेन, 'धान्येन धनम्' इतिवदभेदे तृतीया, देहभोगेन=देहद्वारेति वाऽर्थः, लैद, अस्य=आत्मनः, भावतः=तत्त्वतः, इष्यते भोगः, किन्तु प्रतिविम्बोदयात् । यद्यप्येवमपि सुख-दुःखाद्यन्तःकरणधर्मानुविद्धस्य महत एव स्वतोऽचेतनस्य चेतनोपरागेण 'चेतनोऽहं सुखी' त्याद्यभिमानरूपश्चैतन्यशेऽतात्त्विको भोगः, न तु पुरुषस्य, तथापि भोक्तुवुद्धिमनिधानात् तत्र भोक्तुत्वव्यवहारः । तदाह पतञ्जलिः—'शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं वौद्धमनुपश्यति, तमनुपश्यन्तदात्मापि तदात्मक इव प्रतिभासते' इति । केचित्तु बुद्धौ पुरुषो-परागवद् पुरुषेऽपि बुद्धयु परागं वर्णयन्ति, न चैव विकृतत्वापत्तिः, अतात्त्विकोपरागेण तदयो-

कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

कारिका के अन्तर्गत आये देहभोग शब्द की 'देहेन भोगः' इस प्रकार व्युत्पत्ति होती है । इस व्युत्पत्ति में देह शब्द के उत्तर विद्यमान तृतीयाविभक्ति का अर्थ अभेद हो सकता है जैसे 'धान्येन धनम्' इस वाक्य में धान्य शब्दोत्तर तृतीया का अभेद अर्थ होता है । अतः देहभोग शब्द का अर्थ होता है देहात्मको भोगः । ऐसा अर्थ करने पर जोग शब्द को भुज् धातु से करण अर्थ में घञ् प्रत्यय द्वारा निष्पन्न मानना होगा । और ऐसा होने पर देहभोग शब्द का अर्थ होगा भोग का देहात्मक साधन । उक्त व्युत्पत्ति में भोग शब्द को भावार्थक घञ् प्रत्यय से निष्पन्न मानने पर देहशब्दोत्तर तृतीया का 'द्वार' अर्थ करना होगा । और तत्र देहभोग शब्द का अर्थ होगा—देह द्वारा होनेवाला भोग । देहभोग शब्द के उत्तर दोनों श्रयों से कोई भी अर्थ लेने पर यही तथ्य उपलब्ध होता है कि भोग के देहाभिन्न साधन से अथवा देहद्वारा होनेवाले भोग से आत्मा में वास्तविक भोग नहीं उपपन्न होता । क्योंकि आत्मा पूर्णरूप से कूटस्थ है । अतः विन्द्यवासी शादि पूर्ववर्ती सांख्यवेत्ता विद्वानों ने यह कहा है कि भोग के दास्तव आश्रयमूल बुद्धितत्त्व में पुरुष का प्रतिविम्ब होने से बुद्धिगत भोग का आत्मा में आभास मात्र होता है । यह ज्ञातव्य है कि प्रतिविम्ब द्वारा भी आत्मा में भोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 'चेतनोऽहं सुखी' इस अभिमान को ही चैतन्यस्वरूप आत्मा ने सुख का अतात्त्विक भोग कहा जा सकता है । किन्तु यह अभिमान भी सुखदुःखादि अन्त करणधर्मों से अनुविद्ध एव स्वतः अचेतन महत्तत्व में ही चेतनोपरागवश होता है । अतः इस से आत्मा भोग का आश्रय सिद्ध नहीं हो सकता । यथार्थ में भोग का आश्रय तो बुद्धि ही होती है । अतः उस के सन्निधान से पुरुष में भोक्तृत्व का व्यवहार मात्र होता है । जैसा कि पतञ्जलि ने योगसूत्र के भाष्य में कहा है—'पुरुष नितान्तशुद्ध होता है । वह बुद्धिगत ज्ञान का अनुदृष्टा मात्र होता है । और अनुदृष्टा होने के कारण ही ज्ञानात्मक न होने पर भी ज्ञानात्मक जैसा प्रतीत होता है' । पतञ्जलि के इस वचन का तात्पर्य पुरुष में भोक्तृत्व न होने पर भी भोक्तृत्व व्यवहार के प्रदर्शन में ही है ।

(पुरुष में बुद्धि के प्रतिविम्ब से विकृति का प्रसरण)

कुछ विद्वान बुद्धि में पुरुष के उपराग के समान पुरुष में भी बुद्धि का उपराग बताते हैं । उन का आशय यह है कि जैसे बुद्धि में पुरुष का प्रतिविम्ब पड़ता है उसीप्रकार पुरुष में भी बुद्धि का प्रतिविम्ब पड़ता है । ऐसा माननेपर यह शब्दा नहीं की जा सकती कि—'पुरुष यदि बुद्धि के प्रतिविम्ब

गात् । तथा चाह वादमहार्णवः—‘बुद्धिर्दर्पणसंक्रान्तमर्थप्रतिविम्बक द्वितीयदर्पणकल्पे पुंम्य-
ध्यारोहति, तदेव भोक्तृत्वमस्य, न तु विकारोपपत्तिः’ इति । ‘बुद्धिगतप्रतिविम्ब त्मन्येव बुद्धि-
गतभोगोपसंक्रमः, विम्बात्मनि तु न किञ्चित्’ इत्यपरे ।

स्वोक्तेऽर्थेऽभियुक्तमतिमाह—यथोक्तं पूर्वसूरिभिः=विन्ध्यवास्यादिभिः ॥२७॥

किमुक्तम् १ इत्याह—

मूलम्—पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम् ।

मनः करोति सांनिध्यादुपाधिः स्फटिकं यथा ॥२८॥

पुरुषः=आत्मा, अविकृतमात्मैव=अप्रच्युतस्वभाव एव, अचेतनं मनः, सांनिध्यात्=
सामीप्याद् हेतोः, स्वनिर्भास=स्वोपरक्तम् करोति । निर्दर्शनमाह—यथोपाधिः पद्मरागादिः
स्फटिकं स्वधर्मसंक्रमेण स्वोपरक्तं करोति । न चैतावतास विकरोति, किन्तु स्फटिक एव विक्री-
यते, तथाऽत्मापि बुद्ध्युपरागं जनयन् न विकरोति, किन्तु बुद्धिरेका विक्रीयत इति
भावः ॥२८॥

को ग्रहण करेगा तो विकारी हो जायगा—’ क्योंकि पुरुष में बुद्धि का जो प्रतिविम्बात्मक उपराग
होता है वह तात्त्विक नहीं होता । अत एव वह पुरुष को विकारयुक्त नहीं कर सकता । वादमहार्णव
नामक ग्रन्थ में यह बात इस प्रकार स्फुट की गई है कि-जैसे एक दर्पण में घडा हुआ किसी वस्तु
का प्रतिविम्ब उस दूसरे दर्पण में भी सङ्गान्त होता है जिसमें वस्तु के प्रतिविम्ब से युक्त पहला
दर्पण प्रतिविम्बित होता है । उसी प्रकार वस्तु का प्रतिविम्ब बुद्धि में पड़ता है और उस प्रतिविम्ब से
युक्त बुद्धि का प्रतिविम्ब पुरुष में पड़ता है । अतः बुद्धिगत वस्तुप्रतिविम्ब पुरुष में भासित होता है ।
बुद्धि के प्रतिविम्ब द्वारा पुरुष में बुद्धिगत वस्तुप्रतिविम्ब का भासित होना ही पुरुष का भोक्तृत्व है ।
इस प्रकार का भोक्तृत्व होने पर भी पुरुष में कोई विकार नहीं होता । अन्य विद्वानों का इस सम्बन्ध
में यह कहना है कि बुद्धि में पुरुष-आत्मा का प्रतिविम्ब होने पर आत्मा के दो रूप हो जाते हैं । एक
प्रतिविम्ब आत्मा और दूसरा विम्बात्मा । इन में बुद्धिगतभोग का सम्बन्ध प्रतिविम्बात्मा में ही होता
है, विम्बात्मा में नहीं होता । अतः प्रतिविम्बात्मा के विकृत होने पर भी विम्बात्मा की निविकारता
यथापूर्व बनी रहती है ॥२९॥

(आत्मसंनिधान से अन्तःकरण से औपाधिक चैतन्य)

२८ वर्षों कारिका में पूर्व सकेतित सांख्यवेत्ताभो के कथन को स्पष्ट किया गया है ।
कारिका अर्थ इसप्रकार है—

आत्मा अपने सन्निधान से अचेतन मन को उपरक्त करता है अर्थात् उसमें अपने चैतन्य की
प्रतीति कराता है और ऐसा करने पर भी वह अपने स्वरूप से अविकृत ही रहता है । यह बात
स्फटिक के दृष्टान्त से बताई गई है । आशय यह है कि जैसे पद्मरागमणि आदि उपाधि समीपस्थ
स्फटिक मणि को अपने बर्ण के संक्रमण द्वारा उपरक्त करती है किन्तु ऐसा करने पर भी वह

ततः किम् १ इत्याह-

मूलम्-विभक्तेद्विपरिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते ।

प्रतिविम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥२९॥

विभक्ता=आत्मभिन्ना, ईद्वपरिणतिः=अभिहितपुरुषोपरागपरिणामा च, इति कर्मधारयः, तस्यां, बुद्धौ=अन्तःकरणलक्षणायाम्, अस्य=आत्मनः, भोगः कथ्यते, आसुरि-प्रभृतिभिः । किंवत् १ इत्याह-यथा चन्द्रमसः=वास्तवस्य चन्द्रस्य, प्रतिविम्बोदयः=प्रति-विम्बपरिणामः, स्वच्छे=निर्मले, अम्भसि=जले ॥२९॥

तदिदमखिलमपाकुवन्नाह-

मूलम्-प्रतिविम्बोदयोऽप्यस्य नामूर्तत्वेन युज्यते ।

मुक्तेरतिप्रसङ्गाच्च न वै भोगः कदाचन ॥३०॥

प्रतिविम्बोदयोऽपि, अस्य=अमूर्तत्वेन न युज्यते, छायावन्मूर्तद्रव्येणैव हि प्रतिविम्बा-रूपं स्वाकारं भास्वरद्रव्योपादानं द्रव्यमारभ्यते, तथा चार्द्म्-[प्र. म. टीका वृ० ३०५/२]

'सामा उ दिया छाया अभासुरगया णिसि तु कालाभा ।

सच्चेह भासुरगया सदेहवणा मुण्येयच्चा ॥१॥ इति ।

स्वयं विकृत नहीं होता अपितु उस के उपराग-सम्बन्ध से स्फटिक ही विकृत होता है उसी प्रकार आत्मा भी बुद्धि में अपने उपराग का जनक होकर भी स्वयं नहीं विकृत होता, किन्तु उस के उपराग से बुद्धि ही विकृत होती है ॥२८॥

(बुद्धि में पुरुषोपराग हो आत्मा का भोग है-आसुरि)

२६ वीं कारिका में पूर्व कारिका के कथन का निष्कर्ष बताया गया है ।

कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

बुद्धि अन्त करण रूप है और पूर्वकारिका में वर्णित पुरुषोपरागरूप परिणाम से युक्त है एवं आत्मा से विभक्त-सिन्ध है, वास्तव में भोग उसी में होता है । साख्यशास्त्र के आसुरि आदि विद्वानों ने आत्मा में जो भोग का उल्लेख किया है वह भोगयुक्त बुद्धि में आत्मा के उपराग के कारण ही है, एवं अवास्तव है । यह वात जल में चन्द्रमा के प्रतिविम्ब के दृष्टान्त से स्फुट होती है । जैसे अविकृत चन्द्रमा का निर्मल जल में प्रतिविम्बात्मक परिणाम होता है उसी प्रकार सूक्ष्म बुद्धितत्त्व में अविकृत आत्मा का भी प्रतिविम्बपरिणामात्मक उपराग हो सकता है ॥२६॥

[अमूर्त आत्मा का प्रतिविम्ब असंगत है]

३० वीं कारिका में पूर्वकारिका तक साख्य को ओर से प्रकट किये गये सम्पूर्ण विचार का निराकरण किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

(१) श्यामा तु दिवा छाया ऽमास्वरगता निशि तु कालामा । सा चेह भास्वरगता सदेहवणा ज्ञातव्या ॥१ ।

युक्तं चैतत्, अन्यथेऽन्त्वाघच्छेऽदेन मुखभेदग्रहाऽभावात् । 'इदं मुखम्' इति प्रतीतेः कथञ्चिदुपपादनेऽपि 'इदं मुखप्रतिविम्बम्' इति प्रतीतेः कथमप्युपपादयितुमशक्यत्वात् । मुख-अभावधिष्ठानत्वरूपमुखप्रतिविम्बत्वम्य प्रागेवाऽग्रहात्, 'आदर्शे मुखप्रतिविम्बम्' इत्याधाराऽऽधेय-भावाध्यवसायानुपपत्तेश्च । एतेन 'मुखे विम्बत्वमिवाऽदर्शं एव प्रतिविम्बत्वं मुखसांनिध्य-दोपाऽभावादिसामग्र्याऽभिव्यज्यते' इति निरस्तम्, विम्बोत्कर्पानुपपत्तेः, प्रतिविम्बत्वाऽग्राहकसामग्र्या एवादर्शभेदभ्रमहेतुत्वेन 'अयं नाऽदर्शः, किन्तु मुखप्रतिविम्बम्' इति सर्व-

आत्मा अमूर्त है । इसलिये बुद्धि तत्त्व में उसके प्रतिविम्ब का उदय युद्धितसङ्गत नहीं हो सकता क्योंकि जो द्रव्य मूर्त एवं छायावान होता है वही किसी भास्वर में अपने आकार का प्रतिविम्बक द्रव्य को उत्पन्न कर सकता है जैसा कि 'सामा उदीया' इस ऋषिप्रणीत गाथा में कहा गया है । गाथा का अर्थ यह है कि-' दिन में किसी अभास्वरद्रव्य में श्यामवर्ण और 'रात्रि के समय कृपणावर्ण छाया होती हैं । वही जब भास्वरद्रव्य में प्रतिविम्बित होती है । तब अपने द्रव्य के ही बर्ण से दिखाई देती है ।' इस गाथा से स्पष्ट है कि छायावान मूर्त द्रव्य का ही भास्वर द्रव्य में प्रतिविम्ब होता है । अतः छायाहीन अमूर्त आत्मा का बुद्धि में प्रतिविम्ब मानना सङ्गत नहीं हो सकता । 'छायावान मूर्त द्रव्य भास्वरद्रव्य में अपने समान प्रतिविम्ब द्रव्य को उत्पन्न करता है' यह मानना ही युक्तिसङ्गत है क्योंकि यदि छायावान मूर्त द्रव्य से भास्वर द्रव्य में उस के सदृश नये प्रतिविम्ब द्रव्य की उत्पत्ति न मानी जायगी किन्तु भास्वर द्रव्य को विम्बभूत द्रव्य के भ्रम का अधिष्ठान मात्र माना जायगा तो दर्पण में मुख का प्रतिविम्ब होने पर जो 'इदं मुखम्' यह प्रतीति होती है उसकी उपपत्ति तो ही सकती है, क्योंकि 'इदं न मुखम्' इस प्रकार भेदग्रह न रहने के कारण 'इदं मुखम्' इस प्रतीति के होने में कोई वाधक नहीं हो सकता, किन्तु दर्पण में मुख का प्रतिविम्ब होने पर 'इदं मुखप्रतिविम्बम्' यह भी प्रतीति होती है जिसका उपपादन नहीं हो सकेगा । क्योंकि यदि दर्पण में प्रतिविम्ब मुख को उत्पत्ति न मानी जायगी तो मुख का प्रतिविम्बत्व जो मुखभ्रम का अधिष्ठानत्वरूप है वह प्रतिविम्ब काल में गृहीत नहीं है अतः 'इदं मुखप्रतिविम्बम्' प्रतीति का होना अशक्य है । और यदि प्रतिविम्ब को द्रव्यात्मक न माना जायगा तो 'आदर्शे मुखप्रतिविम्बम्' इस प्रकार दर्पण और मुखप्रतिविम्ब में आधार आधेयभाव की प्रतीति भी न हो सकेगी, क्योंकि आधेय के अभाव में केवल आधार भाव से आधार-आधेय भाव की प्रतीति नहीं हो सकती है ।

इस सम्बन्ध में कुछ लोगों का यह कहना है कि-दर्पण में मुख का प्रतिविम्ब पड़ते समय प्रतिविम्बात्मक किसी नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु मुखसान्निध्य और दोषाभावादि सामग्री से मुखमें विम्बत्व और 'दर्पण में प्रतिविम्बत्व की अभिव्यक्ति होती है'-किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में आदर्श ही प्रतिविम्ब कहा जायगा । अतः आदर्श और प्रतिविम्ब में आधार आधेय भाव की उक्त प्रतीति की उपपत्ति इस सत में भी न हो सकेगी । एवं विम्ब के उत्कर्ष से प्रतिविम्ब का उत्कर्ष नी न हो सकेगा । आशय यह है कि दर्पण में छोटे मुख का छोटा प्रतिविम्ब दीक्षिता है और बड़े मुख का बड़ा प्रतिविम्ब दीक्षिता है । यदि प्रतिविम्ब नाम के नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होगी किन्तु आदर्श में ही प्रतिविम्बत्व की अभिव्यक्ति मानी जायगी तो प्रतिविम्ब में विम्बाधीन अपकर्ष-उत्कर्ष की उपपत्ति न हो सकेगी । और प्रतिविम्ब के समय 'अयं न आदर्शः'-यह दर्पण नहीं है किन्तु

जनीनानुभवानुपपत्तेश्च । न च प्रतिविम्बस्य द्रव्यत्वे सावधिकत्वानुपपत्तिः, प्रतिविम्बधर्मस्येव महत्त्वत् सावधिकत्वात् । न आश्रयनाशो तन्नाशानुपपत्तिः, विम्बसंनिधाननिमित्तजनितम्य तस्य तन्नाशेनैव नाशमभवात् । न चैवमनन्तप्रतिविम्बोत्पत्तिनाशादिकल्पने गौरवम्, सावध्यातिरिक्तानन्तदोषादिकल्पने तवैव गौरवात्, अनुभवापलापच्छेति, अधिकमाकरे । स्फटिकादौ लौहित्यादिकमपि पञ्चगागादिभूतसंनिधिजन्य एव परिणामविशेषः, साक्षात्मवन्धेन तत्प्रतीतौ परम्परामंवन्धस्याऽप्रमक्तत्वात् । स्फटिकादिनिष्टुतया लौहिताश्रयसंसर्गस्य माक्षात्संवन्धेन लौहित्यभ्रमजनकत्वे तत्र विशेषदर्शनादेरुत्तेजकत्वे, परंपरामंवन्धेन लौहित्यप्रमानियामक्त्वादिकल्पने चातिगौरवात् लौहित्यमात्रजनकत्वकल्पनाया एव न्याय्यत्वात्, अभिभूताऽनभिभूतरूपयोः समावेशस्याऽनुभवसिद्धत्वेनाऽविरुद्धवात्, नियतारम्भनिरासाच्छेति, अन्यत्र विस्तरः ।

मुखका प्रतिविम्ब है' यह सार्वजनीन अनुभव होता है । इस अनुभव की भी उपर्याति न हो सकेगी । क्योंकि प्रतिविम्बत्व की अग्राहक सामग्री ही आदर्श के भेदभ्रम का हेतु होती है । अतः आदर्श के भेदभ्रम के साथ प्रतिविम्बत्व का ज्ञान होना संभव नहीं हो सकता ।—'प्रतिविम्ब को अतिरिक्त द्रव्य मानने पर उस मे विम्बावधिकत्व न हो सकेगा अर्थात् जब तक विम्ब रहे तब तक उसका अस्तित्व न होकर विम्ब के अभाव में भी उस के अस्तित्व की प्रस्तुति होगी—यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिविम्ब विम्बावधिक नहीं होता किन्तु उस का प्रतिविम्बत्वरूप धर्म ही सावधिक होता है । अर्थात् विम्ब के न होने पर प्रतिविम्ब का अभाव नहीं होता । किन्तु प्रतिविम्बत्व की बुद्धि निरुद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रतिविम्बत्व के ग्रहण मे विम्ब का संशिधान कारण होता है । इसे महत्त्व (=महत्परिमाण) के दृष्टान्त से समझा जा सकता है । जैसे, जिस द्रव्य मे जिस द्रव्य की अपेक्षा महत्त्व की प्रतीति होती है उस द्रव्य के अभाव मे महत्त्वेन प्रतीति होनेवाला द्रव्य का अभाव नहीं होता अपितु महत्त्व की प्रतीति का निरोध मात्र होता है । अतः जैसे महत्त्व का आश्रयभूत द्रव्य लघु-द्रव्य से सावधिक नहीं होता किन्तु उस का महत्त्व ही उस से सावधिक होता है उसी प्रकार प्रतिविम्बात्मक द्रव्य विम्बावधिक नहीं होता किन्तु उस का प्रतिविम्बत्व रूप धर्म ही विम्बावधिक होता है ।

आश्रय नाश से प्रतिविम्बक द्रव्य के नाश की अनुपपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिविम्बक द्रव्य विम्बसंनिधान रूप निमित्त से उत्पन्न होता है अतः आश्रयनाश होने पर उस निमित्त का नाश होने के कारण प्रतिविम्बक द्रव्य का नाश हो सकता है क्योंकि निमित्त का नाश नैमित्तक के नाश का कारण होता है । अतिरिक्त प्रतिविम्बक द्रव्य की उत्पत्ति मानने पर अनन्त प्रतिविम्बों की उत्पत्ति और उन के नाश आदि की कल्पना मे 'गौरव होगा' यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिविम्ब को विम्बभ्रम माननेवाले सांख्य को सावध्य से अतिरिक्त भ्रमजनक अनन्त दोष की कल्पना आवश्यक होने से साख्यमत्त मे ही गौरव है । और उस मत मे दिस्वभूत मुख से भिन्न प्रतिविम्बमुख देखने के सर्वजनसिद्ध अनुभव का सांख्यमत्त मे अपलाप भी होता है । इस विषय का अधिक विचार आकर ग्रन्थ मे दृष्टव्य है ।

स्फटिकादि में जो लौहित्यादि प्रतीत होता है वह भी पञ्चरागादि भूत द्रव्य के संनिधान से उत्पन्न होनेवाला स्फटिकादि का परिणामविशेष ही है । और स्फटिक में उस की प्रतीति साक्षात्

तस्मादात्मनो बुद्धौ विम्बतया उपाधितया वाऽमूर्तत्वाद् न स्वोपरागजनकत्वम् । तत्त्वे वा कथमात्मनोऽकारणत्वम् ? कथं वा तदुपरागस्याऽनिर्वचनीयस्य, अमतो वा स्वीकारे नौपनिषद्वौद्भवतप्रवेशः । एतेन ‘नामूर्तस्य प्रतिविम्बाभावः शब्दो वक्तुम्, अमूर्तानां रूप-परिणामादीनां प्रनिविम्बदर्शनात्, द्रव्यस्याऽप्यमूर्तस्य साभ्र नक्त्रस्याकाशादेर्जानुमात्रे जले दूर-विशालस्वरूपेण प्रतिविम्बदर्शनाऽच्च’ इत्युक्तावपि न निस्तारः ।

सबन्ध से ही होती है। यदि स्फटिक में प्रतीत होनेवाले लौहित्य को स्फटिक का परिणाम न मान कर उस में भ्रमवश-दोषवश प्रतीत होनेवाले पद्मरागादि उपाधियों का ही धर्म माना जायगा तो स्फटिक में उस का साक्षात् सबन्ध न होने से परपरा सबध से ही उस की प्रतीति माननी होगी। अब परपरा सबध को उस की प्रतीति का जनक मानने पर दूरस्थ स्फटिकादि में पद्मरागादि के लौहित्य का परपरा सबध होने से उस में भी लौहित्य की प्रतीति का अतिशस्त्र होगा। और यदि स्फटिक में लौहित्य के आश्रयभूत पद्मरागादि के विद्यमान सर्सर्ग को साक्षात् सबध से लौहित्यभ्रम का जनक माना जायगा तो ‘स्फटिको न लोहितः-स्फटिक लालवर्ण का नहीं है’ इस विशेष दर्शनकाल में स्फटिक में लौहित्य का भ्रम न होने से उक्त प्रतीतिरूप विशेष दर्शन को उत्तेजक मानना होगा। अर्थात् उक्त प्रतीति के भ्रमाव से विशिष्ट पद्मराग के सर्सर्ग को स्फटिक में लौहित्य की प्रतीति का कारण मानना होगा एव स्फटिक में विद्यमान लौहित्य के आश्रयभूत पद्मराग के सर्सर्ग को स्फटिकमें परपरा सबध से लौहित्य की प्रभा का नियामक मानना पड़ेगा। अतः साख्यपक्ष में अत्यधिक गौरव होगा ।

उस की अपेक्षा न्यायसंगत यही है कि स्फटिकगत पद्मरागसर्सर्ग को स्फटिक में लौहित्य का ही जनक माना जाय। अभिभूत और अनभिभूत रूप का एकत्र समावेश अनुभव सिद्ध है जैसे, रात्रि के समय नक्षत्रों का रूप अनभिभूत रहता है किन्तु दिन में सूर्य के प्रकाश से अभिभूत रहता है। इसी प्रकार पद्मरागादि के सनिधान में स्फटिक में अनभिभूत लौहित्य और असनिधान में अभिभूत लौहित्य के मानने में कोई विरोध नहीं हो सकता। पद्मराग के सनिधान में लौहित्य की उत्पत्ति मानना तब न सम्भव होता जब लौहित्य आदि का नियतारभ माना जाता अर्थात् नियत दे काल में नियत हेतु से ही आरम्भ माना जाता-किन्तु यह मत निरर्थक है। और इस सबध में और विरतृत विचार अन्य ग्रन्थमें द्रष्टव्य है। निष्कर्ष यह है कि आत्मा अमूर्त है इस लिए वह विन्दरूप से या उपाधिरूप से बुद्धि में अपने प्रनिविवात्मक उपराग का जनक नहीं हो सकता, यदि जनक होगा तो उसका आकारणत्व सुरक्षित न रह सकेगा। और बुद्धि में होनेवाले आत्मा के उपराग को यदि अनिवार्य माना जायगा तो श्रौपनिषद् (वेदान्त) मत में, और असत् माना जायगा तो शून्यवादी द्वौद्ध मत में प्रवेश की आपत्ति होगी ।

‘मूर्त्ति द्रव्य का ही प्रतिविम्ब हो सकता है अमूर्त का नहीं’ इस कथन की प्रतिक्रिया में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि—‘अमूर्त पदार्थ का प्रतिविम्ब नहीं होता है’ यह मत अनुचित है, क्योंकि रूपपरिमाणादि अमूर्त पदार्थों का भी प्रतिविम्ब देखा जाता है। अमूर्त द्रव्य का प्रतिविम्ब नहीं होता-यह मत भी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अभ्रनक्षत्र आदि से युक्त अमूर्त आकाश द्रव्य का जानुपर्यन्तजल में दूरस्थ और विशाल रूप में प्रतिविम्ब देखा जाता है। किन्तु यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त युक्ति से प्रतिविम्ब एक भावात्मक कार्य है। जो विम्बात्मक कारण से उत्पन्न होता है अतः यदि

अथ 'न पुरुषजन्यः पुरुषोपरागः, किन्तु पुरुषभेदाऽग्रहादसत एव तस्योत्पत्तिः, सदुपरागेण भानान्व नाऽसत्त्वयाति'रिति चेत् ? गतं तहिं सत्त्वार्थवादेन । 'बुद्धौ सन्नेव पुरुषोपरागः कदाचिदाविर्भवतीति चेत् ? तहिं बुद्ध्युत्पत्तेः पूर्वं पुरुषस्यानुपरक्ततया मोक्षः स्यात्, प्रकृतेः साधारणत्वेनाऽनुपरज्ञकत्वात् । 'पूर्वबुद्धिवामनानुवृत्तेः माधारण्येऽप्यसाधारणी प्रकृतिरिति चेत् । न, 'बुद्धिनिवृत्तावपि तद्वर्मवामनानुवृत्तिः' इत्युपर्दर्शनम् । 'सौक्ष्म्याद् न दोष इति' चेत् ? मुक्तावपि तत्प्रसङ्गः । 'निरधिकारित्वाद् नैवमि'ति चेत् ? तहिं साधिकारा प्रसुपस्वभावा बुद्धिर्व प्रकृतिरस्तु, कृतमन्तरा प्रकृत्य-ऽहङ्कार-मनः-शब्दानामर्थान्तरकल्पनया, मैव हि तत्तद्वचापारयोगात् तेन तेन शब्देन व्यपदिश्यते शरीरवायुवत्, इत्यागमस्यापि न विगेध इति । स्वीक्रियतां वा यथा कथञ्चिद् तस्याऽतात्त्विको भोगः तथाप्यन्यदूषणमित्याह-मुक्तेरतिप्रसङ्गाच्च=तेषां प्रतिविम्बाभावात् मंसारिणामपि मुक्तैकस्वभावत्वात्, वै=निश्चितम्, कदाचन=कदाचिदपि, भोगो न स्यात् ॥३०॥

आत्मा का प्रतिविम्ब माना जायगा तो आत्मा को उस प्रतिविम्ब का कारण मानना होगा । और ऐसा मानने पर आत्मा के सांख्य सम्मत अकारणत्व सिद्धान्त का भङ्ग हो जायगा ।

[असत् पुरुषोपराग कि उत्पत्ति मे सत्त्वार्थवाद विलय]

यदि यह कहा जाय कि- बुद्धि से पुरुष का प्रतिविम्बाख्य उपराग पुरुषजन्य नहीं होता अपितु बुद्धि पुरुष के भेद का ज्ञान न होने से प्रथमतः अविद्यमान ही पुरुषोपराग की उत्पत्ति होती है । बुद्धि और पुरुष इन दो सत्पदार्थों के सम्पर्क से असत् भी पुरुषोपराग का मान होता है । ऐसा मानने पर बौद्ध की असत्त्वयाति का यहां प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि उम मत मे सत् वस्तु का सर्वथा अभाव होने से सत् के सम्बन्ध से असत् का ज्ञान नहीं माना जा सकता -किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि असत् पुरुषोपराग की उत्पत्ति मानने पर 'कार्य उत्पत्ति के पूर्वं कारण मे सत् होता है इस सांख्य के सुप्रसिद्ध सत् कार्य सिद्धान्त का भड़ग हो जायगा । 'वह बुद्धि से पहले से ही विद्यमान रहता है समय विशेष मे उसका आविभाव होता है'-यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर बुद्धि की उत्पत्ति के पूर्वं पुरुष मे किसी प्रकार की उपरक्तता-समृष्टता नहीं रहने से प्रकृतिव्यपर से पहले ही पुरुष मुक्त हो जायगा 'बुद्धि की उत्पत्ति के पूर्वं प्रकृति से उपरक्त होने के कारण उस समय भी पुरुष की मुक्तता नहीं हो सकती'-यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृति आत्मा मात्र के प्रति साधारण होने से किसी को उपराग द्वारा नहीं वांध सकती ।

अगर कहें 'प्रकृति सर्वसाधारण होने पर भी पूर्वबुद्धि की वासना का अनुवर्त्तन होने के कारण असाधारण हो सकती है अत उस से भी पुरुष का उपरज्जन-बन्धन हो सकता है' तो यह ठीक नहीं है क्योंकि प्रलयावस्था मे बुद्धि की निवृत्ति हो जाने पर भी बुद्धि के वासनात्मक धर्म की अनुवृत्ति मानने में सांख्य का अपसिद्धान्त हो जाता है । 'प्रलयावस्था में बुद्धि की और उस के धर्मभूत वासना की सूक्ष्मरूप से स्थिति होने के कारण यह दोष नहीं हो सकता'-यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर मोक्षदशा मे भी बुद्धि और बुद्धिगत वासना का सूक्ष्मरूप मे अवस्थान मानना होगा, अतः

अथ यदि सप्ताग्निं प्रतिविम्बोदयस्वभावः, तदाह—

मूलम्-न च पूर्वस्वभावत्वात्स मुक्तानामसंगतः ।

स्वभावान्तरभावे च परिणामोऽनिवारितः ॥३१॥

न च=नवा सः = प्रतिविम्बोदयस्वभावः, पूर्वस्वभावत्वात् संसार्यवस्थैकस्वभावत्वात्, मुक्तानामसंगतः किन्तु संगत एव, अन्यथा नित्यत्वक्षतेः, एवमपि कदाचन न भोगः किन्तु सर्वदैष स्यात्, इति योजना । स्वभावान्तरभावे च=अमुक्तम्बभावपरित्यागेन मुक्तस्वभावोत्पादे च मुक्तानामिष्यमाणे अनिवारितः परिमाणः, स्वभावान्यथात्वस्यैव तल्लक्षणत्वात् ।

मोक्ष की उपपत्ति न हो सकेगी । यदि कहा जाय कि-मोक्षदशा मे बृद्धि अधिकारहीन हो जाती है । अत एव उत का वन्धन सामर्थ्य समाप्त हो जाने से उस के रहने पर भी मोक्ष की अनुपपत्ति नहीं हो सकती’-तो यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसा मानने पर अधिकारयुद्ध प्रसुप्त स्वभाववाली बृद्धि को हो प्रकृति माना जा सकता है । और इस प्रकार प्रकृति-अहङ्कार-मन ये सभी शब्दों के अर्थमें द की कल्पना अनावश्यक और अप्रामाणिक हो जायगी, क्योंकि बृद्धि प्रकृति, अहङ्कार और मन के व्यापारों के सम्बन्ध से प्रकृति आदि शब्दों से उसी प्रकार व्यपदिष्ट हो सकेगी जैसे शरीरस्थ एक ही वायु व्यापार में द से प्राण-अपान आदि विभिन्न शब्दों से व्यपदिष्ट होता है । इस प्रकार प्रकृति अहङ्कारादि विभिन्न शब्दों से तत्त्व का निरूपण करनेवाले साख्यशास्त्र का विरोध नहीं होगा और यदि किसी प्रकार आत्मा मे अतान्त्रिकभोग मान भी लिया जाय तो उक्त दोषों का कथश्चित् निराकरण हो सकते पर भी संसारदशा मे मोक्ष का अतिप्रसङ्ग होगा क्योंकि अमूर्तद्रव्य का प्रतिविम्बन मानने पर संसारी आत्मा भी मुक्तकल्प हो होगा । और आत्मा का प्रतिविम्बन मानने पर आत्मा मे कभी भी भोग न हो सकेगा ॥३१॥

(अपरिणामो आत्मा प्रतिविम्बोदय म्बभाव नहीं हो सकता)

३१ वीं कारिका मे संसारी आत्मा मे प्रतिविम्बजनन स्वभाव होता है’ इस मत की समीक्षा की गई है कारिका अथ इस प्रकार है—

संसारी आत्मा को प्रतिविम्बजनन के स्वभाव से सम्पन्न मानकर भी संसारावस्था मे आत्मा मे मुक्तता की आपत्ति का परिहार हो सकता है । किन्तु संसारी आत्मा मे प्रतिविम्बजनन स्वभाव नानने पर मुक्तात्मा को उस स्वभाव से विद्युर कहना सङ्गत नहीं हो सकता । क्योंकि संसारावस्था मे आत्मा मे जो प्रतिविम्बजननस्वभाव रहता है-नोक्षावस्था मे उस की निवृत्ति मानने पर आत्मा की नियता वा मङ्ग हो जायगा और यदि मुक्तावस्था मे भी उस स्वभाव का अनुवर्तन माना जायगा तो आत्मा मे भोग केवल संसार दशा मे ही न होकर सब काल मे होने लगेगा । जिसका दृष्टारणाम यह होगा कि आत्मा कभी मुक्त न हो सकेगा । इस दोष का परिचार करने के लिये यदि यह माना जाय कि ‘मोक्षदशा मे आत्मा के संसारकालीन अमुक्तस्वभाव की निवृत्ति हो जाती है और मुक्त स्वभाव की उत्पत्ति हो जाती है’ तो आत्मा मे परिणामित्व की आपत्ति होगी । क्योंकि एक स्वभाव को छोड़कर स्वभावान्तर को ग्रहण करना ही परिणामो का लक्षण होता है ।

‘घटनाशे घटावच्छब्दस्याकाशस्य घटानवच्छब्दत्वेऽपि स्वभावाऽपरित्यागवत् सवासनबुद्धिनाशे विषयावच्छब्दस्य चैतन्यस्य विषयानवच्छब्दत्वेऽपि स्वभावाऽपरित्याग एवे’ति चेत् ? अहो ! असिद्धमसिद्धेन साधयति भवान्, घटनाशेऽप्याकाशस्य घटावच्छब्दत्वस्वभावाऽपरित्यागे घटाकाशब्दवहारप्रसङ्गात् । किञ्च ‘सा बुद्धिस्तमेवात्मानं विषयेणावच्छब्दनन्ति’ इत्यत्र न किमपि नियामकं पश्यामः । तस्मात् बुद्धिरेव रागादिपरिणताऽत्मस्थानेऽभिपिच्यताम् । तस्या लयश्च रागादिलय एव, इति तत्रैव मुक्तिरिति युक्तम् ॥३१॥

देहात् पृथक्त्वं आत्मनो दोषान्तरमाह—

दोहात्पृथक्त्वं एवास्य न च हिंसादयः क्वचित् ।

तदभावेऽनिमित्तत्वाकर्थं बन्ध, शुभाशुभः ? ॥३२॥

देहात् पृथक्त्वं एव=एकान्ततो देहपृथक्त्वे, अस्य=आत्मनः स्वीक्रियमाणे, न च हिंसादयः क्वचिद् भवेयुः । न हि ब्राह्मणशरीरहत्यैव ब्रह्महत्या, मृतब्राह्मणशरीरदाहेऽपि तत्प्रसङ्गात् । न च मरणोदेशाभावादयमदोपः, नदुदेशेनापि तत्प्रसङ्गात् । ब्राह्मणात्मनस्तु नाश एव न, इति ब्राह्मणं धन्तोऽपि सा न स्यात् । ‘ब्राह्मणशरीरावच्छब्दज्ञानजनकमनःसंयोग-

यदि यह कहा जाय कि-‘जसे घट का नाश होने पर घटावच्छब्द आकाश घट से अनवच्छब्द तो हो जाता है किन्तु वह अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता । उसी प्रकार वासानायुक्त बुद्धि का नाश होने पर विषयावच्छब्द चतन्य मे विषयानवच्छब्दत्व हो जाने पर भी उसके स्वभाव का परित्याग नहीं हो सकता । अतः विषयानवच्छब्दत्व हो जाने से आत्मा की मुक्तता और स्वभाव का परित्याग न होने से उस को मुक्तता और अपरिणामिता दोनों की रक्षा हो सकती है ।’-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि यह कथन तो असिद्ध से असिद्ध को सिद्ध करने का प्रयास है ।

आशय यह है कि ‘घटनाश होने पर घटावच्छब्द आकाश के स्वभाव का परित्याग नहीं होता’ यह बात असिद्ध है, क्योंकि घटनाश होने पर भी यदि आकाश का घटावच्छब्दत्व स्वभाव बना रहेगा तो घटनाश हो जाने पर भी ‘घटाकाश’ इस व्यवहार की आपत्ति होगी । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि ‘कोई एक निश्चित बुद्धि किसी एक निश्चित आत्मा को हो विषयोपरक्त कर सकती है, दूसरे को नहीं’ इस बात का कोई नियामक ही नहीं है, क्योंकि आत्मा परिच्छब्द न होने से सभी बुद्धि मे सभी आत्मा का सामीप्य सुलभ होता है । अनः उचित यह होगा कि रागादिरूप मे परिणतबुद्धि को ही आत्मा के स्थान ने अभिषिक्त किया जाय और आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकार कर दिया जाय । ऐसा मानने पर यह निष्कर्ष होगा कि रागाद्यात्मक परिणाम ही बुद्धि स्वरूप आत्मा का बन्धन, और रागादिलयरूप सरागबुद्धि का लय ही बुद्धिरूप आत्मा की मुक्ति है । अत बुद्धि से मिल आत्मा का अस्तित्व सात्य प्रक्रिया के अनुसार नहीं सिद्ध किया जा सकता ॥३२॥

[देह-आत्म भेद पक्ष मे ब्रह्महत्या की अनुपपत्ति]

३२ कीं कारिका मे आत्मा को देह से भिन्न मानने पर एक और अतिरिक्त दोष बताया गया है जो कारिका की व्याख्या करने से म्फुट होता है, कारिका की व्याख्या इस प्रकार है-

विशेषनाशानुकूलो व्यापार एव ब्रह्महत्ये' ति चेत् १ न, तादृशमनःमंयोगस्य स्वत एव नश्वरत्वात्, साक्षादूधातानुपपत्तेश्च । 'ब्राह्मणशरीरावच्छेददुःखविशेषानुकूलव्यापार एव ब्रह्महत्ये' ति चेत् ? शरीराच्छरीरिणः सर्वथा भेदे तच्छेदादिना तस्य दुःखमपि कथम् १ 'परम्परासम्बन्धेन तदात्मसंबन्धादि' ति चेत् ? साक्षादेव कथं न नत्संबन्धः ? शरीरावयवच्छेदे एव हि शरीरात् पृथग्भूतावयवस्य कम्पोपलविधरूपपद्यते, नाऽन्यथा, प्राणक्रियाया अपि तन्मात्रोपग्रहं विनाऽभावात् ।

आत्मा को देह से एकान्ततः (पूर्णतया) भिन्न मानने पर हिंसादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण के शरीर की हत्या ब्रह्महत्या नहीं होती, अन्यथा मृतब्राह्मण के शरीर का दाह करने पर भी दाहकर्ता को ब्राह्मणहत्या की आपत्ति होगी । 'मरण के उद्देश से को जानेवाली हत्या ही वास्तविक हत्या होती है, मृत ब्राह्मण के शरीर का दाह मरण के उद्देश से नहीं होता क्योंकि दाहके पहले ही ब्राह्मण मृत रहता है । अतः मृतब्राह्मण के शरीर का दाह हत्यालृप नहीं हो सकता ' यह कथन भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के प्रथमतः मृत होने पर भी यदि मरण के उद्देश से उस के शरीर का दाह किया जाय तब भी उक्त दाह हत्या नहीं कहा जाता किन्तु यदि शरीर की हत्या को ही हत्या माना जायगा तो उक्त दाह से भी हत्यात्व का परिहार नहीं हो सकता । ब्राह्मणात्मा के नाश को हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा के नित्य होने से उस का नाश होता ही नहीं है । अतः ब्राह्मणात्मा के नाश को हत्या मानने पर ब्राह्मणघाती भी ब्रह्महत्या से मुक्त हो जायगा ।

यदि यह कहा जाय कि-'जिस आत्ममन सयोग से ब्राह्मणशरीरावच्छेदेन ज्ञान उत्पन्न होता है उस आत्ममनःसयोग का नाशव्यापार ही ब्रह्महत्या है'-तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि ज्ञान उत्पन्न करनेवाला आत्मसंयोग घातक व्यापार न होने पर भी स्वयं ही नष्ट हो जाता है । और उस का साक्षात् घात हो, भी नहीं सकता । 'ब्राह्मणशरीरावच्छेदेन दुःखविशेष का जनक व्यापार ही ब्रह्महत्या है'-यह भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि शरीर से आत्मा को अत्यन्त भिन्न मानने पर शरीर के छेदन आदि से आत्मा से दुःख का होना संगत नहीं हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि-'देह के छेदन आदि का आत्मा मे परम्परासम्बन्ध होने से आत्मा में भी उस से दुःख का उदय हो सकता है'-तो यह कहने की अपेक्षा यह मानना अधिक उचित है कि आत्मा के साथ देह के छेदन आदि का साक्षात् ही सम्बन्ध होता है, इसलिए ही आत्मा को देह से पूर्णतया भिन्न नहीं माना जाता है । देह और आत्मा में अत्यन्त भेद न मानकर कथञ्चित् अभेद मानना इसलिए भी आवश्यक है कि शरीर के किसी अवयव का छेद होने पर जब अवयव शरीर से अलग हो जाता है तब भी कुछ समय तक छिन्न अवयव से कम्प होता है । यह कम्प तभी हो सकता है जब शरीर के अवयव का छेद होने पर आत्मा के अवयव का भी छेद हो और आत्मा का छिन्न अवयव शरीर के छिन्न अवयव में विद्यमान हो । ऐसा न मानने पर शरीर के छिन्न अवयव में आत्मा का सम्बन्ध न होने से इस में कम्प नहीं हो सकता । 'आत्मसम्बन्ध के असाव में भी प्राण की क्रिया से भी शरीर के छिन्न अवयव में कम्प की उत्पत्ति नहीं की जा सकती'-क्योंकि प्राण की क्रिया भी शरीर या शरीर के अवयव से तभी होती है जब उस में आत्मा

नन्वेवं छिन्नावयवानुप्रविष्टस्य पृथगात्मत्वप्रसक्तिः स्यादिति चेत् १ न, तत्रैव पश्चादनुप्रवेशात् । छिन्ने हस्तादौ कम्पादितलिङ्गादर्शनादित्थं कल्पनात् । न चैकत्वादात्मनो विभागाऽभावाच्छेदभाव इति वाच्यम्, शरीरद्वारेण तस्यापि सविभागत्वात्, अन्यथा सावयवशरीरव्यापिता तस्य न स्यात् । तथा च तच्छेदनान्तरीयकश्चेदो न स्यात् । ‘छिन्नाऽच्छिन्नयोः कथं पश्चात् मंघटनम्?’ इति चेत् १ न, एकान्तेनाच्छिन्नत्वात्, पद्मनालतन्तुवच्छेदेऽपि च्छेदाभ्युपगमात् । संघटनमपि तथाभूताऽद्वृष्टवशादविरुद्धमेव । ‘इन्त ! एवं शरीरदाहेऽप्यात्मदाहः स्यादि’ ति चेत् १ न, क्षीर-नीरयोरिदाऽभिन्नत्वेऽपि भिन्नलक्षणत्वेन तद्वेषभावादिति, अन्यत्रविस्तरः ।

तस्माद् देहादात्मन एकान्तपृथक्त्वे हिंसाद्यभावः, तदभावे=हिंसाद्यभावे, अनिमित्तत्वात्=निमित्तसंनिधानाऽभावात्, कथं शुभाऽशुभो वन्धः १ अत्र शुभश्चाऽशुभश्चेति विग्रहे छिवचनापत्तिः, कर्मधारये च वाध इति शुभेन सहितोऽशुभम् इति व्याख्येयम् ॥३२॥

का सम्बन्ध हो अतः देह और आत्मा मे अभेद मानकर देहावयव का छेद होने पर आत्म-अवयव का छेद मानना और आत्म-अवयव के सम्पर्क से ही छिन्न देहावयव मे कम्प की उपपत्ति करना आवश्यक है ।

[छिन्न अवयव में पृथक् आत्म प्रसंग का निवारण]

‘देह और आत्मा का अभेद होने से देहावयव के छेद से आत्म-अवयव का छेद होता है ऐसा मानने पर देहके छिन्न अवयव में आत्मा का जो भाग अनुप्रविष्ट रहेगा वह एक पृथक् आत्मा ही हो जायगा’-यह शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्मा का जो भाग छिन्न देहावयव के साथ बाहर आता है वह थोड़े समय बाद पूर्व शरीर मे ही प्रविष्ट हो जाता है । यह कल्पना इसलिए की जाती है, कि दह के छिन्न अवयव मे कुछ समय तक कम्प होता है और बाद मे कम्प नहीं होता है, अतः बाद मे भी छिन्न अवयव मे आत्मभाग का सम्बन्ध बना रहता है-यह मानने मे कोई युक्ति नहीं है -‘आत्मा एक होता है अतः इस मे विभाग संभव न हो सकने से उस का छेद नहीं हो सकता’-यह शंका भी उचित नहीं है क्योंकि देह और आत्मा मे ऐक्य मानने पर देह से विभाग संभव होने के कारण देह के हारा आत्मा मे भी विभाग मानना युक्तिसंगत हो सकता है । यदि आत्मा को सावयव न माना जायगा तो वह सावयव शरीर मे व्यापक नहीं हो सकेगा और देह छेद के साथ आत्म छेद की अनिवार्यता भी न हो सकेगी ।

‘छिन्न देहावयव का शेष शरीर के साथ बाद मे जैसे संघटन नहीं हो पाता उसी प्रकार छिन्न आत्म-अवयवों का भी शरीरस्य शेष आत्मा के साथ संघटन नहीं हो सकता’- यह शंका भी उचित नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जो भाग देहके छिन्नावयव के साथ छिन्न होता है वह पूर्ण रूप से शरीरस्य आत्मा से पृथग् नहीं होता । अत उस का संघटन हो सकता है किन्तु देहका जो हस्तादि अवयव देह से पृथग् होता है वह देह से पूर्णतया पृथग् हो जाता है अतः देह के साथ उसका संघटन नहीं होता । छिन्न अंश का अपने अंशी के साथ संघटित होना कोई अद्भुत बात नहीं है ।

ततः को दोपः ? इत्याह—

मूलम्-बन्धादते न संसारो मुक्तिर्वास्योपपद्यते ।

यमादि तदभावे च सर्वमेव श्यापार्थकम् ॥३३॥

बन्धादते=बन्धं विना, देव-नारकादिरूपः संसारो न । नवाऽस्य=आत्मनः मुक्तिरूपपद्यते, बद्धानां कर्मणा क्षय एव हि मुक्तिरिति । तदभावे च=मुक्त्यभावे च, सर्वमेव हि=निश्चितम्, यमादि=यमनियमादिकं योगानुष्टानम् अपार्थकम्=विपरीतप्रयोजनम् । कः खलु फल-मनभिलपन्नेव दुष्करक्लेशैरात्मानमधसादयेत् ? ॥३३॥

क्योकि कमलनाल के छिन्न ततु का छिन्न नाल के साथ संघटून सर्वानुभव सिद्ध है । 'विना कारण संघटून कैसे हो सकता है' ? इस शंका को भी अवसर नहीं प्राप्त हो सकता क्योकि अद्वृट बड़ा शक्तिशाली कारण होता है । अत एव जिस छिन्न अश का छिन्न अशी के साथ संघटूनकारी अद्वृष्ट रहता है उस का अशी के साथ संघटून होने मे कोई वाधा नहीं हो सकती । यदि यह शक्ता की जाय कि 'देह और आत्मा मे ऐक्य मानने पर शरीर का दाह होने पर आत्मा का भी दाह हो जायगा'-तो यह ठीक नहीं है क्योकि क्षीर और नीर के समान अभिन्नता होने पर भी देह और आत्मा मे कुछ भिन्नता भी होती है । उस भिन्नता के कारण ही शरीरदाह होने पर भी आत्मदाह नहीं होता, जैसे नीर की वाष्प हो जाने पर उस के साथ ही क्षीर का विनाश नहीं हो जाता । इस विषय का विस्तृत विचार अन्यत्र वृष्टव्य है ।

निष्कर्ष यह है कि-आत्मा को देह से अत्यन्त भिन्न मानने पर हिंसादि का अभाव हो जायगा और हिंसादि का अभाव होने पर शुभाऽशुभ बन्ध का कोई निमित्त न होने से शुभाशुभ बन्ध भी न हो सकेगा । कारिका मे आये शुभाशुभ शब्द का 'शुभश्च अशुभश्च' ऐसी व्युत्पत्ति मानकर द्वन्द्व समात द्वारा साधुपन नहीं हो सकता क्योकि उक्त व्युत्पत्ति से द्वन्द्व मानने पर द्विवचन विभक्ति की आपत्ति होगी । कर्मधारय समास से भी साधुपन नहीं माना जा सकता क्योकि शुभ और अशुभ मे ऐक्य नहीं होता और कर्मधारय के लिए पूर्व और उत्तर पद के अर्थों मे अभेद आवश्यक होता है, इसलिए 'शुमेन सहित अशुभ' । यह व्युत्पत्ति कर मध्यमपदलोपीसमास से ही उसका साधुपन समझना चाहिए ।

[बन्ध न होने पर मुक्त और संसारी के भेद की अनुपपत्ति]

३३ वीं कारिका मे शुभाऽशुभ बन्ध के अभाव मे क्या दोष हो सकता है इस बात का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि यदि शुभाशुभ बन्ध न होगा तो आत्मा संसारी न हो सकेगा, क्योकि देव-नरक, मृत्युलोक आदि के साथ आत्मा का सम्बन्ध ही सासार कहलाता है और शुभाशुभ बन्ध ही उसका निमित्त माना जाता है । अतः उसके अभाव मे निमित्त का अभाव हो जाने से सासार का होना असंभव हो जायगा । शुभाशुभ बन्ध के अभाव मे आत्मा का मोक्ष भी नहीं हो सकता क्योकि कर्मबन्ध के क्षय को ही मोक्ष कहा जाता है । जब आत्मा मे कर्मबन्ध ही नहीं होगा तो फिर उसका क्षय कैसे सम्भव हो सकेगा ? यदि 'आत्मा का मोक्ष नहीं होता है' यह मान लिया जाय तो यम नियम आदि का कष्टसाध्य पालन निरर्थक हो जायगा क्योकि कोई भी मनुष्य बिना किसी फल की कामना किये दुःख अलेशो से अपने आपको पीड़ित करने का कष्टमय व्यापार नहीं करता ॥३३॥

परामित्रायमाह-

मूलम्-आत्मा न वध्यते नापि मुच्यते इसौ कदाचन ।

‘वध्यते मुच्यते चापि प्रकृतिः स्वात्मनेति चेत् ॥३४॥

असौ=प्रत्यक्षमिद्दः आत्मा; न वध्यते=न प्राकृतिकादिवन्धपरिणतो भवति, स्वासनक्लेशकर्माशयानां वन्धत्वेन समाप्नातानां पुरुषेऽपरिणामिन्यसंभवात् । नापि कदाचन मुच्यते, मुचेद्वन्धनविश्लेषार्थत्वात् तस्य च सर्वदाऽवद्गत्वात् कुत्र तहिं वन्ध-मोक्षौ १ इत्यत आह—वध्यते प्रकृतिरेव स्वात्मना=स्वपरिणामलक्षणेन वन्धेन, मुच्यते चापि तेन प्रकृति-रेव, तत्रैव वन्धविश्लेषात् । पुरुषे तु तावृपचयेते, भृत्यगताविव जय-पराजयौ स्वामिनीति । तदुक्तम्—

‘तस्माद् न वध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित् ।

संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥१॥[मां. का. ६२]इति । (समाधत्ते) इति चेत् १

[प्रकृति के वन्ध और मोक्ष की आशंका]

३४ वीं कारिका में वन्धमोक्ष के सम्बन्ध में साख्यशास्त्र का भत प्रदर्शित किया है जो इस प्रकार है—आत्मा यथार्थ रूपमें न कभी बद्ध ही होता है न कभी मुक्त होता है । बद्ध इसलिए नहीं होता है कि आत्मा अपरिणामी होता है अतः वासना क्लेश और कर्माशयरूपी वन्ध उसको नहीं हो सकता, क्योंकि यह वन्ध परिणामात्मक है, अतः प्राकृतिकशादि के रूप में अपरिणामी आत्मा में उसका होना असम्भव है । आत्मा का मोक्ष इसलिए नहीं हो सकता कि वह सर्वदा वन्धनहीन होता है अतः उसमें वन्धननिवृत्तिरूप मोक्ष की सम्भादना ही नहीं हो सकती । इसलिये आत्मा में वन्ध और मोक्ष की अनुपपत्ति वताना असङ्गत है । वस्तु स्थिति यह है कि वन्ध और मोक्ष प्रकृति में होते हैं । और प्रकृति में उनकी उपपत्ति होने से कोई बाधा नहीं है क्योंकि प्रकृति परिणामिनी होती है, अतः अपने परिणामों से वांधाजान उसके लिये स्वाभाविक है । और जब उसमें वन्ध होता है तो निमित्त उपस्थित होने पर उसमें वन्धननिवृत्तिरूप मोक्ष का होना भी ‘युद्धित सङ्गत है । ‘प्रकृति में वन्ध और मोक्ष मानने पर आत्मा में वन्ध मोक्ष का व्यवहार कैसे होगा?’ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे युद्ध से जयपराजय वस्तुतः राजा के सेवक सैनिकों वा होता है किन्तु उसका औपचारिक व्यवहार राजा में माना जाता है, उसी प्रकार प्रकृति में होने वाले वन्धमोक्ष का उसके अधिष्ठाता आत्मा में औपचारिक व्यवहार माना जा सकता है । जैसा कि ईश्वरकृष्ण ने ‘तस्मात् न वध्यते’ अपनी इस कारिका में कहा है कि-आत्मा के कूटस्थ नित्य होने के कारण कोई भी आत्मा न कभी संसारी होता है न कभी बद्ध होता है और न कभी मुक्त होता है किन्तु अनेक रूपों में परिणत होने की योग्यता रखने के कारण प्रकृति में ही संसार, वन्ध और मोक्ष होते हैं पुरुष में उनका व्यवहार मात्र होता है जो पूर्णरूप से औपचारिक=गौण है ।

अन्नोत्तरम्—

मूलम्-एकान्तेनैकस्वपाया नित्यायाश्च न सर्वथा ।

तस्याः क्रियान्तराऽभावाद् बन्धमोक्षौ सुयुक्तितः ॥३५॥

एकान्तेनैकस्वपायाः=सर्वथैकस्वभावायाः, सर्वथा नित्यायाश्च=सर्वैः प्रकारैः प्रवृत्ति-रूपैकक्रियायाश्च, तस्याः प्रकृतेः, क्रियान्तराभावात्=निवृत्तिक्रियाया अभावात्, सुयुक्तितः=सन्न्यायात्, बन्ध-मोक्षौ न । प्रकृति-पुरुषान्यताख्यातिरूपो हि व्यापारः पुरुषस्यैव, इति तस्यैव मोक्ष उचितः, न तु प्रकृतेः, तस्याः प्रवृत्त्येकरूपत्वात्, पुरुषार्थमचेतनत्वेन व्यापाराऽयोगाच्च ।

किञ्च प्रकृतेर्मुक्तौ पुरुषस्य स्वरूपावस्थाने तस्याः माधारणत्वादेकमुक्तौ संसारोच्छेदः, प्रकृतिवदात्मनोऽपि सर्वगतत्वेन ‘एकावच्छेदेन मुक्तिः, नान्यावच्छेदेन’ इत्यपि वक्तुमशक्यत्वात् । तद्बुद्ध्यवच्छेदेन मुक्तत्वम्, नान्यबुद्ध्यवच्छेदेन इत्यपि क्षीणायावुद्भेदनवच्छेदकत्वादनुदधोष्यम्, बुद्धियोगेन पुरुषस्य संसारित्वे तस्यैव मोक्षप्रसङ्गाच्च ॥३५॥

[नित्य एक स्वरूप प्रकृति मे बन्ध मोक्ष असंभव]

३५ वीं कारिका मे पूर्वकारिकावर्णित साख्यमत का समाधान करते हुए यह कहा गया है कि प्रकृति सर्वथा एकरूप और नित्य है । सदा प्रवृत्तिशील रहना ही उसका स्वभाव है । अत उस मे निवृत्तिरूप अन्यक्रिया नहीं हो सकती । इसीलिये उसमे बन्ध और मोक्ष न्यायसङ्गत नहीं हो सकते । ‘प्रकृतेरह पृथक्-मे प्रकृति से पृथक् हूँ’ वैसा प्रकृति और पुरुष मे भेद का ज्ञान पुरुष का ही कार्य है और वही मोक्ष का साधन है इसलिये पुरुष मे ही मोक्ष हो सकता है प्रकृति मे नहीं, क्योंकि प्रवृत्तिशील रहना ही उसका सहज स्वभाव है । यह कहना कि-‘प्रकृति हो पुरुष के भोग और मोक्ष दोनों प्रयोजन का सम्पादन करने के लिये व्यापाररत होती है । अत. वे दोनों प्रयोजन प्रकृति के ही व्यापार से सम्पन्न होने के कारण प्रकृति के ही धर्म हो सकते हैं । प्रकृति ही उन मे पुरुषप्रयोजनत्व उपपन्न करती है’—ठीक नहीं हो सकता । क्योंकि पृथ्वी अचेतन होती है अत एव पुरुष के लिये उसका व्यापाररत होना सम्भव नहीं है । व्यापाररत होने के लिये चेतन्य का होना आवश्यक है, क्योंकि ससार मे किसी भी जडपदार्थ मे स्वतन्त्ररूप से सक्रियता नहीं देखी जाती ।

यह भी ज्ञातव्य है कि-पुरुष का मोक्ष न मानकर यदि प्रकृति का ही मोक्ष माना जायगा और प्रकृति के मोक्ष से ही पुरुष का अपने सहज स्वरूप मे अवस्थान होगा तो प्रकृति के सर्वसाधारण होने के कारण एक की मुक्ति� होने पर समस्त संसार का उच्छेद हो जायगा, क्योंकि प्रकृति जब किसी एक आत्मा के लिये अपना व्यापार बन्ध करेगी तो उसका वह व्यापार निरोध आत्मा मात्र के लिये हो जायगा, क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि एक ही समय मे प्रकृति निर्व्यापार भी हो और सव्यापार भी हो चैकि सव्यापारत्व और निर्व्यापारत्व में विरोध है । यदि यह कहा

दोषान्तरमप्याह-

मूलम्-मोक्षः प्रकृत्ययोगो यदतोऽस्याः स कथं भवेत् ।

स्वरूपविगमापत्तेस्तथा तन्त्रविरोधतः ! ॥३६॥

मोक्षः प्रकृत्ययोगः, यत्-यस्मात् कारणात्, 'प्रकृतिवियोगो मोक्षः' इति वचनात्, अतो हेतोः, अस्याः प्रकृतेः, सः मोक्षः, कथं भवेत् ? कुन इत्याह स्वरूपविगमापत्तेः=प्रकृति-स्वरूपनिवृत्तिप्रसङ्गात्, पुरुषे तु तत्त्वापारनिवृत्तिद्वारा तन्निवृत्तियुर्ज्येतापि न तु स्वस्मिन् स्व-निवृत्तिः मंभवति, घटे घटनिवृत्यदर्शनात् अप्रसवतस्याऽप्रतिषेधात् । तथा, तन्त्रविरोधतोऽपि प्रकृतेमोक्षः कथम् ? ॥३६॥

जाय कि—‘सत्यापारता और निव्यापारता में विरोध होने पर भी भिन्न आत्मा के प्रति उन दोनों का समावेश प्रकृति में एक काल में भी हो सकता है । अतः प्रकृति में एकपुरुषावच्छेदेन मुक्ति और अन्यपुरुषावच्छेदेन मुक्ति का अभाव होने से मुक्ति को प्रकृतिगत मानने पर भी संसार के उच्छेद की आपत्ति नहीं हो सकती ।’—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि प्रकृति जैसे सर्वगत है उसी प्रकार आत्मा भी सर्वगत है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति का एक भाग एक ही आत्मा से सम्बद्ध होता है और अन्य आत्मा से सम्बद्ध नहीं होता । और जब ऐसा नहीं हो सकता तब यह बात कैसे युक्ति संगत हो सकती है कि प्रकृति में एक आत्मावच्छेदेन मुक्ति और अन्यात्मावच्छेदेन मुक्ति का अभाव होता है । यदि यह कहा जाय कि—‘पुरुष के सर्वगत होने के कारण पुरुष से प्रकृति का अवच्छेद सम्भव नहीं हो सकता किन्तु बुद्धि के असर्वगत होने के नाते बुद्धि से अवच्छेद हो सकता है । अतः यह मानना सम्भव है कि प्रकृति जब एकबुद्धचवच्छेदेन मुक्त होती है तब अन्यबुद्धचवच्छेदेन अमुक्त भी रह सकती है’—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि बुद्धि का क्षय होने पर ही यह मोक्ष होता है तो फिर क्षीण-बुद्धि को मोक्ष का अवच्छेदक कैसे कहा जा सकता है ? और मुख्य बात तो यह है कि यदि पुरुष में संसार का वास्तविक सम्बन्ध न तो होता किन्तु संसार का वास्तविक सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है तो फिर बुद्धि का ही मोक्ष मानना युक्तिसङ्गत हो सकता है, क्योंकि जो वास्तव रूप में संसारी हो-वास्तवरूप में वही मोक्ष का अधिकारी हो सकता है । अतः पुरुष को संसारों और मुक्त कहना असङ्गत है ॥३५॥

[प्रकृतिवियोगात्मक मोक्ष आत्मा का ही संभवित है]

३६ वीं कारिका में मोक्ष को प्रकृतिगत मानने से एक अन्य दोष बताते हुए कहा गया है कि 'प्रकृतिवियोगो मोक्षः' इस सांख्यशास्त्रीय वचन के अनुसार प्रकृति के साथ सम्बन्ध का अभाव होना ही मोक्ष है । इसलिये वह प्रकृति में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रकृति का असम्बन्ध मानने पर प्रकृति के स्वरूप की ही निवृत्ति हो जायगी । पुरुष में तो प्रकृति का असम्बन्ध माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष के साथ प्रकृति का सम्बन्ध प्रकृति के व्यापार से ही होता है अतः प्रकृति के व्यापार की निवृत्ति होने पर प्रकृति के सम्बन्ध की निवृत्ति हो सकती

'एतदेवोपदर्शयन्नाह—

मूलम्-पञ्चविशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतः ।

जटी मुण्डो शिखो वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥३७॥

पञ्चविशतितत्त्वज्ञः=प्रकृति-महादादिपञ्चविंशतितत्त्वरहस्यपरिज्ञाता, यत्र तत्र-गृह-स्थादौ आश्रमे, रतः=तत्त्वज्ञानाभ्यासवान्, जटी=जटावान्, मुण्डो=मुण्डतश्चिगः, शिखो वापि-शिखावानपि, मुच्यते=प्रकृति-विकारोपधानविलयेन स्वरूपावस्थितो भवति, वाह्यलिङ्ग-मत्राऽकारणम् । नात्र संशयः=इदमित्थमेव, वचनप्रामाण्यात् ॥३७॥

निगमयति—

मूलम्-पुरुषस्योदिता मुक्तिरिति तत्त्वे चिरंतनैः ।

इत्थं न घटते चेयमिति सर्वमयुक्तिमत् ॥३८॥

इति=एतत्प्रकारे तत्त्वे=शास्त्रे, चिरंतनैः=पूर्वाचायैः, पुरुषस्य मुक्तिरुक्ता । न चेयं=पुरुषस्य मुक्तिः, इत्थं=उक्तप्रकारेण विचार्यमाणा, घटते इति हेतोः, सर्वं=मांख्योक्तम्, अयुक्तिमत्=युक्तिरहितम् ॥३८॥

है । जैसे, घटादि किसी भी वस्तु से उस वस्तु की निवृत्ति नहीं देखी जाती । क्योंकि स्व में स्व को प्रसक्ति नहीं होती, अत श्व में स्व का प्रतिषेध भी नहीं हो सकता, और प्रसक्त का ही प्रतिषेध होता है अप्रसक्त का नहीं । प्रकृति में मोक्ष मानना शास्त्रविरुद्ध भी है जो साख्यमतभान्य अप्रिम कारिका में स्पष्ट है ॥३६॥

[सांख्यसिद्धान्त में पुरुष का ही मोक्ष कहा गया है]

३७ वर्षों कारिका में पूर्वकारिका में कथित शास्त्रविरोध का प्रदर्शन करते हुए कहा गया है कि-प्रकृति-महत्-आदि पञ्चोंस तत्त्वों का रहस्य जाननेवाला मनुष्य गृहस्थादि किसी भी आश्रम में रहने पर मुक्त हो सकता है, चाहे वह जटा रखता हो या शिर का मुण्डन कराता हो अथवा चाहे वह शिखा धारण करता हो । प्रकृति आदि के तत्त्वज्ञान का अस्यासद्वारा तत्त्वदर्शन हो जाने पर प्रकृति के विकारों का विलय होने से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो कर मुक्त हो सकता है । मोक्ष के लिये किसी भी प्रकार का वाह्य चिह्न अपेक्षित नहीं है । तत्त्वज्ञान से किसी भी स्थिति में पुरुष के मुक्त होने में कोई संग्रह नहीं है—यह तथ्य शास्त्रवचनों से सिद्ध है । इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि ज्ञाता पुरुष ही मुक्त हो सकता है । अचेतना प्रकृति तत्त्ववेत्ता नहीं हो सकती है, अत एव उसको मुक्ति नहीं मानी जा सकती ॥३७ । ३८ वर्षों कारिका में निष्कृष्ट बताया जा रहा है—

शास्त्र में पूर्वाचार्यों ने पुरुष की ही मुक्ति होती है ऐसा कहा है किन्तु सांख्यमत में पुरुष की मुक्ति नहीं हो सकती । जैसा कि विचार-विमर्श द्वारा सिद्ध हो चुका है । अत साख्य ने जो कुछ भी कहा है वह सब युक्तिहीन होने के कारण आमान्य है ॥३८॥

११ एतत्-तत्त्वम्-प्रकृति साहृद्यसिद्धान्त इति यावत् ।

अत्रापि यावद् यथोपपन्नं तावतस्तथावार्तामाह-

मूलम्-अत्रापि पुरुषस्यान्ये मुक्तिमिच्छन्ति वादिनः ।

प्रकृतिं चापि सन्न्यायात्कर्मप्रकृतिमेव हि ॥३६॥

अत्रापि=सांख्यवादे, अन्ये वादिनः=जैनाः, पुरुषस्य मुक्तिमिच्छन्ति प्रकृतिवियोगलक्षणाम् । प्रकृतिं चापि सन्न्यायात्=सत्त्वकात्, हि=निश्चितम्, कर्मप्रकृतिमेवेच्छन्ति, बुद्ध्यादीनां निमित्तत्वात् । तत्सम्बन्धश्च कथञ्चिदात्मादावेवोपपद्यते । सर्वथा सत्कार्यवादे तु सतः सिद्धत्वेनाऽकरणात्, साध्याधिंतयैवोपादानग्रहणात्, नियतादेव क्षीरादेः सामग्र्या दध्यादिदर्शनात्, सिद्धे शक्त्यव्यापारात्, तादात्म्ये स्वस्मिन्निव कार्य-कारण[त्वा]भावाद्[इति]विपरीतं हेतुपञ्चकम् ।

(सांख्यमत में तथ्यांश का निरूपण)

३६ वीं कारिका में सांख्योक्त विषयो में जिस रीति से उपपत्ति हो सकती है उस रीति से उस की उपपत्ति बताई गई है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

सांख्यसिद्धान्त में पुरुष की मुक्ति और प्रकृति का प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार जैन विद्वानों ने पुरुष की मुक्ति व प्रकृति मान ली है और उनका कहना है कि पुरुष की प्रकृतिवियोगरूप मुक्ति होती है यह ठीक है किन्तु प्रकृति का जो स्वरूप सांख्य ने माना है वह न्यायपूर्वक विचार करने पर जैन शासन में वर्णित कर्मप्रकृति से मिल नहीं सिद्ध होती । अतः कर्मप्रकृति के रूप में ही प्रकृति मान्य हो सकती है, क्योंकि वही बुद्धि आदि सम्पूर्ण जगत् की निमित्त कारण होती है । उसका सम्बन्ध भी कथञ्चित् आत्मा में उपपन्न हो जाता है ।

[सत्कार्यवाद विरोधी हेतुपञ्चक]

सांख्यशास्त्र में सत्कार्यवाद का वर्णन किया गया है, वह भी यथावर्णित रूप में जैन विद्वानों को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य को सर्वथा सत् मानने पर सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिये साख्यविद्वानों द्वारा प्रयोग में लाये गये पाँचों हेतु विपरीत हो जाते हैं । अर्थात् (१) जैसे असत् का करण=जन्म नहीं हो सकता उसी प्रकार सर्वथा सत् का भी स्वत् सिद्ध होने के कारण-जन्म नहीं हो सकता । (२) एवं जो सिद्ध है उसके लिये उपादान का ग्रहण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वथा सिद्ध में कुछ साधनीय नहीं होता और उपादान का ग्रहण साधनीय के लिये ही होता है । (३) सभी पदार्थों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती' यह हेतु भी सर्वथा सिद्धवस्तु के सम्बन्ध में उपपन्न नहीं होता, क्योंकि नियत दुर्घादिसामग्री से दधि के रूप में पूर्व असिद्ध का ही सपादन होता है । (४) 'शक्य द्वारा शक्य का ही करण होता है-' यह हेतु भी सर्वथा सिद्धवस्तु के सम्बन्ध में युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति का व्यापार भी सिद्ध में नहीं देखा जाता । (५) कार्यं और कारण के तादात्म्य को भी सत्कार्यवाद का समर्थक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्य और कारण में सर्वथा तादात्म्य मानने पर कार्यकारण भाव ही नहीं हो सकता—जैसे वही वस्तु उस का कार्य और कारण नहीं होती । अतः

यदि कारणव्यापारात् प्रागपि पटमत्तुपु सन्नेव, तदा किमित्युपलब्धिकारणेषु सत्सु सत्यामपि जिज्ञासायां नोपलभ्यते ? 'अनाविर्भावादि'ति चेत् । कोऽयमनाविर्भावः १ उपलब्धेरभावश्चेत् । मैव कथम् इत्याक्षेपे तदेवोत्तरम्, इति वद्वकुद्धयां प्रभातम् । अथोपलब्धियोग्यस्यार्थक्रियाकारिहृपस्य विरहोऽनाविर्भावि इति चेत् १ असत्कार्यवादः, तादृशहृपस्य प्रागसतः पश्चाद्भावात् । 'विजातीयसंयोगस्य तदवच्छेदेन सन्निकर्पस्य वा व्यञ्जकस्याऽभावाद् न प्रागुपलब्धिरि'ति चेत् १ तर्हि तस्यैव प्रागसत्त्वेऽसत्कार्यापातः । 'प्राक् सन्नेवाविभृतो व्यञ्जक' इति चेत् १ न, आविर्भावस्यापि सदसद्विकल्पग्रासात् । 'स्थूलरूपावच्छन्नस्य प्रागसत्त्वाद् नोपलब्धिः, धर्म-धर्मिणोः सौकृद्ध्यस्थौल्ययोश्चैकत्वाद् नानवस्थे'ति चेत् १ तर्हि सूक्ष्मरूपावच्छन्नस्याऽहेतुकत्वेऽतिप्रसङ्गः । प्रकृतिमात्रहेतुकत्वे च स्थूलतादशायामपि तदापत्तिः, अनिर्मोक्षश्च इति न किञ्चिदेतत् । तस्माच्छवलस्यैव वस्तुनः कथञ्चित् सत्त्वम् असत्त्वं चोपपत्तिमत् । तथा च बुद्धयादीनामहंत्वसामानाधिकरण्येनाऽध्यवसीयमानत्वात् तद्वर्मतया तत्रैव समन्वयः, कर्मप्रकृतिस्तु तत्र निर्मित्तमात्रमिति प्रतिपत्तव्यम् ॥३९॥

इन हेतुओं से उत्पत्ति के पूर्व कार्य की एकान्त सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती अपितु यह सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारणपर्याय के रूप में सत् होता है और कार्य पर्याय के रूप में असत् होता है ।

पट अपने कारणों के व्यापार के पूर्व भी तत्त्वुओं से यदि सर्वात्मना सत् होगा तो इस प्रश्न का कोई उत्तर दिया जाना कठिन होगा कि कारण व्यापार के पूर्व भी पट की उपलब्धि के समस्त कारणों के रहने पर और पट को उपलब्ध करने की इच्छा होने पर भी-पट की उपलब्धि क्यों नहीं होती ? 'उस समय पट का आविर्भाव न होने से पट की उपलब्धि नहीं होती' यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि आविर्भाव न होने का अर्थ है उपलब्धि का अभाव । अतः कारणव्यापार के पहले कार्य की उपलब्धि नहीं क्यों होती ? इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं दिया जा सकता कि कार्य की उपलब्धि का अभाव है, क्योंकि 'जिस उपलब्धि के अभाव से काय की अनुपलब्धि मानी जायगी वह उपलब्धि क्यों नहीं होती ?' यह प्रश्न भी उठेगा । अतः यह उत्तर नदी के घाट पर नदी पार करने का कर ग्रहण करने के लिये बनी हुई कुटी में ही प्रभात होने के समान होगा । आशय यह है कि जैसे कोई व्यक्ति रात्रि के समय नदी पार कर नदी और कुटी के बीच ही किसी रास्ते से इस अभिप्राय से नीकले कि जिससे कुटी पर उसे न जाना पड़े और वह करदान से मुक्त हो जाय किन्तु रात के अन्धेरे में चलते चलते उस कुटी पर ही पहुंचने पर प्रभात हो जाय और वह कर ग्रहण करने वालों के घेरे में आ जाय उसी प्रकार 'कार्य को उत्पत्ति के पहले सर्वथा सत् मानने पर कारण व्यापार के पूर्व कार्य-की उपलब्धि क्यों नहीं होती' इस प्रश्न का उक्त उत्तर देने पर उत्तरकर्ता पूर्वप्रश्न की परिधि में ही फैस जाता है ।

यदि यह कहा जाय कि-आविर्भाव न होने का अर्थ है उपलब्धि योग्य वस्तु को उपलब्धि का विषय बनाने वाले रूप का अभाव ।-तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर असत्कार्यवाद सिर पर लड़ा हो जाता है । क्योंकि उपलब्धि योग्य को उपलब्धि विषय बनाने वाले रूप का पहले

एवं च न पूर्वोक्तदोष इत्याह-

मूलम्-तस्याद्वानेकरूपत्वात् परिणामित्वयोगतः ।

आत्मनो बन्धनत्वाच्च नोक्तदोषसमुद्भवः ॥४०॥

तस्याच्च कर्मप्रकृतेः अनेकरूपत्वात् एकानेकशब्दस्वभावत्वात्, परिणामित्वयोगतः ज्ञानावरणादिविपाकपरिणामोपपत्तेः, एकरूपत्व एवाऽनेककार्यजनकत्वाऽसंभवात् । आत्मनोऽन्योन्यानुप्रवेशेन बन्धनत्वात्=स्वरूपतिरोधायकत्वात्, कर्माऽत्मनोर्द्वयोरपि बन्धन-वध्यस्वभावपरिणामात् तथोपपत्तेः, नोक्तदोषस्याऽनिमोक्षादेः समुद्भवोऽवकाशः ॥४०॥

अभाव और बाद मे उस का भाव मानने पर ही उक्त बात कही जा सकती है । यदि यदि यह कहा जाय कि—‘पट व्यापार के पूर्व कार्य के साथ इन्द्रिय का विजातीय संयोग अथवा जिस स्थान में कार्य को उपलब्धि होती है तत्स्थानावच्छेदेन इन्द्रियसन्निकर्षरूप व्यञ्जक का अभाव होने से कारण व्यापार के पूर्व कार्य को उपलब्धि नहीं होती—’तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस उत्तर मे भी उक्त संयोग या सन्निकर्ष का पहले अभाव और बाद मे भाव मानने से असत्कार्यवाद की आपत्ति होती है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि—‘उक्त संयोग या सन्निकर्ष पहले भी सत् रहता है किन्तु व्यञ्जक अविभूत होने पर व्यक्त होता है’—क्योंकि उसके अविभाव के विषय मे भी सत् और असत् का विकल्प उठ सकता है ।

यदि यह कहा जाय कि—कार्य स्थूल रूप से अवच्छन्न होकर पहले नहीं रहता इसलिये पहले उसकी उपलब्धि नहीं होती और धर्म और धर्मी मे ऐक्य होने से कार्य के सूक्ष्म और स्थूल रूप मे ऐक्य होने से अनवस्था भी नहीं होती -तो यह कहना भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सूक्ष्मरूपावच्छन्नकार्य को यदि अहेतुक माना जायगा तो कार्य सूक्ष्मरूप से किसी नियत देश ही मे न रह कर अन्य देश मे भी उसके अस्तित्व की आपत्ति होगी और यदि प्रकृतिमात्र को ही उसका हेतु माना जायगा तो कार्य की स्थूलत्व दशा मे भी कार्य मे सूक्ष्मता की आपत्ति होगी और उस सूक्ष्मता के कारण पहले के समान कारणव्यापार के बाद भी कार्य की उपलब्धि न हो सकेगी और सूक्ष्मरूपावच्छन्न कार्य को अहेतुक या प्रकृतिमात्र हेतुक मानने पर उसका कभी भी अभाव न हो सकने से उसका बन्धन बने रहने के कारण मोक्ष का अभाव हो जायगा इसलिये वस्तु को अनेकान्तात्मक मानकर ही उसके सत्त्व और असत्त्व का कथञ्चित् उपपादन युक्तिसंगत हो सकता है । निष्कर्ष यह है कि बुद्ध्यादि का अध्यवसाय ‘अहमर्थ आत्मा मे होता है, अत एव उसे अहमर्थ का धर्म मानकर अहमर्थ मे ही उसका समन्वय मानना उचित है । कर्म प्रकृति तो उस मे निमित्त मात्र है ॥३६॥

[प्रकृतिस्थानीय कर्म से बन्ध और मोक्ष का सम्बन्ध]

४० वीं कारिका मे यह बताया गया है कि—सांख्यमत में आत्मा मे संसारित्व और मुक्तत्व को अनुपत्तिरूप दोष जैन मत मे नहीं हो सकता है । इस बात का उपपादन करते हुए कहा गया है कि कर्मप्रकृति अनेकरूप है अर्थात् एक-अनेक स्थिर क्षणिक सत् असत् आदि रूपो से उस का स्वभाव शब्द-बहुविध है । अतः उस मे ज्ञानावरणादि के विपाकात्मक परिणामो की उप-

परः शङ्कते-

मूलम्-नामूर्तं मूर्ततां याति मूर्तं नायात्यमूर्तताम् ।

यतो बन्धाद्यतो न्यायादात्मनोऽसंगतं तया ॥४१॥

न अमूर्तं=रूपादिसंविवेशरहितम्, मूर्ततां=रूपादिमत्परिणतिम्, याति=आश्रयति, आकाशादौ तथाऽदर्शनात् । तथा मूर्तं=रूपादिमत्, अमूर्ततां अमूर्तपरिणतिम् न आयाति परमाण्वादिषु तत्सङ्खावाऽसिद्धेः, यतः=यस्मादेवं न स्वरूपविपर्ययो भवति, अतः=अस्मात्, न्यायात्=नियमात् तया=कर्मप्रकृत्या आत्मनो बन्धाद्यसंगतम् ॥४१॥

अत्रोत्तरम्-

मूलम्-देहस्पर्शादिसंवित्या न यात्येवेत्ययुक्तिमत् ।

अन्योन्यव्याप्तिजा चेयमिति बन्धादि संगतम् ॥४२॥

देहे स्पर्शः कण्टकादिस्पर्शः उपघातहेतूपनिपातोपलक्षणमेतत्, आदिनाऽनुग्रह-हेतूप-निपातसंग्रहः; तत्संवित्या=तज्जनितसुखदुखानुभूत्या, 'न यात्येव अमूर्तं मूर्तताम्' इति प्राक्त-

पत्ति हो सकती है । यदि उस का कोई एक ही रूप माना जाता तब वह अनेक कार्यों की जननी न होतो । कर्मप्रकृति और आत्मा का एक दूसरे मे अनुप्रवेश होने के कारण कर्मप्रकृति के द्वारा आत्मा का बंधन आत्मा के सत्स्वरूप का तिरोधान भी हो सकता है, क्योंकि वर्म मे बंधन स्वभावात्मक परिणाम और आत्मा मे बद्धस्वभावात्मक परिणाम होता है । अतः कर्म को आत्मा का बंधन और आत्मा को कर्म का वध्य होने में कोई वाधा नहीं हो सकती, इसलिये जैन मत मे आत्मा में संसार और मोक्ष के अभाव का प्रसग नहीं हो सकता ॥४०॥

[मूर्तं और अमूर्तं के अन्योन्य अपरिवर्त्तन की आशंका]

४१ वीं कारिका मे कर्म और आत्मा के जैन सम्मत अन्योन्यानुप्रवेश सम्बन्ध मे सांख्यवेत्ताओं की यह शंका प्रदर्शित की गई है कि—

जो पदार्थ अमूर्त होता है, जिसमे रूप स्पर्शादि का अस्तित्व नहीं होता वह पदार्थ मूर्त नहीं हो सकता । रूप स्पर्श आदि के आश्रयरूप मे उसका परिणाम नहीं हो सकता जैसा कि आकाशादि मे देखा जाता है । यह सर्वमात्य है कि आकाश आदि अमूर्त=रूपस्पर्शादिहीनपदार्थ कभी भी मूर्त रूप-स्पर्शादि से युक्त नहीं होता । इसी प्रकार जो पदार्थ मूर्त होता है, रूपस्पर्शादि से युक्त होता है उसका कभी अमूर्त परिणाम नहीं होता जैसे मूर्त परमाणु आदि मे अमूर्त परिणाम कभी नहीं होता । इस प्रकार जब यह सिद्ध है कि वस्तु के स्वरूप मे वैपरीत्य नहीं होता तब आत्मा के स्वरूप मे भी वैपरीत्य की संभावना कैसे हो सकती है ? अतः कर्मप्रकृति से आत्मा का बंधनादि होना असगत है ॥४१॥

[मूर्त-अमूर्त परिवर्त्तन की उपपत्ति]

४२ वीं कारिका मे सांख्य की पूर्वोक्त शका का उत्तर दिया गया है जो इस प्रकार है—देह मे उपघातक कण्टक आदि का स्पर्श होने पर दुःखकी एवं अनुग्रह हेतुभूत माला चन्दन आदि के स्पर्श से सुखकी अनुभूति होती है, जिससे अमूर्त आत्मा का मूर्त होना सिद्ध है । अतः यह कथन कि-'अमूर्त'

नानुपङ्गः, इति=एतद् अयुक्तिमत्=अनुभवाधितम् । ‘घटादिमंवित्तिवद् देहस्पर्शादिमंवित्तिगत्मनोऽतन्मयत्वेऽप्युपपत्स्यत’ हस्यत आह-इय च=देहस्पर्शादिसंवित्तिश्च अन्योन्यव्याप्तिजा गुड-शुण्ठीद्रव्ययोरिव शरीरा ८८त्मनोर्जात्यन्तरतापत्तिप्रभवा, प्रतिप्रतिकं तदनुभवात्, एकाभावेऽप्यभावाच्च । युक्तं चैतत्, अविभागदर्शनात्, नरत्वादेरेकनिष्ठत्वेऽतिप्रमङ्गात्, व्यासज्यवृत्तिजात्यनभ्युपगमात्, एकाश्रयत्वानुभवविरोधात्, शरीराऽप्रत्यक्षेष्यन्धकारे नरत्वप्रतीत्यनुपपत्तेश्च । तदिदमाह भगवान् सम्मतिकारः-‘अण्णोणाणुगयाणं इमं व तं वत्ति विभयणमजुञ्चं ।

जह दुद्र-पाणियाणं जावन्त विसेसपज्जाया ॥ [सन्मतिं० गाथा ४७] ॥

अन्योन्यानुगतयोरात्म-कर्मणोदृग्ध-पानीययोरिव यावन्तो विशेषपर्यार्थस्तावत्सु ‘इदं वा तद् वा इति’ विभजनमयुक्तम्, प्रमाणाभावात् । ‘एवं तदेह ज्ञानादयोऽपि देहे स्युः, देहरूपा-

कभी मूर्त नहीं होता’ अनुभव से वाधित होने के कारण अयुक्त है । यदि यह कहा जाय-‘जैसे आत्मा मे घटादिरूपता न होने पर भी उसको घटादि का अनुभव होता है, उसी प्रकार देह स्पर्शादि न होने पर भी देहस्पर्शादि का अनुभव आत्मा को हो सकता है । अतः आत्मा को देहस्पर्शादिमय मानकर अमूर्त को मूर्त के रूप में परिणत होने की सिद्धि नहीं की जा सकती-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा को देहस्पर्शादि की अनुभूति होती है वह देह और आत्मा की एक दूसरे मे व्याप्ति होने से ही होती है अतः जैसे गुड और सूँठ इन दोनों द्रव्यों का परस्पर मे मिश्रण हो जाने पर ही एक मे दूसरे के धर्म की अनुभूति होती है उसी प्रकार देह और आत्मा का परस्पर मे मिश्रण हो जाने पर ही एक मे दूसरे के धर्म की अनुभूति होती है, देह और आत्मा का परस्पर मे मिश्रण अर्थात् आत्मा मे देह रूपता और देह मे आत्मरूपता होने पर ही आत्मा मे देहस्पर्शादि की अनुभूति हो सकती है ।

[सांख्यमत में देहात्म अविभाग को अनुपपत्ति]

यह इसलिये मानना अवश्यक है कि दोनों मे दोनों के धर्मों की अनुभूति होती है और एक के अभाव मे दूसरे की अनुभूति नहीं होती और यही युक्तिसंगत भी है—क्योंकि देह और आत्मा मे अविभाग देखा जाता है ।

सांख्य मतमे देह और आत्मा का यह अविभाग नहीं उपपत्ति हो सकता है क्योंकि नरत्व आदि धर्मों को एकमात्रगत मानने पर दूसरे मे उसका अनुभव मानने पर अतिप्रसङ्ग होगा और उभयवृत्ति अर्थात् देह-आत्म उभयगत मानने पर अपसिद्धान्त होगा, क्योंकि सांख्य मत मे व्यासज्यवृत्ति जाति नहीं मानी जाती है । नरत्व और आत्मत्व मे ‘अह नरः’ इस प्रकार एकाधिकरणता का अनुभव होता है सांख्यमत मे इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती । एवं अन्धकार मे शरीर का प्रत्यक्ष न होने पर भी नरत्व की प्रतीति होती है, सांख्यमत मे इसकी भी उपपत्ति नहीं हो सकती । जैनमत मे इन त्रिट्यों की संभावना नहीं होती क्योंकि देह और आत्मा का अन्योन्य मिश्रण होने के कारण आत्मा मैं देह धर्म और देह मे आत्मधर्म की अनुभूति होने मैं कोई वाधा नहीं होती । भगवान् सम्मतिकार ने इस बात को ‘अण्णोणा०’ इस गाथा से स्पष्ट किया है । गाथा का अर्थ इस प्रकार है—

१ अन्योन्यानुगतयोरिद वा तद् वेति विभजनमयुक्तम् । यथा दुग्धपानीययोर्यावन्तो विशेषपर्यायाः ।

दयोऽप्यात्मनी'ति चेत् १ इष्टापत्तिः । तदाह-

'रुवाइपज्जवा जे देहे जीवदवियम्मि सुद्वम्मि ।

ते अणोणागुगया पणवणिज्जा भवत्थम्मि ॥ १ ॥ इति । [मन्मति० ४८]

'गौरोऽहं जानामि' इत्यादिधियस्तर्थोपपत्तेः, रूपादि-ज्ञानादीनामन्योऽन्यानुप्रवेशेन कथञ्चिद्देकत्वा-अनेकत्व-मूर्तत्वादिसमावेशात् । अत एव दण्डात्मादीनामेकत्वं अनेकत्वं च स्थानाङ्गे व्यवस्थितम् । तदाह-

" २ एवं एगे आया, एगे दंडे अ होड किरिया य ।

करणविसेसेण य तिविहजोगसिद्धी वि अविरुद्धा ॥ १ ॥ [मन्मति० ४६]

नन्वेवमन्तर्हर्ष-विपादाद्यनेकविवर्तात्मकमेकं चैतन्यम्, वहिर्वाल-कुमार-यौवनाद्यनेका-

(अन्योन्यानुगत मे विभाग की अयुक्तता)

'जो द्रव्य परस्पर में अनुगत होते हैं अर्थात् जिनमें परस्पर तादात्म्य होता है उनमें यह और वह एव ये धर्म इसके और वे धर्म उसके' इस प्रकार का विभाग युक्तिसगत नहीं होता । जैसे द्वूध और पानी मे जितने ही विशेष पर्याय होते हैं उन्हें दुरध पर्याय और जलपर्याय इन दो वर्ग में विभक्त नहीं किया जाता है उसी प्रकार आत्मा और कर्म अन्योन्यानुगत होते हैं अतः उनके पर्यायों को भी देह पर्याय और आत्मपर्याय के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के विभाजन मे कोई प्रभाण नहीं होता ।'

इस प्रस्तग में यह आपत्ति उठाना कि—'ऐसा मानने पर ज्ञान आदि देह के धर्म हो जायेगे और स्पर्शादि आत्मा के धर्म हो जायेगे—'यह ठीक नहीं है, क्योंकि जैन मत में यह बात मान्य ही है जैसा कि 'रूपादिपर्यवा०' आदि गाथा में स्पष्ट कहा गया है कि—देह के रूप आदि पर्याय एव जीवद्रव्य के पर्याय देह और जीवद्रव्य के अन्योन्य अनुगत होने से जीवकी भवस्थ दशा मे एक दूसरे के धर्म रूप में मान्य है ।' ऐसा मानने पर 'गौरोऽहं जानामि' इस रूप में देह के धर्म गौररूप और आत्मा के धर्म ज्ञानका एक आश्रय में अनुभव हो सकता है । और यदि देह और आत्मा का अन्योन्यानुप्रवेश-परस्पर तादात्म्य न माना जायगा तो इस अनुभव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । देह और आत्मा में अन्योन्यानुप्रवेश होने से रूप आदि देह धर्म और ज्ञान आदि आत्मधर्मों मे भी अन्योन्यानुप्रवेश तादात्म्यरूप होता है और उनके धर्म का अनुप्रवेश सामानाधिकरण यानी एकाश्रयनिष्ठत्व रूप होता है । अन्योन्यानुप्रवेश के कारण ही एक वस्तु में एकत्व अनेकत्व तथा सूर्तत्व असूर्तत्व आदि धर्मों का कथञ्चित् समावेश होता है । इसलिए ठाणांग सूत्र में भी आत्मा और दण्ड आदि में एकत्व और अनेकत्व का समावेश बताया गया है । जैसा कि "एव एगे शाया०" इस सम्मति सूत्र से भी स्पष्ट होता है । सूत्र का अर्थ यह है कि आत्मा स्वरूपहृष्टि से एक होता है और दण्ड तथा क्रियाभी सामान्य की हृष्टि से एक होता है किन्तु करण विशेष से तीन प्रकार के योग की सिद्धि में कोई विरोध नहीं होता इसलिये एक ही आत्मा और दण्ड आदि त्रितयात्मक हो जाता है ।

१ रूपादिपर्यवा० ये न हैं जीवद्रव्ये शुद्धे । ते अन्योन्यानुगताः प्रश्नापनीया मवस्थे ॥

२ एवसे क आत्मा एको दण्डश्च मवति क्रियाऽपि । करणविशेषेण च त्रिविधयोगसिद्धिरप्यविरुद्धा ॥

वस्थात्मरुमेकशरोरमध्यक्षतः संवेद्यत इत्यस्य विरोधः, वाह्याऽभ्यन्तरविभागभावादि'ति
चेत् १ सत्यम्, आत्मभिन्नत्वाभ्यां तदूत्प्रपदेशाद् । तदाह-

'ए य वाहिरओ भावो अबभंतरओ अ अतिथि समयम्मि ।

णोइंदियं पुण पहुच्च होड अबभंतरविसेसो ॥ [सन्मति ५०]

सर्वस्यैव मूर्तिः मूर्त्तादिरूपतयाऽनेकान्तात्मकत्वात् 'अयं वाह्यः, अयं चाभ्यन्तरः' इति समये
न वास्तवो विभागः । अभ्यन्तर इति व्यपदेशस्तु नोइन्द्रियं मनः प्रतीत्य, तस्याऽत्मपरिणति-
रूपस्य पराऽप्रत्यक्षत्वात्, शरीर-वाचोर्ग्विं । न च तद्वदेव तस्य पग्प्रत्यक्षत्वापत्तिः, इन्द्रिय-
ज्ञानस्याशेषपदार्थस्वरूपग्राहकत्वाऽयोगात् । एवं च स्याद्वादोक्तिरेव युक्ता न तु परस्परनिरपेक्ष-
नयोक्तिर्विना श्रोतुधीपरिकर्मणानिमित्तम्, वस्तुनोइनेकान्तात्मकत्वात् । तदाह—

(विवर्तों के बाह्याभ्यन्तरविभाग अनुपपत्ति की आशका)

देह और आत्मा मे अन्योन्यानुवेद मानने पर यह शब्दका हो सकती है कि—‘हर्ष विषादादि
अनेक आभ्यन्तर विवर्तों से अभिन्न एक चैतन्य है, और बाल्य-कौमार्य, योवनादि अनेकविधावस्थाओं
से अभिन्न एक शरीर है यह जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह नहीं हो सकेगा । क्योंकि देह और आत्मा
एवं उनके विवर्त और अवस्थाओं से अन्योन्यानुवेद मानने पर बाह्य और आभ्यन्तर का विभाग नहीं
हो सकता ।’ किन्तु यह शंका केवल आपाततः उचित हो सकती है, क्योंकि आत्मा के भेदाभेद के
कारण चैतन्यस्वरूप आत्मा के उक्त विवर्त और देह की उक्तावस्थाओं मे बाह्य और आभ्यन्तर के
अनुभाग न होने पर भी मनोग्राह्यत्व और मनोग्राह्यत्वाभाव रूप से बाह्याभ्यन्तर का व्यवहार हो
सकता है । कहने का आशय यह है कि देह और आत्मा के अन्योन्यानुवेद होने से आत्मधर्म भी देह-
गत होने से बाह्य और देहधर्म आत्मगत होने से आभ्यन्तर हो जाते हैं । अतः देह और आत्मधर्म को
बाह्य और आभ्यन्तररूप मे विभक्त नहीं किया जा सकता । किन्तु हर्ष-विषादादि चैतन्य के विवर्तों
का मानसज्ञान होता है और देह की बाल कौमारादि श्रावस्थाओं का मानसज्ञान नहीं होता । अत एव
मानसत्वरूप से उनका विभाग हो सकता है । और उस विभाग के आधार पर चैतन्य और देह के उक्त
प्रत्यक्षानुभव की उपपत्ति भी हो सकती है । जैसा कि—‘ए य वाहिरश्चो’ इस गाथा मे स्पष्ट किया
गया है । गाथा का अर्थ यह है कि जैन प्रवचन मे देह और आत्मा के भावों का बाह्य और आभ्यन्तर
इस प्रकार भेद नहीं होता है किन्तु नोइन्द्रिय-मनसे होने वाली प्रतीति और अप्रतीति के आधार पर
उनमे भी बाह्य और आभ्यन्तर का व्यवहार होता है । जैन मत में सभी वस्तु मूर्त्ति और अमूर्त्ति आदि
रूपसे अनेकान्त स्वरूप है । यह बाह्य भाव है, यह आभ्यन्तर भाव है—यह भावों का विभाग केवल
प्रवचन का विषय है, वास्तव नहीं है । हर्षविषादादि श्रात्मधर्मों में जो आभ्यन्तर का व्यवहार होता
है वह उनको मनोग्राह्यता के कारण होता है । वे धर्म आत्मा के परिणाम रूप होने से शरीर और
वाणी की तरह दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं होते । दूसरों को उनका प्रत्यक्ष न होना ही उन्हें बाह्य व्यवहार
से बंचित कर आभ्यन्तर व्यवहार का पात्र बना देता है । शरीर और वाणी के समान हर्ष-विषा-
दादि में परप्रत्यक्षत्व की ग्रापत्ति नहीं दी जा सकती है—क्योंकि परप्रत्यक्ष इन्द्रिय से होता है

१ न च बाह्यको भावोऽभ्यन्तरकश्चास्ति समये । नोइन्द्रिय पुनः प्रतीत्य मवत्यभ्यन्तरविशेषः ॥

‘दव्वद्वियस्स आया चंधइ कम्मं फलं च वेएइ ।

विद्यस्स भावमेत्तं ण कुणइण य कोइ वेएइ ॥ [सं० ५१]

दव्वद्वियस्स जो चेव कुणइ सो चेव वेयए नियमा ।

अण्णो करेइ अण्णो परिभुंजइ पञ्जवण्यस्स ॥ [सं०-५२]

जे वयणिज्जविअप्पा संजुज्जंतेसु होंति एएसु ।

सा ससमयपणवणा तित्थयरासायणा अण्णा ॥ [सं०-५३]

पुरिसज्जायं तु पदुच्च जाणओ पणविज्ज अण्णयरं ।

परिकम्मणानिमित्तं दाएहा सो विसेसंपि ॥ [सं०-५४]

तस्माद् देहात्मनोऽन्योन्यव्याप्तिजैव देहस्पर्शादिगवित्तिरिति सिद्धम् ।

इति हेतोः, बन्धादि संगतं=युक्तम् कार्यान्यथानुपपत्तेः ॥४२॥

और इन्द्रियजन्यज्ञान अशेषपदार्थ का ग्राहक नहीं होता है। इस प्रकार स्याद्वाद का मत ही युक्ति संगत है। जो कथन परस्पर निरपेक्ष नयमूलक होता है वह श्रोता की बुद्धि को व्युत्पत्त्याधान रूप निमित्त के बिना ग्राह्य नहीं हो सकता। क्योंकि वस्तु अनेकान्तिक होती है और नय एकान्तहृष्टिरूप होता है अतः वह अन्यनय से निरपेक्ष होकर वस्तु के यथार्थस्वरूप को प्रस्तुत नहीं कर सकता। जैसा कि ‘दव्वद्वियस्स०’ आदि कारिकाओं से स्पष्ट है।

कारिकाओं का अर्थ इस प्रकार है—द्रव्यास्तिक नय की हृष्टि से आत्मा कर्मवन्ध को उत्पन्न करता है और उसके फल का अनुभव भी करता है किन्तु पर्यायास्तिक नय की हृष्टि से आत्मा भावमात्र होता है वह अल्पकालिक होने से न चिरस्थायी कर्मवन्ध को उत्पन्न करता है न वही उसके फल का अनुभव करता है। द्रव्यास्तिक नय की हृष्टि से जो कर्म करता है नियम से वही फल का भोक्ता होता है, किन्तु पर्यायास्तिक नय की हृष्टि से कर्म करने वाला आत्मा द्वासरा होता है और फल का भोक्ता द्वासरा होता है क्योंकि कर्मकाल का आदिमपर्याय भोगकाल में नहीं रहता इसीलिये पर्यायमेद से आत्ममेद हो जाता है।

द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक दोनों का आश्रय लेकर जो विकल्पवचन कहे जाते हैं उससे अपने सम्यक् प्रवचन का परिज्ञापन होता है, तीर्थकर का अवमान नहीं होता। उपदेष्टा को उपदेश्य पुरुष के प्रति उपर्युक्त नयों में किसी भी नय के आधार पर वस्तु के स्वरूप का ज्ञापन करना

१ द्रव्यास्तिकस्याऽत्मा वधनाति कर्म फलं च वेदयति ।

द्वितीयस्य भावमात्रं, न करोति न च कोऽपि वेदयति ॥५१॥

द्रव्यास्तिकस्य य एव करोति स एव वेदयति नियमात्। अन्यः करोत्यन्यः परिभुद्भूते पर्यवनयस्य ॥५२॥

ये वचनीयविकल्पाः संयुज्यमानयोर्भवन्त्येतयोः। सा स्वसमयप्रकापना तीर्थकराशात्मनाऽन्या ॥५३॥

पुरुषजातं तु प्रतीत्य इयक् प्रक्षापयेदन्यतरत्। परिकर्मेणानिमित्त दर्शयेत् स विशेषमपि ॥५४॥

न च सहचारमात्रदर्शनादुक्तनियमोऽपीत्याह-

मूलम्-मूर्तयाऽप्यात्मनो योगो घटेन नभसो यथा ।

उपधातादिभावश्च ज्ञानस्येव सुरादिना ॥४३॥

मूर्तयापि=प्रकृत्या आत्मनो योगः ‘संभवति’ इति शेषः । दृष्टान्तमाह-यथा घटेन नभमः । ‘घटेन संयुक्तमपि नभो न घटस्वभावता यातीति न दोष’ इति चेत् १ संयोगः कि घटस्वभावः, नभःस्वभावः, उभयस्वभावः, अनुभयस्वभावो वा १ आद्योरुभयनिरूप्यत्वानुपपत्तिः । तृतीये च वदतो व्याधातः, घटस्वभावसंयोगवत्तया नभसो घटस्वभावत्वात् । चतुर्थे त्वनुपाख्यत्वापत्तिः, इति न किञ्चिदेतत् ।

चाहिये किन्तु उत्पादनीय ज्ञान में सम्बन्ध का संपादन करने के लिये उसे विशेष-अन्यनय सम्मत बात का भी उपदेश करना चाहिये ।

इस प्रकार यह निविवाद सिद्ध होता है कि आत्मा को देह स्पर्शादि की अनुभूति देह और आत्मा की अन्योन्यव्याप्ति-एक मे दूसरे के अनुप्रवेश से ही होती है । अतः कार्य की प्रकारान्तर से उपपत्ति न होने के कारण जैनशास्त्रोक्त प्रकार से ही आत्मा मे बन्ध और मोक्ष का होना युक्तिसंगत है ।

(मूर्त्त और अमूर्त के सम्बन्ध की उपपत्ति)

४३ वीं कारिका मे यह बताया गया है कि-‘दो वस्तुओं के केवल सहचारमात्र से उनके धर्मों की एक दूसरे मे अनुभूति का नियम नहीं बन सकता । किन्तु उसके लिये वस्तुओं का अन्योन्यात्मकत्व आवश्यक है—

कारिका का अर्थ इस प्रकार है-अमूर्त आत्मा का भी मूर्त प्रकृति के साथ सम्बन्ध हो सकता है, जैसे अमूर्त आकाश का घटके साथ । यदि कहा जाय कि-‘आकाश घट से संयुक्त होकर भी घटस्वभाव नहीं होता इसलिये उनका सम्बन्ध तो बुद्धिगम्य है किन्तु प्रकृति और आत्मा का सम्बन्ध तो आप ऐसा मानते हीं जिस से आत्मा प्रकृतिस्वभाव बन जाता है । अतः प्रकृति और आत्मा के बीच अभिमत सम्बन्ध के अनुकूल यह दृष्टान्त नहीं हो सकता’-तो यह ठीक नहीं हीं क्योंकि दृष्टान्त और दार्ढार्णितिक मे पूर्णतया साम्य नहीं अपेक्षित होता । अतः प्रकृति सौर आत्मा मे घट और आकाश का पूर्ण साम्य न होने पर भी ‘मूर्त्त के साथ अमूर्त का सम्बन्ध संभव है’ इस बात को अवगत कराने के लिये तो यह दृष्टान्त हो ही सकता है । घट आकाश के संयोग से जो आकाश को घटस्वभावता या घट को आकाशस्वभावता नहीं होती उसका कारण यह है कि उन दोनों का संयोग इसके लिये समर्थ नहीं है, जैसे घटाकाश संयोग के सम्बन्ध मे यह प्रश्न उठता है कि वह संयोग घटस्वभाव है या आकाशस्वभाव है अथवा घट-आकाश उभय स्वभाव हीं कि वा अनुभय स्वभाव है? पहले दो पक्ष मान्य नहीं हो सकते क्योंकि उन पक्षों मे वह संयोग घट-आकाश उभय से निरूप्य न हो सकेगा, क्योंकि घटस्वभाव आकाश से और आकाशस्वभाव घट से निरूप्य नहीं होता । और तृतीय पक्ष तो कथन मात्र से ही व्याहृत हो जाता है, क्योंकि यदि वह संयोग उभय स्वभाव होगा तो आकाश मे घटस्वभावात्मक संयोग रहने से आकाश घट स्वभाव हो जायगा फिर घटाकाश के अभिन्न हो जाने से उभय का अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होगा । अतः संयोग को उभय स्वभाव कहना उपपत्त न हो

‘अस्तु तहिं नभसो घटादिनेव कर्मणा जीवस्य संवन्धः, ततोऽनुग्रहोपधातौ तु तस्य नभस्वदेव न’ इत्यत आह-उपधातादिभावश्च=उपधाताऽनुग्रहभावश्च मूर्ताया अपि कर्म-प्रकृतेः सकाशात् सुरादिना=सुरा-ब्राह्मी-घृतादिना ज्ञानस्येव युक्तः, अङ्गाऽङ्गिभाव-लक्षणसंबन्धप्रयोज्यत्वात् तस्येति भावः ।

ननु ‘सर्वमिदमात्मनोऽविभुत्वे संभवति, तदेव चाद्यापि न सिद्धिमि’ति चेत् ? न; शरीरनियतपरिमाणवत्त्वेनैवाऽत्मनोऽनुभवात्, मूर्त्तत्वमंशयस्य ज्ञानप्राप्यसंशयादिनोपपत्तेः । न च द्रव्यप्रत्यक्षत्वावच्छन्ने हेतोर्महत्त्वस्याऽत्मनि सिद्धौ तस्यावयवमहत्त्वाद्यजन्यत्वेन नित्यत्वे ‘आत्मा विभुः, नित्यमहत्त्वात्, आकाशवत्’ इत्यनुमानात् तस्य विभुत्वमेव युक्तमिति वाच्यम् ; नित्यमहत्त्वेऽप्यपकृष्टपरिमाणवत्त्वे वाधकाभावेनाऽप्रयोजकत्वात् । ‘अपकृष्टत्वे तस्य

सकेगा । चौथा पक्ष भी ग्राह्य न हो सकेगा, क्योंकि घट और आकाश का संयोग यदि घटस्वभाव एवं आकाश स्वभाव न होगा तो उस में किसी अन्य स्वभाव होने की कल्पना भी शक्य न होने के कारण वह असत् हो जायगा ।

इस प्रसङ्ग में शङ्का हो सकती है कि-जैसे घटादि के साथ आकाश का सम्बन्ध होने पर भी घटादि के अनुग्रह और उपधात का आकाश में कोई प्रभाव नहीं होता उसी प्रकार कर्मप्रकृति से जीव का सम्बन्ध होने पर भी उससे आत्मा में कोई अनुग्रह एवं उपधात नहीं होना ‘चाहिये’-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि कर्मप्रकृति के मूर्त्त होने पर भी उस में उपधात और अनुग्रह होता है इसलिये उसके सम्बन्ध से आत्मा में उपधात और अनुग्रह हो सकता है । इसको समझने के लिये मद्यादि का वृष्टान्त उपादेय है । आशय यह है कि जैसे मनुष्य में मद्य-एवं ब्राह्मी घृत आदि के सम्पर्क से उस का ज्ञान मद्य और घृत के दोष और गुणों से विकृत और संस्कृत होता है उस प्रकार कर्मप्रकृति के सम्बन्ध से आत्मा भी उस के उपधात और अनुग्रह से उपहत और अनुगृहीत हो सकता है । यह उपधात और अनुग्रह प्रकृति और आत्मा में अङ्गाङ्गीभावरूप सम्बन्ध के नाते होता है और मूल प्रकृति उस का अङ्ग होती है । घटादि और आकाश में अङ्गाङ्गी भाव सम्बन्ध नहीं होता । अतः घटादि के उपधात और अनुग्रह से आकाश में उपधात और अनुग्रह नहीं होता । ऐसा मानने पर शङ्का हो सकती है कि-‘यह बात तभी युक्तिसङ्गत हो सकती है जब आत्मा को अविभु माना जाय, किन्तु अविभुत्व उस में सिद्ध नहीं होता अतः मूल प्रकृति और आत्मा के बीच विवक्षित सम्बन्ध नहीं हो सकता’ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा में शरीर के समानपरिमाणता का अनुभव होता है । इसलिये आत्मा का अविभुत्व अनुभवसिद्ध है । इस अनुभव के होने पर भी जो कभी किसी को आत्मा के मूर्त्तत्व विषय में सन्देह होता है वह इस अनुभव में प्राभाष्य का सन्देह होने के कारण होता है । वस्तुतः उस में कोई मूर्त्तत्व का संशयापादक धर्म नहीं है ।

[आत्मविभुत्व की शंका का परिहार]

शङ्का हो सकती है कि-द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्व कारण होता है अतः आत्मा के प्रत्यक्ष के अनुरोध से उस में भी महत्त्व मानना होगा । और वह महत्त्व अवयवगत महत्त्वादि से उत्पन्न न होने के कारण नित्य होगा । अतः नित्य महत्त्व से आत्मा में विभुत्व का इस प्रकार अनुमान हो जायगा

जन्यत्वापत्तिर्गाधिका, गगनमहत्वावधिकापकर्षस्य वहुत्वजन्यतावच्छेदकत्वादि'ति चेत् १ न, परमाणुपरिमाणसाधारणतयाऽस्य कार्यताऽनवच्छेदकत्वात्, त्रुटिमहत्वावधिकोत्कर्षेण समं सांकर्यात् तादृशजात्यसिद्धेश्च, वस्तुतः प्रदीपप्रभाया इत्वात्मनः संकोच विकाशाभ्यां परिमाण-भेदस्याऽभ्युपगमेन सर्वथा नित्यमहत्वाऽसिद्धेश्च ।

कथं चात्मनो विभुत्वे स्वस्मिन् क्रियादिप्रतीतिः, तीर्थगमनादेरदृष्टेहेतुत्वश्रवणादिकं चोपपादनीयम् १ । कथं वात्मनः सर्वगतत्वात् स्वशरीरादन्यत्रापि न ज्ञानाद्युत्पादः १ 'शरीरा-

कि-आत्मा विभु है क्योंकि वह नित्य महत्व का आश्रय है । जो नित्य महत्व का आश्रय है वह विभु होता है जैसे आकाश । 'अतः आत्मा को विभु मानना हो युक्त है । और इसी कारण आत्मा मे शरीर के समानपरिमाणता का अनुभव भ्रम है । भ्रम से विषय की सिद्धि नहीं होती अतः आत्मा का मूर्त्तत्व असंभव है-' किन्तु यह शब्दांठीक नहीं है क्योंकि आत्मा मे नित्य महत्व होने पर भी उस मे अपकृष्ट परिमाण मानने मे कोई बाधा न होने से नित्य महत्व से विभुत्व का अनुमान अप्रयोजक है । 'आत्मा के परिमाण को अपकृष्ट मानने पर उसे जन्य मानना होगा, क्योंकि गगन के महत्व से अपकृष्ट परिमाण अवयवगत वहुत्व से जन्य होते हैं' यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि आकाश के महत्व से अपकृष्ट परमाणु के परिमाण मे अवयवगत वहुत्व के जन्यत्व का व्यभिचार है । और आकाशगत महत्व से घटादिगत महत्व मे जो अपकर्ष होता है उसे जातिस्वरूप न मान सकने के कारण वह आकाशगत महत्व से अपकृष्ट सभी परिमाणों मे अवयव वहुत्व की जन्यता का अवच्छेदक नहीं हो सकता । उक्त अपकर्ष को जातिस्वरूप इसलिये भी नहीं माना जा सकता कि-उस मे ऋणुकगत महत्वावधिक उत्कर्ष के साथ सांकर्य हो जाता है । जैसे ऋणुकगत महत्वावधिक उत्कर्ष आकाश परिमाण मे है किन्तु उस मे आकाशगत महत्वावधिक अपदृष्ट नहीं है । एव यह अपकर्ष परमाणु और द्वयणुक के परिमाण मे है किन्तु उस मे ऋणुक महत्वावधिक उत्कर्ष नहीं है और घटादि मे ऋणुक महत्वावधिक उत्कर्ष और आकाशमहत्वावधिक अपकर्ष दोनों विद्यमान है । अतः सांकर्य होने के कारण उक्त अपकर्ष के जातिरूप न हो सकने से उसे अवयवगत वहुत्व की जन्यता का अवच्छेदक मानना असंभव है । और सच बात तो यह है कि आत्मा का महत्व एकान्तरूप से नित्य हो भी नहीं सकना क्योंकि आत्मा प्रदीप की प्रभा के समान संकोच-विकाशशील है अतः उसका परिणाम परिवर्त्तित होता रहता है । और परिवर्त्तित होनेवाली वस्तु एकान्तनित्य हो नहीं सकती ।

आत्मा को विभु मानने मे बाधक भी है और वह है आत्मा मे क्रियादि की प्रतीति, जो आत्मा को विभु मानने पर नहीं उपपन्न हो सकती । इस के अतिरिक्त तीर्थगमनादि मे शास्त्र जो पुण्यजनकता का प्रतिपादन करता है उस की भी उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विभु का तीर्थगमन कैसे हो सकता है ? आत्मा अपने शरीर को छोड़ कर अन्य द्रव्य मे ज्ञानादिमान् नहीं होता । किन्तु यदि उसे सर्वगत माना जायगा तो यह बात न बन सकेगी क्योंकि जैसे अपने शरीर के साथ उसका सम्बन्ध होता है उसी प्रकार अन्य द्रव्यों के साथ भी उसका सम्बन्ध होता है ।

यदि यह कहा जाय कि-'ज्ञानादि के प्रति शरीर कारण होता है अतः शरीर भिन्न द्रव्य मे आत्मा ज्ञानादिमान् नहीं होता'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर भी आत्मा को अन्य शरीर मे

भावादिति चेत् ? न, अन्यशरीरस्य सत्त्वात् । 'स्वशरीरभावादिति' चेत् ? न, स्वसंयुक्तत्वेन तस्याऽपि स्वीयत्वात् । 'स्वाद्योपगृहीतशरीरभावादिति' ति चेत् ? तर्हि उपजीव्यत्वात् अद्यष्टस्यैव तद्ज्ञानादिहेतुत्वात् तस्य शरीर्व्यापितयाऽऽत्मनस्तथात्वसिद्धिः । तदुक्तम्— क्षे “यत्रैव यो दृष्टगुणः स तत्र०” ॥ इत्यादि । अपि च, आत्मविभूत्वादे ज्ञानादीनामव्याप्यवृत्तित्वादिकल्पने गौरवमिति न किञ्चिदेतत् । अधिकं न्यायालोकादौ ॥४३॥

उपसंहरन्नाह—

एवं प्रकृतिवादोऽपि विज्ञेयः सत्य एव हि ।
कपिलोक्तत्वतद्वैव दिव्यो हि स महामुनिः ॥४४॥

ज्ञानादिमान् होने की आपत्ति का परिहार नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि-'तत्तद् आत्मा के ज्ञानादि मे तत्तद् आत्मा का ही शरीर कारण है'- तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा के विभु होने से सभी शरीरों में उसका सम्बन्ध होने के कारण शरीर का तत्तद् आत्मा के स्वशरीर और पर शरीर के रूप मे विभाग नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि-'स्वशरीर का अर्थ है स्व के अहृष्ट से प्राप्त शरीर और परशरीर का अर्थ है स्व के अहृष्ट से प्रप्राप्त शरीर, इस रूप मे विभु आत्मा का भी शरीरविभाग हो सकता है' तो यह भी ठीक नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसा मानने पर अहृष्ट शरीर के विभाग' का उपजीव्य होने के कारण तत्तद् आत्मा के अहृष्ट को ही तत्तद् आत्मा के ज्ञानादि का कारण मानना उचित होगा । और उस अहृष्ट एक शरीर मात्र मे ही व्याप्त होने के कारण आत्मा का भी एक शरीर मात्र मे ही व्याप्त होना उचित होगा । अतः आत्मा शरीर का समपरिमाण हो सकता है, विभु नहीं हो सकता । पू. हेमचन्द्राचार्य महाराज ने अपनी अन्ययोग-व्यवच्छेद द्वार्तिशिका स्तुतिमे “यत्रैव यो दृष्टगुणः” इस कारिका से इस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि-'जितने देश मे जिसका गुण देखा जाता है उतने देश मे ही उस का अस्तित्व होता है । उससे अतिरिक्त देश मे उस का अस्तित्व मानने में कोई युक्ति नहीं होती’ । इस के अतिरिक्त आत्मा के विभूत्व पक्ष मे यह भी दोष है कि यदि आत्मा विभु होगा तो उसके ज्ञानादि मे अव्याप्यवृत्तित्व की कल्पना करनी होगी । क्योंकि विभु आत्मा के पूरे भाग मे ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । और यदि मानी जायगी तो आत्मा से सम्बद्ध समस्त द्रव्यो मे उसके फलाद्फल की आपत्ति होगी । अतः आत्मा के विभूत्व के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा जाता है वह सब नगण्य है । इस विषय का विस्तृत विचार न्यायालोक आदि ग्रन्थो में दृष्टव्य है ॥४३॥

(प्रकृतिवाद की सापेक्ष सत्यता का अनुमोदन)

प्रस्तुत विचार का उपसंहार करते हुए ४४ वीं कारिका मे यह बताया गया है कि आर्हतों की श्रेनेकांत दृष्टि से विचार करने पर सांख्य का प्रकृतिवाद भी सत्य सिद्ध होता है, मिथ्या नहीं । वह मिथ्या हो भी नहीं सकता क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलबन कर कापल मुनि ने प्रकृतिवाद के

क्षे ‘कुम्भादिवन्निप्रतिष्ठमेतत् । तथापि देहाद्विहिरात्मतत्त्वमतत्त्ववादोपहतःः पठन्ति ॥’ इति शेषपाइत्रय हेमचन्द्राचार्यविरचितायामन्ययोगव्यवच्छेद द्वार्तिशिकाया इति. ६ ।

एवम् उक्तप्रकारेण, हि=निश्चितम्, प्रकृतिवादोऽपि सत्य एव विज्ञेयः नानृतः, उपपत्त्यन्तरमाह-कपिलोक्तत्वतद्वैच=द्रव्यार्थिकनयावलम्बिकपिलप्रणीत्वाच्चैव । तेनाऽनृत एवायं वाद उक्तो भविष्यतीत्यत आह-हि=यतः स महामुनिः दिव्यः=अद्भुतशीला-चरणशाली, अतो नानृतं त्रूयात्, इति तस्याऽप्ययमेवाऽभिप्राय इति भावः ॥४४॥

सांख्य ! संख्यमिदमेव केवलं मन्यसे प्रकृतिजन्म यज्जगत् ।

आत्मनस्तु भणितौ विधर्मणः संख्यमेव भजदेवमावयोः ॥१॥

आत्मानं भवभोगयोगसुभगं विस्पष्टमाचष्ट यो

यः कर्मप्रकृतिं जगाद जगतां वीजं जगच्छर्मणे ।

नद्योऽव्याविव दर्शनानि निखिलान्यायान्ति यदर्शने

तं देवं शरणं भजन्तु भविनः स्याद्वादविद्यानिधिम् ॥२॥

इति पण्डित श्री पद्मविजयसोदरन्यायविशारदपण्डितयशोविजयविरचितार्या स्याद्वादकल्पलताभिधानार्या शास्त्रार्ताममुच्चयटीकायां तृतीयः स्तवकः संपूर्णः ॥

अभिप्रायः सूरेगिह हि गहनो दर्शनततिर्निरस्या दुर्धर्षा निजमतसमाधानविधिना ।

तथाप्यन्तः श्रीमन्नयविजयविज्ञाहि भजने । न भग्ना चेद्भवितर्न नियतमसाध्यं किमपि मे ॥१॥

यस्यासन् गुरवोऽत्र जीतविजयप्राज्ञाः प्रकृष्टाशया

भ्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञाश्च विद्याप्रदाः ।

प्रेमणां यस्य च सद्ग पद्मविजयो जातः सुधीः सोदर-

स्नेन न्यायविशारदेन रचिते ग्रन्थे मतिर्दीयताम् ॥३॥

समर्थक सांख्य शास्त्र की रचना की है । कपिल एक महान् मुनि है और अद्भुत शील और आचरण से संपन्न है अतः वे मिथ्या नहीं कह सकते । इसलिए प्रकृतिवाद के संबन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा है उसका भी वही अभिप्राय मानना चाहिए जो कर्मप्रकृतिवादी आर्हत महर्षियों का है ।

व्याख्याकार पूर्व उपा. यशोविजयजी ने इस विचार का यह कहते हुए उपसंहार किया है कि-सांख्य से उनकी मित्रता केवल इस कारण है कि सांख्य भी उन्हीं के समान जगत् को प्रकृतिजन्म मानता है । किन्तु आत्मा के सबन्ध में उसने जो यह कहा है कि आत्मा निर्धर्मक होता है । उस विषय में उसके साथ हमारा वैचारिक सम्मान सदा चलता रहेगा ॥१॥ व्याख्याकार ने इस विचार के पर्यवसान में अपनी यह आकांक्षा प्रकट की है कि जिस देव ने आत्मा को अत्यंत स्पष्ट रूप में सासारिक भोग के याग्य बताया है और जिस देव ने जीवमात्र के कल्याण मार्ग के उद्घाटनार्थ कर्मप्रकृति को जगत् का वीज बताया है एवं जिसके दर्शन में समुद्र में नदीयों के समान अन्य सभी दर्शन समाविष्ट हो जाते हैं-स्याद्वाद विद्या के महान् आश्रय उस देव की ही शरण में संसार के भव्य मनुष्य को उपस्थित होना चाहिये ॥२॥

अभिप्रायः० .. - . . . इनकी व्याख्या पहले स्तवक में आ गयी है ।

तृतीय स्तवक संपूर्ण

परिशिष्ट १-तृतीयस्तवकश्लोकाकारादिक्रमः

श्लोकांशः

श्लो०/पृ० श्लोकांशः

३/७ अज्ञो जन्तुगनीशोय
३४/१२१ अत्रापि पुरुषस्थान्ये
२१/९८ अन्ये तु व्रुत्वते
४/३५ अन्ये त्वभिदधत्यन्ते
१६/८५ अभिप्रा गम्ततम्नेपां
३४/११७ आत्मा न वध्यते
८/२८ आदिसर्गोऽपि नो हेतुं
१७/८६ आपं च धर्मशास्त्रं च
११/८१ ईश्वरः परमात्मैव
१/२ „ प्रेरकत्वेन
३५/११८ एकान्तेनैकरूपाया
४४/१३२ एवं प्रकृतिवादोऽपि
१३/८३ कर्त्ताऽयमिति तद्वाक्ये
६/३६ कर्मादैस्तत्स्वमावत्वे
२५/१०३ घटाद्यपि कुलालादि

श्लो०/पृ० श्लोकांशः

२०/६७ घटाद्यपि पृथिव्यादि
२/५ श्नानमप्रतिष्ठं यस्य
१०/८० तत्श्चेदश्वरकर्तृत्वं
२६/१०४ तत्रापि देहकर्ता चेद्
१२/८२ तदनासेवनादेष
४०/१२३ तस्याश्चानेन्तरुत्वाद्
८३/१०० तस्यैव तत्श्वभावत्वाद्
२७/१०४ देहमोगेन नैवास्य
४२/१२४ देहम्पशादिसवित्या
३२/११३ देहात्पृथक्त्वे एवास्य
३१/११२ न च पूर्वस्यमावत्वात्
५/३५ नरकादिफले काश्चित्
२४/१०२ नानुपादानमन्यस्य
४१/१२४ नामूर्त्तं मूर्त्तिं याति
३७/१२० पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो

श्लो०/पृ० श्लोकांशः

१४/८४ परमेश्वर्यंयुभतत्वाद्
३८/१२० पुरुषस्योदिता मुक्तिरिति
७८/१०६ पुरुषोऽविकृतात्मेव
३०/१०७ प्रतिविम्बोदयोऽयस्य
१९/९७ प्रधानान्महतो भावो
१८/८८ प्रधानोद्भवमन्ये तु
७/३७ फलं ददानि चेन सर्वे
३३/११६ घन्वाहते न संमारो
४३/१२६ मूर्त्तयाप्यात्मनो
३६/११६ माक्षं प्रकृत्ययोगो
८२/६८ युक्त्या तु वाध्यते
७४/१०७ विभक्तेन्द्रकपरिणनी
१५/८५ शास्त्रकारा महात्मानः
६/३६ स्वयमेव प्रवर्त्तन्ते

परिशिष्ट २-तृतीयस्तवकटीकायामुद्धृतवाक्यांशाकारादिक्रमः

पृष्ठांक. वाक्याशः

१२५ अण्णोण्णाणुगयाण इमं
४ अविद्या क्षेत्रमुक्तरेषां
६० असत्त्वान्नास्ति सम्बन्धः
८८ असदकरणाद्
५४ आकाशशरीरं ग्रन्थं
२० आत्मैवेदं सर्वं

[सन्मति-४७]

[योगसूत्र २-४]

[]

[संख्यकारिका-६]

[]

[छान्दोग्यउपनिषद् ७-२५-२]

[नृ सिंहोत्तरतापनीय उपनिषद् ७-३]

पृष्ठांकः

८४	उत्तमं पुरुषस्त्वन्य	[गीता १५-१७]
२०	एतस्य चाक्षरस्य०	[वृहद्बारण्यक० ३-८०]
१२६	एवं एते आया	[सन्मति०-४६]
७	कार्याऽस्योजनधृत्यादेः	[न्यायकुसुमाञ्जलि ५-१]
४	क्लेशकर्मेविपाका०	[योगसूत्र १—२३]
५६	अं जहा भगवया०	[]
१२८	जे वयणिऽन्नवियप्ता	[सन्मनिसूत्र-५३]
१२७	ण य वाहिरओ मावो०	[सन्मतिसूत्र-५०]
३०	तरति मृत्यु	[]
११८	तस्मान्न वध्यते नापि	[सांख्यकारिका-६२]
१२७	दव्वद्वियम्य अया	[सन्मतिसूत्र-५१]
"	” जो चेव	[„ -५२]
३	दश मन्वन्तराणीह	[]
५६	नित्यं विज्ञानं	[]
६३	निरालम्बा निराधारा	[योगशाखा ४-१८]
६६	प्रकृतेर्महांस्ततो	[सांख्यकारिका-२२]
१२८	पुरिसञ्जायं तु पद्मच०	[सन्मतिसूत्र-५४]
३	पूर्णं शतसहस्रं तु	[]
३	बौद्धाः शतसहस्राणि	[]
८४	भेदाना परिणामात्	[सांख्यकारिका-१५]
७	मयाध्यक्षेण प्रकृतिः	[गीता ९-१०]
६६	मूलप्रकृतिरविकृतिः	[सांख्यकारिका-३]
३२	यहो ष विष्णुः	[]
१३२	यत्रैव यो हष्टगुणः	[भन्य०व्य०द्वा०-६]
३३	यत्र दुखेत सभिन्नं	[]
१२६	स्त्राइपञ्जवा जे देहे	[सन्मति० ४८]
५१	स तपोऽन्तप्यत	[]
५६	समालोच्य क्षद्रेष्वयि	[]
७	सर्वश्वता तृप्तिं	[]
५६	सर्वभावेषु कर्तृत्वं	[वीतरागस्तोत्र ७-५]
१०७	सामा उ दिया छाया	[निशीयभाष्य, प्रक्षापना-मलयगिरिटीका]
७६	देत्वमावे फलाभाषान्	[न्या०कु०३-१८]

तृतीयस्तवके शुद्धिपत्रकम्

—३३—

पत्र/पवित्र	अशुद्ध	शुद्धं	पत्र/पवित्र	अशुद्धं	शुद्धं
४/२	योगत्र (२-४)	योगसूत्र (१-२३)	६५/२२	इश्वर	ईश्वर
८/२१	क्वोकि	क्योकि	६९/२७	तो जैसे	जैमे
९/५	वा	वा।	७१/१६	कं नहीं	के अद्यष्ट से नहीं
९/३४	द्रारा	द्वारा	७१/२८	आत्मप्रवेज,	आत्मप्रदेश
१७/१६	सृष्टि	सृष्टि	७४/२६	ब्रह्मा	ब्रह्मा
१६/१७	जसे	जैसे	७६/१२	कारीका	कारिका
२१/१८	उन्हे	उन्हें	८०/२	चतुर्थ	‘चतुर्थ
२०/१४	ईश्वर	ईश्वर	८२/१३	होत	होती
३३/२०	निरूपण	निरूपण	८३/२१	मापा	(१) मापा
३९/२८	याजन	योजन	८८/३१	प्रशस्ति	प्रशस्ति
४६/५	नित्याव्यापि०	नित्या व्यापि	८३/२७	लाकोकित	लाकोकित
५३/२	ईश्वरेच्छ्रव	ईश्वरेच्छैव	८६/२४	पाठ धर्म	पाठ से धर्म
५४/४	तत्त्वकारण	तत्त्वकारण	९८/१०	प्रधान	प्रधानं
५५/१	वच्छिन्नद्व०	वच्छिन्नतद्व०	१०४/२७	बुद्धि	बुद्धि में
५५/८	०लाऽकारणनि०	०लाऽकारनि०	११३/६	वन्ध,	वन्धः
५५/२६	नुमति	अनुमति	१२०/१८	का	का
५६/३१	उसकती	सकती	१२३/२	श्वा	श्वा
५६/३१	कत कर्म	उक्त कर्म			



